

DUE DATE SLIP**GOVT COLLEGE LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन

एव

संवैधानिक विकास

(१६०० ई० से १९४७ ई० तक)

लेखक

रणजीतसिंह दरडा

राजनीतिशास्त्र विभाग उदयपुर वि विद्यालय

उदयपुर



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

जयपुर

भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रन्थ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित ।

प्रथम संस्करण १९७२

मृ प १८

© सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

ए २६/५ विद्यालय मार्ग पिलक नगर,

बयपुर-४

मुद्रक

बोरियटल प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स

बाट के कुचे का रास्ता पॉपुलर बाजार

बयपुर-१

पूज्य माँ और श्रद्धेय पिताजी

को

सादर समर्पित

प्रस्तावना

भारत की स्वतंत्रता के बाद इसका राष्ट्रभाषा को विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम के रूप से प्रतिष्ठित करने का प्रश्न राष्ट्र के सम्मुख था। किंतु हिंदी में इस प्रयाजन के लिए अपेक्षित उपयुक्त पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध नहीं होने से यह माध्यम-परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। परिणामतः भारत सरकार ने इस चुनौती का निवारण के लिए वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक आदावती आयोग की स्थापना की थी। इसी योजना के अन्तर्गत पीछे १९६९ में पाँच हिन्दी भाषी प्रश्नों में ग्रन्थ अकादमियों की स्थापना की गई।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के उत्कृष्ट ग्रन्थ-निर्माण में राजस्थान को प्रतिष्ठित विद्वानों तथा अध्यापकों का सहयोग प्राप्त कर रही है और मानविकी तथा विज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट पाठ्य-ग्रन्थों का निर्माण करवा रही है। अकादमी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तीन सौ से भी अधिक ग्रन्थ प्रकाशित कर सकेगी एसी हम आशा करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक इसी क्रम में तयार करवायी गई है। हम आशा है कि यह अपने विषय में उत्कृष्ट योगदान करेगी।

चन्दनमल बंद

अध्यक्ष

विषय-सूची

- १ समाजशास्त्रीय तत्त्व १
- प्रवेश देश का स्थिति (१) देश का विस्तार एवं विभाग (२) देश की भौतिक प्राकृतियाँ (३) देश की जलवायु (४) देश की प्राकृतिक सम्पदा (६) देश की जनसंख्या (१) देश के निवासी भाषा एवं धर्म, (११) रहन सहन खान पान भारतीय संस्कृति (१२)
- २ जान कम्पनी १५
- प्रवेश (१) कम्पनी का घटनापूर्ण जीवन कम्पनी की स्थापना कम्पनी का प्रारम्भिक स्वरूप (१६) कम्पनी संकट में (१७) कम्पनी के स्वरूप में परिवर्तन एवं शक्ति में वृद्धि (१७) नयी कम्पनी का निर्माण (१८) प्रतिযোগिता एवं समझौता प्राथमिक सत्ता-युग में प्रवेश (१९) संसद द्वारा मांग-दखल कम्पनी जीवन के अन्तिम राह पर (२) भारत में कम्पनी की सत्ता-स्थापना की दौड़ (२०) अंग्रेजों की प्रारम्भिक वस्तियाँ स्थानीय शासकों द्वारा कम्पनी को व्यापारिक सुविधाओं की प्राप्ति भारतीय शासकों द्वारा कम्पनी को अधिक सुविधाएँ प्रदान करना (२१) कम्पनी द्वारा देश की राजनीति में हस्तक्षेप कम्पनी की भारतीय शासकों द्वारा प्रादेशिक सत्ता की प्राप्ति कम्पनी का सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र पर अधिनार (२२)
- ३ ब्रिटिश राज्य का प्रारम्भ २३
- प्रवेश (१) रेगुलेशन अधिनियम (२३) अधिनियम स्वीकृति के कारण अधिनियम का स्वीकृत होना (२६) अधिनियम के उपबंध (२७) अधिनियम का महत्त्व (२८) अधिनियम के दोष (२९) अधिनियम की अयुक्तता के कारण (२) (२) पिट का भारत अधिनियम अधिनियम स्वीकृति के कारण (३) अधिनियम की स्वीकृति अधिनियम के उपबंध (२४) अधिनियम का महत्त्व (३५) (३) १९६३ ई का शासक अधिनियम (३५) अधिनियम स्वीकृति के कारण अधिनियम के मुख्य उपबंध (३७) अधिनियम का महत्त्व (४) १९३३ ई० का शासक अधिनियम (३७) अधिनियम स्वीकृति के कारण अधिनियम के मुख्य उपबंध अधिनियम का महत्त्व (३९) (५) १९३३ ई का शासक अधिनियम अधिनियम स्वीकृति के कारण अधिनियम के उपबंध अधिनियम का महत्त्व

(४)

(४१) (६) १८५३ ई का शासक प्रधिनियम अधिनियम स्वीकृति के कारण मन्त्र द्वारा अधिनियम का स्वीकृत किया जाना (४०) अधिनियम के मुख्य उपबन्ध अधिनियम का महत्त्व (४४)

१८५७ ई का स्वतन्त्रता सपना महान् राष्ट्रीय घटना २५६
 प्रवेश सधष के कारण (४६) राजनतिक कारण धार्मिक कारण (४७) सामाजिक कारण धार्मिक कारण (४८) सनिक कारण और अफवाहें (४९) सधष का प्रभार (५) विफलता के कारण (५१) सधष का स्वरूप सधष के परिणाम (५४)

५ १८५८ ई० का अधिनियम ५६

भारत में ब्रिटिश राज का शासन अधिनियम स्वीकृति के कारण (५६) अधिनियम का पारित किया जाना (५७) अधिनियम के उपबन्ध अधिनियम का महत्त्व (५९) अधिनियम के दोष महारानी विक्टोरिया की घोषणा (६)

६ १८६१ ई का परिषद अधिनियम ६१

अधिनियम स्वीकृति के कारण (६१) अधिनियम के मुख्य उपबन्ध (६२) अधिनियम का महत्त्व (६३) अधिनियम के दाप (६४)

७ विरोधी आन्दोलन (१८६१ ई० से १८८४ ई तक) ६५

प्रवेश बंगाल में नाल विप्लव (६५) सयालों के विद्रोह, (६६) दक्कन के विद्रोह कूबा आन्दोलन (६७) बली उल्ला विद्रोह (६८) महाराष्ट्र में प्राभितकारी आन्दोलन (६९)

८ भारत में राष्ट्रीयता का उदय ७०

प्रवेश सामाजिक एवं धार्मिक आन्दोलन (७) राजनैतिक-एकता की स्थापना (७१) अग्रजी गिन्ना और साहित्य ऐतिहासिक अनुसंधान (७२) भारतीय प्रस तथा साहित्य का प्रभाव धार्मिक शोधण (७४) ना लिटन का मन्तकारी शासन (७५) इलवट बिल सम्बन्धी विवाद (७६) अग्रजी-शासन की स्वेच्छाचारिता निरकुण्ठा (७८) यातायात के साधन जातिविभेद की नीति (७९) १८५७ ई का स्वतन्त्रता सपना विदेशी घटनाओं का प्रभाव (८) सरकारों नीकरियों में अन्यायपूर्ण तथा पक्षपातपूर्ण नीति भारत में नवयुग का मूलपात राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (८१) क्रांतिकारी देश भक्त

६ कांग्रेस की स्थापना

८२

प्रवेश ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन (८३) -डिया लीग इंडियन एसोसिएशन (८४) बम्बई-प्रमोसि एसोसिएशन पूना-सावजनिक मभा (८५) राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना काग्रस क उद्देश्य (८७) कांग्रेस का राष्ट्रवादी स्वरूप (९) कांग्रेस इतिहास के चरण (९१) कांग्रेस के कार्य (९२) कांग्रेस की कार्य पद्धति (९३) कांग्रेस की सफलता (९४) कांग्रेस के प्रति सरकारी दृष्टिकोण (९५)

१० १८६२ ई० का भारतीय-परिषद् अधिनियम

९७

पूवगामी शासन सुधार (९७) १८६२ ई के अधिनियम की स्वीकृति के कारण अधिनियम के मुख्य उद्देश्य (१०१) अधिनियम के दोष (१२) अधिनियम का महत्व (१४)

११ शासन में सर्वधित परिवर्तन और राष्ट्रीय आन्दोलन

१०५

(सन् १८६२-१६ ई ई)

प्रवेश (१) शासन का केन्द्रीयकरण और अधिकारीकरण (१०५)
 (२) राष्ट्रीय आन्दोलन सवधानिक आन्दोलन (१०७) कांग्रेस में फूट (अ) उदार राष्ट्रीयता (१०८) उदार राष्ट्रीयता मनोवृत्ति उदार राष्ट्रीय विचारों की विशेषताएँ (१११) उदारवादियों के माघन (११०) उदार राष्ट्रीयता की भ्रष्टियाँ (१११) उदार राष्ट्रीयता की देन (११३) उदार राष्ट्रीयता के जनक (११४) दादाभाई नौरोजी सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (११६) और गोपालकृष्ण गाल्ल (११७) (ब) उग्र राष्ट्रीयता (११६) उग्रवाद के विकास के समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ (१२) उग्रवाद के जन्म के कारण उग्रवादी आन्दोलन का विकास (१२३) बंगाल विभाजन एवं स्वतन्त्र आन्दोलन (१२४) उग्रवादी राष्ट्रीयता का उद्देश्य और कार्य प्रणाली (१२८) उग्रवादी राष्ट्रीयता की विशेषताएँ (१२९) उग्रवादियों एवं उदारवादियों में अन्तर उग्रवादी राष्ट्रीयता के अग्रदूत बाल गंगाधर तिलक (१३१) लाला लाजपत राय (१३३) और विपिनचन्द्र पान (१३५) (३) राष्ट्रीय आन्दोलन क्रांतिकारी आन्दोलन (१३६) आतंकवाद के प्रादुर्भाव के कारण (१३७) क्रांतिकारी आन्दोलन का विकास (१३८) बंगाल पञ्जाब महाराष्ट्र मद्रास विदेशों में क्रांतिकारी आन्दोलन (१४) क्रांतिकारी आन्दोलन की असफलता (१४१) क्रांतिकारियों का कार्य प्रणाली क्रांतिकारी तथा उग्रवादी आन्दोलन में अन्तर (१४२) (४) मुस्लिम-साम्प्रदायिकता का उदय एवं बीच की स्थापना (१४३)

- १२ **मार्ले मिटो-सुधार** १४५
 प्रवेश अधिनियम स्वीकृति के कारण (१४५) अधिनियम के मुख्य उपबन्ध (१४७) सुधारों की मालोचना (१४६) अधिनियम का महत्व (१४२)
- १३ **१९१ से सन १९१६ की राजनीति** १५३
 प्रवेश निष्प्राण-उदासीनता के वप (१५४) प्रथम महासद्व एव राष्ट्रीय आन्दोलन उग्रवादियों एव उदारवादियों में मेल (१५६) कांग्रेस की समझौता नीति की विचारधारा में परिवर्तन के कारण (१५७) समझौते का अस्तित्व में आना (१५६) प्रतिक्रियाएँ (१६) समालोचना गृह शासन आन्दोलन आन्दोलन का उद्देश्य (१६२) आन्दोलन के बन्धे चरण (१६३) गृहशासन आन्दोलन का दमन प्रभाव मेसोपोटामिया की घटना (१६४) माटेग्यू घोषणा घोषणा के अस्तित्व में आने के कारण घोषणा कर दिखाने पर भारत में प्रतिक्रिया (१६७) घोषणा का महत्त्व (१६८) लिबरल फेडरेशन रोलेट अधिनियम (१६६) गांधीजी द्वारा रोलेट अधिनियम का विरोध (१७) जलियावाला बाग हत्याकाण्ड (१७१) खिलाफत आन्दोलन (१७३)
- १४ **१९१६ का अधिनियम** १७४
 प्रवेश अधिनियम स्वीकृति के कारण (१७५) अधिनियम के मुख्य उपबन्ध प्रस्तावना गृह-सरकार (१७६) हार्ड-विमिनट (१७७) केन्द्रीय विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल (१७६) शक्ति-विभाजन गवर्नर जनरल (१८) दोहरा शासन व्यवहार में (१८१) दोहरे शासन की असफलता के प्रमुख कारण (१८२)
- १५ **कांग्रेस सहयोग से असहयोग की श्रृंखला** १८६
 प्रवेश कांग्रेस सहयोग से असहयोग के पथ पर, (१८६) असहयोग के कारण (१८८) असहयोग के पीछे विचार दशन (१९१) महिलात्मक असहयोग काय रूप में (१९२) असहयोग आन्दोलन (१९३) असहयोग आन्दोलन का स्थिति होना (१९४) आन्दोलन की कमजोरियाँ (१९५) असहयोग आन्दोलन की उपलब्धियाँ प्रभाव (१९६) मर्याकन (१९७)
- १६ **स्वराज्य दल** १९८
 प्रवेश स्वराज्य दल का निर्माण (१९६) स्वराज्य दल के उद्देश्य स्वराज्य दल का काय प्रम (२) स्वराज्य-दल की उपलब्धियाँ (२) स्वराज्य दल के पतन के कारण (२) मर्याकन (२) ३)

- १७ सविनय प्रवृत्ता आन्दोलन के पूर्व के वर्षों की राजनीति २०५
 प्रवेश साम्प्रदायिक विनय का विकास (२५) माइमन-कमीशन
 (२१) नहरु प्रतिवेदन (२१४) जिन्ना की चौदह गर्तें (२२१)
 पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग (२२५)
- १८ सविनय प्रवृत्ता आन्दोलन २२८
 प्रवेश आन्दोलन के कारण (२२८) आन्दोलन का कार्यक्रम (२२९)
 आन्दोलन का प्रथम चरण (२८) आन्दोलन का दूसरा चरण
 (२३१) आन्दोलन में विभिन्न ताबों की भूमिका (२३२) आन्दोलन
 का विचार दशन (२३३) आन्दोलन का प्रभाव (२३४)
- १९ सम्मेलनों एवं सम्मेलनों की राजनीति २३५
 प्रवेश प्रथम गोनमेज सम्मेलन (२३५) गांधी इरविन सम्मेलन
 (२३८) तृतीय गोनमेज सम्मेलन (२३९) साम्प्रदायिक नियम
 (२४१) पूना सम्मेलन (२४३) एकता सम्मेलन (२४४) तृतीय
 गोनमेज सम्मेलन (२४५) १९३५ ई के मुघारों की तरफ कदम
- २० सन् १९३५ का भारत-सरकार-अधिनियम २४७
 अधिनियम की म्दीकृति अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ (२४७)
 अधिनियम के मुख्य उपबन्ध (२४९) अधिनियम की प्रावधाना
 (२६) अधिनियम काय रूप में (२६२)
- २१ १९३५ ई० से १९४१ ई० की राजनीति २६३
 द्वितीय महायुद्ध के पूर्व के वर्ष (२६३) द्वितीय महायुद्ध में भारत
 को सम्मिलित किया जाना (२६६) कांग्रेस की प्रतिक्रिया मुस्लिम
 लीग की प्रतिक्रिया (२६७) अश्व दला की प्रतिक्रिया वाइसराय की
 भूमिका कांग्रेसी मंत्रिमंडला का त्याग पत्र (२६८) मुक्ति दिवस
 (२६९) कांग्रेस द्वारा सशक्त सहायता प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार का
 विरोधी रवारा (२७०) ८ अगस्त १९४ ई की घोषणा (२७१)
 कांग्रेस द्वारा घोषणा को अस्वीकार करना (२७२) मुस्लिम लीग
 द्वारा घोषणा को अस्वीकृति व्यक्तिगत सत्याग्रह वाइसराय की
 कार्य-कारिणी परिषद का विस्तार (२७४) व्यक्तिगत सत्याग्रह का
 स्थगित किया जाना सुभाष बास द्वारा भारतीय स्वतन्त्रता हेतु
 जमनी में प्रयास
- २२ क्रिप्स-योजना २७६
 प्रवेश क्रिप्स को भारत भेजने का उद्देश्य (२७६) प्रस्ताव के
 उत्पन्न की परिस्थितियाँ (२७७) क्रिप्स-मिशन की घोषणा और
 भारत-आगमन क्रिप्स योजना युद्ध के समय लागू होने वाले

प्रस्ताव (२७६) यद्द व ... लागू होन बाने प्रस्ताव सोव
 प्रस्ताव सविधान-सभा की रचना क्रिप्स सुभावा पर भारतीय
 प्रतिक्रियाए, (२८) वापस द्वारा क्रिप्स-योजना की प्रस्वीकृति के
 कारण मुस्लिम-लीग द्वारा क्रिप्स-सुभावों की प्रस्वीकृति व कारण
 (२८१) सिक्खों आदि द्वारा क्रिप्स सुभावों की प्रस्वीकृति (२८२)
 क्रिप्स प्रस्तावों की आलोचना

२३ सन् १९४२ की प्राप्ति २८५

प्रवच भारत छोडो आन्दोलन का विचार (२८५) भारत छोडो
 प्रस्ताव (२८७) सरकारी दमन (२८८) आन्दोलन का रूप
 भारत छोडो आन्दोलन की प्रगति (२८९) आन्दोलन का प्रभाव
 (२९) आन्दोलन के प्रति भारतीय राजनतिक जला का दृष्टि
 कोण आन्दोलन का महत्त्व

२४ सन् १९४२ की प्राप्ति के बाद के वय २९२

१९४३ का वय (२९२) गांधी का उपवास लीग द्वारा निर
 स्तर पाकिस्तान की मांग सुभाष बोस द्वारा भारत की प्रस्थापी
 सरकार का निर्माण नये वायसराय का आगमन एव गांधीजी
 के प्रयास (२९४) राजगोपालाचारी-योजना योजना की मुख्य
 शर्तें योजना विचार-दशन (२९६) योजना की प्रस्वीकृति (२९७)
 प्रभाव (२९८) दसाई हल (२९९) बवल-योजना (३०)
 योजना के अस्तित्व मे आन के कारण योजना में क्या था (३ २)
 महत्त्व शिमला-सम्मेलन (३ ३) आशा-पूर्ण प्रारम्भ निराशा
 पूर्ण अन्त प्रतिक्रियाए (३ ४) विचार दशन कुछ निष्कष
 (३ ५) शिमला सम्मेलन के उपरान्त (३ ६) लॉर्ड बवल की
 १८ सितम्बर १९४५ ई की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमन्त्रा की
 घोषणा पब्लिक लॉरेन्स का बल्लभ्य निर्वाचन एव मन्त्रिमडलों की
 स्थापना

२५ मन्त्रिमडल आयोग योजना ३ ८

प्रवच आयोग अस्तित्व मे कबो आना (३ ८) आयोग का भारत
 आगमन (३ ९) योजना मे क्या था (३१) योजना के गुणो
 का लेखा-जोखा (३१३) योजना की कमजोरिया (३१५)
 समालोचना (३१७)

२६ स्वतंत्रता की प्राप्ति ३१६

अन्तरिम सरकार की स्थापना और लीग की सीधी कार्यवाही
 विवस (३१६) प्रश्नों की भारत छोड़न की घोषणा (३२)

बाल्ट वेटन-योजना (३२१) १९४७ ई० का भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम (३२६) अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा (३२७) राष्ट्रीय आन्दोलन की विशेषताएँ (३३०)

२७ महात्मा गांधी

३३३

प्रवेश गांधीजी का व्यक्तित्व (३३४) गांधीजी पर प्रभाव, (३३५) गांधीवाद क्या है धर्म एवं राजनीति (३३६) सत्याग्रह और अहिंसा (३३७) साध्य एवं साधन (३३९) राज्य एवं समाज सम्बन्धी धारणा आदर्श राज्य (३४०) विवेकीकरण (३४१) ट्रस्टीशिप सिद्धान्त रोटी के योग्य धर्म, (३४२) वण-व्यवस्था अपरिग्रह (३४३) पुलिस और जेल अथ्य महत्वपूर्ण बातें अहिंसा प्रधान राज्य की आलोचना गांधीवाद एवं मार्क्सवाद (३४४) गांधीवाद एवं समाजवाद (३४५)

समाजशास्त्रीय तत्त्व

प्रदेश

प्रत्येक देश के सविधान की अत्मा और उसके त्रियारम्भ स्वरूप पर उसकी प्राकृतिक दशा उसकी जनमहत्या उसकी प्राकृतिक सम्पदा उसकी धार्मिक और साम्प्रदायिक परम्पराओं आदि समाजशास्त्रीय तत्त्वों का प्रभाव पड़ता है। इन तत्त्वों का सङ्गित ज्ञान प्राप्त किए बिना किसी भी देश के सविधान के स्वरूप और सत्कार्यों का ज्ञान प्राप्त करना असम्भव नहीं तो कठिन अथवा है। भारतवर्ष के सविधान और सम्पत्तियों के उचित अध्ययन के लिए समाजशास्त्रीय तत्त्वों के ज्ञान का मन्त्रव्य और भी अधिक है। भारत न केवल सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न सामन्तशासनक कुरुराय है बल्कि विश्व का विनाशजनक सोकतन्त्रीय राज्य तथा एशिया में प्रजातन्त्र का ज्योति-स्तम्भ भी है। उसकी अनेक राष्ट्रों से पृथक् धार्मिक सामाजिक और धार्मिक दशाएँ हैं तथा उसकी सरकार और राजनीति का स्वरूप निर्गुणाधीन है। अतः यह धारणा है कि उसके सविधान और राष्ट्रीय विनाश का अध्ययन समाजशास्त्रीय तत्त्वों के अध्ययन से प्रारम्भ किया जाए, जिससे कि देश के राजनैतिक रूप-रटल की भली भाँति समझा जा सके।

१. देश की स्थिति

भारतवर्ष पूर्वी गोलार्ध के मध्य विद्युत् रेखा के उत्तर में स्थित है। इस के उत्तर में हिमालय है जिसके पीछे ४००० या ५००० मीटर ऊँचा तिब्बत का पठार है। एक बड़ी पर्वत श्रृंखला भारत को एशिया के देशों (पाकिस्तान को छोड़कर) से पृथक् करती है। उत्तर में हिमालय पर्वत भारत को तिब्बत व चीन से पृथक् करता है। उत्तर-पूर्व में पटकोई नागा और सशाई की पहाड़ियाँ इसे बर्मा से पृथक् करती हैं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। क्षेत्र सभी ओर भारत समुद्र में विस्तृत हुआ है—पूर्व में बंगाल की खाड़ी पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में विंगालकाय तिम्र महासागर। इस प्रकार भारतवर्ष उत्तर पश्चिम को छोड़कर चारों ओर प्राकृतिक सीमाओं से घिरा है। भारत के उत्तर में नेपाल और चीन पूर्व में बर्मा और बांगला देश उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दक्षिण में भारत की खाड़ी और पाक जलसमूह भारत को अरब सागर से पृथक् करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर और निकोबार अरब सागर में मीनिकोव और अमन द्वीप हैं जो भारत देश के ही अंग हैं। दूर पूर्व में जावाण दक्षिण पूर्व में इण्डोनेशिया पश्चिमी अफ्रीका-दक्षिण में अफ्रीका पश्चिमी और उत्तर-पश्चिम में यूरोप हैं।

२ भारतीय स्वयम्भवा घा-दोसन एवं संवैधानिक विकास

पश्चिम में ही स्वेच्छ नजर है जिसमें से होकर जहाज यूरोप को जाते हैं। भारत हवर्ज जहाजों के माग में भी पन्ना है और यूरोप में जो टवाई जहाज पूर्वी देशों को जाते हैं वे भारत के भूभाग के ऊपर से होकर आते जाते हैं। इस प्रकार भारत की स्थिति सैनिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

२ देश का विस्तार एवं विभाग

भारत का भौतिक विस्तार विषुव रेखा के उत्तर में ८४ उत्तरी अक्षांश से लेकर ३७ ६ उत्तरी अक्षांश तक तथा ६८ ७ पूर्वी देशान्तर से ९७ २५ पूर्वी देशान्तर के मध्य है। एक रेखा इस देश को लगभग दो भागों में बाँती है। आसाम के पूर्व में एक छोटा पश्चिम तक देश की लम्बाई २९७७ किलोमीटर और काश्मीर के उत्तर से दूर दक्षिण में कुमारी अक्षांश तक ३२१९ किलोमीटर है। देश की घनवर्ती सीमा १५ १६८ किलोमीटर है तथा समुद्री सीमा ५६८९ किलोमीटर है। देश का क्षेत्रफल ३२ ७६ १४१ बर्ग किलोमीटर है।

भारत का क्षेत्र २१ राज्यों एवं ९ केन्द्र शासित प्रदेशों में विभक्त है जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है

राज्य

नाम राज्य	क्षेत्रफल बर्ग मात/ बर्ग किलोमीटर (१९७१ की जनगणना)	जनसंख्या	राजधानी	भाषा
	२	३	४	५
आन्ध्र प्रदेश	२७८७	व. कि. मी. ३३९४९५१	हैदराबाद	तेलगू
असम	७८	व. कि. मी. १४१	शिलांग	असमी व बंगला
उड़ीसा	१५१८	व. कि. मी. २१९३४८२७	भुवनेश्वर	उड़िया
उत्तर प्रदेश	२३	व. कि. मी. ८२९९४५३	लखनऊ	हिन्दी
केरल	३९	व. कि. मी. २१२८३९७	त्रिचेम	मलयालम
जम्मू काश्मीर	२२२८	व. कि. मी. ४६१५७६	श्रीनगर	डोगरी/कश्मीरी
पंजाब	५२३८	व. कि. मी. १३४७२९७२	चंडीगढ़	पंजाबी
हरियाणा	४४	व. कि. मी. ९९७११५५	चंडीगढ़	हिन्दी
पश्चिम बंगाल	८७९	व. कि. मी. ४४४४५५	कलकत्ता	बंगाली
बिहार	१७१	व. कि. मी. ५६३८७२८७	पटना	हिन्दी
महाराष्ट्र	३७७	व. कि. मी. ५२९५८१	बम्बई	मराठी
गुजरात	१७१	व. कि. मी. २६६६९२	अहमदाबाद	गुजराती

* घनवर्तन राज्य के विस्तार में राजधानी का निर्माण हो रहा है।

१	२	३	४	५
मध्यप्रदेश	४४३६० व कि मी	४१४६६७२६	भोपाल	द्वितीय
तमिलनाडु	१२६८ व कि मी	४११३१२५	मद्रास	तामिल
मैसूर	१६२२०० व कि मी	२६२२४४६	बंगलूर	कन्नड़
राजस्थान	३४२३० व कि मी	२५७२४१४२	जयपुर	द्वितीय (राजस्थानी)
त्रिपुरा	१०२४० व कि मी	१५१६८२२	अगस्त्य	
नागालैंड	१६५ व कि मी	५१५५१	कोहिमा	असमिया
हिमाचल प्रदेश	५६२६३ व कि मी	३२४३३२	शिमला	
मेघालय	२२२ व कि मी	६८३३३६	शिलांग	
मणिपुर	२२०१ व कि मी	१६६१५५	इम्फाल	

केन्द्रशासित प्रदेश

नाम राज्य	क्षेत्रफल	जनसंख्या	राजधानी
१	२	३	४
दिल्ली	१५ व कि मी	४१६३८	दिल्ली
मिजोराम	२०७ व कि मी	३२०	ऐजल
अरुणाचल प्रदेश	८३०० व कि मी	४१६७४	जीरो
अंडमान निकोबार द्वीप	८३ व कि मी	११५०६	पोर्टब्लेयर
लक्षद्वीप भूमि			
कोव घमन द्वीप	३० व कि मी	२१७६८	कोजीकोडे
चंडीगढ़	११४ व कि मी	२५६६७६	चंडीगढ़
दादरा नगर हवेली	५ व कि मी	७४१६५	सिलवागा
गोवा डामन डयु	३७ व कि मी	८५७१८	पनिम
पाण्डिचेरी	५० व कि मी	४७१३६७	पाण्डिचेरी

३ देश की भौतिक आकृति

भारत की भौतिक रचना एक विविध प्रकार की है जिसमें ऊँचे पर्वत पठार घोर विद्याल भूदान सभी स्थित हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल का २६३ प्रतिशत पर्वतीय भाग (३० मीटर से ऊँचा) २०७ प्रतिशत पठारी भाग एवं ४३ प्रतिशत समतल मैदानी भाग है। भौगोलिक इतिहास तथा बनावट के अनुसार भारत को चार भौगोलिक विभागों—उत्तर का पहाड़ी प्रदेश, उत्तर-पूरब का हिमालय का पठार एवं उत्तरीय भूदान—में विभाजित किया जाता है।

(घ) उत्तर का पहाड़ी प्रदेश

भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत-समूह स्थित है। इनमें अनेक पर्वत-श्रृणियाँ हैं। इन श्रृणियों में हिमालय अत्यधिक प्रसिद्ध है। सिन्धु एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ इस पर्वत-समूह को तीन भागों में विभक्त करती हैं (१) हिमालय (२) हिमालय के उत्तर-पश्चिम के पर्वत तथा (३) हिमालय के दक्षिण-पूर्व के पर्वत। हिमालय पर्वत श्रृणी मोड़दार पर्वतों की श्रृणी है। यह समार ना सबसे नवीन गढ़ा है। हिमालय की सबसे ऊँची शिखर एवरेस्ट है जिसकी ऊँचाई ८८४ मीटर है। कंचनजंघा ८५९८ मीटर खलगिरी ८१७२ मीटर आदि अनेक उच्चशिखर शिखरियाँ इस पर्वत श्रृणी में हैं। हिमालय की लगभग १४ शिखरियाँ आक्स की उच्चतम शिखर माउन्ट ब्लैंक से अधिक ऊँची हैं। हिमालय के मध्य कहीं-कहीं ऊँचे मदान हैं जिन्हें डून मदान कहते हैं। इस पर्वत-माता में कामोरी एवं कुन्डू शिखर अत्यन्त विस्तृत उत्पन्न एवं सुन्दर दृश्यों वाली है। हिमालय की यह शिखर २४१४ किलो मीटर सम्बन्धी शिखर २४ से ३२ किलोमीटर चौड़ी है।

(ब) सतलज-गंगा-ब्रह्मपुत्र मदान

हिमालय पर्वत-श्रृणी के दक्षिण में स्थित यह मदान उत्तरी भाग के अधिकांश भाग में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है तथा २४१४ किलो मीटर लम्बा है। इसकी चौड़ाई २४१ से ३२१ किलो मीटर तक है। इस मदान में दो बड़ी नदियाँ गंगा एवं ब्रह्मपुत्र अपनी सहायक नदियों के साथ बहती हैं। इसमें सिन्धु नदी की दो सहायक नदियाँ सतलज एवं व्यास भी बहती हैं। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना रामगंगा झारणा करनाली गडक कोसी चम्बल बेतवा बेतवा सान आदि हैं। ब्रह्मपुत्र नदी क्रम में तिस्ता मेघना सुरमा आदि नदियाँ सम्मिलित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी सिन्धुगढ़ तक (लगभग १० किलो मीटर ऊपर) शतपानों द्वारा यातायात के लिए सुलभ है किन्तु जहाज केवल मोहाटी तक ही पहुँच पाते हैं। इस मदान की आबादी बड़ी घनी है और इसमें बड़े-बड़े नगर बसे हुए हैं।

(स) दक्षिणी पठार

सतलज-गंगा ब्रह्मपुत्र-मदान के दक्षिण में एक पठार है जिसकी ऊँचाई समुद्र की सतह से ४५८ से १२२ मीटर तक है। यह पठार त्रिकोना है और उत्तर-पूर्व एवं पश्चिम में पर्वत श्रृणियों से घिरा हुआ है। ये पर्वत श्रृणियाँ या तो पुराने पहाड़ों के अवशेष हैं (जैसे अरावली की पहाड़ियाँ) या स्वयं पठार के ही कठोरतम भाग हैं जो कारण से बच रहे हैं। इनके किनारे काफी कटे फटे हैं। इस पठार का घरातल टीलदार या सह्रदार है। जिस पट्टी शिखरों से होकर नबदा नदी बहती है वह पठारी प्रदेश को दो त्रिकोणाकार भागों में बाँट देती है। उत्तरी भाग मानवा पठार कहलाता है। मानवा पठार के पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो लगभग पूर्व-पश्चिम दिशा में सुदूर फैली हुई हैं।

परावली के पहाड़ हूँ-कूँ है। उनमें सबसे अधिक ऊँचाई वाला पारू पहाड़ समुद्र की सतह से १७२३ मीटर ऊँचा है जो इसके दक्षिण पश्चिम में मुकर श्रृंखला से बिलग रूप से विद्यमान है। परावली के पश्चिम की ओर चार मरुभूमि एवं राजस्थान की मरुभूमि है। परावली पहाड़ियों से अनेक नदियाँ निकलती हैं जो बरसात के प्रतिरिक्त सदा सूखी सी रहती हैं। इसमें प्रमुख नदियाँ बनास सूनौ आदि हैं। मालवा पठार के दक्षिण में विन्ध्याचल पर्वत है। यह पर्वत भी कई भागों में विभक्त है। इसका पूर्वी भाग नेमूर की पहाड़ी कहलाता है। यह भी त्रिकोणाकार है और चारों ओर नीची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उत्तर की ओर ततपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जिनमें से महात्मेव की पहाड़ियाँ सबसे ऊँची हैं। नबग एवं ताप्ती इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं।

दक्षिणी पठार का पश्चिमी किनारा पश्चिमी घाट से आवृत है। उसके एक भाग को मल्लार्द्र की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। सागर की ओर पश्चिमी घाट क बास सीधा है। पूरुब की ओर इसका ढाल साधारण व धीमा है। पश्चिमी घाट उत्तर दक्षिण की ओर फले हुए लगातार पर्वत है। इन्हें पार करना केवल कुछ ही स्थानों पर सम्भव है। उत्तरी भाग में स्थित दो दर्रे और घाट एवं पाय घाट का रास्ता सुरगो से होकर है। दक्षिण में पाल घाट व सपाट मदान है। पठार के पूरुब में पूर्वी घाट है। उक्त दोनो पर्वत-श्रृंखलाओं को नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण में जोड़ती हैं। इनकी सबसे ऊँची चोटी दो। वेटा समुद्र तल से २६३७ मीटर ऊँची है तथा प्रथमनय पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी प्रसाई मुड़ी २ ६५ मीटर से अधिक ऊँची है। दक्षिणी पठार का क्षेत्र ततलज गंगा-ब्रह्मपुत्र मदान की अपेक्षा बहुत कम उपजाऊ है। केवल नदियों की घाटियों में उपज अच्छी होती है। पठार में बहने वाली नदियों के तल लगभग चपटे हैं एवं जहाँ-जहाँ वे पठार को छोड़ती हैं वहाँ-वहाँ तेज धाराएँ या जल प्रपात बनाती हैं।

(६) तटीय भू-भाग

दक्षिणी पठार के पूरुब एवं पश्चिम में नीची धरती की दो सक्री पट्टियाँ हैं जो समुद्र के किनारे-किनारे चली गई हैं। ये तटीय मदान कहलाते हैं। पूर्वीय तटीय मदान का दक्षिणी भाग कर्नाटक का मदान व कायोमण्डल तट कहलाता है। इसका उत्तरी भाग उत्तरी सरकार का मदान कहलाता है। पश्चिमी तटीय मदान दक्षिण में मालाबार तट से प्रारम्भ होकर उत्तर में बोकल तट व गुजरात तट तक मारे अरब सागर के किनारे फला हुआ है। यह मदान काफी सकरा है। तटीय मदान में समुद्र एवं सक्री जल भी हैं जिनमें समुद्र का जल भर गया है।

(४) देश की जलवायु

भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत के ऋतु पथवेक्षण विभाग ने एक वर्ष को माधार मान कर एक वर्ष की जलवायु को निम्न प्रकार से निर्दिष्ट किया है —

(१) उत्तरी-पूर्वी मानसून का समय

(अ) शीत ऋतु जनवरी एवं फरवरी

(ब) ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक ।

(२) दक्षिणी-पश्चिमी मानसून का समय

(अ) वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितम्बर तक

(ब) शरद ऋतु मध्य सितम्बर से दिसम्बर तक ।

२२ दिसम्बर के पश्चात् मूस मकर रेखा से विपुत्रत् रेखा की धीरे लौटना प्रारम्भ कर देता है फलस्वरूप भारत में शीत ऋतु का प्रारम्भ होता है । शीत काल के समय मध्य एशिया उच्च भार का क्षेत्र बन जाता है फलस्वरूप भारत में आकाश स्वच्छ भीमम सुशुभता एवं तापमान नाश्वा हो जाता है । उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में तापक्रम में साधारण भन्तर मिलता है । उत्तर से दक्षिण की धीरे तापक्रम बढ़ता जाता है । उत्तरी भाग में तापक्रम १ - १२ से २० के लगभग रहता है । दिन में ताप कुछ ऊंचा हो जाता है । कभी कभी पाला भी पड़ता है । दक्षिण भारत में मद्रास में जनवरी में तापमान २४ से ३० रहता है । मार्च के ध्यान में मूस कक रेखा की धीरे बढ़ना प्रारम्भ कर देता है फलस्वरूप शरद देग में ग्रीष्म ऋतु प्रारम्भ हो जाती है । इस ऋतु के प्रारम्भ में सबसे ऊंचा ताप दक्षिण भारत में पाया जाता है । अप्रैल मास में मध्यप्रदेश धीरे गुजरात में तापक्रम ३७.७ तथा ४३ से ३० के लगभग रहता है । क्रमशः भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापक्रम बढ़ता जाता है एवं उत्तरी भारत में मई में ताप ४८ से ३० तक पहुँच जाता है । उत्तरी भारत में उष्ण एवं शुष्क पछुमा हवाएँ चलती हैं । इन्हें ल कहा जाता है । इस ऋतु में तटीय क्षेत्रों में स्थानीय एवं जलीय हवाएँ के चलने के कारण दैनिक तापमान ५ या ६ से ३० से अधिक नहीं होता किन्तु आन्तरिक भागों में यह काफी ऊंचा होता है ।

मई के अन्त तक मूस कक रेखा पर सम्बन्धित चमकने लगता है । ग्रीष्मकालीन हवाएँ चलने लगती हैं । वर्षा का प्रारम्भ पहले पश्चिमी तट पर होता है तदुपरान्त मध्य स्थानों पर । देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन एवं समाप्ति का समय भिन्न भिन्न होता है । ग्रीष्मकालीन मानसून की दो प्रधान शाखाएँ हैं

(१) शरद सागरीय मानसून (दक्षिणी पश्चिमी मानसून) (२) बंगाल की खाड़ी वाली मानसून । शरद सागरीय मानसून का द्वारा भारत में ७५ प्रतिशत वर्षा होता है । इसका प्रभाव पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में अधिक है जहाँ पर २५ से भी वर्षा होती है । दक्षिण में उत्तर की धीरे बढ़ने पर इस मानसून का प्रभाव व वर्षा भी मात्रा कम होती जाती है । शरद सागरीय मानसून की एक शाखा पश्चिमी घाट के उत्तर में सतपुड़ा धीरे वि व्याचन पर्वतों की मध्यवर्ती घाटी में होकर मध्यप्रदेश तक वर्षा करती है । शाला का उत्तरी भाग गुजरात एवं कच्छ की धीरे से प्रवेश करके मार महसूस होकर हिमाचल प्रदेश तक पहुँच जाता है क्योंकि मार्ग में इन

हवापा को रोकने योग्य कोई ढाँचा पकत नहीं है। राजस्थान में धरातली पकत है किन्तु इसकी स्थिति इन हवाओं की दिशाओं के समानांतर है इसलिए वर्षा प्राप्ति में इनसे कोई विशेष लाभ नहीं होता। पहाड़ों के पश्चिमी ढालों पर माघारण वर्षा हो जाती है एवं अधिकांश राजस्थान वर्षा सूख रह जाता है। बंगाल की खाड़ी वाली मानसून का अत्यधिक प्रभाव आसाम की खाड़ी पहाड़ियों में होता है। समस्त अधिकांश वर्षा १११४ से मी परापूर्वी में होती है। असम की पहाड़ियों का पार कर उत्तर की ओर वर्षा कम होती है। बंगाल की पार करन के पश्चात् मानसून के दो भाग हो जाते हैं। एक भाग ब्रह्मपुत्र की घाटी में पूर की ओर चला जाता है एवं दूसरा भाग पश्चिम की ओर मड़र गंगा के मैदान को पार करती हुआ पंजाब तक पहुँच जाता है। यह उस जगह पर चला जाता है जहाँ की मात्रा कम होती जाती है। उत्तरी भारत में मध्यवर्ती भाग में कम वर्षा होती है क्योंकि इस क्षेत्र में उक्त दोनों मानसून का प्रभाव कम होता है। कुछ वर्षा का कारण भी काफी वर्षा हो जाती है। इस वर्षा अन्त में वाष्पमान में भी तापमान प्रतिगत रहती है। दिन में तापमान अधिक रहता है पर रात्रि को कम। मध्य सितम्बर के पश्चात् मानसून उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चोटना आरम्भ कर लेता है। मानसून चोटने के साथ साथ उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने लगता है। अबदूर गस्त तक उत्तर में पंजाब राजस्थान एवं कश्मीर में वर्षा लगभग समाप्त हो जाती है। लौटती हुई मानसून जब तट के निकट पहुँचती है तो बंगाल के डेल्टा आराकान यामा तथा मद्रास में वर्षा करती है। मद्रास के निकट वर्षा ६५ से ७५ से मी तक हो जाती है। भीतर प्रवेग करने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है।

भारत के उक्त मानसूनी जनवायु का प्रभाव भारतीय आर्थिक जीवन पर पड़ता है जो निम्न प्रकार है —

- (१) विपुल रेखा के उत्तर में स्थित होने से भारत का अधिकांश भाग गम पैदा में है फलस्वरूप देश के निवासी यह भर एक मी भेटनन नहीं कर सकते। प्राण्य काल में ता जनवायु अत्यन्त उष्ण होती है। तथा यमना के दोषाव में तापमान ४६ से घट कर पहुँच जाता है। सूखतनी अधिक चलती है कि दिन को (११ बजे से ४ बजे तक) गर में चल रहना पड़ना है।
- (२) भारत में मौसम ज़दी ज़दी बदलता है जिनसे फलस्वरूप अनेक बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। बीमारी के कारण आसामी की कार्यक्षमता कम हो जाती है तथा उसकी शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता है।
- (३) भारत के गम दश ज्ञान में पहाड़ों को छोड़कर तापमान ज़े भी १२ = से घटे से नीचा नहीं होता। पाने द्वारा भी शक्ति बहुत कम होती है जस देव

हृषि की दृष्टि से उत्तम है। फसलें वर्ष भर उगायी जा सकती हैं। साधारणतया दो फसलें उगायी जाती हैं किन्तु बंगाल बिहार उत्तरप्रदेश एवं केरल में तीन फसलें तक उगायी जाती हैं। जलवायु की विविधता का प्रभाव फसलों पर पड़ता है। दूध में जो चार चारा मक्का चना चावल गेहूँ कपास चाय बहवा गन्ना रबड़ आदि अनेक वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। मानसूनी जलवायु में शीतकालीन तापक्रम ऊँचा होता है और उसके शीघ्र बढ़ जाने से उमर फसलों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फसल घटिया किस्म की होती है मनाज का दाना पतला और छोटा होता है।

(४) जलवायु सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। मनुष्य शीघ्र परिपक्व अवस्था को पहुँच जाना है। अतः जीवन की अवधि ठंडे पश्चिमी देशों से कम है। लड़के-लड़कियाँ किशोरावस्था को शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। अतः विवाह छोटी आयु में हो जाता है। नाजुक उम्र में ही युवक और युवतियों को प्रथम बार बच्चा करना पड़ जाता है जिससे उनकी काय-कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या भी तेजी से बढ़ती है जो विकासशील देश के लिए हितकर नहीं है।

(५) भारत में वर्षा की स्थिति अनिश्चित है। यही यह शीतकाल में ही आरम्भ हो जाती है तो कभी कई सप्ताह बिछड़ जाती है। कभी वर्षा कुछ समय होकर रुक जाती है तो कभी वर्षा काल बहुत अधिक लंबा हो जाता है। देश में वर्षा का वितरण समान नहीं है। कुछ भागों में वर्षा २५ सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाती है और देश में ऐसे भी भाग हैं जहाँ वर्षा की प्राप्ति १२७ से भी सेंटीमीटर से भी कम है। देश के ११ प्रतिशत भाग में १६ से भी से अधिक २१ प्रतिशत भाग में १२७ से १६ से भी तक ३७ प्रतिशत भाग में ७६ से १२७ से भी तक २४ प्रतिशत भाग में ३८ से ७६ से भी तक एवं ७ प्रतिशत भाग में ८ से भी से भी कम वर्षा होती है। भारत के अधिकांश भागों में वर्षा सूखलावार होती है। फलस्वरूप वर्षा का जन भूमि का कटाव करते हुए समुद्र की ओर बह जाता है एवं इसका अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता। भारत में किसी न किसी भाग में प्रायः मास में वर्षा होती पायी जाती है। अधिकांश वर्षा शीतकाल के उत्तरार्ध में हो जाती है। फलस्वरूप शीतकालीन फसलों के लिए सिंचनी के साधनों का प्रावश्यकता रहती है। देश की कृषि सिंचनी के साधनों पर निर्भर करती है। वर्षा की अनिश्चितता देश में आपत्ति का कारण बनती है। किसी वर्ष अलक्षणी बहुत कम होती है और अकाल पड़ जाता है कभी वर्षा अधिक हो जाती है और नदियों में बाढ़ें आ जाती हैं। देश की अर्थ व्यवस्था को इस प्रकार काफी घटका पहुँचता है।

(५) देश की प्राकृतिक सम्पदा

भारत में प्राकृतिक संपदा पर्याप्त मात्रा में है। देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र ३२६८ लाख हेक्टेयर है। भूभाग द्वारा विस्तार की गयी भूमि २६१६ लाख हेक्टेयर है। इसमें बोया जा सकने वाला क्षेत्र मात्र १६६६६७७ म लगभग १३७१ लाख हेक्टेयर का जो विषम मात्रा में बंटा हुआ है। देश का क्षेत्रफल ३३० लाख वर्ग किलोमीटर का जो प्रायः ७३ हेक्टेयर है जो ब्रिटेन समुद्र तल से अमेरिका तथा रूस से काफी कम है। देश में वर्षा द्वारा लगभग २७० लाख करोड़ घन मीटर जल प्राप्त होता है। इसमें १००० मिलियन एकड़ फुट तरल जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। ६५ मि.मी. फुट मिट्टी में द्वारा सोसा दिया जाता है एषिया में जो से बहुत कम है। १६७७५३ करोड़ घन मीटर जल रह जाता है। इस जल संचयन का भी पूरा-पूरा उपयोग नहीं होता। सिंचाई के लिए प्राप्त जल की मात्रा का अनुमान ५६० करोड़ घन मीटर लगाया जाता है किन्तु मात्र १६६६ ई तक केवल १८२ करोड़ घन मीटर (३ प्रतिशत) का ही उपयोग म लाया गया था। इस जल से भारत की ७७ लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। मात्र १६६६-६७ में नहरों द्वारा ४२ प्रतिशत जलवा द्वारा १८ प्रतिशत कुआरों द्वारा २ प्रतिशत और अन्य साधनों द्वारा १० प्रतिशत क्षेत्र सिंचाई किया गया। तथा उनकी सम्पदा ६७५ गीज थी। जल का उपयोग विद्युत शक्ति के लिए भी समभव है। देश में ८११० टिचोवाट जन विद्युत् उत्पादन करने की क्षमता है किन्तु मात्र १६६८-६९ तक केवल ५६१ टिचोवाट विद्युत् ही उत्पादन होती थी। तेल नहर १३५६२ घन किलोमीटर में उपलब्ध है। परमाणु शक्ति उत्पादन करने की भी काफी क्षमता है। केरल एवं मद्रास के तट की मोनोनास्ट बालू में २३२० मीट्रिक टन पोरियम एवं बिहार में ३४८०० मीट्रिक टन पोरियम की मात्रा सुरक्षित है। भारत में कोयला ५३६४००० मीट्रिक टन मैंगनीज १८८२ मीट्रिक टन लोहा २६५३६०० मीट्रिक टन तांबा २३४०० मीट्रिक टन जिप्सम ११३४२० मीट्रिक टन बाक्साइट ३६५६० मीट्रिक टन क्रोमाइट २३००० मीट्रिक टन बेनिडियम २७०००० मीट्रिक टन स्वण ४४ लाख मीट्रिक टन का सुरक्षित भण्डार है। सम्भव ८५४ घन किलोमीटर क्षेत्र में प्राप्त है।

भारत में वन सम्पदा भी पर्याप्त है। वन का क्षेत्र ५१२ लाख हेक्टेयर है जो कुल क्षेत्र का २०४ प्रतिशत है। वा क्षेत्र मुख्यतः हिमालय विषय और दक्षिण में सीमित है। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र प्रायः एक है। एक एकड़ का २)६ रूपों की प्रायः है। देश में वन एवं जलसम्पदा को देखते हुए भारत में धनोपार्जन बहुत कम है। १६६८-६९ में राष्ट्रीय प्राय १६६-६१ व्यय का मुख्य प्रायः के आधार पर केवल १६६४३ करोड़ रुपय एवं प्रति व्यक्ति प्रायः २१४ रुपया ही का किमी भी तरह सम्पदा नहीं है।

(६) देश की जनसंख्या

चीन को छोड़कर विश्व में भारत की जनसंख्या सबसे बड़ी है। सन् १९७१ की जनगणनानुसार देश की जनसंख्या ५४७६४६८८ थी जो अब बढ़कर ५६ करोड़ के लगभग हो गयी है। भारत की कुल जनसंख्या उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका की कुल जनसंख्या के योग से भी अधिक है। अफ्रीका महाद्वीप से दगुनी है आस्ट्रेलिया से ४४ गुनी एवं ब्रिटेन से ६ गुनी अधिक है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि डनमाक की जनसंख्या के बराबर प्रतिवर्ष होती है। दश में जनसंख्या का घनत्व प्रतिवर्ष किन्तु मीटर १८२ है जो एशिया में जापान और कोरिया का छोड़कर सबसे अधिक है। भारत में जनसंख्या का घनत्व सब जगह एक सा नहीं है। केरल में ५४८८ एव बंगाल में ५६ घनत्व प्रति वर्ग किलो मीटर है जबकि राजस्थान के मरु क्षेत्र में यह ५६ एव नागालैण्ड में ३१ से अधिक नहीं है। भारत के अधिकांश निवासी (८२२ प्रतिशत) गांवों में रहते हैं। कृषि यहाँ का निवासियों का प्रमुख व्यवसाय है। ६६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषि में रूकी हुई है। भारत में ग्रामों की संख्या ५५८८६ है तथा नगरों की २५४६ है किन्तु बड़े नगर जिनकी जनसंख्या एक लाख से ऊपर है केवल ११६ है। पिछले कुछ वर्षों में शहरी जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है तथा यह इस बात का द्योतक है कि कृषि पर जनसंख्या का भार कम हो रहा है।

(७) देश के निवासी

भारतवर्ष में विभिन्न जातियों का योग निवास करता है। इसका कारण यह है कि विभिन्न समयों में यहाँ विभिन्न जातियाँ बस गयीं। सबसे पहले निशायड जाति के लोग अफ्रीका से आकर बसे। इस जाति के चिह्न अब भी कुन मिट चुके हैं और अठमान द्वीप के आदिनिवासियों को छोड़कर और को भी भारतीय जनसंख्या में गिनती नहीं है। निशायड जाति के पचास प्रोटो आस्ट्रालोयड जाति के लोग पलेस्टाइन से आकर यहाँ बसे। उनका सिर चम्बा रंग का था एव नाक चपटी थी। मध्य एशिया के आदिवासी भी जाति के हैं। भूमयमागर जाति को एक गाथा आस्ट्रिया मसोपोटामिया के माग से प्रति प्राचीन समय में भारत में आयी। इस जाति के लोगों का सिर चम्बा रंग का था और नाक चम्बी व सीधी थी। ये लोग उत्तरी भारत में बसे। कोल, मथाल, गामी लोग इस जाति के हैं। ५ ई पू एशिया माइनर एवं एशियन द्वीप समूह से द्रविड लोग भारत में आए और उन्होंने उत्तरी भारत में अनेक नगर स्थापित किए। आजकल इस जाति के लोग दक्षिण भारत में रहते हैं। इनकी संख्या भारतीय आजादी की २२ प्रतिशत के लगभग है। २५ ई पू आर्य लोग भारत में आए। उनका रंग गोरा चेहरा सुन्नीत एवं कान चम्बा था। भारत के ७३ प्रतिशत लोग इसी जाति के हैं एवं पंजाब राजस्थान उत्तरप्रदेश आदि प्रदेशों में पतन हुए हैं। आर्यों के साथ मगोन जाति के लोग भारत आए। इनका रंग पीला था। इन जाति के लोग बांग्लादेश के पूर्वी भाग एवं आसाम में मिलते हैं।

(११) भारतीय सस्कृति

भारतीय सस्कृति विव की अय प्राचीन सस्कृतिया म अपना अद्वितीय स्थान रखती है। विश्व की अनेक प्राचीन सस्कृतिया का लोप हो गया है परन्तु भारतीय सस्कृति का प्रवाह उसी गति से चल रहा है। भारतीय सस्कृति कई सस्कृतियों का अपने म समन्वय करन आन क योग म भी अपना मस्तक ऊचा किए हुए है। इस सस्कृति के मौलिक तत्व अतन स्थायी और प्रभावशाली हैं कि इसकी धारा की गति म कोई अंतर नहीं आ पाया है। ये मौलिक तत्व निम्न लिखित हैं —

(१) भारतीय सस्कृति धर्म प्रधान है। मानव जीवन के हर क्षण मे धर्म को प्रधानता दी गयी है। धर्म से हमारा तापय क्त य स है। हमारी सस्कृति का प्राचीनतम सिद्धान्त य रहा है कि जो धर्म का नाश करेगा उसका विनाश हो जाएगा एव जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। यही कारण है कि भारतीय जीवन की समस्त बातों म धर्म की भावना प्रधान है। यपक रूप म धर्म का अर्थ मानव धर्म से है।

(२) हमारी सस्कृति विश्व की प्राचीनतम सस्कृतिया म स एक है। आज स पचास वष पूर्व तक आय सस्कृति को ही हमारी प्राचीन सस्कृति माना जाता था परन्तु १९२२ ई में डूइ सिधु घाटी की खदा से हमारे समन एव नयी सस्कृति आयी। स सस्कृति को हम भारतीय सस्कृति की प्रथम भागी क सकते हैं। सिधु घाटी की सस्कृति ३५ ई पूर्व गगमग की है जो विव की अय प्राचीनतम सस्कृतिया के समक्य है।

(३) भारतीय सस्कृति म अछ विचारों का अपन म समन्वय कर लने की एक बड़ी प्रबल गक्ति है। प्रो डोडवेल क शब्दा म भारत म समुद्र की तरह साखन की गक्ति है। उसन समस्त बाह्य गक्तियों क विषय आभकारी गुणा की हमेशा अपन मे मिला लिया। इस प्रकार हमारी सस्कृति की इस वृत्ति है। इसन आय युनानी सिधियन गक हुए मुसलमान ईसाई सभी जातिया के विषेय गुणा को ग्रहण कर लिया। विश्व गुरु विवेकानन्द न भारतीय सस्कृति की पावन शक्ति की बड़ी सराहना की है।

(४) इस सस्कृति म सहिष्णुता एव उदारता का भावना विशिष्ट रूप स पायी जाती है। विश्व इतिहास पर दृष्टिपान करन स हम पात होता है कि यूरोपीय देशों म असहिष्णुता के कारण अनेक युद्ध हुए जिनम जन और धन की अपार हानि हुई। भारत म स प्रकार के युद्ध कभी नहा हुए। हमारी परम्परा रही है कि एक ही धर्म म अनेक धर्मों के व्यक्ति माय रह सकन हैं। कई धर्मों एव सम्प्रदायों का पालवन यहाँ हुआ पर किसी प्रकार क अनुत्तर युद्ध नहा हुए। विभिन्नता म सारभूत अखडता हमारी सस्कृति की एक बड़ी विशेषता है।

(५) हमारी सस्कृति ज्ञान से घात प्रोत है। भारत का धार्मिक साहित्य ज्ञान का एक बड़ा भण्डार है। वेद उपनिषद् पुराण गीता स्मृतिया महाकाव्य

समाजशास्त्रीय और महाभाग इत्यादि शास्त्रों के चङ्गल उपाति-मन्त्र हैं। भारतीय साहित्य में निहित ज्ञान का विश्व जगत् मानता है। उग्रविपद् शास्त्र इत्यादि के अनुसार विश्व की श्रेष्ठ भावना यही है और मनुष्य पश्यत आनन्द का बड़ा धर्म समझते हैं।

(६) आध्यात्मिकता भारतीय सभ्यता का एक महान् विशेषता है। भारतीय शास्त्रों में वाप्य करने समय मनुष्य और परमात्मा का ध्यान रहता है। मनुष्य मानवता का मानता रहता है। यदि मनुष्य के मानव विशेषता भी वाप्य हो तो प्राणिक आधार पर श्रावित है। मनुष्य प्रकार हमारा सभ्यता जीवनिक सुख का लेख समझता है और आध्यात्मिक विज्ञान पर उन्नत रहता है। मनुष्य आत्म-व्यक्तियों द्वारा प्राणिक सुख का मनुष्य मानते हैं।

(७) प्राचीन भारतीय सभ्यता के अनुसार भारतीय समाज की आयु मनुष्य की आयु से मानी गयी है। इनमें मनुष्य के मानव जीवन का चार आध्यात्मिक विभाजित कर दिया गया है। पहला अल्प आयु जिसमें अल्पम आयु को २५ वर्ष तक शिशु प्राणिक करना और अल्प आयु का जीवन करना पड़ता है। दूसरा अल्प आयु है जिसमें २५ से ५० वर्ष तक 'युक्ति विज्ञान' के अन्तर्गत मनुष्य के सुख का भाग्य है। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम है जिसमें ५० से ७५ वर्ष की आयु तक जगत् में रहकर मनुष्य भगवान् का विज्ञान रहता है। चौथा मनुष्य आश्रम है जिसमें अन्तिम ७५ से १०० वर्ष की आयु तक आश्रम का पठिष्ठान्त की वाणिज्य करता है और समाज में सहायक बनता है। ये व्यवस्था विश्व में केवल भारत में ही पायी जाती है।

(८) हमारी सभ्यता में नागिया को बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है और वे पूजनीय मानी गयी हैं। पारि वा मनुष्य माना गया है। हमारे अर्थि पुत्रिया ने यह बताया है कि यद्यपि नरक है जिहम नागी का आश्रम नहीं जाता। हमारे समाज में पारि को शर्मा मनी माना गया है। समाज में वे पुत्रिया के साथ धार्मिक धर्म में बराबर भाग लेती हैं।

(९) अहिंसात्मक भावना में भारतीय सभ्यता अत्यन्त प्रीत है। भारतीय इतिहास के समस्त महात्मा सभ्यता तथा नेताओं ने अहिंसा का उपदेश दिया है। महात्मा बुद्ध भगवान् महावीर अशोक महारामा गांधी इत्यादि विभूतियों का अहिंसा भावना के कारण पूजनीय हैं। भारत की विदेश-नीति का आधार भी यही अहिंसा की भावना है।

(१०) भारतीय समाज में त्याग की भावना अत्यन्त प्रीत की है। इसी भावना से प्रेरणा प्राप्त कर समाज भारतीय ने अपना दण्ड समाज और मानव के कल्याण के लिए प्राण्य योद्धावर किए और गहरी दृष्टि है। हमारा इतिहास हम प्रकार के उदाहरणों से भरा पड़ा है। सत्यवादी हरिश्चन्द्र मर्यादित शमीवि भाग्यशाह और आधुनिक युग में स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा दृष्टि सेतापिया का त्याग मनुष्य का जिसे हम अभी भुला नहीं सकते।

(११) हमारी सस्कृति न हम सादगी एवं सरलता का पाठ पढ़ाया है। उसने यह प्रतिपादित किया है कि सादगी से रहो और अपने विचारों को उच्च रखो। एक भारतीय कहावत भी है सादा जीवन उच्च विचार। हमारे श्रद्धा विमुनियों ने व अग्र्य महात्माओं ने भी सादा जीवन और सद्व्यवहार पर अधिक बल दिया है।

(१२) हमारी सस्कृति ने हम विवश्वध्वज का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार भारतवासियों ने वसुधैव कुटुम्बकम् का सिद्धान्त अपनाया। भारत पर बाह्य आक्रमण कई बार हुए परन्तु भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। यह इसलिए कि हमारा सिद्धान्त आत्मी और जीने दो का है। विश्व का प्रत्येक देश व राष्ट्र हमारा सहोदर है।

(१३) भारतीय सस्कृति ने हम पुनर्जन्म व आत्मावाद का सिद्धान्त सिखाया। इसका अनुसार आत्मा अमर है और वह एक घरीर से निरल कर दूसरे में दूसरे से तासरे में प्रवेश करती रहती है। इस प्रकार आत्मागमन का चक्र चलता रहता है। जब मनुष्य अछे काम करता है तो वह इस चक्र से छूट जाता है। जो बुरे काम करता है उसका पुनर्जन्म ऐसे स्थान पर होता है जहाँ उसे दुख ही दुख मिलता है। इस सिद्धान्त से हर व्यक्ति को यह आशा रहती है कि वह एक दिन सुकम करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकेगा फलतः वह बुरे कामों से परे रहता है।

(१४) हमारी सस्कृति के अन्तर्गत भारतवासी भाग्यवाद में विश्वास करते हैं। हर व्यक्ति यह मानता है कि जीवन में सुख और दुःख उनके भाग्य में लिखा हुआ होता है। इस सिद्धान्त में विश्वास रखने से हर व्यक्ति बड़े से बड़े दुःख को आसानी से पार कर सकता है। निरुसाही व्यक्ति को इससे उरसाह मिलता है।

(१५) गीता में लिखा हुआ है कि कमण्यथाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अपात् कम करते रहो फल की इच्छा मत करा। हमारी सस्कृति इस प्रकार बिना फल की आशा के काम करने में विश्वास करती है। इस विचार धारा से प्रत्येक व्यक्ति बिना फल की चिन्ता किए दत्तचित्त होकर काय में लग जाता है और सफलता के दशन करता है।

(कम्पनी का घटना पूर्ण जीवन और भारत में उसकी गन्तास्थापना की दौड़)

प्रवेश

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य एक व्यापारिक निर्यात ट्रस्ट इंडिया कम्पनी के प्रयत्न के फलस्वरूप स्थापित हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण है कि पूर्वी एशिया द्वीप समूह में व्यापारिक उद्देश्य व्यापारिया की कम्पनी व इसके गवर्नर (जिन की महाराणी एलिजाबेथ प्रथम ने काफी अतिरिक्त के बाद ३१ दिसम्बर, १६० ई को निगमन का शासक पत्र दिया था) के प्रथम भाग में भारत में उपनिवेश प्रथम प्रहल का बौद्धिक नहीं था। अतः यह आवश्यक है कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के घटना पूर्ण और समृद्धिवादी जीवन के विकास तथा उसका द्वारा ब्रिटिश सम्राट के लिए भारत में सत्ता स्थापना के साथ वा सशक्त परिचय प्राप्त करें जो भारत के सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय विकास को ठीक प्रकार में समझने के लिए अनिवार्य है।

(१) कम्पनी का घटनापूर्ण जीवन

ईस्ट इंडिया कम्पनी के घटनापूर्ण एक समृद्धिवादी जीवन को हम दो युगा प्रथम व्यापारिक युग एवं द्वितीय शारीरिक सत्ता युग में विभक्त कर सकते हैं। व्यापारिक युग कम्पनी के प्रतिष्ठित में आने (१६० ई) से लेकर मुगल सम्राट शाहजहाँ के देगान बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्ति (१७६५ ई) तक और प्राथमिक सत्ता युग कम्पनी द्वारा गामन का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के काल (१७६५ ई) से लेकर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शासन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी ग्रहण करने के लिए अक्टूबर (१८५८ ई) तक माना जा सकता है। व्यापारिक युग में कम्पनी का स्वरूप विशेष एवं स्पष्ट रूप से व्यापारिक था। प्राथमिक सत्ता युग में कम्पनी ने सम्राट के साथ सत्ता का उपभोग किया।

कम्पनी की स्थापना

बाम्को डी गामा व २० मई १४९८ को कालीकट पहुँचने के साथ ही एशिया के इतिहास का बाम्को डी गामा युग प्रारम्भ होता है जो लगभग चार सतादी एवं पचास वर्ष तक कायम रहा। इस युग में पूर्वी देशों में एशिया के अनेक देशों में अपना शासन स्थापित किया तथा पश्चिमी सम्प्रदाय एवं सभ्यता का

प्रसार किया। अभी तब म भारत में अण्डो का साहमी व्यापारिका के रूप में प्रागमन हुआ। १५६१ ई में राफ फिथ भारत एवं बर्मा की यात्रा पूरी कर इंग्लंड पहुँचे। उन्होंने अपने देश के व्यापारियों को भारत से व्यापार प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित किया। १५६२ ई में नेटवट कम्पनी ने ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत एवं पूर्वी देशों से तुरी के भूभाग में होकर व्यापार करने का शासपत्र प्राप्त किया। तुर्की व मुत्तान ने कुछ समय पश्चात् अपने साम्राज्य के भूभाग से किए जाने वाले व्यापार के विभाग में काफी प्रयत्नों लगायीं जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश व्यापारिका का पूर्वी देशों से व्यापार काफी कम हो गया। अपने व्यापारिक हितों की रक्षा हेतु ब्रिटिश व्यापारिकों ने समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए कम्प उठाना अनिवार्य हो गया। २२ मिनम्बर १५६६ ई को लिन लॉन के व्यापारियों की एक बैठक लंडन में आयोजित हुई जिसमें भारत से व्यापार करने के लिए एक संघ बनाने का मन्तव्यपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। शीघ्र ही एक कम्पनी गवर्नर एंड कम्पनी आफ मर्चेण्ट्स इंडिया इन्टो ईस्ट इंडीज की स्थापना हो गयी।

कम्पनी का प्रारम्भिक स्वरूप

३१ दिसम्बर १६ ई को उक्त कम्पनी को महारानी एलिजाबेथ ने एक शासपत्र प्रदान किया। इस शासपत्र में अनुमति कम्पनी को पूर्वी हिन्द द्वीप में एशिया और अफ्रीका के देशों और मार्गों में सभी हिन्द द्वीपों में बन्दरगाहों पर अण्डो के आश्रय स्थलों गहरा नावियों बन्दों और एशिया और अफ्रीका के स्थानों और अमेरिका का या उनमें न किसी एक के भीतर और वहाँ से बोना एपेरोजा के अन्तरीय पार से मेग्रेन की तल सभिया तक स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अधिकार दिया गया। शासपत्र में कम्पनी की व्याख्या एक गवर्नर और चौबीस सदस्यों में निहित की गयी। शासपत्र क्वन १५ वर्ष के लिए दिया गया जिस दो वर्ष की सूचना द्वारा समाप्त किया जा सकता था।

१ मई, १६ ई को जेम्स प्रथम ने कम्पनी के शासपत्र का नवीनीकरण किया। कम्पनी को व्यापार का अधिकार सन् १६६६ में प्रदान कर दिया गया पर अत यह रही गयी कि यदि यह सिद्ध हो जाये कि कम्पनी का एकाधिकार अन्तः क हितों का हानि पहुँचाता है तो ३ वर्ष की सूचना से ७ मार का अधिकार समाप्त किया जा सकेगा। कम्पनी एक नियमित कम्पनी थी। सदस्यों की पूर्ण पृथक् पृथक् थी। सदस्यों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ना था। जब भारत या पूव की ओर कोई अभियान जाता तब व्यापारी एक जगह एकत्रित होने एवं खर्च के लिए अदान दते थे। नाम को अगदान के हिसाब से दिनगण कर दिया जाता था। १६६२ ई के पश्चात् घन देने वालों ने अपना अण्ड एक समुक्त स्वरूप में डाल दिया किन्तु यह समुक्त स्वरूप स्थायी आधार पर नहीं था। १४ दिसम्बर १६१५ ई और ४ फरवरी १६२३ ई के शासपत्रों द्वारा गवर्नर कम्पनी की शक्तियों में वृद्धि की गयी। पहले गवर्नर और कम्पनी की घन व उतारों का मना हो जारी करने

श्रीर दूसरे शासपत्र द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा स्वयं पर किये गये अपराधों के लिए कम्पनी के अधिकारियों को दंडे सजा देने की शक्ति प्रदान की गयी ।

कम्पनी सक्ट में

चाल्म प्रथम के शासन काल में कम्पनी को कुछ सक्टों का सामना करना पडा । १६२३ ई में हालड वांग ने अम्बोयना में सभी गोरे जो को मार डाला । परिणामस्वरूप सन्तन कम्पनी मसालों के द्वीप के व्यापार से हट गयी तथा उसने अपनी पूरी शक्ति भारत से व्यापार बढ़ाने में केन्द्रित कर दी । १६२४ ई में चाल्स प्रथम ने गर वाटन के प्रभाव में आकर असाडा कम्पनी को पूर्वी हिन्द द्वीप में व्यापार करने का शासपत्र प्रदान कर दिया । इस कम्पनी ने कुछ समय तक बड़ी तेजी से व्यापार चलाया । फलस्वरूप उदर कम्पनी को काफी नुकसान हुआ । गृह युद्ध का भी कम्पनी को स्थिति पर बुरा प्रभाव पडा । गृह युद्ध की समाप्ति के पश्चात् शमवेल ने कम्पनी के सक्ट को दूर करने का सफल प्रयास किया । एक समझौते के द्वारा असाडा कम्पनी को सदन कम्पनी में मिला दिया गया । १६५४ ई० की वेस्ट मिनिस्टर की सधि द्वारा हालड में अम्बोयना कांड के लिए सन्तन कम्पनी को ८५ ० पाँड क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किये गये ।

कम्पनी के स्वरूप में परिवर्तन एवं शक्ति में वृद्धि

१६५७ ई में शमवेल ने कम्पनी को एक नया शासपत्र प्रदान किया । इस शासपत्र द्वारा कम्पनी के लिए निरंतर संपुक्त स्वरूप रखना अनिवार्य कर दिया गया । फलस्वरूप कम्पनी एक संयुक्त स्वरूप में नियमित गयी । ३ अप्रैल १६६१ ई० को चाल्स द्वितीय ने कम्पनी को नया शासपत्र दिया । कम्पनी को इस आज्ञापत्र द्वारा कमांडर एवं अधिकारी नियुक्त करने उन्हें समादेश देने अपने कारखानों एवं दुर्गों की रक्षा करने के लिए नडा के जहाज सैनिक एवं वास्त्र भेजने अपने दुर्गों के संचालन के लिए गवर्नर एवं अन्य अधिकारियों नियुक्त करने मद्रास बम्बई तथा कलकत्ता आदि व्यापारिक क्षेत्रों एवं कारखानों में विशेष गवार एवं उसकी परिषद् को सब व्यक्तियों के दीवानी और फौजदारी मुकदमों का अग्रजो कानून के अनुसार नियुक्त करने शक्ति के अधिकार प्रदान किये गये । ५ अक्टूबर १६६६ के शासपत्र द्वारा कम्पनी को बम्बई में सिविल टाउन का अधिकार भी प्राप्त हो गया । ६ अगस्त १६८३ ई के शासपत्र द्वारा कम्पनी को एशिया प्रकीषा और अमेरिका की किसी अन्य शक्ति के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने और उनसे शक्ति समझौता करने सेनाएं बढ़ाने एवं अपनी रक्षा के लिए मरिच नियम घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया । १२ अप्रैल १६८६ ई के शासपत्र से कम्पनी को एडमिरल और अन्य समुद्री अधिकारों नियुक्त करने तथा अपनी जमिनियों के लिए सिविल डालने की शक्ति प्राप्त हो गयी । ११ दिसम्बर १६८७ ई० के शासपत्र द्वारा कम्पनी को मद्रास में गेवर का व्यापार तथा गरीबों के अर्थोपार्जन करने की शक्ति प्रदान की गयी ।

नई कम्पनी का निर्माण

१९८८ ई की क्रान्ति के पश्चात् नए कम्पनी की स्थिति बिगड़ती चली गयी। कम्पनी के विरोधियों ने कम्पनी के विरुद्ध एक प्रबल विरोध का संगठन किया। १९९१ ई में ब्रिटिश संसद में लदन कम्पनी को उसके प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित कम्पनी के साथ मित्रानु प्रस्ताव रखा गया। परन्तु मर जोगिया चा ने बड़ी रजिस्टर दफ्तर कम्पनी का नामपत्र फिर से जारी करा लिया। १९४४ ई में लोक सदन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया था कि मंगलड की समस्त प्रजा को पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने का पूरा अधिकार है जब तक संसद की विधि द्वारा उस पर रोक न लगा दी जाय। इस प्रकार कम्पनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। शीघ्र ही सरकार को धन की आवश्यकता हुई। सरकार ने व्यापार के एकाधिकार को नीलाम - लिए प्रस्तुत कर उसके बन्धन में प्रतिशत याज पर २ लाख पौंड लेने का निश्चय किया। लदन कम्पनी ७ लाख पौंड देने का प्रस्ताव किया जो अस्वीकृत कर दिया गया। एक नयी कम्पनी सरकार को सारी राशि ऋण के रूप में देने के लिए तैयार हो गया। नयी कम्पनी को एकाधिकार देने का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृत कर लिया गया और जुलाई १९९८ ई में उस राजकीय स्वीकृति मिल गयी। लदन कम्पनी को अन्तः-कारोधार बनाने के लिए ३ वर्ष की मुदता दी गयी। ५ सितम्बर, १९९८ ई के शाही नामपत्र द्वारा दो निलाम कम्पनी ट्रेडिंग हू दी ईस्ट इंडीज, नाम की नयी कम्पनी का निर्माण हुआ।

प्रतियोगिता एवं समझौता

लदन कम्पनी न नयी कम्पनी में ३१५ पौंड के हिस्से खरीद लिए। दोनों कम्पनियों में अत्यधिक प्रतियोगिता चली जिसके परिणामस्वरूप नया कम्पनी को अत्यधिक नुकसान हुआ। श्री गो डफिन के अस्तित्व के परिणामस्वरूप १७ २ ई में दोनों कम्पनियों ने अपनी सम्पत्ति का मूल्य आके जान के पश्चात् बराबर के सामने एक हो जाने का निश्चय किया। समझौते के द्वारा लदन कम्पनी को ७ वर्ष तक अपनी पृथक् सत्ता बनाये रखने का अधिकार मिला वसत कि व्यापार इंग्लिश कम्पनी के नाम से संचालन कर म किया जाय। १७ २ ई के समझौते में कुछ भगड़े उठ खे हुए। इनको दूर करने के लिए १७ ७ ई का अधिनियम बनाया गया। दोनों कम्पनियों के विवाह के प्रमुख प्रश्नों को हल करने के लिए लदन कम्पनी को अत्यन्त नियुक्त किया गया। गो डफिन ने १ सितम्बर १७ ८ ई में अपना निष्णय दिया। मार्च १७ ९ ई में पुरानी कम्पनी ने अपने अधिकार पत्र ब्रिटिश महारानी ऐनी को सौंप दिये। लदन कम्पनी के पृथक् अस्तित्व का अन्त हो गया तथा नयी कम्पनी दी यूनाइटेड कम्पनी आफ मर्चेंट्स आफ इंग्लैंड ट्रेडिंग हू दी ईस्ट इंडीज के नाम से चालान करने लगी। कालान्तर में यही कम्पनी ईस्ट इंडिया कम्पनी के नाम से प्रसिद्ध हुई।

प्रादेशिक सत्ता युग में प्रवेश

ईस्ट इंडिया कम्पनी को सन् १७२६ सन् १७५२ सन् १७५४ एवं सन् १७५८ में ब्रिटिश सरकार द्वारा शासपत्र प्रदान किए गए। इन सभी शासपत्रों में १७५८ ई का शासपत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। १४ जून को प्राप्त उक्त आना पत्र द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी को उन प्रशासक जिलों तथा दुर्गों को बचाने अपने पास रखने या किसी का इच्छानुसार देने का अधिकार प्रदान किया जो उसे भारतीय नरेशों और सरकारों से विजय द्वारा प्राप्त हुए। इस प्रकार इन शासपत्रों का ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रादेशिक सत्ता सम्पन्न मन्था के लिए आवश्यक सभी अधिकार प्राप्त हो गए। १७६५ ई में भारत के मुगल सम्राट शाह आलम ने कम्पनी को बंगाल बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। इस प्रकार ब्रिटिश सम्राट एवं भारत के मुगल सम्राट द्वारा प्रादेशिक शक्ति के रूप में शायदा प्राप्त पर कम्पनी ने १७६५ ई० में अपने जीवन काल के द्वितीय युग, प्रादेशिक सत्ता युग में प्रवेश किया।

सत्त्व द्वारा मांग वश

कम्पनी प्रभुत्व सम्पन्न निकाय नहीं थी अतः जब कम्पनी राजनतिक उत्तरदायित्व वहन करने लगी तो ब्रिटिश सरकार ने इसके मांगवशन एवं भारत में इसके द्वारा स्थापित सरकार का स्वरूप निर्धारित करने के लिए अनेक अधिनियम बनाए जिनमें १७६३ ई० का शासपत्र अधिनियम १८१३ ई० का शासपत्र अधिनियम १८३३ ई० का शासपत्र अधिनियम और १८५३ ई० का शासपत्र अधिनियम (इन अधिनियमों का विस्तृत बखान तीसरे अध्याय में किया गया है)।

कम्पनी जीवन की अन्तिम राह पर

१८३३ ई० के शासपत्र अधिनियम द्वारा कम्पनी के व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। अब उसके पास केवल राजनतिक कार्य का उत्तरदायित्व रहा। १८५३ ई० के शासपत्र अधिनियम द्वारा कम्पनी को असीमित काल तक भारत पर शासन करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। किन्तु १८५७ ई० में कम्पनी के शासन के विरुद्ध भारत में एक महान् क्रान्ति हुई जिसके कारण भारत में कम्पनी की प्रादेशिक सत्ता का अन्त हो गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अन्त शासन के लिए एक अधिनियम पारित किया जिसको २ अगस्त १८५८ ई० को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश राज में भारत के शासन का भार स्वयं ग्रहण कर लिया। १ सितम्बर १८५८ ई० को कम्पनी के सचालक मंडल की अन्तिम बैठक हुई जिसमें भारतीय साम्राज्य को एक नरयवान उपहार के रूप में हर मजेन्दी को सौंप देने का निणय किया गया। इस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन का अन्त एवं ब्रिटिश राज के शासन की स्थापना हुई।

(२) भारत में कम्पनी की सत्ता स्थापना का दौड़

घरघरों की प्रारम्भिक वस्तियाँ

सन्त कम्पनी के अस्तित्व में आने के समय भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य अपने पूरे यौवन पर था। अतः अंग्रेजों का मुगल शासन में व्यापार प्रसार के लिए सुविधाएँ प्राप्त करने का यत्न करना स्वाभाविक था। १६११ ई. में अंग्रेजों ने विलियम हाकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त करने के निमित्त भेजा पर उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। सन् १६१३ एवं सन् १६१६ के वर्षों के मध्य अंग्रेजों ने टामर रो के माध्यम में पन घनेक प्रयास किए पर मुगल दरबार में पुनर्गाल एवं हालड के व्यापारियों का प्रभाव होने के कारण विशेष सफलता नहीं मिली। अंग्रेजों की केवल सूरत एवं कुछ अल्प स्थानों पर वस्तियाँ बसाने का गोरी प्रदेश मित्रा अतः अंग्रेजों की पहली वस्तियाँ सूरत, प्रहमदाबाद भागरा एवं मडोच में स्थापित हुईं।

स्पानीय शासकों द्वारा कम्पनी की व्यापारिक सुविधाओं की प्राप्ति

मुगल सम्राट के स्वयं से निरास अंग्रेज व्यापारियों को स्पानीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त करने में अवश्य सफलताएँ मिलीं। गुजरात के सुबेदार धाहवादा खुरम ने अकेल अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक सुविधाएँ ही प्रदान कीं कि उसने उन्हें अपने कारखानों के स्वतंत्रतापूर्वक संचालन का भी अधिकार प्रदान कर दिया। फलस्वरूप सूरत में अंग्रेजों का पहला कारखाना स्थापित हुआ। १६६६ ई. में मछलीपट्टन १६२६ ई. में भरमगाव एवं १६३३ ई. में हरिहरपुर में भी कारखाने स्थापित किए गए। १६३६ ई. में वारडेवास्त के शासक ने कम्पनी द्वारा बदरगाह से प्राप्त आय के कुछ भाग के बढ़ने में कम्पनी को दुगुना बढ़ाने तिरके डालने एवं मद्रास पर शासन करने का अधिकार प्रदान कर दिया। १६४ ई. में अंग्रेजों ने मद्रास में सेट जाज का किता बनवाया। १६५ ई. में बंगाल के शासक से कम्पनी को बंगाल प्रांत में व्यापार करने एवं कारखाने निर्माण करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अतः कम्पनी ने हुगली पटना एवं करीम बाजार में वस्तियाँ का निर्माण किया। १६६१ ई. में चाल्स लिपीय ने बम्बई का द्वीप (जो उसे पुतगाली राज कुमारी अशाजा की कथारदन से विवाह के कारण दहेत में मिला था) कम्पनी को १ पौंड वार्षिक पट्टे पर दे दिया। १६७२ ई. में मद्रास का पूरा शासन कम्पनी को प्राप्त हो गया एवं बालातर में ३ गाव भी कम्पनी के नियंत्रण में आ गए। १६६ ई. में कम्पनी ने हुगली को छोड़ दिया एवं सतनना में कारखाना स्थापित किया। १६६८ ई. में कम्पनी ने १२ वार्षिक पट्टे पर सतननी कन्नकता एवं गोविन्दपुर की जमींदारी खरी ली तथा सतननी की किताबदा कर उसको फ्री विलियम का नाम दिया। १७ ई. में फ्री विलियम बंगाल देश विभाग का मुख्यालय हो गया।

भारतीय शासकों द्वारा कंपनी को प्रथम सुविधाएं प्रदान करना

१७०२ ई. में अंग्रेजों ने विविध गोरेण्डों का मुगल सम्राट् औरंगजेब से व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए भेजा पर उस समयका राजा मंत्री। १७०७ ई. में औरंगजेब की मृत्यु हो गयी। मुगल साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो गया। बंगाल एवं अन्य देशों में मुगल सम्राट् के विघटन से मुक्ति मिली। १७१६ ई. में अंग्रेज गवर्नर ने भारत में सम्राट् के अधिकारों को अंग्रेजों के बंगाल के नवाबों के नाम पर कंपनी का व्यापारिक अधिकार प्रदान करने का करार प्राप्त कर लिया। परिशुद्धात्मक व्यवस्था। १७२३ ई. में विविध विधायक प्रारम्भ कर दिए गए। १७२३ ई. में बंगाल में विभिन्न शासकों की सुविधा प्राप्त हो गयी तथा बंगाल में शासकों की सुविधा का प्रभार भी मिल गया। इन सब सुविधाओं के कारण ही कंपनी का व्यवसायिक विकास हो सका। १७२३ ई. में ही बंगाल में विभिन्न शासकों प्रारम्भ करना तथा अपना व्यापारिक अधिकारों का दुरुपयोग भी प्रारम्भ कर दिया।

कम्पनी द्वारा देश की राजनीति में हस्तक्षेप

अंग्रेजों ने बंगाल की राजनीति में भी हस्तक्षेप प्रारम्भ कर दिया। बंगाल के नवाब शिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का अपनी सन्धिवादी विचारधारा में हस्तक्षेप किया परन्तु अंग्रेजों ने शांति का पानन नहीं किया। १७५७ में प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें मीर जाफर की हार हुई। परिशुद्धात्मक शिराजुद्दौला पराजित हो गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर का बंगाल का गद्दी पर बैठवा दिया। मीर जाफर पर अंग्रेजों ने पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया पर उस समय अंग्रेजों के मध्य में गवर्नर बनाने प्रारम्भ कर दिया। १७६१ ई. में अंग्रेजों ने श्रीलंका का युद्ध में अंग्रेजों के प्रतिस्पर्धी देशों का पराजित कर दिया। १७६१ ई. में पानीपत का युद्ध में पराजित हो जाने से मराठों की शक्ति भी छिन्न भिन्न हो गयी। १७६१ ई. के अन्त में भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार के लिए पूर्ण रूप से निमग्न होती हुई प्रतीत होने लगीं। राज्यों के अन्तर्गत की अनुपस्थिति में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का प्रथम प्रारम्भ कर दिया।

कम्पनी को भारतीय शासकों द्वारा प्राविधिक सत्ता की प्राप्ति

श्रीलंका ही अंग्रेजों ने मीर जाफर की गद्दी में अंग्रेजों मीर कासिम का बंगाल का नवाब बनवाया। मीर कासिम एक बहादुरी से शीर मतभंग प्राप्त हो गया। १७६४ ई. में मीर कासिम एवं अंग्रेजों में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों के नवाब एवं मुगल सम्राट् ने मीर कासिम की सत्ता को परन्तु यह अंग्रेजों ने पराजित हो गया। १७६४ ई. में मुगल सम्राट् शाह आलम एवं अंग्रेजों के बीच एक सन्धि हुई। सन्धि की शर्तों के अनुसार शाह आलम ने कंपनी को बंगाल विस्तार एवं श्रीलंका की दीवानी प्रदान कर दी। इसी का कुछ समय पश्चात् बंगाल के नये नवाब

नाजिमुद्दौला न अग्रजा की बगान की निजामत प्रदान कर दी। इस प्रकार १७६५ ई के अंत तक भारत में अग्रजा एक राजनातक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होने में सफल हो गये।

कम्पनी का पूरा भारतीय क्षत्र पर अधिकार

१८वाँ सदी के उत्तरार्ध एवं १९वीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में देश में व्याप्त हीन राजनतिक अवस्था का नाश उठाकर १८५७ ई तक धारण हुई अंग व नजनों का डलहौजी शक्ति निपूरण एवं देश भक्त अग्रजा न अग्रज युद्ध कोशल एवं कूटनीति से सम्पूर्ण भारतवर्ष को उत्तर में हिमालय से दक्षिण में काया कुमारी तक और पश्चिम में सिन्धु से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक कम्पनी के शासन के अंतर्गत ला दिया। इस्ट इंडिया कम्पनी की भारत में शासन स्थापना की इस सफल दौड़ ने भारत को ब्रिटिश राजमकट का एक बहुमूल्य रत्न बना दिया।



ब्रिटिश राज्य का प्रारम्भ

प्रवेश :

सन् १७६५ ई० में दावानी का अधिकार भिन्न जाने पर कम्पनी एक बाधा रिव मस्या न रह कर राजनतिक मस्या बन गयी। कम्पनी द्वारा भारत में राजनतिक गता के प्रयोग पर क्रिष्ण म शासति की गयी तथा समस्त में हस्तक्षेप करन का शत्रुत्व किया गया। सन् १७७३ ई० में ब्रिटिश समस्त ने पर्सियनिया में बाध्य होकर भारत में कम्पनी की सरकार का स्वरूप निर्धारित करने के उद्देश्य में रेग्यूलटिंग अधिनियम स्वीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटिश राज्य का प्रारम्भ हो गया। इस अधिनियम के द्वारा जहाँ एक ओर कम्पनी के राजनतिक कार्यों को बंध स्वीकृत किया गया वहाँ दूसरी ओर कम्पनी के निजी क्षम में सरकार का स्वरूप निश्चित करने के ब्रिटिश समस्त के अधिकार की भी स्थापना हो गयी। ब्रिटिश समस्त ने अपन अधिकार का पूर्ण उपयोग कर कम्पनी के प्रादेशिक सत्ता काल में उमड़े द्वारा स्थापित सरकार का स्वरूप निर्धारित करने की दृष्टि में और भी अनेक अधिनियम स्वीकृत किए गया। पिट का १७८४ ई० का भारतीय अधिनियम १७६३ ई० का शासपत्र अधिनियम १८१७ ई० का शासपत्र अधिनियम १८२३ ई० का शासपत्र अधिनियम और १८५२ ई० का शासपत्र अधिनियम। भारत के सवधानिक विकास में इन सभी अधिनियमों का अपना अपना महत्व है। यहाँ हम समस्त में इन अधिनियमों की स्वीकृति के कारणों उनके मुख्य उपयोग और उनके सवधानिक महत्व की चर्चा करेंगे।

(१) रेग्यूलटिंग अधिनियम

अधिनियम की स्वीकृति के कारण

ब्रिटिश समस्त ने निम्नलिखित कारणों से रेग्यूलटिंग अधिनियम स्वीकृत किया था —

- १ ब्रिटिश प्रशासना द्वारा कम्पनी के शासन पर ब्रिटिश राज के नियंत्रण की मांग सन् १६०३ ई० से १७७३ ई० तक भारतीय व्यापार पर कम्पनी का एकाधिकार था। कम्पनी के धारण से ठीकर सन् १६६४ ई० तक का व्यापारिक एकाधिकार कम्पनी का ब्रिटिश शासक द्वारा स्वीकृत विभिन्न शासपत्रों द्वारा प्राप्त हुआ था। सन् १७४३ ई० में ब्रिटिश लोह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव स्वीकृत कर कम्पनी का एका

विकार समाप्त कर दिया तथा भारत के शपथक द्वारा सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिए। सन् १७७३ ई तक कम्पनी भारतीय शपथक पर फिर भी ब्रिटिश सरकार को समय-समय पर शरण लेकर अपना एकाधिकार बनाए रखने में सफल रही। एकाधिकार का अन्त सरकार का कम्पनी के मामलों में हस्तक्षेप एवं नियंत्रण नगण्य माना था। उसके बावजूद ब्रिटिश शासन का हस्तक्षेप सन् १७७३ ई से आरम्भ हुआ। बक्सर के युद्ध के पश्चात् जब कम्पनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गयी तो उसके नियंत्रण में बन्ने बड़ा क्षत्र भा गया था। अंग्रेज विधि व अनुसंधान कोर्टों निजी व्यापारी सरथाया ब्रिटिश प्रजाजन ब्रिटिश सम्राट की धाना बिना प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता था। अतः कम्पनी उक्त प्रदेशों को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती थी। इंग्लैंड में अनेक प्रतियोगी सरकार पर भारतीय क्षत्र का शासन सम्भालने के लिए दबाव डालना आरम्भ किया परन्तु ब्रिटिश सरकार के लिए भारतवर्ष का शासन सम्भालने में तान कठिनाइयाँ थीं

- (अ) कम्पनी उक्त प्रदेशों का शासन मुगल सम्राट के दीवानी की हैसियत से चला सकती थी किन्तु ब्रिटिश ताजक के लिए ऐसा करना प्रतिष्ठा के प्रतिवृत्त था।
- (ब) ब्रिटिश ताजक यदि भारतीय प्रशासन का प्रयत्न रूप से सम्भालता तो उसकी मुगल मराठा तथा अन्य दशों विरासत से सन्नत हो जानी और
- (ग) इंग्लैंड में उस समय निजी सम्पत्ति का काफी मान था। भारतीय प्रदेश कम्पनी की निजी सम्पत्ति समझे जाते थे एवं उनको कम्पनी से छीनना अवाञ्छनीय था। अतः सरकार के लिए कम्पनी के शासन पर नियंत्रण लगाने के अतिरिक्त अन्तता की माँग को पूरा करने का साधन नहीं था।

२ कम्पनी के कर्मचारियों की रिश्तत निजी व्यापार तथा भेंट प्रवृत्तियाँ

कम्पनी के कर्मचारी भ्रष्ट थे। वे अशान बिहार और उड़ीसा में निजी व्यापार चला रहे थे। वे रिश्तत एवं भेंट भी चलाते थे। बान्धुपन के नाते में मत्स्याकार एवं लूटमार के ऐसे दृश्य से हृदय काँप उठता है। मान की नालुपता में हम स्पष्ट वासियों की तरह हैं उन प्राप्त करने में हाथ डबासियों की तरह परिप्लुत हैं।^१ कम्पनी के कर्मचारी निजी व्यापार रिश्तत एवं भेंट देने के फलस्वरूप काफी धनवान बन गए थे और वे इंग्लैंड जाकर भारत के नवाबों की तरह भोग बिलास का जीवन व्यतीत करते थे। ससद में भी उनका प्रभाव बढ़ने लगा था क्योंकि वे अनुचित ढंग

से कमाये हुए धन से निर्वाचन में भाग लेने से। इसलिए इंग्लैंड की जनता इन से ईर्ष्या करने लगी थी और कम्पनी के मामलों पर ब्रिटिश सभ का नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी।

(३) बंगाल की जनता की दुर्दशा

दोहरे गानन से बंगाल की जनता की बड़ी दुर्दशा हो गयी थी। जनता के पास अपने कष्टों को दूर कराने का कोई साधन नहीं बचा था। दोहरे गानन में उक्ति एवं जिम्मेदारी में कोई सम्बन्ध नहीं था। यदि जनता नवाब के अधिकारियों के सामने अपने कष्ट रखती थी तो वे कहते थे कि न तो हमारे पास शक्ति है और न धन ही। शासकविक्रम शक्ति भी प्रपञ्चों के पास है। यदि जनता अपने कष्ट प्रपञ्चों के सामने रखती थी तो वे कहते थे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है शासन सूत्र नवाब के हाथ में है। मिस्टर नॉपल के अनुसार मजिस्ट्रेट पुलिस और राजस्व अधिकारी विभिन्न पद्धतियों में काम करने वाले तथा विरोधी हितों की रक्षा करने वाले थे। उनका कोई एक मूलक मुद्दा नहीं था इसलिए सरकार को बुरी तरह चलाने में वे एक दूसरे से घाते बढ़ने के प्रयास करते थे। बंगाल में कोई श्रद्धा कानून नहीं था और न्याय तो बहुत ही कम था। रिचर्ड बच्चर ने लिखा है प्रपञ्चों को यह जानकर दुःख होगा कि जब से कम्पनी के पास दीवानी अधिकार प्राप्त हुए हैं बंगाल के लोगों की दशा पहले की अपेक्षा अधिक खराब हो गयी है। सर टयुमिंग ने लिखा है सन् १७६५ ई० से लेकर सन् १७७२ ई० तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन इतना दीर्घकाल एवं भ्रष्ट रहा है कि समस्त भर की सभ्य सरकारों में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता।

सन् १७७ ई० में बंगाल में दुर्मिथ पडा। मिस्टर कीथ के अनुसार इस दुर्मिथ में बंगाल की जनसंख्या का पर्याप्त विनाश हो गया, परन्तु लोगों के इधर उधर भाग जाने के कारण कम्पनी को जो घाटा हुआ उसकी पूर्ति कम्पनी ने दानि प्रावश्यकताओं की वस्तुओं के दाम बढ़ाकर कर ली। लेकी के अनुसार इसके पूर्व भारतीयों को इन बुद्धिमत्तापूर्ण सौज सुख तथा कठोर व्यवहारपूर्ण अनुभव नहीं हुए थे। जो जिन घनी प्रावाणी वाले और समृद्धिगामी थे धनत वे सब के सब पूर्ण रूप से जनसह्या रहित कर दिए गए। चेयन के अनुसार भारत में प्राथमिक विपत्तियों का इतना अधिक विस्तार हुआ जितना कि पृथ्वी एवं आकाश का अंतर। बंगाल की दुर्मिथ जनता की कहानियाँ इतनी दुर्दशापूर्ण और बर्हा की जनता ने कम्पनी की काय विधि पर ससद के नियंत्रण की मांग प्रस्तुत की।

(४) कम्पनी की पराजय

सन् १७६६ ई० में कम्पनी को मयूर कसुलान हैदराबादी से बुरी तरह पराजित होना पडा। मंगल सरकार ने हैदराबादी के दबाव में आकर उसकी सन्धि

सर्वे स्वीकार करनीं। जब ये समाचार इंग्लै पहुँचे तो एल्लै की जनता ने इन्हे अपने मान सम्मान का प्रश्न बना लिया और इस प्रकार कम्पनी की नीतियों पर नियंत्रण करने का आग्रह और बल पकड़ गया।

(५) कम्पनी के घसफस होने की आशंका

सन् १७६५ में जब ग्राह्यात्मक सैम्सट इण्डिया कम्पनी को दीवानी के अधिकार मिले तो मन्दावनी को बहुत प्रसन्नता हुई। वना वने ये अनुमान लगाया कि बंगाल की कुल मालगुजरी ४ लाख पौंड होगी एवं कम्पनी को सारे व्यय निश्चय कर १६५ पौंड की विशुद्ध आय होगी। अतः कम्पनी — मालिका ने सन् १७६६ ई में आभाग ६ प्रतिशत संवत्कर १ प्रतिशत कर रिया जो बाद में सन् १७६९ ई में बढ़ाकर १२।१ प्रतिशत कर रिया गया। जनता ने कम्पनी के हिंस्र छूब लरीयें किन्तु जब वास्तव पता चला कि कम्पनी का दीवाला निकलने वाला है तो जनता ने कम्पनी के शासन पर नियंत्रण की मांग की।

(६) कम्पनी द्वारा ब्रिटिश सरकार को रकम की अदायगी न करना

जब से ब्रिटिश सैम्सट इण्डिया कम्पनी को बंगाल विहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी तभी से इंग्लै में यह माँग जोर पकड़ रही थी कि कम्पनी एक व्यापारी संस्था के बजाय एक शासक बन गयी है इसलिए उसको इन प्लेजको की सामदनी तभी रखने दी जाय जब कम्पनी ब्रिटिश सरकार को ४ लाख पौंड प्रतिवर्ष के फि साव में खिराज के रूप में दे। ब्रिटिश संसद सन् १७६७ ई में एक अधिनियम बनाया जिसमें दो वर्षों के उक्त राशि की माँग निहित थी। कम्पनी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। १७६९ ई में यह सम्झौता ५ वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश सैम्सट इण्डिया कम्पनी ने उक्त राशि कुल रूपों तक तो अदा की किन्तु वास्तव में कम्पनी की स्थिति अतनी खराब हो गयी कि यह रकम को प्रतिवर्ष अदा न कर सकी। अतः भी कम्पनी के शासन पर ब्रिटिश नियंत्रण की माँग की जाने लगी।

अधिनियम का स्वीकृत होना

१७७३ ई के अत तक कम्पनी की आर्थिक दशा अत्यधिक बिगड़ गयी थी। इस समय कम्पनी पर ६ पौंड का श्रृंग था तथा १ पौंड इस प्रतिवर्ष नवाबों मगन सन्नाट एवं अन्य भारतीय शासकों को सहायता के रूप में दता होता था। इसकी अन्त में ३ सन्धिक थे। इस प्रकार कम्पनी पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़े गया था। अतः अपने ब्रिटिश सरकार से अग्र मांगा। सरकार को कम्पनी के कार्यों की जांच पड़ताल करने का एक अलग अलग अधिनियम। ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी की जांच के लिए दो सर्वोच्च समितियाँ की नियुक्ति की। इनमें एक प्रवर समिति थी और दूसरा गुजरात मन्दीय समिति। दोनों समितियाँ ने कम्पनी के विरुद्ध कठ प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। अतः परिधिधियों से विरुद्ध होकर लड़ना ने कम्पनी के मामलों को दिखाने परने को दि १८

मई १७७३ ई को ब्रिटिश मसजिद के सामने एक बिज रसा जिमको रजिस्ट्रेशन अधिनियम कहा जाता है। ब्रिटिश परत दिया कम्पनी ने नाउ नाय के बिल के विरुद्ध सभद म एक याचिका प्रस्तुत की। बर्क ने सभद म कम्पनी के पक्ष की बहुत हिमायत की और कम्पनी क बायीं म ब्रिटिश सभद क हस्तक्षर को अनतिक और अनुचित समत बनाया। उनका कहना था कि य अधिनियम राष्ट्रीय अधिकार राष्ट्रीय पिठा और राष्ट्रीय याय क विरुद्ध है। पन्तु ब्रिटिश सभद न इस ओर कोई ध्यान नही दिया और बहुत अधिक मता स अधिनियम को पारित कर दिया। यह अधिनियम रजिस्ट्रेशन अधिनियम क नाम स प्रतिष्ठ है।

अधिनियम के उपबन्ध

इस अधिनियम के उपबन्धा का सार निम्नलिखित है —

(प) इस अधिनियम द्वारा इंग्लड म स्थापित कम्पनी की व्यवस्था म परिवर्तन किया गया। पहले ५० पौ वाउ साभ्गानो का भी सचानकों को निर्वाचित करने का अधिकार था किन्तु इस अधिनियम तारा यह अधिकार १ पौ वाउे सार्के ओर तक सीमित कर दिया गया। सनानका म स १/४ सचालका के लिए प्रतिवप अवकाश प्रत्या कम्पनी अधिवाय कर दिया गया।

(ब) इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का कम्पनी पर नियंत्रण बडा दिया गया। यह निश्चित किया गया कि कम्पनी क सचानक भारत के राजस्व से संचालित सभी मामलो को १४ दिन म अन्तर ब्रिटिश वित्त विभाग के सामने रखेंगे। तनिक और अननिक पण भी भारत सचिव क सम्मुख रखे जाएंगे।

(स) इस अधिनियम द्वारा भारत म कम्पनी सरकार का पुनसठन किया गया। बंगाल के गवर्नर का पद गवर्नर जनरल के रूप म बदल दिया गया तथा मद्रास एव बम्बई के गवर्नर को उसक अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को देग विभागो की सरकार क बायीं पर निगरानी रखने तथा आवश्यकतानुसार उन को आजाए देन की शक्ति प्रदान की गयी। मद्रास एव बम्बई क गवर्नर को गवर्नर जनरल या सचानको की पूव अनुमति क बिना युद्ध की घोषणा करे (जबतक कि परिस्थितिवा उहे बहुत अधिक विवग न कर) या सधि करन या देशी शासका स सम्बन्ध स्थापित करने की मनाही कर दी गयी। गवर्नर जनरल को आवश्यकता पडने पर बम्बई एव मद्रास के गवर्नर एव परिषद् को तिलाभ्यत करन का शक्ति प्रदान की गयी। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए ४ सभ्यो की एक परिषद् बनायी गयी। सदस्यो के तान अधिनियम म दे लि, गए। इन सदस्यो की अवधि ५ वष रखी गयी परंतु सचानका की सिफारिश पर ५ वष की अवधि क पूव भी उहे पद-पुत किया जा सकता था। गवर्नर जनरल परिषद् म बहुमत स मा य लिएयो को स्वीकार करन को बाध्य था। बराबर मत होने पर गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया। बम्बई एव मद्रास के गवर्नरों के लिए एक परिषद् का निर्माण किया गया।

(द) इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को भारत में कम्पनी के समस्त प्रेशों के लिए नियम बनाने एवं अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश संसद को इन नियमों एवं अध्यादेशों को रद्द करने की शक्ति प्रदान की गयी।

(म) इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद को कानून में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया। एक माही आदेश द्वारा इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं तीन अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। सर्वोच्च न्यायालय को कम्पनी के सब क्षेत्रों में रहने वाले अग्रजों एवं कर्मचारियों के दीवानी फौजदारी धार्मिक और जलसेना संबंधी मामलों को सुनने का अधिकार दिया गया। किसी भारतीय एवं अग्रज का विवाद भी भारतीय की सहमति से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुना जा सकता था। गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद द्वारा पारित प्रत्येक नियम एवं कानून की रजिस्ट्री सर्वोच्च न्यायालय में कराना अनिवार्य कर दिया गया। इन कानूनों को प्रचलित करने के पूर्व सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति लेना भी अनिवार्य रखा गया।

(य) इस अधिनियम द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों को उपहार एवं घूस लेने से रोक दिया गया। कोई सरकारी नागरिक अथवा सैनिक कर्मचारी अथवा संयुक्त कम्पनी का कर्मचारी भारत के किसी राजा नवाब या उसके मंत्री या प्रतिनिधि से प्रयत्न या परोस में कोई भेंट उपहार तथा पुरस्कार नहीं लेगा। किसी भी प्रजाजन को १२ प्रतिशत से अधिक भूदान लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अंपराज के लिए कम्पनी के कर्मचारियों गवर्नर परिषद के सदस्यों न्यायाधीशों आदि की इंग्लैंड में संसद के न्यायालय में सुनवाई एवं दंड की व्यवस्था की गयी। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की व्यवस्था की गयी ताकि उनमें किसी प्रकार का असंतोच न हो। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन ८ पाँड़ न्यायाधीश का वेतन ६ पाँड़ गवर्नर जनरल का वेतन २५ पाँड़ परिषद के प्रत्येक सदस्य का वेतन १ पाँड़ वार्षिक निर्धारित किया गया।

अधिनियम का महत्व

रेगुलटिंग अधिनियम का अध्याधिक सवधानिक महत्व है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा स्वीकृत अनेक अधिनियमों की लम्बी श्रृंखला का अंग था जो भारत सरकार में परिवर्तन करने तथा उन्हें नियमित करने के लिए ब्रिटेन में बनाए गए थे। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में लिखित सविधान प्रणाली का अन्तर्गमन हुआ। कम्पनी के कार्यों में हस्तक्षेप करने और उसके द्वारा अधिभूत प्रदेशों के लिए विधान बनाने के सम्बंध में ब्रिटिश संसद के अधिकारों को मायता किसी एक कम्पनी के राजनतिक कार्यों को स्वीकार किया गया।

श्री गुरुमुख निहालसिंह ने सन् १७७३ के अधिनियम का सवधानिक महत्व इन शब्दों में प्रकट किया है सन् १७७३ के एक्ट का सवधानिक महत्व बहुत बड़ा

उसमें निश्चिन्त है। रूप से कम्पनी की राजनीतिक कार्यवाहियों को स्वीकार किया गया है। दूसरा कारण यह है कि उस समय तक जो कम्पनी के निजी प्रेषण समझे जाते थे उनमें सरकारी ढांचा किस प्रकार का हो यह निश्चिन्त करने के लिए पार्लियामेंट ने अपने अधिकार पर पहली बार जोर रिया। तीसरा कारण यह है कि भारत सरकार का ढांचा बनाने के लिए पार्लियामेंट में जो बहुत से एक्ट बनाये गये उनमें यह सब से पहला था। सन् १६१६ के गवर्नमेन्ट आफ इंडिया एक्ट के प्रारम्भ में यह बात प्रतिम रूप से धोरण स्वरूप स्फुट की गयी कि भारतवासियों के लिए किस प्रकार का विधान उचित और आवश्यक है। उसे निश्चिन्त करने एवं लागू करने का एकमात्र अधिकार पार्लियामेंट को है।^१ मिस्टर लॉयल ने लिखा है १७७३ ई० में एक्ट के द्वारा जो शासन-पद्धति स्थापित की गयी वह इस दृष्टि से पहला ही प्रयत्न था कि उसमें कम्पनी की अनिश्चिन्त और निरक्षर सत्ता को निश्चित तथा शायदा के योग्य रूप प्रदान किया। इसके बाद भारत सरकार की रूपरेखा की धीरे धीरे पूर्ति की गयी। प्रो वीय ने रेग्युलैटिंग एक्ट के सम्बन्ध में लिखा है इस अधिनियम में कम्पनी की इनड स्थापित व्यवस्था के विधान में परिवर्तन किया गया। भारत सरकार का स्वरूप में बहुत कुछ सुधार किये गये। कम्पनी के समस्त अधिकृत प्रेषणों पर एक सीमा तक एक ही शक्ति का नियंत्रण कर रिया गया और कम्पनी को बड़े सुचारु ढंग से इनड का मॉनिटरिंग के निरीक्षण तथा सरक्षण में कर दिया गया। सम्भव में इस अधिनियम के द्वारा भारतवर्ष में केंद्रीय शासन की नींव पड़ गयी। कम्पनी के सदस्यों के निजी व्यापार दिव्य और भेंट प्राप्त करने की सुरक्षा को दूर रिया गया। सर्वोच्च न्यायालय को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद् के द्वारा बनाये हुए नियमों एवं कानून की देखभाल का अधिकार प्रिल गया और कम्पनी की आन्तरिक प्रशासनिक समस्या और शासन को सुधारने का अधिकार ब्रिटिश सत्ता के हाथ में आ गया। इस अधिनियम के द्वारा उन अधिनियमों एवं राजनीतिक सुधारों का प्रारम्भ हुआ जिनका अन्त भारत की स्वतंत्रता के साथ हुआ।

अधिनियम के दोष

श्री गुरुमुख निहालसिंह ने रेग्युलैटिंग अधिनियम में निम्नलिखित दोषों का उल्लेख किया है —

(१) रेग्युलैटिंग अधिनियम का प्रथम दोष यह था कि उसमें गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार स्पष्ट थे। सर्वोच्च न्यायालय देश के निवासियों के नाम आनापन्न जारी करने और उनके अभियोग सुनने का अपना अधिकार पतावा था। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद् सर्वोच्च न्यायालय के

इस अधिकार को स्वीकार नहीं करते थे। उनके मतानुसार शासन का क्षेत्राधिकार उन्हीं मामलों तक सीमित था जिनमें क्षोभ पक्षों में भाग लेने की दृष्टि में शासन के समर्थन जाना स्वाभाविक किया हो।

कम्पनी द्वारा मालगुजारी वसूल करने का अधिकार के सम्बन्ध में भी विवाद था। मालगुजारी वसूल करने वाले अपने-आपके के सिविल में अधिकृत ज्यादातया किया करते थे। अधिनियम में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि कौन कम्पनी के सेवक थे। क्या काम करने वाले कम्पनी के अधीन थे? प्रमाण देने एवं सिद्ध करने का दायित्व किस पर था? क्या जमीदार एवं मालगुजारी कम्पनी के सेवक थे? शासन के अनुसार वे कम्पनी के सेवक थे कि स्वयं की शक्ति और कम्पनी के मुख्य अधिकारी शासन का यह मत मानने का तयार नहीं थे।

शासन कम्पनी के शाखाधिकारियों द्वारा सरकारी हस्तियत से किये गये कार्यों के विरुद्ध अभियोग निरूप्य करने का अधिकार जगाना था। ऋण की चौकी बात यह थी कि सर्वोच्च शासन प्रांतीय या प्रादेशिक शासन का क्षेत्राधिकार स्वीकार करने का तयार नहीं था। प्रांतीय शासन द्वारा समय पर राजस्व न देने वाले कई विरूपण-अपराधियों को सर्वोच्च शासन न मुक्त कर दिया। उसने एक जिले के कोषागार का छेड़ दिया जिस पर कि हत्या की जालसाजी का अभियोग लगाया गया था। शाखाधिकार न अपना मत इस प्रकार प्रकट किया था हम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रांतीय मुख्य-अधिकारी तथा कोषागार क्या हैं? तुम यह भी नहीं सकते हो कि उसे परिषद के सम्राट ने भी किया होगा। चार्ल्स होल्म ने सर्वोच्च शासन एवं छोटे शासन के अन्तर्गत को दूर करने के लिए इन्हीं को सन्दर्भित शासन का शाखाधिकार निरुक्त कर दिया तथा उसको छोटे शासन का अधीन सुनने और उनका निरूप्य द्वारा दान का अधिकार दे दिया। किन्तु इस प्रकार इन्हीं कम्पनी के सेवक हो गये। शासन के मुख्य न्यायाधीश की स्थिति में यह बात प्रसंगिक थी।

(२) मई १७७३ के अधिनियम में इसका दोष यह था कि उसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था कि सर्वोच्च शासन को किस कानून को लागू करना चाहिए। यह एक मौनिक प्रश्न था कि हिन्दू कानून मुस्लिम कानून और ईसाई कानून प्रयोग में लिये जायें। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि प्रतिवादी का कानून लागू किया जाए या वादी का कानून। उच्च शासन के शाखाधिकारों की विधि में कुशल थे और प्रत्येक मामले में उसका ही व्यवहार करते थे। वे भारतीय कानून रीतियों एवं परम्पराओं से सवधान अपरिचित थे और उनसे परिचित होने के लिए उनमें रुचि और उत्सुकता भी नहीं थी। देशवासी इससे शरारत उठे।

(३) अधिनियम में तीसरा दोष यह था कि गवर्नर जनरल को कम्पनी परिषद् की कृपा पर छोड़ दिया गया था। इससे गवर्नर जनरल की स्थिति बहुत

कमजोर हो गयी थी। परिषद् के सदस्यों में से फ्रेजर मि. वारवेल को ही भारतीय शासन का कुछ अनुभव था। दूसरे सदस्यों को भारतीय शासन की कुछ भी जानकारी नहीं थी। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद् में बहुत सचप होने के लक्षण स्पष्ट रूप से विद्यमान थे। कहा जाता है कि ६ वय तक वारेन हेस्टिंग और उसकी परिषद् में बहुत सचप चला। अनेक अवसरों पर गवर्नर जनरल को ऐसी नीति का पालन करने को विवश होना पड़ा जिससे वह सहमत न था। वारेन हेस्टिंग की स्थिति शतकी कठिन थी कि एक अवसर पर उसने अपने उदर स्थित प्रतिनिधि का यह आदेश दिया कि उनका त्यागपत्र वह सचानको को दे दे। मानना अब बलकारण की मृत्यु के बाद ही वारेन हेस्टिंग अपनी परिषद् की व्यवस्था करने में सफल हुआ।

(४) अधिनियम के द्वारा कम्पनी की छद्म सरकार के विधान में जो परिवर्तन हुए वे भी दोष रहित न थे। मनमाने के लिए योग्यता का स्तर बना देने से १२४६ छोटे साहोदार मनाधिकार से वंचित हो गये और सचानक मंडल पर स्वायत्त रूप से कुछ ही व्यक्तियों का प्राधिपत्य हो गया। सन् १७८१ की प्रवर समिति के प्रतिवेदन के अनुसार स्वामी मन्त्रालय में सम्बन्ध रखने वाले सारे नियम आदि दो ऐसे सिद्धांतों पर जो कितनी ही बार भ्रमपूर्ण सिद्ध हो चुके हैं अवलम्बित थे। एक तो यह सिद्धांत कि छोटे मनुष्यों में कुशलवस्था और भिन्नता के विरुद्ध सुरक्षा होती है दूसरा यह कि गणतन्त्रियों का चरित्र हठ और उद्वल होता है। मिस्टर राबट्स के अनुसार सचानक-मन्त्रालय के विधान में परिवर्तन करने वाला सब अपने उद्देश्यों में असफल रहा।

(५) गवर्नर जनरल का बम्बई तथा मद्रास पर नियंत्रण प्रभावशाली नहीं था। कुछ विकट परिस्थितियों में मद्रास और बम्बई की सरकारों को युद्ध की घोषणा करने की प्राप्ता दे दी गयी थी। इसका उल्लेख दुखयोग किया और विरुद्ध परिस्थिति का बहाना बनाकर गवर्नर जनरल को बिना सूचना के कई बार युद्ध की घोषणा कर दी। इससे बंगाल की सरकार को बड़ी कठिनाईएँ परेशानियों का सामना करना पड़ा।

(६) इस अधिनियम का एक दोष यह भी था कि इसके द्वारा कम्पनी पर सतर्कीय नियंत्रण की स्थापना पर्याप्त रूप से नहीं हो पायी थी। यद्यपि इन अधिनियमों में यह कहा गया था कि भारत में कम्पनी की सरकार में जो पत्र व्यवहार होगा वह मंत्रियों के पास नज़र आयेगा परन्तु व्यवहार में यह नियंत्रण प्रभावशाली न रहा। सराव के सामने ऐसे पत्र व्यवहार प्रायः नहीं रखे जाते थे। अतएव समस्त पत्र कम्पनी के कार्यों पर कोई प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया था।

पि राबट्स के अनुसार रजिस्ट्रार अधिनियम एक प्रचुरा प्रयास था तथा बहु प्रयत्नों के सम्बन्ध में अत्यन्त अस्पष्ट था। बंगाल के शासन का नाममात्र का स्वायत्त नीतिपूर्वक छोड़ दिया गया था तथा ब्रिटिश मन्त्रालय भारत में

कम्पनी की राजमता के सम्बन्ध में भी कुछ स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा गया।
माटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन के अनुसार इस अधिनियम द्वारा शासन प्रणाली के प्राथमिक सिद्धान्तों की हानि हुई, इसके द्वारा एक ऐसे गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गयी जो कंपनी परिषद के सम्मुख गतिहीन था और एक ऐसी कार्यकारिणी का निर्माण किया गया, जो सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख गतिहीन थी। इन दोषों का निन्दान प्रपने असफल रूप में वारेन हेस्टिंग के समय हुआ। इस अधिनियम की धाराओं से उसके हाथ पर बन्धन गये थे और वह कोई भी कार्य करने के योग्य नहीं रह गया था। सिद्धान्त के इतिहास में आज भी यह अधिनियम अप्रूपण है और असफल राजनीति और अपरिपक्व राजनीतिज्ञता का चोकर है।

अधिनियम की अप्रूपणता के कारण

रेगुलेशन अधिनियम की अप्रूपणता के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे प्रथम ब्रिटिश समद को सन् १७७३ ई. में एक ऐसी समस्या की मुन्भाना पडा जो एतदम नहीं थी। कानूनी रूप में ब्रिटिश कम्पनी अपने व्यापकी मुगल सम्राट का दीवान बहती थी और इसलिए समद के लिए बहुत बठिन हो गया कि कंपनी के शासन में प्रथम रूप से प्रभावशाली सुधार कर सक। दूसरा भारतीय प्रेरणा का प्रशासन कम्पनी के हाथों में था न कि ब्रिटिश ताज के हाथों में अतः समद कम्पनी के मामलों में आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। ब्रिटिश समद को भारतीय विषयों का बहुत थोडा पान था। ब्रिटिश मंत्रिमण्डल को भी भारत की स्थिति और उसकी समस्याओं के हल के तरीकों का पूरा पान नहीं था। सरकार को भारतीय तथ्यों का पना कम्पनी के कमचारियों द्वारा ही मिलता था किन्तु वे ठीक सलाह देने के लिए उपयुक्त यकिन नहीं थे। अतः दम्भ मन्त्रणा के अभाव में समद के लिए सही निणय लना सम्भव नहीं था। तृतीय लाड नाथ स्टूड विचारों का व्यक्ति नहीं था। उसकी धारणा जिस प्रकार काय चल रहा है चलने दो की थी। वे यथा स्थिति बनाय रखने में अधिक विश्वास रखता था। इसलिए वह कुछ महत्वपूर्ण निणय नहीं ल पाया। यह सोभाग्य की बात है कि इस अधिनियम के दोष चाहे कितने ही गम्भीर थे परन्तु फिर भी वे घातक सिद्ध नहीं हुए।

(२)

पिट का भारत अधिनियम

अधिनियम की स्वीकृति के कारण

पिट के भारत अधिनियम की स्वीकृति के पीछे अनेक कारण विद्यमान थे (१) रेगुलेशन अधिनियम में अनेक दोष रह गये थे। वारेन हेस्टिंग की इस अधिनियम के अनुसार काय करना पडा और उसे अनेक कठिनायियों को भलना पडा। गवर्नर जनरल का कंपनी परिषद पर नियन्त्रण नहीं था। बम्बई और मद्रास की सरकारें भी उसके प्रभावशाली नियन्त्रण में नहीं थीं। सर्वोच्च न्यायालय का संप्राधिकार भी अनिश्चित था। अतः गवर्नर जनरल एवं सर्वोच्च न्यायालय में

विवाद बलता रहता था। १७८१ ई० के अन्त में व्यापार व्यवस्थापन द्वारा सर्वोच्च व्यापार का सत्ताधिकार तो निश्चित कर दिया गया था किन्तु रेगुलेटिंग अधिनियम की अन्य सुराहियों को दूर नहीं किया गया था। अतः रेगुलेटिंग अधिनियम के शर्तों को दूर करना अनिवार्य था।

(२) भारत में कम्पनी के बुरे शासन के परिणामस्वरूप श्रेष्ठों के व्यापार को काफी नुकसान हो रहा था। अमेरिका इस समय नव ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो गया था इसलिए ब्रिटेन के लिए भारत का महत्व और भी बढ़ गया था। कम्पनी के कर्मचारियों ने बिना किसी कारण के मराठों और रोहिलों से युद्ध छेड़ दिए थे। ये युद्ध ब्रिटिश सरकार की भाजा के बिना प्रारम्भ किए गए थे और इनमें ब्रिटिश सरकार को बहुत धन खर्च करना पड़ा था। उक्त कारणों से ब्रिटिश सरकार कम्पनी पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी एवं इसके लिए अधिनियम बनाना आवश्यक था।

(३) कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा अनुचित रूप से धन जमा किया जा रहा था। रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों के लिए अनुचित ढंग में सम्पत्ति प्रजित करने की मनाही कर दी गई थी फिर भी वे अप्रत्यक्ष रूप से अनुचित धन जमा कर लेते थे और अचानक प्राप्त करने के पश्चात् ब्रिटेन में भोग विलास का जीवन यत्न करते थे। वे धन बच से निर्वाचन में विजयी होकर ब्रिटिश संसद में पहुँच जाते थे। ब्रिटिश सरकार इस प्रकार के भ्रष्टाचार को बन्द करने की इच्छुक थी।

(४) ब्रिटेन के शासक यह अनुभव कर रहे थे कि कम्पनी अपने बुरे शासन के परिणामस्वरूप भारत में अग्रणी शासन को प्रस्थापित एवं प्रिय बना रही है। वे यह चाहते थे कि भारत में अच्छा शासन स्थापित हो और वहाँ के नागरिक इंग्लैंड के शासन से होने वाली शोकाहत्या को महसूस करें। इन सब तथ्यों के कारण एक नए अधिनियम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

अधिनियम की स्वीकृति

अप्रैल १७८३ ई० में अन्त में अपना विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जिसमें ब्रिटिश राज को कम्पनी के प्रमुख सेवकों को वापस बुलाने का अधिकार देने एवं यवनर जायत के अधिकारों में वृद्धि करने का प्रस्ताव था। अन्त में विरोधी बल में यह अधिनियम पारित नहीं हो सका फिर भी इससे ब्रिटिश मंत्रिमण्डल कुछ करने के लिए प्रेरित हुआ। १ नवम्बर १७८३ ई० को फोर्सम ने भारत के सम्बन्ध में अपना प्रसिद्ध अधिनियम फोर्सम इंडिया बिल संसद में प्रस्तुत किया। बिल में कम्पनी के गुरु सरकार और विदेशों में कंपनी के सेवकों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने और कम्पनी की सरदावता को राजसत्ता एवं मन्त्रियों को सीपने का प्रस्ताव किया गया। यह बिल लोक सदन में बहुत अधिक मतों से स्वीकृत हो गया किन्तु हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मध्य-राज तृतीय के हस्तक्षेप के परिणाम

स्वरूप स्वीकृत नहीं हो पाया। इस बिल के स्वीकृत न होने का एक और कारण यह था कि फोर्म् ने इस बिल को प्रस्तुत करने से पूर्व ईस्ट इंडिया कम्पनी से कोई परामर्श नहीं किया था। कम्पनी की इस विषय में रुचि थी और कम्पनी ने विवेक का पूरा रूप से विरोध किया। जाज तृतीय ने १८ नवम्बर को संयुक्त मंत्रिमण्डल को भग कर लिया और पिट को नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया। जनवरी १७८४ ई. में पिट ने अपना बिल प्रस्तुत किया जो अगस्त १७८४ ई. में संसद के द्वारा पारित हुआ तथा सभाट की स्वीकृति प्राप्त होने पर वह अधिनियम बन गया।

अधिनियम के उपबन्ध

इस अधिनियम के अनुसार कम्पनी के संचालक मण्डल के अनिश्चित एक नियंत्रक मण्डल की स्थापना की गयी। इसमें ६ सन्स्य रहे गये जो इस प्रकार थे चांसलर आफ दी एक्सचेजर सेक्रेटरी आफ स्टेट तथा ४ प्रिवी कौंसिल के सदस्य। इनकी नियुक्ति सभाट द्वारा की जाती थी तथा इनका कार्य काल उसी की इच्छा पर निर्भर था। यह नियंत्रक मण्डल कम्पनी के संचालकों से बरिष्ठ अधिकार बना था और इसके अधीन ही स्वामी मण्डल भी था। इस मण्डल की बैठक की गणपूर्ति तीन रखी गयी। सेक्रेटरी आफ स्टेट नियंत्रक मंडल का अध्यक्ष होगा तथा उसे निर्णायक मत देने की शक्ति भी दे दी गयी। मंडल को कम्पनी के उपनिर्णयों के बारे में समस्त सैनिक और अमनिक तथा राजस्व संबंधी विषयों की देखभाल निगरानी और नियंत्रण का अधिकार दिया गया। नियंत्रक मंडल कम्पनी के संचालकों के नाम आदेश भी जारी कर सकता था। भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले समस्त पत्र भी नियंत्रक मण्डल के सामने प्रस्तुत किए जाते थे। संचालकों में से तीन सदस्यों की एक और गुप्त समिति बनायी गयी थी जिस यह कार्य सौंपा गया था कि नियंत्रक मंडल यदि कोई ऐसे आदेश बाहर भेजना चाहता हो जिसे वह गुप्त रखना चाहता है तो यह समिति उन आदेशों को बिना दूसरे संचालकों को बताए ही भेज दे। मण्डल को कम्पनी के व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार न दिया गया था और यदि नियंत्रक मण्डल व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप करे तो कम्पनी सभाट के सामने अपील कर सकती थी। संचालकों के पास इस बात के अधिकार सुरक्षित रहे कि वे भारत के विभिन्न पत्नों के लिए नियुक्तियां कर सकें तथा भारतीय अधिनियमों का संशोधन और उनकी सुरक्षा कर सकें। स्वामी मंडल से संचालक मंडल के नियंत्रण में परिवर्तन करने का अधिकार छीन लिया गया।

इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार के संगठन में भी परिवर्तन किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद् की सदस्य संख्या तीन कर दी गयी जिनमें एक कमाण्डर इन चीफ होता था। कमाण्डर इन चीफ का परिषद् में दूसरा स्थान रखा गया। गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में उसके अधिकार कमाण्डर इन-चीफ में निहित न होकर परिषद् के पांच दो सभ्यों में बरिष्ठ सभ्य में निहित किए

गए। गवर्नर जनरल की नियुक्ति का अधिकार सचानको को दिया गया सम्राट की स्वीकृति में यह कार्य कर सकते थे। देग विभागों व गवर्नरों गवर्नर जनरल एवं गवर्नर जनरल की परिषद् व सदस्यों आदि की नियुक्ति व अधिकार भी कम्पनी के सचालका के पास ही देने रहे तथा इनमें सम्राट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रही गयी। सम्राट गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों से वापस बुना सकते थे। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों को प्रत्येक दृष्टि से गवर्नर जनरल के अधीन बना दिया गया। बंगाल एवं मरास में गवर्नर की सहायता के लिए परिषद् की स्थापना की गयी। गवर्नर की परिषद् की सदस्य संख्या तीन रखी गयी।

इस अधिनियम द्वारा परिषद् सहित गवर्नर जनरल को बिना सचानको की विशेष अनुमति के भारत के किसी प्रदेश प्रांत या रिमासत के विरुद्ध युद्ध घोषित करने युद्ध करने या युद्ध के सम्बन्ध में संधि करने की मनाही कर दी गयी। अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद को यह शक्ति प्रदान की गयी कि वह नियंत्रण मण्डल के सब सच भारतवर्ष के राजस्व से दे सकेगी यदि वह राशि १६० पौंड से अधिक न हो।

इस अधिनियम के द्वारा पहले की प्रवृत्ति अब बहुत अच्छे तरीके से इस बात की व्यवस्था की गयी कि जो अग्रज भारत में अपराध कर उन पर इंग्लैंड में मुकद्दमा चलाकर दण्डित किया जाय। इसके लिए इंग्लैंड में ३ 'यायाधीश और ८ संसद के सदस्यों का एक 'यायालय स्थापित किया गया। मन्थेप में इस अधिनियम के द्वारा रेग्युलेशन अधिनियम के दोषों को दूर कर कम्पनी के स्वयं के प्रशासन एवं उमक भारतीय शासन के ढांचे में महान् परिवर्तन किया गया।

अधिनियम का महत्त्व

पिट के भारत अधिनियम का बहुत अधिक महत्त्व है। इसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के सब घर मजिद और राजनीतिक विषयों पर ब्रिटिश संसद का अन्तिम नियंत्रण स्थापित हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल का बम्बई और मद्रास की सरकारों पर निश्चित और वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कम्पनी के भारतीय प्रदेशों का अपने ही साम्राज्य का अंग माना गया और उनका नियंत्रण करने के लिए एक संसदीय नियंत्रण मण्डल की स्थापना की गयी। स्वामी मण्डल का प्रभाव कम हो गया और गुप्त समिति के द्वारा कम्पनी के कार्यों में कुशलता तथा योग्यता का समावेश किया गया। इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि नयी विदेश नीति अपनायी गयी और यह कहा गया कि भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति ब्रिटिश राष्ट्र की नीति प्रतिष्ठा और इच्छा के विरुद्ध है।

इस अधिनियम की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने द्वारा इंग्लैंड में कम्पनी के शासन में इस शासन की स्थापना हुई। भारत वष का शासन करने

के लिए संचालक मण्डल और नियंत्रक मण्डल जसी दो स्वतंत्र संस्थाओं की स्थापना हुई और भारत से सम्बन्ध रखने वाले कार्यों पर कम्पनी का पूरा और अन्तिम नियंत्रण नहीं रहा। सर इनबट कहता है जटिन और प्रवरोध प्रतिरोध की विस्तृत कार्य प्रणाली से सन् १७८४ के पिट के अधिनियम द्वारा स्थापित द्विप शासन का प्रभाव १८५८ ई तक रहा। यद्यपि उसने परिस्थिति-प्रसूत कुछ सुधार प्रवर्धित होते रहे। यह संयोग की ही बात थी कि कम्पनी म द्विप शासन की स्थापना द्वारा सन् १७६५ ई में भारत ने प्रादेशिक प्रमुखता प्राप्त की और पिट ने सन् १७८४ ई के अधिनियम द्वारा स्थापित द्विप शासन से कम्पनी को भारतीय विषयों की व्यवस्था के सर्वोच्च और अन्तिम नियम के अधिकार से वंचित कर दिया।

श्री-गणेश शर्मा ने पिट के भारत-अधिनियम के महत्व को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है पिट के भारत अधिनियम न इन्त में भारतीय विषयों का संचालन के आधार में परिवर्तन कर दिया। कम्पनी के स्वामियों का राजनतिक प्रभुत्व कम हो गया। कम्पनी के संचालक अब ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में हो गये। ब्रिटिश सरकार का पास आजाए जारी करन की अपरिमित शक्तिया थी जिनका पालन करना संचालकों के लिए आवश्यक था। मि लायन के अनुसार पिट के भारत अधिनियम का तात्कालिक प्रभाव बहुत बड़ा था। इसके द्वारा स्पष्ट रूप से भारत सरकार के हाथे में सुगार हो गया। इस अधिनियम ने उन सब गहन नियम प्रणो एवं बाधाओं को दूर कर दिया जिनके कारण भारत इस्टिअन का अपनी परिपद तथा बम्बई और मंगस की सरकारों से झगडा हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा उन दोषों को दूर कर दिया गया जो उसने भारत सरकार के हाथे में बताने के और उन सुधारों को अपनाया गया जो उसने प्रस्तुत किये थे।

सन् १७८६ ई में पिट के भारत अधिनियम में संशोधन किया गया। उसके अनुसार गवर्नर जनरल को परिपद के नियम को धोटा करने का अधिकार दे दिया गया। यही शक्ति प्रान्तों में गवर्नरो को भी उनको परिपद के ऊपर दी गयी।

(३) सन् १७९३ ई० का शासपत्र अधिनियम

अधिनियम की स्वीकृति के कारण

सन् १७७३ ई० के रेग्युलैटिंग अधिनियम द्वारा कम्पनी को २ वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की गयी थी। यह अवधि १७९३ ई में समाप्त हो गयी। अतः कम्पनी के संचालकों ने सरकार से एकाधिकार का काल बढ़ाने एवं पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार दिया जाने का अनुरोध किया। इंग्लैंड की जनता यह चाहती थी कि केवल कम्पनी का ही पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त न हो बल्कि सभी ब्रिटिश जनता को यह अधिकार मिले। न्यासणो लिबरल एव मानचेस्टर की प्रमुख फर्मों के ध्यापारियों ने सनद के सामने स्वतंत्र व्यापार के लिए कुछ माचिकाए रखी परन्तु तत्कालीन भारत मंत्री

एक धी पिट कम्पनी के पक्ष में था घत १७६३ ई० के शासपत्र अधिनियम द्वारा मसद ने पुन कम्पनी को २० वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया ।

अधिनियम के मुख्य उपबन्ध

यह अधिनियम बहुत लम्बा दस्तावेज रही था । इसके अनुसार नवगण उपबन्धों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया था । इसने द्वारा केवल पहलू अधिनियमों के बहुत से उपबन्धों को नया स्वरूप दिया गया तथा उनके क्षेत्र या विस्तार किया गया । इस अधिनियम द्वारा नियंत्रक मण्डल के सदस्यों एवं कामचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का निर्णय किया गया । गवर्नर जनरल एवं उमकी परिषद् का मद्रास और बम्बई के देश-विभागों की विशेषीति पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया गया । गवर्नर जनरल और गवर्नरों को भारत में गान्ति व्यवस्था सुरक्षा और अज्ञो प्रशा के हितों से गवर्नर विषयों पर अपनी परिषद् के मत की उपेक्षा करने का अधिकार दिया गया । वनरक्षा के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधिकरण क्षेत्र महासमुद्र तक बढ़ा दिया गया । गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी के सिवा एक सदस्य को उप प्रधान नियुक्त करने का अधिकार दिया गया जो उसकी अनुपस्थिति में उसका काम कर सके । बम्बई मद्रास और बंगाल में परिषदों के सदस्यों की संख्या ३३ निश्चित की गयी । परिषद् के लिए नियुक्त सदस्यों के लिए कम से कम भारतवर्ष में रहने हुए १२ वर्ष की अवधि पूर्यता आवश्यक थी । इस अधिनियम के द्वारा यह भी निश्चित किया गया कि नियंत्रक मण्डल के दो सदस्यों के लिए प्रिवी काउंसिलर होता आवश्यक नहीं है । अनुमति पत्र के बिना धाराब की विशेषीति पर रोक लगा दी गयी । गवर्नर जनरल और उसका परिषद् को दण्ड विभाग के नगरों में स्वच्छता और सफाई के लिए कर लगाए और स्वच्छता सेवक नियुक्त कराने की शक्ति प्रदान की गयी । इस अधिनियम द्वारा कंपनी के प्राथिक ढांचे को भी नियमित किया गया । कंपनी की वाणिज्य बचत का अनुमान लगाया गया । तथा हमकी बचत में से ५ लाख पौंड कंपनी का ऋण चुकाने के लिए मुगलित रख दिया गया और कुछ रकम सामेन्तारों को अधिक सामास देने के लिए रखी गयी ।

अधिनियम का महत्त्व

वास्तव में उक्त शासपत्र सगठनकारी था । इसके द्वारा पुरानी व्यवस्था को हड़ किया गया और बहुत कम नया धाराएँ बनायीं गयीं । पुरानी बातों को दोहरा दिया गया और उनका स्पष्टीकरण और विस्तार कर दिया गया । इस शासपत्र की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा नियंत्रक मण्डल के सदस्यों एवं कामचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गयी जो एक धुरी पर धरा थी एवं जो १६१६ ई० तक अपने घुरे परिणामों के साथ बसती रही ।

(४) १८१३ ई का शासपत्र अधिनियम

अधिनियम की स्वीकृति के कारण

सन् १७९३ ई म कम्पनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने की अनुमति कब २२ वर्ष के लिए प्रदान की गयी थी। यह अवधि १८१२ ई म समाप्त हो गयी अतः कम्पनी का व्यापार करने की अनुमति दान का प्रश्न ससद के सामने आया उस समय इंग्लैंड में स्वतंत्र व्यापार का मिथ्यात प्रचलित था। जनता यह माँग कर रही थी कि पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार सारी ब्रिटिश प्रजा को होना चाहिए। उस समय ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पारी भारतवर्ष आना चाहते थे और व ब्रिटिश सरकार से इसके लिए आवश्यक सुविधाएँ माँग रहे थे। ऐसी स्थिति में १८१३ ई का शासपत्र अधिनियम स्वीकार किया गया।

अधिनियम के मुख्य उपबंध

इस अधिनियम के द्वारा कम्पनी का कायकाल भारतवर्ष म २२ वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश स्टेट इंडिया कम्पनी का चीन के साथ व्यापार करने और चाय के व्यापार को छोड़कर दूसरे सब प्रकार के व्यापार पर स एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। वह अधिकार अब 'प्रत्येक ब्रिटिश नागरिक' के लिए खुला कर दिया गया। इस विचार से कि अंग्रेज वहाँ जाकर भारतीयों को तंग न कर परमिट और अनुमति पत्र की व्यवस्था लागू की गयी।

भारत म कम्पनी के लक्ष पर एक चर्च की स्थापना गयी। जो अंग्रेज भारत म जाते थे उन्हें भारत म लाभदायक पान फलाने ईसाई धर्म और नतिक सुधारों का प्रचार करने की आना द दी गयी। भारतवासियों म विमान कला और साहित्य के प्रचार के लिए तथा अपने लिख भारतीयों को उन्माहित करने के लिए भारत सरकार की राजस्व से १ लाख रुपये की वार्षिक नङ्करी की व्यवस्था की गयी।

इस अधिनियम के द्वारा कम्पनी के व्यापारिक और शासन संबंधी हिसाब किनाब अलग अलग रखने की व्यवस्था की गयी। कम्पनी के ऊपर कुछ विशेष जिम्मेदारियाँ डाल दी गयी।

(१) वह भारतीय राजस्व म स सनाओ को वेतन दे।

(२) ऋण देने वाला को वाज दे और

() असनिक और व्यापारी त्पनरो के सचानन का व्यय बहन कर।

भारतीय राजस्व से वेतन प्राप्त करने वाल ब्रिटिश सनिकों की सख्या २ निर्धारित कर दी गयी। अधिनियम द्वारा नियंत्रक मण्डल के अधिकारों को भी निर्दिष्ट कर दिया गया और उसकी निगरानी तथा आजाए जारी करने के अधिकार को अधिक व्यापक कर दिया गया।

स्थानीय सरकारों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लगाने और कर न देने वालों को दण्ड देने का अधिकार दिया गया। ऐसे मामला म जितने बादी और

प्रतिवासी अथवा भारतीय होने से नियम की विशेष व्यवस्था की गयी। चारी जालसाजी और जासी सिक्के बनाने वाला को विशेष दण्ड देने के नियम बनाये गये। कम्पनी पर भारत में यूरोपीय हितों का देखभाल के लिए एक विशेष और तीन पार्लियामेंट की नियुक्ति का उत्तरदायित्व स्थापित किया गया। इस अधिनियम द्वारा कम्पनी का नागरिक तथा फौजी प्रशासन की व्यवस्था की गयी।

अधिनियम का महत्व

इस अधिनियम का महत्व इस तथ्य में निहित है कि इसके द्वारा भारत में व्यापार करने का रीट इंडिया कम्पनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। भारत में व्यापार करने के लिए इंग्लैंड के व्यापारियों को कुछ शर्तों पर व्यापार करने की शक्ति मिल गयी। भारत में अथवा व्यापारियों की प्रतिनिधित्व भारतीय व्यापारियों से हुई जिसमें ब्रिटिश व्यापारियों को अधिक लाभ रखा। लक्नो और एन मनचेस्टर के कारखानों में निर्मित अच्छे कपड़े के मुकाबले में भारतीय बूट उद्योग में निर्मित कपड़ा नहीं चल सका। फलस्वरूप भारतवर्ष का कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया और भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश ही रह गया। इस अधिनियम के फलस्वरूप ईसाई धर्म प्रचारकों को भारतवर्ष में ईसाई धर्म प्रचार करने की शक्ति मिल गयी। इन्होंने अनेक गिरजाघर और मिशन सस्थाएँ खोलीं। ईसाई धर्म का प्रचार बढ़ा और प्रतिवर्ष हजारों हिन्दू ईसाई बनने लगे। इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारतवर्ष में शिक्षा के विकास के लिए १ लाख रुपये की व्यवस्था की। इस धन का उपयोग अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने में किया गया जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों को न केवल पत्र लिख समस्त बमचारी ही मिले बल्कि शिक्षित भारतीयों में अपनी सम्मति और संस्कृति को घटिया और अंग्रेजी सम्मति और संस्कृति को बढ़िया समझने की प्रवृत्ति भी पैदा हुई। मन्थेप में इस अधिनियम द्वारा जो बन्दूक उद्योग था उससे भारत की आर्थिक व्यवस्था को काफी घबका लगा। देश में ईसाई धर्म का प्रचार बढ़ा और भारतीय सम्मति एवं संस्कृति को क्षति पहुँची।

(५) सन् १८३३ ई का शासपत्र अधिनियम

अधिनियम की स्वीकृति के कारण

सन् १८३३ के शासपत्र अधिनियम द्वारा कम्पनी का चीन और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए २ वर्ष का अधिकार प्राप्त हुआ था। सन् १८३३ ई में यह अधिकार समाप्त हो गयी थी अतः व्यापार के लिए कम्पनी को अनुमति देने का प्रश्न संसद के सामने आया जिसके फलस्वरूप सन् १८३३ ई का शासपत्र अधिनियम स्वीकृत किया गया।

अधिनियम के उपबन्ध

इस अधिनियम द्वारा कम्पनी के चीन के साथ व्यापार करने के सर्वाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा चीन का व्यापार सभी व्यापारियों के लिए खोल

दिया गया। कम्पनी के व्यापारिक कार्यों समाप्त कर दिये गये और उनको केवल राजनयिक कार्यों के सम्पादन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। उसको एक गुड प्रशासकीय संस्था का स्वरूप प्रदान किया गया। कम्पनी को भारतीय प्रदेश ब्रिटिश ताज की तरफ से अमानत के रूप में रखने की आज्ञा दी गयी। भारत सरकार के निरीक्षण नियंत्रण और निर्वहन का काम गवर्नर जनरल और उसकी परिषद् को सौंप दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल की पदवी दी गयी और उसकी परिषद् में ४ सन्धियों की नियुक्ति की गयी। चौथा सन्धिय विधि सदस्य कहलाया इस सदस्य के लिए यह आवश्यक था कि वह कानून का विशेषज्ञ हो। कानून संबंधी कार्यों के प्रतिरिक्त उसे अन्य कार्य नहीं दिया जा सकता था। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नर की शक्ति का और अधिक स्पष्टीकरण कर दिया गया। गवर्नर जनरल और गवर्नर के लिए परिषदों के मत की उपेक्षा करने के लिए कारणों का उल्लेख करना आवश्यक कर दिया गया। गवर्नर जनरल और गवर्नर को इन शक्तियों का प्रयोग कम से कम करने का परामर्श दिया गया। सम्पूर्ण भारत वष के लिए कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी परिषद् को दे दी गयी। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद् को ऐसा कानून नहीं बना सकती थी जो ब्रिटिश संसद के कानूनों या सचालकों के आदेशों के विरुद्ध हो। गवर्नर जनरल को भारतीयों की दंगा सुधारने के लिए कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया।

भारतीयों के विरुद्ध घम बग जाति और रंग के आधार पर सब भेद भाव समाप्त कर दिये गये। भारत में ईसाइयों के लाभ के लिए बम्बई मंगम तथा कर्कत्ता में बड़े पादरी की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी। भारत सरकार को ग्लाम प्रवा को समाप्त करने और गुलामों के लिए अन्त नियम बनाने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार यूरोप से भारत में आने वालों को भारत में बसने तथा भूमि खरी ले की आज्ञा प्रदान की गयी। नियंत्रक महान के प्रधान को भारतीय मामलों का मंत्री बना दिया गया। महान में उसके जो अन्य साथी थे उनको हटा दिया गया। मंत्री की सहायता के लिए दो सहायक आयुक्त नियुक्त किये गये। भारत सरकार को कम्पनी के श्रेष्ठ अंशदान का उत्तरदायित्व दिया गया। कम्पनी के नेयर-होल्डरों को आगामी ५ वर्षों में भारतीय राजस्व में १ ३ प्रतिशत लाभ का आवासन दिया गया। कम्पनी की भारतीय अधिकृत बन्धियों को ब्रिटिश सरकार के विश्वास के रूप में कम्पनी द्वारा अधिकृत ही घोषित कर दिया गया। कम्पनी को व्यापारिक कार्यों से वंचित किये जाने के परिणामस्वरूप जो घाटा हुआ उसकी पूर्ति हेतु ६ साल पूर्व भारतीय राजस्व से दिये जाने की व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम के द्वारा अन्धकार को समाप्त कर दिया गया। ऐसा प्रबन्ध किया गया कि हेल्दीबरी कन्ट्रिज में मनोनीत स्थानों की संख्या दुगुनी

कर दी जाए। मतोनीत व्यक्तियों को ही कलिय में प्रवेश मिलना था तथा उनमें सबसे अच्छे परीक्षा परिणाम वाले प्राचीन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए नियुक्त किये जाते थे। बंगाल देश विभाग से आगरा देश विभाग को अलग करने की व्यवस्था की गयी पर तु बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। बम्बई और मराठों को प्रमुख सेनापति के प्राधीन पृथक सेनाएं रखने का अधिकार दिया गया परन्तु उनका नियंत्रण केन्द्र सरकार के प्राधीन रखने की व्यवस्था की गयी।

अधिनियम का महत्त्व

सन् १८३३ ई के शासपत्र-अधिनियम का अत्यधिक महत्त्व है। लॉर्ड मोल्टो इस अधिनियम को पार कर सन् १७८४ के प्रसिद्ध अधिनियम और महारानी विक्टोरिया के भारत गानन को प्रणते अधिकार मनेने के मध्यकाल का अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मानते हैं। इस अधिनियम का महत्त्व इस बात में है कि मकाने गारा भारत में एक दल वेद शासन की स्थापना का प्रयास किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विधि की समानता सम्पूर्ण देश में स्थापित कर दी गयी। इस अधिनियम के द्वारा कानून निर्माण और शासन मचालन के लिए भिन्न भिन्न व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ। इस अधिनियम के प्रचलन से भारतीयों के विरुद्ध घम जाति और रंग के आधार पर भेदभाव समाप्त कर दिया गया। मकाने न इस अधिनियम की धारा को दयालुतापूर्ण बुद्धिमत्तापूर्ण और गानदार बताया। डॉ ईश्वरीप्रसाद के अनुसार इस अधिनियम का महत्त्व इस बात में है कि इसके द्वारा भारतीय विधान मण्डल की नींव रखी गयी। इस प्रकार से इस अधिनियम का महत्त्व बहुत अधिक है। इस अधिनियम के पश्चात् कंपनी के साथ केवल राजनतिक रह गये। कम्पनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ता गया एव सन् १८५८ में वह नियंत्रण यहाँ तक बढ़ा कि कंपनी का अन्त हो गया।

यद्यपि १८३३ ई के अधिनियम में जो बातें कही गयी थी वे बहुत महत्त्वपूर्ण थी तथापि जो उन्नति इस दिशा में हुई वह बहुत ही धीमी थी। डॉ ईश्वरीप्रसाद ने लिखा है कि भारत पर शासन करते समय सन् १८३३ के अधिनियम में निर्धारित नीति का पालन करने का प्रयत्न उत्तमवत ही अधिक किया गया। फिर भी यदि १८३३ ई के अधिनियम की घोषणा से कोई विरोध लाभ न हुआ हो तो भी कम से कम यह परिणाम तो अवश्य निकला कि १९ वी शताब्दी के अन्त एव २० वी शताब्दी के प्रारम्भ में राष्ट्रवादियों ने इस घोषणा को आधार बनाकर अधिक से अधिक सुधारों की मांग की जिसके फलस्वरूप देश में राष्ट्रीय चेतना और राजनतिक जागृति का सूत्रपात हुआ।

(६) १८५३ ई० का शासपत्र अधिनियम

अधिनियम की स्वीकृति के कारण

सन् १८३३ के अधिनियम द्वारा कम्पनी का व्यापार काल २० वर्ष के लिए बढ़ाया गया था जो अब समाप्त हो गया था अतः कम्पनी के नाशकाय को बढ़ाने

हेतु विरोध स्वीकृत करना आवश्यक था। भारतीय जनता भी गुधार की मांग कर रही थी। बंगाल मद्रास एवं बम्बई देश विभागों के निवासियों ने एक प्रायनामपत्र ब्रिटिश सरकार को दिया। इस प्रायनामपत्र में उन्होंने कहा कि यद्यपि १९३३ ई के अधिनियम के अनुसार भारतीयों के विरुद्ध सब भेदभाव समाप्त कर दिया गया था परन्तु किसी भी भारतीय को अब तक किसी ऊँचे पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। इसलिए भारत का शासन करने का अधिकार भारत मजिब और उसकी परिषद् को सौंपा जाय तथा कम्पनी को यह अधिकार पुनः प्रदान नहीं किया जाए। उनकी यह भी मांग थी कि ब्रिटिश सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए इंग्लैंड के सम्राट की प्रजा के प्रत्येक मजसूम के लिए खान जाए। भारत में कानून निर्माण के लिए एक अलग विधानपरिषद् की स्थापना की जाए तथा प्रदेशों की प्रांतीय स्वराज्य का स्वरूप प्रदान किया जाए। भारतीय जनता की मांग ने भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इसके फलस्वरूप सरकार ने गुधार के विरुद्ध अधिनियम को स्वीकृत करना आवश्यक समझा।

संसद द्वारा अधिनियम का स्वीकृत किया जाना

लाड डारवी ने अगस्त १९३३ ई में कम्पनी के शासन के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए एक विरोध समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि नीति और धर्म, मानवता का अर्थ एवं परोपकार के लिए हमारा यह परम कर्तव्य है कि जिनकी सहायता बढ़िमानों और दूरदर्शिता के साथ ही मक उतनी ही शीघ्रता से भारत के निवासियों के व्यक्तिगत और आन्दोलनिक कार्यों का प्रत्येक से अधिक मात्रा में नियंत्रण और निरीक्षण उनके हार्थों में सौंपा जाय। विरोध समिति के प्रतिवेदन के आधार पर १९३३ ई का शासपत्र-अधिनियम स्वीकृत कर लिया गया।

अधिनियम के मुख्य उपबन्ध

सन् १९३३ ई के शासपत्र अधिनियम के मुख्य मुख्य उपबन्ध निम्न लिखित थे —

(१) इस अधिनियम के द्वारा कम्पनी के अधिकारों का मधीनीकरण किया गया। भारतीय प्रदेशों की गण्ड की महागनी और उसके उत्तराधिकारियों की जमानत के रूप में रने लिया गया। पहले अधिनियम में संसद ने कम्पनी को २ साल के लिए भारतीय कार्यों पर शासन का अधिकार दिया था। किन्तु इस बार यह कहा गया कि जब तक संसद कम्पनी को कोई और आदेश न दे तब तक उसे अपना शासन करने का अधिकार होगा। अतएव इस अधिनियम के अनुसार संसद ने कम्पनी को अतीमित समय के लिए भारत पर शासन करने का अधिकार दे दिया।

(२) इस अधिनियम के द्वारा कम्पनी के सवालकों की संख्या २४ से घटाकर १ कर दी गयी। इन १८ सवालकों में से ६ संस्थों की नियुक्ति कम्पनी के

स्वामियों के बराबर ब्रिटिश सम्राट द्वारा होगी। सचालकों की बढक में गणपूर्ति १३ से घटाकर १० कर दी गयी।

(३) इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल अब बंगाल का गवर्नर नहीं रहा। यह निश्चय किया गया कि बंगाल के लिए अलग गवर्नर होगा। गवर्नर जनरल को सचालकों और नियंत्रण मण्डल को भ्राना से बंगाल के लिए एक सफिनेट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। इसी प्रकार पञ्जाब के लिए भी अलग सेप्टनेट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी।

(४) गवर्नर जनरल तथा उसके परिषद् को नये प्रान्त बनाने तथा पुराने प्रान्तों की सीमाओं को सचालकों तथा नियंत्रण मण्डल की सहमति से निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद् का एक उप प्रधान नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया जो उसकी अनुसुचित म परिषदों की बढका का समापित्व कर सके।

(५) इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कानून निर्माण परिषद् का विस्तार किया गया। ६ नए सदस्य बढाये गये—बंगाल मन्त्र बन्धु एक उत्तर-पश्चिम सीमान्त देश विभागों के एक एक प्रतिनिधि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार कानून निर्माण के लिए कुल १२ सदस्य हो गये (गवर्नर जनरल प्रधान मन्त्र गवर्नर जनरल की परिषद् के ४ सदस्य और ६ नये सदस्य जो नये अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किये गये)। कानूनी परिषद् के प्रत्येक सदस्य का वेतन ५ षौड निश्चित किया गया। परिषद् की गणपूर्ति ७ रहनी गयी। कानून बनाने के लिए परिषद् में ब्रिटिश सम्राट ने मिलती जुलती कानून बनाने की पद्धति अपनायी गयी। विधेयक विधायकों की सम्मति के लिए प्रवर समिति के पास भेजे जाने प। प्रत्येक विधेयक पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक थी। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद् किसी भी विधेयक को वीटो कर सकती थी।

(६) इस अधिनियम के द्वारा भारतीय कानून के सभ्द की ओर भी ध्यान दिया गया। सन् १८३३ के अधिनियम द्वारा एक विधि आयोग की नियुक्ति की गयी थी। इस अधिनियम के द्वारा विधि आयोग की सिफारिशों की जाच गढतान के लिए ब्रिटिश कमिश्नर नियुक्त किये गये। इन सब की महत्तन के परिणामस्वरूप दोबानी और फौजदारी कानून की पुस्तकों तयार की गयीं।

(७) इस अधिनियम के द्वारा कम्पनी की सेवाओं में प्रतयोगी परीक्षाओं की पद्धति जारी की गयी। भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा सारी जनता के लिए खोल दी गयी।

(८) इस अधिनियम के द्वारा यह निश्चित किया गया कि नियंत्रण मण्डल-के सदस्यों सचिवों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन कम्पनी द्वारा दिया जाए। वेतन निश्चित करने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दिया गया।

प्रधिनियम का महत्व

१८५३ ई का प्रधिनियम कम्पनी की प्रादेशिक सत्ता सघनाय निर्माण के मध्यकाल और भारतवर्ष में कम्पनी के शासनकाल का अंतिम प्रधिनियम था। इस प्रधिनियम का महत्व इस बात में निहित है कि गवर्नर जनरल की परिपद का विस्तार किया गया। प्रारम्भ से ही परिपद एक छोटी सी संसद के रूप में कार्य करने लगी। गवर्नर जनरल को इस कानून बनाने वाली परिपद ने सरकार की नीति की आलोचना करना प्रारम्भ किया। इस प्रकार भारतवर्ष में संसदीय सरकार की नींव पड़ी यद्यपि इसके निर्माताओं ने इस बात से इनकार किया था। नियंत्रक महल के प्रधान चांसलर ने लिखा है मैं गवर्नर जनरल की कानून बनाने वाली परिपद को भारत में संवधानिक संसद का प्रारम्भ तथा केन्द्र नहीं मानता हूँ। फिर भी जो वास्तविकता है उसे हम नजर अंगूठ नहीं कर सकते। श्री ठाकुर ने लिखा है सन् १८३३ के कानून के एक सत्रस्य से विवक्षित यह धारासभा यद्यपि केवल अधिकारियों की ही एक संस्था थी फिर भी उसकी बंठक प्राम जनता के लिए खुली हुई थी। इसका कार्यक्रम अधिष्ठत रूप से प्रकाशित किया जाता था।

इस प्रधिनियम की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस प्रधिनियम में कम्पनी के शासन का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया था। इससे यह प्रतीत होने लगा था कि कम्पनी के शासन का अन्त होने में अब थोड़ा समय था रह गया है तथा ब्रिटिश सरकार इस दिशा में सोचने लगी है। इस प्रधिनियम के द्वारा कम्पनी की शक्तियों का अत्यन्त कम कर दिया गया था। इसी प्रकार सचामक महल की सदस्य संख्या घटाकर और उसमें से ६ सदस्य ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त किये जाने का उल्लेख कर कम्पनी के स्वामियों का नियंत्रण कम कर दिया गया। सचालकों के हाथ से भारत के अधिकारियों की नियुक्ति की शक्तियाँ भी ले ली गयीं। इस तरह से सचालकों की शक्तियाँ काफी कम कर दी गयीं और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया।

इस प्रधिनियम की तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके द्वारा गवर्नर जनरल की परिपद में प्रांतों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया। भारतीय कानून के सग्रह का महत्वपूर्ण कार्य भी इस प्रधिनियम के द्वारा प्रारम्भ हुआ।

इसकी चौथी विशेषता यह थी कि इस प्रधिनियम द्वारा १८३३ ई के प्रधिनियम की महान् घोषणा को वास्तविक रूप दिया गया। अब भारतीयों के लिए सब पद खोल दिये गये और इस हेतु उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में बठन की प्राप्ता दे दी गयी। इस तरह से कम्पनी की सेवा में नामजदगी के सिद्धान्त का महत्व अपने प्राय ही समाप्त हो गया। डॉ. इक्बाल नारायण ने इस प्रधिनियम के महत्त्व का अर्थ इन शब्दों में किया है वधानिक इतिहास के विकास में अगली महत्वपूर्ण सीढ़ी है सन् १८५३ का प्रधिनियम। इस प्रधिनियम द्वारा भारतवर्ष में एक और

तो पृथक् व्यवस्थापिका सभा का निर्माण किया गया और दूसरी ओर अत्यल्प रूप से इस अधिनियम का प्रजातन्त्रात्मक प्रभाव पड़ा। इसके द्वारा भारत की अंग्रेजी सरकार ने वर्तमान सरकार का रूप धारण किया जिसका काम क्वेन कानून बनाना मात्र न था बल्कि प्रागे बनाना भी था। वस्तुतः यह स्पष्ट पारार की एक घटना है जिसमें निरंकुश शासन से अधिक प्रजासत्तन का आस्वादा मिला।^१

उल्लिखित चर्चा ने प्रकट होता है कि भारत में कम्पनी के शासन के दो केंद्र थे—प्रथम भारत में और द्वितीय इंग्लैंड में। भारत में प्रारम्भ में कम्पनी की शासन शक्तियाँ तीन देश विभागा—बम्बई मद्रास और बंगाल के हाथों में थीं। प्रत्येक देश विभाग की अपनी पृथक्-पृथक् मद्रास थी जिनमें एक गवर्नर एवं एक परिषद् होती थी। परिषद् में १२ से लेकर १६ तक सदस्य होते थे। गवर्नर एवं परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति सचानक मन्त्र द्वारा होती थी। प्रत्येक देश विभाग का सचानकों में भाषा मन्त्र था। सन् १७७३ ई० में भारत में प्रशासन के कर्त्वीपकरण का कार्य प्रारम्भ हुआ। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया एवं बम्बई और मद्रास के देश विभागा को इसमें नियंत्रण में कर दिया गया। कुछ वर्षों के पश्चात् गवर्नर जनरल को सारे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत में शासन के सम्पूर्ण उत्तरदायित्व एवं अधिकार उसे दिये गये। प्रान्तों में गवर्नर रहे।

भारत सरकार इन्डि स्थित कम्पनी के अधिकारियों के नियंत्रण में थी। प्रारम्भ में एक गवर्नर एक उप गवर्नर एवं २४ सदस्यों का एक सचानक मंडल भारत सरकार को नियंत्रित एवं शासित करता था। सन् १८४४ में ब्रिटिश सरकार ने सचानक मन्त्र के ऊपर एक नियंत्रक मंडल की स्थापना कर दी। कम्पनी की सारी शक्तियाँ सचानक मन्त्र एवं नियंत्रक मंडल में निर्धारित हो गयीं। इन प्रकार यह शासन में दृढ़ शासन का प्रारम्भ हुआ जो सन् १८५८ तक कायम रहा। वर्षों-वर्षों समय व्यतीत होता गया सचानक मंडल के अधिकार कम होते गये एवं नियंत्रक मन्त्र के अधिकारों में वृद्धि होती गयी। भारत में कम्पनी के शासन की दो प्रमुख विशेषताएँ थीं (१) भारतीय शासन में के अधिकारों को प्रवृत्ति और (२) यह सरकार में दृढ़ शासन की स्थापना।

सन् १८५७ ई० का स्वतन्त्रता संग्राम

महान् राष्ट्रीय घटना १८५७

१०५ पृष्ठ नमूना

प्रवेश

भारतवर्ष में विदेशी शासन से मुक्ति पाने का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण प्रयास सन् १८५७ ई० में हुआ। इस प्रयास ने भारत में ब्रिटिश शासन के स्वरूप को ही पलट दिया। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतवासियों के स्वतन्त्रता प्राप्ति के इस प्रथम प्रयास को मनिफेस्टो या क्रांति की सज्ञा दी परन्तु भारतीय इतिहासकारों ने इसको प्रथम स्वतन्त्रता संघर्ष की सज्ञा दी है। हम यहाँ संग्राम में १८५७ ई० के संघर्ष के कारणों महत्वपूर्ण घटनाओं संघर्ष के स्वरूप एवं उसकी असफलताओं के कारणों का उल्लेख करेंगे।

सन् १८५७ ई० के संघर्ष के निम्नलिखित कारण थे —

(अ) राजनतिक कारण—

लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासन काल में व्यपगत सिद्धांत की नीति को कठोरता पूर्वक अपना कर मनक देनी रा या मया सतारा जतपुर स मलपुर उदयपुर (यू राजस्थान की उदयपुर या मेवाड रिवासत से भिन्न है) भासी आदि को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। डलहौजी की इस नीति के फलस्वरूप अन्य संरक्षित देशों नरेश इस निष्कष पर पहुंचे कि व सभी भी अंग्रेजों के कुचक्र का शिकार बन सकते हैं। अंग्रेजों ने अवध के नवाब पर राय के कुचक्र का आगेप सगावर अवध को अंग्रेजों साम्राज्य में मिला लिया। इस घटना ने अंग्रेजों को सोचने के लिए बाध्य किया कि जब अंग्रेजों ने अवध जैसे स्वामीभक्त राय को नष्ट छोड़ा तो फिर अंग्रेजों के प्रति स्वामीभक्त रहने से क्या लाभ है? अवध की प्रजा धीरे सेना में भी अंग्रेजों के इस काय से अंतोप व्याप्त हुआ। इतिहास ने भारतीय क्रांति के इतिहास में लिखा है कि अवध को ब्रिटिश राय में सम्मिलित करन तथा वहा पर नई शासन पद्धति के प्रारम्भ किए जान से मुसलमान, कुलीनतन सिपाही और किसान सब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए धीरे अवध अंतोप का बड़ा कै- बन गया।

अंग्रेजों ने माना साह्य के प्रति भी अत्याय किया। उनकी वेचन बन्द कर

ही। बाजीराव त्रितीय को कम्पनी ने बकाया पैगमन के बासठ हजार रुपय देने से इन्कार कर दिया एवं नाना साहब को यह नाटिका दिया गया कि बिठूर को जागीर भी कम्पनी सरकार प्रसी इन्द्रातुमार जब चाहे लीजें। प्रँसजों के इस व्यवहार न नाना साहब को अग्रजों का घोर गन्ध बना दिया। प्रँसजों ने मुगल सम्राट बहादुरशाह जफर के साथ भी दुश्मन्यार किया। सिवनों पर से बादशाह का नाम हटा दिया गया। अग्रज प्रतिनिधियों ने बादशाह के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित करना बन्द कर दिया। बादशाह के बड़े पुत्र मिर्जा जवाबस को युवराज बनाने से इन्कार कर दिया। पगान एक लाख में घटाकर पन्ध्र हजार करदी तथा सम्राट को लाम बिना खाली करके महारानी मरहने के लिए रखा गया। ये सब बातें यही प्रपमानजनक थीं तथा उनके कारण बहादुरशाह और उसके अनुयायी अग्रजों के शत्रु बन गए।

दोगी राज्यों के अग्रजों साम्राज्य में मिला लने के फलस्वरूप उन्नीस वग के लोगों को भी काफी धक्का पहुँचा। उनके सभी विद्याधिकार व सुविधाएँ समाप्त हो गयीं। अतः वे अग्रजों के विरुद्ध हो गए। दोगी राज्यों के विनयक फलस्वरूप अनेक दोगी राज्यों की सेनाएँ भी समाप्त हो गयीं जिन्हें अनेक देशों सैनिक भी बेकार हो गए। अग्रजों ने जमींदारों पर भी बुरा प्रयाचार किया उनकी भूमि छान ली। अतः उनमें भी अग्रजों के प्रति असन्तोष की भावना तीव्र हो उठी। सन्धि में अग्रजों की नीति ने भारतीय सैनिकों, जमींदारों, बुजुर्गों एवं राजा महाराजों में असन्तोष की भावना उत्पन्न कर दी जो समय पाकर सन्धि के रूप में प्रकट हो गयी।

(घ) आर्थिक कारण

अग्रजों साम्राज्य की स्थापना से भारत का आर्थिक शोषण प्रारम्भ हो गया था। १६ वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड को अच्छे माल की आवश्यकता थी तथा निर्मित माल के लिए मद्रियों की जरूरत थी। अग्रजों ने अपने स्वार्थ के लिए भारत को मन्चेस्टर एवं लन्काशायर में उत्पन्न माल के विक्रय के लिए प्रधान बाजार बना दिया तथा भारत से रुई और अन्य कच्चा माल इंग्लैंड भजना प्रारम्भ कर दिया। फलस्वरूप भारतीय उद्योग धंध नष्ट हो गए एवं अनेक भारतीय बिकार हो गए। अग्रज पूँजीपतियों ने अपनी पूँजी का प्रयोग भारत में प्रारम्भ किया फलस्वरूप भारत की पूँजी अग्रज पूँजीपतियों के हाथों में पहुँचनी प्रारम्भ हो गयी। लाड विलियम धार्तिक ने बहुत नी कर मुक्त एवं इनाम की भूमि को छीन लिया। अनेक भूमिपति विपन्न एवं परीब हो गए। अन्त में अग्रजों की नीति ने भारतीयों को बुरा आर्थिक हानि पहुँची एवं उनमें अग्रजों के विरुद्ध भावना काकी तीव्र हो गयी।

(ङ) सामाजिक कारण

अग्रज शासक की नीतियों का भारतीयों के सामाजिक जीवन पर भी बुरा

प्रभाव पड़ा। धर्म जों ने उच्च वर्ग की सम्पत्ति भूमि पद जागीरें तथा वेपन धार्मिक थीं। इन सब के कारण उनकी सामाजिक स्थिति मान मर्यादा एव कीर्ति प्रतिष्ठा को गहरा घक्का पहुँचा। धर्म के धर्मजों ने असंतुष्ट हो गये। धर्मजों ने भारत में धर्मजों शिक्षा सम्पत्ता व सस्कृति का तेजी से प्रसार करना प्रारम्भ कर दिया। धर्मजों स्कूलों में सभी जाति व धर्म बच्चों का एक साथ शिक्षा दी जाने लगी जो भारतीय परम्परा के विरुद्ध थी। भारतीयों के मन में यह भावना जागृत हुई कि धर्मज भारतीय नवयुवकों को धर्मजों शिक्षा देकर पश्चिमी सम्पत्ता व सस्कृति के प्रभाव में जाना चाहते हैं और इस प्रकार भारतीय सम्पत्ता व सस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। धर्मजों न भारतीयों के सामाजिक जीवन में भी हस्तक्षेप कराना प्रारम्भ कर दिया था। डा. विलियम ब्रिटिंग ने सती प्रथा बालहत्या नरबलि धार्मिकों को बंद करने का प्रयास किया था। इंग्लैंड की न विधवा विवाह की कानूनी रूप प्रदान कर दिया था। यद्यपि धर्मजों न य सब सुधार भारतीय समाज को स्वस्थ बनाने की दृष्टि से किये तथापि रुढ़िवादी तथा कट्टरपथी भारतीयों न धर्मजों के इस हस्तक्षेप को समझ माना। भारत की अशिक्षित जनता ने देन धार्मिकों के नये नये प्रयोगों की उपयोगिता को नहीं समझा। वह इनसे पण्डित हो उठी। उन्होंने यह समझा कि धर्मज य सब प्रयत्न भारतीय समाज के धार्मिक व सामाजिक जीवन का नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। धर्म इन सब सामाजिक व धर्म प्रसार के सुधारों का भारतीयों न स्वागत नहीं किया एवं वे धर्मजों के विरोधी हो गये।

(द) धार्मिक प्रसार

सन् १८५७ के समय का एक मुख्य कारण था भारतीयों का ईसाई बनाने की धर्मजों की बड़ी भारी इच्छा। यद्यपि कम्पनी के कर्मचारियों ने प्रत्यक्ष रूप से भारत में ईसाई धर्म के प्रचार में पूरा भाग नहीं लिया था तथापि अप्रत्यक्ष रूप से ईसाई धर्म के प्रचार में पूरा योग दिया था। ईसाई धर्म का प्रचार करने वालों को राजकीय सहायता व सरभरण प्रदान किया गया था। ईसाई धर्मोपदेशक सुलेमान खान हिन्दू व मुस्लिम धर्म की निन्दा करते थे। इससे हिन्दू व मुसलमान दोनों की भावनाओं को नष्ट पहुँचना स्वाभाविक था। जिस तरह सस्कृति के द्वारा भी ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था। ईसाई मिशनरियों ने अनेक मिशनरी स्कूल खोल रखे थे। उनमें पढने वाले बच्चों को ईसाई धर्म का ज्ञान कराया जाता था। धर्म भारतीयों के मन में यह शक पैदा हो गयी कि उनकी सत्ति निश्चय ही ईसाई हो जाएगी। सरकार भी धर्म प्रसार रूप से हिन्दू और मुसलमानों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहन दे रही थी। ईसाई धर्म प्रसार करने पर सरकारी नौकरियाँ मिल जाती थी। सेना की भी ईसाई बनाने का प्रयत्न किया गया। नतीजतन ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि धर्मज सरकार निवाहिया के धार्मिक मामलों की व्यवहारा करने लगी एवं बात बात में उनकी धार्मिक मायताओं का उल्लेख किया जाने लगा। यहाँ तक कि कम्पनी की सेना के अनेक अफसर खुले तौर पर धर्मजों के धर्म परिवर्तन कराने के कार्य में लग गये। इंग्लैंड/

द्वारा गोद लेने की प्रथा का निषेध भी हिन्दू धर्म शास्त्र के अन्दर हस्तक्षेप माना गया और इनसे भी हिन्दुओं की धार्मिक मान्यताओं को बड़ी भारी ठस लगी। हिन्दुओं के मन में यह शका उत्पन्न हो गयी कि अंग्रेज उनके धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

(इ) सैनिक कारण

सन् १८५७ के सघष का सबसे महत्वपूर्ण कारण सैनिक आश्लेष था। सघष का विस्फोट सर्वप्रथम सेना में ही हुआ था। भारतीय सैनिकों और अंग्रेजी सैनिकों की संख्या में बड़ा भारी अंतर था। भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेज सैनिकों से छह गुनी थी। भारतीय अंग्रेज सेना का वितरण भी विभिन्न विभागों में समझदारी के साथ नहीं किया गया था यथा दिल्ली व इलाहाबाद में एक ही अंग्रेज सेना नहीं थी लखनऊ में सिर्फ एक रिजाला था। इससे सघष के फलने में धान्तानी रही। हिन्दुस्तानी सैनिकों व अंग्रेज-सैनिकों को प्रदत्त सुविधाओं में भी भारी अंतर था। भारतीय सैनिकों का वेतन व भत्ता अंग्रेज सैनिकों से बहुत कम था। ऊंचे पदों पर केवल अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाता था। अंग्रेज अफसरों का भारतीय सैनिकों के प्रति व्यवहार भी अच्छा नहीं था। अतः सैनिकों में विद्रोह की भावना काफी समय से सुलग रही थी। युद्ध के समय भारतीय सैनिकों का भीषण हत्याकाण्ड होता था। हिन्दुस्तानियों की सेना में कुलीन व अभिजात लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी। अधिकांश सैनिक ब्राह्मण व राजपूत थे। अतः उनमें कुल जाति व धर्म की पवित्रता के प्रति भावना प्रबल थी। जब साइडिंग ने अधिनियम बना कर भारतीय सैनिकों के लिए यह नियम बना दिया कि वे भारत के किसी काने में अथवा भारत से बाहर भी जाने के लिए बाध्य होंगे तो इन कुलीन उच्च-वर्गीय लोगों में बड़ा असंतोष फैला। उनका यह विश्वास था कि सामुद्रिक यात्रा करने से धर्म नष्ट हो जाता है। अतः सैनिकों के मन में ब्रिटिश विरोधी भावना का तनी से प्रसार हुआ। चर्बी से युक्त कारतूसों के विवाद ने तो प्रायः सभी का काम किया अतः वे अज्ञात हो उठे। इसके अतिरिक्त भारतीय सैनिकों का अपने शकौशल व वीरता में काफी विश्वास था। भारतीय सैनिक अपने को अजेय समझते थे। इस आत्म विश्वास ने उनको सघष करने के लिए बड़ा सम्बल प्रदान किया।

(उ) अफवाहें

सन् १८५७ ई० के सघष के मूल में कुछ अफवाहों का भी योग था। एक धाम अफवाह यह थी कि ठकेदारों द्वारा सैनिकों को दिये जाने वाले भाटे में मनुष्यों की हड्डियों का चूरा मिला रहता है दूसरी अफवाह यह थी कि कारतूसों में जिन्हें प्रयोग करने के लिये ८ के दानों स्थानों को सफाई के दांतों से साफना होता था गाय व सुसर की चर्बी मिला रहती है। इसके अतिरिक्त यह भी अफवाह थी कि इस मौमिया के युद्ध में प्राप्त पराजय का बदला लेने के लिए भारत पर आक्रमण

करने की योजना बना रहा है। इस योजना में उसे फारस के शाह की भी सहायता प्राप्त है। इसी समय एक -पोतियो ने भी यह घोषणा की कि एक सौ वर्ष पश्चात् भारत में अंग्रेजी साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। सन् १८५७ तक भारत में अंग्रेजी शासन के १० वर्ष पूरे हो चुके थे। इससे भी भारतीयों को सघष प्रारंभ करने का प्रोत्साहन मिला।

सघष का प्रसार

सघष का प्रारंभ बरकपुर में हुआ। २६ मार्च १८५७ को सघष पाँडे नामक एक सैनिक ने सघष का भण्डा खोल कर दिया। उसने गाँव एवं सूपर की चर्चों में युक्त कारतूतों को भूहलवाट कर प्रयोग करने से इन्कार कर दिया। उसने अंग्रेज मिर्जा याही भी भण्डाना प्रारंभ किया। कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने उनको, करनी चाही तो उनको भी उसने हत्या कर दी। अंग्रेजों में उसको गिरफ्तार कर लिया गया एवं ८ अगस्त १८५७ ई. को फाँसी पर चढ़ा दिया गया। १६ मई १८५७ ई. को मथुरा में सघष का प्रारंभ हुआ। सघष का प्रारंभ होने से इन्कार कर दिया। ६ मई को उद्दस दस वर्ष की सजा सुना दी गयी। मेरठ की मिर्जा की क्रांति पर मेरठ के मिर्जा याही एवं तागी को ने मिलकर १ मई १८५७ ई. को मथुरा के अखिलेश्वरी तागुर कदियों को मुक्त कर दिया, सरकारी दफ्तारों में आग लगायी एवं जलायी अंग्रेजों का पाया उन्हें भीत बघाट उतार दिया। १ मई १८५७ ई. को ही राति को मथुरा के मिर्जा याही की निरंतर रजता हो गया एवं ११ मई को ही पहाँव गये। तथा उन्होंने मिर्जा की लाश किने पर अंग्रेजी अधिकार जमा लिया तथा मुगल सम्राट् बहादुरशाह को सम्मान घोषित कर दिया।

मिर्जा की मूर्ति का समाचार बायुक्त ने उत्तर भारत में फैल गया। मई १८५७ ई. के अंत तक अलीगढ़ इलाहाबाद मथुरा तथा मिर्जा के आसपास के स्थानों में अंग्रेजी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बुन्देलखण्ड भी सघष में शामिल हो गया। इसके पश्चात् सघष कानपुर लखनऊ बिहार और मध्य प्रदेश में भी फैल गया।

नाता साहब ने कानपुर पर अपना अधिकार जमा लिया और अपने को पेशवा घोषित कर दिया। बुन्देलखण्ड में भासी की रानी लक्ष्मीबाई ने मथुरा में तागुरा टोप ने बिहार में जगदीशपुर के कुंवर अमरसिंह ने सघषकारियों का संगठन किया। पंजाब में तागुरा तथा मिर्जा ने अंग्रेजों का साथ दिया। राजपूताना व बिहार में भी गान्धर्व ने।

नाइकिंग ने भी अंग्रेजों का सहायता के लिए सघष का समर्थन किया। अंग्रेजी सरकार की सहायता में १७ सितम्बर १८५७ ई. को बहादुर शाह को गिरफ्तार किया गया तथा दंग में विचारित कर अंग्रेजों के कद के लिए रंगून भेजा गया। १८६२ ई. में उसकी मृत्यु हो गयी। भासी की रानी लक्ष्मीबाई मृत्यु करने करके स्वाधिवरक मुद्रा में १८ जून १८५८ ई. को परनाक

काफ़िनी हुई। तात्या टोपे देशद्रोही मानसिंह के कारण बंदी बना लिये गए तथा १८ अप्रैल १८५६ ई० में पानी पर गिरा दिये गए। मौनवी अमर साहू को पावन व गार्सक के भाग्य न धोखे से मार दिया। नाना साहब जगदीपपुर के प्रमोदसिंह और हजरतमहल बगम नेरान की तरफ भाग गये। इस प्रकार स्वतंत्रता सघष के इस प्रथम भागान् प्रयास का अप्रैल १८५६ ई० तक अन्त हो गया।

बिफलता के कारण

सन् १८५७ का सघष भारतीयों का अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रथम प्रयास था जिनमें उन्हें सफलता नहीं मिली। सघष की बिफलता का अनेक कारण थे। असफलता का पहला कारण यह था कि सघष निश्चित समय से पूर्व ही आरम्भ हो गया था जिसके परिणामस्वरूप अज्ञान सूत्रपात व सञ्चालन निश्चित योजना के अनुसार नहीं हुआ। सघष के समय से पूर्व ही बिफोट हो जाने के कारण यह आन्दोलन अखिल भारतीय आन्दोलन का स्वरूप धारण नहीं कर सका तथा यह उत्तर भारत तक ही सीमित रहा। सघषकारियों के साधन अथवा प्रयत्नों की अपेक्षा अत्यन्त सीमित थी। उनके पास उतनी युद्ध सामग्री व हथियार आदि नहीं थी जितने अंग्रेजों के पास थे। उनके पास सूचना हूचान के भी उतने उच्च साधन नहीं थे जैसे कि अंग्रेजों के पास थे। अपनी ही सना भी भारतीय सना से सम्बन्धित काफी अधिक् थी। ऐसी दशा में संग्रह्य शक्ति को अधिक् समय तक चालू रखना सम्भव नहीं था। शक्तिधारियों में नेतृत्व का भी अभाव था। भासा की रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे नाना साहब व कुवर प्रमोदसिंह के प्रतिरिक्त अन्य कोई सुयोग्य नेता नहीं था। ये नेता बीर अवश्य थे पर सघष सञ्चालन में उनमें कुशल नहीं थे जितने कि अंग्रेज अधिकारी। सघषकारियों में उद्देश्य की एकता भी नहीं थी। हिन्दुस्तानी सैनिकों ने अपनी प्रसुविधा (खर्चीवाले किरतून आदि) के कारण सघष का भय खड़ा किया था। उनका उद्देश्य क्या है इसका भी किसी का पता न था। मुसलमान सघषकारी मुगल बाल्गाह के खोय हुए गौरव को पुनः प्रविष्टावित करना चाहते थे। भासा की रानी लक्ष्मीबाई अपने गोद लेन के अधिकार से तथा नाना साहब अपनी पेशवा से बिच्छित हो जाने के कारण युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार सघषकारियों में कोई मिलन बिन्दु नहीं था। इस सघष की असफलता का कारण यह भी था कि सघषकारियों ने अपने सघष को राजाओं तात्याकुशरो जमींदारों आदि के आन्दोलन का रूप दिया। उन्होंने किसानों की पूरा अपेक्षा की अतः यह सघष वास्तविक रूप में जनसाधारण का सघष न बन सका। फलस्वरूप अंग्रेजों को इसके दमन में अधिक् कठिनाई नहीं हुई।

सघष का स्वरूप

१८५७ ई० के सघष के स्वरूप के सम्बन्ध में विद्वान् एकमत नहीं हैं। अनेक अंग्रेज विद्वान् एय इतिहासकार इसे केवल सिपाही बिद्रोह बताते हैं। सील की धारणा है कि १८५७ ई० का गदर केवल सैनिक बिद्रोह था। यह पूरा

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का कोई देगोड नता था और न ही जिसको सामान्य जनता का समर्थन ही प्राप्त था। सर चर्चिस का कथन है कि कान्ति का उद्गम स्थल सेना थी और इसका कारण कारतूस वाली घटना थी। किसी पूर्वगामी पक्षयंत्र से इसका कोई संबंध नहा था। यद्यपि बाद में कुछ असंतुष्ट लोगों ने अपनी स्वायत्तता के लिए इसका नाम उठाया।

इससे भिन्न मत व्यक्त करते हुए भारतीय विद्वान् इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की सझा देते हैं। श्री कृदावनलाल वर्मा की धारणा है कि यह विद्रोह नहीं जन प्राप्ति था जो बलकत्त से लेकर दिल्ली तक प्राप्त हुआ था और जिसमें जनता एवं सेना तथा राजा महाराजाधर्मा न अपनी शक्ति भर भाग लिया। मोराना अबुल कलाम आजाद का कहना है कि सन् १८५७ का सघष समस्त जनता में सदिया से व्याप्त असन्तोष का परिणाम था। इसी प्रकार डा पट्टाभि मोनारमया, धीर सावरकर, डॉ परिणकर एवं डा ईश्वरीप्रसाद आदि विद्वान् भी इस सघष को स्वतंत्रता प्राप्ति का एक महान् आन्दोलन बताते हैं।

जो विद्वान् इसे मात्र सैनिक विद्रोह मानते हैं उनका कहना है कि यह कुछ असंतुष्ट सैनिकों का सघष था जो भारत के बहुत थोड़े भाग में फन सका था तथा जिसका दमन थोड़े से सैनिकों द्वारा समभव हुआ। इनके अतिरिक्त उन दिनों न तो भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का विकास ही हा सकता था और न ही अपनी खाई हुई स्वतंत्रता की पन प्राप्त करन का उनकी कोई सगर्तित योजना थी। उस समय भारतीय जनता में इतनी जागृति नहा ही पाई थी कि वे विद्वान् शासन समाप्त करने की कोई निश्चित योजना बनाते। भारतीय सेना का बहुत बड़ा भाग अंग्रजों का भक्त बना रहा तथा बड़े बड़े देगी गरेगी ने भी उसमें भाग नहीं लिया और साधारण जनता भी शान्तिपूर्ण ढंग से अपने अपने कारोबार में लगी रही अत यह सघष केवल एक सैनिक प्राप्ति थी। इससे अधिक कुछ नहीं।

परन्तु जो विद्वान् इसे राष्ट्रीय आन्दोलन बताते हैं उनका कहना है कि इस सघष में हिन्दू व मुसलमानों ने समान रूप से भाग लिया। कथ से कथा मिला कर युद्ध किया तथा दोनों जातियों के नेताओं ने कान्तिकारियों का नेतृत्व किया। सभी भारतीयों की कान्तिकारियों के प्रति सहानुभूति थी। डा ईश्वरीप्रसाद ने 'आधुनिक भारत के इतिहास' में लिखा है कि यह विद्रोह योजनाबद्ध था और विद्रोह के नेता बहुत समय से अंग्रजी राज के विरुद्ध ग्राम ग्राम में इस भावना को फला रहे थे। नेता नि स्वाय एवं देग भक्त थे तथा उनको अपनी देश की स्वतंत्रता से अधिक प्रिय कोई वस्तु न थी। अनेक अंग्रज विद्वान् यथा विल्सन के सर ली यह जब लार्ड सल्सबरी आदि ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह केवल सैनिक विद्रोह मात्र नहीं था यह तो एक योजनाबद्ध सघष था।

वे सी विल्सन ने लिखा है कि प्राप्त प्रमाणों से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि एक साथ विद्रोह करने के लिए ३१ मई १८५७ का दिन निश्चित किया

गया था। मिस्टर कनेरिया है कि ६ महीना तक, वास्तव में वर्षों तक नाबू साहब व दून प्रान्ती गुप्त मंत्रणा का जान सारे देश में फजात रह। एक से दूसरे राज दरवार तक इस विगान दग क एक छोर स दूसरे छोर तक, नाबू साहब के दूत विभिन्न जातिया तथा धर्मों के राजाशा एव सरगारा के लिए बड़ी सावधानी और रहस्यमय ढंग से निवृत्त गये प्रस्ताव तथा निमंत्रण भ्रकर पहुँचे थे। उनसे भागे निखा है कि प्रथम के बजोर अलीनारी का क आह्वान पर १० और मुसलमान निपाठिया ने गगाजन और कुरान की पवित्रता की सीपय लेकर प्रतिज्ञा की कि वे अग्रजा को देग स बाहर निवानने म भ्रपती जानें नइा देंगे। अलीनका का के दूता ने सावभ्रा और फरीरों का भय वनाकर कनकता स गुर हीवर उत्तर भारत की प्रत्येक छावनी म विप्लव का सङ्ग पहुँचाया। सनियों के अनिच्छित सरकारी कर्मचारियों से भी सम्बन्ध स्थापित किया गया और वो भी सरकारी माना या दफ्तर ऐसा नइा पूरा जग विप्लव का संशय न पहुँचा हो। स्पष्ट है कि यह सघष योजनाबद्ध था। हम सघष का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था जो बहादुरशाह की बरेनी घोषणा से स्पष्ट है। घोषणा म कहा गया था हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमाना उठा भाषा उठा, खुदा न जितनी बरकतें इ सान की दी हैं, उनमें सबसे कीमती बरकत आजादी है। क्या वह जातिम नाकम, जिसने घोषा देकर यह बरकत हमस छीन ली है हमसा के लिए हम उससे महकूम रख सकगा? क्या मुग की मर्जा के विनाफ इस तरह का काम हमसा जारी रह सकता है? नहीं नही। फिरगिया ने इतने तूम किए हैं कि उनसे गुनाहो का प्याता खबरेज हो सका है। यहां तक कि हमारे पाक मानव को ताश परत की नापाक स्वाहिय भी उनम पदा हा गयी है। क्या तुम घाय भी सामोन बठे रहोगे? खुदा यह नहीं चाहता कि तुम सामोन रहो क्योंकि उसने हिंदुआ और मुसलमानों व दिला मे अग्रजा को भ्रपन मुक्त से निकानन की स्वाहिय पदा कर दी है और खुदा के फजल और तुम लोगो की बहादुरी के प्रताप स भ्रपजो का इतनी कामिल शिक्स्त होगी और हमारे इस मुक्त हिंदुस्तान म इसका जरा भी निशान न रह जाणगा। सम्राट बहादुरशाह की तरफ स एक और ऐतान बिली म जारी किया गया था जिसने कुछ वाक्य इस प्रकार थे हे हिंदुस्तान के फरजदो, अगर हम इरादा कर लें, तो बात की बात म दुश्मन का सात्मा कर सकते हैं। हम तु मनु का नाग कर डालेंगे और अपने पस जमा देग को जो हम जान से भी मादा प्यारे हैं, खतरे से बचा लेंगे।

बहादुरशाह द्वारा भारतीय मरेशा के नाम भजे गये पत्र से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। बहादुरशाह ने इस पत्र म लिखा था मेरी यह ती स्वाहिय है कि जिस अरिये से भी और जिस भीमत पर भी हो सके फिरगियों को हिंदुस्तान से बाहर निवाल दिया जाय। मेरी यह जबरदस्त स्वाहिय है कि तमाम हिंदुस्तान साम्राज हो जाय। भ्रपजो की निवाल दिये जाने के बाद अपने निजी लाभ के लिए हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की मुक्त म जरा भी स्वाहिय नहीं है। अगर भाप सब

देशी नरेश दुश्मन को निकालने की गरज में अपनी अपनी तन्त्रवार खींचने के लिए तयार -
हो तो मैं इस बात के लिए राजी हूँ कि समाज छोटी प्रजापारत और हकूक देशी
नरेशों के किसी एमे गिरा के हाथों सौंर हूँ जिस कस नाम - लिए चुन लिया
 जाये। अतः सन् १८५७ का सघष वा तब म भारत के हिन्दू और मुसलमान तरेषों
 और भारतीय जनता दानों हा का दश की त्रि शिषा की राजनतिक अधीनता से
 मुक्त कराने की जबदस्त और बापन कोशिश थी। इस बात की पुष्टि ल त
 टांम के विनेप प्रतिधि सर विलियम हावट के स वचन म भी होती है कि
१८५७ ई का सघष ऐसा था जिसम लोग अपने धम के नाम पर अपनी कोम के
नाम पर बन्ता लेने के लिए और अपनी आगाओ का पूरा करे के लिए उठे थे।
 उस युद्ध म समूचे राष्ट्र ने अपने ऊार से विदेशियों के जुग को फक कर उनकी जगह
 देशी नरेशों की पूरी सत्ता और देशी धर्मों का पूरा प्रतिहार फिर से कायम करने
 का सङ्कप किया था। स्पष्ट है कि इस सघष का उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता का अन्त
 करना था।

सघष के परिणाम

यद्यपि सन् १८५७ के सघष की अत्यन्त बढोरता स दबा दिया गया था
 परतु वह पूरा रूप से निष्कन सिद्ध नहीं हुआ। उसके परिणाम बडे महत्वपूर्ण
 हुए। परिणामों की दृष्टि से सन् १८५७ के सघष का भारतीय इतिहास म बडे
 महत्व है जो इंग्लड म सन् १६८८ की रक्तहीन क्रांति का है। यह कदना भी
 अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधुनिक भारत के इतिहास म सबसे अधिक सोभाग्य
 वाली अथ घटना नहीं घटी। इस सघष के परिणामस्वरूप भारत में कम्पनी का सौ
 बप पुराना अनुदार गव अ याचारी शासन समाप्त हो गया तथा उसके स्थान पर ब्रिटिश
 ताज गव सत्ता का उदार और वायपूण शासन प्रारम्भ हुआ। इस सघष के फलस्वरूप
 अ प्रज तथा भारतीय होना के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पडा। सघष के पूरा अथ जो
 एवं भारतीयों का एक दूसरे के प्रति काफी अकार दृष्टि कोण था। परतु सन् १८५७
 के सघष ने इस मनोवृत्ति को बन्त दिया। भारतीयों एवं अथ जो मे आपसी फूट
 तथा अविश्वास पदा हो गया। अथ जो ने बहुत अधिक बढोरता एवं निदयता म
 सघष का दमन किया फलस्वरूप भारतीयों म ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट
 करने की भावना जागृत हानी प्रारम्भ हो गया। भारतीयों के प्रति अथ जो का
 रुख भी बन्दना प्रारम्भ हो गया। भारतीयों से उन का अथीपूण सम्बन्ध कम होने
 लगा तथा वे उन्हें घृणा का दृष्टि से देखने लगे। अथ जो एवं भारतीयों के मध्य
 यह सार्ध दिन प्रतिदिन विस्तृत होती गयी।

इस सघष के फलस्वरूप हिन्दु तथा मुसलमानों म भी आपसी बढुता तथा
 अविश्वास बडा एवं उनके अरसी सम्बन्धों म दरार प्रारम्भ हो गयी। मुसलमानों
 की धारणा थी कि हिन्दुओं ने सघष में उनका उसाह नहीं दिखाया जितना कि
 मुसलमानों ने। हिन्दू एवं मुसलमानों के आपसी सम्बन्धों की यह सार्ध निरन्तर

बन्ती चली गयी जो घाने वाले वर्षों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बाधक सिद्ध हुई। हिंदू मुस्लिम द्विभेद का अग्रजो ने नाम उठाया व दोनों जातियों को मडाकर शासन करने की नीति को अघाया।

अग्रजों ने भारतीय सेना के समठन में भी परिवर्तन किया। भारतीय सेना में अग्रजो तत्त्वा का गतिगाती बनाया गया ताकि सेना में स्वामिभक्ति और कायकुशलता का विकास ना। प्राणश्या एव राजपूता को सेना में बाहर रखने का निणय किया गया एव उनक स्थान पर पजाबी मित्रता नेपाय से गुगता एव सीमा प्रात से पठाना को सेना में लिया जान गया। बगाल में भारतीय एव अग्रज सनिक परावर सस्था में रम गये। देगी गियासत) क अपटरण की नीति का भी अग्रजों ने त्याग कर लिया। ब्रिटिश शासका ने देश राजाया की स्वामिभक्ति व महत्त्व को समझ लिया तथा देश में उनक शासन को बनाय रखन का निश्चय किया। उनको नय पट्ट प्रदान निय गय एव उनकी भूमि की रक्षा करने का वचन दिया गया। महारानी विक्टोरिया को १ नवम्बर १८५८ ई की घोषणा में उनक सम्मान की रक्षा का वचन दिया गया है।

इस सघष का बर्णनिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्त्व है। यही से भारत के इतिहास में नवधानिक शासन का सूत्रपात हुआ। सन् १८५७ के सघष का सबसे बड़ा नाम यह हुआ कि अग्रजो ने भारत में अग्रजो शिक्षा का काफ़ी प्रचार किया फन बरूप भारतवासी अग्रविद्यमान एवं कट्टरता का त्याग कर पश्चिमी पान से लाभान्वित हान के लिए अग्रमन हुए।

सघष का सबसे बड़ा नाम यह हुआ कि भारत में राष्ट्रवाद एवं पुनरुत्थान का सूत्रपात हुआ। राष्ट्रीय आन्दोलन-वात में यह सघष आंदोलनकारियों को निरंतर प्रेरणा प्रदान करता रहा। श्री सुन्दरलाल का कहना है कि सन् १८५७ ई की क्रांति न हुई होती तो उसका यही अर्थ होता कि भारतीयों में से माझम आत्म गौरव वत्त पररायणता और जीवन शक्ति का अन्त हो चका हाना। अग्रज शासका के भीमन फिर मन्त्र गुना बट गय हान और भारतवासियों की अवस्था इस समय तक उग्रभय वमी। तनी तनी कि प्रकीका और अग्रिका व उन आन्दोलियों की हर्ष जा न था वर्षों से यगापियत जातियों के उपनिबग बन हुए हैं और जिनका अघना अस्तित्व नगण्य र है।

सन् १८५८ ई० का अधिनियम

प्रवेश

१८५७ ई० के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप ईस्ट इण्डिया कम्पनी का भाग्य उलट गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतवर्ष का शासन कम्पनी के हाथों से छीन लिया और उसे ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया। ब्रिटिश राज का यह शासन भारतवर्ष में निरन्तर ६० वर्ष तक रहा। भारतवर्ष में ब्रिटिश राज का शासन १८५८ ई० के अधिनियम द्वारा प्रारम्भ हुआ। हम यहां संक्षेप में इन अधिनियम की चर्चा करेंगे।

अधिनियम की स्वीकृति के कारण

ब्रिटिश संसद द्वारा १८५८ ई० का अधिनियम स्वीकृत करने के निम्नलिखित कारण थे —

(१) कम्पनी की शासन में शासन प्रणाली अत्यधिक खराब थी। जाज कम्पेज के दृष्ट्य के तथा ज्ञान ब्राह्मण जैसे उच्चवर्गीय विचारधारा वाले व्यक्ति निरन्तर कम्पनी के शासन में सुधार की मांग कर रहे थे। जाज ब्राह्मण ने कम्पनी की शासन प्रणाली की बगैर आलोचना की। उसने नियन्त्रण मन्त्र और मन्त्रालय मन्त्र के दोहरे शासन की इजाजत की विधि का नाम दिया जिसमें जनमत को छाना उत्तरदायित्व को नष्ट किया और संसद के नियन्त्रण को गतिहीन बना दिया।^१ किन्तु संसद स्वयं और मन्त्रालय आलोचना तथा मिट्टे हुई।

(२) कम्पनी के शासकों की नीति के फलस्वरूप १८५७ ई० में भारतवर्ष में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। यद्यपि इससे शासनदायिता को स्वतंत्रता तो नहीं मिली किन्तु यह घटना भारतवर्ष में कम्पनी शासन का अन्त करने में सहायक सिद्ध हुई। ब्राह्मण ने निष्ठा है इस प्रश्न पर राज का मूल्यांकन जान लठा एवं उसने ईस्ट इंडिया कम्पनी का तीव्र होने का निष्पत्ति किया।^२ स्वतंत्रता संग्राम ने अंग्रेजी शासकों को अत्यन्त शीघ्र ही यह निष्पत्ति निकालने की मजबूर कर दिया कि ईस्ट इंडिया कम्पनी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

१ एडवॉकेट जेम्स ब्राह्मण द्वारा संसद के अग्रणी दुर्गेश्वर मुखर्जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया।

२ मुंबई के निवासी ब्राह्मण उदात्त भारत का वैजानिक एवं राष्ट्रीय विचारक।

अधिनियम का पारित किया जाना

१२ फरवरी १८५८ ई को लॉर्ड पामस्टन ने हाऊस ऑफ कॉमन्स में भारतवर्ष के शासन को कम्पनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश सम्राट को देने सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत किया। उसने इस अवसर पर एक विस्मरणीय और अत्यन्त भावपूर्ण भाषण दिया जिसमें उसने द्वेष शासन को खत्म करने के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किये। उसने कम्पनी के शासन के प्रमुख दोष उत्तरदायित्वहीनता द्वेष शासन की जटिलता एवं असुविधापूर्ण प्रणाली का दूर करने के लिए सचान्त मंडल और नियंत्रक मण्डल को तोड़ देने का प्रस्ताव किया। इसके स्थान पर एक सभापति बनाने का प्रस्ताव किया जो शासन और मंत्रिमण्डल का सदस्य हो और जिसकी सहायता के लिए एक परिषद् की व्यवस्था हो। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने पामस्टन के प्रस्ताव का विरोध किया और कम्पनी द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया। विधेयक के दूसरे वाचन के पश्चात् लॉर्ड पामस्टन को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। लॉर्ड डर्बी प्रधान मंत्री बने और मि० डिजराइली लोकसभा के नेता। नये मंत्रिमण्डल ने पामस्टन मंत्रिमण्डल की नीति का अनुसरण किया। २ अप्रैल १८५८ ई० को लोकसभा ने १४ प्रस्ताव स्वीकार किये। इनके आधार पर सरकार ने नया विधेयक प्रस्तुत किया जो २ अगस्त १८५८ ई० को राजकीय स्वीकृति प्राप्त कर सन् १८५७ का अधिनियम बन गया।

अधिनियम के उपबन्ध

अधिनियम के प्रमुख उपबन्ध निम्नलिखित थे —

(१) सन् १८५८ के अधिनियम की पहली व्यवस्था यह थी कि भारतवर्ष का शासन प्रबन्ध कम्पनी के हाथ में छोड़ लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। अधिनियम की दूसरी धारा के अनुसार यह निर्दिष्ट किया गया कि अब से भारतवर्ष का शासन साम्राज्य की ओर से उसी के नाम से होगा।^१ समस्त प्रदेशों की भाय तथा अन्य भाय साम्राज्य के लिए और उसी के अधीन सग्रहीत की जाएगी और उसका प्रयोग केवल भारत सरकार के उद्देश्यों और कार्यों की पूर्ति के लिए ही होगा।^२ गवर्नर जनरल का नाम वायसरॉय रख दिया गया और कम्पनी को सब सेनाएं ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दी गयीं।

(२) सचालक मण्डल और नियंत्रक मण्डल को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर भारत मंत्री के पद की स्थापना कर दी गयी। भारत मंत्री ब्रिटिश मंत्रिमण्डल का सदस्य होता था और वह ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत मंत्री की सहायता के लिये एक परिषद् की स्थापना की गयी जिसके

१ धारा २, १८५८ ई० का अधिनियम की धारा ५ की स्पीचिंग एण्ड होल्डिंग्स ऑफ इंडियन पब्लिशिंग प्रिंटेर्स

२ धारा २, १८५८ ई० अधिनियम की धारा ५ का उपसूक्त पुस्तक

पण्डित सदस्य थे। इसमें से कुछ सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश राज के द्वारा भारत सरकार के सदस्यों की नियुक्ति कम्पनी के सचिवों द्वारा होती तब हुई। पण्डित से कम कम से कम ६ के लिये यह आवश्यक था कि वह भारत में कम से कम दस वर्ष तक किसी भी पद पर रहे हों और अपनी नियुक्ति के समय उन्हें भारतवर्ष को छोड़ना पड़े। यह स अधिक समय न हुआ हो।^१ भारत मंत्री की अपनी परिषद् की घटकों में अध्यक्ष पद का एक करने का अधिकार था। भारत मंत्री अपनी परिषद् के सदस्यों को हटा नहीं सकता था। उनकी ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर केवल ब्रिटिश सरकार हटा सकता था। भारत मंत्री अपना कार्य परिषद् के समय से करता था। मंत्री के अतिरिक्त पर उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार था। भारत मंत्री को कुछ विषयों में अपनी परिषद् के निर्णयों के विरुद्ध अपने विवेक का प्रयोग करने की शक्ति नहीं थी किन्तु जब वह ऐसा करता था तो उसे उन कारणों को बताना पड़ता था जिनसे विरोध होकर उस अपनी परिषद् के निर्णय के विरुद्ध कार्य करना पड़ा।^२ भारतीय राष्ट्रिय नियुक्तियों भारत सरकार का और संसद द्वारा भारतीय सचिवों को ही देव करने आदि के लिए उसे अपनी परिषद् के निर्णय मानने पड़े थे। परिषद् की दृष्टि से तो एक बार होती थी तथा उसके लिए गणपूर्ति पात्र रहीं थीं। भारत मंत्री गवर्नर जनरल से आवश्यक गुप्त पत्र व्यवहार अपनी परिषद् को बताये बिना कर सकता था। वह भारतीय राजाओं के साथ किये गये अपने पत्र व्यवहार को अपनी परिषद् से गुप्त रख सकता था। भारतीय राजाओं से उमना पत्र बदलाव वापसराय के माफन ही होता था। वह वापसराय से गुप्त पत्रों को भगवा सकता था और उसे इन गुप्त पत्रों को परिषद् के सामने रखना आवश्यक नहीं था। भारत मंत्री को भारतीय नागरिक सेवा के सम्बन्ध में नये नियम बनाने का अधिकार दिया गया। भारत मंत्री और उसकी परिषद् एक नये कार्यलय का समस्त खर्च भारत सरकार को देना पड़ता था।

(३) भारतवर्ष के वायसराय और न्याय विभागों के गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सरकार को दिया गया। त्रेपि नट गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार वायसराय को दिया गया परन्तु इसके लिए ब्रिटिश सरकार की अंतिम स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था। भारत मंत्री और उसकी परिषद् को भारत में गवर्नरों की परिषद् के सदस्यों का नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया।

(४) भारत मंत्री को यह उत्तरदायित्व रखा गया कि वह प्रतिवर्ष भारत की आयदानी और खर्च का लेखा जाला ब्रिटिश संसद के सामने पेश करे। भारत मंत्री को भारत की प्रशासनिक और भौतिक प्रगति का एक प्रतिवेदन भी ब्रिटिश संसद के सामने पेश करना अनिवार्य था।^३ ब्रिटिश संसद भारतीय शासन

१ धारा ११२ ई कानूननियम कोष ए की पूर्वोक्त पृष्ठक

२ धारा ११५ ई कानूननियम कोष ए की पूर्वोक्त पृष्ठक

३ धारा ११६ ई कानूननियम कोष ए की पूर्वोक्त पृष्ठक

घोर राजस्व के बारे में भारत मंत्री से प्रश्न पूछ सकते थीं। मन्त्र भारत मंत्री के कार्यों की जासूसी कर सकती थी और उसको अपने पद से हटा सकती थी।

सन् १८५८ के अधिनियम का महत्व

सन् १८५८ के अधिनियम का सावधानिक इतिहास के विचार में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम से भारतवर्ष के शासन प्रबंध में प्रातिकारी परिवर्तन किया गया। इसके द्वारा भारतवर्ष में बम्पनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटिश सम्राट का निरन्तर शासन प्रारम्भ हुआ जो निरन्तर ६० वर्ष तक कायम रहा और सन् १९४७ में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय समाप्त हुआ। श्री गुरुमुख महाराज सिंह ने १८५८ ई० के अधिनियम के सम्बन्ध में लिखा है कि सन् १८५८ के भारतीय शासन अधिनियम बनाने में भारतीय इतिहास का एक बड़ा युग समाप्त हुआ और दूसरा बड़ा ब्रिटिश राज्य का युग आरम्भ हुआ। 'भारत में व्यापार करने के निम्ने जित्त बम्पनी का १६०० ई० से जग हुआ था प्रकृत उसका पतन हो गया किन्तु उसके अपने पतन के समय भारतवर्ष में ब्रिटिश राज को एक विशाल साम्राज्य हाथ लग गया। बम्पनी का यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य था।

इस अधिनियम को एक प्रथम मुख्य ध्यान यह थी कि इसके द्वारा इन्ड में दोहरी सरकार का अन्त हो गया। अब त्रिपक्ष मन्त्र और सचिवालय मन्त्र के स्थान पर केवल एक ही संस्था भारत मंत्री और उसकी परिषद् की स्थापना हो गयी। भारतवर्ष के गवर्नर जनरल को अब दो स्वामिदो के स्थान पर केवल एक की सेवा करना बाकी रहा। इसलिये गवर्नर जनरल की स्थिति में सुधार हो गया। सरकार बनाने में सुविधा हो गयी और देरी प्रसुविधा तथा अनिश्चितता का अन्त हो गया।

अधिनियम के दोष

इतना होने हुए भी इस अधिनियम में कुछ दोष थे। पहला दोष यह था कि भारत मंत्री उसकी परिषद् और कार्यालय का समस्त कार्य भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा जिससे भारत के राजस्व पर काफी भारी बोझ पड़ा। ऐसा करना नतिक दृष्टि से भी उचित न था। भारत मंत्री ब्रिटिश मंत्रिमन्त्र का सदस्य होता था और उसका कार्यलय भी लन्दन में ही था। ऐसी स्थिति में उसका वेतन और खर्चा ब्रिटिश राजस्व से ही लेना उचित होता। इस अधिनियम का दूसरा दोष था कि इसके द्वारा केवल इन्ड में ही भारतवर्ष की गृह सरकार में परिवर्तन किया गया। भारतवर्ष में गवर्नर जनरल और उसके शासन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारत का शासन बम्पनी के हाथ से निकालकर ब्रिटिश सरकार के हाथ में लाने से भारतवासियों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। भारत मंत्री और उसकी परिषद्,

कानून बनाने की परिपद में प्रातों का एक एक प्रतिनिधि होता था। किन्तु न तो परिपद को प्रातों की स्थिति का गहन अध्ययन ही था और न उनके पास इसके लिए समय ही था। परिपद के सन्स्यो भी भी प्रातों के बारे में कोई विचार जानकारी और अनुभव न था। इसके परिणामस्वरूप प्रातों के लिए उचित विधि विधान नहीं हो पाया था।

(४) वाइसरॉय और उसकी परिपद की शक्तियों को निश्चित करना भी आवश्यक था। गवर्नर जनरल और उसकी कानून बनाने वाली परिपद ने धीरे-धीरे अपनी शक्तियों में वृद्धि कर ली थी। वह अपने आपको एक छोटी-सी सस समझने लग गयी थी। वह भारत मंत्री और गवर्नर जनरल के मध्य गुप्त पत्र व्यवहार की भी अपने सम्मुख रखने की माग करती थी। उसने कई बार भारत मंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कानून बनाने से इंकार कर दिया। नियंत्रण मण्डल के प्रधान चांसलर ने बार-बार इन बातों का उल्लेख किया कि परिपद को इतनी सत्ता नहीं देनी गई है किन्तु परिपद ने इस सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं किया। इसलिये प्रशासकीय कार्यों में अत्यधिक कठिनाइयाँ होने लग गयी थी। विवश होकर भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वाइसरॉय लार्ड बर्निंग ने भारत मंत्री के समक्ष इस स्थिति को सुधारण के लिये प्रस्ताव रखे। फलस्वरूप ६ जून १८६१ ई. को हाऊस ऑफ कामंस में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत होने के पश्चात् १८६१ ई. का अधिनियम बना।

अधिनियम के मुख्य उपबन्ध

सन् १८६१ के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिपद में एक पाँच सन्स्य की व्यवस्था की गयी।^१ उसकी योग्यता के सम्बन्ध में यह कहा गया कि वह कानूनी अनुभव का व्यक्ति होना चाहिए। अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह अपनी कार्यकारी परिपद के प्रत्येक सदस्य को विशेष रूप से बाय बॉट द। इस प्रकार परिपद के विभिन्न सन्स्यो को अपने-अपने विभागों का उत्तरदायित्व मिल गया तथा वे अपने-अपने विभागीय कार्यों को अपनी इच्छा के अनुसार करने लग गये। महत्वपूर्ण कार्य गवर्नर-जनरल के सामने उपस्थित किये जाते थे। मतभेद उत्पन्न होने की अवस्था में सारी परिपद को उन पर विचार करना था। गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारी परिपद का कार्य चलाने के लिए नियम और विनियम बनाने के अधिकार दिये गये। गवर्नर जनरल को अपनी अनुपस्थिति में काम चलाने के लिये किसी व्यक्ति को परिपद का सभापति मनोनीत करने का अधिकार भी दिया गया। गवर्नर जनरल को कानूनी उद्देश्यों के लिये नये प्रात बनाने उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने और आवश्यकता के अनुसार वाटने का अधिकार दिया गया।

१ १९१ के अधिनियम की धारा १ के अन्तर्गत जो प्रावधान एक ही अधिनियम के अन्तर्गत थे।

उत्ते छोटे २ प्रांतों के लिये सेक्शन १ गवर्नर और विधि निर्माण के लिए विधान मण्डल स्थापित करने की शक्ति भी दी गई।

गवर्नर जनरल की वायव्यारिणी परिषद् में बानून निर्माण सम्बन्धी कार्य करने के लिये कम से कम ६ तथा अधिक्त से अधिक्त १२ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। इन्हें से कम से कम आधे सदस्यों का सरकारी हाना आवश्यक था। इन सरकारी सदस्यों की वायव्य अधिक्त कम से कम २ वर्ष रयी गयी। वायव्यारिणी विधानपरिषद् के कार्यों के केवल विधि निर्माण सम्बन्धी कार्यों की सीमा निर्धारित कर दी गयी। नावलनिक अदालत सावजनिक राजस्व भारतीय पारिक रिवाज सनिय अनुष्ठापन तथा भारतीय रियासतों के प्रति नीति प्राप्ति के सम्बन्ध में बानून प्रस्तुत करने के पूर्व गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक था। ऐसी कोई भी विधि अधिष्ठीत नहीं समझी जाती थी जो ब्रिटिश सरकार के अधिकारों का उल्लंघन करती हो जिसमें गमन द्वारा स्वीकृत विधि के लिए उपर से का उल्लंघन होता हो। विधानपरिषद् के द्वारा निर्मित बानून की प्रतिम स्वीकृति गवर्नर जनरल से प्राप्त करनी आवश्यक थी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। यह अध्यादेश ६ मास तक जारी रह सकते थे। ६ मास के पूर्व भी भारत मंत्री तथा उसकी परिषद् तथा गवर्नर जनरल की विधानपरिषद् उन्हें रद्द कर सकती थी।

इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों की पुनः विधि निर्माण की शक्ति दी गई। प्रांतीय विधानपरिषद् में एक महाभियवता तथा कम से कम चार और अधिक्त से अधिक्त आठ सदस्यों को गवर्नर की परिषद् में बताने की शक्ति दी गई। इन परिषद् का कार्य केवल बानून बनाना था। इन्हें और किसी कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। प्रांतों के द्वारा स्वीकृत अध्यादेश परिवर्तित सभी बानूनों प्रादि पर गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक थी।

अधिनियम का महत्त्व

१८६१ ई० का भारतीय परिषद् अधिनियम भारत के धार्मिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण सीमांक है। इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार का ढाचा स्थापित हुआ जो आने वाले वर्षों में भी बना रहा। भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा विधि निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ। गुरुमुख निहासिंह ने १८६१ ई० के अधिनियम के महत्त्व का उल्लेख करते हुए लिखा है इसके द्वारा गवर्नर जनरल को बानून बनाने के कार्य में भारतीयों को साथ लेने का अधिकार दिया गया। दूसरे शब्दों में एव मद्रास की विधानपरिषद् को बानून बनाने का अधिकार दिया गया और अन्य प्रांतों के लिये भी ऐसी ही व्यवस्था की गयी। इस तरह उस नीति का प्रारम्भ हुआ जिसके कारण सन् १९७७ में प्रांतों को १९३१ ई० के अधिनियम

के अनुसार भीतरी मामलों में स्वराज्य दे दिया गया।

अधिनियम के हाथ

इस अधिनियम में कुछ दोष भी थे। इस अधिनियम में भारतीय जनता को विधानमण्डल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया। चार्ल्स ब्रिज न भारतीयों की विधानपरिषदों में प्रतिनिधित्व देना धमकव करता था। किन्तु इतना जाने हुए भी भारतीय उच्चतम एवं सामान्यों का साथ मिलाना आवश्यक समझा गया। गवर्नर जनरल ने महाराजा परिवारा का स्वागत एवं उपासना के उपायों का अपनी विधान परिषद का मन्त्र नियुक्त कर दिया। किन्तु ये उपाय जनता के प्रतिनिधि नहीं थे तथा उनकी कानून बनाने में कोई भूमिका भी नहीं थी। अतः अधिनियम द्वारा भारतीयों का भारत में उत्तरदायी शासन की जो आशा थी वह पूरा नहीं हुई।

इस अधिनियम का दूसरा दोष था कि विधानपरिषद की शक्तियाँ बहुत सीमित हो गयी थीं। उस सदन की तरह काम करने का अधिकार नहीं मिला था। उनका कानून बनाने का अधिकार पर काफी सीमाएँ लगाई गयी थीं। उनका कार्य कारिणी के मन्त्रियों को शासन का अधिकार नहीं दिया गया था। गवर्नर जनरल को प्रांतीय विधानपरिषद एवं कानून परिषद के कानून पर वास्तविक अधिकार दिया गया जिससे सारा शक्ति गवर्नर जनरल के हाथ में आ गयी। इससे न केवल प्रशासकीय कार्यों में ही उसका सर्वोच्चता हो गया बल्कि कानून निर्माण के क्षेत्र में भी उसको सर्वोच्चता प्राप्त हो गयी थी। इस प्रकार भारतवर्ष में इस अधिनियम द्वारा उत्तरदायी शासन का स्थापना की जिज्ञा में बहुत कुछ भी नहीं किया गया।



को हाथ नहीं लगायेगा साहित्य हमने प्रतिज्ञा की है और हम उसे कभी भंग नहीं करेंगे शातनाथो की हम तनिक भी परवाह नहीं है हमारे नाथ फिर कभी नील नहीं जाएंगे।

किसानों को मफ़लता मिली। सरकार ने किसानों की दंगा सुधारने की दिशा में कुछ प्रयास किये।

सन् १७२ एव सन् १८७५ के मध्य पबना में भी दंगे हुए। भारतीय जमींदारों ने जब अधिक कर भार नाद दिया तो किसानों ने सगठित होकर उनका विरोध करना आरम्भ कर दिया। फ़नस्वरूप सरकार ने सन् १८८५ में बंगाल टेनेसी अधिनियम पारित कर किसानों की दंगा सुधारने की ओर सक्रिय कदम उठाये।

(२) सघानों के विद्रोह

१६ वीं सदी के उत्तरार्ध में सघाना ने कई विद्रोह किये। सघाल सरल प्रकृति के आदिवासी थे जिन्होंने अनेक कठिनायों को उठाकर बारासी जमीन को आबाद किया था। गन गन यूरोपीयन बंगाली और महाजन जमांदारा न वहाँ अपने पाव फलाने शुरू किये। सघाना को धमक नाम पर उकसाया जाने लगा। खेतीहरो ने अधिक कर वसूल किया जाने लगा। जब अत्याचार अपनी सीमा से अधिक बढ़ गये तो सन् १८११ में सघालों ने झूठठ होकर रजा की धमकी दी परंतु सरकारी प्रयत्नों से इस प्रवृत्ति को रोक दिया गया। अग्रज जमींदारों ने तीन बघ के आंदोलन ही अपनी भाग १२ हजार से बढ़ाकर ६ हजार कर दी परंतु सरकार के कहने पर उसको घटाकर ४ हजार कर दिया। सन् १८७१ में परिस्थितियों में और भी बिगड़ आ गया। सन् १८७१ से सन् १८७५ तक सघालों के रोष के चिह्न प्रकट हुए। भारत आंदोलन इन में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। बिगेट के राष्ट्र भ्रष्ट ने स्वयं कहा था शुभधरी ! जब राज और भूमि सघाना की सम्पत्ति होगी तब अधिकारिक कर आठ आने प्रति हल निर्धारित होगा। बंगाल के मुन्साफ़ ने लिखा था कि ध्यान दिया जाय कि भारत आंदोलन का धार्मिक आरम्भ था या नही किन्तु आरम्भ से ही इसके साथ अनुचित आचरण की राजनीतिक भावनाओं का संबंध अवश्य रहा है।

() दक्कन के विद्रोह

सन् १८७ से सन् १७५ तक दक्कन में भी किसान आंदोलन हुए। यह आंदोलन साहूकारों के विरुद्ध था। गावा की प्रजा राज की शिकार थी। खेडा के जिलाधीश ने बताया कि सरकारी जमीन के ५ कृषकों में से ७५ कृषक शरण के शिकार थे। सरकार ने इस समस्या की सब अवहेलना की थी। दक्कन की प्रजा भी अधिक कर भार और 'पाया'य की आवश्यकता से दुखी थी। वस्तुतः

प्रत्येक गांव के किसान साहूकारों और कचहरियों की डिप्रियों से खिन्न थे। दक्कन के विप्लवकारियों ने कानून अपने हाथ में लेकर दगा का सूत्रपात किया। पूना जिला इसका मुख्य केन्द्र था। १५६ व्यक्ति वहाँ गिरफ्तार किये गये। साहूकारों के बहीखातों का जलान का साथ साथ मारपीट भी की गयी। आन्दोलन का स्वरूप 'यापक' था और आन्दोलनकारियों में पूर्ण सगठन था।

(४) कूका आन्दोलन

कूका आन्दोलन के संस्थापक गुरु रामसिंह थे। उन्होंने सन् १८५७ में सुधियाना जिले में अपना धर्म प्रचार कार्य प्रारम्भ किया। उन्होंने निम्न सिद्धांतों का प्रचार किया—

- १ प्रातःकाल भजन सध्या गौरक्षा प्रतिवि-सत्कार और यज्ञ, होम आदि करना।
- २ माम शराब भूठ धमड चोरी और सूद की कमाई का त्याग करना।
- ३ बालिका-वध न करना और न ही धन लेकर छोटी आयु की लड़की को वृद्ध पुरुष से विवाह करने की अनुमति देना।
- ४ विधवा विवाह की स्वतंत्रता।
- ५ भोगेजो की नोकरी योगाक न्यायानयो तथा डाकघरा का बहिष्कार।
- ६ विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग।
- ७ एसी विधियों का विरोध करना जो आत्माद्वार के विच्छेद हो।
- ८ अपनी पंचायतों द्वारा ही अपने भगदों का फसता करना।

गुरु रामसिंह के शिष्य नामधारी सिवख या कूका कहलाते हैं। क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले धर्म जो के विरुद्ध कूका या आवाज उठायी। मन्त्री गांव उनका मुख्य कार्यालय था। उनके अनुयायियों में जाट साती चमार मजहबी सिख और कुछ हिन्दू थे। कूका पपी इकट्ठ होकर चड़ीपाठ करते थे। वे पवित्र अग्नि के सामने बैठकर भजन गीत गाने थे। वे जाति प्रथा के विरोधी थे। कूका गुरु स्वयं अत्यन्त सदा मरन और पवित्र जीवन व्यतीत करते थे।

सरकार गुरु रामसिंह के बढ़ते हुए प्रभाव के प्रति सदिग्ध हो गयी और उन्हें उनके गांव मन्त्री में जाकर बंद कर दिया। इससे उनकी ख्याति और प्रतिष्ठा में वृद्धि ही हुई। सरकार ने कूका लोग पर भी अमानुषिक आचाराए किये और अनेक कूका लोगो को जेलों में ठूस दिया परन्तु सरकार के इस दमन चक्र के बावजूद कूका लोगो की शक्ति कम न हुई। सन् १८७१ में कूका लोगो ने अपनी गतिविधियों के कार्य क्षेत्र में वृद्धि की। उन्होंने नेपाल काश्मीर भूटान और काबुल के शामका से मित्रता स्थापित कर ली।

कूका लोगो और सरकार के बीच असली मध्य तब प्रारम्भ हुआ, जब सरकार ने गाय वध सम्बन्धी नीति का अनुसरण किया। ब्रिटिश सरकार ने पञ्जाब

मजदूर कुचखाना की स्थापना की ओर काफी मात्रा में गतिमान हुआ। इससे मजदूर मुक्ति के जनता में काफी रोचक पड़ गया। कुचों में बंटा को मुक्ति का कार्य प्रारम्भ कर दिया। बंटा छुटाने के प्रयास में १४ नवम्बर १९३१ ई. को बंटा का फाँसी पर लटका दिया गया। पाँच कुचों को रायब्राह्मण और मुचियाणा में फाँसी का दण्ड दिया गया। मजदूरकाटना में भी बंटा न मरवा दिया। तत्पश्चात् मजदूरों के दुःख में मरवा दिया। १५ जनवरी १९३२ ई. को बंटा मजदूरकोटला के दुःख पर आक्रमण किया जिसमें आठ व्यक्ति हताहत हुए। १७ जनवरी १९३२ ई. को मुचियाणा के कमिश्नर का आना से ४ बंटा का बंधक सात लोगों के नामों से लिया गया। कुचों में आग पाठ करने के बजाय सीमा किया और कहा 'धीरे धीरे मृत्यु के आग पीने नहीं लिये। स नश्वर हत्याकाण्ड की भारी दण्ड में नीपण प्रतिपादित। बंटा का पर सरकारी प्रयाचार और अतिवृत्त बन गया। गुप्त रामसिंह के उनक ११ अर्थ नामधारिया को बंटा बनाकर दण्ड से निवामित कर रगुत न जाकर बंटा कर दिया गया। कुचों में अपने गुप्त रामसिंह से सम्बन्ध स्थापित करने के अन्त प्रयत्न किए परन्तु ये अमफत हो रहे। गुप्त रामसिंह के जीवन के अन्तिम दिन बंटा कष्टमय बान। बंटा मृत्यु २६ नवम्बर १९३५ ई. को हुई थी।

नामधारिया के साथ अग्रता न अग्रता कठोर व्यवहार किया। यह स्थिति सन् १९३५ तक चली रही। राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के बाद नामधारी सिक्कों में कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना जारी रखा। मरवा के दौरान कुचों में अपने गुप्त रामसिंह का पूज्य रूप से पालन किया। उन्होंने सरकारी नौकरिया की परवाह नहीं की। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के समय विदेशी वस्तुओं का पूरा बहिष्कार जारी रखा और विदेशी व्यापारियों की सर्वोपरिता को स्वीकार करने से अस्वीकार कर दिया। वे राष्ट्रीय प्रस्ताव न देशभक्तों को श्रद्धाजति अर्पित करने का दिशा था कि गुप्त रामसिंह धर्म का भा आजादी का एक आवश्यक अर्थ मानते थे। नामधारियों का संगठन अत्यन्त शक्तिशाली हो गया था। महात्मा गांधी न हमारे देश में जिस अग्रहारा आन्दोलन का सूत्रपात किया उसका मूल या नाव अथ कुच-मरवा में दखा जा सकता है। अग्रहारा आन्दोलन में भा पाच बातों पर ही मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था

- १ सरकारी नौकरियों का बहिष्कार।
- २ सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार।
- विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार।
- ४ सरकारी समाजों का बहिष्कार।
- ५ एसी विधियों को मानने से अस्वीकार जो आत्मा की आवाज के विरुद्ध हों।

(५) बनीठला विद्रोह

बनीठला एक गाँव था। उनक अनुयायियों ने सन् १९३७ के स्वतंत्रता-संग्राम में सूत्रपात किया था तथा मरवा का विद्रोह का पश्चात् भी वे

कारिगारों का मजदूरी का उद्धार करना तथा बंगाल के आवासीय की
 सेवा करना। ब्रिटिश भारतीय सरकार ने मना कर देना पर हम विरोध का दवा
 दिया।

(६) महाराष्ट्र में कारिगारों का आन्दोलन

महाराष्ट्र के बामुम्बई बन्दरगाह फ़ैक्ट में कारिगारों का आरम्भ किया।
 मई १८६६ में पुना में भयंकर आन्दोलन हुआ। इसमें अमर्ष्य प्रति मास गये सिन्धु
 सरकार ने गान्धेयों का काम नही किया। अतः बामुम्बई बन्दरगाह फ़ैक्ट
 के मजदूरों का आवासीय सेवा और उद्योग मरहारी नौकरी छाड़कर कारिगारों की
 विविधता का मूखपाठ करने के लिए कारिगारों के दल का मजदूर शिवा और अग्रजा के
 विरोध कायबाही आरम्भ की। अग्रजा ने इस आन्दोलन का विरोध कर
 दिया और उस पर अनेक अर्थोपचार उपायों का आग्रह किया। आवासीय
 के सम्मुख श्री फ़ैक्ट के नये दस्तावेजों के अन्तर्गत उक्त उद्देश्य स्पष्ट रूप से उजागर
 हुए हैं। उन्होंने कहा भारतीय आजीविका के लिए परेशान हैं। अग्रजा सरकार
ने जनता की सेवा अर्थोपचार किया है कि वह सर्वोत्तम और आवासीय मजदूरों
को पालन देता है। अतः परतंत्रता की अपेक्षा मजदूरों को सम्मान देना है। यदि म
जदूर हटा जाता तो एक मजदूर काय कर डालता। मजदूरों के लिए पचास प्रति
शततः भारत में गणराज्य की स्थापना कर। मैंने अपने भाषणों में अनेक बार जनता
को बताया कि उनका आवासीय अग्रजा का इत्यादि करने में है। किन्तु शासक मजदूर
पूछनेवाला नष्ट कर देंगे। मैं भारत के नागरिकों में दधीचि शक्ति का तरह क्यों न
बुद्धि देऊँ। यदि हम विरोध द्वारा मैं अपने दण्डाधिया का परतंत्रता नष्ट
करने और स्वतंत्रता पाने में सक्षमता कर पाता हूँ तो मजदूरों के लिए प्रथम
स्वाभाविकी। आवासीय मजदूरों का दल विवाह का दण्ड दिया। मजदूर
के उक्त आन्दोलन की शक्ति में भंग किया गया अग्रजा की ओर आवासीय के परिणाम
 अक्टूबर १८८० में अन्तका दण्ड हो गया।

भारत में राष्ट्रीयता का उदय

प्रवेश

१९ वां सदा भारतीय नवजागरण की सन्धि थी। इस युग में अभूतपूर्व राष्ट्रीय जागृति हुई। राष्ट्रीय जागृति का उदभव किसी एक निश्चित कारण या किसी निश्चित विधि का परिणाम नहीं था। इसके उदभव एवं विकास में धार्मिक, राजनैतिक, धार्मिक-सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक तत्वों का विशेष योग रहा है। डा. रघुवनी एवं लाल बहादुर ने इस सम्बन्ध में 'राष्ट्रीय विकास एवं भारतीय सविमान' में लिखा है— 'यह भारतीय नवजागरण का काल था। राजा राममोहन राय इस नवयुग के प्रणेता थे। इनके वा. भारतीय गिनिन वर्ग में अज्ञेयों की साहित्य और विचार धारा का प्रचार एवं प्रसार बना। अज्ञेय विद्वानों ने भी भारतीय साहित्य और संस्कृति की खोज करके भारतीय विद्वानों में उनकी प्राचीन महत्ता और संस्कृति की प्रति अनुराग एवं प्रशंसा की लक्ष्य पदा की। परिणामस्वरूप देश में नई जागृति की चिह्न और प्रगतिवादी विचारों की प्रेरणा मिली। धार्मिक सुधार आन्दोलन ने भी राष्ट्रीय आत्म सम्मान व दान भक्ति की भावनाएँ उपभूत की। जिसका प्रगट रूप हमें राजनैतिक आन्दोलन में दिखाई पड़ता है। विदेशी शासन और विदेशी सभ्यता के प्रगतिशील तत्वों ने देश में नई राष्ट्रीय चेतना और स्वाधीनता की भावना का जन्म दिया। साथ ही साथ विदेशी शासन की प्रतिश्रियावादी दमन और गोपण नीतियों ने हमारी इस चेतना को उभर दिशा की ओर मोड़ा जिसका लक्ष्य अनिवाय रूप में राष्ट्रीय आन्दोलन था। राष्ट्रीय जागृति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं—

(१) सामाजिक एवं धार्मिक आन्दोलन

राष्ट्रीय जागृति का एक प्रमुख कारण भारत में १९ वां सन्धि में हुए धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आन्दोलन है। राजा राममोहन राय रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानन्द स्वामी दयानन्द केशव चन्द्र सेन श्रीमती ऐनीबिसेट सर सयद अहमद खाँ धार्मिक सज्जान न भारतीय राष्ट्रीय जागरण में अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से महत्वपूर्ण योग दिया। इन महापुरुषों के कार्यों के फलस्वरूप १९ वीं शताब्दी में भारत में धर्म-सुधार और सामाजिक-सुधार

की एक सहर बन रही। इस गतावनी में हुए बड़ा समाज प्रायः समाज प्रायः समाज कहावी मादि धर्म एवं समाज-सुधार का जीवनो ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का स्वरूप ही बन गया। इन प्रादोतों के कारण भारतीयों में अपने धर्म की सुधारने और सुगति को दूर करने की भावना उत्पन्न हुई तथा उनमें अपनी सभ्यता और संस्कृति की उन्नति की भावना जागृत हुई। अपनी संस्कृति और सभ्यता की श्रेष्ठता की जानकारी ने उनके मन में स्वाभाविक रूप से इस विचारणा को उत्पन्न किया कि वे परतप क्यों हैं? इस विचारणा में भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। १९वीं गतावनी में भारत में हुए धर्म सुधार और सामाजिक सुधार का जीवन का भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर इतना गायक और गहरा प्रभाव पड़ा कि धर्म सुधार और सामाजिक सुधार का कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के ही धर्म बन गए।

(२) राजनितिक एतता की स्थापना—

ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने भारत को राजनितिक दृष्टि में एकता प्रदान की। ब्रिटिश शासन की स्थापना के पूर्व भारतवर्ष में व छोटे-छोटे राज्यों में बसा रहा था। सम्पूर्ण देश में राजनितिक एकता का अभाव रहा। अंग्रेजों के पूर्व मुगल बादशाहों ने भारतवर्ष को एक राजनितिक सूत्र में एकत्रित करने का प्रयत्न किया था किन्तु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी। मुगल साम्राज्य के पतन के पचास राजनितिक दृष्टि में भारतवर्ष कई भागों में विभक्त हो गया था। अंग्रेजों ने भारत की राजनितिक स्थिति का लाभ उठा कर देशी राजाओं महाराजाओं नयायो आदि को परास्त कर कश्मीर से लेकर बंगालापुरी तक और बामरूप से लेकर बंगालिस्तान तक सम्पूर्ण भारतवर्ष को अंग्रेजों शासन के अधीन एक राजनितिक सूत्र में बांध दिया। सम्पूर्ण ब्रिटिश भारतवर्ष में एक ही समाज प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई। एकस्वरूप देश में राजनितिक एक प्रशासनिक एकता की स्थापना हुई। प्रा. मून ने ठीक ही लिखा है 'ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रभावताओं के बावजूद भारत को एक तीसरे दल के अधीन राजनितिक एकता प्रदात की। इस राजनितिक एतता में भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना का जन्म दिया जो अविष्य में राजनितिक एकता का आधार बन गई। इस राजनितिक एतता का परिणाम यह हुआ कि स्थानीय निति का स्थान सम्पूर्ण देश के प्रति भक्ति ने ले लिया। इस सम्बन्ध में श्री नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है 'ब्रिटिश प्रशासन द्वारा स्थापित भारत की राजनितिक एकता यद्यपि सामान्य दासता की एकता थी किन्तु उसने सामान्य राष्ट्रीयता की एकता को जन्म दिया।'

(३) अंग्रेजों शिक्षा एवं गार्हित्य—

सन् १८१३ के शासन अधिनियम द्वारा भारतवर्ष में अंग्रेजी शिक्षा प्रारम्भ करने का प्रावधान किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा प्रारम्भ किए जाने का उद्देश्य यह था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पूरा रूप से नष्ट हो जाय और एक ऐसे

वर्ग की स्थापना हा जो रक्त और बण स ता भारतीय हा किन्तु रचि विचार भाषा आदि न यज्ञ हो । यज्ञ बहुत सीमा तक इस मनोरथ म सफन हुए । भारतवप मे मस यक्तिया के वर्ग की स्थापना हाी प्रारम हो गई जो प्राचीन सम्यता और सस्कृति को द्वेष अट्टि मे देखने लगे आर अपने आपको पाचाय सभ्यता और सस्कृति मे जानने लगे ।

लकिन सत्वा दूसरा पक्ष भी था । अग्रजी माहिप स्वतन्त्रता की भावना मे प्रोत प्रोत था अन उसके द्वारा भारतीय नवयुवको मे राष्ट्रीयता व स्वतन्त्रता की भावना जागृत होने लगी । पश्चिमी शिक्षा भारतीयों को स्वतन्त्रता और राष्ट्रीयता के पश्चिमी सिद्धांतों के सम्पर्क मे ले आयी । ता रोनाल्डो वा कथन है कि 'पश्चिमी शिक्षा की नवीन मदिरा भारतीय युवकों के मस्तिष्क म पहुँची । उन्होंने पौमोवी शान्ति अमेरिकी स्वतन्त्रता युद्ध आयरिंग ह्यू गामन आन्दोलन के रूप में बहने वाली स्वतन्त्रता मति का स्वास्वादन किया । गनी वासन आदि कविता के शीतों ने उह स्फूर्ति प्रदान की । मिल स्पेसर आदि दार्शनिको न उह प्रकाश दिया और गरीबाधी मेजिनी तथा जाज वाशिंगटन आदि दश भक्तो न उनका पथ प्रदान किया । रामन मकनोल ने कहा है—'एसर का यक्तिवा और ता मोनों का उदारवाद ही मेसी दो मशीनगन हैं जिह् भारत ने हमसे छीन लिया है एवं जिनका प्रयोग वह हमारे ही विरुद्ध कर रहा है । अग्रजी शिक्षा के पश्चिमस्वरूप भारतीय नौजवानों म देश की वर्तमान राजनीति से असन्तोष व्यक्त हुआ और व प्रशमन म सुधार करने की माग करने लगे । उनके सकीण विचारो मे परिवर्तन आया तथा उनका दृष्टिकोण यापक हो गया । अग्रजी शिक्षा पाए हुए नवयुवक भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के यौद्धिक नेता बन गए । राष्ट्रीयता के योनिवा न दानाभाई नौराजी गोपालकृष्ण गाखल योमेशच बनर्जी आदि अग्रजी शिक्षा का ही दन थ ।

अग्रजी भाषा क प्रसार न दशम राष्ट्रीय एकता की स्थापना म महान योग दिया । विभिन्न भाषाओ के योजन वाले लोगो को अग्रजी भाषा व रूप म सम्पूर्ण भारतवप के यक्तियो से पारम्परिक विचार विनिमय करने का एक साधन प्राप्त हा गया जिसके पश्चिमस्वरूप भारतवासी एक-दूसरे क निरुद सम्पर्क म आ गए । अग्रजी भाषा न भारतीयो को एक मंच पर लाने सामान्य समस्याधा पर विचार करने और काय करने की सामान्य याचना क निर्माण के लिए पथ प्रशस्त किया । सर हेनरी वाटन ने 'म सम्बन्ध म लिखा है य कवन शिक्षा विनोपत पाचाय शिक्षा का परिणाम है कि विविधता मे नग भारतवप एकता के सूत्र न बंध सका । विभिन्न भाषाओ के हात एकता क कोई दूसरा सूत्र नहा था । सधेप म पाचाय शिक्षा और पाचाय सम्पर्क ने उ यिमान भारतीय राष्ट्रीयता का नवजीवन प्रदान किया तथा ता मकाले की 'म कचना को साकार कर दिया जिसमे उधने कामना की थी कि अग्रजी इतिहास में व नव का दिन होगा जब पाचाय ज्ञान मे शिक्षित होकर भारतीय पारचाय सस्याधा की भाग बनेगे ।

अनेक भारतीय विद्वानों ने भी प्रथम ही गिना एवं परिचय से सम्बन्ध के महत्व का स्वीकार किया है। डा० जगदिया ने गिना है कि अग्रजात सन् १८५३ में अग्रजी शिक्षा का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया जा उससे अधिकांश हितकर और कां काय उद्दाने भारतवर्ष में नहीं किया। स्वी द्वाय टगोर ने गिना है अग्रजी गेत्तव की रचनाएं मानव प्रेम काय तथा स्वतंत्रता की भावनाओं में परिपूर्ण थी। उनके प्रथम स ह्म कां वि युग से बढ़ाने कागी महार गार्हित्य परम्परा का गा हुभा। व संभव की मानव स्वतंत्रता सम्पत्ती कविताओं में ह्मको स कति का आभास प्राप्त हुआ। शरी की कुछ रचनाओं में ह्म भयना की भावना प्राप्त हुई। स रचनाओं में भारतीयों की कल्पना को उत्तम जित किया। ह्म विश्वास हा गया कि विदेशी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह के लिए विषम का सहयोग आवश्यक है। ह्मने अनुभव किया कि ह्म भी स्वतंत्रता के प्रान पर ह्मारे साथ है। तीष में अग्रजी गिना एवं वि कमी गार्हित्य ह्मारे राष्ट्रीय जागृति के महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुए।

(४) ऐतिहासिक अनुसंधान—

भारतीय एवं पश्चिमी विद्वानों के शोध कार्यों का राष्ट्रीय जागृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। मेक्समूजर कीय आदि पश्चिमी विद्वानों ने प्राचीन साहित्य एवं और संहिताओं में सम्बन्ध में शोधकाय किया और भारतीयों के सम्मुख उनके राजनितिक सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास का ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जा किसी भी रूप में समकालीन यारोविचन सम्प्रदायों से विद्वान नहीं था। इन अनुसंधानों के परिणामस्वरूप भारत की प्राचीन आध्यात्मिक श्रद्धा और दक्षिणमार्ग सम्प्रदायों का चित्त भारतीयों के सम्मुख आया। इन उनके मन में अपनी प्राचीन सम्प्रदायों और संहिताओं के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न हुई। श्री मजूमदार ने टीका ही गिना है यह गौरव भारतीयों के हृदय में बेतना उत्पन्न करने में अक्षय नहीं हो सकनी की जिनके परिणामस्वरूप उनके हृदय राष्ट्रीयता की भावना और तीव्र शक्ति में भर गए। इन विद्वानों की रचनाओं में पश्चिमी दुनिया की अपेक्षा भारत की ही महत्ति भाषा की सम्प्रदाय भारतीय साहित्य के ऐतिहासिक तथा गार्हित्य महत्व के दर्शन हुए। रानाड प्रथमार्ग भण्यारकर राजद्रोहान मित्र आदि भारतीयों ने भी स गिना में महत्वपूर्ण काय किया।

(५) भारतीय प्रेम तथा साहित्य का प्रभाव—

भारतीय प्रेम समाचार पत्र तथा साहित्य ने भी राष्ट्रीय जागृति में सम्प्रदाय में एक महत्वपूर्ण सत्व का काय किया है। १८५७ ई० में पश्चात् भारतीय पत्रकारिता और साहित्य का तीव्र गति में विश्वास हुआ। कहा जाता है कि १८७ ई तक भारतवर्ष में ६४४ समाचार पत्र हो गए थे जिनमें में पार ती से अधिकांश दश भाषाओं में थे। कलियुक्त में अनुसार सन् १८७७ में देगी भाषाओं में सम्प्रदाय विभाग और उत्तर भारत से ६२ वगान से २८ और दक्षिण भारत में २ समाचार पत्र प्रकाशित हात थे जिनके नियमित पाठकों की संख्या एक लाख

से प्रेरित थी। पत्रों ने शिथिल भारतीयों में दश प्रथम और राष्ट्रीयता की भावनाओं को जगाया तथा ब्रिटिश साम्राज्य की बुराई का भंडाफो किया। प्रभूत बाजार पत्रिका ट्रिब्यून इंडियन मिरर हिंदू वार्क समाचार केसरी समाचार दैनिक प्रान्ति पत्र जनता में प्रगति उन्नत कर रहे थे। समाचार पत्रों के अनिच्छित राष्ट्रीय भावनाओं को जगान में साहित्यकारों ने भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्यकारों ने नाटकों उपवासों चिठ्ठों आदि क माध्यम द्वारा भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का भरोसा व्यक्त किया। श्री वकिमचण्ड चटर्जी द्वारा रचित 'आनन्दमठ' का प्रथम का प्रथम है। उसे कानिक्वारियों की बाइबल कहा जाता है। रवीन्द्रनाथ टागोर और श्री एल राय की कविताओं गीता व सगीत न राष्ट्रीय साहित्य को पर्याप्त सामग्री प्रदान की। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा और दीनानाथ पु द्वारा रचित नीलदण्ड ने भारतीयों का स्वदेश प्रथम की धारणा सुनाई। भारत बाबू की रचनाओं न प्राचीन भारत के गौरव को प्रशंसित किया तथा भविष्य को उज्ज्वल बनाने की प्रेरणा दी। चिपलूणकर ने मराठी में व भांगी न तमिल में राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण प्रकृत साहित्य की रचना कर भारतवासियों के हृदय में राष्ट्रीय जागृति की तीव्र उमंग उत्पन्न कर दी।

(६) आर्थिक शोषण—

प्रथम जूजीयतियों के हितार्थ ब्रिटिश सरकार ने मुक्त बाजार की नीति अपनाई। भारत के बने हुए मान पर उपजड़ में घाघान पर भारी कर लगा दिया। इस विमाना समान पवना से भारत के हस्त उद्योग नष्ट हो गए। हारिस बिसन ने लिखा है "वे भी और मानचेस्टर के कारखाने भारत के स्वतंत्र उद्योगों को बर्नदान करके बनाए गए। प्रथमों की आर्थिक नीति भारतवर्ष के लिए अत्यन्त बुरी सिद्ध हुई। भारत का घन विदेशों को जाने लगा। दण्ड में प्रथम कर कारी फनन लगी तथा निधनता बढ़ने लगी। सर विलियम डारवी ने भारत की आर्थिक दण्ड का चित्रण इन शब्दों में किया करीब १ करोड़ मनुष्य भारत में ऐसे हैं जिन्हें किसी समय भी पत्र भर धन नहीं मिल सकता। ऐसे पतन का दूरारा १८५५ इस समय किसी समय और उन्नतिशील देश में की पर भी सिद्ध नहीं देना। ड्यूक आफ आरामो न लिखा भारत की जनता में दरिद्रता है। रहन सहन का स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। उपहास प्रत्यक्ष की नहीं मिनता है। दश में कृषि की प्रथम्य भी प्रदी नहीं थी। मिर्चा का भी प्रथम्य नहीं थी। दुर्मिण और सूख प्रथम्य प्रथम्य थी। भारतीय गामन भी बड़ा खर्चीला था। मन का प्रथम्य बहुत था। प्रथम्य प्रथम्य प्रथम्य का घन घातर चला जा रहा था। आर्थिक शोषण की नीति का भारतीय प्रथम्य भारत ३ हरिश्चन्द्र न बड़े रोचक शब्दों में बणन किया है—

प्रथम्य राज सुत मान सजे महा भारी ।
 प्रथम्य विने प्रथम्य प्रथम्य है दुःख भारी ॥

विश्विन बना की दगा सराब होनी ना रही थी। उनके लिए नबी नौकरी क द्वारा बना प। छोटा नौकरी का वेतन बहुत कम था। नौकरियों में भारतवासियों के साथ भेदभाव का व्यवहार होता था। इन सब बातों से भारतीय जनता में असन्तोष व रोष बना और ये सरकार की आलोचना करने लग। उनमें यह भावना फलने लगी कि सब दुर्गों का वारसा ब्रिटिश सामन है एव यदि हम प्रजे को महा से निकाल लिया जाए तो हम सहहाल हा सकता है। रघुसिंहल सिंह ने इस सम्बन्ध में टाक ही लिख है इस तथ्य को सम्बोधित नहीं किया जा सकता कि दंग की दिग्गती आर्थिक दंगा तथा सरकार की राष्ट्र विरोधी आर्थिक नीति और प्रजे व विरोधी विचारों का राष्ट्रीय भावनाओं को जगान में काफी हाथ था। इस तथ्य को गर्ट ने भी स्वीकार किया है। वह लिखत हैं सरकार की राष्ट्र विरोधी आर्थिक नीति तथा भारतीयों को बड़े पैमाने से वंचित रखने की नीति ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों की भावनाओं को भूतकाया और राष्ट्रवादी को जन्म दिया।" सन्धे में भारतीयों ने इस सत्य का समर्थन लिया था कि उनकी इस हीन स्थिति का दोष विदेशी शासन पर है और उसका अन्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(७) लाड लिटन का दमनकारी शासन —

लाड लिटन का अत्यायुक्त शासन भी राष्ट्रीय जागृति का एक कारण था। कमा कमी दुर शासन भी राजनतिक प्रगति के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं, इस उक्ति को लाड लिटन ने भारतवर्ष में अपने शासन से चर्चित किया। उसने अपनी अत्यायुक्त एव साम्राज्यवादी नीतियाँ के परिणामस्वरूप शिक्षित भारतीयों में उम सीमा तक नए जीवन की लहर फूट दी जो वर्षों तक के आंदोलन से भी सम्भव नहीं हो पाती। उसके शासन-काल में १८७६ ई में भारतीय लोक सेवा में सम्मिलित हान की मांग २१ वष से घटाकर १६ वष कर दी गई। परिणामस्वरूप भारतीयों के लिए प्रतिद्वन्द्वी परीक्षा में सम्मिलित होना अत्यन्त कठिन हो गया। इससे भारतीयों में काफी रोष फला। लाड लिटन ने जनवरी १८७७ ई में एक मन्त्र शाही दरबार का आयोजन किया था जिसमें महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की थी। इस दरबार में धन का काफी प्रपञ्च हुआ था। एशिया भारत में उस समय भीषण मकाल प रहा था। इसमें काफी सस्या में लाख मृत्यु का प्राण बन रहे थे।

ब्रिटिश सरकार ने लोगों को मकाल से बचान के लिए बहुत कम सहायता दी। इसलिए कलकत्ता के एक पत्रकार ने लिनी दरबार की आलोचना करते हुए लिखा कि जब रोम में आष लग रही थी तब नीरो बापुरी बजा रहा था। वायसराय की स्वेच्छाचारिता ने सुरेन्द्रनाथ बनर्जी में सरकार विरोधी भावनाएँ जागृत की। उन्होंने सोचा यदि एक स्वेच्छाचारी वायसराय की प्रशंसा के लिए देश के राजा तथा समोर उमरावों को एकत्रित किया जा सकता है तो देशवासियों को वायसराय के स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए क्यों नहीं संगठित किया जा

मन्ता। दक्षिण कायम ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के प्रति अपनाई गई उदासीन नीति के फलस्वरूप भारतीयों में अग्रजी शासन के प्रति घृणा का भाव पैदा हुआ और उनमें अत्याय के विरुद्ध आशुनि की तहूर दौड़ गई। उसी काल में जबकि भारतीय जनता भ्रम में तन्प रूहा था भारतवर्ष में इंग्लैंड का अस्मी गान्ध टन अग्र का निर्घात किया गया। यह दृश्य भारतीयों के लिए असहनीय था। उनमें अमन्तोप फला और व अग्र्याय के विरुद्ध जाग उठ। गान्ध टन का अग्रगानिस्तान का नीति में भी भारतीयों में असह्य की वृद्धि हुई। गान्ध टन ने ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का अनुकरण करते हुए अग्रगानिस्तान का अग्रम अग्रधान करने के लिए कर्म किया। उसने अग्रगानिस्तान पर आक्रमण किया। युद्ध में भारत को कोई नाम नही म्हा उनटा काफी अग्र म्हा। भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति पहले ही गौचनीय थी अग्र अग्रगानिस्तान युद्ध का २ करोड़ स्तर्निग का खर्च भारतीय जनता में ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध असह्य फलाने में अग्रधिक सहायक सिद्ध हुआ।

इसके साथ ही गान्ध टन में अग्रम वृद्ध अग्र निरकुग कायममा को आराचना स बचाने के लिए वृद्ध अग्रुचिन कर्म भी उगाए। उनने भारतीय अग्र अग्रधिनियम स्वीकृत किया जिसके द्वारा भारतीयों का अग्र गान्ध टन के अग्र रणन की मन्ताही करदी गई। अग्र अग्रधिनियम को यूरोपीय जातियां पर लागू नग किया गया। भारतीयों में अग्र काय का वडा अग्रमा अग्रम समभा। म् १८७८ में उसने वनाकूलर अग्र अग्रधिनियम पारित किया जिसका उद्देश्य अग्र की स्वतन्त्रता का समाप्न कर देना था। गान्ध टन के अग्र काय न ममस्त दग में विराय की तहूर पदा कर ।। लान् लिगन न ठपरोवन अग्रिय अग्र गान्ध टन कायों न ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय जाता में अग्र अग्रताप आशुन कर म्हा। सर विनियम वटरवन ने सब ही कहा था गान्ध टन के शासन काल के अग्र में अग्रि विगाह की सीमा तन पहुँच गई थी। गान्ध टन न कपास सीमा गुक की भी समाप्ति कर दी जिससे भारतीय काय का काफी हानि पहुँची। अग्र अग्र स भारतवायों के मस्तिष्क में यह विचार जागत गया कि लान् लिगन के हृदय में भारतीयों के प्रति काँ महानभूति नग है।

(८) अग्रवट विन सम्बन्धन विवाह—

गान्ध टन के पूर्व अग्र अग्र अग्रराधियों में सम्बन्धन फौजदारा मानन कवल यूरोपाय आयाधीन ही मून मकन थ और निलय दे सकत थ। इय विभे को हटाने के लिए तथा आय अग्रवस्था में अग्रपता नाकर विधि विदित शासन स्थापित करन के लिए गान्ध टन के शासन काल में एक विधयक पारित कराने का अग्रमन किया गया। १८८३ में गान्ध टन का परिपद् के विधि सन्स्य मि अग्रवट न परिपद् में अग्र विधयक अग्रनुन किया जिसका उद्देश्य भारतीय आयाधीनता का भी यूरोपायन अग्रराधियों के मुकाम मन्ने का अग्रिकार देना था।

है भारतीयों ने यह अनुभव किया कि यदि राजनीति प्रगति करनी है तो उसे बचन एव राष्ट्रीय मना से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस सभा का सम्बन्ध विभिन्न प्रांतों के स्वतंत्र राजनीति से न होकर देश की एक-यापक राजनीति से जोना चाहिए। अंग्रेजों की इस नीति का विरोध करने के लिए ही मुरे नाथ बनर्जी ने ८ दिसम्बर १८९१ से ३ दिसम्बर १८९३ तक बनरगा - इन्डिया हाल में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रायोजन किया था। गुरुमुख निहालसिंह ने इस सम्मेलन में लिखा है - इन्डिया विन्डियस का सम्बन्ध न घाल भारतीय प्रायोजन इनकी सकीलता तथा स्वायत्तता जाति विषय और शासन वगैरे अभिमान की नींव पर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना हुई।

(६) अंग्रेजों की शासन की स्वेच्छाचारिता व निरकुशता

असंतोष विरोध को जन्म देता है। यही अंग्रेजों के शासन में हुआ। सन् १९०८ की विक्टोरिया घोषणा के भारतीयों को काफी आश्वासन दिए गए थे। यह कहा गया था कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता एव समानता का वचन दिया गया था किन्तु उनमें से एक भी वचन और आश्वासन को पूरा नहीं किया गया। ब्रिटिश शासकों ने स्वेच्छाचारिता और अनुत्तरदायित्व का भाग छपनाया अतः भारतीयों में असंतोष की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। अंग्रेजों शासन में भारतीय परम्पराओं के अनुपालन पर कोई ध्यान नहीं दिया एव सारे देश में परिपूर्णा की विदेशी व्यवस्था स्थापित कर दी गई। पान्थी लोग भारतीय धर्म के विरुद्ध प्रचार करने लगे। अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा पद्धति वृष्टि तथा उद्योग की उत्तरी सिचार्ज और सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रत्येक क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपनी मनमानी करने का रुत छपनाया। भारतीयों का शासन में कोई विशेष भाग नहीं देना दिया जाता था और न ही उनमें कोई परामर्श तक लिया जाता था। इस प्रकार अंग्रेजों के इस दृष्टिकोण ने भारतवासियों में अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने की उत्तमकता उत्पन्न कर ली।

(१) यातायात के साधन

यातायात के साधनों का विकास ने राष्ट्रीय ताकत में महत्वपूर्ण योग दिया। यातायात के द्रव्यगामी साधनों ने दूरी को कम कर दिया। रेल और बसों की यात्रा ने विभिन्न प्रांतों के व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट सम्पर्क में ला दिया तथा वे एक दूसरे के विचारों एव समस्याओं को समझने लगे। देश के नेता सुविधापूर्वक देश के एक कोने से दूसरे कोने में भ्रमण करने लगे। देश के विभिन्न भागों के नेताओं तथा जनता में निकट सम्पर्क स्थापित हो गया। फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता की बढ़ावा मिला। गुरुमुख निहालसिंह के शासन में यातायात के साधनों ने इस विशाल देश को एक बड़ी में जोड़ दिया तथा भौगोलिक एकता को वास्तविकता में बदल दिया। एक व्यवस्था से राष्ट्रवादियों का एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित करना और राजनतिक कार्यों के सम्बन्ध में विचार विमर्श करना सरल हो गया। फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास में सहायता मिली।

(११) जाति विभेद की नीति

ग्रेट के अनुसार भारतीय राष्ट्रीयता के उत्थान का प्रमुख कारण यूरोपियन एव भारतीयों के मध्य जातीय कटुता थी। भारतीयों में इस नीति के फलनें और अग्रजों का विरोध करने का प्रमुख कारण भारतीयों में किया गया दुःस्वभाव था। अग्रज शासकों ने भेदभाव की नीति को अपनाया। स जाति विभेद नीति का आधार थे

- (१) भारतीय केवल भय और दड की भाषा में ही समझ सकते हैं।
- (२) एक यूरोपियन का जीवन घनेका भारतीयों के बराबर है।
- (३) यूरोपियन भारत में लोकहित के दृष्टिकोण से नहीं निज्जु निज्जी स्वायत्त की सिद्धि हेतु आए।

अग्रज भारतीयों को घावा बनमानुस आघातों का समझते थे। वे भारतीयों को काले हथोले मानते थे जो पत्थरों की पूजा करते थे और पिन्सु की तरह दास के घरों में रहते थे। भारतीयों को बारम्बार उनकी हीना का बोध कराया जाता था। उनका साथ रेत यात्रा रेस्टोरेट आदि म्याना पर दुःस्वभाव किया जाता था। न्याय के मामले में भी जाति विभेद का स्थान दिया गया था। सर थिमाथोर मोरियन के अनुसार भारत में घोर अमानवी पापाचार है। यह एक निन्दनीय सत्य है जिसको छुपाया नहीं जा सकता कि अग्रज भारतीयों की हत्या बारम्बार करते हैं। उदाहरणार्थ एक बार एक अग्रजों सनिक ने एक भारतीय रसोये को इसलिए मार डाला कि वह उसके लिए एक भारतीय स्त्री न ला सका। अग्रजों ने अकारण ही अनेक भारतीयों की हत्याएँ की लेकिन उनको कोई दंड नहीं दिया गया। हम सम्बन्ध में हेनरी काउन ने लिखा है यदि चाय के रोपक पर किसी अग्रजों कुली को निन्द्यता प्रकट पीटने का अभियोग चलाया जाता तो उसका निराकरण करने के लिए चाय के रोपकों की ज़रूर बनाई जाती थी। यह पूरी स्वाभाविक रूप में अभियुक्त के पक्ष में होती थी। यदि किसी कारण से दोष मिट्ट हो जाता तो अग्रजों का मारा जनमत उस निर्णय की निन्दा करता। अग्रज भारतीय समाचार पत्र इस विराय को प्रकट करते थे। अग्रजों के योग के लिए चर्चा एकत्रित करते थे। प्रभावशाली शक्तियों द्वारा स्मरण पत्र तयार किए जाते तथा उनमें अग्रजों के छुटकारे के लिए निवन्दन किया जाता था। जाति विभेद की उपरोक्त नीति और व्यापक मामलों में जाति-विभेद का फलस्वरूप जातीय कटुता में वृद्धि हुई। अग्रजों के प्रति भारतीयों के मन में घणा की भावना जागृत हो गई। अग्रजों के शासन के प्रति उनके हृदय में रोष की भावना घबक उठी। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय जागरण का वृद्धि में भी काफी सहयोग मिला।

(१२) सन् १८५७ का स्वतंत्रता संघर्ष

राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने का महत्वपूर्ण कारण १८५७ ई. का संघर्ष था। यद्यपि यह संघर्ष प्रथम ही नहीं था तो भी राष्ट्रीय जागरण

हुआ। अपनी वर्तमान दशा को जब उन्होंने यूरोपीय प्रगति और भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में देखा तो उन्हें बड़ी आश्चर्या होने लगी। वे प्रगति के लिए बेचैन हो उठे। उन्होंने अनुभव किया कि धार्मिक सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए राजनतिक स्वतंत्रता आवश्यक है।

(१६) राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना

१८८५ ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस न राष्ट्रीय जागृति में महान् योग दिया। कांग्रेस संगठन ने राष्ट्रीय आन्दोलन का उचित और गही नेतृत्व प्रदान किया। दादाभाई नौरोजी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी गोपालकृष्ण गोखले आदि नेताओं ने अपने कार्यों द्वारा राष्ट्रीयता की भावना को जगाया दिया तथा राष्ट्रीय आन्दोलन को सही मार्ग पर चलाया।

(१७) क्रांतिकारी देश भक्त

राष्ट्रीय जागृति के विकास में क्रांतिकारी देश भक्तों का भी महत्वपूर्ण योग रहा है। अंग्रेजों के घोर दमन के परिणामस्वरूप जब जब भाग्यीयता में निराशा की भावना घर करने लगी क्रांतिकारी देश भक्तों ने अपने कार्यों व दमिदान से राष्ट्रीय जीवन में नई प्रेरणा और स्फूर्ति पदा की। नामधारी मित्रों वामुदेव बलवंत फडके दामोदर चापेकर श्यामजी कृष्ण वर्मा आदि क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय जागृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी विस्तृत चर्चा आगे की जायेगी।

उक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विश्व के अन्य देशों में राष्ट्रीय जागरण की तरह भारतवर्ष में भी राष्ट्रीय जागरण के मूल में अनेक कारण विद्यमान रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय जागृति किसी एक कारण का परिणाम न होकर अनेक तथ्यों के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम थी। इस कार्य में न केवल भारतीयों का ही योगदान रहा था अपितु अग्रदत्त रूप से अंग्रेजों का भी हाथ रहा था। भारतीयों का अंग्रेजों द्वारा धार्मिक शोषण भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की अत्यायपूर्ण तथा पक्षपात पूर्ण नीति अंग्रेजों द्वारा भारत में पश्चात्य शिक्षा का प्रसार आदि काफी सीमा तक भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति के लिए उत्तरदायी रहे हैं और इनलिए अनेक विचारक अमवग भारतीय राष्ट्रीय जागरण को अंग्रेजों द्वारा पालित शिक्षा की सहा देते हैं। परन्तु मूल रूप में भारत की राष्ट्रीय जागृति भारतीयों का ही प्रयत्न था।



भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना

प्रवेश

दूनरी संस्कृति में आर्य काल में दो धाराएँ प्रवाहित रही हैं। एक राम कृष्ण गुह्य शक्ति से लेकर तिलक भगवत्सिद्ध अष्टाशक उन्नीसवीं और सुभाष बोस की भ्रान्तिधारा तथा दूनरी वृत्त में दो और महा-मायावी की अस्तिमान्य धारा। स्वतंत्रता भी हम इन दो धाराओं की सम्मिश्रित शक्ति और बगबल से प्राप्त हुई। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अवधि १८५७ ई. के स्वतंत्रता संग्राम से लगी। मनु १ ५७ का नीपण संग्राम विस्तृत स्तर पर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक महान् और सीधी चुनौती थी जिसमें अग्रजों मात्रात्मक जड़ समेत डोल उठा। प्लामी के युद्ध के १ वर्ष बाद तब अग्रजों सरकार के कारणों से विरुद्ध भारत में असंतोष की शक्ति सूत्रगरी थी। अग्रज नहीं जानते थे कि भारतीयों में भी साम्यमान का भाव हो सकता है वे उन्हें अतिशय नीचे नीचे और नष्ट संभव कर और स्वयं सत्ता के नश्वर चूर होकर चन की दसी बजा रहे थे।

भारत के लोगों को अग्रजों साम्राज्य की नीतियों का क्या-क्या पता नान होता गया था जो उनके मन में विरोध पैदा करता था। अग्रजों के विरुद्ध घृणा और असंतोष जड़ पैदा हुआ। अनुशासन के नाम पर अग्रजों ने भारत को और दबाने की नीति का प्रयोग किया। एक भय की निम्नरत भारतीय जनता के रूप में दौड़ गयी।

असंतोष के चालाकुरावों का विस्फोट के लिए एक नाजुक अवसर की प्रतीक्षा थी। यह नाजुक क्षण १९०६ ई. में आया और गया। नववदात भारत की भूमि पर विस्फोट की शक्ति स भवक उठी। मनु १ ५७ के सशस्त्र संग्राम ने देगा म ऐसी प्रवृत्तियाँ की जो वे जो ज्ञा अग्रकार का छिन्न भिन्न करने वाली थी। सशस्त्र संग्राम की समाप्ति - साथ ही देश भर में एक मानसिक और सामाजिक क्रांति के अक्षर उभूत हो गए जो सबका विनयावाण आन पर भी निरन्तर पतपत और वृत्त रूप में परिणत हो गए। भारत के इतिहास में मनु १८५७ से लेकर मनु १८८५ के क्रांति-जागरण का उपादान के संकेत।

उस समय जागृति की जागरण प्रकृत रूप में मूल रूप से मानसिक थी। एक गताती से निरन्तर अग्रजों से पराजित होने के कारण का परिणाम था कि सचमुच भारतवासी अग्रजों को अग्रजों से घिरी और उनकी भोग्यवस्तु माना गया। यह मानसिक दामन्य थी जो राजनैतिक और सामाजिक दासता की जननी बन

जाती है। काँग्रेस के प्रचार और क्रान्ति की घटनाओं ने तो उस मनोवृत्ति का ठोकर पहुंचाई था। देश के समस्तों का मान करने के लिए महाराणा विष्णुसिंह की तरफ से जो आपराध प्रकाशित हुई उसने भी देश की मनोवृत्ति को अत्यन्त मर्यादाप्राप्त महायत्ना से। उस घापणा में स्वीकार कर दिया गया था कि भारत में राजनीतिक प्रविकारा की दृष्टि से भारतवासी समान हैं। इंग्लैंड के शासन की ओर से एसी घोषणा की जाति से पहले हुई होनी ता शायद उसका भारत की मनोवृत्ति पर कोई असर नहीं होता परन्तु काँग्रेस के पश्चात् समानता की घोषणा से देशवासियों पर चमत्कारिक असर हुआ और उन्होंने यह अनुभव किया कि इंग्लैंड के शासन को भारतवासियों के समान अधिकार मानने ही पड़े। यह उस क्रान्ति का ही परिणाम था जिससे भारतवासियों ने परोक्ष रूप से अपनी शक्ति का अनुभव किया। हमें सादेह नहीं कि अपनी शक्ति की अनुभूति ही जातया के जागरण का मूल कारण हुआ करती है। इस क्रान्ति से प्रभावित होकर शिशु भारतियों ने आन्दोलन के नये-नये स्वरूप और नये-नये दृष्टिकोण को स्वीकार करने शुरू कर दिये। इंग्लैंड के राजनीतिक आन्दोलन और राजनीतिक सिद्धांतों में प्रवेश ग्रहण करने के परिणामस्वरूप भारत में राजनीतिक संगठना का विकास होने लगा। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संगठनों की चर्चा नीचे की जा रही है।

(१) ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन

राष्ट्रीय काँग्रेस की पूर्वगामी संस्थाओं में अत्यन्त सबसे प्रथम एवं प्रमुख संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी। इसकी स्थापना अक्टूबर १८५१ ई. में कलकत्ता में हुई थी। इस संस्था ने देश के अन्तर्गत सबसे प्रथम एवं प्रमुख विधियों और गानन कार्य को समय-समय पर आलोचना करना था और भारतीयों के लिए अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना था। इस संस्था ने ब्रिटिश संसद को १८५२ ई. में एक स्मृतिपत्र (मोमं पत्र) भी प्रस्तुत किया। इस संस्था ने विधान परिषदों में भारतीयों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया। इसके अलावा भारत में प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था करने आदि की मांग की। इस संस्था को भारत में राजनीतिक चेतना जागृत करने में कुछ सफलता मिली। इस संस्था को राजेश लाल प्यारेलाल हरिश्चन्द्र, मुजर्जी रामगोपाल घोष आदि का मुशोभ्य निदेशन प्राप्त हुआ था परन्तु दुभाग्यवश यह संस्था अधिक समय तक कार्यमन्त्र रह सकी।

(२) इंडियन लीग

ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के असफल हो जाने के पश्चात् बंगाल के कुछ उस्ताहों और प्रगतिशील शक्तियों द्वारा कलकत्ता में १८७५ ई. में एक मजठन इंडियन लीग की स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना को बढावा देना और उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना था। यह संस्था भी थोड़े समय तक ही अपना अस्तित्व कायम रख पाई।

(३) इंडियन एसोसिएशन

श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में २६ जुलाई १८७६ ई. का कलकत्ता के प्लबट हाल में एक सावजनिक सभा की स्थापना की गई थी। इस सभा का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की दमनकारी तथा साम्राज्यवादी नीति का विरोध करना देश में सबल लोकमत का निर्माण करना भारत की विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को समान राजनीतिक हितों और आकांक्षाओं के आधार पर संगठित करना हिन्दू मुस्लिम एकता स्थापित करना और सावजनिक आन्दोलन में किसानों का सहयोग प्राप्त करना था। यह शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला पहली सभा थी। इस सभा ने १८७६ ई. में ब्रिटिश सरकार द्वारा लोकसेवा में प्रवेश की आयु में कमी करने के निरूपण के विरुद्ध सक्षम करने का निरूपण किया। इस कार्य के लिए श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने सम्पूर्ण देश का दौरा किया। इस सभा ने लार्ड लिटन के शासनकाल में स्वीकृत सशस्त्र अधिनियम और वनक्यूलर प्रस अधिनियम जैसे प्रतिक्रियावादी कानूनों के विरुद्ध सक्षम किया। इसने सन् १८७३ में २८ दिसम्बर से ३ दिसम्बर तक एक राष्ट्र-सम्मेलन का भी आयोजन किया। इस सम्मेलन में भारतीय जनता से यह अनुरोध किया गया कि वे देश की उन्नति के लिए आपस में एक हो जाएं और अपना एक सङ्घ संगठन स्थापित करें। सन् १८८४ में २४ दिसम्बर को भारतीय परिषद् न लाइ डफरिन के स्वागत में एक मानपत्र भेंट किया। इसमें भारतीय परिषद् ने प्रांतीय व्यवस्थापिका-सभाओं के सुधार और पुनर्निर्माण का प्रश्न उठाया तथा यह मांग की कि सदस्य निर्वाचित किये जायें और उच्च व्यवस्थापिका-सभा में प्रश्न करने और बजट पर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान की जाय। दिसम्बर १८८५ ई. में भारतीय-परिषद् ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें बम्बई बनारस प्रयाग और आसाम आदि के लगभग २ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसमें बंगाल का मुस्लिम एमानिएशन में भी सहयोग दिया। नेपाल के राजदूत और मि. काटन सम्मानित प्रतिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन सफल रहा। इस सम्मेलन में व्यवस्थापिका-सभाओं के सुधार शस्त्र-कानूनों के सुधार और राष्ट्रीय व्यय कम करने के प्रश्नों पर विचार किया गया। प्रशासकीय विभाग से ध्याय-विभाग को पृथक करने पुलिस व्यवस्था में सुधार करने लोकसेवा परीक्षाएँ भारत में ही आयोजित करने पर जोर दिया गया। यह कहा जाता है कि यदि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना न होती तो इंडियन एसोसिएशन ही अखिल भारतीय राजनैतिक सभा का स्वरूप ग्रहण करती।

(४) बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन

सन् १८५१ में कलकत्ता में ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना के कुछ समय पश्चात् बम्बई में भी इस संगठन की स्थापना की गयी परन्तु यह कुछ समय बाद निष्क्रिय हो गयी। श्री नीरोजी फरनदजी ने इसकी सजीव करने का प्रयास किया किन्तु उनको इस में सफलता नहीं मिली। अतः बद्धहीन तयबजी और फिरोज

शाहमहता ने १८८५ ई. में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। इन मस्ये ने राजनतिक जागरण की गिगा म हून सफल प्रयास किया।

(५) पूना सावजनिक सभा

महाश्वे गाविद राना ने १८७५ ई. में महाराष्ट्र में राजनतिक जागृति उत्पन्न करने और समान स्थार का काय करन के उद्देश्य से पूना सावजनिक सभा की स्थापना की। यह सभा १८वें सदा के प्रन्त तक काय करती रही।

इस प्रकार मद्रास में महाजन-सभा और १८८४ ई. में बंगाल में नानल-सींग की स्थापना की गयी।

यद्यपि उक्त सभी संस्थाएँ राजनतिक उद्देश्य से स्थापित हुए थीं तथापि इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इनके सामने एक भारतीय राष्ट्र का या राष्ट्रीय स्वाधीनता का लक्ष्य विद्यमान था। यद्यपि एक राष्ट्र और राष्ट्रीय स्वाधीनता के भाव राजा राममो नराय स्वामी दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द जैसे महान पुरुषों के अन्तर्गत और भावगणों में ध्यक्त हो चुके थे तथापि राजनीति में अभी उनका प्रयोग सम्भव नहीं हो पाया था। उन समय की राजनीति की दृष्टि सीमाएँ थीं। प्रायः सभी संस्थाएँ अपने-अपने प्रांत की समस्याओं पर विचार करती थीं और वे समस्याएँ भी सीमित-सीमाओं तक ही सीमित रहती थीं। इनमें भाग लेने वाला भी बहुत बनी संख्या ऐसे लोगों की होती थी जिनका सरकारी नौकरियों में कोई संबंध नहीं था। एक अन्त विशेषता यह थी कि ये सभी संस्थाएँ अग्रजीवित्व लिये नोता ने बनायीं थीं और विरकाल तक उनमें अग्रजीवित्व लिये लोग ही रहे।

राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना

उक्त राजनतिक संस्थाओं ने यद्यपि महत्वपूर्ण कार्य किया परंतु उनकी अग्रणी सीमाएँ थीं। भारतीय नेताओं ने यह अनुभव किया कि राजनतिक प्रगति एक राष्ट्रीय सभा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इस सभा का सर्वप्रथम विभिन्न प्रांतों की स्वतंत्र राजनीति से न हाकर देश की एक जागरण राजनीति में ही होना चाहिए। परंतु इस गिगा में उठाए गए कदमों को व्यवहारिक रूप में प्रगति करने का श्रेय अवकाश प्राप्त सरकारी अफसर ह्यूम को है। इसलिए ह्यूम को ही राष्ट्रीय कांग्रेस का जनमदाता माना जाता है। १८माच १८८५ ई. को ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने देश के शिक्षित नवयुवकों में भावभूमि की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करने की अपील की। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि यदि ५० शिक्षित नवयुवक ही अपने स्वार्थों को त्याग कर देश की स्वाधीनता के लिए उद्यम कर प्रयास करें तो अनेक कार्य सरल हो सकता है। उन्होंने अग्र लिखा कि यदि आप सीमित स्वार्थों का त्याग कर भावभूमि की सेवा करने को कटिबद्ध नहीं होते तो वर्तमान समय में उद्यम अवधि का आशा लगाना व्यर्थ ही है। पत्र का अन्त अत्यन्त मार्मिक है भावभूमि पर रक्षा हुआ जुधा उद्यम

गोमूलकम तेजपाल मसूत पाठाना के विगत भवन म हुमा । अधिवेशन को अध्यक्षता कलकत्ते के प्रसिद्ध बैरिस्टर उमशक्त बनर्जी ने की । इस अधिवेशन म देश के विभिन्न भाग म ७२ प्रतिनिधियां न भाग लिया निवम भारत क जनक प्रसिद्ध पंडित मया दासभा नोरार्जी पोरोजाग महुता की राघवाचार्य एस सुबहृष्यम् शिनेवाचा कागीनाथ तेजग श्राप्ति प्रमुख थ । यह सम्मेलन अत्यधिक सफल रहा । उमशक्त बनर्जी ने अनुसार भारत के प्रतिगम म एसा महत्वपूर्ण विस्तृत प्रतिनिधित्वपूर्ण सम्मेलन पहल कभी न । हुमा था । इन प्रकार इस महान सस्था का जन्म एसा जिमक नवंबर म ६२ वर्ष तक भारतवर्ष म स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा ।

काँग्रेस का उद्देश्य

कायम की स्थापना — मूलभूत म भी निजाना म फेरमत्य नहीं है । इस सम्मेलन म मुख्य रूप मे दो मांगया प्रस्तुत की जाती ह । प्रथम धारणा क अनुसार काँग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना माय था । दूसरा मन इस तथ्य का विचार करता है कि कायस का स्थापना के मूल म भारतीय राष्ट्रीयता । जो विचारक प्रथम मन क समयक है व श्रमण पत्र मे दो तथ्य रखते है

(१) काँग्रेस का जन्मता इस म अवकाश प्राप्त अग्रज पत्राचारिणी के और उह गान्धिनिक गवर्नर जारन नाड टफरिन का आशीवाच तथा जनक रिटिष राजनीतता का समर्थन प्रक्य था । यह कथा जाता है कि लूम्स ब्रिटिश सासको की पुत्र निरिचित गुण याजनाया की शिवाचित करन क निण ही अयक परिश्रम लिया ।

(२) सन् १८५७ के महास्र मयाम न एन मिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश शासन क विरुद्ध भारतीयों म त्व और अमतोप की भावना काफी प्रबल थी तथा वह कभी भी पुन महास्र मपय का रूप न मफती थी । भारतीयों म जन जन राष्ट्रीय भावनाया का विकास हो र था । जिससे अरजी साम्राज्य के भविष्य को खतरा था । ना के निण क समनारा शासन की समाप्ति पर भारत शांति क बहुत निकट पहुँच चका था । भारतीय जनता का प्रतिना और भुवमरी तथा गिनिता भारतीयों का असतोप कभी भी जाति का स्वच्छा प्रक्य कर सकना था । इस म सम बात म भारतीयोंनि परिचित थ कि राजनीतिक अशांति घीरे धारे क रही है । दक्षिण के निसान बिनाह और वसान क क्रांतिसारिया की गतिविधियों ने इस भावना का और अधिक बलवती बना लिया । जो आन्दोलन की बलनी शक्ति को कुचनन म इस म को प्रयत्ना नि नजर आ रण था अत उनन जन प्रमतोप की सन्धि को बधानि-स्वरूप या बधानिक शिक्षा प्रदान करने के निण ही काँग्रेस की स्थापना की । इस म क जीवनी लवक मर विविधम वेडरान ने इस सत्र म लिखन कथ कथा है कि भारतीयों की जनशांती और शक्तिशाली भावनाया क निष्कासन के लिए एन

नली की आवश्यकता थी और यह रक्षा नली काँग्रेस ने प्रकृष्टी और काँ सत्या सिद्ध नहीं हो सकती थी। इस तथ्य की पुष्टि हमारा सर माकमे कारबिन को लिख गए पत्र द्वारा भी होती है जिसमें ह्यूम ने लिखा था कि काँग्रेस की स्थापना की योजना का उद्देश्य अग्रजी साम्राज्य के कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न एक प्रबल और उमड़ती हुई शक्ति के निष्कासन के लिए रक्षा नली का निर्माण करना था। लाड डफरिन ने भी जसाकि पहिले ही बताया जा चुका है काँग्रेस की स्थापना को इसी उद्देश्य का पूर्ति के रूप में स्वीकृति दी थी। इस विचारधारा की पुष्टि लाला लाजपतराय मन्डलाल चटर्जी और रजनी पामदत्त के विचारों से होती है। लाला लाजपतराय ने 'यगद् द्विपा' में लिखा है 'राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य अग्रजी साम्राज्य को खतरे से बचाना था। भारत की राजनतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना नहीं अग्रजी साम्राज्य के हितों की पुष्टि करना था और इस समय से इन्कार भी नहीं किया जा सकता कि काँग्रेस ने इनका पालन नहीं किया। नन्नाल चटर्जी का कहना है कि उस समय ऐसे आक्रमणों का विषय भय था जिसके निवारण के लिए भारतीय आन्दोलन को सही ढंग में बढाना आवश्यक था। उनके मतानुसार उस समय अग्रज हतियों के भय के कारण भारत की राजनतिक स्थिति सुधारन में प्रयत्नशील थे और यही कारण है कि जब रूसी आक्रमण के भय का घन हो गया तो भारत सरकार का व्यवहार काँग्रेस के प्रति एकाएक बदल गया। रजनी पामदत्त ने तो यहां तक लिखा है कि काँग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की गुप्त योजना के कारण की गई थी।

दूसरी विचारधारा के अनुसार काँग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीयता की एक देश व्यापी सगठन द्वारा व्यक्त करना था। इसके मूल में सच्ची देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान थी। श्रीमती एनीबिसेन्ट ने लिखा है कि राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना मातृभूमि की रक्षा हेतु १७ प्रमुख भारतीयों द्वारा तथा ह्यूम द्वारा की गई थी। ह्यूम के विचार उच्च थे अतः काँग्रेस की स्थापना के समय में उनके उद्देश्य और लक्ष्य महान एवं पवित्र थे। ह्यूम साम्प्रतिक घर्षों में भारतीयों की दशा में सुधार करना चाहते थे। अतः काँग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के निमित्त नहीं की गई थी। ह्यूम के लिए यह कल्पना है कि उन्होंने पूरे निश्चय गुप्त योजना या ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सुरक्षा नली के रूप में काँग्रेस की स्थापना की एक उदारवाणी तथा मानवतावादी व्यक्ति के प्रति प्रजाय करना होगा। ह्यूम की मनोभावना का पता उनके १८ ई की काँग्रेस अधिवेशन में दिए गए भाषण से चलता है। अपने भाषण में ह्यूम ने कहा था, हमारे शिक्षित भारतीयों ने अलग अलग रूप में हमारे प्रबन्धारी ने व्यापक रूप में तथा हमारी राष्ट्रीय महासभा के समस्त प्रतिनिधियों ने एक स्वर में सरकार को समझाने की चेष्टा की है किन्तु सरकार ने जसाकि प्रत्येक स्वेच्छाचारी सरकार का रवया होता है समझने से इन्कार कर लिया। अब हमारा काय यह है कि दश में अलग जगाए ताकि हर भारतीय जिसने भारत माता का दूध पिया है हमारा

साथी सहयोगी तथा सहायक बन जाय और यदि आवश्यकता पड़े तो कांग्रेस और उसके वहादुर साथियों की भाँति स्वतंत्रता याप तथा अधिकारों के लिये जो महामुमाम हम छेड़ने जा रहे हैं उसका सैनिक बन जाए। श्री उमेशचन्द्र बनर्जी ने भी कांग्रेस की स्थापना के मद्दम में कहा था श्री ह्यूम का मुख्य उद्देश्य प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञों को सामाजिक समस्याओं पर विचार करने के लिए एक वय में एक बार एकत्रित करना था। दूसरे गान्धी में राष्ट्रीय कांग्रेस एक सामाजिक समस्या के रूप में कार्य करने वाली संस्था के रूप में उद्भूत हुई। श्री गुरुमुख निहान सिंह ने लिखा है यह संभव है कि ब्रिटिश साम्राज्य का बचाने में कांग्रेस का प्रयोग एक सुरक्षा नली की तरह करने के विचार ह्यूम तथा वडरबन के हृदय में हो किन्तु इस बात पर विश्वास करना असंभव ही है कि दादाभाई नौरोजी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी उमेशचन्द्र बनर्जी फीरोजशाह मेहता और रानाडे जैसे महान् भारतीय नेता भी इसके साधन मात्र थे और वे भी ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने का उद्देश्य रखते थे।

मसौदा में कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना के मूल में सामाजिक समस्याओं पर विचार करने और रक्षा नली के रूप में कार्य करने की भावना अवश्य निहित थी किन्तु धीरे-२ कांग्रेस का उद्देश्य राजनीतिक होता गया और वह एक राष्ट्रवादी संस्था बन गयी। श्री जकारिया ने इस संबंध में ठीक ही लिखा है कि भारतीय और ब्रिटिश समझौते के परिणामस्वरूप हम महान् संस्था का जन्म हुआ। इस कार्य में इन्हें प्रमुख प्रेरणा मञ्जीए राष्ट्रिय भावनाओं में नहीं अपितु सत्य और श्याय के उदात्त विचारों के प्रति सच्ची लगन और भक्ति में मिली जिनके समर्थन को वे अपने देश के लिए शौर्य की बात मानते थे और जो पिछली शताब्दी में दोनों देशों के पारस्परिक सहयोग में किए गए कार्यों के सुखद परिणाम थे। उमेशचन्द्र बनर्जी द्वारा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सभापति-पद से दिये गये भाषण में कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य बतनाए गए थे—

- १ देशहित के लिए काम करने वालों में मित्रता और घनिष्टता बढ़ाना।
- २ समस्त देश भक्तों के अन्दर प्रत्यक्ष मन्त्री व्यवहार द्वारा वय धर्म प्राप्त नववी तमाम पूव दूषित संस्कारों को मिटाना और राष्ट्रीय एकता की भावना का विस्तार करना।
- ३ महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर सम्मति प्राप्त मण्हीत करना।
- ४ देशहित के लिये साधनों और दिशाओं का निर्णय करना।

कांग्रेस के उक्त उद्देश्यों में यह स्पष्ट पता चलता है कि इसका प्रारम्भिक लक्ष्य सामाजिक था तथा यह देशहित की दृष्टि से भारत में सामाजिक और राष्ट्रीय एकता लाना चाहती थी। इस प्रकार राष्ट्रहित की दिशा में अग्रसर होना चाहती थी। इसका प्रारम्भिक उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध अथवा राष्ट्रीय

हमें यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस की लोकप्रियता इस काल में निश्चित वय तक ही सीमित रही। प्रारम्भ से ही कांग्रेस निश्चित वय की सस्या थी। देशहित में रुचि रखने वाले शिक्षित भारतीय इनमें रुचि लेते थे। इसके द्वारा राजनीतिक अधिकारों की मांग किए जाने के कारण जनसाधारण का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट होने लगा था। परन्तु यह मानना पड़ेगा कि इस युग में शहरो में रहने वाले मध्यमवर्गीय शिक्षित वर्ग के लोग ही वास्तव में सम्बन्धित रहे। किसान वर्ग तथा देशी जनता का कांग्रेस से सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाया था। यहाँ पर भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने यद्यपि एक राष्ट्रीय समस्या का स्वरूप ग्रहण कर लिया था परन्तु ऐसी रियासतों पर उसका प्रभाव नहीं के बराबर था।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारम्भ से ही इसका प्रचार इंग्लैंड में भी होने लगा था। १८८१ ई. में ह्यूम ने इंग्लैंड जाकर अपने विचारों से कुछ प्रमुख व्यक्तियों को अवगत कराया। उन्होंने अग्रज शासकों और राजनीतियों को प्रभावित करने की योजना बनायी। सन् १८६६ में कांग्रेस ने एक प्रतिनिधि मण्डल इंग्लैंड भेजा जिसमें इंग्लैंड वेल्स एवं स्कॉटलैंड के निवासियों में कांग्रेस-सम्बन्धी कार्यों का प्रचार किया तथा उन्हें परिपक्व सुधार योजना के सम्बन्ध में अपने विचारों और कार्यक्रमों से अवगत कराया। श्री उद्दय से एक समिति का भी निर्माण किया गया जिसके सदस्य जाल् मूल ह्यम जे ऐडम मि नाटन तथा जे ई० हावड थे। इन लोगों ने इंग्लैंड जाकर बड़े उत्साह से कार्य किया। इंग्लैंड की लोकसभा के सदस्यों की एक समिति बनायी गयी जिसका उद्देश्य भारतीय समस्याओं पर विचार विमर्श करना था। जनमत को आकृष्ट करने के लिए इंडिया नामक एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन प्रारम्भ किया गया। इसके प्रतिरिक्त कांग्रेस की विचारधारा के प्रचार के लिए भाषणों पुस्तिकाओं तथा पत्रिकाओं का भी सहारा लिया गया। इन प्रचार कार्यों के फलस्वरूप ब्रिटेन के निवासी भी कांग्रेस के कार्यों में विशेष रुचि लेने लगे तथा कांग्रेस द्वारा पारित सुधार प्रस्तावों का समर्थन करने लगे। इस प्रकार कांग्रेस न केवल भारत में ही बल्कि इंग्लैंड में भी लोकप्रिय बन गयी तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिनिधि के रूप में इसने अपना कार्य प्रारम्भ किया।

सन् १८८५ में कांग्रेस के प्रचार ने देश में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय एकता और जन सेवा के उच्च आदर्शों की स्थापना की। सन् १८६६ में लाड लसडाउन की सरकार ने यह स्वीकार किया कि कांग्रेस देश की एक शक्तिशाली उत्तरदायी राजनैतिक पार्टी है।

कांग्रेस इतिहास के चरण

कांग्रेस के इतिहास को तीन चरणों में विभक्त किया जाता है

(१) प्रथम चरण

सन् १८८५ से सन् १९५५ तक। इस काल में कांग्रेस ने उपवादी रूप

धारण नहीं किया था और अग्रजी सरकार के प्रति राजभक्ति प्रदर्शित करना ही कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था।

(२) द्वितीय चरण

सन १९५ से सन् १९१८ तक। इस काल में कांग्रेस ने उग्रवादो रूप धारण कर लिया। इसी काल में मुसलमानों ने कांग्रेस से पृथक् मुस्लिम लीग का निर्माण किया।

(३) तृतीय चरण

सन् १९१९ से सन् १९४७ तक। यह चरण गांधी युग के नाम से प्रसिद्ध है। इस काल में स्वराज पार्टी का गठन हुआ मुस्लिम लीग भी शक्तिशाली होनी गयी और अंत में गांधीजी के नेतृत्व में विभाजित भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त की। कांग्रेस के कार्य

कांग्रेस ने शासन के सभी क्षेत्रों में सुधारों की मांग की। उनकी मुख्य मांगों को १। रघुवर्गीय एवं तालबहादुर ने इस प्रकार व्यक्त किया है धारासभाओं का विनाश हो और उमम जनता के निर्वाचित मध्यम हा क्षेत्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी सभाओं में भारतीयों की संख्या में वृद्धि जूरी द्वारा जाय व्यवस्था का प्रचार भारत मंत्री की परिषद् और प्रिवी-कौंसिल में भारतीयों की नियुक्ति भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में भी हो भारतीयों के लिए सैनिक शिक्षा की योजना और नौकरियाँ का भारतीयकरण। परन्तु सरकार की नीतियों से निराश होकर कांग्रेसी नेताओं को अंत में यह विश्वास हो गया कि बिना स्वशासन प्राप्त किये भारतीयों की समस्याएँ हल नहीं हो सकती। अंत में सन् १९६ के बलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रथम बार स्वशासन की मांग को अग्रद्वे प्रस्ताव में प्रस्तुत किया।

राजनैतिक तथा प्रशासकीय मांगों के अतिरिक्त कांग्रेस ने जनता की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को और भी ध्यान दिया। उसने देश की दरिद्र जनता की दशा सुधारण का भरसक प्रयत्न किया और जनता के कष्टों के विरुद्ध आवाज उठाई। जनता का आर्थिक स्तर ऊँचा उठाने के लिए कांग्रेस ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए थे —

- १ विदेशियों को कम संख्या में नियुक्त करके शासन के भारी व्यय में कमी करना
- २ भूमि कर और जनता पर लगाए गए दूसरे करों में कमी करना
- ३ सिंचाई का उचित प्रबंध करना
- ४ किसानों को महाजना के चंगुल से बचाने के लिए कृषि बंको की स्थापना करना
- ५ प्राचीन उद्योगों को पुनः जीवन देना व नये उद्योगों की स्थापना करना और

६ इंग्लैंड द्वारा भारत के शोषण पर तथा विदेशों में भेजे जाने वाले मूल्य के निर्यात पर रोक लगाना।

कांग्रेस ने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी एवं धार्मिक शोषण की नीति का भी विरोध किया। विदेशी प्रतियोगिता से भारतीय उद्योगों को बचाने के लिए कांग्रेस ने सरकार से विशेषी मान पर ऊँच कर लगाने की भी मांग की। सरकार की नीति इससे विलुक्त विपरीत थी। नाट लिटन के शासन काल में विदेशी मान पर आयात पर नाममात्र का ध. भारतीय कारखानों में तयार होने वाले कपड़े पर भारी कर लगा दिया गया था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में श्री दिनशा वाचा न ऐसे करा का घोर विरोध किया था और कहा था कि सरकार की नीति भारत में सूती कपड़ों के कारखानों का चौपट कर देने की है कांग्रेस ने विदेशी उपनिवेशों में बसे भारतीयों के हितों की ओर भी ध्यान दिया। अंग्रेजों अधिवेशन में इससे दक्षिणी अफ्रीका के उपनिवेशों के भारतवासियों की उपेक्षा करते जाने वानूना का विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार से इंग्लैंड के नागरिकों द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचारों का रोकने की विनम्र प्रार्थना की।

कांग्रेस ने न्याय न नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए ब्रिटिश नीतिवादी की दमन नीति का भी डट कर विरोध किया था। लिटन के शासन काल में जिस प्रतिश्रियावादी कानून को भारतीय जनता के लिए अपमानजनक धारित किया तथा उस रद्द करने की मांग की। समय समय पर कांग्रेस ने नजरबंदी कानून का भी विरोध किया तथा सरकार का चेलाबनी दी कि उसकी दमन नीति उसी के लिए पानय सिद्ध होगी। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने मई १८९६ के अधिवेशन में सरकार की निष्ठा करते हुए कहा यह ब्रिटिश सरकार जो अपने मन्त्रिकाटा घोर हैबिसस कायदा पर गव इतनी है भारतवासियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक का दमन करती है। नाट काल के काल में कांग्रेस ने सरकार की साम्राज्यवादी व अत्याचारी दमन नीतियों का सफलतापूर्वक भङ्ग किया। संक्षेप में जनता की भलाई से सम्बन्धित एंग्रेजों प्रश्न नहीं था जिस पर कांग्रेस का ध्यान नहीं गया था।

कांग्रेस की कार्य पद्धति

उपवादी विचारधारा के व्यक्ति कांग्रेसी नेताओं द्वारा अपनाई गयी क्षात्रि प्रिय नीति की निन्दा करते हैं परन्तु यह उचित नहीं है। कांग्रेस का प्रारम्भिक काल भारतीय राष्ट्रीयता का विचारधारा युग था और इस युग में गवधानिक आन्दोलन की नीति ही उचित थी। श्री गोपालकृष्ण गोखले ने ठीक ही कहा था हम मित्रमय नहीं हैं और हमारी नीति मित्रवर्तनी की नहीं है। हम विदेशी दरबार में अपनी जनता के राजदूत हैं। हमारा काम अपने देश की जनता के हितों की देखभाल करना है और अतः हमें अपने जितना अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त करना है। आन्दोलन के अति प्रयास रक्तपात आदि ने कांग्रेस का कोई सम्बन्ध नहीं था।

पारम्भिक काल में कांग्रेस आन्दोलन शिक्षित वर्ग का आन्दोलन था एवं इसका नेता संवैधानिक ढंग से ही आनन्द मुखर्जी में विश्वास करते थे। कांग्रेस अपने अधिवेशनों में मुखर्जी के प्रस्ताव पारित करती थी सरकार के पास आन्दोलन-पत्र भेजती थी और कभी कभी इंग्लैंड के नामक वर्ग के समस्त प्रतिनिधि मण्डल भी भेजती थी।

कांग्रेस की सफलता

कांग्रेस की कार्य पद्धति प्रथम लाभप्रद सिद्ध नहीं हुई फिर भी देश की राजनीतिक शिक्षा के हेतु कांग्रेस का यह कार्य काफी उपयोगी सिद्ध हुआ। अपने प्रचार से कांग्रेस ने ब्रिटीश संसद द्वारा भारत के शासन की जांच करवाने में सफलता भी प्राप्त की। सन् १८६७ का बड़ी कमीशन जिसने भारत सरकार के कार्य की जांच पड़ताल की कांग्रेस के प्रयत्नों का ही परिणाम था। कांग्रेस के प्रचार ने सरकार की निरकुशता को भी दर्शा दिया। सन् १८६२ का परिषद् अधिनियम कांग्रेस की महान् सफलता थी। कांग्रेस ने प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्थाओं तथा शासन सम्बन्धी मुखर्जी की मांग का प्रचलित किया। उसने सरकार के कुछ प्रतिनिध्यावादी कानूनों का सफलतापूर्वक विरोध किया। सन् १८६५ में बंगाल सरकार ने अपने प्रकसरो को कांग्रेस अधिवेशन में दशक के रूप में भाग लेने का आश्वासन दिया। कांग्रेस ने इसकी घोर निन्दा करके इसे रद्द करवाया। सन् १८६४ में वेद्रीय सरकार ने सन् १८७६ के तीव्र प्रकटीकरण एकट में संशोधन करने के लिए 'यवस्थापिका' मंत्रालय में एक विधायक प्रस्तुत किया। इस संशोधन से वकीलों को जिनाधीनता के देवे वृत्तमिश्रण का प्रयोग रहना पड़ता और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने पर भी रोक लग जाती। कांग्रेस ने इसका बड़ा विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप विधेयक वापिस ले लिया गया।

कांग्रेस के प्रयत्नों के फलस्वरूप ब्रिटिश जनता का ध्यान भारतीय राजनीतिक समस्याओं की ओर आकृष्ट हुआ और ब्रिटिश लोकसभा के कुछ सदस्यों ने राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की। मजदूर दल के नेता चार्ल्स ब्रडला ने जो खने रूप से हिन्दुस्तानी सदस्य की उपाधि धारण की। सन् १८८६ में कांग्रेस की एक समिति इंग्लैंड में स्थापित की गयी। कांग्रेस ने इस संस्था को ४५ रुपैयाँ देना स्वीकार किया। इस समिति की कार्यवाही में बहुत से अग्रणी नेताओं ने भाग लिया और उन्होंने अपने देशों द्वारा इंग्लैंड की जनता का ध्यान भारतीय राजनीतिक मांगों की ओर आकृष्ट किया। यह समिति 'इंडिया नामक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित करती थी और समय-समय पर भारतीय समस्याओं पर सांख्यिक भाषणों का आयोजन करती थी। १८६३ में ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों तथा सर विलियम बडरबन और डब्ल्यू एम केन ने एक भारतीय संसदीय समिति की स्थापना की। समिति का उद्देश्य ब्रिटिश लोकसभा में भारत के राजनीतिक मुखर्जी के प्रश्नों पर हस्तक्षेप करना था।

कांग्रेस इस समिति को भारतीय समस्याओं पर आवश्यक सामग्री की जानकारी देती थी। अपनी मांगों को इंग्लैंड में लोकप्रिय बनाने व अपने आन्दोलन के विस्तृत भूखण्ड प्रचारों को रोबन हेतु कांग्रेस इंग्लैंड में प्रतिनिधिमंडल भी भेजती थी। इन उपायों से कांग्रेस ने अपने जीवन के पहले बीस वर्षों में भी भारतीय राष्ट्रीयता की आवाज को बुनद किया। कांग्रेस एवं उसके नेताओं द्वारा प्राप्त सफलता का कारण करते हुए रघुबारी एवं नानू बहादुर ने लिखा है— 'राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भिक काल के नेताओं की बड़ी आलोचना करना सरल है। लेकिन हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनके प्रयत्न परिश्रम के बिना राष्ट्रीयता का बीज जो बाद में राष्ट्र सेवा का एक शक्तिशाली वृक्ष सिद्ध हुआ, न पनपन पाता।'

संक्षेप में अपने शशवकाल में कांग्रेस ने जन आन्दोलन का रूप भेने ही प्रकृत न किया हो किन्तु हमें यह ध्येयमान होगा कि भारतीय राष्ट्रीयता की आवाज सर्वप्रथम उसने ही बुनद की। कांग्रेस के उन दिनों के नेता ही भारतीय राष्ट्रीयता के जनक मान जाते हैं। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयत्न भी कांग्रेस को ही प्राप्त है। कांग्रेस ने सरकार की आलोचना करन तथा भारतीयों की मांगों को प्रकाश में लाने के लिए एक प्लेटफार्म का वाय किया। भारत में अपनी आवाज को इस महान् कांग्रेस में पाया। 'तात्कालिक समस्याओं एवं ससदारमक पद्धति का प्रारम्भ कांग्रेस की मांगों का ही परिणाम था। यों में कांग्रेस ने सन १८८५ से सन १९५ तक के काल में भारतीय राष्ट्रीयता की नींव डालने में महान सफलता प्राप्त की। सर हेनरी काटन ने ठीक ही कहा था— 'इस सगठन के नेता देश में एक शक्ति बन गए हैं जिनकी आवाज देश व एक कोने से दूसरे कोने तक निनादित होती है।'

कांग्रेस के प्रति सरकारी दृष्टिकोण

प्रारम्भ में कांग्रेस के प्रति सरकारी दृष्टिकोण उदार एवं प्रशंसा था। उच्च राज्य कमचारी वर्गों के अधिवेशन में भाग लेते थे तथा अपने विचार प्रकट करते थे। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले ४० प्रतिनिधियों को गवर्नर जनरल लार्ड डफरिन ने राजधानी के आदरणीय प्रतिष्ठानों के रूप में बनवत्ता में एवं भोज दिया था। किन्तु यह स्थिति अधिवक्ता तक नहीं रही। सरकार ने शीघ्र ही कांग्रेस के कार्य के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण अपना लिया एवं उसने विरुद्ध कार्य प्रारम्भ कर दिया। लार्ड डफरिन ने कांग्रेस को राजश्रीही एवं मुठठी भर भारतीयों की सरथा की सजा दी। डफरिन के अनुसार कांग्रेस कुछ पैसे निम्ने भारतीयों की सहायता की शीघ्र जिसको किसी भी तरह प्रशासन पर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान नहीं की जा सकती थी। उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्री कानविन ने स्पष्ट रूप से इलाहाबाद में सम्मेलन में होने देने के लिए हर सम्भव दावों डाली। सरकारी अधिकारियों के प्रकोप के कारण स्वागत समिति के अध्यक्ष को अधिवेशन के लिए उचित स्थान निश्चित करने में बड़ी कठिनाई हुई। दरभंगा के महाराजा ने सरकारी भवन के सामने का लाउजर भवन खरीद कर स्वागत

समिति को काग्रस सम्मेलन के लिए दे दिया। गवर्नर के लिए यह अपमानजनक बात थी अतः उसने एक आदेश-पत्र द्वारा सरकारी कर्मचारियों का काग्रस अधिवेशन में भाग लेने से मनाही कर दी तथा स्वयं भी अधिवेशन के समय देहान्त के दौरे पर चला गया।

मनास के एक सभ्रात नागरिक को जिन्दाधोश के आदेश की अवहेलना कर काग्रस अधिवेशन में भाग लेने के दण्डस्वरूप २ रु की जमानत देन को कहा गया। १८६६ ई. में बंगाल सरकार ने एक सरकारी आग्रा प्रस्तावित कर सरकारी कर्मचारियों को दण्ड के रूप में भी काग्रस अधिवेशन में जाने से रोक दिया। १८६१ ई. में भारतीय सरकार ने एक आदेश द्वारा देगी रायों में मुक्त पत्रकारिता पर पाबन्दी लगा दी। १८६७ ई. में भारतीय पत्रकारिता में धारा १२४ (अ) और १५३ (अ) का समावेश किया गया। सरकार का इन धाराओं के अन्तर्गत भाषण एवं राजनतिक गतिविवियों को रोकने के लिए विशेष शक्ति प्राप्त हो गयी। तब तक जन ने अपने शासन-काल में अनेक ऐसे कर्म उठाये जिनके फलस्वरूप राष्ट्र की आत्मा जागृत हो उठी और राष्ट्रीय आन्दोलन नया स्वरूप ग्रहण कर लिया।

१८६२ ई० का भारतीय परिषद्-अधिनियम

पूर्वगामी शासन सुधार

सन् १८६१ ई० के अधिनियम द्वारा स्थापित शासन-सत्र में पहला परिवर्तन १८६६ ई० में भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया। भारत मंत्री को परिषद् में रिक्त स्थान की पूर्ति करने का अधिकार दिया गया। परिषद् के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि दस वर्ष निर्दिष्ट कर दी गयी। सन् १८७० में भारतीय परिषद् अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा सपरिषद् गवर्नर जनरल को कुछ विषयों में नियम बनाने एवं भारतीय नागरिक सेवा में भारतीयों को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। १८७४ ई० के भारतीय परिषद् अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को गवर्नर जनरल की परिषद् के लिए छठा सभ्य (सावजनिक निर्माण-कार्य सम्बन्धी) नियुक्त करने का अधिकार दिया। सन १८७६ ई० के भारतीय परिषद् अधिनियम में भारत मंत्री को अधिक से अधिक विधेय योग्यता वाले ३ निश्चित पदों को परिषद् का सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया। सन् १८७६ में राजकीय उपाधि अधिनियम बना। इसके अनुसार ब्रिटिश राज की पूरी उपाधि यह हुई ईश्वरानुग्रहीता एवं ब्रिटिश और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी के समकक्ष एवं भारत की साम्राज्ञी विकटोरिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि देशी राज्य भारतीय साम्राज्य सीमाओं में आ गये एवं भारतीय शासक सर्वोच्च मन्त्र के स्थान पर साम्राज्याधीन नरक हो गये। भारतीय शासन में सुधार के लिए भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार ने अपना कदम सन १८८८ ई० में उठाया जिसके फलस्वरूप १८९२ ई० का भारतीय परिषद् अधिनियम पारित हुआ।

१८९२ ई० के अधिनियम की स्वीकृति के कारण

(१) सन् १८९२ के अधिनियम को पारित करने का पहला कारण देश में होने वाली राष्ट्रीय जागृति थी। १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय चेतना का विकास तेजी में हुआ। राजा राममोहन राय स्वामी दयानन्द आदि ने देश में सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को जन्म दिया। ये आंदोलन मुख्यतः धार्मिक होने के साथ राष्ट्रीय भी थे। इन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जगा दी। धर्म न राष्ट्रीयता को पतित किया। ही वर्षों में भारतवर्ष में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार हुआ। उसके द्वारा भारतवासी सर्वोच्च धर्मवीर विचारों के सम्पर्क में आये। [मिल्टन बक मिल धर्म के

ग्रन्थों के) पश्चिमी गिनत न भारतीयों में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, स्वशासन आदि के जीवन प्रेरक विचार भरे। फलतः वे देश की तत्कालीन राजनतिक स्थिति से असन्तुष्ट हो गये और स्वशासी संस्थाओं की मांग करने लगे। अंग्रेजी सत्ता ने भारतीयों को परस्पर निकट आने, विचार करने एवं समासम्पन्नो में मिनकर कार्यक्रम बनाने का अवसर दिया। पश्चिमी संसद ने इन्हें स्वतंत्रता का मूल्य सिखाया। उनके मस्तिष्क में दीनतापूर्ण एवं दास्य मनोवृत्ति को दूर किया। अंग्रेजी शिक्षा न भारतीयों में राष्ट्र के प्रति प्रेम पैदा किया उनको फास की कानि की समानता, स्वतंत्रता और बहुव सिद्धांत ने बहुत अधिक प्रभावित किया। अतः यह स्वाभाविक ही था कि वे अपनी स्थिति मधारने के लिए अधिक यत्न हो। देश में उस समय घाताघात और संचार के साधनों का भी तेजी से विकास हुआ जिस से देश में राष्ट्रीय एकता को बल मिला। अंग्रेजों की प्रशासकीय एवं आर्थिक नीति ने भी भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने की। समाचारपत्र एवं पत्रिकाएँ भी राष्ट्रीय चेतना में अग्रगण्य रूप से सहायक हुईं। अंग्रेजों की जातीय कटुता की भावना ने भी राष्ट्रीय एकता की भावना में वृद्धि की। वे भारतीयों को ऐसा जंतु समझने लगे जो आघात न मानुष एवं आघात नियो हो। अंग्रेजों की मनमानी और घातकपूर्ण नीति ने भी राष्ट्रीय भावना का विकास किया। अंग्रेजों ने १८७३ ई. में नर्निकूलर प्रस एक्ट एवं भारतीय शस्त्र बानन पारित किए एवं भारतीयों का दमन किया। क्वेट बिल विवादा ने भी अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में घृणा पैदा की। इन सब कारणों से भारतीयों में राजनतिक चेतना का विकास हुआ और वे शासन में भाग प्राप्त करने की मांग करने लगे।

(२) भारतवर्ष में अनेक राजनतिक संस्थाओं का निर्माण भी हुआ और इन संस्थाओं ने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों की प्रशासन में अधिक भाग देने एवं प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना करने की मांग की। सन १८८५ में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस ने अपने शुरुआत में आवेदन एवं निवेदन की नीति से कार्य किया। उसने प्रारम्भ से ही विधान परिषद् में विस्तार की मांग की। कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में शासन सुधार से सम्बन्धित नौ प्रस्ताव स्वीकृत किये। इन प्रस्तावों पर एलफिंस्टन काउंसिल के अंग्रेज आचार्य के निवास-स्थान पर अधिवेशन के प्रारम्भ होने से पूर्व चर्चा एवं बहस भी चली थी। इन प्रस्तावों द्वारा सरकार से भारतीय शासन की जांच करने के लिए एक गाही घायोग की नियुक्ति करके भारत मंत्री और उसकी भारतीय-परिषद् का भग वरन तथा प्रांतीय विधान परिषदों की श्रुटियाँ को दूर करने के उद्देश्य से निर्वाचित संसद रसन प्रश्न पूछने का अधिकार देने बजट स्वीकृत करने तथा बहमन के आचार पर नियंत्रण करने की प्रथा का प्रारम्भ करने सङ्घन प्रांत और पञ्जाब में परिषदों की स्थापना करने भारतीय नागरिक सेवा की प्रतिभोगिता परीक्षा भारत में भी करने तथा परीक्षार्थियों की आयु बानन और भारत के सनिक-यय में कमी करने की मांग की गयी। कांग्रेस ने ये सभी प्रस्ताव देश की अग्र राजनीतिक संस्थाओं के पास भेजे तथा उनसे

यह अनुरोध किया कि वे भी काग्रस द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का ममयन कर सरकार के पास भेजें।

काग्रस के दूसरे अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में उक्त माँगों को पुन दोहराया। इस अधिवेशन में शासन-व्यवस्था में सुधार लाने की दृष्टि से निम्नलिखित प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए —

(१) शाही परिषद् और प्रान्तीय परिषदों के सम्बन्ध में एक विस्तृत योजना बनायी जाय जिसमें सर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन परीक्षा रूप से करने की पद्धति अपनायी जाय तथा परिषदा व प्रस्तावों को सरकार द्वारा अस्वीकृत करने की शक्ति में प्रपील करने की छूट दी जाय।

(२) भारतीय नागरिक सेवाओं के लिए प्रतिभागता परास्ताए इंग्लैंड और भारत में एक साथ ही आयोजित की जाए।

(३) प्रान्तीय सेवाओं के लिए भी प्रतियोगिता परीक्षाए आयोजित की जाए।

(४) भारतीयों को सेना में स्वयंसेवकों की भाँति भर्ती होने का अवसर दिया जाय। —

(५) मुकद्दमों की सुनवाई में न्यायालयों में जूरी प्रथा को अधिक से अधिक अपनाया जाय और उनके निलयों को मान्यता दी जाए।

(६) इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में काग्रस का एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिला।

काग्रस के तीसरे अधिवेशन में नए अधिवेशन के प्रस्तावों को दोहराने के साथ ही साथ कुछ और नए प्रस्ताव स्वीकृत किए गए जिन में निम्नलिखित प्रस्ताव मुख्य हैं —

(१) सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए भारत में एक सैनिक महाविद्यालय की स्थापना की जाय और

(२) कानून-कानून में सगोपन किया जाय।

काग्रस का चतुर्थ अधिवेशन १८८८ ई० में इलाहाबाद में थी वृत्त के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ। श्री यूनन परिषद् के विस्तार की माँग करते हुए कहा कि हम यह चाहते हैं कि विधान-परिषद् का इतना विकास हो कि जिससे उसमें देश के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व हो सके। हम चाहते हैं कि परिषद् के प्राये सदस्य निर्वाचित और प्राये सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत हो। हम प्रान्त पृथक् का अधिकार भी चाहते हैं। यही हमारी माँगों का सार है। हम यह प्रस्ताव करते हैं कि नगरपालिका व सदस्य चेम्बर आफ कामस और व्यापारी सभ तथा वे सभी व्यक्ति जो गणेशिक और अन्य भाव पर योग्यताए पूरी करते हैं निर्वाचन का काम करें। इस प्रकार काग्रस और अन्य संस्थाओं

के द्वारा शासन-सुधार की मांग ने ब्रिटिश सरकार का नए सुधार घोषित करने के लिए प्रेरित किया।

(३) भारत सरकार भी सुधारों के पक्ष में थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन विधान-परिषद् के विस्तार के द्वारा नए सरकार के विरुद्ध भारत सरकार की शक्ति बढ़ाना चाहता था। चूंकि वह भारत मंत्री के नियंत्रण से अप्रसन्न परभाव था इसलिए उसने अपने परिषद् की एक समिति नियुक्त की और उस समिति के सुझाव सन् १८८८ में भारत मंत्री के सम्मुख पेश किए। उसने सुझाव दिया कि भारत सरकार अपने किसी भी तरह के उत्तरदायित्व को कम किए बिना भारतीयों को शासन में अधिक भाग दे। विधान परिषद् का गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद् से प्रश्न पद्धत का अधिकार दे। प्रान्ता की विधान सभाओं का विस्तार किया जाय और उनमें कुछ निर्वाचित सदस्य सम्मिलित किए जाए। किंतु किसी भी तरह संसदीय-शासन की स्थापना न की जाय क्योंकि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग है और ब्रिटिश सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह विरोधी जातियों में न्याय स्थापित करे। १८८९ में लॉर्ड डफरिन के स्थान पर लॉर्ड लंसडौन भारतवर्ष के गवर्नर बन कर आए। उन्होंने भी इसी प्रकार के प्रस्ताव भारत मंत्री के पास भेजे। इस प्रकार भारत सरकार भी शासन में सुधारों के पक्ष में थी। इसलिए सुधार लागू करना आवश्यक था।

(४) कुछ ब्रिटिश उदारवादी संसद सदस्य भी भारतीय शासन में भारतीयों को हिस्सा दिलाने के पक्ष में थे। चार्ल्स ब्रडला ने कांग्रेस की इन मांगों का एक प्रस्ताव के रूप में हाऊस आफ कामन्स में रखा परंतु हाऊस आफ कामन्स ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। इतना ही हुआ भी संसद के उदारवादी सदस्य ब्रिटिश सरकार पर भारत में शासन सुधार के लिए दबाव डालते थे। परिणामस्वरूप नए सुधार घोषित करना अनिवार्य था।

उक्त परिस्थितियों में भारत मंत्री ने सन् १८९१ में भारतवर्ष के शासन सुधार के लिए चेट्टा की विन्तु उद्देश्य सफलता नहीं मिली। सन् १८९२ में लॉर्ड कर्जन ने पूनः भारतीय शासन सुधार के लिए संसद में एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने अपने २८ मार्च १८९२ ई. के हाऊस आफ कामन्स में दिए गए भाषण में इस बात पर बल दिया कि १८९१ ई. का सुधार अधिनियम अपने उद्देश्यों में बहुत अधिक सफल रहा। किन्तु उस अधिनियम द्वारा विधान परिषद् के सदस्यों के कार्यों पर बहुत अधिक सीमाएं लगा दी गई थीं। फिर भी उनसे काफी लाभ हुआ। अब वह समय आ गया है जबकि उनमें और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि २८ सदस्यों को प्रश्न पद्धत बजट पर वादविवाद करने और सदस्यों को सभा बनाने से पर्याप्त लाभ होगा। यह अधिनियम संसद से पारित होने के पश्चात् शाही स्वीकृति प्राप्त कर १८९२ ई. का अधिनियम बन गया।

अधिनियम क मुख्य उपबन्ध

२म अधिनियम क मुख्य उपबन्ध २म प्रकार क

(१) अधिनियम क द्वारा विधान परिषद् क कार्य म वृद्धि कर ली गयी । मन्त्रियों का वायमराय की सहायिका परिषद् म प्रश्न पूछन का अधिकार दिया गया । प्रश्न पूछन क लिए ६ दिन का पूर्व सूचना देना आवश्यक था । विधान परिषद् को २० घण्टे का अधिकार था कि वह किसी भी प्रश्न क सम्बन्ध म अनुमति प्रदान न करे । प्रश्न क उत्तर म विचार करने का अधिकार नही था । बहू सोसायटी म रहत हुए विधान परिषद् का बजट पर काम करने का अधिकार दे दिया गया । प्रश्न सत्स्य का प्रश्न मुभाय उपस्थित करने की इतन प्रता थी । बजट क सम्बन्ध म मन्त्रियों का वार्ड ना प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नही था ।

(२) अधिनियम क द्वारा विधान परिषद् क सत्स्य की संख्या बढ़ा ली गयी । अधिनियम म यह कहा गया कि वायमराय या कानून बनाने क लिए अपनी कार्यकारिणा परिषद् का विस्तार करने का अधिकार होगा । उस दम हेतु कम से कम १ और अधिक से अधिक १६ मन्त्रियों का मनानीय प्रश्न का अधिकार होगा । मनोनीत म या म म कम से कम १ मन्त्र पर सरकारी हानि चाहिए । बम्बई और मद्रास क गवर्नर का भा अपनी परिषदों म कम से कम २ और अधिक से अधिक २ मन्त्रियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया । बंगाल क लिए अधिकतम संख्या २ तथा उत्तर-पश्चिमी प्रांत क लिए १२ मन्त्रियों का संख्या निश्चित की गयी । प्रांत म अनिश्चित संख्या का १/२ भाग सर-सरकारी मन्त्रियों का हाना आवश्यक था । गवर्नर जनरल का अपनी परिषद् की सहायता से संख्या की नियुक्ति के बारे में भारत मंत्री की पूर्व अनुमति से नियम बनाने का अधिकार दिया गया । कांग्रेस क दबाव क परिणामस्वरूप सरकार ने इन नियमों क आधीन निर्वाचन का अनुमति क लिए स्वीकृति प्रदान कर ली । यद्यपि २म प्रकार के निर्वाचित मन्त्रियों अपने स्थान तथा प्रश्न कर सर्वेण जय क सरकार द्वारा मनोनीत हो जाण गे । सरकार ने २म बार म यह आश्वासन दिया कि इस धारा क अधीन गवर्नर जनरल क लिए यह समझ हागा कि वह ऐसा प्रयत्न करे कि वह कय व्यक्तियों को जा निर्वाचन क द्वारा निर्वाचित हुए हए उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए एवं वह उन्हें मनानीत करे । निर्वाचन क नियमों क अनुसार विध्वविद्यालय जिना बोर्डों नगरपालिकाया चम्बर आफ कामस तथा प्रांतीय परिषदों के बठ सदस्यों को निर्वाचन करने का अधिकार दिया गया । गवर्नर जनरल और रेफिन्नेट गवर्नर को यह अधिकार दिया गया कि वे अपनी परिषद् म रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकें । यदि कोई सत्स्य लगातार दो महीने तक विधान परिषद् की बठक म उपस्थित नहए हाना हा उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है । सत्स्य की मृत्यु या उनके त्याग-पत्र क कारण भी उनका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता था । रिक्त स्थानों की पूर्ति मनोनयन द्वारा की जा सकती थी ।

(३) प्रांतीय विधान परिषदों को नये कानून बनाने और पुराने कानूनों को आवश्यकता के अनुसार रद्द व परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। इस के लिए गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति जैसा आवश्यक था। प्रांतीय क इस अधिकार से गवर्नर जनरल और उनकी विधान परिषदों के अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नहीं आयी। गवर्नर जनरल और उनकी विधान परिषदों को आवश्यकता होने पर प्रांतीय के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था।

अधिनियम के दोष

यद्यपि १९६ ई का शासन अधिनियम भारी आन्दोलन और घयपूर्ण प्रतीक्षा का परिणाम था फिर भी इसमें भारतीयों की आकांक्षाओं की संतुष्टि नहीं हुई। इसमें अनेक त्रुटियाँ और दोष थे

(१) निर्वाचन की पद्धति अस्पष्ट थी। जो व्यक्ति विधान परिषदों के लिए निर्वाचित होते थे, वे जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे। वे निर्वाचन के अधिकार के रूप में विधान परिषदों की बैठकों में सम्मिलित नहीं हो सकते थे। निर्वाचित प्रतिनिधि को जब गवर्नर जनरल विधानसभा में मनानीत करता था तभी वह बैठक में भाग ले सकता था। निर्वाचन के नियम भी ठीक नहीं थे। कुछ वर्गों को काफी प्रतिनिधित्व प्राप्त था तथा कुछ को छोड़ा भी प्रतिनिधित्व प्राप्त न था। उदाहरण के लिए बम्बई विधान परिषद में स्थानों में से दो यूरोपीय व्यापारियों का प्राप्ति था किन्तु भारतीय व्यापारियों का एक स्थान भी नहीं दिया गया था। सिंधु को भी स्थान प्राप्त था किन्तु पुना तथा सतारा को एक भी स्थान नहीं दिया गया था। गोखले ने इस सम्बन्ध में लिखा है अधिनियम की वास्तविक क्रियाशीलता उसके खोखलेपन को प्रकट करती है। बम्बई प्रांत को ८ स्थान दिये गये। दो स्थान तो भारत सरकार के द्वारा अपने नियमानुसार बम्बई विधानसभा एवं बम्बई कारपोरेशन को दिये गये। बम्बई सरकार में दो स्थान यूरोप के व्यापारी वर्ग को एक स्थान दक्षिण के जमींदारों का एक स्थान सिंध के जमींदारों को एवं दो स्थान सामान्य जनता को दिये गये। स्पष्ट है कि उसमें मात्र जिनके प्रतिनिधित्व प्रायः शून्य था।^१

(२) विधान परिषदों में सदस्य संख्या की वृद्धि अत्यन्त तुच्छ थी। सरकारी संख्या की संख्या भी बहुत कम थी। केवल २४ सरकारी सदस्यों में १४ सरकार के थे ४ निर्वाचित सरकारी थे और शेष मनानीत सरकारी थे। इस प्रकार चुने हुए सदस्यों की सरकार विरोध परवाह नहीं करती थी और वह सरकारी अधिकारियों की सहायता से अपनी सत्ता के अनुसार कार्य करने की स्थिति में थी। व्यवस्थापिका-सभाओं के शासन विधान केवल एक औपचारिकता मात्र रह गये थे।

(३) विधान परिषदों के कार्य भी अत्यन्त सीमित थे। पूरक प्रश्न नहीं पूछे

जा सकते थे। अध्यक्ष किसी प्रश्न व पूछे जाते से इन्कार भी कर सकते थे तथा उसके नियम के विरुद्ध कोई प्रतिवादन या पूरक प्रश्न के सम्बन्ध में वाद नमडौन ने १८६२ ई० में इस प्रकार विचार यत्न किये प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जिनमें केवल सम्मति प्रकट करने की प्रायना हो उनमें किसी प्रकार की तक भावना कल्पना तथा मान हानिपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए।^१ सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के मतानुसार न बचने के कारण एक उपयोगी व्यवस्थापिका का उद्देश्य ही व्यर्थ हो गया। विधान परिपद को बजट पर वाद नियंत्रण प्राप्त नहीं था। सदस्य बजट में कोई कटौती नहीं कर सकते थे। केवल अपने सुझाव दे सकते थे। स्मिथ के अनुसार बजट पर चर्चा की जा सकती थी किंतु तभी जब कार्यकारिणी अनुमानित आकड़ों का निश्चिन्त कर देती थी। दादाभाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के १८६३ ई० के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा १८६२ ई० के अधिनियम के अनुसार किसी भी सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सके अथवा इस प्रकार की वित्तीय चर्चा में गुटबन्दी कर सके। इस अधिनियम के अनुसार अथवा इसके अधीन नियमों के सम्बन्ध में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में इस अधिकार का प्रयोग कर सके। इस प्रकार वित्तीय चर्चा अथवा प्रश्न पूछने की दी यथा सुविधाया अथवा अधिकारों के सम्बन्ध में अनुचित व्यवस्था है। इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में किसी प्रकार का रद्दीकरण और सन्तोषन ऐसी शक्तों में नहीं किया जाएगा जो विधि या नियम बनाने के लिए बुलाये गई हों। इस प्रकार हम एक स्वैच्छिक शासन के अधीन चल रहे हैं। मदनमोहन मालवीय के अनुसार इस अधिनियम से भारतीयों को उनके देश की शासन व्यवस्था में कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। सी वार्ड चिन्तामणि के अनुसार सदस्यों को जो सुविधाएँ एवं अवसर प्राप्त हुए थे अत्यन्त सीमित थे। श्री रमेशचन्द्र के अनुसार १८६२ ई० का अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगों की अपेक्षा बहुत कम था।

(४) एक आलोचक के अनुसार १८६२ ई० का अधिनियम एक प्रकार के समझौते का प्रयत्न था जो एक ओर परिपद के सम्बन्ध में सरकारी दृष्टिकोण व्यवस्थापिका सभाओं के लघुरूप में प्रस्तुत करना था तथा दूसरी ओर उनके सम्बन्ध में शिक्षित भारतीय दृष्टिकोण उनकी अपरिपक्व अवस्था को प्रकट करता था। इस प्रकार दोनों दृष्टिकोणों का अन्तर स्पष्ट लक्षित होता था। जिसका पहला पक्ष एक ऐसे रास्ते पर था जो अन्ततः राजनीतिक गतिरोध के रूप में तथा एक गला घोटने वाले सरकार के प्रबंध विभाग के रूप में प्रकट होता था। शिक्षित वर्ग की सीमाएँ विस्तृत करने के सम्बन्ध में कोई भी प्रयास नहीं किया गया जिसमें वे उत्तरदायी सरकार के कार्य में किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें अथवा उसके नियंत्रण के लिए भावी निर्वाचक दल की नींव न्यापना कर सकें। इस प्रकार अधिनियम के

द्वारा जानबूझकर निर्वाचन के मद्दत में प्रयत्न की गयी। इस प्रकार सन् १८६२ का अधिनियम अपर्याप्त तथा असन्तोषजनक था।

अधिनियम का महत्व

अधिनियम की आलोचना के परिणामस्वरूप हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिये कि इस अधिनियम का कोई महत्व नहीं है। इस अधिनियम का भारतीय सविधान के विकास के इतिहास में काफी महत्व है। इस अधिनियम के द्वारा यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया कि भारत के केन्द्रीय व प्रांतीय शासन में ऐसी विधानसभाएं होनी चाहिए जिनमें भारतीय जनता के प्रतिनिधि बनें और वे शासन के बारे में गवर्नर जनरल और गवर्नर से प्रश्न पूछें।

सन् १८६२ का अधिनियम १८६१ ई. के अधिनियम से एक कदम आगे भी था। विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। उनको वजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ तथा भारतवर्ष में ससदीय सरकार की अप्रत्यक्ष रूप से नींव रख दी गयी। चाहे ब्रिटिश सरकार लगातार इस बात से स्पष्ट इंकार करती रही हो। इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा भी प्रारम्भ हुई जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी।

इस अधिनियम का महत्व इस बात में भी है कि यह भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम विजय थी। भारतीय राष्ट्रीय भावना अभी अपनी शुरुआत में थी और यह अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की प्रथम स्पष्ट फल प्राप्त थी। इस अधिनियम के द्वारा भारतवर्ष में निरंकुश शासन को नींव थोड़ी बहुत हिली तथा अनजाने ही भारतवर्ष की शासन प्रणाली संसदीय सरकार के आदेश का ओर अग्रसर हो चली।



शासन से सम्बन्धित परिवर्तन और राष्ट्रीय आंदोलन

(सन् १८६२ ई से सन् १९६६ ई तक)

प्रवेश

सन् १८६२ ई से १९६६ ई का समय भारत के सवधानिक और राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के इतिहास में अनेक दृष्टियाँ से महत्वपूर्ण है। इस युग में शासन का केन्द्रीकरण और अधिकारीकरण करने की दृष्टि से सरकार ने अनेक सामग्रीय कार्य किए जिनमें अधिकांश के साथ नान कर्जन का नाम जुड़ा हुआ है। इस काल में भारतीयों में आत्म विश्वास और योग्य की भावना जागृत होने के साथ ही लोगों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने की उत्पत्ति भी पैदा हुई। इसी काल में उत्तर राष्ट्रीयता का स्थान शीघ्रपूर्ण राष्ट्रीयता और आत्मनिर्भरता तथा अराजकतावादी राष्ट्रीयता ने ग्रहण किया। कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो गया—नरम दल और गरम दल। ब्रिटिश सरकार ने उत्पत्ति और क्रान्ति के उद्देश्य को रोक्ने के लिए नरम दल के लोगों को अपनी ओर मित्रान का प्रयास किया। अन्त में फूट डालो और राम करो की नीति का अन्तर्द्वारिक रूप देना प्रारम्भ कर मुसलमानों को प्रान्तों में नदर मुस्लिम लीग का स्थापना करायी और अन्त में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने की नीति का प्रयोग किया। हम यहाँ समेप में शासन का केन्द्रीकरण और अधिकारीकरण उदार गणनीयता उत्तर राष्ट्रीयता क्रान्तिकारी आंदोलन और मुस्लिम लीग की स्थापना आदि को चर्चा करेंगे।

शासन का केन्द्रीकरण और अधिकारीकरण

इस युग में शासन में अनेक परिवर्तन और सुधार हुए। इन परिवर्तनों के मूल में भारतीयों के प्रति साथ ही उनकी योग्यता और सच्चाई के प्रति अविश्वास की भावना थी। प्रशासन में कुशलता और निपुणता लाने का भी उद्देश्य कुछ सीमा तक निहित था। सेना का एकीकरण करने की दृष्टि से अनेक युग संगठन किया गया। लिचनर (सेनापति) न सेना की सुधार-योजना सन् १८६३ में सरकार के सम्मुख रखी जो सन् १९६६ के पश्चात् के वर्षों में क्रियावित्त की गयी। एक प्रधान सैन्य काल की स्थापना की गयी सैनिक अधिकारियों के शिक्षण के लिए चर्च में एक विद्यालय की स्थापना की गयी। इन सुधारों के फलस्वरूप भारतीय

सेना की शक्ति और कालता में वृद्धि हुई पर तु स य य काफ़ी बढ़ गया । स कजन न पजाब और सीमा प्रांतीय जिला स द्वय नियंत्रण समाप्त करन और एक नया प्रांत—उत्तरी सीमाप्रांत बनान की योजना भारत मंत्री के समुल रखी जो स्वीकृत करली गयी तथा १६ १ ई में नया प्रांत अस्तित्व में आ गया । सरकार न इस काल में सड़को और रेलों का निर्माण कर भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ कर लिया । स कजन न शिक्षा विधि विचारों पुरातन खाना आदि विषयों में निष्पन्न और नियंत्रण व निष्पन्न विधेयता की नियुक्तियों की । उसन शिक्षा पुरातनव वाणिज्य एवं मूलचर विभागों के लिए पृथक पृथक इंस्पेक्टर जनरल कृषि और विचारों के लिए इंस्पेक्टर जनरल भी नियुक्त किए । लाड कजन न १ २२ ई की विस्तार निष्पन्न की नानि को जारी रखा कि तु उसके दोषों को दूर करन की दृष्टि से सन १६ ४ में सय स्थायी कौशल किया । इनमें प्रथम प्रांत का राजस्व में भाग निश्चिन कर दिया गया । परिणामस्वरूप अनिश्चिनता दूर हो गयी और अतिथयिता को प्राप्तहूँ मिला । यह व्यवस्था १६१२ ई तक दली रही ।

एकीकरण की नानि के साथ अधिकारीकरण की नीति को भी अपनाया गया । सरकारी अधिकारियों को स्थानीय सस्थाओं और विश्वविद्यालयों में नियुक्त किया गया । परीक्षा में प्रतिद्विंता के आधार पर नियुक्ति के स्थान पर नाम निष्पन्न की नीति को प्रारंभ किया गया । उच्चतम स्थान सयों के लिए सुरक्षित किए गए । स कजन न कलकता कारपोरेशन अधिनियम (१८६६) में सयोंन कर सयों की सय ७५ स घटाकर ५ र दी । भारतीयों को कारपोरेशन और उसकी समितियों में सय सयक बना दिया गया तथा द्वितीय सयों का निश्चिन बहुमत बना दिया गया । १६ ४ ई के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय की सीनट आदि का युरोपीयकरण करके विश्वविद्यालयों को पूण रूप से सरकारी विश्वविद्यालय बना लिया गया ।

पुनिस रेलवे मालगजारी भूमि आदि कक्ष में सय सयन सुधार दिए गए । सय १६ २ में नियुक्त पुलिस कर्मीयों की सिफारिशों में सय अधिाण का स्वीकृत कर सय १६ २ ई में कायान्विन कर दिया गया । स्वीकृत मय सिफारिशों में से कुछ स प्रकार की वेतन बनाए जाए पुलिस शक्ति में वृद्धि की नानि अधिकारियों एवं सिपाहियों के लिए प्रशिक्षण के सय सयन अपराधियों की सय के लिए प्रांतीय विभाग स्थापित किए जाय आदि । पुनिस सयन के पुनसयन के कलस्वरूप सरकारी सय काफ़ी सय गया परन पुलिस दल की कुशलता में वृद्धि नली हुई । रेलवे प्रशासन को सुधारने की दृष्टि से सन १६ ५ में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गयी । १६ ८ ई में बोर्ड एवं सय सहायका को एक पृथक रेलवे विभाग में परिवर्तित कर दिया गया ।

इस युग में सवधानिक महत्व के भी सय काय हुए । सन १८६१ ई में सय सयन सिधिन सयिन के लिए भारत में समकालिक परीक्षा का प्रस्ताव स्वीकृत

हुआ। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई तथा ५५ पौंड के व्यय का वनकला म उत्तम मनोरियन हान बनाया गया। १ जनवरी १९३१ को धर्मवर्णन शिन्धी दरवार हुआ जिसमें १८ पौंड लक्ष हुआ। सन् १९४१ एवं १९७ के भारतीय परिषद् अधिनियम बने। प्रथम अधिनियम द्वारा सत्राट की गवर्नर जनरल की कार्यवाहिका परिषद् में उद्योग और व्यवसाय के लिए छठा मन्त्र नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। तृतीय अधिनियम द्वारा भारत में श्री की परिषद् का संगठन में परिवर्तन किया गया। सत्रियों की संख्या चोखर कर दी गयी। कार्यवाह १ स ७ वर्ष और वनन १२ पौंड प्रति वर्ष से १० पौंड कर दिया गया। वन वान में गवर्नर जनरल की परिषद् के सदस्यों की स्थिति का तथा भारत में श्री और गवर्नर जनरल का प्राथमी सम्बन्धों की स्थिति का भी स्पष्टीकरण हुआ।

राष्ट्रीय आन्दोलन - अवधानिक आन्दोलन

कायस म फूट

सन् १८६२ से १९२१ ई का समय कायस का इतिहास में विशेष महत्त्व का है। इस काल के प्रारम्भ में कायस में उदारवादिओं का प्रभाव था किन्तु शन शन उग्रवादिओं का जोर चलन लगा। उग्रवादि न उदारवादि या न कायों की आलाचना करना प्रारम्भ कर दिया तथा कायस पर उग्र राजनैतिक कार्यक्रम अपनाते का दबाव डालना प्रारम्भ किया। उन्होंने कायस के सामने स्वदेशी और अहिंसक का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। १९६१ ई का कायस का वनकला अधिवेशन में अहिंसक और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव पारित हुआ। फीरोजशाह मन्त्रा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि पुराने नेता यह अनुभव करने लगे कि वनकला में उग्र प्रस्ताव पारित करके व बहुत आगे बढ़ गए हैं जो उचित नहीं है और वे इन प्रस्तावों की बदलन की कोशिश करने लगे। उग्रवादी इस कारण बंद नागज हुए। अगला अधिवेशन सूरत में हुआ निश्चित हुआ। उग्रवादी सूरत में अधिवेशन होने के विरुद्ध थे क्योंकि उन्हें यह भय था कि सूरत अधिवेशन में नरम विचार वालों का बहुमत होगा। उग्रवादी बालगगाधर तिलक का कायस में यज्ञ बनाना चाहते थे किन्तु उदारवादी उनके विरुद्ध थे। स्वायत्त समिति ने डा रामबिहारी घोष का अध्यक्ष मनोनीत किया परन्तु उग्रवादियों का यह पक्ष लड़ा गया। ७ दिसम्बर १९७ ई को डा रामबिहारी घोष ने अपना स्वायत्त भाषण पढ़ा। इसका पचास वर्ष पद के लिए रासबिहारी घोष का नाम प्रस्तुत किया गया। जब सुरेन्द्रनाथ बनर्जी रासबिहारी घोष का नाम का अनुमोदन करने के लिए खड़े हुए तो उग्रवादियों ने अधिवेशन स्थल में अक्षयस्था पदा करा दी। उग्रवादियों ने अधिवेशन से अपने प्रापको पृथक् कर लिया। इस प्रकार सूरत अधिवेशन में कायस में फूट पड़ गयी। कायस दो दलों में विभक्त हो गयी। नरम दल का नेतृत्व गोपाचन्द्र गोखले और उग्रवादियों का नेतृत्व बालगगाधर तिलक ने सम्भाला। यहाँ हम उग्रवादियों एवं उग्रवादियों की नीतियाँ उद्देश्यों कार्यक्रमों और सिद्धांतों का अविस्तार बखान करने के साथ साथ प्रमुख व्यक्तियों का भी परिचय प्रस्तुत करेंगे।

सहने हम उदारवाद की चर्चा करेंगे।

(अ) उदार राष्ट्रीयता

सन् १९५ तक का राष्ट्रीय आंदोलन का चरण उदारवाद का युग था। इस युग में भारतीय राजनीति में एक व्यक्ति का प्रभाव था जो विशाल वृद्धि के ऐसे अग्रजा के प्रति उदात्त रखते थे जिनका उदारवादी विचारधारा में विश्वास था और जो बहिष्कार और सरकार से असहयोग के क्रान्तिकारी विचारों से भक्त थे। दादाभाई नौरोजी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी फीरोजशाह मेन्ता लाल माहून घाप रासबिहारी गोपानकृष्ण गोखले आदि नेता उदारवादी युग के प्रमुख स्वामी थे। ये मुख्यतः व्यापारी वकील शिक्षक सम्पादक आदि वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे।

उदारवाद का उद्देश्य और विकास मुख्यतः १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही हुआ था और इसके विकास में दो बातों का प्रमुख रूप में योग रहा था। प्रथम भारत का ब्रिटिश जातियों के ससंग में आना। द्वितीय पाश्चात्य शिक्षा का भारतीयों पर प्रभाव। उदारवाद के पोषक उच्च शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका दृष्टिकोण स्वयंसेवकान्ता था। वे जिस वातावरण में पले थे उसमें सक्रिय राजनीतिक विचारधारा की स्थान नहीं था। उस वातावरण की नाश करने का न मनोरंजन या म्या की है अग्रजी शिक्षा न भारतीय समाज की पुरानी रीतों में नई शराब भरने का काम किया जिसके कारण नई पीढ़ी के दिमाग पनप गए। १९वीं शताब्दी के मध्य तक बौद्धिक अराजकता का कान प्रारंभ हुआ गया था जिसमें नई पीढ़ी को प्रभावित किया। पाश्चात्य सभ्यता एक फलन की वस्तु बन गयी थी और अपने अपने प्रगसकों को अपने देश की ऊंची आवाज में निर्यात करने का प्रयत्न किया। पश्चिम की रबीज के प्रति जितना तीव्र अनुराग उनमें होता था उतनी तीव्रता में वे पूर्व की प्रत्येक वस्तु की निन्दा करते थे। परंतु यही शिक्षा भारत में राष्ट्रीयता के विकास के लिए वर्तमान सिद्ध हुई।

उदार राष्ट्रीयता मनोवृत्ति

उदारवादी पूरे राजभक्त थे। उनकी राजभक्ति के द्वार में मद्भाग्य करना चाहिए। यह स्थिति स्वाभाविक थी। सभी उदारवादी विचारक - वे वर्ग थे और पाश्चात्य शिक्षा में रंग हुए थे। उनके हृदय में ब्रिटिश राज के उपकारों के प्रति कृतज्ञता का भाव था। वे ब्राइटन शासन का भारत के लिए स्तुतिकर समझते थे और स्वीकार करते थे कि ब्राइटन शासन की सराहना करते थे। ब्रिटिश सरकार की धारप्रियता में उदारवादी भी घटने श्रद्धा थी इसी कारण उसके प्रति उनके हृदय में प्रशंसा और राजभक्ति की भावना उत्पन्न हुई थी। दादाभाई सितारामया न काग्रस के इतिहास में ठीक ही लिखा है राष्ट्रीय नेताओं का जब इस बात पर हाता था कि निश्चय रूप में अग्रज धारप्रिय और सच्चे होते हैं और यदि उन्हें भारत की समस्याओं का सही सही ज्ञान हो जाय तो वे सच्चा सच्ची

नहीं करते। १८६३ ई के काग्रस अधिवेशन के स्वागतार्थक सरकार दयानाथिह मन्त्रीधिया न कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए नीति कल्पना है।

उन चर्चा में हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि काग्रस के उदार नेताओं का ब्रिटिश नोकरगारी की मलिनियों का ज्ञान नहीं था। वे उसकी उदियों का झड़ी तरह जानत थे। फिर भी उनका यह विश्वास था कि यदि भारत की समस्या को स्पष्ट और प्रवृत्ता पूर्वक क्रिये की समझ में रख दिया जाय तो वह माँग करेगी कि भारत की परिस्थितियों में परिवर्तन किया जाय। फीरोजशाह मेहता न कहा था मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि ब्रिटिश राजनीति में अतः हमारी पुकार पर ध्यान दोगे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के निम्न शब्द उदार वादियों की मनोवृत्ति को भलीभाँति स्पष्ट कर देते हैं। अग्रजों के स्वाय बुद्धि और दयाभावना में हमारी हृद घास्या है। ममान की महानतम प्रतिनिधि-सभा सदस्यों की अन्तरी ब्रिटिश कामन मभा के प्रति हमारे हृदय में प्रतीम ध्रुवा है। अग्रजों में सबत्र प्रतिनिधि प्रादण पर ही शासन की रचना की है।

उदार राष्ट्रीय विचारों की विशेषताएँ

(१) पाश्चात्य सभ्यता एवं सभ्यताओं के दोषर उदारवादी नेता पाश्चात्य सभ्यता एवं सभ्यता से पूरा रूप से प्रभावित थे। वे अग्रजों के प्रति श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति थे। उनको पश्चिमी देशों में शिक्षा लीक्षा मिली थी परिणामस्वरूप उन्हें पश्चिम में पाई जान वाली सभ्यताओं में पूरा विश्वास था।

(२) ब्रिटेन और भारत का सम्बन्ध उदारवादी नेता ब्रिटेन और भारत के सम्बन्धों को बनी मृदा से देखते थे। वे देश में नयी राजनीतिक चेतना का सूत्रपात करने के लिए अपने को और देश को अग्रजों का आभारी समझते थे। काग्रस के जन्म के लिए भी वे अपने को अग्रजों का ही कृतज्ञ समझते थे। उनका विश्वास था कि भारत का भविष्य ब्रिटेन से जुग हुआ है।

(३) नतिक प्रभाव से प्रार्थना पर विश्वास उदारवादी नेताओं को अग्रजों पर दबाव डालने और उनसे प्रार्थना करने पर झूठ विश्वास था। उस काल में जो नेता प्रभावशाली भावुक भाषा में अर्थना पर अपनी मांगों को स्वीकृत कराने के लिए प्रभाव डाल सकता था वह उनका ही सरुल और कुशल नेता समझा जाता था।

(४) अग्रजों सिंहासन की छत्र छाया में स्वशासन की मांग काग्रस उदारवादी अग्रजों के सिंहासन की छत्रछाया में स्वशासन चाहते थे। काग्रस के दूसरे अधिवेशन में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने जोरदार शब्दों में कहा था वशासन एक प्राकृतिक दन है ईश्वरीय शक्ति की कामना है। प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं अपने भाग्य का नियंत्रण करने का अधिकार होना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मेलन विद्ये करने का स्वप्न में भी विचार नहीं था। अतः पूरा स्वतंत्रता का स्वप्न भी उनके मस्तिष्क में नहीं था। गान्धाई नौरोजी ने १९५ ई में अपने अध्यात्म भाषण में उपनिषद् के जय स्वशासन न

स्वराज्य का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था हमारा उद्देश्य सयुक्त राज्य का स्थापन स्वराज्य प्राप्त करना है। अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करने का विचार ही अंग्रेजों का उद्देश्य नहीं था। वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य में सवधानिक विकास करने का विचार ही अंग्रेजों का उद्देश्य नहीं था। संभवतः अंग्रेज यह भावना नहीं लाया था कि औपनिवेशिक स्वराज्य किम्वदन्त है। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में प्रतिनिधिक संस्थाओं का स्थापना करना था।

(५) व्यवस्थित विकास में विश्वास — वास्तव में अंग्रेजों ने जनता को भलीभांति समझना था कि प्रतिनिधिक शासन का समापन केवल एक चुनाव में नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थाएँ सरकार से ऐसी कार्य प्राप्ति की जा सकती हैं जो कि उन्हें तुरन्त ही प्रतिनिधि शासन प्रदान करे। अर्थात् विश्वास ही उनका विश्वास था। अंग्रेजों का यह उद्देश्य ही अंग्रेजों का उद्देश्य था। अंग्रेजों पर सरकारी जमान की नीति के बकायल नहीं था। उस समय के कांग्रेस नेताओं की यही भावना थी कि सरकारों की कार्रवाई का दरवाजा भारतीयों के लिए बन्द नहीं होना चाहिए।

अंग्रेजों का साधन

अंग्रेजों का अंग्रेजों के साधन भी विचारधारा के संघर्ष अन्तर्गत था। वे क्रान्ति एवं समाज सुधार करत थे। वे भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों में सामंजस्य बनाए रखना चाहते थे। वे यह बातें में विश्वास नहीं करते थे कि भारत और ब्रिटेन के हित एक दूसरे के विरुद्ध हैं और दोनों में दर-दर का संघर्ष है। अतः क्रान्तिकारी साधन में उनका विश्वास नहीं था। पहले में स्थापित की हुई व्यवस्था में आकस्मिक अप्रत्याशित परिवर्तन करना भी उनका विश्वास का सीमाओं के बाहर की बात थी। उनका उद्देश्य ही हिंसा के प्रति धारणा का भाव था और वे किसी भी स्तर पर अशांति को उत्पन्न करने का तयार नहीं थे।

अतः ही तीन चीजों का कड़ा विरोध किया था। अंग्रेजों ने विदेशी आक्रमण की सहायता करना और अपराध का आश्रय देना। अंग्रेजों की धार्मिक आन्दोलन की तकनीक में विश्वास करते थे। ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति और न्यायवादी दृष्टिकोण के अनुकूल ही अंग्रेजों का धार्मिक आन्दोलन की तकनीक का अपनाया। अंग्रेजों ने एसा प्रत्येक योजना अपनाया साधन का सतकटा पूरा ही धारणा किया जिसके लिए अंग्रेजों का ही हिंसा के विरुद्ध अंग्रेजों की विरोध करेगी। अंग्रेजों सरकार के कोष में बचन का भाग अपनाया। वे सरकार के कोष का भाग नहीं बनना चाहते थे और अशांति दमन और अत्याचारपूर्ण जानूतों का विरोध करना लक्ष्य नहीं भी उनका उद्देश्य नहीं था। उनकी प्रकृति राजनीतिक मिश्रण नहीं थी। अंग्रेजों की न्याय प्रियता में अंग्रेजों पूरा विश्वास था। अतः ही अंग्रेजों की धार्मिक विचारधारा के ध्यान को सांख्यिक भाषणों स्मरण तथा प्रस्तावों आश्वासन तथा तथा शिष्टमण्डलों द्वारा आश्वासित

करने तथा जनता और मन्वी के सामने भारत की समस्याओं को ठीक उपस्थित करने के इरादे में कई शिल्पमण्डल भेजे। राष्ट्रवादी अग्रजों के सामने इस प्रकार में पैदा आते थे मानो उनमें मानस और पौरुष का विकृत ही अभाव हो। वे सरकार के पास गिरायतो व मुद्दाग के लिए अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर जाने में यत्न करते थे। उनका आवेदनो और गायनाप्रो में कितना विश्वास था वह प मन्वीमोहन मानवीय के निम्न श। ने स्पष्ट है जो उन्होंने काश्म के तृतीय अतिवेगन में कते थे। यद्यपि अनेक प्रयत्नों में अभी तक हम सफलता नहीं मिली है किन्तु भी हम सरकार के समीप पुन जाना चाहिए और निवेदन करना चाहते हैं कि वह हमारी मांगों अथवा हमारी प्राथनाओं पर पीछा तिस्रोघ्न विचार करे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उदारवादी धार्मिक तरीका में विश्वास रखते थे।

उदार राष्ट्रीयता की श्रुतिया

आधुनिक दृष्टिकोण से उदार राष्ट्रवादिया व विचारों का मूल्यांकन करने पर उनकी विचारधारा में अनेक अतिशय अतिशोचर होती हैं।

(१) साधन राष्ट्रीय स्वाभिमान के अनुकूल नहीं

काश्म के शुरु के दिनों में राष्ट्रवादिया न जो काम किए और उनके निमित्त जो साधन उपनाए वे राष्ट्रीय स्वाभिमान के अनुकूल नहीं थे। कभी कभी तो लोग उसे अत्यंत ही दृष्टि से देखते थे।

(२) ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति मिथ्या धारणा और पथापवाद का अभाव

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या वास्तविक आधार था अथवा उसकी क्या प्रवृत्ति थी इस बात को उदारवादी नेता समझ नहीं सके। वे इस तथ्य को भनीभाति हृदयगम नहीं कर सके कि जिस ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशंसा करते व नती अर्थात् उनकी नींव सहायता पर नहीं थी। वे भारतीय जनता का रक्त से सींची गई है। यह भी उनका आधारहीन और मिथ्या अनुमान ही था कि ब्रिटिश और भारत के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे ब्रिटिश शासकों के कृत्रिम आवरणों को समझने में सक्षम अक्षम रहे और गायन इसी कमजोरी के कारण व कल्पना लोक में ही विचारण करने रहे और पथाप के धरातल पर गन् हान की अक्षम्यता अक्षम नहीं की। यथायथ में एक होने के कारण यह विचारधारा ऐसे लोगों के गले उतर नहीं सकी जिनमें अदम्य राष्ट्रभक्ति थी स्व गायन व असीम अनुराग था और भावना थी जहाँ से जहाँ मातृभूमि को विदेशी गन् से उन्नाश दिनाम की।

(३) कृतज्ञता की भावना अतिशय

ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के प्रति प्रशंसा और कृतज्ञता की भावना अतिशय थी। वे इस कटु शत्रु को हृदयगम करने में अक्षम हुए थे कि भारत ब्रिटिश पूँजीवादी के लाभार्थ अग्रजों का एक उपनिवेश मात्र था। अतिसर अक्षम

भारतीय जनता को अपने हिताथ कुछ प्रमुख रियायतें प्रदान भी करना तो इसमें राष्ट्रवादी यो म कृतज्ञता के भाव का होना आवश्यक नहीं था ।

(४) व्यावहारिक दूरदर्शिता की कमी

उदारवादियों की स्थिति बड़ी अजीब थी । वे अग्रजों को समझने में मन्थन प्रसफल रहे । इससे तो यही जाहिर होता है कि चाहे वे किन ही शिक्षित और असाध्य दोगमत्त भी क्यों न थे उनमें व्यावहारिक दूरदर्शिता का अभाव था इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता । यदि भारत में बड़े बड़े सुधार कर लिए जाते और भारतीयों का अपने देश का प्रबंध आप करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती तो ब्रिटेन भारत को अतिशय जल्द तक आर्थिक दासता के पाश में निबद्ध नहीं रख सकता था । यह एक स्पष्ट ही बात थी परन्तु उदार राष्ट्रवादी इसे नहीं समझ सके ।

(५) वास्तविकता से एकदम पृथक्

य धारणा वास्तविकता से कौमो दूर और आधारहीन थी । अग्रज भारतीयों पर जुम डालते थे परन्तु उदारवादिओं की अग्रजा की न्याय-व्यवस्था पर विश्वास बना रहा । अग्रज जन अधिकारों के नाम पर किसी भी प्रकार की रियायत देने को तयार नहीं थे फिर भी अग्रजों की जनतंत्रीय पद्धति पर उनका विश्वास बना रहा । वे अपने इस विश्वास से कभी नहीं डिगे कि अग्रज एक जनतंत्रीय जाति है और वह भारत में धीरे धीरे जनतंत्र की स्थापना के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होंगे । उनका यह विश्वास कितना आधारहीन कितना भ्रान्ति-ज । और कितना अयथाय था ।

(६) उदारवादियों का प्रभावशाली भ्रुविना के निर्वाह में असफल रहना

उदारवादियों के क्रियाकलापों से सुधारों में कोई परिवर्तन की गुंजांश मन्सूम नहीं होती थी । अग्रज उनकी मांगों पर कान ही नहीं देते थे और उन्म वा की बराबर याचना करते रहते थे । अतः देश उदारवादियों के प्रयासों से आक्रुष्ट और अनुष्ट नहीं हो सका ।

(७) उदारवादियों के तरीके देश की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं

उदारवादियों ने जिस तरह से सवधानिक उपायों का मन लगाया वे देश का जनता को भा नहीं सके । देश का जनमत इस पक्ष में था कि ऐसी समय नीति अपनायी जाय जिससे अग्रजों में बदले का पार्-पार् का हिसाब चकता किया जा सके । देश का जन मानम अग्रजा से प्रतिशोध लाने के लिए पत्र था और एम समय में उन्म देशों द्वारा अन्म ए अन्म तरीकों को काता की सन्म जाने लगी । इस प्रकार उदारवादियों के साधन देश की मिट्टी के अनुकूल नहीं थे ।

(८) राजनीतिक शिक्षावृत्ति की दुबलता

सच बात तो यह है कि इन लोगों ने जिन साधनों और उपायों का प्रयोग किया वह हर्षक थे एक उनका सारा प्रभाव जाता रहा था । वे ब्रिटेन के द्वार पर

शिक्षा मागकर वहाँ की जनता की आत्मा को प्रायतः और आवेदनो से जागृत कर प्रतिनिधि-शासन मे पूरा करने की आशा करते थे। यहाँ उनकी दुबलता का प्रमाण था कि उन्होंने अपनी शक्ति पर भरोसा करके साम्राज्यवादियों को चुनौती देने की बजाय अपने शासकों की अनुकम्पा पर ही विश्वास किया।

(६) उदारवादियों मे त्याग और बलिदान की कमी

गुरुमुख निहालसिंह का यह कथन सवथा युक्ति मगन है कि सभवत गोखले को छोड़कर नरम नेताओं मे यत्नितगत वृत्तमान करने और आपत्तियाँ सहने की कोई भी तयार नहीं था। उ म स ऐसे लोग बहुत कम थे जो दीष कारावास देश निर्वासन अथवा सरकार द्वारा अपनी सम्पत्ति का अपहरण किया जाना शान्तिपूर्वक सहन कर लेते। ये सब चीज उस आगामी पीढी के लिए जिसने महात्मा गांधी की पताका के नीचे काम किया था प्रति सामान्य हो गयी।

(१०) युवक शक्ति के आक्रोश को गति नहीं

उदारवादिओं के वधानिक तरीका मे युवक शक्ति के आक्रोश को गति नहीं मिली और कालांतर मे यही युवक आक्रोश आतंकवाद के रूप मे भडक उठा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उदारवादी अपनी राजभक्ति की भावना से प्रस्त होने के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विरोध सक्रिय नहीं हो सके।

उदार राष्ट्रायता की दम

चाहे उदारवादिओं से राष्ट्र के बहुमत का समर्थन नहा हुआ परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम उन प्रारम्भिक देशभक्तों की अवहेलना कर दें। अगर ऐसा हुआ तो यह हमारे इतिहास मे काला दिन होगा। वस्तुतः भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के इन मागदशकों के आर्थों को सवथा गिरथक नहीं कहा जा सकता। उनके दूरगामी और महत्वपूर्ण परिणाम प्रकट हुए। वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उदारवादियों की निम्नलिखित देन है —

(१) भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा

राष्ट्रीय आन्दोलन को उनकी वास्तविक देन यह है कि उन्होंने भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की और उसमे प्रजातान्त्रिक आर्थों का प्रसार किया और धीरे धीरे भारतीयों की कमी जागृति मे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उत्पन्न किया। यह इसके लिए उनका सदैव श्रेणी रहेगा।

(२) जन अधिकारों का संरक्षण

इसमे कार्य सम्पन्न नहीं कि उदारवादी राजभक्ति की भावना मे श्रेष्ठ प्रोत्साहन परन्तु इस सत्य मे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने जन अधिकारों का संरक्षण भी किया।

(३) भारतीय राष्ट्रीयता के प्रणेता

यह बात तो मुक्त रूप से स्वीकार करनी पड़ती है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रणेता उदार राष्ट्रवादी ही थे। उन्होंने आन्दोलन को शिवाजी की वि

वे प्रान्तीय और साम्प्रदायिक घरातनो से ऊपर उठें तथा साम्राज्य राष्ट्रियता की भावना को अपने हृदय में विकसित कर। अतः म. गुरुमुख निहानसिंह के शोभन दोहराया जा सकता है। प्रारम्भिक काग्रेस ने राजभक्ति की प्रतिनाशो नरम नीति आवेदन ही नहीं अतः शिक्षा वृत्ति के बावजूद भी उन दिनों राष्ट्रीय जागरण राजनीतिक शिक्षा भारतीयों को एकता के मंत्र में गूथित करने और उनमें सामान्य भारतीय राष्ट्रियता की भावना का निर्माण करने में कठिन परिश्रम किया था। श्री पट्टाभि सीतारामय्या ने लिखा है 'शुरु के काग्रेसियों की भीरता और भिन्ना वृत्ति को उपवास की दृष्टि से देखना अत्यन्त सगम है परंतु उस समय जब भारतीय राजनीतिक दल में कोई नहीं था उन लोगों ने जो हृदय प्रेरण किया था उसके लिए हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। किसी भी आधुनिक इमारत की भाव में ६ फीट जो दूट चुना और पथर गड़े हुए हैं क्या उन पर कोई दोष लगाया जा सकता है? क्योंकि वही तो है जिसके ऊपर सारी इमारत खड़ी हो सकती है। पहले उपनिवेशों के ढंग का स्वशासन फिर साम्राज्य के प्रगत शुरु शासन इसके बाद स्वराज्य और सबके ऊपर जाकर पूर्ण स्वाधीनता का मंत्रों एक के बाद एक बन सकी हैं।

(४) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नींव केन का श्रम उदारवादियों को ही है। उन्होंने ही भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए सरकार से उठना सिखाया। उनकी नीतियां ही परिवर्तन लाकर देश में काग्रेस ने अपना उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य तथा पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया। श्रीमती एनीबेसेंट लिखती हैं कि नरम दल के नेताओं ने ही हमको इस यात्रा बनाया कि हमें स्वतंत्रता की मांग सरकार के सामने रख सकें।

उदार राष्ट्रीयता के जनक

दादाभाई नौरोजी सुरे नाथ बनर्जी फीरोजशाह मल्टा रासबिहारी बोस बालमोहन घोष गोदानदृष्टण गोपाल उदारबाबू व प्रमुख स्वतंत्रता के जनक थे। यहाँ हम इन उदारवादियों में से कुछ के संक्षेप में चर्चा करेंगे।

दादाभाई नौरोजी

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रथम चरण के नेताओं में दादाभाई नौरोजी का नाम सर्वप्रथम आता है। उन्होंने ६१ वर्ष तक राष्ट्र की सेवा की ४ वर्ष तक काग्रेस की स्थापना के पूर्व तथा २१ वर्ष तक उसके पश्चात्। उन्हें प्यार और आदर से 'आखिरी के शेर' की उपाधि दी गई है। डॉ० पट्टाभि सीतारामय्या ने उनके बारे में लिखा है कि 'राष्ट्र के गणतन्त्र नेताओं की सूची में पहला नाम दादाभाई नौरोजी का है जिन्होंने काग्रेस के साथ उसके जन्म से सम्पर्क स्थापित कर जीवन पथ में उसकी सेवा की और जा विकास के सब पहलुओं में उसके साथ रहे। उन्होंने वास्तव को प्रमाणित सद्धी विकास का स्वर करवाने वाली संस्था की तुल्य स्थिति से उठाकर राष्ट्रीय संस्था की गौरवपूर्ण स्थिति तक पहुँचाया

जिम्मे स्वराज्य की प्रपना विचारित व बनाकर उपायी प्राप्ति के लिए कार्य करना प्रारम्भ किया। श्री धर्म वितामणि ने उनके सम्भव में किया है ६ वर्षों तक दादाभाई नौरोजी विकट परिस्थितियाँ से लड़ते हुए पूर्ण निष्ठापूर्वक विद्वान् के साथ एक उद्देश्य के लिए मातृभूमि की सेवा कर रहे। वे प्राथमिकी में मद्रास विद्यालय में अल्पवय उदार तथा प्रयत्नशील थे। यत्नशील चरित्र तथा भावजनित शक्ति में महान् दादाभाई नौरोजी अपना दण्डवाक्त्व के लिए एक प्रयुक्त श्रेष्ठ प्राण थे।

नौरोजी का जन्म बम्बई के एक पारसी धार्मिक परिवार में ४ सितम्बर १८२१ ई. में हुआ था। जब वह १४ साल का था तभी उसके पिता का स्वयंवास समाप्त हुआ। उनकी माता ने उन्हें बचपन से ही मराठी और अंग्रेजी शिक्षा दी। वे एक विद्वान् विद्वान् के विद्वान् विद्वान् थे। बम्बई के प्रधान 'यायादी' सर एस. एन. पेर्री का बहुत धर्म के सम्बन्ध में बहस करने की शिक्षा प्राप्त कर। हिन्दु धर्म परिवार के पुराने विचारों के कारण वे विद्वान् न जा सके। सन् १८५० ई. में वे 'फोर्ब्स' विद्यालय में प्राथमिक और प्राकृतिक विज्ञान के अध्यापक नियुक्त हुए। यह स्थान प्रथम किमी भारतीय का नौरोजी का था। सन् १८५६ में उन्होंने 'मैट्रिक' में अग्रणी प्रथम श्रेणी में प्रथम क्रमांक प्राप्त किया और एक पारसी सम्प्रदाय के एक सभ्य के पापा की श्रेष्ठता करने के लिए सम्बन्ध बन गए। इस सम्प्रदाय में वे शामिल हो गये। १८७६ ई. में उन्होंने 'बरोदा' नाम की दीवानी स्वीकार कर ली। यहाँ पर वे अधिक किया तक नहीं रहे सके क्योंकि अंग्रेज 'रजिस्ट्रार' बनल पेर्री से उनका मतभेद रहता था। इसके पचास मृत्यु तक 'यापार' और 'राजनीति' ही उनका मुख्य कार्य रहे। सन् १९१७ ई. की बम्बई में उनकी मृत्यु हो गई। वे प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश राजशाही के सदस्य निर्वाचित हुए थे।

उनका जीवन का कार्य श्रेष्ठ अत्यन्त व्यापक था। उनकी प्रथम पत्नी और प्रथम पत्नी सत्याप्रा की जन्म देने का प्रयत्न प्राप्त है। उनमें से अधिकांश का मुख्य राजनीतिक प्रयत्न सामाजिक सुधार था। उन्होंने स्त्री शिक्षा और स्वातंत्र्य के लिए विशेष रूप में कार्य किया था। १८६६ ई. में उन्होंने 'इन्डियन एसोसिएशन' जिसका उद्देश्य अंग्रेजी जनता को भारतीय समस्याप्रा से अवगत कराना था की स्थापना की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाताप्रा में से एक थे। उन्होंने सन् १८८६ सन् १८९३ एवं सन् १९०६ में कांग्रेस के महामन्त्री का पद ग्रहण किया था। उन्होंने भारत और इंग्लैंड दोनों में कांग्रेस का जीवन की सफलता के लिए भरमन्न परिश्रम किया। उन्होंने कांग्रेस का स्वदेशी और स्वराज्य के नारे दिए तथा उन बहाने प्रादोलन के माध्यम से आगे बढ़ाया। यह बहाने की बहाने विभाजन नीति से वे प्रत्यक्ष दुखी हुए तथा उनके विरोध में उन्होंने स्वदेशी प्रादोलन का समर्थन किया। उनकी शक्ति ने भी भारत की उन्नति के लिए अत्यन्त परिश्रम किया। उन्होंने बताया कि भारत में अंग्रेजी शासन उनके पुनर्जातन का स्वरूप था और विद्वान् शासन के अन्तर्गत भारत की अपनी सुरक्षा के मुख्य में

भुलमरी और लानन की मौन मित्री थी। गाँव व वी के सभापतित्व में शाही आयोग के समक्ष गवाही देने हुए उन्होंने आन्दोलन की तीव्र आलोचना की और बताया कि अंग्रेजों ने भारत का कितना शोचित शोषण किया है। अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में वे पूर्णतया विश्वास करने लगे थे कि स्वशासन ही भारत की समस्या का निदान है। वे जनता के साथे सबकथ और गोखले के शब्दों में उनका जीवन देण भक्ति का सबसे अधिक उदाहरण था। उन्होंने देशवासियों के हृदयों में वह स्थान कर लिया था जिसके लिए मनुष्यों के पासक भी ईर्ष्या कर सकते हैं।

दादाभाई नौरोजी एक उत्तरवादी थे। उन्हें अंग्रेजों की 'यायपरायणता' में पूरा विश्वास था। पश्चात्कालीन सभ्यता एवं संस्कृति के वे महान् प्रशंसक थे। उनके विचार में भारत का ब्रिटेन से सम्बन्ध सुदृढ़ होना चाहिए। श्रमिक सुधारों तथा सवधानिक विधियों में उनको पूर्ण विश्वास था। प्रारम्भ में उनको भाषा बड़ी ही गान और सयत था किन्तु प्रायः चलकर सरकार की प्रतिगामी नीति के कारण उनका स्वभाव तथा भाषा में उन्नत आ गयी थी।

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी

बनर्जी महान् शिक्षा प्रमी एवं प्रखर वक्ता थे। १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में देश में सुरेन्द्रनाथ सबसे अधिक और कोटि प्रसिद्ध नहीं था। सर हेनरी काटन ने उनका सम्बन्ध में लिखा है कि शिक्षित वर्ग ही देश की बुद्धि और वाणी है। अन्न बगाली बाबू पेशावर से लेकर चटगाँव तक जनता पर शासन करते हैं। और राजकन सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का नाम मुत्तान और दक्षिण की जनता को समान रूप से उत्साहित करता है। भारत में यदि किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रीय आन्दोलन का जन्मदाता कहा जा सकता है तो वे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी थे।

उनका जन्म एक बुद्धिमान ब्राह्मण परिवार में १८४८ ई. में हुआ था। उनके पिता अपने समय के एक प्रतिष्ठित डाक्टर थे। बी.ए. पास करने के बाद सुरेन्द्रनाथ बनर्जी १८६८ ई. में इंग्लैंड में नागरिक सेवा की प्रतियोगिता में सफल हुए परन्तु उनका सरकारी सेवा का जीवन अपकाल का ही रहा। अंग्रेज अफसरों की सहानुभूति और प्रशंसा उन्हें प्राप्त नहीं थी फलस्वरूप एक साधारण बात पर उन्हें नौकरी से पृथक् कर दिया गया। उन्हें विनायक में बकालत पढ़ने की भी आना नहीं मिली। श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयत्नों के फलस्वरूप वे कलकत्ता के मेट्रोपोलिटन विद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक नियुक्त हुए। सन् १८७५ के पश्चात् शिक्षा पत्रकारिता और राजनीति से ही उनका सम्बन्ध रहा और पाँच ही दिनों में वे देश के एक महान नेता बन गए। उन्होंने रिपन कालज की भी स्थापना की जिसका नाम अब उही के नाम पर है। उन्होंने बंगाली पत्र का सम्पादन किया और इसके द्वारा जनमत को काफी जागरूक किया। सन् १८७६ में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। सन् १८८२ में उन पर अदालत की मानदानी का मुकाम चनाया गया। उनकी हमदर्दों में भारत में अनेक प्रदान हुए। सन् १८८८

एक ८५ क मध्य उहने लश क गितित मन्त्रम वग वा राजनीतिक आन्दोलन की कना म पारगत किया और आग चढकर व गीत्र नी काग्य क प्रमुख नेतामा म स एक हो गए । व दो बार काग्रम अन्त्य क पत् पर गामीन हुए । बगान विधानमभा क सन्त्य क म्प म महत्वपूर्ण काय किया । व न् वाग न्पड भी गए और अपनी मायता और वक्तृत्व गति स अग्रजा के दिन म सम्मान पना कर दिया ।

सुरेन्द्रनाथ भारतीय गन्धान क नाम म प्रसिद्ध थ । मन् १८८७ म वे कर्तीय कायकारिणी क मन्त्य गग । बगान विभाजन विराधी आ गना र समय आप सबप्रिय नेता थ । बाजी राजनतिक प्रतिवात् न सन्त्यक म १५ गौर माटफा सुधार याजना क पन्वात काग्रम स अन्त्य हा गग । अपन जीवन अन्तिम वर्षो म आप मन्त्रित्व क कार्यो म अधिक व्यस्त रह । ६ अगस्त १९२५ क आपका स्वगवास ना गया । उनके जन-सेवा क ५ वर्षो स वाभावित रूप स उहें आधुनिक भारत क निर्मातामा म स्थान मिलता है । उ गिटिंग साम्राज्य क प्रति यद्धा की भावना रखत थ और उसका निमू न करन क विरोधी थ । पर तु उनके आघार को विस्तन करना और उसम सुधार लाना न्क राजनतिक जीवन क विषय उद्देश्य थ । उनकी आत्मा अग्रिक उदार थी उनका चरित प्रशमनीय था और व भारतीय राष्ट्रायता क अग्रदूत थ ।

गोपालकृष्ण गोखले

गोखल भारतीय राजनीति के महान उदारवादी नेता शान्तिहारिक आन्दोलनो उदार बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक गुरु मान जात हैं तथा इनका स्थान भारतीय राष्ट्र निर्मातामा की प्रथम थली म आता है । व बम्बे प्रन्थ क गन्धामिरि निन क एक गाव म महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार म ६ मर् १८६६ ई कापना हुआ थ । जब उनकी आयु १८ वष की हा था तभी उनका पिताजी का दहान ना गया और गोखले को अपनी गिया प्राप्त करन क लिए कठिन मघष करना पडा । व प्राय सडक की बत्ती की रोगनी म बठकर पत्न थ तथा स्वय हाय स खाना पका कर खात थ । शिमा समाप्त करने के बाद व मरवारी नौकरी न करक पूना क एक अग्रजी स्कून म अध्यापक हो गए । यह स्कून ग्राम चलकर प्रसिद्ध फम्पु सन महाविद्यालय के रूप म विकसित हुमा और गोखल मन् १९ २ म उसके आचार्य पद स रिटावर हुए । जब वे इस स्कून की नौकरा पर नियुक्त हुए थे तभी उनका सम्पर्क भी रानासे स हुमा था । व गोखल की बुद्धिमत्ता और कत्त म परागणता म अत्यन्त प्रभावित हुए और गोखल का उहने मावजनिक सभा का मन्त्रा बनवा दिया । यह सभा बम्बे प्रदेश की मुख्य राजनीतिक मन्था थी और गीत्र ही गोखले प्राप्त के मुख्य व्यक्तिया म गिने जाने गये । ३१ वष की आयु म ही दणिए सभा ने उह म्पड म वेल्वी आयोग के समक्ष भ्रमना प्रतिनिधित्व करने के लिए भजा । नौकरिया का भारतीय करण करन तथा सेना क म्पय का कम करने क सम्बन्ध म उनका तर्को न आयुक्त का अत्यन्त प्रभावित किया था ।

सन् १८६६ में वे बम्बई व्यवस्थापिका सभा के लिए प्रश्न के कर्णीय-क्षेत्र की नगरपालिकाओं का प्रतिनिधि चुने गए। सन १९२३ में वे कर्णीय कायकारिणी सभा के सदस्य चुने गए। गोखले से प्रभावित होकर ला कजन न उन्हा निहा या ईश्वर ने आपकी असाधारण योग्यता को ही और आपने हमको बिना किसी गत के दंग सवा म नगा दिया है। १९५५ में आप बनारस कांग्रेस के सभापति निर्वाचित हुए। उस समय आपकी आयु ६५ वर्ष की थी। अश्विनन के अक्षर पर दिया गया भाषण कांग्रेस मंच पर में गये महान् भाषणों में गिना जाता है। १९५५-१९७३ में उन्होंने सरकार की प्रतिज्ञावादी नीतियों का घोर विरोध किया। उनके जीवन का सबसे अधिक स्मरणीय कार्य भारत सेवा समाज है जिसकी स्थापना उन्होंने सन् १९५५ में की। इस संस्था ने देश सेवा को भ्रष्ट भूमि की निस्वार्थ भाव से सेवा करने की शिक्षा दी है। गोखले ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष अफ्रीका में बसे भारतीयों के हितों की रक्षा में बिताए। १९ फरवरी सन् १९५५ को उनका वनवास हो गया।

गोखले कमठ तथा परिश्रमी व्यक्ति थे। उनका ज्ञान विद्यालय तथा बहुमुखी था। वे इतने ईमानदार बुद्धिजीवी थे कि बिना पूरी तरह साचे समझ नों विचार अभिमत नहीं करते थे। गोखले 'यायाधीश राना' का राजनीतिक तथा आध्यात्मिक शिष्य थे। वे उदारवादी थे। वे धार्मिक मुद्दों पर पक्ष में थे। वे एकाएक स्वयंसेवक की भांग को आयावहारिक मानते थे। उन्हें सवधानिक विधियों में पूरा विश्वास था। उन्हा अग्रजों की याय प्रियता में विश्वास था। वे सोचते थे कि जिस दिन अग्रजों की विश्वास हो जाएगा कि भारतीय स्वयंसेवक के लिए सक्षम हैं व उन्हें यह अधिकार दे देंगे। उनके विचार में भारत का ब्रिटेन से अन्त सम्बन्ध उसके लिए हितकारी होगा। उदारवादी विचारों के कारण कांग्रेस के बीच वे बहुत लोकप्रिय नहीं थे। वे साधारणतः सरकार तथा जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। उनके सम्बन्ध में कहा गया है कि वे जनता की आकांक्षाएँ वापसराय तक पहुँचाते थे और सरकार की कठिनाइयाँ कांग्रेस तक। इस कारण कभी कभी दोनों उनके विरुद्ध हो जाते थे जनता उनकी उदारवादिता के कारण तथा सरकार उपवादिता के कारण। लेकिन वे अपने पक्ष से कभी विचलित नहीं होने थे। वे सच्चे देशभक्त थे। मातृभूमि की सेवा उनके जीवन का प्रमुख न्यय था।

गोखले एक आयावहारिक आदर्शवादी थे। एक आयावहारिक राजनीतिज्ञ की भाँति वे परिस्थितियों के अनुसार विचारों और मांगों का सशोधित करने के पक्ष में थे। गोपालकृष्ण गोखले एक राजनीतिक सत थे। वे सावजनिक जीवन की आध्यात्मिकता से अनुत्थित करवा चाहते थे। उनकी धार्मिक वृत्ति और साधुवृत्ति के कारण ही महात्मा गांधी ने उन्हें राजगुरु के रूप में स्वीकार किया था। गांधीजी के गानों में मुझे लोहमाय तिलक महासागर की तरह लगे जिसमें कोई आसानी से नहीं उतर सकता पर गोखले

गंगा के तटमान थे तो सब को घेरने पाम बुनाती है। राजनीतिक क्षेत्र में उनके जीवन काल में और उसके अनंतर गोयने का मेरे हृदय में जो स्थान रहा है वह अपूर्व है। गोयने और तिलक की तुलना करते हुए डा. पट्टाभि सीतारामैया ने लिखा है कि 'गोयने नरम थे और तिलक गरम। गोयने वर्तमान में सुधार चाहते थे जबकि तिलक उनका पुनर्निर्माण के पथ में थे। गोयने को नीकरगाही के साथ काम करना पता था तो तिलक की नीकरगाही से भिन्न रहती थी। गोयने सम्भवतः सहयोग चाहते थे। तिलक का भुक्तव्य अडग नीति की तरफ था। गोयने का उद्देश्य था न्यायपूर्ण जिसके योग्य योग्य अपन को अग्रजों की कसौटियों पर बसकर बनाए किंतु तिलक का उद्देश्य था स्वराज्य जिसे विदेशियों के निरोध के बावजूद भारतीयों की प्राप्ति करना था।

गोयने का जीवन द्वय एक घृणा में दूर था और वे शासन व्यवस्था में यथार्थिक उपायों द्वारा सुधार लाना चाहते थे। वे राजनीति और नतिकता में कोई भेद नहीं समझते थे और उन्होंने भारतीय राजनीति की अपन उच्च चरित्र और आदर्शों से प्रभावित किया था। वे हिंदू मुस्लिम एकता और जनता की राजनीतिक शिक्षा के पुजारी थे। उनके जीवन काल में उग्रवादी नेताओं ने उनकी नीति की तीव्र आलोचना की। उनकी यहाँ एक विशेष कमी थी कि उनमें दिखावा नहीं था। वे सच्ची लगन से जिससे जनता का दानार्थिक तित हो काम करना जानते थे। जो आलोचना उन्हें पहले छिपे हुए राजद्रोही कहते थे उनका मधु के पश्चात् उनके माहात्म्य और विवेक शेष्य को समझने लगे। बाल गंगाधर तिलक ने उनकी भारत का हीरा महाराष्ट्र का राजा और कामकर्ता का राजा स्वीकार किया। राजा राजपतराम के विचार में वे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भाग्य के गरमे आये लखो में मथे। उनकी देशभक्ति रडी ऊँची देशभक्ति थी। यद्यपि उनमें सफल नयक होने की सम्भवतः योग्यता नहीं थी और वे जनप्रिय नेता भी नहीं थे किन्तु यदि राजनीति में सघर्षिता और महिष्पुता के मिश्रण का कोई महत्त्व है तो वे महात्मा गांधी से पूरे भागत के सब श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ थे।

(ब) उग्र राष्ट्रीयता

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के विराग ने दूर चरण की शुरुआत उग्रवादी राजनीति के उदय से होती है। प्रथम चरण में कांग्रेस पर उग्रवादियों का प्रभुत्व था जिन्हें अग्रजा की भनमनसाहत पर घसीम विश्वास था। वे यथार्थिक तथा कानूनी मायनों द्वारा राजनीति और प्रशासनिक सुधारों की प्राप्ति चाहते थे। उग्रवादी विचारधारा का प्रभाव कांग्रेस पर मुख्यतः १९५ ई तक और उसके कुछ बाद भी बना रहा। जिन १९वाँ मार बासवा गतापी में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी जिसके कारण लोगों का उग्रवादियों की गतिविधियों पर मे विश्वास उठ गया और वे राजनीति में सघर्ष प्रतियोग के लिए आग्रह हो उठे। उन्होंने शक्ति सुधारों के स्थान पर पुनः उग्रवादी की मांग करना प्रारम्भ कर दिया।

तिलक विपिनचन्द्र पान और ताला लाजपतराय के नेतृत्व में उग्रवादियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन को नया मोड़ दिया।

उग्रवाद के विकास के समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ

उग्रवाद के विकास के समय की राजनीतिक परिस्थितियों का सूक्ष्म अवलोकन करने पर निम्न सत्य सामने आते हैं —

(१) सन् १८६२ के अधिनियम के पारित हो जाने से दश में इस भावना को बन मिता कि अंग्रेजों से सघष करने पर कुछ राजनीतिक हितों की प्राप्ति की जा सकती है। उस समय के राष्ट्रवाद की प्रकार भी यही थी कि अंग्रेजों से सघष करने उन्हें पूरी तरह मजबूर कर दिया जाए तथा स्वराज्य की दिशा में कारगर कदम उठाए जाए।

(२) ब्रिटिश शासकों के निरकुशतावाद के खिलाफ घृणा का घोर वातावरण था और देश के राष्ट्रवाद की यही मांग थी कि जितना ज़ेदी हो उतना सक्रिय प्रतिरोध किया जाए और इसी जन असंतोष ने उग्रवाद के लिए रास्ता बनाया। लोग में यह भावना जागृत हुई कि अधीनता सबसे बड़ा अभिशाप है अतः जितना ज़ेदी हो परतन्त्रता से मुक्ति मिले और पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हो। इस प्रकार देश के कोने कोने में स्वराज्य की आवाज आ रही थी और उस समय का प्रबल राष्ट्रवाद किसी भी कीमत पर अपने इस उद्देश्य (पूर्ण स्वराज्य) की पूर्ति के लिए बेचन था। इस बेचनी ने जनता के सम्मुख केवल दो विकल्प प्रस्तुत कर दिए

(१) या तो वह अपने राष्ट्रवाद के मरि प्रवाह को कुठिन कर दे।

(२) या वह उदारवाणी असफल तरीकों को छोड़कर एक नूतन उग्रवादी विचारधारा से अपना सामजस्य स्थापित करे जो युग की पुकार थी। भारतीय राष्ट्रवाद ने समय की परिस्थितियों और तत्कालीन माहौल को पहचान कर उग्रवाद की तरफ उन्मुख होने में ही अपना कयाण समझा।

(३) हम समय ऐसे जन सेवकों का प्रादुर्भाव हो चुका था जो देशभक्ति से प्रोत्प्रोत थे जो सीमित स्वार्थों की परिधि से उठकर राष्ट्र के जीवन के साथ आत्मीयता का सबंध स्थापित कर चुके थे और जो मातृभूमि को गुलामी की ज़ीरों से मुक्त करने के लिए कृत संकल्प थे। इन जन नायकों ने अपने कार्यों से अपने आदर्शों से और नेतृत्व शक्ति के बल पर देश में अद्भुत जोग का संचार कर दिया और राष्ट्र एक नए युग की चुनौतियों को स्वीकार करने की निगा में अपनी भावी रणनीति निर्धारित करने के लिए सजग हो गया।

उग्रवाद के जन्म के कारण

(१) टोरी कुशासन

सन् १८६२ ई से १९६३ ई के मध्य क वर्षों में एंग्लो के शासन पर टोरी दल का प्रभुत्व था। इन वर्षों में शासक वर्ग ने भारत में एम्पे कानून प्रचलित किए जिनसे जनता धार नौकरशाही में खुला विरोध आरम्भ हो गया। कुशासन के पक्षस्वरूप

राष्ट्रीय आन्दोलन में उग्र भावना का समावेश हो गया। श्री गोकर्ण ने कांग्रेस के प्राथमिक अधिवेशन (१८६२) में लाडल मंडावन की सरकार (१८५५-१८६४ ई.) को चेतावनी देते हुए कहा था कि उसका गिता स्पष्टतापूर्ण स्वशासन और नौकरियों में भारतीयों की भर्ती में समर्थन नहीं मिला सड़क का आह्वान कर रही हैं। लाडल मंडावन के शासन काल (१८६४-१८६८ ई.) में अग्रज अधिवारियों की दमन नीति के फलस्वरूप देश के राजनीतिक क्षितिज पर काँटा बताने मंडावन उगरे। नटू बाबुओं की नजरबन्दी और बालगंगाधर तिलक की कठम स्पष्ट था कि नए भारत के निर्माण में रोड़े धरनाए जा रहे थे। १८६८ ई. के कायम के मद्रास अधिवेशन में श्री धार की नीति ने स्पष्ट गता म कता था कि विदेशी दो नर्तक में भारतीय जनता में असंतोष की और भी वृद्धि हुई है। तब कजन के शासन काल (१८६६-१९०५) में तो एजाएव सुफाव माँ धागया था। शासन की वास्तविक ममानन क समय लाडल कजन को धन विन्नाम हा गया था कि वह शासन को शांति में समाप्त करने में सफल हो सकेगा किन्तु उसका काय भारतीय राष्ट्रीय । के लिए सबसे अधिक पोषक तत्व सिद्ध हुआ। उसका आफीशियल मोरुम टिल जिसमें अभिनेता को अपराधी के विरुद्ध प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं थी किन्तु अपराधी को अपन को निरपराधी सिद्ध करने की आवश्यकता थी मय 'याय-मिद्वान्ता' के विपरीत था। उनका १६४ ई. का विश्वविद्यालय गिता सम्बन्धी अधिनियम जिसमें उच्च शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया था भारत के राष्ट्रीय हितों को नकारने के उद्देश्य से बनाया गया था। अधिनियम का भारतीय शिक्षित वर्ग ने विरोध किया। कजन ने कायकला कारपोरेशन पर भी सरकारी नियंत्रण लगाकर स्वशासन की प्रगति में बाधा डालने का प्रयास किया। उसके वर्ग भंग के कुल्लित काय न ता विद्रोह की भावना के लिए आग भधी डालने का काय किया। 'म सम्बन्ध' में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने शिक्षा विभाजन की घोषणा एक वम न गाने की भाँति गिरी हम ऐसा कहा कि हम अपमानित उपेक्षित और प्रवर्धित किए गए हैं।

(२) आर्थिक असंतोष

आर्थिक परिस्थिति और आर्थिक असंतोष ज्ञान्ति का जन्म दत्त हैं। १९वीं शताब्दी के अन्तिम काल में चारा और आर्थिक असंतोष प्राप्त था और निम्न मध्यम वर्ग में बेकारी की समस्या उग्र रूप धारण कर रही थी। अनाज मूँचाया आदि के कारण जनता में असंतोष अधिन वत गया। शिक्षित वर्ग के असंतोष और जनता के कष्टों ने प्रगतिशील राष्ट्रीयता की प्रात्याह्वन किया। दार्जिली नौरोजी रमेणक दत्त और विलियम डिग्बा द्वारा रचित पुस्तिका ने अग्रज विराधी भावना को प्रोत्साहित किया। इन पुस्तिका ने हमारे उग्र राष्ट्रीय विचारों के उत्थान में प्राति-कारी काम किया। उदारवादी विचारों के होते हुए भी उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक राष्ट्रीय विचारों का एक ठोस आधार प्रदान किया। भारत की दरिद्रता और प्रवर्धित प्रवर्धों उग्रता के जन्म बन।

(३) धार्मिक पुनरुत्थान

धार्मिक पुनरुत्थान ने शिक्षित वर्ग में पाश्चात्य शिक्षा सम्बन्धिता और संस्कृति के विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिनिध्या उत्पन्न की। आर्य समाज रामकृष्ण मिशन वियोसो फीकल सोसायटी आदि धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रचार ने जनता का ध्यान अपना प्राचीन गौरव की ओर आकर्षित किया। स्वामी विवेकानंद जैसे महान् नेताओं ने जनता में अपनी संस्थाओं को स्वयं हूँ करने के प्रति आत्म विश्वास जागृत किया। भारतीय जनजीवन में एक नवीन जागृति एक नयी स्फूर्ति उत्पन्न हुई। इस समय राष्ट्रीय साहित्य का भी विकास हुआ। इस युग का बंगला साहित्य देशभक्ति की उदात्त भावनाओं से आनपोत था। बंकिमचन्द्र का आनन्दमठ सामयिक रूप से प्रभावी पुस्तक थी और 'वनवा प्रतिष्ठ गीत' 'वद मातरम्' राष्ट्र गीत बन गया था।

(४) कर्जन की प्रतिगाभी नीति

लाह कर्जन की शासन नीति से भी भारत में उग्रवादी राष्ट्रीयता की प्रोत्साहन मिला। उसने शासन में केन्द्रायकरण की नीति अपनायी। उसने कर्जनता नमर निगम अधिनियम (१८९९ ई.) पारित कर निगम की प्रजातांत्रिक प्रणाली को समाप्त कर दिया और भारतीय विन्वविद्यालय-अधिनियम पारित करके महाविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण को बढा दिया। साम्राज्यवादी वैशेषिक नीति अपना कर सैनिक व्यय में काफी वृद्धि की। उसके विचार में भारतीयों की जानि न केवल पिछड़ी हुई थी बल्कि उत्तरदायी पदों के भी अपयोग्य थी। कर्जन के इन सब कार्यों से उग्रवादी राष्ट्रीयता को काफी प्रोत्साहन मिला।

(५) जाति भेद की नीति

उग्रवाद के उदय का एक कारण अग्रजा द्वारा अपनायी गयी जानि भेद की नीति थी। अग्रज लोग भारतीयों को निम्न प्रजाति का समझने थे तथा उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। आर्य भारतीय समाचारपत्र खल रूप में अग्रजा को भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रोत्साहन दत्त व सरकार की ओर से भी उद्दे प्रोत्साहन मिलता था। अग्रज भारतीयों के साथ अशिष्ट व्यवहार करते थे। किसी भारतीय की हत्या कर देने पर भी अग्रजों को नाम मात्र की सजा दी जाती थी। लाह कर्जन की नीतियों ने जातिभेद की नीति को काफी प्रोत्साहित किया था। कर्जन की मान्यता थी कि पश्चिमी लोग में सम्बन्धिता और पूर्वी लोगों में भवकारी पानी जानी है। जाति भेद की नीति ने भारतीयों में प्रतिगोध की भावना को उभारा और उद्दे उग्रवादी बना दिया।

(६) मिथ्यावृत्ति नीति पर से विश्वास का समाप्ति

राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भ के वर्षों में शिक्षा वृत्ति का नीति का अपनाया था। किन्तु उस नीति से अग्रजों की जन विरोधी शासन प्रणाली में परिवर्तन नहीं आया। लाह कर्जन के शासन-काल में इस नीति का उद्दा ही प्रभाव पडा। भारत वासी नागरिकों की मांग व प्रति सरकार का एक दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ा

ला गया। फतत नवयुवकों के हृदय में मरफार की नीति का प्रति असतोप तथा राग उत्पन्न होता प्रारम्भ हो गया और उनका विश्वास प्रगजा पर से उठता चला गया। तिलक विपिनचन्द्र पाल और बाबा साजपतराय जैसे नेताओं ने यह अनुभव किया कि उत्पारनादिया द्वारा प्रतिपादित नीति का अनुसरण करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः उनके नेतृत्व में नवयुवकों में उग्र कायक्रम तथा क्रांतिकारी भावनों का प्रवर्तन का निश्चय किया। उस समय तक नवयुवकों को यह विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के कष्टों के प्रति पूर्णतया उदासीन है पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्हें प्रयत्न ही परो पर खड़ा होना पड़ेगा।

(७) विदेशी प्रभाव

विदेशी घटनाओं ने भी देश की हृदय और निराशा की भावनाओं का दूर किया। सन् १८८४ में प्रबोमीनिया जैसे छोट्टे देश का सना न इटली जैसे शक्तिशाली राष्ट्र की सना का परास्त किया। इस घटना के फलस्वरूप भारतीयों के हृदय से अग्र जो शासन की सैनिक शक्ति का भय दूर हो गया। मिथ फारस टर्की के स्वातंत्र्य सपनों में भारतीयों को और अधिक प्रेरणा मिली। १६५ ई. में जापान न रूस का पराजित कर लिया इस घटना में भी भारतीय जनता अत्यन्त प्रभावित हुई। देश के शिक्षित नवयुवक जापान की उग्र तीव्र प्रगति के कारणों को जानने का विद्युत् उत्सुक हो उठे। उनके हृदय पर जापान के त्याग और देश भक्ति की भावना का गहरा प्रभाव पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत जातियों के भारतीयों के प्रति अभ्यन्तपूर्ण व्यवहार ने भी भारतवासियों की भावनाओं में धीरे धीरे क्रांतिहास का दाय किया। सन् १८६८ में मटान में भारतीयों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था तथा १८६७ ई. में उनके ऊपर स्थायी गुलाम का एक अधिनियम थोप दिया गया था। इन समस्त कारणों के फलस्वरूप भारतीयों के मन में एक नोप की जिनगीरी को नेत्री में मुग्धाने एव ज्वलित करने में सहायता मिली एव देश में सप्रवाद का पौधा फूलने पलने लगा।

उद्योगी आन्दोलन का विकास

उद्योगी आन्दोलन का प्रारम्भ सन् १८६६-६७ ई. के दक्षिण के भयंकर प्रवाल के फलस्वरूप हुआ। ऐसा भयंकर प्रवाल अफ्रीकी शासन में पड़ने न कभी देखा न जाना और न ही सुना गया था। प्रकानजय मुःसु की रोकने एव जनता की सहायता करने का मरवारी काय अत्यन्त प्रभावहीन था। जिस समय गरीब जनता भूख में तड़प-उ प कर मक्खिया की भांति मर रही थी, लाड एलिंगन सैनिक कार्यों पर अत्यन्त रसपा खच कर रहे थे। बालगगाधर तिलक ने दक्षिण के किसानों में स्वतन्त्रदम्भी आन्दोलन का सूत्रपात किया। उद्दोलन प्रजा की चेतावनी दी कि व. कायरता और भूख से जान न दे और लगान चुकाने के लिए अपनी नम्रों को न बचे। उन्होंने कहा था क्या तुम उस समय भी साहसी नो बन सकने जब मोठ तुम्हारे ऊपर नाच रही है।

१८६७ ई. के भूदान और प्लेन ने दक्षिण भारत की जनता के कष्टों की ओर भी भयंकर रूप दे दिया। पूना में रंग का कोष अखिर या ओर सरकार ने एक ब्रिटिश रजिमेंट के द्वारा भाति भाति स सफाई के बाव कराए किंतु सनिकों के दुःखबहार से जनता ओर भा बढ़ हुई। सनिक घरो में घस जात थे। वे अनेक प्रकार के दुःखबहार करते थे। वे लोग मंत्रि म घुसकर दबी देवताओं पर चढ़े हुए नवेद्य को भी खा जात थे। बिकरिया की जय ती के अवसर पर दो नव युवकों ने अक्षय्य एवं वनाम नेग कमिश्नर मि रत्न ओर ब्रिटिश रजिमेंट के लेफ्टिनेंट मि गायस्ट का गान्धी मार दी। बम्बई सरकार ने विनोद के पदचक्र का सदेह किया न बम्बुओ का जिनका हत्या स काई सम्बन्ध नहीं था नजर बन्द कर दिया गया। तिनके को १८ माह का सखत बन्द की सजा दी गयी। इन घटनाओं से उग्रवादी आंदोलन को काफी गति प्राप्त ई। काग्रस के १३वें अधिवेशन में सुरन्नाथ बार्ती ने कहा था तिनके की बन्द पर सम्पूर्ण राष्ट्र रो रहा है। सरकार का दमनकारी नीति न अक्षय्य का चिनगारी को ओर भी सुलगा दिया। ना एरिगन न अक्षय्य ग्रहण करते समय शिमला के यूनाइटेड सर्विसेज क्लब में भाषण दत हुए एक बक्शी की धारणा की कि हिन्दुस्तान तनवार के जार से जीता गया था और तनवार के जार में ही उसकी रक्षा का जायगा। १८६८ ई. में गराव के नग में पागत तीन ब्रिटिश सनिक न कलकत्ता के डाक्टर सुरेशचन्द्र सरकार पर खूनी हमला किया। अस बगान की जनता में शोध की लहर दौड़ गयी। भारतीयों का उस समय ओर भा अखिर दुःख हुआ जब कलकत्ता उच्च-पायालय ने जिसमें अधिकतर अग्रज पन्नाधिकारी ही थे इन अपराधियों को हत्या के अपराध से पूणत मुक्त कर दिया और उन्हें केवल मरुत हमला का ही दोषी ठहराया।

बंगाल विभाजन और स्वदेशी आन्दोलन

बंगाल का प्रांत सब से बड़ा प्रांत था जिसमें चार प्रदेश थे बंगाल बिहार उड़ीसा और छत्ता नागपुर। सन् १८९१ का जनगणना के अनुसार इसकी जन संख्या आठ करोड थी जिसमें एक तिहाई मुसलमान थे। सरकार के समय इस प्रांत के विभाजन का प्रांत पहल से ही था। सन् १८६२ में दीवानी और सनिक विभाग के विशेषज्ञों की एक समिति में इस प्रयोग के गानन पर उत्तर पूर्वी सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से विचार किया गया था। गानन की सुविधा के लिए उनकी राय में लुसाई पहाड़ियों और बिन्गाव कमिन्गरी को आसाम के सुपुन कर देना आवश्यक था। सरकार ने इस ओर उस समय काई ध्यान नहीं दिया। इससे पन्चात् १८६५ ई. में सर विलियम बार्न सरकार का प्रांत इस प्रकार आकषित किया। वे चाहते थे कि ढाका और भमनसिंह के जिन आसाम में बिना लिए जाए। परंतु सर विलियम कान्म ने जो उनके पन्चात् घहा के स्थान हुए हम ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सन् १९३ में सर एडवर्ड फ्रजर न सरकार के अध्यक्ष यह प्रस्ताव रखा कि पूर्वी बंगाल के कुछ भाग आसाम का दे दिए जाए। नाइ कजन ने इस सिद्धान्त का

स्वाकार कर दिया तथा बंगाल के विभाजन की १९५ ई. में घोषणा कर दी। बंगाल विभाजन का कारण यह बताया गया कि एक पुरुष के कंधे पर बंगाल प्रान्त का शासन भारी बोझ है। उस प्रान्त के गवर्नर का प्रशासन समय कठिनाई में ही व्यतीत होता है, क्योंकि वह एक ही शासकानी है। वह प्रायः भाग के भाग पर प्रथित समय नोंद पाता है। समाज परिष्कार यह है कि प्रायः प्रांतों की प्रवृत्तियाँ बंगाल के शासन में वस्तुगत उत्तर का अभाव है। अग्रज सरकार की नीति का समर्थन करने वाले वक्ताओं ने यह बताया कि बंगाल के स्थानांतरण प्रान्त का विभाजन शासन की सुविधा के लिए बहुत जरूरी है और प्रशासनिक की बटिना क्या में यानी भी शक्ति रखने वाले व्यक्ति इस बात से सहमत हैं।

परन्तु विभाजन की अन्तिम योजना का गुप्त रखा गया जिसमें यह प्रकट होता है कि बंगाल का विभाजन शासन की सुविधा की दृष्टि से नहीं किया गया था। इसका एक मूल उद्देश्य बंगाल में उत्पन्न हुई राष्ट्रीय भावना का गणन करना था तथा सिद्धांत और मुसलमानों में घूट पैदा करने एक नया प्रांत बनाना था जिसमें मुसलमानों की प्रधानता रहे। सिद्धांतों की और में यह शासन की घोषणा सुनायी देने लगी थी और मुसलमान प्रवृत्तियों से नया समर्थन प्राप्त या स्वायत्तता की नीति का पालन कर रहे थे। यह शासन शासन के लिए अयोग्य था। एक दृष्टि से एक उदाहरण यह कि भारतवासियों को एक उत्तर के सिद्ध उन्मत्त जाए। बंगाल का विभाजन भारत की राष्ट्रीयता का एक चलोनी थी। शासन इस धुनीनी का स्वीकार किया। परिष्कारस्वरूप भारत में एक आन्दोलन प्रारम्भ हुआ जिससे देश की स्वतंत्रता में बड़ा योगदान।

१९ जुलाई १९५ ई. का आइ बजट में बंगाल विभाजन की घोषणा की। पूर्वी बंगाल और आसाम के नए प्रदेश का निर्माण किया गया एवं उनका पृथक् लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। नए प्रांत में बंगाल के पूर्वी भाग ढाका विभाग राजशाही माता और त्रिपुरा के राज्य ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के जिलों के साथ मिला लिए गए। शेष जिले बिहार और उड़ीसा के प्रांतों के साथ बंगाल प्रांत के नाम से रहे। इस विभाजन से पूर्वी बंगाल में बंगाल भाषा की प्रभुता समाप्त हो गई और वक्ता के उच्च माध्यम का प्रभाव क्षेत्र भी समुचित हो गया। बंगाल विभाजन की घोषणा से संपूर्ण देश की राष्ट्रीय भावनाओं को गहरी ठग पहुँची। डॉ. जेम्स के शासन में यह कार्य अपनी उद्देश्य और प्रभाव से एक धूतनापूर्ण कार्य था।

बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के शासन आतमी वक्ता में महाराजा जितेंद्र मोहन टाबुर की अध्यक्षता में एक मावजतिक सभा का आयोजन किया गया जिसमें सरकार ने बंगाल विभाजन के सम्बन्ध में कुछ सगाधन तथा परिवर्तन करने की प्रायश्चा की गयी। डॉ. जर्ज ने इस प्रस्ताव का मानने से इंकार कर दिया। पुनः ७ अगस्त का वक्ता में एक विराट जन सभा का आयोजन किया गया। इसका

अतिरिक्त मसत बगान म जन सभाग हूँ । इत मभाभा म विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को स्वीकृत किया गया । उन विरोध के बावजूद योजना को १६ अक्टूबर १९५६ ई. को त्रिमासिक कर दिया गया । बंगाली जनता ने १६ अक्टूबर शोक दिवस के रूप में मनाया । उस अवसर पर चार कायकमा को अपनाया गया था ।

१ विभाजित प्रांता का एकना के प्रतीक स्वरूप पुस्तों की कलाइया म लाल धाग बांधे गए ।

२ हस्तान्तरण उपवास ।

३ फेडरेशन हान का शिनायास किया गया जिसम सभी जिला की मूर्तियों को रखा गया था और पृथक किए हुए जिनो की मूर्तिया को पन एकता तक रखा जाना था ।

४ बुनकर उद्योग की सहायता के उद्देश्य से सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा एक राष्ट्रीय निधि की स्थापना की गयी ।

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा विपिनचन्द्र पाल ने नए प्रान्त का दौरा कर विभिन्न स्थानों पर सावजनिक सभाओं का आयोजन किया और जनता से विदेशी माल के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने की प्रार्थना की । राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने अधिवेशन (१९५५ और १९५६) में बगान विभाजन का जोरदार शान्ति म विरोध किया । नवयुवकों तथा विद्यार्थियों म ये आन्दोलन काफी लोकप्रिय हुआ । वन्देमातरम् के गान से सारा बंगाल गूँज उठा और सावजनिक सभाओं के आयोजन ने एक नया वातावरण पैदा कर लिया । यह राष्ट्रवर्गीय एक लान बहादुर ने जनभावना का बड़ा सुंदर चित्रण किया है । वे लिखते हैं प्रातःकाल से ही शहरों की सड़क वन्देमातरम् के नारे से गूँज उठी थी । झुंड के झुंड नदी के किनार एकत्रित हो रहे थे और प्रत्येक एक दूसरे की कलाह म राखी बांध रहा था । गान मढलिया ने वीरता भरे गीत गा गाकर जनता में देशभक्ति की भावना जागृत की । तदुपरान्त विदेशी माल के बहिष्कार का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और प्रान्त के कोने कोने म तथा प्रान्त के बाहर सभाएँ की गयीं । सरकारी दमन ने आंदोलन को और भी गतिशाली बनाया । मन्त्रियों के पुजारियों तक ने आंदोलन का साथ दिया । इस आंदोलन म विद्यार्थियों ने अत्यंत उत्साहपूर्वक काम किया । उन्होंने विदेशी माल की होलियाँ जलाई और विदेशी माल की दूकानों पर धरना दिया । वन्देमातरम् के गीत पर नियंत्रण तथा आन्दोलनकारियों की गिरफ्तारियों से आंदोलन ने और भी उग्र रूप धारण किया । पूर्वी बंगाल के गवर्नर सर फुलर की बहावत का "सनक दा बाबया है एक दिन एक मुसलमान किंतु वह दूसरा को अधिक चाहता है" ने गिभित धमकी भावनाओं को अधिक उत्तजित किया और आंदोलन में तीव्र क्रांतिकारी भावना की जागृति हुई । विदेशी माल का बहिष्कार एक धार्मिक प्रतिज्ञा बन गई और प्रत्येक बंगाली जिह्वा पर यह वचन था कि ईश्वर का साक्षी करके हम प्रतिना करते हैं कि जहातक समय और

व्यावहारिक हो सकगा हम देश का बना हुआ मान ही प्रयोग करेंगे और विदेशी मान का बहिष्कार करेंगे। भगवान हमारी महायता करें।

भारतीयों के साथ सरकारी दमन नीति भी जारी रही। हिंदू जनता को तीव्र अपमान का शिकार बनाया गया। ममतामिह जिन्हें मरने की वजहों पर केवल इमलिए जुर्मानी कर लिया गया कि वे कल्पेमानरम् के गान कर रहे थे। रावजनिज मभाषी को मग किया गया अध्यापका को चेतावनिया दी गयीं एवं देश भंगा को नाना प्रकार की अतीवी मजाए दी गया। कुलर ने मुसलमानों के प्रति कुछ आम पक्षपात प्रारम्भ कर दिया। हिंदुओं पर अत्याचार किया गया उनका उत्पन्न बन्ना और मुसलमान अत्याचारियों को उनके निरंकृत कार्यों के लिए कोष दंड मदी दिया गया। एक स्थान पर मुसलमानों ने दौल बजा बजा कर यह घोषणा की कि सरकार ने उन्हें हिंदुओं का लूटने की आज्ञा दी है। उन्होंने यह भी प्रचार किया कि उन्हें सरकार से हिंदू विधवाओं के साथ विवाह करने की अनुमति मिल गयी है।

एक मुसलमान अपराधी ने अपने सहर्षमिया का एक भीड़ के सामने एक सूचना पत्र पढ़ा कि सरकार तथा ताका के नवान बहादुर की आज्ञाओं के अनुसार कोई भी मनुष्य हिंदुओं का लूटने और उन पर अत्याचार करने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। इस घटना के पश्चात् शास्त्र ही ममतामता ने एक मंदिर में कानो का मूर्ति का तोड़ डाला और हिंदू अत्याचारियों की दूकानें लूट ली। मोहन रिपू ने मत्थ ही लिखा है कि आंदोलन का ही घटनाएँ सभी सम्बन्धित पक्षा के लिए निरन्तर हैं। हिंदुओं के लिए उनकी भीमता के कारण क्योंकि उन्होंने मन्दिरों के अतिशयकरण मूर्तियों के खडन और स्त्रियों के अपहरण के विरुद्ध बग का प्रयोग नहीं किया स्थानीय मुस्लिम जनता के लिए नीच व्यक्तियों के बाहुल्य के कारण एक मजदूरी सरकार के लिए इस कारण कि उनके प्रशासन में इस प्रकार की घटनाएँ बिना रोक्टाक बहुत दिन तक होता रही।

बंगाल के विभाजन का भारतीय राजनीति और राष्ट्रीय आन्दोलन पर अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। बंग भग आन्दोलन ने मोदी ई जनता को जगा दिया। स्वदेशी आन्दोलन और कल्पेमानरम् के नार न जनता की मुक्त शक्तियों को जागृत कर दिया।

राष्ट्रीय एकता की प्रबल भावना ने उनकी स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा का काफी दृढ़ बना दिया। बंगाल विभाजन की घटना ने भारतीय राजनीति में उप्रवादिता की प्रगति को तीव्रता प्रदान की। भारतीयों का अश्रजा की सत्यनिष्ठा और श्वायप्रियता से विश्वास उठ गया। शिम्बावति के उपायों से उनका विश्वास समाप्त हो गया। फलतः उन्होंने उप्रवादी उपायों का प्रयत्नाना प्रवर्धन ममभा और भारतीय राजनीति में गरम दन वाला का बालवाण हो गया। बंग भग विरोधी आन्दोलन ने प्रातिकारी आन्दोलन का भी जन्म दिया। बंग विच्छेद के फलस्वरूप भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय आन्दोलन का समावेश हुआ। इस अंतर्गत

विदेशी मान का बहिष्कार स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग तथा स्वदेशी-संस्थाओं पर बल दिया जाता था। आगे चलकर महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख अंग के रूप में अपनाया। वग्न भग की अवधि में डॉ. कजन ने फूट गानों और शासन नीति को अपनाकर हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच गार् उत्पन्न की। कई स्थानों पर गे हुए तथा हिंदुओं के साथ घोर अत्याय किया गया। इस आंदोलन के कारण पुन एक बार हिंदू धर्म अपने सांस्कृतिक गौरव की प्रतिष्ठा को बचाने में कुछ हद तक समय बनने की तयारी करने लगा। अतः यह आन्दोलन भारत के राष्ट्रीय क्षितिज पर अत्यन्त सफल आन्दोलन कहा जा सकता है जिनमें देश की घड़कना के साथ अपना तात्कालिक स्थापित कर राष्ट्र को नया जीवन प्रदान किया।

उग्रवाणी राष्ट्रीयता का उद्देश्य और काय प्रणाली

उग्रवादियों का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति थी। उसके अग्रणी नेता तिनक का कहना था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर खूंगा। अरवि द घोष ने भी कहा था स्वतंत्रता हमारा जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म के माध्यम से ही इस आकांक्षा की पूर्ति हो सकती है। सर हेनरी वाटन ने उग्रवादियों के उद्देश्य का वर्णन इस प्रकार किया है व भारतवर्ष में एक पूणत स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना चाहते थे। तात्पर्य यह है कि उग्रवादियों का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति था। वे स्वतंत्रता के महान् उपासक थे। वे उग्रवादियों की भांति स्वायत्तता चाहते थे परन्तु शासन संस्थाओं की रचना भारतीय संस्कृति एवं परम्पराओं के अनुसार करना चाहते थे तथा ब्रिटेन से पूणतया सम्बंध विच्छेद चाहते थे। थियोडोर एन श के तिनक के सम्बंध में यक्त विचार स उग्रवादियों का उद्देश्य और भी स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने लिखा है इस नेता को इस बात का पूण विश्वास था कि स्वराज भारत के लिए आवश्यक है नहीं बल्कि नतिक दृष्टि से भी मन्वा उचित है। उन्होंने लोगों को उपदेश दिया कि हम स्वराज की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हम यूरोपीय ढंग की नकल करना चाहते हैं बल्कि जीवन के सम्बंध में भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार स्वराज हमारी एक अनिवार्य नतिक आवश्यकता है। संक्षेप में उग्रवादियों के लिए स्वराज केवल एक राजनीतिक ही नहीं बल्कि नतिक और धार्मिक आवश्यकता थी जिसकी प्राप्ति उनका धर्म उद्देश्य था।

उग्रवाणी उग्रवादियों के तरीका में विश्वास नहीं करते थे। राजनीतिक भिन्नावृत्ति उनको मान्य नहीं थी। उनका विश्वास था कि राजनीतिक सत्ता प्रायना करने से प्राप्त नहीं हो सकता। तिनक ने कहा था हमारा उद्देश्य आमनिग्रहता है भिन्नावृत्ति नहीं। इसी प्रकार विधिनक्षेत्र पान का कहना था अगर सरकार स्वतंत्र एवं स्वराज का दान देती है तो मैं उसे घ यवाद दूंगा लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जबतक कि मैं उस स्वयं हासिल न कर पाऊं। उग्रवादी व्यापक राष्ट्रीय आन्दोलन के समर्थक थे। इस उद्देश्य से वे भारतीयों को राष्ट्रीयता तथा

देश भक्ति की भावना में प्रेरित कर सगठित राजनतिक आन्दोलन के लिए तयार करना चाहते थे। उनका विश्वास सगठित भक्ति और आत्मनिर्भरता में था। उग्रवादियों का विश्वास था कि प्राथमिक दिग्गम भाषण देने और प्रस्ताव पारित करने से स्वराज्य की प्राप्ति नही हो सकती है। इसके लिए जनता को जागृत कर राजनतिक आन्दोलन का संचालन कर सरकार पर अधिक से अधिक दबाव डालना होगा तथा दशवासियों को मातृभूमि के लिए कष्ट सहन करना होगा और त्याग करना पड़ेगा।

उग्रवादियों का विषयारा सन्धिय विरोध एक सत्याग्रह में था। जाला साजयत राम ने सन्धिय विरोध के दो लक्षण बतलाए थे। पहला भारतीयों का मन में घर की हुई क्रिष्टि जागरण की सवशक्तिमन्मद्र और परोपकारिता की भावना को दूर करना दूसरा दशवासियों में स्वतन्त्रता के लिए भावपूर्ण प्रेम और त्याग व कष्ट सहन के लिए तत्पर रहने की भावना को जागृत करना। उग्रवादियों के मन्त्रिय वायस्य में तीर बातें बहिष्कार स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा सम्मिलित थी। बहिष्कार से तात्पर्य विशेषी वस्तुओं विदेशी सरकार तथा उसकी नौकरी का बहिष्कार था। स्वदेशी से तात्पर्य स्वदेशी वस्तुओं स्वदेशी सरकार एवं स्वदेशी व्यवस्था की स्थापना में था।

उग्रवादी राष्ट्रीयता की विशेषताएँ

१ उग्र राष्ट्रीयता पाश्चात्य साम्यता एवं सन्धिति में घृणा करते थे और भारतीय साम्यता एवं सन्धिति को श्रेष्ठ मानते थे। धार्मिक जागृति से उन्हें विशेष प्रेरणा मिली थी।

२ उग्रवादी स्वराज्य के अतिरिक्त अपनी सन्धिति एवं परम्पराओं के अनुरूप दशवासियों का अतिरिक्त निर्माण करना चाहते थे।

३ उग्रवादियों की क्रिष्टि जाति की गवशक्तिमानिता वायस्यप्रियता एवं परोपकारिता में तनिक भी विन्वाग नही था।

४ उग्रवादी स्वदेशी दश एवं आत्मनिर्भरता में विश्वास करते थे।

५ उग्रवादियों को यह विश्वास था कि भारत और ब्रिटेन के धार्मिक हितों में विरोध है। अतः वे जल्द से जल्द ब्रिटेन से धार्मिक एवं वापारिक सम्बन्ध विच्छेद के पक्ष में थे।

६ भारतीयों में नयी राष्ट्रीयता को जगाना और त्याग व कष्ट सहन के काम को प्रपनाना उग्रवादियों के प्रमुख साधन थे।

७ उग्रवादियों को उदारवादियों की भीरु भावने की नीति में विश्वास नही था। वे सन्धिय राजनतिक आन्दोलन में विश्वास करते थे।

उदारवादियों और उग्रवादियों में अन्तर

उग्रवाद के विभिन्न पद्धतियों को जान लेने के बाद उदारवाद से उसका अन्तर जान लेना शक्ति सुविधाजनक होगा। उदारवादी एवं उग्रवादी वायस्य के ही दो भाग

य जिन्हें अभिरूपणी और धामपणी कहा जाता है। दोनों दलों में निम्न घन्टा था —

१ उदारवादी स्वभाव से नरम य और वे भ्रष्टाचारों की मलमलसाहूत पर पूरा भरोसा करते थे। इसके विपरीत उग्रवादी क्रांतिकारी स्वभाव के विचारों के थे।

२ उदारवादियों पर पान्चाय सस्कृति का व्यापक प्रभाव दखा जा सकता है जबकि उग्रवादी राष्ट्रवाद से अधिक प्रभावित थे।

३ उदारवादी ब्रिटिश राज्य को भारत के लिए बरदान समझते थे और इसके जारी रहने में ही भारत का बचाव समझते थे। इसके विपरीत उग्रवादी इस ब्रिटिश नीकरशाही के राज्य को भारत के लिए मूल्य अभिशाप समझते थे और भारत की सर्वांगीण प्रगति के लिए जितना जल्दी संभव हो इसके समाप्त करना आवश्यक समझते थे।

४ उदारवादी क्रांतिकारियों की गतिविधियों को देश के हितों के विरुद्ध समझते थे। इसके विपरीत उग्रवादी क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी तत्त्वों की गतिविधियों को देश के लिए हितकर समझते थे।

५ उग्रवादियों के पान सामाजिक धार्मिक राजनीतिक स्वदेशी स्वावलम्बन आदि सभी दृष्टियों से ठोस कार्यक्रम था इसके विपरीत उदारवादियों के पान ससदीय क्षेत्रों में सरकार की गतिविधियों की गुणावगुण के आधार पर आलोचना करने के अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं था।

६ उदारवादियों का लक्ष्य सवधानिक स्वराज्य की प्राप्ति था उसके विपरीत उग्रवादी पूरा स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहते थे।

७ उदारवादी प्राधनापत्र आवेदन भेजने और अन्य सवधानिक तरीकों को धनाने में विश्वास करते थे इसके विपरीत उग्रवादी अधिकारों की प्राप्ति के लिए ताल ठोक कर राजनीतिक सघष में विश्वास करते थे। उदारवादी किसी भी परिस्थिति में ऐसे साधनों का सहारा नहीं लेना चाहते थे जिससे भ्रष्टाचार की कठिनाइया बढें इसके विपरीत उग्रवादी भ्रष्टाचारों की किसी भी कमजोरी का लाभ उठाकर उन्हें और अधिक कमजोर बनाने से नहीं हिचकते थे।

८ उदारवादियों का कार्यक्रम सस्रीय गतिविधियों तक ही सीमित था इसके विपरीत उग्रवादी गांव नगर-नगर तक को अपने कार्यक्रम में शामिल करना चाहते थे।

९ उदारवादियों के असतोष में उग्रवादी और निहित रूप के असतोष की भलक मिलती है इसके विपरीत उग्रवादियों के असतोष में मध्यमवर्गीय और जनसाधारण का असतोष मुख्य रूप था।

१ उदारवादी तृव राजनीतिक आरामकुर्सी पर बैठकर समस्याओं का समाधान चाहता था उग्रवादी पुराण की भावना को सजोकर राष्ट्रीय भावना को पूरा करता चाहते थे।

मक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक बुद्धि-पक्ष या तो दूसरा भाव-पक्ष । पक्षों का जहाँ कुछ मानसिक सुविधाएँ प्राप्त करना चाहता था वहाँ दूसरे का उद्देश्य राष्ट्र में मानसिक परिवर्तन करना था । एक सम्पूर्ण रूप में पारम्परिक संस्कृति का उपासक था तो दूसरा पक्ष भारतीय संस्कृति का भ्रष्टाचार था । एक पक्ष में विश्वास की कमी थी तो दूसरा पक्ष सम्पूर्ण आत्मविश्वास को सत्रोत्तर अपने रागात्मक तरीकों को सफल बनाने में जुटा हुआ था । पहला पक्ष देश की भूमि के साथ अपना रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में ज्यादा सफल नहीं हुआ दूसरा पक्ष अपने आक्रामक कार्यक्रमों के कारण देश की जनता का विश्वास-सम्पादन करने में पूर्ण रूप से सफल हुआ । एक का नवतृव शिक्षित और उच्च वर्ग के लोगों के हाथ में था तो दूसरे का नवतृव मध्यमवर्गीय और साधारण व्यक्तियों के हाथ में था एक पक्ष भारतीय सत्कारों के अभाव में अनुकूल नहीं था तो दूसरा पक्ष ज्यादा अनुकूल था ।

निष्कर्ष यह है कि साधनों विचारों और लक्ष्यों में आमूलधूल भेद होने पर भी दोनों ही पक्ष एक दूसरे के विरोधी नहीं थे प्रत्युत पूरक थे । दोनों का ही उद्देश्य स्वाभाविक रूप से देश में राष्ट्रीयता की शक्तियों को मजबूत बनाना था और दोनों ही पक्षों के नेता राष्ट्र की श्रेष्ठ भावना से प्रेरित होने के कारण उच्चकोटि के देशभक्त थे । भारत की सभी मोर्चों पर प्रगति चाहते थे । अन्तर केवल जन-हृदय के स्वयं को आन्दोलन का था और इसी बात ने उनकी अलग अलग राह का राही बनने के लिए विवश कर दिया था । उदारवादियों और उग्रवादियों में जो मूलभूत अन्तर था उसका एक मात्र पक्ष सांस्कृतिक पक्ष था । इसी पक्ष के कारण उन्होंने विभिन्न स्वभाव विचार साधन कार्यक्रम लक्ष्य कार्य क्षेत्र और जन समुदाय को मापने के साधनों का अवलम्बन किया ।

उग्रवादी राष्ट्रीयता के अग्रदूत

बालगंगाधर तिलक लाला लाजपत राय और विपिनचन्द्र पाल उग्रवादी राष्ट्रीयता के अग्रदूत कहे जाते हैं । हम यहाँ इनकी चर्चा करेंगे ।

बालगंगाधर तिलक

तिलक को भारतीय उग्र राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है । भारत में उग्रवादी राष्ट्रीयता का प्रारम्भ ही महाराष्ट्र में हुआ जिसे तिलक ने नेतृत्व प्रदान किया । तिलक ने भारतीय राजनीति को एक नयी दिशा प्रदान की । उनके प्रभाव से कार्यक्रम में उदारवादियों के स्थान पर उग्रवादियों का प्रभाव बढ़ा । तिलक को अंग्रेजों की श्रेष्ठ प्रियता तथा कांग्रेस की शिक्षा-वर्ति की नीति में तिलक भी विश्वास नहीं था । उनका कहना था, स्वतंत्रता हमारा जन्म-मिथ पवित्रार है और उसे हम लेकर ही रहेंगे । तिलक सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत के एकदम नेता थे । उनकी विलक्षण बुद्धि और अप्रतिहत शक्ति देश सेवा की बंदी पर ग्योछावर थी । उनके अग्रदूतपुत्र

बलिदानो ने उन्हें पहले महाराष्ट्र का और बाद में सम्पूर्ण भारत का छत्र रहित सम्राट बना दिया था।

तिलक का जन्म १८५६ ई में एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका सावजनिक जीवन पूना में स्थापित यू इंग्लिश स्कूल में साथ प्रारम्भ हुआ। उसी समय उन्होंने अपने मित्र आगरकर की सहायता से बैसरी और मराठा नामक पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। इन पत्रों द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रीय भावना की जागृति को बहुत अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। आपत्तिजनक प्रकाशन के आरोप पर तिलक को १०१ दिन का कठोर कारावास दिया गया। इस घटना ने उनकी तथा समाचारपत्रों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ा दी। सन् १८६६ में तिलक दक्षिण गिणा समिति से पृथक होकर काँग्रेस में सम्मिलित हो गए। उन्होंने काँग्रेस की उदारवादी नीति का विरोध किया और भारतीय राजनीति में उग्रवाद को जन्म दिया। उन्होंने आन्दोलन का सुसंगठित करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र में नवयुवकों को बीच बांध करना प्रारम्भ किया। नवयुवकों में आत्मविश्वास, आत्मबलिदान तथा उत्साह उत्पन्न करने के उद्देश्य से तिलक ने गोवध विरोधी समिति का अखाटो और नाठी बलबो की स्थापना की। १८६६ ई में तिलक ने दली घुमनाम से सम्बन्धित महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया जिसके द्वारा नवयुवकों को सम्मिलित रूप में बांध करने की शिक्षा दी गयी। सन् १८६५ में उन्होंने शिवाजी उत्सव का आयोजन किया। इससे जनता को प्रेरणा दी गई कि वह शिवाजी की भाँति बांध करने के लिए तैयार हो तथा देश को विदेशी-सत्ता से मुक्ति दिलवाने का प्रयत्न करे। इसी समय महाराष्ट्र में भीषण अकाल पड़ा तथा लोग का प्रकाप हुआ। सरकार के स्वयंसेवक जनता में बड़ा असंतोष फैला और रैल तथा प्रायस्ट की हत्या कर दी गयी। यद्यपि तिलक का इन हत्याओं से काँसम्बन्ध नहीं था फिर भी सरकार की ओरों में बराबर खटवते रहने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर १८ मास के कठोर कारावास का दंड दिया गया। जेल से मुक्त होने पर जनता ने तिलक का हार्दिक स्वागत किया। उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई तथा वे महाराष्ट्र के एकछत्र नेता बन गए।

अब तिलक उग्रवादी बन गए और अपने काम में पुन जुट गये। सन् १८५५ में बंगाल विभाजन के अवसर पर तिलक ने बंगाल के नेताओं का साथ दिया और अपने पत्रों द्वारा उन्होंने सरकार की कटु निन्दा की। सन् १८७७ में काँग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ जहाँ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि तिलक तथा उनके साथियों को काँग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद करना पड़ा। सन् १८८८ में तिलक को राजकोट के अपराध में पुन बन्दी बना लिया गया और ६ वर्ष के कठोर कारावास का दंड देकर उन्हें मांसेल जेल में भेज दिया। मांसेल जेल में उन्होंने गीतारहस्य तथा दी आकटिक होम आफ दी वेदाज नामक ग्रंथों की रचना की। जेल से मुक्त होने पर वे भारत लौटे। उन्होंने १८९६ ई में एनी

य। लालाजी का जन्म १८६५ ई. में पंजाब के लुधियाना जिला के एक साधारण वश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता शिक्षक थे। लालाजी ने राजकीय कालेज लाहौर में उच्च शिक्षा प्राप्त की। सन् १८८५ में बकायत पास कर उन्होंने हिसार में बकायत प्रारंभ की। अपनी योग्यता तथा वाक्यशक्ति से उन्होंने बकायत में बड़ी ख्याति और सम्पत्ति प्राप्त की। उन दिनों पंजाब में श्रायसमाज का आन्दोलन व्यापक रूप से फैल रहा था। लाला राजपतराय इस आन्दोलन से काफी प्रभावित हुए तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती के शिष्य बन गए। स्वामीजी के प्रभाव से उनमें उग्र राष्ट्रियता की भावना जाग्रत हुई और उन्होंने तिनक के कार्यक्रम को अपना कर उग्र विचारों का फैलाना आरंभ किया। उन्होंने पंजाब में वही स्थान प्राप्त किया जो निलक ने महाराष्ट्र में प्राप्त किया था।

१८८८ में वे काँग्रेस में सम्मिलित हुए। उन्होंने तिनक के साथ राष्ट्रीय दल की स्थापना की। सन् १९११ में उन्होंने दुर्भिक्ष प्रायोग के सामने अपनी गवाही दी जिसका सरकारी नीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा। वे एक शिष्ट महान् म गोखले के साथ झगड़े गये जहाँ उन्होंने काँग्रेस के दृष्टिकोण को जनता के सामने रखने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। झगड़े से वापस आने पर उन्होंने देशवासियों को बताया कि उन्हें आमनिभर बनना चाहिए। सन् १९१५ के बनारस अधिवेशन में उन्होंने स्पष्टरूप से कहा कि भारत स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है तो उसको अग्रगण्य से भिक्षावृत्ति की नीति का परित्याग कर स्वयं अपने परो पर खड़ा होना पड़ेगा। सन् १९१७ में पंजाब के उपनिवेशन अधिनियम के विरोध में लालाजी और उनके साथियों ने एक व्यापक आन्दोलन चलाया। सरकार ने उन्हें दण्ड से निर्वासित कर दिया। वे अमेरिका चले गए, जहाँ भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। उन्होंने यंग इण्डिया पत्र का सम्पादन किया और तहल्ल भारत नामक पुस्तक भी लिखी। उस पुस्तक का सरकार ने जन्म कर दिया। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड में यह पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हुई। सन् १९२२ में वे स्वयं वापस आए। उन्हें काँग्रेस के विरोध अधिवेशन का सभापति चुना गया। उन्होंने पंजाब में असहयोग आन्दोलन का मफल संचालन किया। उनका कथन था हम अपने चेहरे सरकारी भवनों की ओर से मोड़कर जनता के भोपड़ों की ओर करना चाहते हैं। वे स्वराज्यदल के कार्यक्रम को समर्थन देते थे। १९२३ ई. में वे केन्द्रीय धारासभा में चुने गये और कुछ समय तक दल के उपनता भी रहे। परन्तु थोड़ी ही अवधि में स्वराज्य दल से पृथक् होकर उन्होंने राष्ट्रीय दल का संगठन किया। सन् १९२८ में सादमन कमीशन के विरोध में लाहौर में जुलूस निकाना गया जिसका लालाजी ने महत्त्व किया। एक गारे साजट ने उनकी छाती पर लाठी के प्रहार किए जा घातक सिद्ध हुए। उस दिन लालाजी ने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कपन की कील सिद्ध होगी। १७ नवम्बर १९२९ ई. को लालाजी का देहावसान हो गया।

भारत राजपुत्रराज एक महान् साम्राज्यीय था। वे दशम-सहस्रकी के अन्त में
 मर चुके थे। व प्राचीन सिन्धु सभ्यता तथा हिन्दू धर्म के बहुरूपी पोषक थे। उन्होंने भारत
 की प्राचीन परम्परा स्वरूप तथा स्वदेशी आन्दोलन पर विचार कर लिया। उन्होंने
 मजिती गरीबाही शिवाजी श्रीकृष्ण तथा स्वामी दयानन्द की जीवनिया, भगवद्
 गीता का सम्पूर्ण सिद्धे का भारत के प्रति श्रेष्ठ दुर्नी भारत हिन्दू एकता और
 सदा भारत प्राप्ति मन्त्रवृत्त पुनर्जा की रचना की। वे राजनीति में पद की
 पूरातया पृथक् रखने के पक्ष में थे। वे हिन्दू मन्त्रिमन्त्र के समर्थक थे किन्तु
 मुसलमानों को प्रमान करने के लिए वे हिन्दुओं के शिष्टों का अविधान नहीं चाहते
 थे। जब मुसलमानों में राष्ट्रीय भावना के अन्त में साम्प्रदायिक भावना का बंध
 बना और कायम तक विरुद्ध युद्ध भी नहीं कर सकी तो वे हिन्दू समाज की ओर
 आकर्षित हुए और सिन्धु राष्ट्रीयता के समर्थक बन गए। राजाजी उच्चकोटि के
 सावजनिक वक्ता भी थे। उनके भाषण भोजपुर तथा जोशीन होने थे। सी वार्ड
 चिन्तनमणि का ता कहना कि मैं सावजनिक वक्ता के रूप में राज्य जान और
 राजपुत्रराज का एकमात्र स्मरण करता हूँ। राजपुत्रराज एक महान् समाज
 सुधारक भी थे। उन्होंने दलितों और अशूतोद्धार के लिए सराहनीय कार्य किया।
 उन्होंने सर्वोच्च आठ पीपुण सामाज्य की स्थापना की और अनाथ बच्चों तथा
 बीमार स्त्रियों के लिए कई शोधालयों का निर्माण करवाया। राज राज-भान
 को छोड़ कर राज राज राजपुत्रराज ही थे। भारतीय जनता ने उन्हें धरे पञ्चाय
 की उपाधि से सुशोभित किया था।

विपिनचन्द्र पाल

विपिनचन्द्र पाल एक उच्चकोटि के अग्रणी थे उनका जन्म-स्थान के
 सिन्धु जिन में १८५८ ई. में हुआ था। उन्होंने पहला बार सन् १८८७ के काग्रस
 अधिवेशन में भाग लिया। सन् १९४ के बंगाल विभाजन के विरुद्ध आन्दोलन का
 उन्होंने शुरुआत किया। सन् १९०७ में उन्हें अरविन्द घोष के विरुद्ध चले रहे
 अधिवेशन के अध्यक्ष में गवर्नी देने के लिए चुनाया गया किन्तु उन्होंने इन्कार कर
 लिया। उन पर गवर्नी की मान हानि का मुकदमा चलाया गया और छ मास
 की सजा दी गयी। सन् १९०८ में जनस मुक्ति नाम पर वे मन्त्र चले गए और
 तीन वर्षों तक वहीं रह कर अन्त विचारों की राजनीति का अध्ययन किया। वे
 महात्मा गान्धी के अग्रणीय आन्दोलन के विरोधी थे। अतः सन् १९२२ में जब
 गान्धीजी ने अग्रणीय आन्दोलन चलाया तो वे काग्रस में अग्रणी हो गए। सन् १९२८ ई.
 के सर्वदल सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। सन् १९३२ में उनका स्वभाव हो
 गया।

विपिनचन्द्र पाल भारतीय राजनीति में उन्नीस विचारधारा के पोषक थे।
 उनका नाम उन तीन महान् उग्रवादी नेताओं में से एक मान लिया जाता
 है जिनके सहयोग से सर्वप्रथम देश में आजादी और अग्र वृद्धि के उद्देश्य की स्थापना

हुई थी। विपिनचन्द्र पान भारत में सय राष्ट्रवाद के प्रतिपादक थे। उनका स्वराज्य से आगत पूरा स्वाधीनता से था। प्रायतःपत्र देने तथा पत्रपत्रिका की राजनीति का अन्त करने में विश्वास रखते थे। उनकी कहना था हम स्वराज्य जनता के प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करना चाहिए सरकार के उपहार तथा पुरस्कार-स्वरूप नहीं। यदि सरकार आज मुझे यह कहे तो स्वराज्य न लो तो मैं उत्तर दूंगा उपहार के लिए धन्यवाद परन्तु मुझे यह स्वीकार नहीं है जो मैंने अपने बाहुबल से न लिया हो। आज उन्होंने कहा था हम देश में इस प्रकार काय करण जनता के साधनों को इस प्रकार संयोजित करेंगे, जहाँ की स्वतन्त्र भावना का इस प्रकार विकास करेंगे कि प्रत्येक विरोधी शक्ति को अपनी इच्छा के सम्मुख प्रयत्न भुका दें। उनके वाक्यक्रम से बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह। वही धर्म पुनर्जागरण के समर्थक थे। उनका विचार था कि विमुक्त धर्म तथा पारंपारिक राजनतिक आदर्शों के मध्य समन्वय सम्भव है। उन्होंने स्वाधीनता तथा अधिकार के विचारों की भारत की धार्मिक परम्परा के अनुकूल व्याख्या की थी। व सत्ता के विकेन्द्रितकरण को आवश्यक मानते थे। उनकी योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश के लिए एक सच होगा जो स्वायत्तशासी प्रांता जिन्को तथा ग्रामो में विभाजित होगा। उन्होंने राष्ट्रमण्डल की भाँति एक अंतर्राष्ट्रीय संघटन का भी विचार प्रस्तुत किया था।

(३) राष्ट्रीय आन्दोलन आन्दोलनकारी आन्दोलन

१९वीं सदी के अन्तिम दशक में देश में अराजकतावादी तथा आतङ्कवादी सन्धि होने लगे थे। १८६४ ई. में चापेकर — वधा ने महाराष्ट्र में १९६४ धर्म-संरक्षण संभा स्थापित की। शिवाजी उनमें से भाषण देने हुए चापेकर वपधा न केवल बैठे बठे गिवाणी की गाथा को शेराने से स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। जैसे ही शिवाजी और वाजीराव प्रथम की तरफ कमर बांधकर अग्रानक कार्यों में जुट जाना चाहिए। मित्रों अब आपको स्वतन्त्रता के लिए ढाल तैयार उठा लेनी होगी हमें मनु के सैकड़ों सिरो की काट डानना होगा। सुनो हम राष्ट्र युद्ध के मद्दान में अपने जीवन की आत्मा देनी होगी और आज हम उन लोगों के रक्त-पाग से जो हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं या आघात पहुँचा रहे हैं पृथ्वी को रंग देंगे। क्षुण्ण मन बठो प्रकार पृथ्वी का बोझ मन बना। हमारे देश का नाम हिन्दुस्तान है फिर यहाँ अग्र न राय क्या कर रहे हैं? २२ जून १८६७ ई. को दामोदर चापेकर ने पूना के लेग कश्मिनर रड तथा एक लेफ्टीनेन्ट की हत्या कर दी। फलस्वरूप दामोदर चापेकर तथा उमर कुट्ट मय साधियों को फाँसी का दण्ड दिया गया।

उसी काल में न्यायमन्त्रीकृष्ण वर्मा ने भी आन्दोलनकारी गतिविधियों में काफी योगदान किया। श्री न्यायमन्त्रीकृष्ण वर्मा सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रवासा भारतीयों में आन्दोलन की यह पदा की और उसको बहुत प्रचलित से सगठित किया। उन्होंने इंग्लैंड में इडिपा हाऊस की नींव डाली जो बाद में भारतीय

क्रान्तिकारियों का क्रांति-यान बन गया। 'यामजीउण' वमा न शानि भाव उत्पन्न करने के लिए १६ ५ ६ म समाजवादी समाचार-पत्र भा विज्ञानता प्रारम्भ किया। मनेप में 'य' का न म शान्तिकारियों की गतिविधियों और शक्तियों न 'य' की जनता में अमूल्य रूप साधन बनना पना करा और उनमें अग्रजों के विरुद्ध विरुद्ध का भावना जागृत करने का मूल-वपुण साथ किया।

बीसवा मया के प्रारम्भ म 'य' में शान्तिकारी ग्राणन का और बनाव मित। मशरुए और गान 'मक प्रमथ' बन गया। भाग्य के अथ ग्राणा म भी गान-वाग मजिन हुए। गान-वाग विचार-मारा व नवा वारीड धाय और भूषण-नाथ एत थ। 'न' शाना न यान्तर और स-य्या नामक शान्तिकारी पत्रा द्वारा प्रगभकतावा और गान-वाग का प्रचार किया। 'हूँ' शान्तिकारी का प्रप्रदूत बना जाता है। कानि प्रप्रपत्रा व ग्राह्या न नवपुवका का कान्तिकारी माग घपनात के लिए प्ररित किया, 'मक' लिए गुन तथा मून मयान स्वपिन किए मय और वाइ फा' हत्या तथा वपमजा के वान प्रारम्भ हुए। धार 'गार शान्तिकारी' ग्रा-दानन न जार पकड मिया तथा म' देग के विभिन्न भागा म फन गया।

शान्तिकारी के प्रादुर्भाव के कारण

उपवा का-जम एन वान कारण ही माधारणत शान्तिकारी के जम के लिए उत्तरदाया '। तकिन ततावान मन्कारी नीति तथा कुछ घटनाया न इन विशय ह्य स प्रोमाहित किया। शान्तिकारी ग्राणन का बनाव दन म किन्-त्रिमित कारणों वान ह्य म उत्पन्ननाय है।

(१) मध्यम-वर्गीय ग्राणन

शान्ति ग्राणन वगान म मध्यम वर्ग म फना। 'ममें' अधिकतर पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नवपुवका न भाग दिया। सर कदगान्त निरात ('न' टाण्म के मवाणता) के अनुसार शान्तिकारी का उद्य पाश्चात्य मध्यना एवं मरुति के विरुद्ध कट्टर-मया श्राह्या की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। तकिन यह कदन पूणत तत्व नहीं है बवकि मरु के मत्रानुसार शान्तिकारी-ग्राणन कवन श्राह्याओं द्वारा प्रायोजित पहयत्र नया था। उगात और पचाइ म एक नया अथ जानि के भी थ।

(२) शान्तिकारी कारण

गनामवा-गना के प्रतिम चरण म चारा प्राण शान्तिकारी अमताय का नहर फना हुए था। प्रान और मन्कारी के कारण जनता की गरावा बन्ना जा गी था। अधिक शक्तिता और अधिक प्रमताय शानि का जम दा है। भारत म मनी हुआ भा। शान्तिकारी कारण न भारत म शान्तिकारी ग्राणन का जम दिया।

(३) मरुकार की प्रतिक्रियावाग तथा मन्कारी नीति

शान्तिकारी ग्राणन का जम के कारणों न हुआ। तकिन 'गार' कजन की शानि न 'य' विषय रूप म प्रोमाहित किया। उपवा । ग्राणन का शान्तिकारी

मजिल को साइ बजन की ही देन कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। उसके आफिशियन सोश्टस एक्ट भारतीय विनियमन अधिनियम तथा बगान विभाजन जस कायों ने आतकवादी आंदोलन को बढ़ाने में विशेष योग दिया। इन कायों के विरुद्ध आयोजित जन आंदोलन को सरकार ने निममता से कुचलना चाहा। फलस्वरूप आंदोलन का उग्र और उत्तजित प्रचार हुआ। बहुत से नवयुवकों ने सभा जुलूस बहिष्कार आदि तरीकों को असफल होते देख आतकवादी साधनों को अपनाना शुरू कर दिया। परमांशरण न लिखा कि सन् १९७ और १९८ ई में बने राजगोत्रक तथा अधिनियम समाचार पत्रों के अधिनियम तथा अन्य दमनकारी कानूनों ने सिवा ऐसे आंदोलन के जिसे नौकरगाही सहन कर सकती हो किसी भी अन्य प्रकार के राजनीतिक आंदोलन का खुले रूप में चरना असंभव बना दिया। अत विशेषकर बगान में तथा प्रांता में भी आतिकारी संगठन बने जो छुपकर अपना कार्य करो तथा प्रचार करते थे। सन् १९८ ई में भारत सचिव साइमोन् ने वायसराय गाने मेयो को लिखा था राजद्रोह और अन्य अपराधों के सम्बन्ध में जो दिल दहना देने वाले दंड दिए जा रहे हैं उनके कारण मैं अत्यंत चिंतित हूँ। हम समस्या चाहते हैं लेकिन व्यवस्था गाने के लिए धीरे धीरे के उपयोग से सफलता नहीं मिलेगी। हमका परिणाम उल्टा होगा और लोग बम का सहारा लगेंगे। माटेग्यू ने भी यह स्वीकार किया था कि 'दण्ड सत्ता की मजबूतियों और चालू चलाने की नीति ने साधारण और बिगड़े नवयुवकों को शहीद बनाया और विप्लवकारी पत्रों की सख्या बढ़ा दी। स्पष्ट है कि भारत में आतकवाद का उदय और विस्तार के मूल में सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति थी।

(४) सवधानिक आंदोलन की विफलता

उदारवादियों की असफलता के कारण युवकों को सवधानिक मार्ग में कोई विश्वास नहीं रहा। उन्हें विश्वास हो गया कि हाथ पर जोड़ने और प्रायत्नात्मक प्रयत्न करने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसमें लिए शक्ति का सचय करना तथा उग्र साधनों का सहारा लेना होगा।

आतिकारी आंदोलन का विकास

देश के विभिन्न भागों में आतिकारी आंदोलन का विकास काफी तेजी से हुआ।

बगान

बगाल आतिकारी आंदोलन का केंद्र था। महा के उग्र विचारों के समर्थक पत्रों में इनके राष्ट्रीय आग्रह प्रपत्त की थी। सुभाषचंद्र बोस के पत्र २ मई १९६ ई में अरविन्ध घोष के छांट भा बारी-कुमार घोष और स्वामी विवेकानंद के छांट भा भूपेंद्र दत्त ने आरम्भ किया था स्वतंत्रता पूर्वक आतिकारी प्रचार करना आरम्भ कर लिया था। यह शीघ्र ही इतना प्रसिद्ध हो गया कि इसकी शिर्षी ५ से ऊपर हो गयी। इससे पूर्व कोई भारतीय पत्र इतना नहीं बिचता था।

सध्या' तथा नवशक्ति जैसे हमारे पत्र भी काफी प्रसिद्ध हो गये थे। देश भक्ति से भोत प्रोत्साहित और साहस ने क्रांतिकारी भावना को और भी प्रोत्साहन दिया। वारी-मधुपक्षील राष्ट्रीयता का अग्रदूत बन गये। वे देश की जनता का आह्वान करते थे मित्रा! सबड़ा और हजारों व्यक्तियों की दामना अपने हथिर की धार में बहाने को तयार हो जाओ। उनके एक साथी हेमचन्द्र हमी क्रांतिकारियों से बंध बनाने को बना सीखने के लिए पेरित गये। अनुशीलन समिति नामक एक क्रांतिकारी संस्था का संगठन किया गया। इस समिति की विभिन्न स्थानों पर ५ गांधीए थीं। डाका और वनकत्ता इसका मुख्य केंद्र थे। १९७६ में गवर्नर को गांधी को उठा देने के पहलुओं में क्रांतिकारी बायों का सुत्रपात हुआ। ६ सितम्बर को मिदनापुर के पास बहू गांधी जिसमें गवर्नर सफर कर रहा था वास्तव में पटरी से उतार दी गयी। २३ दिसम्बर १९७६ को डाका के मजिस्ट्रेट को फरीपुर जिले के स्टेशन पर गोली मार दी गयी। ३ अप्रैल १९०६ ई को मुजफ्फरपुर के यायाधीश किंगफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया गया। गांधी में किंगफोर्ड के स्थान पर दो अप्रैल महिनाएँ थीं जिनकी मृत्यु हो गयी। अपराध के लिए १६ वर्षीय युवक सुदीराम दोष पकड़ा गया और उसे फाँसी की सजा दी गयी। सुदीराम न बर्निदान का भारतीय युवक पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी सम्बन्ध में सर वनटाइन शिरोन ने लिखा है इस प्रकार वह बंगाल के राष्ट्रीय दिवा के लिए राष्ट्रीय वीर और शहीद हो गया। विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों ने उसके लिए मोर्चा के वस्त्र धारण किए। दो-तीन दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए और उनकी स्मृति में श्रद्धांजलियाँ प्रेषित की गयीं। बहुत से नागों ने उसके चित्र चित्र तथा ऐसी पोतियाँ पहनीं जिनके कितारे पर सुदीराम दोष का नाम अंकित था। वनकत्ता के मानिन्दलना मोहल्ले में पुलिस ने हथियारों का एक कारखाना भी पकड़ा। सम्राट के विरुद्ध पन्थान बन के अपराध में तीस व्यक्तियों का सजा दी गयी। मुन्तम की मुतवाई के समय अज्ञात से बाहर निकलने हुए पुलिस के टिप्पणी सुपरिटेण्डेंट को गोली मार दी गयी यह घटना अक्षीपुर पन्थान के नाम से प्रसिद्ध है।

पंजाब

पंजाब में सरकार का उपनिषद अधिनियम का कारण किसानों में घस तोष फैल रहा था। अधिनियम का उद्देश्य चुनाव क्षेत्र में भूमि की व्यवस्था को हतोत्साहित करना तथा सम्पत्ति के विभाजन के अधिनियमों में हस्तक्षेप करना था। अतएव सके विरुद्ध काफी असंतोष था। मई १९७६ ई. राजा राजपतराय का पंजाब से निर्वासित किया गया। इससे जनता में और भी घस तोष बढ़ा क्योंकि नालाजी पंजाब के बयोदूध और तप नगाय नेता थे। नालाजी का देश निदान का फलस्वरूप पंजाब में उत्तेजना बढ़ी। वापसराय ने उपनिवेशीकरण विधेयक को रद्द करने बड़ी बुद्धिमानी दिखायी और इस तरह परिस्थिति विचलने से बच गयी।

महाराष्ट्र

मद्रास के 'नेहरू' लिंक की गिरफ्तारी ने हिंदू जनता विशेषतः ब्राह्मणों में उत्तमना-त्पन्न की। उह तिथक द्वारा सम्पादित 'केसरी' पत्रिका से प्रेरणा मिलती थी जिसकी विक्री सन् १९७७ में प्रति सप्ताह २ होती थी। इस पत्र में निरन्तर इस स्वप्न पर जल लिखे जाने थे कि रूसी ढंग की शासन व्यवस्था आवश्यक रूप से रूसी ढंग के आन्दोलन को जन्म देगी। क्रान्तिकारी संगठनों का केन्द्र नासिक था। रूसी गुप्त संगठनों के आधार पर ही अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की गयी। यह संस्था आतंकवादी कार्यों से सरकार को नष्ट करने का प्रचार करती थी। विशेष सावरकर इस संगठन की मुख्य शक्ति थे। १९६६ को उनको जाने पानी की मजा हुई। नासिक के जिलाधीश मि. जक्सन को जिन्होंने उनके मुकदम का फतवा दिया था २१ दिसम्बर १९६६ ई को उही के विद्वान् सम्मान में आयोजित एक पार्टी में गोली मार दी गयी। पुलिस ने इस सम्बन्ध में संस्था के अनेक सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जिसमें से २७ को लम्बी और कठिन सजाएँ दी गयीं। उनमें से तीन को फाँसी दी गयी। ग्वालियर और सतारा में भी संस्था के सदस्यों को पडोश और क्रांतिकारी कार्यों के प्रचारा में सजाएँ दी गयीं। नवम्बर १९६६ ई में गौरी मिटो और उनकी धमपत्नी को जब वे अहमदाबाद की गांधी में जा रहे थे मारने का प्रयास किया गया परन्तु सफलता नष्ट मिली।

मद्रास

मद्रास में भी क्रान्तिकारी आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। सन् १९७७ में विपिनचन्द्रपान ने मद्रास का दौरा कर अपने विचारों का प्रचार किया तथा नव युवकों को विशेष रूप से प्रभावित किया। विपिनचन्द्रपान को बन्दी बना लिया गया तथा कारावास का दंड दिया गया। उनके मुक्त होने पर एक सभा का आयोजन किया गया। सरकार ने सभा के आयोजकों को बन्दी बना लिया। इसकी प्रतिक्रिया में टिनेवली में उपद्रव हुआ। सरकार ने पत्र सम्पादकों तथा आन्दोलनकारी नेताओं को बन्दी बना लिया तथा उन पर मुकदमा चलाया। फतत नवयुवकों में जोग आया गया व सर्गित होने लगे और बाध में उन्होंने टिनेवली के मजिस्ट्रेट का गोली से मार डाला।

विदेशों में क्रान्तिकारी आन्दोलन

भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रान्तिकारी संस्थाएँ विदेशों में भी कार्य कर रही थीं। श्यामजीकृष्ण वर्मा ने जनवरी १९५५ ई में अपने सभापतिव में इण्डिया होमरूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इस समिति के पत्र इण्डियन सोशलजिस्ट का भी सम्पादन किया। गी. एस. आर. राना ने श्यामजीकृष्ण वर्मा को क्रान्तिकारी योजना में पूर्ण सहयोग दिया। अण्णिया-सोसायटी ने भारतीयों को

विदेश में शक्ति बरन को बला में याग्यता पान के लिए आश्रयितियों दन का घोषणा की। प्रथम बार में ही शक्तिवा मानाग्यी शक्तिकारी व्यक्तियों का बन्धन गयी। मावरकर के छात्र भाई विनायक दामोदर सावरकर भा १९०६ में तब पहूचे और शक्तिवा मानाग्यी आन्दोलन की एक महत्त्वपूर्ण शक्ति बन गए। ५ भारत में अपने मरणा-भाषिया का शक्तिकारा साहित्य अधिपार शक्ति गृह्य रूप से मजा ५। इस सामाज्यी के एक सन्ध्य आ मदननाथ शारदा ने १ जुलाई १९६० को मर विनियम राजन बावणी का हत्या कर दी जो भारत मनी के ली गा ५ यह घटना भारत सरकार की तमय शक्ति और तबयुतवा का पाशिया दन के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया थी। मासा गी ५ सन्ध्या का सगन मजाग दी गयी और विनायक सावरकर को भा शान शानो का मजा त्तर अर्धमान भज िया गया।

शक्तिकारा आन्दोलन की असफलता

शक्तिकारा आन्दोलन का जो प्रभावनाता परिणाम नूना निर्यात। शक्तिवा शक्तिकारा का अपना कर्णिय सगन नया था और न ही विभिन्न शाना ५ शक्तिकारी नतामा में पारस्परिक स गान था। जनता पर भी इतना का प्रभाव न था और इसके समबन्ध बन्धन मध्यम बग के शक्ति नवयुवक शोध। समाज का उच्च बग शिमा के नाम में पवराता था और २० रुत रूप से शक्तिकारिया का विराय करना था। उच्च बग ५ नतामा न सरकार का शक्तिकारी विचारा का शान का परामग शिया। अग्रशी सरकार न भा शक्तिकारी देगमस्ता के विरुद्ध धार तमनात्मक बायबाहिया की। अनेक दमनकारी कानूना का निमाण शिया गया। सरकार न राजगोहात्मक सभाया को राजन के उद्ध्य न १९०७ ई से सिगीगत मी मस लवट बनाया और नागू शिया। मन् १९ - म पुरान कोजग्यी कानूना का सशासन शिया और तबे कानून के अनुगार सरकार को कुछ सस्थाए भर कानूना धापित करने का अधिपार प्राप्त हा गया। १९८ ई के ममावार पत्र सम्भ्या कानून और १९१० ई के प्रस सम्भ्या कानूना का प्रयाग पर उग्र विचारधारा के पत्र बन्धन कर दिय गए और प्रशासन तथा छगाई पर बडा नियन्त्रण नागू कर शिया गया। १९११ ई के विरोध सभाया सम्भ्या कानून द्वारा सरकार को जन-सभायो पर नियन्त्रण रखने का अधिकार प्राप्त हा गया। राजनीतिर शक्तिया के फमने हतु एक विशेष कानून भी बनाया गया। १८१३ ई के पुरान बगान रगूदेगन को भी प्रयाग में लाया गया। सरकार न स्वच्छता पूर्वक शमनतो को अर्धमान की यात्रा करवाई। लॉर्ड मोरै ने यह स्वीकार शिया कि भारत सरकार हमी सरकार का शक्ति सदेवपुक्त व्यक्तियों का देन के दिग्ग म बन्धन करके नादरिया जैसे नारायना में भेजन का बाव कर रही था।

शक्तिकारिया को बाय प्रसादी

शक्तिकारिया का कहना था कि शक्ति शानन पागविक शक्ति पर धाया रित है एक हुन यदि शानन धापका शानन प्र करने के लिए पाशविक बन्धन का प्रयाग

करने हैं तो वह उचित ही है। उनका तर्क था कि जातीय अनेक युक्तियुक्त तथा नानिद बातों का प्रभाव सनी प्राप्त हो सकता वह गोनी और बम के प्रयोग से हो सकता है। उनका मद्दग था तलवार हाथ में तो और सरकार को मिटा दो। उनकी काय प्रणाली का अन्तगम निम्नलिखित बातें सम्मिलित थी —

(१) पत्रा का महापती से प्रचार द्वारा जिंदा लोग के मन्दिष्य म दासता का प्रति घणा उत्पन्न करना।

(२) संगीत नाट्य एवं साहित्य द्वारा वकार और भूल से अस्त लोगों को निडर बनाकर उम मातृभूमि और स्वतंत्रता की भावना भरना।

(३) शत्रु का प्रदार्तों एवं आन्दोलनों में व्यस्त रखना।

(४) बम बनाना बन्दूक प्राप्ति अस्त्र चोरी से उपलब्ध करना तथा विदेशों से अस्त्र प्राप्त करना और

(५) चन्दा-ग्रहण दान तथा क्रान्तिकारी टकतियों द्वारा धन का प्रबन्ध करना।

राजगृह-सम्बन्धी जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में क्रान्तिकारी कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था। क्रान्तिकारी माहिय द्वारा अपने विचारों का प्रचार करते थे तथा गिराजी और भवानी की पूजा द्वारा विदेशी शासकाक हृदय में अतक उठान करने थे। क्रान्तिकारियों को आदेश था कि वे अक्षर मृदु की परदा की भांति छिप रहें और विदेशी अधिकारियों पर घातक हमल करें। उन्हें अपने उन भाण्यों को याद रखना था जो जला में सड़ रहे थे या मर गए थे या पापल हो गए थे। जांच-समिति ने अपने प्रतिवेदन में क्रान्तिकारियों द्वारा प्रकाशित पुस्तक के सार में उद्धृत इन बातों में किया यूरोपियनों को गोली से मारने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। छुपे ढंग से अस्त्र हथियार तयार किए जा सकते हैं और भारतया का हथियार बनाने का कार्य सांखन के लिए विदेशों में भेजा जा सकता है। भारतीय सनिकों की सहायता अवश्य ही जानी चाहिए और उह दशवासिया का अष्टा का दुःशा के बारे में समझना चाहिए। गिराजी की वीरता अवश्य ही याद रहें। क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रारम्भिक व्यय का लिए चन्दा किया जाए परन्तु जैसे ही काम बंद, समाज (अर्थात् धनिकों) से शक्ति द्वारा धन प्राप्त किया जाना जरूरी है। जो कि कम धन का प्रयोग समाज-कल्याण के लिए होगा अतः ऐसा करना उचित है। राजनीतिक डकनी में कोई पात्र नहीं प्यता।

क्रान्तिकारी तथा उग्रवादी आन्दोलन में अन्तर

क्रान्तिकारियों तथा उग्रवाणियों का मौलिक उद्देश्य तथा विचारधारा समान थी। दाना गहरी धार्मिक भावना से प्रेरित थे। दाना ही अग्रजा की श्यायप्रियता राजनीतिक मिश्रावृत्ति एवं पाश्चात्य-सम्यता के विराधी थे। उनका उद्देश्य एक था भारत को स्वतंत्र बनाकर उसके प्राचीन गौरव और समृद्धि को प्राप्त करना। पर उनकी काय विधि में अन्तर था। उग्रवाणों राजनीतिक आन्दोलन और राष्ट्रनिमाण विदेशी

माल और सत्याग्रहों का बहिष्कार तथा स्वदेशी प्रचार जैसे उपायों से विश्वास बनने थे। इनके विपरीत शक्तिशाली पश्चिमी क्रांतिकारी तरीका में तथा आन्दोलन में विश्वास रखने थे। वे राजनीति में हथकोश के रूप में रचनात्मकता पर बल देने में विश्वास करते थे तथा राजनीतिक आन्दोलनों में शक्ति और सार्वजनिक प्रतिभाग के माध्यम का अनुसरण करते थे।

(४) मुस्लिम साम्प्रदायिकता का उदय एवं लीग की स्थापना

कांग्रेस में उग्रवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण देश की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा था। नए गवर्नर जनरल लार्ड मिंटो इसमें काफी चिंतित थे। उन्होंने भारत में एक सत्य भेजा जिसमें उन्होंने कांग्रेस को मान्यता देने और उससे सहयोग करने का सुझाव दिया। उन्होंने कांग्रेस के विपरीत महेश्वरी राजाशाही प्रिवी काँग्रेस प्रस्ताव का सुझाव भी भारत में सम्मुख रखा। परंतु भारत में मिंटो की बात को स्वीकार नहीं किया क्योंकि कांग्रेस को मान्यता देने से मुसलमान भी अग्रजों के विरोधी हो जाएंगे। शासन सुधार के प्रश्न पर विचार विमर्श चल रहा था और मिंटो किसी प्रकार मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की योजना पर विचार कर रहे थे। लार्ड मिंटो के इस विचार की जानकारी मुसलमान नेताओं को मिली और वे सक्रिय हो गए। सन् १८६२ के अधिनियम द्वारा स्वीकृत प्रतिनिधित्व पद्धति को व्यवहारिक स्वरूप प्राप्त हो गया था और मुसलमान नेता यह समझने लगे कि निर्वाचित विधान की नये सुधारों में और भी व्यापक बनाया जावेगा। अतः आगामी वर्ष के नेतृत्व में विभिन्न वर्गों के ३५ मुसलमानों का प्रतिनिधि मण्डल गवर्नर जनरल लार्ड मिंटो से १ अक्टूबर १८६२ ई के दिन मिलना मंगना। प्रतिनिधि मण्डल ने सभी निर्वाचित सत्याग्रहों में पूर्ण प्रतिनिधित्व देने और उनके राजनीतिक महत्त्व के आधार पर मद्रास के आधार से अधिक प्रतिनिधित्व देने की माँग की। लार्ड मिंटो ने उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना।

लार्ड मिंटो के सहानुभूतिपूर्ण रण से प्रोत्साहित होकर नवाब साजिमाजोहा ने ६ नवम्बर १८६२ ई को एक पत्र प्रसारित कर एक मुस्लिम सगठन बनाने का प्रस्ताव रखा। दिसम्बर १८६२ ई में ढाका में मुसलमानों का एक सम्मेलन हुआ तथा ३ दिसम्बर १८६२ ई को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लीग के प्रमुख तीन उद्देश्य रहे गए थे (१) भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति भावना का विकास करना (२) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना तथा उनकी भावनाओं और भाँगी को विनम्रतापूर्ण भाषा में सरकार के सम्मुख रखना और (३) मुसलमानों और धार्मिक सम्प्रदायों के मध्य मित्रतापूर्ण सम्बन्धों का विकास करना।

मुस्लिम लीग का जन्म अग्रजों की कूट रणनीति और राज करी नीति की महत्त्वपूर्ण सफलता थी। आगामी वर्ष प्रतिनिधि मण्डल ने अग्रजों से सफलता प्राप्त की

आगा खाँ प्रतिनिधिमंडल भेजने के सम्बन्ध में अलीगढ़ विद्यालय के आचार्य आर्चिबाल्ड और गवर्नर जनरल के सचिव जनरल स्मिथ में विचार विमर्श हुआ था। आर्चिबाल्ड ने अगस्त १ अगस्त १९६८ के पत्र में नवाब मोहसिन उल्लाह को विस्तृत निवेदन दिए थे। नवाब मोहसिन ने प्रतिनिधि मण्डल के मिलने की योजना बनायी थी तथा बाल्मराय ने मसनमाना की मांगों के सम्बन्ध में पूरा सहमति व्यक्त की थी। नाटो मित्रों ने प्रतिनिधि मण्डल को चाय पार्टी से सम्मानित किया और उस दिन को भारतीय स्वातंत्र्य के एक महत्वपूर्ण दिन की सजा दी।

स्पष्ट है कि भारतीय मसनमाना को राष्ट्रीय धारा से पृथक् रखने का कार्य अंग्रेजों द्वारा किया गया था। रमज मेकानान ने इस बात का स्वीकार किया है। मस्जिद मीनार का निर्माण अंग्रेजों की पूरक शक्तों एवं राज करों के सिद्धान्त को भारत में लागू करने की याजना का प्रथम चरण स्वीकार किया जा सकता है।



मॉर्ले-मिटो सुधार

प्रवेश

१८६२ ई के भारतीय परिषद् अधिनियम ने भारतीयों को सतोग नही हुआ था फिर भी दण के वातावरण में सन् १८६२ से सन् १९४ तक निरुद्ध शान्ति रही जो धाने वाले भूभावात की द्योतक थी। १९५ ई में यह क्रमावात फूट पडा और उसका प्रबोध सवन हुआ। उद्वेगादिना और अराजकतावादियो न राष्ट्रीय घादोउन को नई शक्ति पदान की। ब्रिटिश सरकार न एक और धार दमन का सहारा लिया तथा दूसरी ओर शासन में मुधार प्रस्तावित कर उदार वादियो का सहयोग प्राप्त करन का प्रयास किया। फलस्वरूप ब्रिटिश समद ने भारतीय शासन में मुधार करने के लिए एक अधिनियम पारित किया जो भारतीय मवधानिक विकास के इतिहास में मॉर्ले मिटो मुधार-अधिनियम क नाम से प्रसिद्ध है।

अधिनियम स्वीकृति के कारण

सन् १९६ में भारतीय परिषद् अधिनियम स्वीकार किया गया। इस अधिनियम के निर्माण में निम्न अनेक कारण उत्तरदायी हैं —

(१) अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को सतोग के आदर्शों न परिचित करवा दिया था। वे स्वतन्त्रता एवं समानता के महत्त्व को समझने लग गए थे। सन् १८६२ ई के मुधारों से उन्हें कोई सतोग नही हुआ था तथा के अधिक सुनाओ की माग कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तिरुनेलवरी भाग कर रही थी कि १८६२ ई में प्रदत्त मुधार अपर्याप्त हैं अतएव अधिक सुधार किए जाने चाहिए। १८६६ ई० के काँग्रेस व मलकत्ता अधिवेशन में प्रतिनिधि सारथाओं में निर्वाचन-पद्धति का समावेश की माग की गयी। १९५ ई० में काँग्रेस ने हाउस आफ्-कॉमन्स में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने पवनर अनरल एव पवनर की परिषदों में भारतीयों को नियुक्त करन की माग की। फलतः ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीयों को सतुष्ट करन के लिए मुधार करना जरूरी हो गया।

(२) लॉर्ड कजन के साठ वष के शासनकाल में भारतीयों के ऊपर काफी अत्याचार किए गए थे। लॉर्ड कजन के मलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षान भाषण

कलकत्ता निगम अधिनियम भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम वगैरे मग आदि कार्यों ने जनता में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध काफी रोष पैदा कर दिया था। तब कंग्रेस के शासन द्वारा भारतीयों के हितों पर जो ध्यान हो गया था उनको मरने के लिए अधिनियम का निर्माण आवश्यक समझा गया।

(३) सन् १८६२ और सन् १९०६ के बीच का समय भारतीय राजनीति में सूफाना एवं दशाव का समय था। अंग्रेजों में आन्तिकारी आन्दोलन का मूलपात हो चका था। कांग्रेस में भी उद्योग का विकास हो गया था और निरन्तर न स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का उद्घोष किया था। फलस्वरूप भारत सरकार को कुछ शासन सुधार प्रदान कर नरमन्त्रीय भारतीयों का विचार और सद्भावना प्राप्त करना आवश्यक माना गया। मार्च २३ फरवरी १८८६ को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बोलते हुए मत व्यक्त किया इस प्रकार की योजना पर विचार करते समय हम तीन प्रकार के लोगों का ध्यान रखना होगा। एक मोर उग्रवादी हैं जो ऐसा मोर्क स्वप्न देखते हैं कि किनी दिन के अन्दर भारत से खूब दगे। एक दूसरा समुदाय भी है जो इस प्रकार के विचार नहीं रखता बल्कि यह मानता है कि भारत का औपनिवेशिक ढंग का स्वराज्य मिलेगा। इसके बाद तीसरा वर्ग है जो इससे अधिक् कुछ नहीं मागता कि उसे हमारे प्रशासन में सहभाग का अवसर दिया जाए। भरा विश्वास है सुधारों का यह प्रभाव होगा कि यह दूसरा वर्ग जो औपनिवेशिक स्वराज्य की आशा करता है तीसरे वर्ग में सम्मिलित हो जाएगा जा करने से ही सन्तोष हा जाएगा कि उसे उचित और पूरे तरीके से शासन में सम्मिलित कर दिया जाए।^१

(४) अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति दुश्मनी व अपमानजनक नीति भी भारतीयों में जागृति पैदा कर रही थी। अंग्रेजों में भारतीयों के प्रति रोग की नीति अपनाकर उनको गह-सुर से अपमानित व पीड़ित किया जाता था। भारत में इसी समय अज्ञान पैदा और उन्नत देश की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई। अंग्रेजों ने अज्ञान पीड़िता की सहायता के लिए कुछ नहीं किया। शिक्षित वर्ग में भी पैकारी थी। उन्नत असाध्य था। उसको उन्ही नीतियों प्राप्त नहीं हो रही थी। इसलिए वह भारतीय जनता का अंग्रेजों के विरुद्ध सन्तुष्ट कर रहे थे। भारतीय जागृति को रोकने के लिए और शिक्षित-वर्ग को सन्तुष्ट करने के लिए कुछ सुधार करना आवश्यक समझा गया। पञ्जाब और बंगाल में १९०६ में जो दमनकारी घटनाएँ हुईं उनके परिणामस्वरूप भारतीय सामाजिक अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। अंग्रेजों के प्रति उन्नत वर्गमनस्य की जो लहर पैदा हो गयी थी उसको समान करने की दृष्टि से भी भारतीयों को

१ पञ्जाब में मिनन एवं नेमीसरण मिनन द्वारा उद्योग भारतीय राजनीति का विकास एवं अधिपान पृ. १६

शामन म भाग दना आरम्भक समझा गया। अतए १८ ६ का अधिनियम पारित किया गया।

(५) सन् १९ ६ म एन्ड म भी सरकार मे परिवर्तन हुआ था। सन् १८ ६ क निर्वाचन म अनुदार दल की पराजय हुई और उदार दल ने हाथ मे शासन सत्ता प्रायी। उदार दल की प्रारम्भ स ही भारतीयो की मागो क प्रति हमदर्दी थी। श्री माले नये भारत-पत्री बने। वे अत्यन्त उदार विचारो के व्यक्ति थ और भारतीय शासन मे परिवर्तन करने के लिए अत्यन्त आशापित थ। माले ने भारतीयो का सन्तुष्ट करने के लिए एक विधेयक ब्रिटिश-संसद म प्रस्तुत किया जो स्वीकृत क किया गया। इस विधेयक को माले-मिटो सुधार अधिनियम या १९ ८ का अधिनियम कहा जाता है।

अधिनियम के मुख्य उपबन्ध

अधिनियम के मुख्य उपबन्ध निम्नलिखित थे —

(१) इस अधिनियम के अनुसार विधान परिषदो की सदस्य संख्या म वृद्धि कर दी गयी। केन्द्रीय विधान परिषद मे गवर्नर जनरल के अतिरिक्त सदस्यो की संख्या १६ से बढ़ाकर ६ कर दी गयी। मद्रास बम्बई उत्तरप्रदेश और बंगाल की विधान परिषदो की सदस्य संख्या ५ तक बढ़ा दी गयी। पंजाब प्रोसाम तथा बर्मा की विधान परिषदो की संख्या ३४ तक बढ़ा दी गयी। आगे भान वाले वर्गो म भी केन्द्रीय विधान परिषद एव प्रांतो की विधान परिषदो की सदस्य-संख्या मे कुछ वृद्धि की गई।

(२) केन्द्रीय विधान परिषद म सरकारी बहुमत रखा गया। केन्द्रीय विधान परिषद म चार प्रकार के सदस्य थे। पन्च सदस्य मनोनीत सरकारी अधिकारी मनोनीत गर सरकारी अधिकारी और निर्वाचित सदस्य। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी-परिषद क सदस्य पदन सदस्य थ। जिन सरकारी अधिकारियो को भारत सरकार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करती थी वे सब मनोनीत सरकारी अधिकारी कह जाते थे। ऐसे व्यक्ति को सरकारी अधिकारी नहीं थे परन्तु जनता म प्रभावशाली व्यक्ति होत थे उनको भी सरकार मनोनीत करती थी एव वे मनोनीत सरकारी अधिकारी कहलाते थ। जो सदस्य निर्वाचित होत थे वे निर्वाचित सदस्य कहे जाते थ। केन्द्रीय विधान परिषद के ६६ सदस्यो मे से ३७ सरकारी अधिकारी थ ५ सदस्य मनोनीत गर सरकारी सदस्य थ तथा २७ निर्वाचित सदस्य थे। २७ निर्वाचित सदस्यो म स ५ मुसलमानो द्वारा ६ हिन्दू जमींदारो गारा एक मुस्लिम जमींदारो द्वारा एक बंगाल के वाणिज्य मण्डल द्वारा तथा दोष सदस्य प्रांतीय विधानमण्डलो गारा निर्वाचित किए जाते थ। सदस्यता की अवधि ३ वष थी।

(३) इस अधिनियम द्वारा प्रांता मे गर-सरकारी बहुमत रखा गया। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि प्रांतीय परिषदो म निर्वाचित सदस्यो का बहुमत

कर लिया गया था। सरकार की अधिनी और सरकार द्वारा मनोनीत किए गए सर-सरकारी अधिकारी दानो संयुक्त रूप से निर्वाचित मन्त्रियों से निर्वाचित रूप में अधिक थे। उदाहरण के लिए मन्त्रालय विधान परिषद में २१ सरकारी अधिकारी तथा २ सर-सरकारी सदस्य थे। गवर्नर और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में ३ सदस्य और एडवाकट जनरल एवं सदस्य थे। सेप १६ अधिकारियों को गवर्नर मनोनीत करता था। १६ सर-सरकारी मन्त्रियों में से ५ मनोनीत तथा २१ निर्वाचित सदस्य थे। स्पष्ट है कि मनोनीत मन्त्र्य थे और २१ निर्वाचित सदस्य तथा इस प्रकार प्रांतीय विधान परिषद में मनोनीत मन्त्रियों का बहुमत था। यही बात अन्य राज्यों के सम्बन्ध में भी थी।

(४) इस अधिनियम द्वारा भारत में साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारम्भ की गई। भारत सरकार के मतानुसार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भारतीय जनता के अनुकूल नहीं था। वगैरे तथा जिनों के द्वारा प्रतिनिधित्व ही एकमात्र ऐसा पारम्परिक तरीका था जिससे भारतीय विधान परिषद के विधान में निर्वाचन के लिए नियमों को लागू किया जा सकता था।^१ यह साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रारम्भ किया गया। मुसलमानों के अपने अपने प्रतिनिधि निर्वाचन करने का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों, वाणिज्य मण्डल, स्वयंसेवी-संस्थाओं को कुछ सदस्य निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया। राजनीतिक अपराधियों पर अयोग्यताएं लगायी गयीं। वे निर्वाचन में खड़े नहीं हो सकते थे। सर्वोच्च सरकारी अधिकारी इन अयोग्यताओं को हटा सकते थे।

(५) विधान परिषदा के कार्य क्षेत्र में काफी वृद्धि कर दी गयी।^२ कीय विधान परिषद के सदस्यों का बजट पर बहुसंख्यक तथा प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया गया गया। जो श्रेणियाँ स्थानीय सरकारों का दिए जाते थे उनके सम्बन्ध में या अतिरिक्त प्रस्तावों के संवोध में परिवर्तन करने के भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते थे। विधान परिषदों को सांख्यिक मन्त्र के दिश्यों पर प्रस्ताव पारित करने और मतदान करने का अधिकार दिया गया। सदस्यों को पुरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया किन्तु पूरे प्रश्न मन्त्र प्रश्नकर्ता ही पूछ सकते थे। सम्बन्धित विभाग का अधिकृत सदस्य पूरे प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकता था तथा वह उमक लिए समय भी माग सकता था। मन्त्रियों के प्रस्ताव पारित करने प्रश्न पूछने और दूसरे अधिकारों पर काफी सीमाएं लगा दी गयीं थीं। बजट का काफी भाग ऐसा था जिस पर कबल बहुसंख्यक की जा सकती थी मतदान नहीं।

1. Government of India Report, 1908 Banerje A. C. Indian Constitutional Document (1757-1939) P. 219

2. Art. 5 (1) & (2) The Indian Councils Act Banerje A. C. Op. Cit. P. 236

(६) इस अधिनियम के द्वारा दम्बई वगल एव मन्स को कायकारिणी परिषद् के सन्स्यो की मन्सा बनाकर चार चार कर दी गयी।^१ गवर्नर जनरल सहित परिषद् को यह अधिकार दिया गया कि वह ब्रिटिश ससद् को स्वीकृति स अथ प्रान्तो क लिए भी कायकारिणी परिषद् का निमाण कर सकेगा।^२

(७) २म अधिनियम के द्वारा भेत्भाव व आघार पर सीमित मताधिकार प्रदान किया गया। मताधिकार की योग्यताएं अनेक प्रकार के भेत्भावा पर आधारित थी और प्रत्येक प्रांत में भिन्न भिन्न थी।

सुधार की आलोचना

सन १९६ के अधिनियम के सुधार काफी त्रुटिपूर्ण थे। इनमें अनेक कमियां थी। जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं —

(१) मन् १९६ के सुधार के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हो पायी। भारतीयों को यह आशा थी कि नये सुधारों के द्वारा भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन का स्थापना होगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ। भारत में ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करना चाहती थी। ताड मार्ले ने हाउस आफ कामस में भाषण देते हुए उक्त बात को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यदि सुधारों के विषय में यह कहा जाए कि इनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में समदोय सरकार की स्थापना होती है तब मुझे ऐसे वाय स कोई सम्भव नहीं है।^३ अतः इन सुधारों से भारतीय सन्तुष्ट नहीं हुए। डा. जकारिया के गदो में इन सुधारों द्वारा जो चीज भारतीयों को दी गई वन् विद्रुल अवगूय थी। मन्सुमार के गन्तो में प्े रेवन पन्मा की चमक की भांति थ। इन सुधारों के सम्बन्ध में यह नामक यक्त किया गया कि भारतीयों ने १० पौंड का चक्र प्रस्तुत किया परन्तु उसे १ पौन् लिया गया। इसलिए ये सुधार भारतीयों का सन्तुष्ट न कर पाए और भारतीय राजनीतिक समस्या का हल नहीं हुआ।

(२) इस अधिनियम के द्वारा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली प्रारम्भ हुई। मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। इस प्रकार मुसलमानों एवं हिन्दुओं को पृथक् करने का प्रयास आरम्भ हुआ। निर्वाचन प्रणाली भी अप्रत्यक्ष थी। लोग स्थानीय सस्याओं के सन्स्यो का निर्वाचन करते थे। स्थानीय सस्याओं के सन्स्यो निर्वाचक मंडल के सदस्यों को निर्वाचित करते थे और वह निर्वाचक मन्स प्रांतीय विधानसभाओं के सन्स्यो का निर्वाचन करता था। इस प्रकार विधानसभाओं के सदस्यों का जनता से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था और वे जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व अनुभव नहीं करते थे। १९१८ ई. के सुधार प्रतिवेदन

1 Art (3) The India Council Act Banerjee A C P 234

2 Art 3(2) Ibid P 35

3 Lord Morley on Ref ms 1908 Banerjee A C Op Ct P 229

मं लिखा गया है सभाविन मूल मन्ता तथा विधान परिषद् में बन्ने वाले प्रतिनिधि के बीच पूर्ण रूप से कोई सम्बन्ध नहीं था तथा सभाविन मूल मतदाता विधान परिषद् की कार्यवाहियों पर कोई प्रभाव नहीं रखता था। उन परिस्थितियों में उन लोगों का न कोई उत्तरदायित्व है तथा न कोई राजनीतिक जिम्मा ही जानाम मात्र से मन का प्रयोग करते हैं। अभी ऐसे मन्तार्थों का अस्तित्व तयार करना है जिन पर उत्तरदायी सरकार के भार का वहन करने की योग्यता हो।¹

(३) इस अधिनियम की एक बुराई यह थी कि इसमें केन्द्रीय विधान परिषद् में सरकारी बहुमत रखा गया था। उसके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकारी अधिकारी मनमानी कर सकते थे। यद्यपि भारतीय सरकार ने केन्द्रीय विधान परिषद् में सरकारी बहुमत रखने के लिए अपना प्रस्ताव भेजा था किन्तु भारत मंत्री जार्ज मार्श इसके लिए तयार नहीं हुए। उनका कहना था कि प्रांतीय में सरकारी बहुमत रखा गया है और केन्द्रीय सरकार को शरण लेने के लिए केन्द्रीय विधानपरिषद् में सरकारी बहुमत का रखना आवश्यक है। यद्यपि प्रांतीय विधानसभाओं में सरकारी बहुमत रखा गया था किन्तु उसका परिणाम भी शून्य ही था। प्रांतीय विधानसभाओं में सरकारी अधिकारी और सरकार द्वारा मनोनीत सरकारी सदस्यों का बहुमत था। इसलिए निर्वाचित सदस्य कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त निर्वाचित सदस्य विभिन्न सम्प्रदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका उद्देश्य अपने अपने जिन्हें क लिए अधिक सुरक्षा प्राप्त करना था। मन व सरकार के विरुद्ध संयुक्त नहीं हो सकते थे। श्रीराम गर्मा ने उस सम्बन्ध में लिखा है कि यूरोपियन निर्वाचित सदस्य सरकार के लिए इतने ही आड़े थे जितने कि सरकारी अधिकारी। मुसलमानों और जमींदारों को ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा के कारण मताधिकार दिया गया था इसलिए अधिक राजभक्ति दिखाकर अपने भविष्य को और उज्ज्वल बनाना चाहते थे।² सरकारी अधिकारियों को किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं और इन प्रकार विधान परिषदें सरकार के हाथ का खिलौना मात्र थीं।

(४) इस अधिनियम की एक बुराई यह थी कि विधान परिषदों की शक्तियाँ बहुत ही सीमित थीं। सत्य कार्यकारिणी परिषद् से प्रशासन के मामले में प्रश्न उठ सकते थे किन्तु कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों के लिए उनका उत्तर देना अनिवार्य नहीं था। विधान परिषद् को बजट पर बहुमत करने का अधिकार था किन्तु केन्द्रीय या प्रांतीय-सरकार के एक रुपये पर भी उनका सीधा नियन्त्रण न था। सरकार को अपने विधेयक स्वीकार कराने में भी अभी कोई कठिनाई नहीं होती थी क्योंकि

1 M t F d Rep t M l y—M t R f ms B j e A C
Op Ct p 275

2 C it ton l H t y f l d P 127

सरकारी सदस्य सरकार की महायता के लिए सदा तयार रहते थे। श्री पुत्र या के निरा है नि चाहें गर सरकारी सदस्य कितन ही अछे तब अपने मत के समर्थन में दित्तु जिस समय विधेयक पर मतदान होता था तो सरकारी दल सामने आता और विधेयक को अपने पक्ष में पारित करवा जाता था।^१ श्री राम दर्मा ने भी निरा है विधान परिषदों के बाद विवादों में कुछ भी रस नहीं था। परिषदों की वायवाही में वास्तविकता नहीं थी। सरकार भारतीय सदस्यों को बिना मत के बोलने की आजा देती थी और उनके विचारों की बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। इसलिए भारतीयों को बहुत दुख होता था।^२ श्री मोरले ने सुधारों की शिवायत करत हुए मत व्यक्त किया। जब सरकार किसी विधेयक को पारित कराने के लिए विधायक प्रपान का एक बार इरादा करती है तो फिर गर सरकारी सदस्य चाहे जितना चाहे उससे सरकार के मत में कोई परिवर्तन नहीं होता है।^३

(५) गवर्नर जनरल और गवर्नरों ने विधान परिषदों की वायवाहियों के नियम के विनियम इस तरह बनाए कि उनके द्वारा सदस्यों के अधिकार और अधिक सीमित हो गए। इन नियमों के द्वारा अनेक राजनतिक नेताओं को निर्वाचन में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। श्री विष्णुनारायण ने निरा है ये सुधार कई प्रकार से अपूर्ण तथा दोषपूर्ण है किन्तु हमारी शिवायत उन नियमों तथा व्यवस्था के विरुद्ध है जो अत्यन्त दोषपूर्ण है। उनसे सुधार योजना का तब में नष्ट हो गई है।^४

इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी गयी। उनको पसल सलाह देने वाली समितियाँ बनाया गया। इसलिए मि वुपलड ने लिखा है कि ये विधान परिषदें असदम होकर अपना धरधार थी। उनके हाथ में मनमानी करने वाली सरकार को बदलने की कोई शक्ति नहीं थी।^५ सर माटल कर ने ठीक ही निरा है भारत सरकार अब भी पूरा रूप से एक निष्कुश दरनारों सरकार के समान बनी रही जा रागा की भांति दरवारियों से विचार विमोच करती थी परन्तु उनके मत पर चलने के लिए विवश नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप दरवारी अस तुष्ट और अंधेपन हाने लगे थे।^६

(६) इस अधिनियम में इन बात का संकेत नहीं किया गया था कि भारत में ब्रिटिश शासन का क्या उद्देश्य था। क्या यह उद्देश्य उत्तरदायि वपूर्ण शासन की

1 P es ch k \ Constitutional H tory of Ind a P 305

2 Shr Ram Sha ma Co statua l H story of Ind a P 127

3 अध्याय आर श्री द्वारा उ त भारतीय अधिशास का विवाम तथा रा द्वीय आ शोचन पृ १६

4 गवर्नर एव सदों द्वारा उ त भारत का संवैधानिक विकास पृ ४७

५ Coupls d The Ind n Problem P 25

6 Mo tagu Chelmsford Report

स्थापना करना था ? यदि हाँ तो कितने समय में तथा किन कारणों से ? इस अधिनियम में इस बात का कोई ब्युत्पत्ति नहीं था। कीथ ने १९६६ ई के सुधारों की आलोचना करते हुए लिखा है १९६६ ई के सुधार अपने उद्देश्य में असफल हुए यदि वह उद्देश्य स्वराज के आन्दोलन को रोकना था।^१ कीथ ने फिर लिखा है 'उनसे गरम दल की मांग स्पष्ट रूप से पूर्ण नहीं की जा सकती थी। इसका अव्यवभावी परिणाम यह हुआ कि नीति पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण पुनः लागू करवा दिया गया तथा स्थानीय सरकारों को पुनः स्मरण करवा दिया गया कि इनके अधिकारी व्यवस्थापिका समन्वय में भारतीय सरकार के निश्चयों के सम्बन्ध में आलोचनात्मक रवैया न अपनाए।'^२

अधिनियम का महत्व

उक्त आलोचना से हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि १९६६ का अधिनियम पूर्णतः व्यर्थ था। १९६६ ई के सुधार १९६२ के अधिनियम के सुधारों से निश्चय ही बहुत आगे थे। विधान परिषदों का विस्तार किया गया और उनमें निर्वाचित सदस्य ले लिए गए। १९६२ ई के अधिनियम के अनुसार जहाँ जिला बोर्डों नगरपालिकाओं विश्वविद्यालयों आदि को केंद्रीय विधान परिषदों के लिए नामों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था वहाँ १९६६ ई के अधिनियम के द्वारा उनको निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत सर्वप्रथम स्वीकार किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सत्सया को पूरक प्रश्न पूछने बजट पर मतदान करने और सावजनिक मांगों पर प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी दिया गया। गवर्नरजनरल की वायव्यवशी परिषद् में भी एक भारतीय को लिया गया। दो भारतीयों को भारत मंत्री की परिषद् में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार इन सुधारों द्वारा भारतीयों को प्रशासन में अधिक भाग लेने का अवसर अव्यव प्राप्त हुआ। श्रीराम शर्मा ने सुधारों के सम्बन्ध में लिखा है 'यद्यपि विधान परिषद के सदस्य सरकार से अपनी बात नहीं मनवा सकते थे परन्तु उन्होंने राष्ट्रीय विचारों का प्रचार करने के लिए इन विधान परिषदों का सावजनिक गमच के रूप में अच्छा प्रयोग किया। वे इनके द्वारा जनता को सरकार के विषय में जगाने में सफल रहे।'^३ १९६६ ई के सुधारों ने दल को ऐसी अवस्था पर लाकर पहुँचा दिया जहाँ से पीछे जाना सम्भव नहीं था कि आगे जाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह गया था।

1 K. J. A. B. C. S. S. I. H. S. Y. F. I. D. P. 232

2 Ibid P. 237

3 Co. S. S. I. H. S. Y. F. I. D. P. 128

सन् १९१० से सन् १९१६ की राजनीति

प्रवेश ।

भारत में ब्रिटिश शासन का इतिहास में १९१ ई से १९१६ ई तक का युग सबसे छोटा होते हुए भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटनाओं से परिपूर्ण है। इस युग के महत्त्व का अंशान्तर करते हुए श्री गुरुमुख निहानसिंह ने लिखा है। इस युग में ब्रिटिश सम्राट ने भारत भूमि पर पहली बार पदापण किया। साम्राज्यीय परिपक्व तथा अन्त-राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत की पहली बार बराबरी का स्थान दिया गया। उप-भारत मन्त्री के पद पर प्रथम बार एक भारतवासी की नियुक्ति की गयी तथा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपना लक्ष्य उत्तरदायी राजनैतिक संस्थाओं की स्थापना करना बताया और स्वशासी प्रांतों के मधीय भारत का चित्र अतिशय पर उलटा हुआ दिखाई दिया। इसी समय जनता की इच्छाओं के अनुसार बंगाल के विभाजन ने सगोषन हुआ भारत की राजधानी का स्थानान्तरण कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया और वहाँ एक नया साम्राज्यीय नगर बसाने का निश्चय किया गया। राष्ट्रवादियों के उदार और उग्र पक्ष और साथ ही मुस्लिम लीग में ऐक्य हुआ और राष्ट्र के शीघ्रस्थ नेताओं ने परस्पर मिलकर राजनीतिक प्रगति के लिए एक सर्वभाष्य योजना बनायी। इसी दशावधि में ब्रिटिश राज्य की बलपूर्वक उखाड़ फेंकने के लिए सन् मनावन के बाद सबसे बड़ा पद्यत्र रचा गया। होमरूल प्राप्त करने के लिए और जन विरोधी विधियों को कार्यान्वित होने से रोकने के लिए एक बहुत बड़ा मण्डित आंदोलन किया गया। इसी काल में एक ब्रिटिश जनरल की आज्ञानुसार मिन्सो के तीस स्थल अमृतसर में जलियावाला बाग हत्याकाण्ड हुआ। पंजाब में भांगल ला की घोषणा की गयी और शासन का काय फौजी अधिकारियों को सौंप दिया गया तथा दमन की अत्यन्त स्त्रोत एक अत्यन्त ही अत्याचार की नीति अपनायी गयी। सन् १९१४-१९१८ के यूरोपीय महायुद्ध का भारत पर भी प्रभाव पडा और देश की धन और जन की बहुत बड़ी बलि देनी पडी। इसी समय एन्डलूएजा का भीषण प्रकोप हुआ और लोगों के कष्ट कई गुने बढ़ गये। इन बातों के अनिश्चित प्रशासकीय एवं सवधानिक महत्त्व के कितने ही परिवर्तन हुए। विदेशीकरण की नीति का विकास हुआ। १९११ ई में भारत तीस उच्च न्यायालय अधिनियम बना। १९१२ ई में भारतीय शासन अधिनियम बना। लोकसेवा आयोग की नियुक्ति हुई और उसका प्रतिवेदन मानने आया। मि

माटेग्यू और ब्रिटिश गिफ्टमण्डल के अन्य सन्स्य भारत आए। १९१० ई. में भारत के बधानिक सुधारों पर प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ तथा सन् १९१५-१६ और १९१६-१७ में भारतीय गणसभ अधिनियम बनाए गए।^१

(१) निष्प्राण उदासीनता के घब

मिंटो-मार्ने सुधारों के पश्चात् तथा प्रथम महायुद्ध से पूर्व के वर्ष भारतीय राजनीति के गति काद के नाम से प्रसिद्ध है। इन वर्षों में देश में राजनीतिक अनिश्चितता दबी दबी सी थी। गणसभ अधिनियमों का कारण मिंटो-मार्ने सुधार अधिनियम का क्रियाविध होना नहीं था। मूलतः विद्ये के पश्चात् काग्रस का नवतृव उदारवादियों का हाथ में था जिनका सवधानिक उपायों में पूर्ण विश्वास था तथा वे लोग यह जानते हुए भी कि मिंटो-मार्ने सुधार अपूर्ण हैं नये सुधारों को क्रियावित्त करने में सहयोग देने की नीति का पालन कर रहे थे। उग्रवादी मत बहिष्त थे। बाल गंगाधर तिलक जेल में थे और विन्ड घोष ने राजनीतिक जीवन से सन्वस ग्रहण कर लिया था। मिंटो के उत्तराधिकारी लार्ड हार्डिग्न की उदारवादी और प्रगतिशील नीति में भी शक्ति का वातावरण बनाए रखने में काफी मदद की। हार्डिग्न ने शासन में सुधार करने की नीति अपनायी। बंगाल विभाजन रद्द किया दिल्ली को राजधानी बनाया और प्रांतीय स्वायत्तता के विचारों का समर्थन किया। सरकार ने इन वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का भी कठोरता से दमन किया। इन सब कारणों से देश में निष्प्राण उदासीनता का वातावरण बन गया और जनता एक प्रकार से राष्ट्रीय आन्दोलनों के प्रति उदासीन हो गई।

(२) प्रथम महायुद्ध और राष्ट्रीय आन्दोलन

सन् १९१४ में प्रथम महायुद्ध का विस्फोट हुआ। अमेरीका और ब्रिटेन के नेतृत्व में २२ राष्ट्रों का चार धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध मार्च स्थापित हुआ। चार वर्ष तक सम्पूर्ण विश्व महायुद्ध की भीषण आवाज में जलता रहा। इस युद्ध का भारत को राष्ट्रीय आन्दोलन पर अत्यन्त गहरा प्रभाव पड़ा। प्रथम क्रान्तिकारी पुनः सक्रिय हो गए। अन्त की विवशता और मकटपूर्ण स्थिति के कारण उनके हृदय में नवजीवन एवं आशा का संचार हुआ। बि. गों में भी क्रान्तिकारी संगठनों की स्थापना हुई। १९१४ ई. में लाला हरदयाल ने टर्की जाकर गदर पार्टी की स्थापना की।^२

१ भारत का बधानिक एवं राष्ट्रीय विकास १९६७ पृ. २१७-११९

२ लाला हरदयाल ने सन् १९११ में बेल्जियम में गदर पार्टी की स्थापना की। इस संस्था ने विश्वों में क्रान्तिकारी आन्दोलन को एक नई शक्ति प्रदान की। श्री हरदयाल विदेशी सभ्यता के धोर शत्रु थे। उनकी धारणा थी कि भारत का आभा पर विदेशी शासन कटाघपाठ है और हमको मिलना ही उचित अपने जावन का उद्देश्य बना लिया। हम शिक्षा में भारत में काय के ना कर्तन समर्थ कर वे अमेरीका चले गए। उन्होंने गदर पार्टी के पत्र एक शूटमुखी में और दूनरा उजू में आरम्भ किए और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रचार किया। कनाडा और अमेरिका में बने भारतीयता पर उनके कार्यों का गहरा प्रभाव पड़ा।

हृदयाल ने जर्मनी पहुँच कर वहाँ भी भारतीय राष्ट्रीयदल की स्थापना की। अनेक क्रान्तिकारी उक्त संगठनों में सम्मिलित थे जिनमें तारकनाथदाम चम्पकरमन पिल्ले आदि प्रमुख हैं। द्वितीय युद्ध काल में अंग्रेजों और भारतीयों में सहयोग का विकास हुआ। लार्ड हाडिन्ज की बुद्धिमत्तापूर्ण नीति का फलस्वरूप भारतीयों के हृदयों में अंग्रेजों की सहृदयता एवं शायप्रियता का प्रति कुछ विश्वास बना। इस काल में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की बागडोर उदारवादियों के हाथ में थी जिन्होंने प्रजातन्त्र एवं मानवता की रक्षा हेतु युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग प्रदान करना उचित समझा। प्रथम महायुद्ध के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर निम्न निश्चित प्रतिरिक्त प्रभाव पड़े —

(१) देश में नवचेतना की लहर का प्रसार हुआ। युद्ध में भारतीय मनिकों का शौर्यपूर्ण कारनामों से देश में आत्मविश्वास का संचार हुआ तथा जनता स्वतन्त्रता के लिए आकुल हो उठी।

(२) शिक्षित भारतीयों में व्यापक दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। देश के नवयुवक अथवा देशों की शानति एवं सम्यक् अत्यधिक प्रभावित हुए और वे अपने देश में भी स्वशासन की कल्पना सजोने लगे।

(३) भारतीयों को स्वतन्त्रता और स्वशासन का महत्त्व का ज्ञान हुआ। युद्ध काल में बहुत से शिक्षित भारतीयों ने विदेश-यात्राएँ की जिससे उन्हें पराधीन देशों की दयनीय स्थिति के अवलोकन का मौका मिला। इससे प्रेरित होकर वे भारत भूमि को स्वतन्त्र करने के लिए व्याकुल हो उठे।

(४) गृहशासन आन्दोलन के लिए प्रेरणा मिली। आन्दोलन के संचालकों को यह विश्वास था कि युद्ध के समय यदि आन्दोलन प्रारम्भ किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। अतः यह कहा जा सकता है कि गृहशासन आन्दोलन की मूल प्रेरणा महायुद्ध में निहित थी।

(५) काँग्रेस का रुख में भी परिवर्तन आया। उसने स्वशासन की तरफ कारगर दृष्टि से बढन का सकल्प कर लिया।

(६) मेसोपोटामिया की घटनाओं ने सरकार की अकुशलता का मडाफाड कर दिया। इससे जन असंतोष में वृद्धि हुई और ब्रिटिश सरकार शीघ्र सुधार के लिए बाध्य हो गयी। एक आयोग की नियुक्ति हुई तथा माटम्यू घोषणा के लिए मांग प्रशस्त हुआ।

(७) भारतीय राजनीति के रंगमंच पर महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ और राष्ट्रीय प्रान्तालन में गांधी-युग का सूत्रपात हुआ।

संक्षेप में युद्ध काल में ऐसी घटनाएँ घटी जिन्होंने भारतीयों को ऊँचा उठा दिया तथा वे निष्प्राण उदासीनता को त्याग कर आगे बढ़े।

(३) उपवासियों और उदारवादियों में भेद

युद्ध के प्रारम्भ होने से कुछ मास पूर्व तिलक को जल से मुक्त कर लिया गया था। उप दल के छुपे हुए सदस्य पुन प्रकट हो गए और विन्गे में गए हुए सदस्य वापिस भारत आ गए। तिलक यद्यपि वृद्ध हो गये थे परन्तु उनके हृदय में स्वराज्य की भावना अभी भी प्रबल थी और वे स्वराज्य के लिए जन-आन्दोलन का नेतृत्व करने के इच्छुक थे। मित्र दल की इस घोषणा ने कि युद्ध स्वतंत्रता शान्ति प्रजातंत्र और आत्म निर्णय के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है उनके मन में आशा का संचार किया। तिलक ने सम्पूर्ण राजनीतिक स्थिति पर गहन मनन किया और वे इस नतीजे पर पहुँचे कि उदारवादियों के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस प्रभावहीन हो गयी है मिन्टो-मार्ले सुधार सन्तान्तरणक है और मुसलमान भारत के राजनीतिक जीवन में एक प्रभावकारी शक्ति बनत जा रहे हैं। अतः ही यह अनुभव किया कि कांग्रेस के दलों अथवा ना मिलाकर संगठन को प्रभावशाली बनाना मुसलमानों और विशेषकर मुस्लिमलोग का कांग्रेस-परिवार में लाना तथा स्वराज्य और संवैधानिक प्रजातंत्र के लिए आन्दोलन पुन आरम्भ करना आवश्यक है। श्रीमती ऐनीबिसेन्ट के सहयोग से उन्होंने कांग्रेस के दोनों धर्मों में मत का प्रयास आरम्भ किया। उदारवादियों का पक्ष श्री गोखले एवं फीरोजशाह मेहता ने अपना विरोध किया। उनकी भय था कि तिलक नौकरशाही के विरुद्ध पुन आन्दोलन आरम्भ कर सकते हैं। शीघ्र ही उदारवाणी नेतृत्व विहीन हो गए। फरवरी १९१५ ई में श्री गोखले एवं नवम्बर १९१५ ई में फीरोजशाह मेहता की मृत्यु हो गयी। सचिदानन्द सिन्हा ने कांग्रेस के कार्यों में शक्ति लेना बन्द कर दिया बाका बद्ध हो गए थे उनकी दृष्टि कमजोर हो गयी थी और अन्तमोहन मातृवीय उदारवादियों का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं था। भारतीय राजनीति के समय पर केवल एक ही व्यक्ति बचा था जो नेतृत्व कर सकता था। वह व्यक्ति था तिलक। श्रीमती बिसेन्ट के प्रयत्नों के फलस्वरूप १९१५ ई के दम्बर अखिरे में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन कर उपवासियों के लिए कांग्रेस में प्रवेश के द्वार खोल दिए गए। जनवरी १९१६ ई में तिलक ने अपने दल सहित मातृ-संस्था में पुन सम्मिलित होने की घोषणा की। सन् १९१६ के कांग्रेस के सत्र के अखिरे में जब तिलक भाग लेने पधारे तो उनका अनुभव हृदयान्वित से स्वागत किया गया। इस प्रकार कांग्रेस के दोनों हिस्से उपवासी एवं उदारवादी पुन संयुक्त हो गए जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन को नई दिशा प्राप्त हुई।

(४) कांग्रेस लीग सम्मिलिता

मिन्टो-मार्ले अधिनियम के पश्चात् मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन आ गया था। शिक्षित एवं दृढमति मुसलमानों के प्रवेश के कारण उसके साम्प्रदायिक स्वरूप में कुछ कमी हुई। लीग पृथक्ता की नीति से दूर होने लगी और उसमें प्रगतिवादी तथा राष्ट्रवादी नीतियों का समावेश होन लग गया। फलतः यह देश की सर्वप्रमुख राजनीतिक संस्था (कांग्रेस) के अधिक समीप आ गयी

जिससे वह प्रब तक अछूत का मा व्यवहार करने की पक्षधर थी लीग ने भी उत्तर दायी शासन की स्थापना के लिए वाप्रस म सहयोग करने का निश्चय किया ।

लीग की विचारधारा म परिवर्तन व कारण

प्रश्न यह है कि मुस्लिम लीग म जिस अग्रजा की यापप्रियता पर पूरा विश्वास था और जो ब्रिटिश शासक के प्रति ठुथुरमुहानी नीति अपना म अपना और मुस्लिम समुदाय का हित समझती थी अचानक परिवर्तन क्यों आ गया ? वह साम्प्रदायिकता के स्थान पर प्रगतिशील नीतियों व यथायक सपन म क्यों आ गई ? इसका निम्न कारण है —

(१) विचार दशन

इस समयभौने व पाछे निर्मित विचार दशन का भी दखना होगा । काग्रस और मुस्लिम लीग दोनों व ही म वदम की तरफ द न मे अपना दित क्यों देया ? इनके मूल म काग्रस और लीग दोनों का ही विचार दशन बाध कर र्ता था । काग्रस का विश्वास था कि मुसलमानों म ब्रिटिश सरकार व प्रति जो असन्तोष बट रहा है उसे दृष्टिगत करने हुए मुस्लिम भावनामा के साथ सामजस्य स्थापित कर और उसके साथ सहयोग की नीति अपनाकर ब्रिटिश सरकार क प्रतिरोध के लिए मयुक्त मोर्चा स्थापित किया जा सकता । मुस्लिम लीग म राष्ट्रवादियों के प्रभाव का दखत हुए काग्रस का यह विश्वास हो गया था कि लीग अपना साम्प्रदायिक स्वरूप व र्ने की दिशा मे अग्रसर है अत राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ सहयोग करने म नीति सबसे कठिनाइया उत्पन्न नही होगी । तत्कालीन काग्रसी नेता व द की भावना से भी प्रेरित थे । उनका विश्वास था कि अग्रजों के विरुद्ध सयुक्त मोर्चा बनाने के लिए यदि अपना निद्वान्तों की सीमित मात्रा मे र्ति भी देनी पडे तो ऐसा किया जाना चाहिए । इसलिये उ होने विधानसभा म मुसलमानों के अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की स्वीकार कर लिया जा उनकी नीतियों के विपरीत था । काग्रस इस मौके का लाभ उठाकर मुस्लिम लीग व साम्प्रदायिक तत्त्वों को अलग धर्म कर उनके अस्तित्व को समाप्त करना चाहती थी । संक्षेप म काग्रस एकता व स्वतंत्रता अवसर को हाथ से नही जाने देना चाहता थी और इसलिये उसने मुस्लिम लीग व साथ हाथ मिलाना आवश्यक समझा ।

मुस्लिम लीग का भी विचार था कि वदमान परिस्थितियों म सरकार उसके प्रति उदासीन हा गयी है अत अग्र सरकार पर अघिब विश्वास नही किया जा सकता । ऐसी स्थिति में काग्रस व साथ सहयोग करने व अलाना और को दूसरा विकल्प उसको दृष्टिगत नही हा र्ता था । लीग का दृष्टिकोण स्वार्थी मे भी परिण था । धमनिरपेक्षता प्रय सगठना से सहयोग आदि उसके दृष्टिकोण जो उसे राष्ट्रवादी दन की पक्ति म खडा कर दते हैं वदम अम थ । वह तो कुछ समय के लिए अरनी साम्प्रदायिक भावना का छोडकर काग्रस का सहयोग प्राप्त करना चाहती थी ।

मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारतीय राजनीति की पहल उसके हाथ से न चली जावे। इस मममते के पीछे मुस्लिम-लीग की आंतरिक राजनीति भी काय कर रही थी। मुस्लिम लीग उस समय सत्ता सघप के दौर से गुजर रही थी और इस सत्ता सघप न जिममे आ जिंगा का भविष्य प्रमुख तत्व था सममते की निशा म महत्वपूर्ण भूमिका आग की। जिन्ना मुस्लिम राजनीति की बागडोर अपने हाथ म लेकर अपने विरोधियों को हनप्रम करना चाहत थ।

(२) बंगाल विभाजन का रद्द किया जाना

सन् १८११ म बग भग का रद्द करने से मुसलमाना का अग्रजों पर विरवास उ गया। उस समय तक राष्ट्रवादी तत्वों का काफी मात्रा म मुस्लिम लीग म प्रवाग हो गया था फनस्वरूप मुस्लिम लीग पर स अलीगढ़ी साम्प्रदायिक नेतृत्व समाप्त हा गया। राष्ट्रवादी मुसलमाना ने अग्रजी सरकार की स्वाधपूर्ण नीति क कुटिल करने को भांप कर अपनी भावी रण नीति निर्धारित करने म अपना हित समझा। ऐसे नेताआ म मौनाना मजहर मयन वाजिद हुसन मुहम्मद अली जिन्ना और हुसन इमाम क नाम उतवनीय हैं।

(३) समाचारपत्रों का योगदान

मौलाना आजाद द्वारा सम्पादित अल हिलाल और मुहम्मद अली द्वारा सम्पादित कामरेड समाचारपत्रों ने मुसलमानों म नवचेतना का सचार किया।

(४) यूरोपीय जातियों के विरुद्ध आंदोलन

तुर्की के खलीफा क नतत्व म यूरोपीय जातियों के खिलाफ मुसलमानों का संगठित आन्दोलन छुड़ा गया। भारतीयों पर भी इसका प्रभाव पडा और वे अग्रजों के विरुद्ध हो गए।

(५) अग्रजों द्वारा खलीफा के विरुद्ध सघप

सन् १९१२-१३ म अग्रजा द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध सघप छेदन के कारण भारत क मुसलमाना म भयकर रोष उत्पन्न हो गया और उनका रस अग्रज विरोधी हो गया।

(६) अलीगढ़ के कुप्रभाव से मुक्ति

लीग का कार्यालय १९१३ ई म अलीगढ़ स हटाकर लखनऊ ल जाया गया। मिस्टर बक और आर्चीबाल्ड स उसका सपक टट गया और उनका प्रभाव भी समय भान पर समाप्त हो गया। अत लीग काग्रस के निकट आ गयी।

(७) वायसराय का अनुकूल दृश्य

वायसराय हाडिंज का दृश्य काग्रस के अधिक अनुकूल था जबकि उसक पूर्व के वायसराय मिटो न मुसलमाना क प्रति पक्षपात पूर्ण रक्षया अपनाया था। सरकार की नीति म परिवर्तन देखकर मुसलमान सशक्ति हा उठ।

(८) ध्येय की एकता

काग्रस और लोग व निकट आने का सबसे बड़ा कारण ध्येय की एकता था। सन् १९१३ में लोग ने एक प्रस्ताव पारित करके इस सत्य को परिभाषित किया कि उसका लक्ष्य धीपनिवेशिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है। ध्येय की इसी एकता के कारण वह काग्रस के अधिक निकट आ गई।

(९) काग्रस लोग समझौते का अस्तित्व में आना

मुस्लिम लोग में राष्ट्रवादियों के प्रवेश के कारण मुस्लिम लोग के उद्देश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए। इससे सन् १९१३ में यह प्रस्ताव पारित किया कि उनका लक्ष्य धीपनिवेशिक स्वतंत्रता की प्राप्ति है। १९१५ ई में बम्बई अधिवेशन में यह नया किया गया कि वह अन्य राजनीतिक दलों के साथ संपर्क बढ़ाएंगे और भारत में शांति सुधार की योजना तयार करने में काग्रस और लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। सुधार योजना का तयार करने के लिए एक संयुक्त समिति का निर्माण किया गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर काग्रस लोग समझौता संपन्न करने का आधार स्तम्भ प्राप्त हो गया। सन् १९१६ में दोनों दलों का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इस अधिवेशन में संयुक्त समिति का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार काग्रस और लोग में एक समझौता सम्पन्न हुआ जिसे लखनऊ पत्र की सगादी जाती है। इस समझौते की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं —

१ केन्द्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में ८ प्रतिशत सदस्य निर्वाचित और २० प्रतिशत सदस्य मनोनीत होने चाहिए।

२ केन्द्रीय विधानसभा की सदस्य-संख्या १५ और मुख्य प्रांतीय विधान सभाओं की सदस्य-संख्या कम से कम १२५ और प्रान्तों की सदस्य संख्या ५ से ७५ तक हो।

विधानसभाओं के निर्वाचित-सदस्य को जनता द्वारा चुना जाय और मताधिकार को यथासम्भव विस्तृत रखा जाए।

४ विधानसभाओं में मसलमानों को पृथक् प्रतिनिधित्व दिया जाए। विभिन्न सभाओं में उनकी संख्या इस प्रकार हो

१ केन्द्रीय विधानसभा में एक तिहाई भाग। २ पंजाब में ५ प्रतिशत
३ संयुक्त प्रान्त में ३ प्रतिशत ४ बंगाल में ६ प्रतिशत ५ बिहार में २५ प्रतिशत ६ बम्बई में एक तिहाई ७ मध्य प्रदेश में १५ प्रतिशत और ८ मद्रास में १५ प्रतिशत।

५ केन्द्रीय कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल करने का प्रश्न पर केन्द्रीय शासन मन्त्र जनरल कार्यकारिणी परिषद् की सहायता से कर जिसमें आधे सदस्य भारतीय हों।

अपसह्यका को किसी विधेयक पर वीटो करने का अधिकार प्रदान किया जाए। यदि उस अल्पमयक समुदाय का कुछ भाग उस विधेयक के विपक्ष में है तो उसे रद्द समझा जाए और उस पर विधानसभा में विचार न किया जाए।

६ भारत मंत्री की परिषद् की समाप्ति कर दिया जाए और भारत सरकार के साथ उमरा वह सम्मिलित रहे जो औपनिवेशिक मंत्री का औपनिवेशिक सरकार के साथ होता है।

प्रतिक्रियाएँ

कांग्रेस लीग समझौते के सम्बन्ध में काफी प्रतिक्रियाएँ हुईं। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा कि भारत के इतिहास में यह एक सुनहरा दिन था। गुडमैन निहान्तसिंह के मतानुसार उस प्रकार भारत की दो बनी जातियों ने और दो बनी राजनीतिक सस्याम ने एक ही कार्यक्रम को अपनाया और उस रूप में इनके द्वारा विशेषकर उसी नरम और गरम पक्ष के पुनर्गठन हो जाने से ब्रिटिश भारत की जनता का राजनीतिक दृष्टिकोण में ज्ञान प्रतियोगिता हुआ। डा. ईश्वरी प्रसाद के अनुसार समझौता कांग्रेस द्वारा लीग को गन्तव्य करने की नीति का प्रारम्भ मात्र था।

समालोचना

कांग्रेस द्वारा साम्प्रदायिकता के प्रश्न पर अपनी नीति में आधारभूत परिवर्तन कर उसके दबाव को स्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस को उस समझौते के फलस्वरूप महान् कीमत चकानी पड़ी। उसने अपने आधारभूत सिद्धान्तों की बलि दी अग्रयण रूप में मस्तिष्क साम्प्रदायिकता के सामने अपना मिर टक दिया कांग्रेस की तर्ज करण की नीति से पाकिस्तान का नींव का आधार प्राप्त हो गया। थोड़े से समय के लिए देश में एकता के वातावरण का संचार हो गया। हिन्दू तथा मसलमान परस्पर मिलकर स्वराज्य आन्दोलन में अग्रसर हुए। भारतीय राजनीति की पहल एक बार फिर मस्तिष्क लीग के हाथ में आ गयी।

(५) गृहशासन आन्दोलन

सन् १९११ से सन् १९१३ के वर्षों में नताम की अनुपस्थिति और सरकार की दमन नीति के कारण सारा राष्ट्र विराग के वातावरण में डूबा हुआ था। राष्ट्र के भाग्यकाश पर बन्त गहन अचकार डाला हुआ था तभी प्रकृति के नियम के अनुसार अन्तरिम में उषा की विरहों दिखाने देना पड़ी। ६ वर्षों की नजरबंदी कायक १९१४ ई. में लोकायुक्त निरुक्त पता के पत्र में गाँव जनकी छत्र ६ वर्षों की नजरबन्दी में उन पर अन्तनी कठोरता का बर्ताव किया गया था कि साधारण व्यक्ति तो पागल ही बन जाता। परन्तु लोकमायता मनस्वी थी उन्होंने तो उन ६ वर्षों का ऐसा सदुपयोग किया कि सारा चकित हो गई। मानव के विने में वह थे और दूसरा उनका बनी रसोइया था। अन्त किसी मेन जोन के आदमी का प्रवेग

वहाँ समझ नहीं था। ऐसी एकान्त निम्न-घटा में लोकमान्य ने पुस्तकों को घपना छापी बनाया और शोनारहस्य की रचना कर डाली। लोकमान्य ने घोर तपस्या के वातावरण में रहकर जो ग्रन्थ लिखा उसके प्रकाशित होने पर देश की समझ में आ गया कि एक तपस्वी पुरुष जेल में रहकर भी ससार की प्रमूख्य सेवा कर सकता है।

बाहर भाकर ही यह मनस्वी भाराम में नहीं बठा। सन् १९१६ के अप्रैल मास में लोकमान्य तिलक ने राजनीतिक जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए होमरूल लीग की स्थापना की। उसके मास पश्चात् श्रीमती एनीबिसेट ने ५ दिवस होमरूल लीग नामक हमारी मस्या का आयोजन किया। उससे पूर्व श्रीमती एनीबिसेट एक उत्कृष्ट धवना और थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष की हैसियत से प्रसिद्ध हो चुकी थी। श्रीमती एनीबिसेट का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश पुराने खिनाही की भांति पूरी तयारी के साथ हुआ। उन्होंने मद्रास स्टूडेंट्स नामक प्रश्नो दैनिक को लेकर ससफा नाम 'यू इंडिया' रस दिया और उसके द्वारा वह सरकार और जनता दोनों को जगाने का काय करने लगी। देश में थियोसोफिकल सोसाइटी की जितनी भी शाखाएँ थी वे सब होमरूल लीग के कार्यालयों का काम देने लगीं। सोप में थोड़े ही समय में कांग्रेस के नेताओं के हाथ से राष्ट्र की टटती नाव का चप्पू इस सैनस्थिनी आयरिस महिला ने अपने हाथ में ले लिया।

श्रीमती एनीबिसेट भारत के जन जीवन के मार्मिक पहलू को सस्पश करने में पूरी तरह सफर हुई। एक विदेशी महिला होते हुए भी उसकी भावनाओं के उदक ने उसे इस राग में रग दिया कि उसे इस देश की मिट्टी के साथ आत्मनात् होना है। वह देश की उच्च आध्यात्मिक नतिक और गौरवपूर्ण मानवीय परम्पराओं से भरपूर प्रभावित हुई और राष्ट्र को अपनी मातृभूमि समझने लगी। परन्तु उसकी भावनाओं का यह देश विदेशी साम्राज्यवाद का गिहार था। राष्ट्रगौरव के साथ विदेशी हुकमरान खिावाड कर रहे थे और इस राष्ट्र को सन्व सदक के लिए मुलमरी धरारी प्रगहायता पंगवलम्बन और निबलता की तरफ धकेल रहे थे। ऐसे समय में भारतीयता से धीनप्रोत एनीबिसेट की आत्मा आहत हुए बिना नहीं रह सकी और वह दश को इस स्थिति से मुक्ति दिाने के लिए बुद्ध ठोस कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए छटपटाने लगी। भावनाओं के इसी तूफान के फलस्वरूप उसने होमरूल आन्दोलन को जन्म दिया।

उनके देश आयरलंड में इस समय स्वतंत्रता के लिए उग्र आंदोलन चल रहा था। आयरिस नेता रेडमाड के नेतृत्व में आयरलंड में होमरूल लीग की स्थापना हुई थी जो धधानिक तथा शांतिमय उपायों से गृहशासन या स्वराज्य प्राप्त करना चाहती थी। श्रीमती बिसेट ने इस विचारधारा का अध्ययन करके अपना माग निश्चित किया। इस समय देश में क्रान्तिकारी सक्रिय थे और उग्रवादी नेता कांग्रेस से अलग हो गए थे। इसीलिए श्रीमती बिसेट उग्रवादियों को इफटठा कर आयरलंड की भांति गृहशासन आन्दोलन का सूत्रपात करना चाहती थी।

श्रीमती एनीबिसेट मनस्वी तिलक के जीवन-ज्ञान से भी अत्यधिक प्रभावित थी और भारतीय संस्कृति के इस महान् मेवक के साथ काम कर उसके समान ध्येय (स्वराज प्राप्त करना) का प्राप्त करना चाहती थीं। इन तत्त्वों ने बिसेट को होम रूल आंदोलन का संचालन करने की प्रेरणा दी।

आंदोलन का उद्देश्य

हामरुज आंदोलन हिंदू राष्ट्रवाद से प्रभावित एक बधानिक और गतिपूण आंदोलन था। श्रीमती बिसेट गतिपूण बधानिक तरीका से भारत में स्वशासन को स्थापना करना चाहती थी। गृहशासन आंदोलन के निम्न मुख्य उद्देश्य थे -

पहला उद्देश्य स्थानीय मन्त्रालयों और विधानसभाओं में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का स्वशासन स्थापित करना था। भारत में उसी प्रकार के स्वशासन की स्थापना करना था जसाकि अन्य औपनिवेशिक राज्यों में था। स्वयं एनीबिसेट के धारणों में राजनीतिक संधारों में हमारा उद्देश्य ग्रामपंचायतों से लेकर निम्न नगरपालिका और प्रांतीय धारामन्त्रालयों तक राष्ट्रीय सत्ता के रूप में स्वशासन की स्थापना है। हम राष्ट्रीय सत्ता के अधिकार स्वशासित उपनिवेशों की धारामन्त्रालयों में समान ही होंगे। उन्हें नाम जो भी दिया जाय और जब साम्राज्यी सत्ता में स्वशासित राज्यों के प्रतिनिधि लिए जाए तो उसमें भारत के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।³

दूसरा श्रीमती बिसेट ब्रिटिश साम्राज्य की विरोधिनी नहीं थी। उनका कहना था कि स्वशासित भारत युद्ध में अग्रजों के लिए अग्रिक सहायक सिद्ध होगा। स्वशासन प्रदान करने पर भारतीय पूणनिष्ठा के साथ अग्रजों को सयोग देंगे। अतः अग्रजों साम्राज्य के हित में ही होगा कि वह भारतीयों को स्वशासन प्रदान करके अनुपस्थित रहे।

तीसरा गृहशासन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति का धारा को उपबन्ध की तरफ जान में रोकना था। श्रीमती बिसेट का विचार था कि अग्रज भारतीय राजनीति को सयत नतृव प्रदान नहीं किया गया ता उस पर आतिकारियों तथा आतंकवाधियों का प्रभुत्व हा जायगा। इस उद्देश्य से उठाने गतिपूण तथा बधानिक आंदोलन चलाना ही अग्रजों के समझ और इस प्रकार उनमें उपबन्धियों को आतंकवादिया के प्रभाव से सदा के लिए मुक्त कर दिया। हा आतिकारियों ने इसी तथ्य पर अग्रजों के विचार प्रकट करत हुए टीक ही कहा था उनका योजना उपबन्ध की राष्ट्रीय यत्तियों को आतिकारियों के साथ टकटू होने में रोकने की थी। व भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के अग्रजों के साथ दिनाकर सन्ध्या रचना चाहती थी और आग्रजों में उपबन्धियों को उदारवादियों के साथ द्वारा जाना चाहती थी।⁴

चौथा युद्धकाल के दौरान भारतीय राजनीति निश्चित पड गयी थी। सक्रिय कार्यक्रम तथा प्रभावकारी नतृव के अभाव में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति अवरुद्ध

3. A ne Besa t I d Bo d or Fe P 162 163

4. Z ch ish R ce t I dia P 165

हो गयी थी अतः भारतीय जनता को निष्प्राण भवस्था से जगाना आवश्यक था। श्रीमती बिसेट ने समय की माँग को पहचान कर होमरूल माँग के माध्यम से भारतीयों को झरझोरना चाहा।

आन्दोलन के बढ़ते चरण

होमरूल आन्दोलन की शुरुआत सवप्रथम तिलक ने की। यद्यपि वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे फिर भी उन्होंने यह अनुभव किया कि कांग्रेस के तत्वावधान में व्यापक राजनीतिक आन्दोलन का संचालन करना संभव नहीं है। अतः उन्होंने होमरूल लीग के तत्वावधान में एक राजनीतिक आन्दोलन चलाया। २३ अगस्त १९१६ ई० को उन्होंने पूना में होमरूल लीग की स्थापना की। ६ मार्च १९१७ ई० को उन्होंने पूना में भारतीय होमरूल लीग की स्थापना की। दोनों का उद्देश्य एक ही था। अतः लम्बे समय के अधिभेदों के बाद दोनों ने ही इस आन्दोलन को सम्मिलित रूप से संचालित करने का निश्चय किया। दोनों नेताओं ने सारे देश का दौरा करके इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए अनमत्त जागृत किया। समाचारपत्रों ने भी इसमें योगदान दिया। इसमें बिसेट के दैनिक 'न्यू इंडिया' तथा साप्ताहिक 'कामन वेल' और तिलक के दैनिक 'केमरी एव साप्ताहिक मराठा' ने भारत के लिए स्वशासन का घर-घर प्रचार किया। देश के विभिन्न भागों में होमरूल समितियाँ स्थापित हुईं। इनके परिणामस्वरूप सारे देश में उत्तजना और भागी का वातावरण उत्पन्न हो गया। जनता को आशा बंध गयी कि यह आन्दोलन शीघ्र ही कुछ सुपरिणाम लाएगा।

गृहशासन आन्दोलन का दमन

सन् १९१७ में होमरूल आन्दोलन अपने चरम शिखर पर पहुँच गया था। यह शांतिपूर्ण तथा अहिंसक आन्दोलन था। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने इसके दमन के लिए अमानुषिकता का व्यवहार किया। श्रीमती बिसेट और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। तिलक को पंजाब तथा दिल्ली में प्रवेश करने के लिए मनाही कर दी गयी। श्रीमती बिसेट और तिलक के समाचारपत्रों से अमानतें मांगी गयीं। विद्यार्थियों को आन्दोलन में सम्मिलित होने से रोक दिया गया। जनता को होमरूल लीग की सभाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया। दमन के इन कार्यों से देश में विरोध और रोष का अार उमड़ पड़ा और देश के विभिन्न भागों में विरोधी सभाएँ की गईं।

प्रभाव

होमरूल आन्दोलन को कुचनन के नरकारी प्रयास की घोर निन्दा की गयी। तिलक ने सत्याग्रह करने की घमची दी। कांग्रेस ने सभी नजरबंद नेताओं को छोड़ने की माँग की। सरकार के लिए इस आन्दोलन की उपेक्षा करना अमान्य काम नहीं था। उसे मुद्दों में भारतीयों की सहायता की आवश्यकता थी। इसलिए भारत मंत्री माट्यू ने अपनी ऐतिहासिक घोषणा द्वारा मुद्रोपरान्त भारत में स्वशासन-स्थापना

का संकेत दिया। सारांग यह कि यह आंदोलन व्यर्थ नहीं गया। इसने भारतीयों में नव भाषा का संचार कर दिया और सरकार को नयी सुधार योजना लागू करने के लिए बाध्य कर दिया।

(६) मसोपोटामिया की घटना

होमरूल आंदोलन द्वारा उत्पन्न उत्तजनापूर्ण वातावरण में 'मेसोपोटामिया कमीशन' की रिपोर्ट ने भाग में धो का काम किया। इसने भारत सरकार को अनुचित सिद्ध कर दिया तथा शासन में सुधार की अनिवार्यता बना दिया। सन १९१४ में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध तुर्की ने युद्ध में प्रवेश किया। तुर्की के विरुद्ध युद्ध का स्वागत भारत सरकार कर रही थी। सत्तानन में अनेक दोष थे। सैनिकों का उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं थी सेना को माघारण सुविधाएँ भी नहीं दी गयी थीं। इसी कारण इंग्लैंड में बड़ा विवाद उठा और मसोपोटामिया कमीशन की नियुक्ति की गयी। कमीशन ने भारत सरकार को दोषी ठहराया उसकी कमी आलोचना की तथा उसे सबथा अयोग्य बतलाया। उसने तत्कालीन भारतीय शासन प्रणाली को कुटिलपूर्ण बतलाया तथा उनमें सुधारों की मांग की। फलस्वरूप भारत-अधिवचनम्बरलेन को यागपत्र देना पड़ा और माटेग्यू ने उसका स्थान ग्रहण किया।

(७) माटेग्यू घोषणा

सन् १९१६ के सुधारों से राष्ट्रीय नेताओं को बहुत निराशा हुई थी क्योंकि उनके अनुसार वास्तविक नियंत्रण सरकार के पास ही रहा और नौकरशाही के सामने उन प्रतिनिधियों की प्रवृत्तना कर दी गयी। उन सुधारों में साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था को स्वीकार करके देश में फूट के बीज बोए। साम्प्रदायिक व्यवस्था के कारण सम्पूर्ण देश में हिंसा का नग्ननय हुआ और करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति की हानि हुई। न सुधारा से असन्तुष्ट होकर भारतीयों ने हानि रूल आन्दोलन चलाया। प्रथम महायुद्ध में जो सेवाएँ भारतीयों ने की थीं उनका प्रतिफल उन्हें नहीं मिला। लखनऊ सम्मेलन के बाद कांग्रेस और लीग दोनों एक ही मंच पर आ गई और अंग्रेजों से अधिक सुधारों की मांग करने लगी। अन्त में परिस्थितियों से विवश होकर माटेग्यू ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारतीयों को शासन में अधिक भाग देना है और अन्ततोगत्वा एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है।

घोषणा के अस्तित्व में आने के कारण

इस घोषणा के अस्तित्व में आने के कारणों का ऐतिहासिक सन्दर्भ में अध्ययन करना होगा। वे कौन से तत्त्व थे जिन्होंने इस योजना को अन्तिम रूप दिया। विषय के व्यापक परिचय में जाने पर दो तत्त्वों का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है।

(१) देश की आन्तरिक घटनाओं का प्रभाव

देश में प्रसन्नाय अपनी चरम सीमा पर था और भारतीय अपनी प्रसन्नता — स्थिति की और अधिक समय तक सहन करने की तयार नहीं थे। श्रीमती एनीबिन्ट के प्रयासों के कारण वांग्रस के उदारवादियों और उग्रवादियों में भेद हो चुका था तथा नीचे और वांग्रस एक मंच पर आकर काम करने की तयार हो गए थे। होमरूल आंदोलन और मेसोपोटामिया का घटनाओं के कारण सम्पूर्ण देश में उत्तजक वातावरण छाया हुआ था और सारा देश एक स्वर से इन घटनाओं की जांच की माँग कर रहा था। इसलिए जसाकि पहले लिखा गया है ब्रिटिश सरकार का विचार होकर मेसोपोटामिया कमीशन की स्थापना करनी पनी। इस कमीशन ने सम्पूर्ण तथ्यों का अवलोकन करके कुछ सचारांश में भारत सरकार की प्रयोग्यताओं को प्रकट किया तथा भारत सरकार की सवसा निकम्मा साजित किया। साथ ही साथ इस बात की भी सिफारिश की कि वर्तमान शासन प्रणाली को बदला जाए और उसके स्थान पर नए शासन प्रणाली लागू की जाए।

(२) गलत के उदारवादी तर्कों की भूमिका

इंग्लैंड के उदारवादी तर्कों ने भा मेसोपोटामिया की घटनाओं का सरकार के लिए अत्यन्त निरन्वीय बनाया और भारत सचिव चेम्बरलैन की हठान की माँग की तथा सुधारों का शीघ्र आवश्यकता पर बल दिया। इन्हीं बातों में प्रेरित होकर चाहे इसकी भूमिका प्राणिक ही क्यों न रही हो ब्रिटिश संसद ने सुधारों की व्यापक स्वीकृति के लिए नए भारत सचिव माटेग्यू की नियुक्ति की।

घोषणा

परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए माटेग्यू ने २ अगस्त १९१७ ई. को ब्रिटिश लोकसभा में एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति जिससे भारत सरकार भी प्रेरित सहमत है यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पूर्ण उत्तरोत्तर बने और उत्तरदायी शासन प्रणाली का धीरे धीरे विकास हो जिससे अधिकारिक प्रगति करते हुए स्वायत्त प्रणाली भारत में स्थापित हो और वह ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग रूप रहे। उन्होंने यह तय कर लिया है कि जितना शीघ्र हो इस दिशा में ठोस रूप में कुछ कदम उठाये जाए।

इस घोषणा की सूक्ष्म व्याख्या करने पर निम्न बातें स्पष्ट होती हैं —

(१) भारतीयों को नामान के प्रत्येक विभाग में अधिकारिक भाग लेने का अधिकार

इस घोषणा में सबसे प्रथम इस तथ्य का उल्लेख किया गया था कि सरकार तथा भारत सरकार इस बात से सहमत हैं कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पूर्ण उत्तरोत्तर बने। इस तथ्य का गहराई से विचारण करने पर इस साम्म में कुछ प्रश्न स्वाभाविक रूप से पदा होते हैं —

ब्रिटिश सरकार भारतीयों को शासन में भाग लेने-लेने के लिए किस स्वरूप का निर्माण करेगी ? वह योग्यता कम की प्रमुखता देगी या विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला विद्वानों को प्रेरित करेगी ? इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। यह स्पष्ट नहीं था कि शासन के कार्यों में भारतीयों की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाएगी। इस प्रकार इस घोषणा में कोई ठोस एवं स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी।

(२) उत्तरदायी व्यवस्था से स्वशासन प्रणाली का विकास करना

इस योजना की सब से बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें उत्तरदायी वाक्यांग का प्रयोग किया गया था। यह भारत के सवधानिक विकास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण शुरुआत थी। उत्तरदायी शासन प्रणाली बहुत कुछ आशिक स्वतंत्र अस्तित्व की ओरक थी। इसका अर्थ तो यही हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की शासन करने की क्षमता पर विश्वास कर लिया जबकि अब तक उन की यही धारणा थी कि भारतीय उत्तरदायी शासन करने के लिए योग्य नहीं हैं और उनको शासन का भार नहीं सौंपा जा सकता। अब प्रश्न यह है कि ब्रिटिश विचारधारा में परिवर्तन क्यों हुआ और उसने इस योजना में उत्तरदायी शासन की कल्पना क्यों की ? कारण स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रवाद अब आश्वासनों के कल्पित गान्धाल में फसकर सतुष्ट रहने को तयार नहीं था। वह छोटे मोटे सुधारों को अपनी माँगों का प्रतिफल मानकर चलने को तयार नहीं था। यदि उसे इस व्यवस्था (उत्तरदायी शासन) का सामीदार नहीं बनाया जाता तो वह किसी भी संधि का वरण करने को तयार था। इसीलिए अंग्रेजों ने समय की माँग को ध्यान में रखकर ही ऐसी व्यवस्था की थी।

(३) स्वशासन प्रणाली

इस योजना में स्वशासन प्रणाली का भी उल्लेख किया गया था और उसका अन्तिम सम्बन्ध ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जोड़ा गया था। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि सरकार भारत की पूर्ण स्वराज्य की माँग को स्वीकार करने को तयार नहीं थी हालांकि वह औपनिवेशिक स्वतंत्रता के सम्बन्ध में विचार करने को अवश्य तयार थी।

(४) अतिशीघ्र कदम उठाने की व्यवस्था

घोषणा में कहा गया था कि इस दिशा में (उत्तरदायी शासन) में जितना शीघ्र ही ठोस रूप से कुछ कदम बढ़ाए जाएं। इस व्यवस्था का उल्लेख करके सरकार भारतीयों पर मनोविज्ञान के इस रहस्य की धार छोड़ना चाहती थी कि वह वास्तव में सच्चे दिल से सुधारों का क्रियान्वित करना चाहता है। अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे इसे सफल बनाने के लिए भरसक सहयोग करें।

(५) ब्रिटिश वंश

यह घोषणा भी ब्रिटेन की माँग करने वालों को छूट दो वाली नीति को प्रतिपाद करती है। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य वास्तव में उत्तरदायी-शासन पद्धति

का विकास करना न होकर भारतीयों को शान्त-जान से मोहित करके असन्तोष की देगवती सरिता को दूसरी तरफ प्रवाहित करना था। सरकार इस व्यवस्था से जिसका स्वरूप अस्पष्ट था और जो अस्पष्ट स्वरूप के कारण विभिन्न ध्यास्याओं का आधार बन सकता था विन्द के सामने विनोदकर मित्र राष्ट्यों पर यह प्रकट कर देना चाहती थी कि वह भारत की समस्याओं के प्रति उदासीन नहीं है अपितु वह तो उस स्थिति की (उत्तराधी शासन में स्वशासन का और) भी स्वीकार करने के लिए तैयार है जो एक तरह से उसका वग की बात नहीं है। दूसरी तरफ उसने इस अस्पष्ट स्वरूप की व्यवस्था करके पहले की भी अपने हाथ से नहीं जान दिया। चापला का जमा चाह बना उपयोग करके ब्रिटिश सरकार भारतीयों के प्रयत्नों का प्रसंग कर उस युक्तिगत भी करार दे सकती थी।

मुस्लिम-लीग और कांग्रेस के मध्य हुए गठबंधन में दरार डालने की भी हम योजना में व्यवस्था थी। शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों को शामिल करने के उद्देश्य की भाँति साधारणतया एक पवित्र गुरुशास्त्र की भाँति स्वीकार किया जाता रहा हो परन्तु इसके साम्प्रदायिक पहलू की भी धृष्टता नहीं हटा जा सकता। क्योंकि यह ब्रिटेन की चिरपरिचित नीति पट डानो और राज करो का ही एक मदमाय सिद्धांत था। सरकार की विश्वास था कि हम प्रश्न के माध्यम से वह हिन्दू मुस्लिम क्षेत्रों में एक बार पुन विनय की नहर फसा सकेगी क्योंकि जब शासन में भारतीयों को शामिल करने का प्रश्न उठता तो दोनों ही वग अपने-अपने हितों के कारण के लिए अपने-अपने समयका का शामिल करने की माँग करेंगे जिससे उन्हें टकराव के बिन्दु पर लडा किया जा सकेगा। मुस्लिम लीग ने शासन को यह उठाए उसमें हम बात की पुष्टि होती है।

ब्रिटिश सरकार को यह भी विद्वान था कि इस प्रश्न पर एक सर्वसम्मत निष्पत्ति पर पहुँचना भारतीयों के लिए असम्भव सा है और इस बात का नाम उठा कर वह उन पर इस बात का दोषारापण कर सकती कि वे उत्तराधी शासन के योग्य नहीं हैं। जा कुछ भी हा बनना तो स्पष्ट ही है कि इस योजना को प्रस्तावित करने के पहले ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न लोगों से इसका अध्ययन कर कुछ सूत्रों के आधार पर हा इसको अन्तिम रूप दिया था।

भारत में प्रतिप्रिया

भारत में हम घोषणा पर मित्रोत्तरी प्रतिक्रिया हुई। नरम दल ने उसका स्वागत मन्नाकार्टी के रूप में किया जबकि उग्रवाहियों ने हमको शान्ति का वाग्जान बताकर राष्ट्रीयता को प्रवृद्ध करने की दिशा में एक पहलू बनाया। साधारण भारतीयों ने हम सवधानिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में प्राथमिक रूप से स्वीकार किया। लेकिन भारतीयों को स घोषणा स घोषणा की अपेक्षा निराशा क दशन अधिक हुए, क्योंकि प्रस्तावित योजना में भारतीयों की

प्रगति को धारणा ब्रिटिश सरकार के हाथ में रखा गया और एफ़दम उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गयी जोकि भारतीय राष्ट्रवादी की प्रमुख मांग थी।

घोषणा का मूल्यांकन

संसदीय शासन की स्थापना के सदम में ब्रिटिश अट्टीकोण कता भी क्यों न रहा हो परन्तु हमें इस सत्य को तो स्वीकार करना ही होगा कि भारत के सवधानिक सुधारों की दिशा में यह घोषणा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी। यह एक क्रान्तिकारी घोषणा थी जिसके द्वारा भारत ने अपने इतिहास के नये युग में प्रवेश किया। इस घोषणा का महत्त्व महारानी विक्टोरिया की १८१८ ई की घोषणा के समकक्ष है। ब्रिटिश सरकार ने इसी घोषणा के आधार पर १९१९ ई का भारत शासन अधिनियम पारित किया जिसका विस्तृत चर्चा अगले अध्याय में की गई है।

(८) लिबरल फेडरेशन

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे उग्रवादीयों का प्रभाव बने से श्री धीमती एनाबमेट की कांग्रेस का सम्पादन बन लिए जान से उदारवादी १९१७ ई के बलकता अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए। इसी समय लार्ड माट्यू व लार्ड चेम्सफोर्ड सुधारों के विषय में भारतीय नेताओं से बातचीत कर रहे थे। १९१८ ई में मोटफोर्ड सुधार योजना के प्रकाशित हो जाने से नरम और गरम दल में पुनः स्पष्टी मतभेद उत्पन्न हो गया।

माट्यू प्रतिवेदन में कहा गया था कि केन्द्रीय सरकार में परिवर्तन करना उसे सफल में डालना और उसकी कार्यक्षमता में कमी नाना था। इस प्रतिवेदन ने कांग्रेस की योजना की उन बातों को माना जिसमें साम्राज्य की विभिन्न कमिटी में हिन्दू मुस्लिम सदस्यों के अनुपात की बात कही गयी थी। भारत की सरकार भारत मन्त्री के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी रहे। होम्बल आगे बढ़ने से जो आगे शिक्षित वर्ग में उभर रहे थे उसे इस सुधार योजना में काफी धक्का पहुँचा। नेताओं व पत्रों ने घोषणा की निन्दा की। तिलक ने कृष्ण भी तरह स्वीकार नहीं बताया। श्रीमती एनीबेसट ने कहा इंग्लैंड के द्वारा इस योजना को प्रस्तुत करना अनुचित है और भारत द्वारा इसे स्वीकार करना नितान्त अनुचित एवं असम्माननीय है। एंग्लो अफ्रिकन पत्रों ने इस योजना के सुझावों को शक्तिशाली कहकर प्रचारित किया था। राजनीतिक वातावरण बहुत तीव्र था। सन् १९१८ में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन माट्यू घोषणा पर विचार विमर्श के लिए बुलाया गया। उदारवादी दल के नेता सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए। उग्रवादी मोटफोर्ड योजना के आलोचक थे। उग्रवादी इस विरोध से बचना चाहते थे क्योंकि इसमें उत्तरदायी-वर्ण सुधार के आरम्भ करने पर विश्वास प्रकट किया गया था। ये नेता संसद-समिति की प्रभावित करने हेतु इंग्लैंड में एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजना चाहते थे। इस प्रकार उग्रवादी व उदारवादी में परस्पर मतभेद हो गया था।

उदारवादिया ने नवम्बर १९१८ में मन्मई में एक सभा का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता मुन्नाभाय ने की। एक प्राग सभ्या स्थित राष्ट्रीय उत्तर गणना गठन किया गया। सम्मेलन ने मुंबाई को माता क्योंकि इसके द्वारा शांतिपूर्ण उत्तरवादी सरकार की स्थापना का अवसर मिलता था। उत्तरवादी ऐसा कोई माग नहीं समझना चाहते थे जो सरकार ने पूरा हो और निम्नका मकद अंत होने की कोई संभावना नहीं है।^१

(६) रोलट अधिनियम

युद्ध के पश्चात् नाम चेम्फोड की सरकार मजदूरी का धर्म करके स्वयं भयभीत हो रही थी। उसे पता था कि हम और अफगानिस्तान के गुल्जर देश में विद्रोह का बीज बो रहे हैं। युद्ध का मकसद भारतीय कारिगारों का वेष्ट रहता था। मन् १९१६ में अमानुहा (जोफि हम के पक्ष में था) अफगानिस्तान के अमीर पर आने ने सरकार और भी मचेत हा गयी थी। अमीर को यह विश्वास दिलाया गया था कि भारतीय मुसलमान अफगानों के विद्रोह का मौका देव रहे है। अंत उसने अग्रन १९१६ ई में भारत पर आक्रमण किया। परन्तु उसे अपमानित होकर पीछे पीटना पडा। उसकी मूर्खता ने भारतीय सरकार को गनाहना को और भी उत्साहित किया। सरकारी मन के बावजूद श्री निलक एव श्रीमती बिश्व के गृहगामन आन्दोलन का मन् १९१७-१८ में मजदूरी सचान हुआ था। गवर्नर जनरल ने यह मांच कर कि भारतीय सुरक्षा अधिनियम जिसके द्वारा भारत सरकार को अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी युद्ध के समाप्त होते ही प्रभावकारी नहीं रहेगा अत्यन्त शीघ्रता से दो सवटकालीन फौजदारी कानूनों का निर्माण किया जो रोलट अधिनियमों के नाम से प्रसिद्ध है।

मि रोलट ब्रिटिश उच्च न्यायालय के एक प्रतिष्ठित पायाधीन थे और उनकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने भारत के शान्तिकारी कार्यों का अध्ययन करने हेतु १ दिसम्बर १९१७ ई को एक समिति का गठन किया था। १६ जुलाई १९१८ में जो रोलट समिति का प्रतिवन्द प्रकाशन हुआ और इसमें युद्ध के अन्त हो जाने के पश्चात् भी रक्षा कानून की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। इस प्रतिवन्द के आधार पर ही रोलट अधिनियम बनाय गए। अधिनियमों के अनुसार मजिस्ट्रेटों को मन्दिश शान्तिकारियों को थोड़ी सी जाय पडतात पर ही नजरबन्द करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इन कानूनों के अनुसार दो

१ उत्तरवादीयों ने मन् १९१८ के विधलयमका क चनाया में प्राग किया जबकि काउंस ने चनाय का विधिकार किया था। जब महान्यायी दम्प्राय आन्दोलन द्वारा दश मत्ता की परीक्षा कर रहे थे काश्मिर कायकर्ता पतिस जुम के शिवार हो रहे थे उत्तरवादी सरकार में सम्बोध कर रहे थे एव द्वितीय सरकार में पर और सम्मान प्राप्त करने में शीघ्र अन्तर्भव कर रहे थे। साय सिंग को मन् १ और द्वितीय का दम्प्राय भारतीय नर विमुक्त किया गया था मन् १९१८ के नार्थ का शिवाय किया गया।

प्रकार के अधिकार भारतीय सरकार को दिये गए। प्रथम षण्ण के अधिकार निम्नलिखित थे —

- १ जमानत अथवा बिना जमानत के मुचलका भरवाना।
- २ निवास की सीमा पर प्रतिबंध लगाना अथवा निवास-परिवर्तन की सूचना को आवश्यक बनाना।
- ३ समाजों तथा पत्रिकाओं के प्रकाशन एवं वितरण पर रोक लगाना और
- ४ सदिग्ध व्यक्तियों को समय समय पर सूचना देते रहने का निर्देश देना।

दूसरे षण्ण के अधिकार इस प्रकार थे

- १ बन्दी बनाना
- २ वारंट जारी करके खोज करना
- ३ बिन अर्थ-दंड के कारावास देना।

इन कानूनों की अवधि तीन वर्ष की थी। ये सरकार की कठोर दमन-नीति के मूल मंत्र थे और उन्होंने गांधीजी को सत्याग्रह और असहयोग आन्दोलन करने की प्रेरणा दी।

गांधीजी द्वारा रोलट अधिनियम का विरोध

गांधीजी १९१४ ई. में अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत में आकर गांधीजी ने देश के किसानों और श्रमिकों की भलाई को दृष्टि में रखते हुए कार्य प्रारम्भ किया। उन्होंने बम्बय (बिहार) में किसानों के पक्ष में एक सफल आन्दोलन चलाया जिससे देश भर में उनका आदर और सम्मान बढ़ गया। उन्होंने अहमदाबाद के साबरमती स्थान पर अपना आश्रम खोला और वहाँ से रोलट विधेयक के विरोध में सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ किया। गांधीजी ने सवप्रथम सरकार को उसे वापस लेने का आग्रह किया क्योंकि उससे जनता के साथ विश्वासघात होता था और उसे जनता के विरोध में बनाया गया था। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि उनका आग्रह स्वीकृत नहीं किया गया तो उन्हें सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह आरम्भ करने पर विवश होना पड़ेगा। उनकी चेतावनी का कोई परिणाम नहीं निकला। पन्द्रहवें उद्देश्य २८ फरवरी १९१९ ई. को सत्याग्रह का प्रतिज्ञापत्र प्रकाशित किया। इस प्रतिज्ञापत्र पर लोगों को हस्ताक्षर करने पर उसे व्यवहार में लाना था। इसका अभिप्राय था कि यह कानून न्याय विरुद्ध है स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कुचलन करने है और व्यक्तियों के साधारणतम अधिकारों का घातक है। हम इन कानूनों का उस समय तक जबतक कि वे वापस न लिए जाएं उल्लंघन करेंगे। उन्होंने जनता को सत्याग्रह आन्दोलन का पाठ पढ़ाने हेतु सारे देश का भ्रमण आरम्भ किया। उन्होंने बताया कि सत्याग्रह सम्पूर्ण देश के लिए आत्मसमर्पण और आत्मशुद्धि का कार्य है क्योंकि सम्यक्ता से उनमें अनेकों बुराइयाँ धाँ गई हैं। सत्याग्रह द्वारा देश एक ऐसी धार्मिक शक्ति प्राप्त कर सकता है जिससे वह साम्राज्यीय शक्ति का भी सफलता से प्रतिरोध कर सकेगा। सत्याग्रह

असहयोग आन्दोलन का मुख्य आधार था। सत्याग्रह आन्दोलन प्रतिरोधात्मक आन्दोलन है जो आध्यात्मिक शस्त्रों द्वारा लड़ा जाता है। एक सत्याग्रही दमन और अत्याचार के विरुद्ध आत्म त्याग द्वारा सघष करता है। वह पार्श्विक शक्ति के विरुद्ध आत्मिक शक्ति को लड़ा करता है वह मनुष्य के देवत्व को मनुष्य के पशुत्व के विरुद्ध राना है वह दमन के विरुद्ध सहिष्णुता का प्रयोग करता है वह शक्ति के विरुद्ध चेतना को न्याय के विरुद्ध विश्वास को असत्य के विरुद्ध सत्य को प्रस्तुत करता है।

(१०) जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड

रोलट अधिनियम को सरकार की स्वीकृति मिलने के पश्चात् ६ अप्रैल १९१९ ई. को देशव्यापी हड़तान रखने का निश्चय किया गया। जनता ने जुलूस निकाल कर सरकार की निन्दा की। यह प्रथम अवसर था जिसमें अमीर गरीब उच्च निम्न हिन्दू मुसलमान सभी एक साथ थे। यह राजनीति में जनता की आत्मिक शक्ति की प्रथम परीक्षा थी। पुलिस और अधिकारियों ने जब जनता पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो जनता अपमान और क्रोध की अग्नि से जल उठी और पंजाब में जनता और पुलिस में भयंकर मुठभेड़ हो गई। १ अप्रैल को अमृतसर में एक बम विस्फोट हुआ जिससे कई यूरोपियनों की मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में सरकार ने डा० किचलू और डा० सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया एवं उन्हें अज्ञात स्थान पर भेज दिया। फलतः जनता उत्तजित हो उठी। अमृतसर के नागरिकों ने जुलूस निकाला। पुलिस ने शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलायी। दस व्यक्ति मरे एवं कितने ही घायल हुए। जनता की उत्तजना बढ़ी वह मृतकों के शवों के साथ नगर की ओर चल पड़ी कुछ अग्रजों की हत्या कर दी गयी तथा कुछ सावजनिक भवनों में आग लगा दी गयी। उत्तजित जनता को नियंत्रण में करने के लिए अमृतसर नगर की सेना के अधिकार में दे दिया गया। पंजाब में प्रवेश पर रोक लगा दी गयी और इस कारण स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गयी। पंजाब में अधिकारियों ने मासल लॉ लागू कर दिया। गवर्नर सर माइकेल मोहायर और जनरल डायर वस्तुतः पंजाब के सर्वोत्तम बन गये।

१२ अप्रैल को शहर में घारा १८८ लगा दी गयी तथा जुलूस निकालने में सावजनिक मना करने पर रोक लगा दी गयी परन्तु उसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं करवायी गयी। अमृतसर कांग्रेस पार्टी ने १३ अप्रैल को सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियाँवाला बाग में सभा का आयोजन करने की घोषणा की। वशाही के त्योहार के दिन दोपहर को जब सभा का काम आतिथ्यपूर्ण ढंग से चल रहा था तब जनरल डायर ने २५० सिपाहियों को लेकर बाग में एकत्रित २०० भोली भाली जनता पर सेना से गोली चलवाकर घोर पार्श्विक अत्याचार करवाया जिसके फलस्वरूप १५०० व्यक्ति घायल हुए और ३७६ स्त्री पुरुष और बच्चे वहीं पर मर गये। डायर सारे शहर को जलाकर राख का ढेर

बना देना चाहता था। अतः उसने सनिकों को वास्ट समाप्त न होने तक गोली चनात रहने का आदेश दिया था। नि शस्त्र जनता को तितर बितर हाने की उसने कोई चेतावनी नही दी तथा घायनों को नि यतापूर्वक उसी अवस्था में वही छोड़ दिया गया। जलियावाला बाग हत्याकांड पूर्व नियोजित योजना का परिणाम था। ६ अप्रैल १९१९ ई के दिन गवर्नर-भवन में उसकी योजना तयार की गयी थी। इस पदयंत्र का जन्मदाता पंजाब का 'रेपिटेन्ट गवर्नर सर माकडन डायर था, भारत सरकार ने इस पदयंत्र को पुष्टि कर दी थी तथा पंजाब के सभी सैनिक और सैनिक अधिकारी इस पदयंत्र में सम्मिलित थे। इस योजना का एक स्पष्ट उद्देश्य था कि प्रमृतसर में जनता पर इतना भयाचार किया जाए कि पंजाब प्रांत में भय का वातावरण बन जाए।

सम्पूर्ण देश में इस हत्याकांड से सनसनी फैल गयी। टायर के प्रशासन की निन्दा की गई। लाहौर में सम्राट और महारानी के चित्र जनाये गए। बमूर एव गुजरानवाला में लूट पाट की घटनाएँ हुई। राष्ट्रीय समाचारपत्रों ने गवर्नर डायर को दंड देने एवं वात्सराय को सजा वापस बनाने की मांग की। सरकार पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पडा। गुजरानवाला पर हवाई जहाजों से बम गिराए गए। समस्त पंजाब में १५ अप्रैल से सविनय कानून लागू कर दिया गया। प्राप्त के कौने-कौन से भयाचार किए गए। यह सब वाप भारतीय जनता को अपमानित करने के लिए किए गए। सर वेनेंटाइन शिरोन ने इस सम्बन्ध में लिखा है जनता को खुले आम कोड़े मरवाना बिना किसी अपराध के गिरफ्तार करना सम्पत्ति ज न करना आदि दमनकारी वाप विन्नेहिया और आनकवादियों को दंड देने के लिए नहीं किए गए परन्तु सम्पूर्ण राष्ट्र को अपमानित एवं आतंकित करने के लिए किए गए थे।

सरकार द्वारा नियुक्त हर्टर समिति के प्रतिबन्धन में जान बूझकर जनरल डायर के कारनामों को छिपाया गया और उसमें सत्याग्रह के दोष पर अधिक बल दिया गया था। यद्यपि भारत मंत्री मोटम्यू ने जनरल टायर के अत्याचारपूर्ण कार्यों को अवश्य अग्रज सरकार के सिद्धान्तों के विपरीत बता कर निन्दित किया तथापि उसने पंजाब के गवर्नर और वात्सराय की प्रशंसा के पुत्र वाये थे। ना फिनल ने हाउस आफ लॉ में जनरल टायर के कार्यों को क्षमा करने का प्रस्ताव रखा जिससे देश के सभी वर्गों की भावनाओं का गहरी ठस पड़ची। सरकार ने पंजाब के उन दोषी अफसरों को नौकरी से अवकाश ग्रहण कराने के प्रतिरिक्त उनके विरुद्ध और कुछ कारवाही नहीं की। एंग्लो-इंडियन पत्रों ने तो जनरल डायर को अग्रजी शासन का रक्षक कहकर बढ़ा या भा दा और उसके सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करने के लिए धन आवृत्त करने की अपील की। भारतीय पत्रों ने चेम्सफोर्ड वापस जाओ के नारा से इसका उत्तर दिया। भारतीय जनता उत्तजित हो रही थी और सम्पूर्ण राष्ट्र में विद्रोही अग्नि भभक रही थी।

(११) खिलाफत आन्दोलन

गान्धिवादी वाग की दुपटना क बुद्ध महात्मा उपरान्त ही सजस की सतिर का ममाचार मित्रा जिमने मित्र राष्ट्र म टर्की के साम्राज्य को द्विन भिन्न कर रिया । मुसलमानो का यह दृष्ट विश्वास था कि गान्धिवादी माइतर सीरिया मार प्रस टर्की क सुतान क अदिरार म ही रहन । पर एसा नही हया । टर्की का भीमाण घटा दी गयी । इमने भारतीय मुसलमानो म त्राघामि भन्क उी । मित्र राष्ट्रो ने पसीफा का अमान रिया तथा मुसलमानो का पवित्र भूमि म प्रवाद नीय अधिकार स्थापित रिया ता खिलाफत आन्दोलन का कारण बन गया । खिलाफत-आन्दोलन का उद्देश्य इस्लाम क रक्षाफा सुतान की शक्ति को पुन स्थापित करना था । जसाकि पहल उ उल रिया गया है कि बुद्ध वान मे मुस्लिम चीग काप्रस व निरुद भान्या थी मार मव स पर राष्ट्रवादियो म पूरात प्रभाव हो गया था । इस्लाम धम के मुत्ला म उ नमा प्राप्ति सभी धार्मिक नता खिलाफत आन्दोलन क समन्वय था । डा म गारी क सभापतित्व म १९१० इ क टि की क लोग-प्रतिवेगन मे मय्य म पभावगारो स । म खिलाफत आन्दोलन का सम्पन्न किया गया । इस प्रतिवेगन म लोग न भारत म स्वशासन को माग को भी उठाया । इसी समय मोस्ताना मोम्मन् उल हसन क नेतृत्व म उमा-सम्प्रदाय न राजनीति म प्रवेश रिया । उ लोग जमीयत उल उनमा ए हिन्द की स्थापना का । इस सगठन न मुसलमानो की विचारधारा का राष्ट्रीय अनुदपता प्रदान करन म महत्व पूरा योग रिया । खिलाफत आन्दोलन नौदस्तादी क विरुद टि मुसलमानो को सयुक्त शक्ति की परीक्षा का शुभ आरंभ था । १६ जनवरी १९१६ ई का माधी जी न दोना जातियो म नताआवा एक खिलाफत-सम्मेलन दिन्ती म बुनाया । उहोने खिलाफत का समन्वय करने का निश्चय किया और मुसलमान नताओ ने उहे महिसात्मक सत्याग्रह म सहयोग देने का आश्वासन रिया । अती बच मोस्ताना गोरगम्मी और मोहम्मदअली जंगवाल से छूटन क तुर म बाह ही काप्रस म सम्मिलित हो गय । फरव्वर म राष्ट्रीय आन्दोलन को क्रांतिकारी प्ररणा एक उ साह रिया । मार्च १९१६ ई म मोम्मन्अली खिलाफत-प्रतिनिधिमण्डल क मेना होकर मित्र राष्ट्रो से टर्की के गिग और गाम्पाक गलें स्वीकार रानत हेतु यूरोप गए किन्तु उ ह निराग हाकर वासत चीन्हा पडा । मागाना मोहम्मदअली न वागरेड नामक पत्र म मुसलमानो से पदा दन क लिए प्रायना की । फरव्वर प्रति दिन गवमन १५ हजार रुपया उनक वाधानय म जमा होत रगा । मोस्ताना गोरगम्मी न वागरेड रामो म सुर्की की मार से नदन के लिए स्वयसेवना क सगठन क लिए मपन सह्यमिया से मपीत भी का ।

राजद-प्रधिनियम की वीरुति न पजाब म लिए गए सत्याचारो से और खिलाफत आन्दोलन म उत्पन्न राष्ट्रीय उत्तजना मे अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन क माग प्रशस्त हुआ ।

सन् १९१६ ई० का अधिनियम

प्रवेश

१९१४ ई० में प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का प्रत्येक दृष्टि में सहायता की क्योंकि धर्मजों ने इस युद्ध का उद्देश्य लोकतंत्र का सत्कार के लिए सुरक्षित करना बताया था। भारतीयों की सहायता के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने शासन में सुधार की भारतीय मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और निरंतर इस सम्बन्ध में छुपी धारण किए रही। भारतीयों ने इस रवये का अनुचित समझा। १९१६ ई० में भारत सरकार ने भारत मंत्री श्री चेम्बरलेन को भारतीय शासन में सुधार के लिए एक योजना भेजी। परन्तु श्री चेम्बरलेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इस योजना में उनके मतानुसार स्वशासन की रीति में कोई वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती और अनुत्तरदायी प्रालोचकों की सहायता से सब कुछ उन्नत हो सकता था। इसी काल में केन्द्रीय विधान परिषद् के १९ निर्वाचित सदस्यों ने भारत मंत्री को सुधारों के प्रस्ताव का एक आवेदन भेजा। इस आवेदन को १९ व्यक्तियों का आवेदन कहा जाता है। भारत मंत्री ने इस आवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी वर्ष कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने अपने आपसी मतभेदों को दूर कर ब्रिटिश सरकार के सामने कांग्रेस लीग योजना के नाम से सुधारों की एक योजना प्रस्तुत की परन्तु इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि भारत मंत्री श्री चेम्बरलेन किसी एक हल के सम्बन्ध में स्पष्टतया बचन बद्ध होने के लिए तयार नहीं थे। भारत मंत्री केवल यह इच्छा प्रकट करने को तयार थे कि वे स्वराज्य प्राप्ति के लिये स्वतंत्र सस्थाओं के क्रमिक विकास के लिए बचनबद्ध हैं।

श्री चेम्बरलेन को धीरे धीरे त्यागपत्र देना पड़ा और उनके स्थान पर माटेयू भारत मंत्री बने। वे भारत के महान् मित्र थे और उनके हृदय में भारतीयों के प्रति सहानुभूति की भावना थी। नए भारत मंत्री अपने साथ एक नया दृष्टिकोण लाये थे। अगस्त १९१७ ई० में माटेयू ने एक घोषणा की जिसमें उन्होंने कहा— ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में अन्त में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना और भारतीयों को शासन में अधिक भाग देना है परन्तु यह केवल धीरे-धीरे ही हो सकता है। धीरे धीरे माटेयू अन्दर से एक प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में

प्रस्ताव कर १० नवम्बर १९१७ ई० को दम्बई पहुँचे। वे भारत में लगभग ५॥ महीने रहे। भारत में निवास करते हुए उनके मन में एक ही विचार प्रमुख था।

मैंने अपना सारा समय यही सोचने में व्यतीत किया है कि किस प्रकार कोई ऐसी वस्तु प्रस्तुत करूँ जिसे भारत स्वीकार कर ले। हाउस ऑफ़ कामन्स उसे प्रस्वीकृत किए बिना ही मुझे तदनुसार स्वीकृति प्रदान कर देगा। माण्टेग्यू ने कठोर परिश्रम किया। उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। अनेक प्रतिनिधिगण्डनों से भेंट की। सॉर्ड पेम्सफोर्ड ने साथ मिलकर सम्बन्ध विचार तथा अध्ययन करने के पश्चात् माण्टेग्यू ने अपना प्रतिवेदन प्रकाशित किया। इस प्रतिवेदन के आधार पर एक प्रारूप तैयार किया गया जो २ जून १९१६ ई को एक विधेयक के रूप में सदन में पेश किया गया और १० दिसम्बर १९१६ ई को पारित हुआ तथा २३ दिसम्बर १९१६ ई को शाही स्वीकृति प्राप्त कर अधिनियम बन गया।

अधिनियम की स्वीकृति के कारण

१९१६ ई के अधिनियम की स्वीकृति के निम्नलिखित कारण थे —

(१) १९१६ ई के अधिनियम के सुधारों से भारतीय जनता और नेताओं को अत्यधिक निराशा हुई थी। सुधारों की घोषणा के बावजूद वास्तविक नियंत्रण सरकार के पास ही बना रहा तथा जनता को कोई वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं हुई। विधान परिषदें केवल वादविवाद करने वाली सम्मन्धों के स्वरूप थीं। इन सुधारों के द्वारा देश में साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारम्भ की गई जिससे मुसलमान राष्ट्रीय आन्दोलन में पृथक् होने लगे। साम्प्रदायिक विषय का संचार राष्ट्रीय जीवन में प्रारम्भ हो गया। भारतवासी इन सुधारों से असन्तुष्ट थे और यह स्वाभाविक ही था कि वे सुधारों के लिये और प्रयत्न करते। भारतवासियों ने गृहशासन आन्दोलन चलाया और उसके द्वारा सुधारों की माँग की।

(२) सन् १९१६ से सन् १९१८ तक के वर्षों में देश में अत्यधिक राजनैतिक जागृति पदा हुई। काग्रेस की शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही थी। सभी शिक्षित व्यक्ति तेजी से इसमें सम्मिलित हो रहे थे। अधिशिक्षित जनता को भी इस समस्या ने आकर्षित किया। तिनक एच एनीबिसेट के गृहशासन आन्दोलन ने भारतीय जनता में अत्यधिक राष्ट्रीय जागृति पदा कर दी। क्रान्तिकारी आन्दोलन भी तेजी से बढ़ा। माड हार्डिन्ज की सवारी पर बम फका गया। इस अवधि में क्रान्तिकारियों ने अनेक प्रयत्नों की हत्या कर प्रपञ्ची सरकार को प्रेरित यह अनुभव करवा दिया कि यदि भारतवर्ष को परतन्त्रता की श्रेणियों में ही सड़ने दिया गया तो भारतवर्ष अपने शासकों को भी जीवित नहीं रहने देगा। फलस्वरूप भारतीयों की सन्तुष्ट करने के लिए कुछ सुधार करना आवश्यक था।

सन् १९१६ के अधिनियम के मुख्य उपबंध

१९१६ ई के अधिनियम के प्रारम्भ में एक प्रस्तावना दी गई थी जिसमें अधिनियम के सिद्धांत एवं उद्देश्यों का उल्लेख किया गया था। प्रस्तावना में कहा

गया था कि जहां तक सम्भव होगा स्थानीय से प्रांचो पर प्रांचा का नियंत्रण होगा और ऊपर से सञ्चारी अधिकारियों का कम से कम नियंत्रण होगा। प्रांचो में सीमित उत्तरदायी सरकार थापित की जायगी और प्रांचो को पूरा की तुलना में अधिक अधिकार भी दिये जायेंगे। भारत सरकार का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता था बना रहेगा। केन्द्रीय विधान परिषद का विस्तार किया जाएगा ताकि वह भारत सरकार का पूरा अधिकार प्रभावित कर सके। भारत सरकार पर भारत मंत्री का नियंत्रण कुछ कम कर दिया जाएगा। सिक्किम ईसाई और आर्यन भारतीयों को मान्य अधिकार प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

सन् १९१६ के अधिनियम की प्रथम मुख्य बात निम्नलिखित है —

(अ) गृह सरकार

(१) इस अधिनियम के अनुसार भारत मंत्री का वेतन भारतीय परिषद एवं भारतीय दफ्तर का खर्चा = उच्च के कोष से लिए जाने की व्यवस्था की गई।

(२) गवर्नर जनरल पर भारत मंत्री के नियंत्रण को अधिक स्पष्ट किया गया। अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत का गवर्नर जनरल तथा उसके द्वारा गवर्नर अपने शासन मन्त्र की सभी महत्वपूर्ण विषयों के बारे में भारत मंत्री को सूचित रखे और उनमें आदेशों तथा निर्देशों का पालन करे।

(३) भारत मंत्री का हस्तक्षेप विषयों पर नियंत्रण कम कर दिया गया। उसका नियंत्रण निम्नलिखित बातों तक सीमित रहा —

१. ब्रिटिश साम्राज्य के हितों का रक्षा
२. प्रांचों द्वारा न सुनसाए जा सकने वाले प्रश्नों का निगम करना
३. गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को १९१६ के अधिनियम के अंतर्गत जो अधिकार और शक्तियाँ सौंपी गई हैं, उनकी दुरुबाल करना और उनमें उचित आशयों का समर्थन करना
४. केन्द्रीय विषयों के शासन की दुरुबाल करना।

(४) स्थानीय विषयों के सम्बन्ध में भी भारत मंत्री के अधिकारों के विषय में कुछ कमी की गई। यह कहा गया कि स्थानीय विषयों के सम्बन्ध में भारत मंत्री अधिक हस्तक्षेप न करे एवं ये विषय भारत सरकार की इच्छा पर छोड़े।

(५) इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कुछ विशेष मामलों से सम्बन्धित विधायक होने विशेषज्ञों को प्राप्त सीमा शुल्क में निम्नलिखित मन्त्र तथा सांख्यिकीय विधानमंडल में प्रत्येक करने से पूर्व भारत मंत्री की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(६) भारत मंत्रियों की स्वीकृति के बिना गवर्नर जनरल को कोई भी महत्वपूर्ण नियुक्ति करने से मना कर दिया गया। भारत मंत्रियों की पूर्ण स्वीकृति के बिना कोई भी महत्वपूर्ण काम करने पर रोक लगा दी गई।

(३) भारत-परिषद् के सभ्य म सुधार किया गया। भारत-परिषद् म कम से कम ८ और अधिक म अधिक १० सभ्य रहने की व्यवस्था की गई। इनमें में कम से कम आधे सभ्य कम करने की व्यवस्था की गई जिनका भारत म सेवा करने का काम म कम कम वय का अनुभव हो। परिषद् के सभ्य का कार्यकाल ७ वय से घटाकर ५ वय कर दिया गया। उदात्त वेतन १ पौंड में बढ़ाकर १२ ० पौंड कर दिया गया। भारत सरकार क राज्य जो वय व्यवहार होने से उनम गुप्त अति आवश्यक और अन्य मामलों का भेज समायोजन कर दिया गया।

(ब) हार्ड कमिश्नर

इस अधिनियम के द्वारा एक हार्ड कमिश्नर का पद स्थापित किया गया। कमिश्नर का भारत सरकार क तिर सभी आन्तर्प्रक वस्तुएं तथा में गरीबों में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की सुविधा व आवश्यकताओं की ध्यान देने अति का उत्तरदायित्व सौंपा गया। हार्ड कमिश्नर की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा होगी और उसका वेतन भी तय करने म विवेक। हार्ड कमिश्नर का कार्यकाल ६ वर्ष रखा गया।

(स) केंद्रीय विधानमंडल

इस अधिनियम के द्वारा एक म द्विदलीय विधानमंडल की स्थापना की गई। पहले सदन को विधानसभा और दूसरे सदन को राज्यसभा नाम दिया गया। राज्य परिषद् में ६ सभ्य व तिनम से २२ निर्वाचित सदस्य थे, और २७ मनोनीत। २७ मनोनीत सभ्य म १७ सरकारी अधिकारी और १० वर सरकारी अधिकारी थे। राज्यसभा क निर्वाचन म मत देने का अधिकार बहुत थोड़े व्यक्तियों का दिया गया। सारे भारत म कुल मतदार १७ हजार मतदाता थे। इसमें बड़े बड़े पूजापतिया जमानारों और व्यापारियों के प्रतिनिधि रहते थे। प्रत्येक प्रांत में मतदाताओं की याचनाएं मिश्र मिश्र थीं। मतदाताओं के लिये सम्पत्ति सिंगा अति की याच्यताएं निर्धारित की गई थीं। विधान परिषद् म १४२ सभ्य थे। इनमें से ४१ सदस्य मनोनीत थे और १ ८ सभ्य निर्वाचित थे। निर्वाचित सभ्य विभिन्न सम्प्रदायों और लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनम से ५२ सामान्य ३ मुस्लिम ३ सिखा ६ पूजापतन ७ जमींदार और ४ भारतीय वाणिज्यिक हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। मणोनीत सभ्य म से २६ सरकारी अधिकारी और ११ वर सरकारी अधिकारी थे। विधानसभा के मतदाताओं की याच्यता के सम्बन्ध म कुछ शर्तें निर्धारित की गईं तथा चार्ज व्यक्ति १५ म २० र तक कम से कम कर कल्प म देते हैं अथवा ५ म ११ र तक भूमि कर देते हैं। अथवा ऐसे घर का स्वामी हैं जिनका निराया १८ र हो। मतदाताओं क लिये उत्त योग्यताएं गारे देना म समान न होकर विभिन्न प्रांतों म पृथक-पृथक थीं। केंद्रीय सभा का कार्यकाल ५ वय तथा राज्य परिषद् का कार्यकाल ५ वय रखा गया था। गवर्नर जनरल को इस अधि की बढ़ाने का अधिकार था।

केन्द्रीय विधानसभा को केन्द्रीय सूची में वर्णित सभी विषयों में ब्रिटिश भारत की जनता के लिए विधि निर्माण का अधिकार था। सभा गवर्नर जनरल की पूर्व-स्वीकृति से प्रांतों के लिये भी विधि निर्माण कर सकती थी। विधानसभा के कार्यों पर अत्यधिक सीमाएं लगाई गई थी। वे १९१९ ई के अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के विरुद्ध कोई भी कानून पारित नहीं कर सकती थी भारत के लिये सविधान नहीं बना सकती थी भारत मंत्री का किसी भी शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी। उसके लिए निम्न विषयों पर विचार करने से पूर्व गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेना अनिवार्य था —

- १ प्रान्तीय विधानमंडल के किसी भी अधिनियम को रद्द करना अथवा संशोधित करना
- २ गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या अध्यादेश को रद्द करना अथवा संशोधित करना
- ३ ऐसा कोई प्रान्तीय विषय था उसका कोई भाग जिसके बारे में नियमों द्वारा केन्द्रीय विधानमंडल को विधि बनाने से इन्कार कर दिया हो
- ४ ब्रिटिश सम्राट की स्थलीय वायु और जल सेना के अनुशासन अथवा अन्य सम्बन्धित विषयों
- ५ विदेशी राजाओं या देशी शासकों के साथ भारत सरकार के संबंधों के बारे में
- ६ ब्रिटिश भारत की जनता की धार्मिक एवं सामाजिक परम्पराओं के सम्बन्ध में और
- ७ सावजनिक ऋण या भारत के राजस्व के बारे में।

केन्द्रीय विधानसभा को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्रदान की गईं। सभा को बजट पर बहस करने और बजट के कुछ भाग पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। बजट को दो भागों में बाँट दिया गया पहले भाग में निम्नलिखित खर्च सम्मिलित किये गए —

- १ ऋण का याज अथवा हूबत रकमों पर कोई कर।
- २ ब्रिटिश सम्राट या भारत मंत्री या उनकी स्वीकृति से नियुक्त किए हुए व्यक्तियों के वेतन तथा पेशन।
- ३ सेना राजनतिक विभाग तथा ईसाई धर्म पर खर्च होने वाला वेतन।
- ४ चीफ कमिश्नरों का वेतन। शेष शासन के खर्च बजट के दूसरे भाग में रखे गए। विधानसभा बजट के दूसरे भाग को अस्वीकृत कर सकती थी या उसमें कटौती कर सकती थी किन्तु किसी राशि को

बढ़ा नहीं सकती थी। विधानमंडल कायकारिणी परिषद् से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकती थी। सरकार के विरुद्ध अत्यन्त आवश्यक मामलो पर कामरोको प्रस्ताव रख सकती थी। वह सरकार के पास जनता के हित में कोई अन्य प्रस्ताव भेज सकती थी। विधानमंडल भारत सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित कर सकता था जिसमें सरकार के किसी कार्य की निंदा या आलोचना की जा सकती थी। विधानमंडल कायकारिणी परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती थी।

विधानमंडल के दोनों सदनों को कानून निर्माण के सबंध में समान अधिकार प्राप्त थे। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध पदा हो जाता तथा यदि ६ महीने तक वह दूर नहीं होता तो गवर्नर जनरल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता और उस बैठक में बहुमत से विधि के भाग्य का निराय किया जाता। वित्तीय मामलो में अन्तिम शक्ति विधानसभा के हाथों में थी। यदि विधानसभा बजट में कटौती कर देती या उसे अस्वीकृत कर देती तो गवर्नर जनरल उसको बहाल कर सकता था।

— (द) प्रांतीय विधानमंडल

इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय धारासभाओं को मदस्य-सहाय में काफी वृद्धि कर दी गयी। प्रांतीय धारासभाओं के ७ प्रतिशत मदस्य निर्वाचित तथा ३० प्रतिशत मदस्यो को गवर्नर के द्वारा मनोनीत किए जाने की व्यवस्था की गयी। मनोनीत सदस्यो में से सरकारी एवं कुट्ट गर-सरकारी होते थे। धारासभाओं का कार्यकाल तीन वर्ष रखा गया। गवर्नर इस अधिधि को बना सकता था और इस अधिधि के पूर्व भी विधानपरिषद् को भंग कर सकता था। धारासभाओं को प्रांतीय सूची में वर्णित विषयो पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। विधानसभा को बजट पर वाद विवाद करने और उस पर मतदान का अधिकार भी दिया गया। अस्वीकृत बजट भाग को गवर्नर आवश्यकता के अनुसार बहाल कर सकता था।

— (ई) शक्ति विभाजन

इस अधिनियम के द्वारा केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया। दो प्रकार की सूचियां बनायी गयी—केन्द्रीय सूची और प्रांतीय सूची। जो विषय पूरे भारत के हित के थे उन्हें केन्द्रीय सूची में रखा गया। इस सूची में ५७ विषय थे जमे सुरक्षा विदेशी तथा राजनतिक सम्बन्ध डाक-तार सावजनिक श्रृण मुद्रा तथा सिक्के चुगी दीवानो तथा फौजदारी कानून तथा उनकी पद्धति वाणिज्य तथा बीमा। प्रांतीय सूची में ५ विषय रखे गए थे। ये विषय स्थानीय स्वशासन सावजनिक स्वास्थ्य तथा सफाई चिकित्सा गान्धा पानी की पूर्ति भूमिकर अकाल सहायता सहकारिता वन पुलिस तथा जेल कानून तथा शान्ति व्यवस्था आदि थे। यह भी व्यवस्था की गयी कि यदि गवर्नर जनरल और

उसकी परिपक्व किसी भी विषय को स्थानीय स्तर से सम्बन्धित घोषित कर दे तो उस विषय पर प्रान्त को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जायगा।

(क) गवर्नर जनरल

अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अधिधन कानूनी और वित्तीय अधिकार दिए गए। गवर्नर जनरल का दोनों सदनों की बैठक बुलाने, स्थगित करने तथा सदन को विघटित करने का अधिकार दिया गया। वह विधानमंडल के सामने भाषण दे सकता था। वह केंद्रीय विधानमंडल के किसी सदन को किसी विधेयक या उसके अंश पर विचार करने से रोक सकता था यदि उसकी सम्मति में उसका प्रभाव ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसी भाग की शांति और सुरक्षा पर पड़ता है। गवर्नर जनरल को यह भी शक्ति प्रदान की गयी कि वह ऐसे और भी कानून बना सकता है जिन्हें वह ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा और शान्ति के लिये जरूरी समझता है जिनको दोनों सदनां में से कोई एक सन्तुष्टी स्वीकार करने से इंकार करता है अथवा उनके स्वीकार करने में असफल हो जाता है। ऐसे प्रत्येक अधिनियम में सम्राट की स्वीकृति आवश्यक थी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल के द्वारा जारी किये गए अध्यादेश का वही कानूनी महत्त्व था जो भारतीय विधानमंडल के द्वारा स्वीकृत किसी विधेयक का। इस अध्यादेश की अवधि ६ महीने थी। गवर्नर जनरल को यह भी अधिकार था कि वह किसी ऐसे निश्चय को जिसे विधानमंडल के दोनों सदन स्वीकार कर लें हो अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति देने से पूर्व उसे पुनः विचार करने के लिये विधानमंडल के पास भेज दे। परन्तु अधिनियम के द्वारा स्वीकृत किसी विधेयक को लागू करने से पूर्व गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक थी। उसे इस बात का अधिकार था कि वह चाहे तो इसकी अनुमति दे दे या सम्राट की इच्छानुसार स्वीकृति के लिये सुरक्षित करे। गवर्नर जनरल को काफी वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त थीं। बजट निर्माण पर गवर्नर जनरल का पूर्ण नियंत्रण था। उसकी आज्ञा के बिना बजट विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। वह विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत माँग को अपनी विशेष शक्तियों द्वारा मजबूरी प्रदान कर सकता था। संक्षेप में वह वित्तीय मामलों में सर्वोत्तम था।

(ख) दोहरा शासन

१९१६ ई के अधिनियम द्वारा प्रान्तों में द्वय शासन प्रारम्भ किया गया। इस पद्धति के द्वारा प्रान्तीय सरकारों के विषयों को दो भागों में बाँटा गया हस्तान्तरित और सुरक्षित। सुरक्षित विषय थे—न्याय व्यवस्था पुलिस सिंचाई तथा नहरें भूमि राजस्व-व्यवस्था भूमि सधार कृषि श्रृंखला अन्न सहायता समाचार पत्र एवं पत्रों के छापाखाना जला तथा सधारगृहा की व्यवस्था प्रांता के उत्तरदायित्व पर श्रृंखला सेना बम्बर् तथा बर्मा के वना को छोड़कर वन क्षेत्र कारखानों का निरीक्षण औद्योगिक बीमा तथा आवास मजदूरों के भगनों का निपटारा जल शक्ति

धानि : हस्तांतरित विषय थे इदानीय मंत्रालय सावजनिक स्वास्थ्य सफाई तथा प्रोपघालय की व्यवस्था छात्रों शिक्षा के विषये व्यवस्था भारतीयों की शिक्षा सावजनिक निर्माण कार्य महुकारी सम्पादन उद्यानो का विधान आदि ।

सुरक्षित विषयों की व्यवस्था गवर्नर कायकारिणी की सहायता से तथा हस्तांतरित विषयों की व्यवस्था अपने मंत्रियों की सहायता से करता था । कायकारिणी के मन्त्रियों का गवर्नर मनोनीत करता था और मंत्रिमंडल के सन्स्यो का चुनाव गवर्नर के विधानमण्डल के मन्स्यो से करता था । गवर्नर को बहुत से विन्यायधिकार दिये गए थे । उस अधिकार था कि वह कायकारिणी परिषद या मंत्रिमण्डल के सदस्यों के निष्णयो से परिवर्तन कर दे यदि ऐसा करना वह अपने उत्तरदायित्वो का पालन करने के लिए आवश्यक समझे । गवर्नर से यह शक्ति ली गयी थी कि वह मंत्रियों तथा कायकारिणी के मन्स्यो के बीच समुक्त परामर्श को प्रोत्साहित करेगा ।

अधिनियम के शेष

सन् १९१६ के अधिनियम में अनेक दाप थे । स अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को वित्तीय तथा विधि विषयों में कुछ भाग तो अवश्य दिया किंतु अंतिम निर्णय अपने हाथ में रखा । के विधानमण्डल की शक्तियों पर काफी सीमाएं लगायी गयीं । साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली का और अधिक प्रसार किया गया । गवर्नर जनरल और गवर्नरों को प्रशस्यीय कानूनी और वित्तीय क्षेत्र में अत्यधिक शक्ति प्रदान की गयी । इस अधिनियम के द्वारा प्रान्तों में दोहरे शासन की स्थापना की गयी जो अपने आप में असंगत और दोषपूर्ण थी ।

अधिनियम का महत्त्व

उक्त दावों के हाथ हुए भी यह अधिनियम १८६६ ई के अधिनियम की तुलना में प्रगतिशील एवं अच्छा था । यद्यपि इसके द्वारा भारत में के ने उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई फिर भी सरकार के सब अनुचित कार्यों की कड़ी आलोचना विधानमण्डल में की जा सकती थी । उससे थोड़ा बहुत ध्यान जनता की तरफ देना सरकार के लिए आवश्यक हो गया । जहाँ अग्रजा के हित को नुकसान नहीं पहुँचता था वहाँ विधानमण्डल की इच्छा का ब्रिटिश सरकार अवश्य ध्यान रखती थी । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम द्वारा यद्यपि भारत सरकार में उत्तरदायी शासन की स्थापना तो नहीं हुई किंतु सहानुभूतिपूर्ण सरकार का आरम्भ अवश्य हुआ । मेनकम हली ने लिखा है लोकमत के प्रति यदि भारत सरकार पूर्ण उत्तरदायी न हो तो भी अपेक्षाकृत अवश्य हो गयी । इसके काय जन विचारपारा के यदि प्रतिबिम्ब नहीं तो परिष्कारक अवश्य हो गए ।

दोहरा शासन व्यवहार में

सन् १९१६ का सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रान्तीय शासन के हाथ में था इसके द्वारा प्रान्तों में दोहरा शासन जारी किया गया । यह प्रयोग १९३७ तक

चना। सबसे पहले यह बंगाल मन्स बम्बई बिहार उड़ीसा मध्यप्रदेश और संयुक्त प्रान्त तथा आसाम में प्रारंभ किया गया। सन् १९३२ में यह उत्तर पश्चिम सीमाप्रान्त में भी लागू किया गया। दोहरे शासन के लिए सन् १९२ - १९२१ के प्रथम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। सन १९२४ में कांग्रेस की ओर से स्वराज्य दल ने दोहरे शासन को असफल बनाने एवं जनता में राष्ट्रीय भावनाओं को फलान का दृष्टि से विधानमंडल में प्रवेश हेतु चुनाव लड़ा। विधानमंडलों में पहुँच कर स्वराज्य दल ने दोहरे शासन में परिवर्तन के लिए निरन्तर माँग की। उनकी माँग ने विवश होकर सरकार ने 1924 में मुद्दीमैत समिति नियुक्त की। इस समिति के सभी यूरोपीय सदस्यों ने दोहरे शासन को सफल बनाने के लिए असम कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया किन्तु भारतीयों ने दोहरे शासन को सिद्धांत रूप से ही गन्त बताया। माइमन कमाशन ने भी दोहरे शासन की आलोचना की। दोहरे शासन को जब व्यावहारिक रूप दिया गया तो उसमें अनेक कमियाँ दृष्टिगत हुईं। फलस्वरूप दोहरा शासन असफल रहा।

दोहरे शासन की असफलता के प्रमुख कारण

दोहरे शासन की असफलता के निम्न कारण थे —

(१) दोहरा शासन सैद्धांतिक दृष्टि से गलत था। सरकार एक पूरा इकाई है किन्तु दोहरे शासन के अनुसार प्रान्तीय सरकार को दो भागों में बाटा गया। एक भाग विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल था तथा दूसरा भाग अनुत्तरदायी कार्यवाहिका था। इससे सरकार के भीतर संघर्ष एवं मनमुटाव पैदा होना स्वाभाविक था। दोहरे शासन की स्थापना से सरकार की एकता भंग और कार्यकुशलता नष्ट हो गयी। एक प्रान्तीय गवर्नर ने दोहरे शासन को बौद्धिक जटिल और अयवस्थित प्रणाली बताया जिसका कोई न्याय-संगत आधार न था। लाड रिटन के अनुसार सरकार के सरभित भाग को यद्यपि कोई पसन्द नहीं करता था उस आदर सब करते थे जबकि हस्तांतरित भाग को न केवल नापसन्द ही किया जाता था अपितु उसे अनावश्यक भी समझा जाता था। दोहरे शासन की स्थापना के पीछे एक भावना कार्य कर रही थी और वह भावना यह थी कि भारतवासी अभी पूरा उत्तरदायी शासन के लिये अयोग्य हैं। अतः प्रारंभ में उन्हें थोड़े से अधिकार दिए जाए ताकि उन्हें कुछ सतोंप हो जाए और वास्तविक शक्ति अग्रजों के साथ में ही बनी रहे। भारतीयों को यह बिहूल नापसन्द था कि उन्हें प्रारंभ से ही उत्तरदायी शासन के अयोग्य समझा जाए एवं उन पर सदेह किया जाए।

(२) दोहरा शासन एक बहुत कठिन प्रयाग था और इसकी सफलता गवर्नरों की योग्यता पर निर्भर थी। दोहरे शासन की सफलता के लिये यह आवश्यक था कि गवर्नर हस्तांतरित तथा रभित भागों के मनभेदों को किस तरह दूर करे। इसके लिये यह आवश्यक था कि गवर्नरों में जनता की इच्छा और

प्राकाशाओं का सममन एव उनका सम्मान करन की क्षमता हो। तभी व मंत्रिया की कठिनाइयों को अच्छी प्रकार में समझ सनत प और उनका हल निकान सनत प। गवनर यदि मंत्रियों क कायों में निरतर हस्तोप करें उनका आवश्यक सहयोग न दें तथा अपनी आवश्यक शक्तिया का निरतर प्रयोग करें तो दोहरा शासन सफन नही हा सकता था। अधिनाश गवनरों में इस प्रकार क काय को करन क लिए आवश्यक योग्या की कमी थी और इसलिए दोहरा शासन सफन नही प सकता था।

(३) दोहरे शासन की असफनता का एक कारण यह था कि गवनर का सवधानिक अत्यक्त नहा बनाया गया था। उन्हें अत्यधिक शक्तिया प्रदान की गया थी। प्रारम्भिक कर्षों में तो गवनर ने शासन के कायों में अनुचित हस्तोप नही किया किन्तु जब स्वराज्य दन न विधानमण्डल में प्रवेश कर दिया और मि पाटयू भारत मंत्री नहा न तो गवनर ने मंत्रिया के कायों में अनुचित हस्तोप करना प्रारम कर दिया तथा उर्हेनि कुछ ऐस साधन अपनाए जिनक द्वारा उर्हने सारी शक्तिया अपने हाथ में केन्द्रित कर ला। गवनरों ने मंत्रिया से सामूहिक रूप से मिलने की अपेक्षा पक्षपृथक रूप में मिलना प्रारम्भ किया। सामूहिक विचार के समय मंत्री इकट्ठे होकर गवनर से अपनी बात अच्छी तरह मनवा सकते थे। किन्तु जब मंत्री अलग अलग मिलने गये तो उनके निय मंत्रिया की बात की अपेक्षा करना बहुत ही सरल ही गया। गवनरों ने इस बात पर भी जोर देना प्रारम कर लिया कि मंत्री केवल उनके परामर्शदाता हैं तथा यह उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वे उनके परामर्श को मानें या न मानें। गवनरों ने यह भी नियम बना लिया था कि सचिव सप्ताह में एक बार उनसे मिलें और उनके सम्मुख अपने विभागों के कायों के सम्बन्ध में जिनमें उनका मंत्रिया में मतभेद हो सब मामल गवनर के निरूप के निय रयें। इस काय से मंत्रियों की शक्ति बहुत कम हो गयी। सचिव मंत्रियों क विच्छेद गवनर के कान भरने गय। सचिवों पर मंत्रियों का कोई नियंत्रण नही रहा एव मंत्री महत्वहीन बन गए। सचिवों एवं मंत्रिया के आपसी विवादों में भी गवनर सचिवों का ही पक्ष रते थे। गवनरों ने इस प्रकार क काय से द्वेष शासन की बुनियादी भावनाए ही नष्ट हा गया।

(४) दोहरे शासन की असफनता का एक कारण प्राता की सरकार के दोनों प्रणों मंत्रिमंडल और कायकारिणी परिषद् में कोई सामझस्य न हाना था। सुधारों क रचयिताओं ने प्रांतीय सरकार क लोला भाग में विचार विमग का प्रस्ताव किया था। उनका उद्देश्य यह था कि मंत्रिया द्वारा गवनर की कायकारिणी परिषद् के सवस्या को जनता की इच्छाया का पता चने और मंत्रिमण्डल के सदस्य परिषद् सदस्यों क अनुभव में कुछ शिखा ग्रहण करें। गवनरों को लिए जाने बात निर्वेध पथा में भी प ही निर्देस लिए गए थ। किन्तु एक दा प्रांती को छोड़ कर अन्य प्रांता न गवनरों ने इस बात पर कोई ध्यान नही दिया। मंत्रिया में यह भाशा की जाती थी कि व विधानमंडल में गवनर की कायकारिणी परिषद् की प्रत्येक

बात का समर्थन करेंगे किन्तु रचित विषयो के सबंध में नियुक्त होने समय मन्त्रिमंडल के सदस्यों से कोई परामर्श नहीं लिया जाता था । यदि मन्त्रिपरिषद् क सदस्य कायकारिणी परिषद् के सदस्यो की बात का समर्थन नहीं करते थे तो दोनो धर्मो मध्यम म भगडा जाता था तथा सरकार क संचालन म अनिरोध या असहयोग बढ़ता था । यदि मन्त्रिमंडल के सदस्य कायकारिणी परिषद् क सब कार्यों का समर्थन करते तो जनता के प्रतिनिधि मंत्रियों पर यह आरोप लगाने कि उन्होंने निर्वाचन क पश्चात् सदब ही नौकरगारी का समर्थन किया है तथा जन प्राकाशाओं की अवहेलना की है । अतः मंत्रियों की स्थिति बड़ी गौचनीय थी । वे दुविधा प्रस्त रहत थे किन्तु अपनी स्थिति को सुधारने का उनके पास कोई उपाय नहीं था ।

(५) वित्त का बटवारा भी ठीक नहीं था । मंत्रियों को वित्त के मामले म बड़ी कठिनाई उठानी पडती थी । वित्त रक्षित विषय था । वित्त विभाग रचित विभागों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता था तथा हस्तांतरित विभागों म हर प्रकार के रोडे भटकाता था जिससे यह सिद्ध हो जाए कि भारतीय मन्त्री अयोग्य हैं । वित्त विभाग हमेशा हस्तांतरित विभागो की माँगों पर विचार करने क पूर्व रक्षित विभागों की सभी माँगें पूरी करने का प्रयास करता था । फलस्वरूप हस्तांतरित विभागो को सदा ही धन का अभाव रहता था । अनेक बार हस्तांतरित विभागों के लिए धन प्राप्त करने के लिए मंत्रियों को त्याग पत्र की घमकी देनी पडती थी ।

(६) दोहरे गणन के असफल होने का एक अन्य कारण यह था कि मंत्रियों और कायकारिणी परिषद के सदस्यों में सहयोग की कमी थी । मन्त्री किसी एक दल के प्रतिनिधि नहीं थे । अतः वे किसी कार्यक्रम से बचे हुए नहीं थे । उनम गवनों ने सामूहिक उत्तराधिकार की भावना पदा करने का प्रयास भी नहीं किया था । मंत्रियों में कमी भी सामूहिक विचार विमंग नहीं होता था । फल स्वरूप एक ही विषय पर उनके भिन्न भिन्न विचार होने थे । कई बार एक मन्त्री दूसरे मन्त्री की योजनाओं की विधानमण्डल म आलोचना कर देता था । मंत्रियों की जिम्मेदारी विधान परिषद् की तरफ थी । वे जहाँ तक हो सकता था उसको प्रसन्न करने का प्रयास करते थे । मंत्रियों का अपना पद गवनों की कृपा पर निर्भर करता था अतः वे उसको भी प्रमन रखने का प्रयास करते थे । इस प्रकार मंत्रियाम उत्तरदायित्व एव सहयोग की कमी था । मंत्रियों का कायकारिणी परिषद् के सदस्यो से भी कोई सहयोग न था । कायकारिणी-परिषद् के सम्म्य विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे । उहू इस बात की चिन्ता नहीं थी कि विधानमण्डल उनके कार्यों से नाराज या खुश है । इस प्रकार मन्त्रि-परिषद् और कायकारिणी परिषद के आपसी अमहयोग में सरकार क संचालन में अनेक कठिनाईया उत्पन्न होती थीं ।

(८) प्रांतीय विधानपरिषद् की रचना दोषपूर्ण थी। उनमें लगभग १ प्रतिशत सरकारी अधिकारी या सरकार द्वारा मनोनीत सरकारी अधिकारी थे। जो सत्स्य निर्वाचित थे वे विधान परिषद् की प्रतिनिधित्व करने थे और अपने अपने सम्प्रदाय की प्रमत्त रचने की नीति अपनाते थे। विधान परिषद् में कोई सगठित दल भी नहीं था। गवर्नर विधानमन्त्री की इच्छा के विरुद्ध किसी भी मन्त्री की सरकारी अधिकारी मनोनीत सरकारी अधिकारी और निर्वाचित सदस्यों के मत पर अपने पद पर बने रहने का अधिकार रख सकता था। ऐसी स्थिति में हर मन्त्री अपने पद पर बने रहने के लिए गवर्नर की कृपा प्राप्त करने का इच्छुक रहता था।

(९) मधे गुधारे के अनुकूल नेत्र में वातावरण भी उत्पन्न नहीं किया गया था। जिनका नामांकन हुआ था उनके पत्रों के पत्रिका में अन्तर्गत यहार आदि के कारण महात्मा गांधी के अग्रगण्य आंदोलन नाशु करता था। दाल में स्वयंसेवक दल में सरकार से अलग योग आरम्भ किया तथा ऐसे अन्तर्गत पारित किए जो सरकार की इच्छा के विरुद्ध थे। अन्तर्गत बात मटारण गांधी ने अन्तर्गत प्रवृत्त आंदोलन जारी किया। इन सब कारणों में दोहरा शासन अग्रगण्य हो गया। ब्रिटिश सरकार भी इन गुधारे के प्रति उदासीन थी। जब माटेयू भारत मन्त्री के पद पर नहीं रहे तो गुधारे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण ही बन्द गया। नए भारत मन्त्री ने यह निर्देश जारी कर दिए कि अन्तर्गत में गुधारे पर हम प्रकार अन्तर्गत होना चाहिए कि उनसे अन्तर्गत नहीं बल्कि अन्तर्गत से अन्तर्गत शासन भारत को मिले।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दोहरा शासन की अन्तर्गतता का कारण न केवल इसकी अन्तर्गती गुण था बल्कि अन्तर्गत बाहरी परिस्थितियाँ भी थी और इन सब के लिए मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार का उत्तरदायी था। गुण अन्तर्गत में अन्तर्गत अन्तर्गत को अन्तर्गत किया है कि अन्तर्गत अन्तर्गत रचना अन्तर्गत अन्तर्गत रचयिताओं के मूल उद्देश्यों को पूरा करने पर अन्तर्गत। अन्तर्गत भारतीयों को उत्तरदायी शासन का सही प्रतिश्रुति प्राप्त किया।

कांग्रेस सहयोग से असहयोग की ओर

प्रवेश

ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारत गरा युद्धकाल में की गयी सहायता का काफी मरगना की। भारतीय प्रतिनिधियों को युद्ध सम्मेलनों में अथ स्वतन्त्र उपनिवेशों के प्रतिनिधियों के समान ही वास्तविक सम्मानवा दी गयी। इन सम्मेलनों में भारत मंत्री मि. माटेण्डे तथा दो भारतीयों सहायक भारत मंत्री एस पी सिंह और बीकानेर क मन्नाभाजी गगामिन् ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। किन्तु देश में अग्रजों के विरुद्ध असन्तोष रूप एक तनाव बढ़ रहा था। युद्ध के उपरान्त भारतीय जनता में असन्तोष के बर्त कारण थे। मोन्फोर्ड सुधारों से अघातक व्यवस्था में की विश्व परिवर्तन होता न देखकर शिक्षित भारतीयों में असन्तोष बढ़ रहा था। जनता में बलपूर्वक युद्ध में भर्ती किय जाने की स्मृतिया कटुता उत्पन्न कर रही थीं। युद्ध के पश्चात् छद्मनी नीति से जनता में और भी असन्तोष फला। उस समय सम्पूर्ण भारत आर्थिक संकट और राजनीतिक निराशा में डूबा हुआ था। तुर्की के अघमान से भारतीय मुसलमानों में भी अग्रजों के प्रति कटुता बढ़ गयी थी। राल्ट अधिनियम क निर्माण ने जनता को अग्रजों के प्रति विद्रोही बना दिया था। मन्नाभाजी के नेतृत्व ने भी जनता में अग्रजों के विरुद्ध आन्दोलन में नई जान फूक दी। डा. पट्टाभिसीनायक ने यन्त्रोत्तर राजनीति में असन्तोष के कारणों का बखान बड़े सुन्दर ढंग से किया है। वे लिखत हैं किनासत पत्र व की भूलों और अपूरण सुधारों की त्रिवर्णी से पानी किनारों से ऊपर बह चला और उनके मगम ने राष्ट्रीय असन्तोष को घाटा को आकार एक प्रकृति में बढ़ा दिया। युद्धोत्तर असन्तोष को गान्धीजी न असहयोग आन्दोलन में परिवर्तित कर राष्ट्रीय आन्दोलन को नयी गति प्रदान की।

कांग्रेस सहयोग से असहयोग क पथ पर

कांग्रेस न गान्धीजी क सत्याग्रह और असहयोग आन्दोलन के प्रस्ताव को सरलता से ग्रहण नहीं किया। कांग्रेस के लिए आन्दोलन के यह साधन किटुन नए थे। वह अब तक केवल अघातक आन्दोलन से ही परिचित थी। उदारवादी इन आन्दोलन को उचित नहीं समझत थे। सुरेन्द्रनाथ के मतानुसार असहयोग आन्दोलन को राष्ट्रीय कार्यक्रम क रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि

अवस्था पारस्परिक हिंसा और घृणा के द्वाग घापस में ही प्रसहयोग कर रही है। प्रसहयोग के सिद्धान्त के सम्बन्ध में श्रीमती एनीबिसेट का कहना था कि यह भारतीय स्वतन्त्रता की सब में बड़ा धक्का एक मूलतापूर्ण विरोध तथा समाज और सम्य जीवन के विरुद्ध सघष की घोषणा है।

१९१६ ई. में गांधीजी ने सम्पूर्ण देश का समयन प्राप्त करके प्रसहयोग आन्दोलन के सिद्धान्तों को प्राग बढ़ाने का निश्चय किया। १९१६ ई. अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने मोटेग्यू को क्षमा की घोषणा के लिए धन्यवाद देने का प्रस्ताव उपस्थित किया। कांग्रेस न एक धन्य प्रस्ताव पारित कर सुधारों को प्राणिक रूप से स्वीकार किया और सम्राट की शुभ कामनाओं का भी स्वागत किया। उसी समय मुस्लिमलीग खिलाफत-समुदाय और जमीयत-उलेमा ने भी कांग्रेस के साथ ही अपने अधिवेशन किये। उन्हें अब भी भाशा थी कि खिलाफत प्रतिनिधि मंडल को (जो शीघ्र ही यूरोप जाने वाला था) कुछ सफलता मिलेगी। किन्तु अंग्रेजी सरकार के पंजाब के अत्याचारी अफसरों के साथ नरमी के व्यवहार से और मोहम्मद अली प्रतिनिधिमंडल के ब्रिटेन में असफल वापस लौट आने से हिंदू और मुसलमान दोनों में घोर असन्तोष जन गया। फलस्वरूप कांग्रेस को अपनी तटस्थता की नीति को त्यागना पडा। सन् १९२० में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन लाला लाजपतराय के सभापतित्व में कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा महात्माजी के प्रसहयोग के प्राणिकारी सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया। गांधीजी ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपने स्मरणीय भाषण में कहा अंग्रेजी सरकार अतान है जिससे सहयोग सम्भव नहीं है। बिना स्वराय के पंजाब और खिलाफत की भूलों की पुनरावृत्ति को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कांग्रेस से सरकार के विरुद्ध प्राणिकील अहिंसात्मक प्रसहयोग की नीति अपनाए का प्राणह किया। उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में स्पष्ट घोषणा की कि अंग्रेजी खूती हाथों में एक भी भेंट स्वीकार करने से पूर्व उन्हें पश्चात्ताप करना होगा। सुधारों के प्रति भी उनका दृष्टिकोण बदल गया था उन्होंने कहा समस्या यह है कि स्वराय व्यवस्थापिका सभाओं के द्वारा प्राप्त करना है या बिना उनके। यह जानने हुए कि अंग्रेजी सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुःख नहीं है हम यह कस विश्वास कर सकते हैं कि नई व्यवस्थापिका-सभाएं हमारे स्वराय का माग प्राणस्त करेंगी।

मासवापसी विपिनचन्द्र पाल से आर दाम एनीबिसेट मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने गांधीजी के प्रस्ताव का विरोध किया। लाजपतराय स्वयं प्रसहयोग के पक्ष में थे किन्तु गांधीजी के कार्यक्रम की कुछ बातों में वे शका रखते थे यथा स्कूलों से विद्यार्थियों को वापस बुलाना वकीलों की वनालग छुडवाना। गांधीजी के प्रस्ताव के पक्ष में २७२८ और विरोध में १८५५ मत पडे। कलकत्ता अधिवेशन के पश्चात् गांधीजी ने सम्पूर्ण भारत का दौरा करके प्रसहयोग आन्दोलन का घुमाघार प्रचार किया। उन्होंने निराश और हतोत्साहित जनता में नई चेतना और नई प्राशा का संचार किया। उन्होंने सम्पूर्ण देश में सघष की बसवती प्ररणा उत्पन्न की। १९२०

ई में नागपुर अधिवेशन में २ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस अधिवेशन में विद्वान अधिवक्ता वं अक्षर योग प्रस्ताव पर दण्ड का समर्थन की पट्टि की। हम प्रस्ताव में बहिष्कार करने का कार्यक्रम भी सम्मिलित था। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें रखी गयी थी —

- (१) उपाधियों और पदों को त्यागना अथवा स्थानीय समस्याओं को सम्बन्धित से त्यागपत्र देना
- (२) सरकार की दरबारों तथा उच्चवा में भाग न लेना
- (३) अग्रजी बलों का बहिष्कार और त्रिभिन्नु प्रांतों में राष्ट्रीय गिता मस्थानों की स्थापना करना
- (४) बकीना और आयाधीनो द्वारा अशान्तों का बहिष्कार और जनता की पचायता की स्थापना
- (५) सैनिक बमचारिया द्वारा बिना म नोकरी करन का बहिष्कार
- (६) नए मुधार की धाराओं का बहिष्कार और
- (७) स्वदेशी का प्रचार और वि ती मान का बहिष्कार।

सी आर दास ने नेतृत्व में राष्ट्रवादी गांधीजी के साथ आगे किन्तु विविधता पात्र और एनीदिस ट ने काग्रस को याग दिया और उचारवाधियों से आ मित। इस अधिवेशन में गांधीजी ने काग्रस का नया विधान प्रस्तुत किया जिसमें अग्रजी सांप्रायिक अन्तगत यदि सम्भव हो और यदि आवश्यक हो तो बाहर स्वराज्य प्राप्ति का उद्देश्य घोषित किया गया। आन्दोलन का कार्यक्रम में वैधानिक क स्थान पर शांतिपूर्ण एवं सभ्यतया कार्यक्रम निर्धारित किया गया। काग्रस ने तिलक स्मृति त्विस मनाने के लिए एक करोड़ रुपये इकट्ठा करने का भी निश्चय किया। इसमें काग्रस के लिए स्वयंसेवकों का एक संगठन तयार होने में सहायता मिली। काग्रस का १९२ ई का नागपुर अधिवेशन राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिसमें काग्रस ने अक्षरयोग सिद्धांत को अपनाकर अपना नया जीवन आरम्भ किया। काग्रस ने एक सुसंगठित संगठन बन गई तथा उसकी नीति उग्रवादी नीति निश्चय हो गयी अथवा गांधीजी ने उस नीति को कभी भी अस्वीकार का माग स पृथक् नहीं होने दिया।

असहयोग का कारण

काग्रस द्वारा असहयोग की नीति अपनाने — निम्न कारण थे —

(१) युद्ध का परिणाम

प्रथम महायुद्ध काल में मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की थी कि वे लोकतंत्र का रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं तथा वे आत्मनिर्णय के सिद्धांत का स्वीकार करते हैं। युद्ध समाप्त के बाद कई पराधीन प्रांतों में लोकतंत्र शासन की स्थापना की गयी तथा आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के आधार पर कई राज्यों का निर्माण किया

गया। फास्वरूप पराधीन क्षेत्रों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रारंभ हुआ तथा राष्ट्रीयता के प्रति शक्ति मिली। भारत में प्रभाव में प्रकृता रही रह गया। युद्ध के पश्चात् उसमें राष्ट्रीय आन्दोलन का स्वरूप बदल गया और उसमें एक नई दिशा को अपनाया।

(२) धार्मिक स्थिति

युद्ध में धार्मिक स्थिति बदलने के कारण भारत सरकार की धार्मिक हानत खराब हो गई थी। वह वज्र के बोझ से दब गई था। मुगल स्थिति के कारण वस्तुओं की कीमता में भी गिरावट हुई थी। जनसाधारण के लिए जीवन निर्वाह करना भी कठिन हो गया था। विज्ञान और मानवता की दृष्टि अत्यन्त गोचनीय हो गयी थी। सम्पूर्ण समाज में अज्ञानवाद में मजदूरी की धार्मिक दुष्टाने में समाज गांधी की सत्याग्रह के अस्त्र का उपयोग करने का अवसर प्रदान किया।

(३) प्नेग का प्रयोग

जनता की धार्मिक दृष्टि तो गोचनीय थी ही प्नेग और इनपुलता के प्रयोग न उसे और गोचनीय बना दिया। बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। सरकार ने उसे रोक्ने के लिए और जनता का दुःख दूर करने के लिए कोई विचार प्रयास नहीं किया। फलस्वरूप जनता में असहयोग का भी बढ़ता ही गया।

(४) अज्ञान

सन् १९१७ में अज्ञानवृत्ति के कारण देश में अज्ञान फैल गया। अनेक स्थिति अज्ञान के आग बल गयी। सरकार की ओर से जनता का दुःख दूर करने का कोई विचार प्रयास नहीं किया गया। फलस्वरूप जनता में असहयोग निरन्तर बढ़ता ही गया और अज्ञान के विरुद्ध जनमानस बल पकड़ती गयी।

(५) सरकार का अमान्य चक्र

एक ओर सरकार जनता को राजनीतिक सुधारों का आश्वासन दे रही थी और दूसरी ओर राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने के लिए कड़े से कड़े कानून उठा रही थी। प्रत्येक एक सौगत एक ऐक्ट्स प्रोविजि स मटेस एक्ट डिमिन्सल गा एमडमेंट एक्ट आदि अनेक दमनकारी कानूनों का निर्माण राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने के उद्देश्य से ही किया गया था। जालिमदारियों को फासी कालापाती छोड़ करानाम की सजा देने में कोई बसर नहीं उठा रक्षी गयी थी। एहतामन आन्दोलन जैसे अर्थिक एवं साम्प्रदायिक कायम की भी निममता से दबाया गया था। पञ्जाब में डायर द्वारा किया गया दमन चक्र बनी तजी और बठोरता से फला। सरकार की दमनकारी नीति ने जनता में असहयोग एवं विद्रोह की लहर पैदा कर दी।

(६) अज्ञान सुधार से असहयोग

सुधार में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के कारण जनता को विश्वास हो गया था कि युद्ध के बाद सरकार द्वारा शासन में धार्मिक और आर्थिक सुधारों

सुधार किए जाएंगे। सरकार ने माटफोर्ड सुधार लागू किये लेकिन इन सुधारों से जनता को मनोप नहीं हुआ। इस याचना से उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई। भारत सरकार पर गृह सरकार का नियंत्रण पूर्ववत् ही बना रहा और स्थानीय स्वशासन को भी बनावा नहीं मिला। भारतीयों ने इस सुधार योजना को प्रनुदार तथा अपमानजनक समझा।

(७) रोलट अधिनियम

रोलेट अधिनियम जलियावाला बाग हत्याकांड एवं हटर समिति प्रतिवेदन न भी जनता में अग्रजों के प्रति अविश्वास का भावना पैदा की तथा गांधीजी को सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करने का प्रेरित किया।

गांधीजी का असहयोगी होना

१९१६ ई तक गांधीजी ब्रिटिश सरकार के पूरे सहयोगी बने रहे। वे एकके राजभक्त थे और अपने को ब्रिटिश साम्राज्य का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। उन्होंने मुद्र में बिना किसी शर्त के पूरे सहयोग प्रदान किया था। उनकी मान्यता थी कि साम्राज्य की हिस्सेदारों हमारा निश्चित उद्देश्य है। हमें योग्यतानुसार अधिक से अधिक कष्ट उठाना चाहिए और साम्राज्य की रक्षा में अपनी जान तक दे देनी चाहिए। साम्राज्य नष्ट हो जायगा तो उसके साथ हमारी क्षमिलायाए भी नष्ट हो जाएगी। अतः साम्राज्य की रक्षा के काम में सहयोग देना स्वराज्य प्राप्ति का सरलतम और सीधा माग है। उन्हें अग्रजों की सद्भावना और आभ्युत्थिता में पूरे विश्वास था। उन्हीं के प्रयास से अच्युतसर अधिवेशन में जसा पहले उल्लेख किया गया है माटफोर्ड योजना को कायम की स्वीकृति मिल सकी थी। ३१ दिसम्बर १९१६ ई को यंग इन्डिया में उन्होंने लिखा था कि माटफोर्ड योजना और उसके साथ की गयी उद्घोषणा से स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के साथ आच्य करना चाहती है और भारतीय जनता को अपने समस्त सदेहों का अन्त कर देना चाहिए। अतः अब हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम उनकी आलोचना करें बल्कि अब हमको उह सपन बनाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। सन् १९१६ में अच्युतसर अधिवेशन में गांधीजी ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना चाहते थे। अतः प्रारम्भ में गांधी को सहयोगी गांधी कहा जाता था। किन्तु कुछ ही वर्षों के बाद कतिपय घटनाओं और यद्ध जन्म परिस्थितियों ने उन्हें असहयोगी बना दिया। सितम्बर १९२२ ई में काग्रस के बलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने सरकार के साथ असहयोग और माटफोर्ड सुधारों के अन्तगत निमित्त व्यवस्थापिका-समाजों के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा। पहले गांधीजी को ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनता की भारत के प्रति सद्भावना में अग्रगण्य विश्वास था। वे अब ब्रिटिश सरकार को गतान कहने लगे और उसके साथ असहयोग का कायम तयार करने लगे। उन्होंने काग्रस अधिवेशन में सत्याग्रह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और १९२२ ई में दशव्यापी सत्याग्रह भी शुरू कर दिया।

महात्मा गांधी ने १९२२ ई में ब्रूमफील्ड म्यादासय में उन कारणों का जल्द्व किया जिन्होंने उन्हें असहयोगी बनाया था। उन्होंने कहा मुझे सदप्रथम घाघात रोलट अधिनियम से लगा जिसका निर्माण जनता की स्वतंत्रता का अपहरण करने के लिए किया गया था। मुझे अपनी धनराश्या से प्रेरणा मिली कि इसके विरुद्ध तीव्र आन्दोलन होना चाहिए। इसके उपरांत मरे मामल पंजाब के प्रथाचार भाए जो जिनियावाला बाग के बल्लेश्याम के साथ प्रारम्भ हुः और पेट के बल चलने के आदेशो खुले घाम कोड़े लगाए जान तथा इसी प्रकार के शोक प्रमानवीय प्रथाचार प्रवर्णनीय प्रथमान और तिरभ्कार के साथ समाप्त हुए। मैंने यह भी अनुभव किया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा तुर्की की स्वाधीनता और इस्लाम की धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता के सन्दर्भ में दिये गान्वासत कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने प्रागे क्ग मैंने यह भी अनुभव किया था कि मुघारो ने हृदय परिवर्तन नहीं किया है अपितु वे तो भारत में धार्मिक शोषण तथा दासता को स्थायी रखने के उपाय थे।

असहयोग के पीछे विचार-दशन

अहिंसात्मक असहयोग के मून में राजनीतिक धार्मिक सामाजिक और मनोवज्ञानिक दशन था। इसका सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने पर निम्न तथ्य सामने आते हैं —

(१) धार्मिक दृष्टिकोण

महात्माजी के अहिंसात्मक असहयोग को धार्मिक दृष्टिकोण से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि उस आन्दोलन का लक्ष्य मुख्य रूप से स्वदेशी का प्रचार करने प्रयत्नी प्रथ व्यवस्था पर मोघा प्रहार करना था। गांधीजी अपने इन कायत्रम से न केवल देशवासियो मे ही नये वातावरण का संचार करना चाहते थे अपितु सकाशापर और मैनचेस्टर में काम करने वाले मजदूरों में भी सनमनी पदा कर देना चाहते थे। महात्माजी का विचार था कि यदि स्वदेशी का प्रचार किया जाए तो प्रयत्नी प्रथ व्यवस्था पर मोघा प्रहार होगा और व भारतीयो को स्वगान्वासन देने के लिए मजबूर हागे। इसी मूनभूत उद्ध्य को सामने रखकर उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार को योजना बनायी।

(२) राजनीतिक दृष्टिकोण

विलाफत आन्दोलन के सन्दर्भ में मुगलमान अग्र जो से पूरी तरह असंतुष्ट हो गए थे अतः गांधीजी ने मुस्लिम जन भावनाओं को देखते हुए असहयोग का माग प्रथनाना ही उचित समझा। इसका अतिरिक्त गांधीजी सम्पूर्ण देश में भावनात्मक एकाता का संचार करना चाहते थे। कश्मीर से लेकर बंगालुमारी तक द्वारिका से लेकर घासाम तक सम्पूर्ण देश की एकाता का रहस्य लोगों पर धारोपित करना चाहते थे।

(३) सामाजिक दृष्टिकोण

महात्माजी का विचार था कि असहयोग की भावनात्मक परिणतियों से समाज सुधार की भावना को बन मिलेगा। राष्ट्र की एकता में वृद्धि होने से अनेक कुरीतियों जैसे अस्पृहा एवं भेदभाव मलक रूपित सामाजिक व्यवस्था पर तीव्र प्रहार सम्भव होगा।

(४) मनोवृत्ति तथा तथ्य

अहिंसात्मक असहयोग का मनोविज्ञान के तत्त्वों के सम्मेलन में अध्ययन करना भी बड़ा तथ्यपूर्ण होगा। गांधीजी हमसे दो तत्वों की पूर्ति करना चाहते थे

- १ वे देश में व्याप्त निराशा और घोर अज्ञान को समाप्त करके प्रथम उत्साह और नवजीवन का संचार करना चाहते थे।
- २ भारतीयों के नतिक यत्न को कुचनन के अग्रजा व अनुचित कारनामों के प्रति विश्व जनमत आश्रित करना चाहते थे। वे अग्रजों की आशयप्रियता और प्रज्ञानत्रय सिद्धान्तों में विश्वास करने वाली भूमिका का भी मद्भाग्य करना चाहते थे।

अहिंसात्मक असहयोग कार्यक्रम में

अहिंसात्मक असहयोग कार्यक्रम को प्रारम्भ करने से पूर्व गांधीजी ने १ अगस्त सन् १९२० ई को वायसराय को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब के प्रायश्चित्त और खनीजों के अग्रमाण का पश्चात्ताप करे और भारतीय नेताओं से परामर्श करके जनता की सन्तुष्ट करने का मार्ग निकाले। वायसराय ने गांधीजी के पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया अतः गांधीजी ने असहयोग कार्यक्रम को मारुत्प देन का निश्चय किया। नागपुर अधिवेशन के बाद गांधीजी ने अपनी बन्धुओं की साथ वेर अपने असहयोग आन्दोलन का प्रचार करने के लिए सारे देश में दौरा किया। प्रारम्भ में उन्होंने विदेशी वस्त्रों को पहनने और सरकार का बहिष्कार करने पर जोर डाला। स्वयं उन्होंने कम गारुत् की आधि का आग्रह कर दिया। सड़कों पर अनेक उपस्थित वापिस कर दीं। विद्यालयों में सरकारी स्कूलों में अग्रण्य एवं वे राष्ट्रीय सस्थाओं में भर्ती हुए। हजारों वकीला ने वकालत छोड़ दी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया स्वदेशी वस्त्र धननाये चरखे का प्रचनन बढ़ा मात्क पदार्थों का बहिष्कार किया गया। १ फरवरी १९२१ ई में काग्रस ने सफनतापूर्वक वन्नाट व इयूक का बहिष्कार सगठित किया। व भारत में नयी परिपन्ने का उद्घाटन करने के लिए आए थे। देशव्यापी हड़ताली से उनका स्वागत किया गया।

अग्रन में सान् रीन्ग वायसराय होकर भारत आये। मई में प मदन मोहन मालवीय ने वायसराय से गांधीजी की भेंट का प्रायोजन किया। गांधीजी का वायसराय से मिलने का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि अपनी बन्धुपा ने अपने

व्याख्यानों मे भड़काने वाली भाषा का प्रयास करने के लिए दामा माँगी घोर धाये मे हिंसात्मक बक्तव्य न देने का आन्तकमन लिया। जुलाई १९२१ ई में गांधीजी के प्राश्न पर विन्नेयी बन्ना की होदी जनायी गयी। मोहम्मदअली के नेतृत्व मे विलापन सम्मेलन ने भी मननमानों का अश्लील सरकार की सेवा करना 'हराम' घोषित किया। आतृपण भाषण देने क कारण अनी बापु बन्नी बना लिए गए घोर उनको दोन्ने बष की मजा हुई। अगे उत्तर मे गांधीजी ने विषानों को लगानबन्नी का नारा लिया। आन्तेवन का स्वरूप काफी व्यापक हो गया। इससे पूव इतना बडा जन आन्दोलन भारत मे कभी नही हुआ था। डॉ राजेप्रसाद के कर्ण में जब मे भारत का अजेजा मे सम्प्राच स्थापित हुआ इसके इतिहास में जनता का क्षोभ तथा उ मां इस सीमा तक कभी नहीं पहुँचा था। इस दीपकान में देश को अनन अधिन गुप्तों की स्नत्पूण तथा अद्विग मेला पढ़ने कभी प्राप्त नहीं हुई। जनता का अनी योग्यता में तथा अपनी कग्निाहयी स्वय दूर कर मेने की समता मे जनता प्रजन विश्वास पन्न कभी नही रहा था। काँग्रेस ने १९२१-२२ में वेल्स के राजकुमार क भारत प्रागमन का बहिष्कार करने का भी प्राश्न किया। मन्वार न अनी पूरी गति मे आन्दोलन को बचाने का प्रयत्न किया। काँग्रेस स्वयसदा दन का भर कानूनी घोषित कर लिया गया। उनके अनेकों मदस्यों को जल भेज दिया गया। सी आर० दास घोर मोतीबान नहल भी जेन में बन् कर लिए गए। किन्तु जहाँ जहाँ भा वलम क राजकुमार गये बन्नाबन्नी हड़तान भी उनके साथ गई घोर गहरों मे मगान मा दृश्य लिगार् देता था। सम्पूर्ण देश ने एक बडी जेल का रूप ग्रहण कर लिया था। सन् १९२१ के अन्त तक जेना मे राजनतिक शक्तिया की म या ३ ० तक हो गयी थी। राजकुमार भारत में केवल पुत्रिम प्रत्याचार घोर ग्राम गिरफ्तारी क दृश्य ही देख पाए।

असहयोग आन्दोलन

गर लेजसल्टुर मप्र ने जा उस समय कानन मत्री थ बापसराय को भारतीय नेमाओं घोर सरकारी प्रतिनिधियों का एक मानसज सम्मेलन बुलाने का परामश किया। गांधीजी अमे सम्मेलन न। हुए। सरकार द्वारा चनाए गए दननरक की प्रतिक्रिया स्वरूप कायम न लिस्मर १९२१ ई क अ मन्त्रालय अधिवेशन में हिंसा की जिंदा की। इस अधिवेशन मे राष्ट्रीय सदा दन का निर्माण करन ब्यक्तियत मस्थाग्रह प्रारम्भ करने एक जब जनता सामूहिक सवाप्र क लिए अक्षित हो जाण तब सामहित सत्पाण्टु प्रारम्भ करन क सम्बन्ध मे भी निरुध लिए गए। गांधीजी को आन्दोलन का नेतृत्व करन क लिए अधितायन चुना गया। गांधीजी ने बिना मणय बरबाद किए सामूची क सत्पाण्टु को मनरूप, अने अतु आभ्र क गून्तूर ग्राम में १२ जनवरी को शर् कर गना द आन्दोलन का प्रारम्भ किया। सन् १९२२ ई में १४ स १६ जनवरी तक अष्ट अने थ सगभग ३० सदस्या न सम्बद्ध मे धापम में विषार विमग कर एक प्रस्ताव पारित कर काँग्रेस मे सविाप अदना आन्दोलन प्रारम्भ

न करने और सरकार से जनता की कठिनाइयों पर विचार करने के लिए एक मोलाना सम्मेलन बुलाने का अनुरोध किया। इन नेताओं में राजनीतिज्ञ बन्धुओं को छोड़ने का भी निवेदन किया। वायसराय ने इस माँग को ठुकरा दिया। गांधीजी को भ्रम पूरा विश्वास हो गया कि बिना आन्दोलन के कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने गुजरात में बारदोली में आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय किया; काँग्रेस कायसमिति ने जनता से आर्क्षणात्मक अनुरोधन में रह कर बारदोली आन्दोलन को सफल बनाने का अनुरोध किया। १ फरवरी १९२२ ई. का गांधीजी ने वायसराय के नाम एक पत्र लिखा जिसमें उन हीन सरकारी अराजकता और पागविकता की घोर निन्दा की और यदि सात दिनों में पूरा रूप से सरकार का हृदय-परिवर्तन नहीं होता है तो कर नहीं दो आन्दोलन प्रारम्भ करने की चेतावनी दी। इस अवधि के पूरा होने से पूर्व ही ४ फरवरी को जनता ने चोरी चोरा (गोरखपुर के निकट एक स्थान) में २१ सिपाहियों एवं धानदार की हत्या कर डाली। पहले भी बम्बई (नवम्बर १९२१) और मद्रास (जनवरी १९२२) में ऐसा घटनाएँ हो चुकी थी। महात्माजी के लिए यह असहनीय था। उन्होंने काँग्रेस कायकारिणी को आन्दोलन स्थगित करने और काँग्रेस की रचनात्मक आन्दोलन पर शक्ति केन्द्रित करने का परामर्श दिया। काँग्रेस सरकार ने महात्माजी को सरकार के विशुद्ध जनता में विद्रोह भावना जागृत करने के अनुरोध में ३ वर्ष की कद की गजा दी और वे पवदा जेल में बन्द कर दिए गए।

आन्दोलन का स्थगित होना

आन्दोलन के स्थगित करने के आदेश में जनमानस अत्यधिक क्षुब्ध हो उठा। काँग्रेस के कायकर्त्तव्यों में भी एक विवाद उठ खड़ा हुआ। मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपतराय ने जल से ही गांधीजी की नीति की निन्दा की। उनके विरुद्ध अविश्वास का एक प्रस्ताव भी काँग्रेस की विषय समिति में प्रस्तुत किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्बन्ध में लिखा कि हमने ऐसे समय में आन्दोलन का स्थगित किए जान का समाचार प्राप्त किया जबकि हम सभी मोर्चों पर घाग बन्द रहे थे और हमका भी क्रोध घाया था। यद्यपि आन्दोलन केवल चोरी चोरा का घटना का कारण स्थगित किया गया था तथापि वास्तविकता यह थी कि बाहर से शक्तिशाली प्रकट होने वाला यह आन्दोलन प्रगति में कर छिन्न भिन्न हो रहा था। सगठन में गिथितता आ रही थी। अभी तक जनता में बिना नेताओं (जो जेल में बन्द थे) के सघष करना नहीं सीखा था। जनता सघष के सिद्धांतों और उद्देश्य को भी निश्चित रूप में नहीं समझ पायी थी। सरकार की दमनकारी पाशविक नीति में भी जनता में निराशा और भय उत्पन्न हो रहा था। सन् १९२१ के अन्त में मलाबार के मोपलाओं द्वारा हिन्दुओं पर किय गये अत्याचारों से भी आन्दोलन को क्षति पन्को थी और हिन्दू मुस्लिम एकता में दरार पड़ना प्रारम्भ हो गया था। आन्दोलन में हिंसा के प्रयोग से यही सम्भावना थी कि कहीं जातीय और वग-संघर्ष प्रारम्भ न हो जाए। इस कारण

मान्यता को व्यंगित करना उचित ही था। हा इतना अवश्य है कि सत्याग्रह को एकाएक स्थगित करने से हिन्दू-मुस्लिम तनाव में वृद्धि हुई। श्री जवाहरनाथ नेहरू ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि राजनीतिक सघर्ष में समझौता हुई हिंसा को दबा दिया गया किन्तु दबी हिंसा को निकालने का कोई माग होना चाहिए था और सम्बन्ध आगामी वर्षों में इसी से साम्प्रदायिक गड़बड़ी न पार पकना।

आन्दोलन की कमजोरियाँ

असहयोग आन्दोलन अनेक कमजोरियों से ग्रस्त था। यह माध्यम आवाज-पर आधारित था इसमें स्थानीय भावों का ध्यान नहीं था जो इस स्थिति में आधार प्रदान करते वहिष्कार का काम पूरुरूप से सफल नहीं हुआ क्योंकि सरकारी विद्वेषियों ने सरकार का साथ दिया। गांधीजी द्वारा सभी गलतियों को अपने ऊपर धोना भी उचित नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने जनता पर जो अमानुषिक प्रयाचार किए, उसकी जिम्मेदारी महामा गांधी ने अपने ऊपर धोना जबकि चाहिए यह था कि वे सारी जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार पर धोपत। देश की जनता को आन्दोलन का पूरुरूप से प्रभावित भी नहीं मिल पाया था। फलस्वरूप आन्दोलन पूरुरूप से सिद्धान्तात्मक नहीं रहे सफ़र। आन्दोलन अपने उद्देश्य में भी सफल नहीं हुआ। देश पंजाब के जम्मो और अमृतसर की नगसता का बदला लेने की अपनी निर्णायक स्थिति में था और इसी समय गांधीजी द्वारा यकायक आन्दोलन को बन्द कर देने से सारी स्थिति ही बदल गयी। देशवासियों ने जो याग किए बलिदान लिए उनका कोई मूल्य नहीं रहा और फलस्वरूप समग्र भारत में निराशा का घोर अधेरा छा गया। खिलाफत को आधार बनाना भी अनुचित था। फलस्वरूप आन्दोलन को जन-व्यापी समयन नहीं मिल पाया। कवल मुस्लिम प्रान्त हान से अधिकतर भारतीय इस आन्दोलन में झल्ले ही रहे। खिलाफत का नारा तो दुर्भाग्य से मुसलमान समाजपाशा ने ही दफना दिया था और वहाँ के खलीफा को ही देश छोड़ना पडा था। उन्होंने खिलाफत को पुनर्जीवन करने के नारे को मध्य-युग का नारा कहा।

असहयोग आन्दोलन की उपलब्धियाँ

असहयोग आन्दोलन की उपलब्धियों का अवलोकन करने समय हमें दो विचार धाराओं का सहाय लेना पडेगा

(1) अपने उद्देश्य में ही विफल

पहली विचारधारा के अनुसार इस आन्दोलन से किमो भी महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई। गांधीजी द्वारा सभी गलतियों को अपने ऊपर धोना आन्दोलन को अचानक बन्द कर देना ऐसे पटलू है जो इसकी सफलता का नकारात्मक बना देते हैं। इससे देश में कोई शक्तिकारी परिवर्तन नहीं हो पाया और आन्दोलन अपने उद्देश्यों में ही पूरुरूप से विफल हो गया।

(२) भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का स्वर्णिम अध्याय

दूसरी विचारधारा वाल राजनीतिज्ञ इस आन्दोलन का भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण आन्दोलन मानते हैं। उनके मतानुसार अयफलताओं की अपेक्षा सफलताओं का मूल्य अधिक प्रांति माना चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर कुठाराघात स्वराज और स्वावलम्बन का सपना राष्ट्रीयता का सच्चा राष्ट्रीय आन्दोलन में नया भावना का समावेश सामाजिक सुधारों के नये दौर प्रांति ऐसे पन्थे हैं जिनके महत्व को किसी भी तरह कम नहीं प्रांति जा सकता। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रारम्भ सान्नी का प्रयोग विदेशी सामान का बहिष्कार प्रांति कुछ ऐसे काम थे जिसके कारण भारत में ब्रिटिश शासन शक्तिहीन होने लगा था। नौकरगारी गांधीजी द्वारा संगठित जन शक्ति का महत्त्व का अनुभव करने लगी थी एवं साम्राज्य की रसा के लिए चिन्ता अनुभव करने लगी थी।

प्रभाव

असहयोग आन्दोलन को अचानक स्थगित कर देने से वह अपने मूल उद्देश्य एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने में असफल हो गया। जनता में असंतोष और निराशा की लहर फल गयी। फिर भी इस आन्दोलन का महत्त्व में इन्कार नहीं किया जा सकता। अनेक क्षेत्रों में इससे बहिष्कृत परिणाम निकल

(१) आर्थिक क्षेत्र में

विदेशी का प्रचार और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कार्यक्रम ने ब्रिटेन की अर्थ व्यवस्था पर सीधा प्रभाव डाला। भारत में विदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम आगुन हुआ और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। इसके विपरीत लकाशायर और मानचेस्टर की मिनो के पहिये घीम पड गये। मजदूरों में उत्तजना फल गयी और वे लोय रोजी रीटी के लिए ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव डालने लगे कि भारतीयों की माँगों का समादर किया जाना चाहिए—निष्कष रूप में कहा जा सकता है कि जिस राय को गांधी ने भारत में छेडा था उसकी अलख लन्दन की सडको पर सुनाई दी। आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी के प्रयास किसी सीमा तक सफल अवश्य हुए थे।

(२) राजनतिक क्षेत्र में

देश में राष्ट्रीय एकता के अग्रव भावों का विकास हुआ। सम्पूर्ण देश हिमा सय में सेकर कन्याकुमारी तक द्वारिका से लेकर भासाम तक मातृभूमि का विदेशी कसतर में मुक्त करने के लिए लोडू मकष लकष जल सुखा दुषा थ १ हिन्दू मुस्लिम एकता का यह गौरवपूर्ण पृष्ठ था।

(३) अधोवज्ञानिक क्षेत्र में

आन्दोलन ने भारतीयों का प्रांति खोल दी। सरकारी अधिकारियों तथा उनके आतकों के प्रति जनता के दिल से अय दूर हा गया। इसके प्रतिरिक्त यह पहला जन आन्दोलन था जिसमें सना सम्प्रदायो और प्रांतों के लोग कांपसी अडे

के भीचे खड़े होकर साम्राज्य के विरुद्ध सघष करने के लिए एक भावान को बुला कर लेना । इस भा दोलन में सरकार का जिस गति से दमनचक्र घला उसकी विदेशी में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और विश्व के अनेक देशों में काँग्रेस की नतिक समर्थन मिला । सन्धि में इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप अंग में राष्ट्रीयता के दगन का विकास हुआ ।

मूल्यांकन

असहयोग आन्दोलन के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए बूपरड ने लिखा है
 उन्होंने (गांधीजी) ने वह किया जो निलंब नहीं कर सके थे । उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन का क्रान्तिकारी आन्दोलन में बदल दिया । उन्होंने इससे भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने की सीख दी । गांधीजी ने राष्ट्रीय आन्दोलन का बचन क्रान्तिकारी ही नहीं लोकप्रिय भी बना दिया । गांधीजी के प्रतिकार ने शान्तिपूर्ण इनाका का उद्घोषित कर दिया । सुभाष बोस ने लिखा महात्मा जी ने काँग्रेस का एक नया विधान ही नहीं दिया अपितु इस एक क्रान्तिकारी संगठन में परिवर्तित कर दिया । देश के कौन-कौन से एक अस नार नगाए जान अंग और एक जसी नीति तथा एक जसी विचारधारा सवत्र दृष्टियांचर होने लगी ।

प्रवेश

सन् १९२२ के सत्याग्रह के स्वर्णित हान और महात्माजी के कारागार में बन्द हो जाने का दूसरा गम्भीर परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस में विचारों की दो धाराएँ जो महात्माजी के प्रभाव से एक होकर बहने लगी थी फिर भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होने लगी।—यही महात्माजी जेन गय के लोग जो सिद्धान्त रूप में पूरे असहयोग में विश्वास नहीं करते थे उभर आये और कांग्रेस के कार्यक्रम में परिवर्तन की मांग करने लगे। वे नेता जो महात्माजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रखते थे अब भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे। परन्तु कुछ नेता जिनमें प मोतीलाल नेहरू और देशबन्धु चित्तरजनदास प्रमुख थे कार्यक्रम में परिवर्तन करना आवश्यक मानते थे। विचारों का यह घात-प्रतिघात अन्दर ही अन्दर चल रहा था कि १९२२ ई के अन्त में गया में कांग्रेस के अधिवेशन का प्रवर्षण घटा पहुँचा। गया कांग्रेस के अध्यक्ष श्री देशबन्धु चित्तरजनदास थे। वे धारासभाओं में भाग लेने के बट्टर समर्थक थे। वह और प मोतीलाल नेहरू ही कौंसिल प्रवेश नीति के प्रमुख अभिभावक थे। देशबन्धु ने अपने भाषण में कौंसिलों की तुलना अग्रजी सरकार के गढ़ से की और उन्होंने कहा कि कौंसिलों में प्रवेश करके इन गढ़ों को तो ना अत्यन्त आसानी है। उनके मतानुसार धारासभाओं में घुसकर विरोध द्वारा सरकार से असहयोग करना भी असहयोग का ही एक अंग है। इस प्रकार परिवर्तनवादी असहयोग के शेष सारे कार्यक्रम को स्वीकार करते हुए भी यह चाहते थे कि धारासभाओं के चुनाव लड़कर सरकार के कानन बनाने के यत्न पर अधिकार कर लिया जाय।

इसके विपरीत कौंसिल प्रवेश के विरोधी भी प्रभावहीन नहीं थे। श्री राजगोपालाचार्य की कच्ची की भाँति सीधी और प्रतिपक्षी की युक्तियों को काटने वाली चमत्कारपूर्ण बकालत पहले-पहले गया में ही देशवासियों के सामने प्रकट हुई। कौंसिल प्रवेश के दूसरे प्रतिपक्षी थे सरदार पटेल। जब वह खड़े होकर दृढ़ और गम्भीर वाणी में यह घोषणा करते थे कि यदि देश को स्वतंत्र कराना है तो पहले कौंसिल प्रवेश की चर्चा का कूड़ा फेंकने की तरह आगन से बाहर फेंक देना होगा

नो कौंसिल प्रवेश के समयको के दिम रहल जात थ । सबको विश्वास हो चुका था कि सरदार जो कुछ कहते हैं उणे करने रहते हैं वाग्नीनी के सरदार के लिए कुछ असम्भव नहीं है । कौंसिल प्रवेश के तीसरे सबसे बड़े विरोधी द बिगार क मनन्य नेता राजेन्द्रप्रसाद । उनकी मरल तपोनयी मूर्ति और घटल विश्वासभगी वाली शोनाओ को न ममुर कर देती थी । ऐसे यागरी और प्रतिभाशाली तीन विरोधी ही पर्याप्त थ । फिर महात्मा गांधी का बरद हस्य उनकी पीठ पर जो था । फलत काग्रस के अधिवेशन भ कौंसिल प्रवेश प्रस्ताव पास नहीं हो सया ।

स्वराज्य दल का निर्माण

अपरिवर्तनवाणियों द्वारा परिवर्तनवाणियों के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने पर देशबन्धु चित्तरजनदास और मोतीलाल नेहरू न क्रमशः अध्यक्ष और महामंत्री पद में त्यागपत्र दे दिया । उन्होंने गया में ही कांग्रेस में अलग स्वराज्य पार्टी के संघठन की घोषणा कर दी और क्षणों में ही प्रभावशाली कांग्रेसिया को उमका सदस्य बना लिया । स्वराज्यवादियों का पटना अधिवेशन मार्च १९२२ ई में इलाहाबाद में हुआ जिसमें दल के संविधान और अभियान की योजना को स्वीकार किया गया । अपरिवर्तनवाणियों तथा स्वराज्य-दल में बढ़ती हुई कटुता को दूर करने के लिए सितम्बर १९२३ में मोलाना आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया । इसमें कांग्रेस में न विधानमण्डलों के प्रवेश के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया । देशबन्धु चित्तरजनदास न यह स्पष्ट कर दिया कि विधान मण्डलों में प्रवेश करने के कार्यक्रम का यह अर्थ नहीं कि कांग्रेस के दूसरे कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाय बल्कि उनका इस तरह विस्तार किया जाय कि विधान-मण्डलों तथा अन्य सावजनिक संस्थाओं में निर्वाचित स्थानों पर कब्जा करना भी उनमें शामिल कर लिया जाय । १९२४ ई में अस्वस्थता के कारण गांधीजी जल में छोड़ दिए गए । उस समय उन्होंने स्वराज्यवादियों का समर्थन किया और स्वराज्यवाणियों ने उनके रचनात्मक कार्यक्रम का । इन प्रकार स्वराज्य-दल कांग्रेस का ही एक राजनीतिक अंग बन गया जो समस्य कार्यो में भाग लेता था । इससे कांग्रेस में पुन विभाजन होने से रक गया ।

स्वराज्य दल के उद्देश्य

स्वराज्य दल का मूल उद्देश्य था स्वराज्य प्राप्त करना । गांधीवादियों का भी अंतिम उद्देश्य यही था परन्तु उनके तरीकों में भिन्नता था । जहाँ स्वराज्यवादों विधानमण्डलों का चुनाव लड़ना और जनता में अपना सवश्रियता तथा शक्ति को सिद्ध करना चाहते थ वहाँ गांधीवादी रचनात्मक कार्यों में विश्वास करते थ । स्वराज्यवादी गांधीजी क असहयोग आन्दोलन में विश्वास नहीं करते थ अपितु वे कौंसिल में प्रवेश करके राजनीतिक असहयोग करने के समर्थक थ । उनका कहना था कि कौंसिलों में प्रवेश करने से असहयोग आन्दोलन सफलता से चलाया जा सकेगा । उनकी सम्मति में असहयोग आन्दोलन एक बौद्धिक प्रवृत्ति मात्र था जिसको

राष्ट्रीय जीवन का सम्बन्ध का व्यावहारिक सिद्धांत नहीं माना जा सकता। कौंसिल के प्रेसिडेंट महायोग का ध्येय था कि भारतीय घरेलू से अधिक संस्था में निर्वाचित होकर कौंसिल में धर्म और सरकार की नीति का धीरे धीरे विरोध कर उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न करें जिसे उसे अपनी नीति में परिवर्तन लाने का वाध्य होना पड़े। स्वराज्यवादियों का न्यून कौंसिलों में प्रवेश करके उन्हें प्रान्त ही प्रान्त से नष्ट करना था। वे चुनाव नटना इसलिए भी आवश्यक समझते थे ताकि निर्दल स्वयं चुनावों को जीतकर सरकार की सहायता न कर सकें जसा कि उदारवादियों ने किया था। उन्होंने चुनाव जीतने का इरादा इसलिए किया था कि या तो सन् १९१९ के सुधारों में कुछ आवश्यक परिवर्तन कराए जाएं वरना इसका अन्त किया जाए और नए सुधारों की मांग भी जाए। स्वराज्य दल के मर्म पहलू पर प्रकाश डालते हुए बंगाल विधानसभा में स्वर्गीय देशबंधु चित्तरजनदास ने कहा था

यह कहा गया है कि हमारा नारा है नष्ट करो नष्ट करो हम नष्ट करना क्यों चाहते हैं। हम किससे मुक्त होना चाहते हैं। हम उस परिपाटी को नष्ट करना तथा उससे मुक्त होना चाहते हैं जो हमारे लिए हितकर नहीं है और न ही हो सकती है। हम उसे इसलिए नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम ऐसी पद्धति का निर्माण करना चाहते हैं जो सफलतापूर्वक कार्य कर सके और सांख्यिक हित में सहायता पहुँचावे।

संक्षेप में स्वराज्यवादी अपने सवधानिक कार्यों के माध्यम से सरकार को स्वराज्य प्रदान करने के लिए मजबूर कर देना चाहते थे।

स्वराज्यवादी महात्मा गांधी के रचनात्मक विचारों के भी समर्थक थे। वे विधानसभाओं के माध्यम से ऐसे प्रस्ताव और विधेयक पारित कराना चाहते थे जिनके द्वारा राष्ट्रीय रचनात्मक कार्यों में सहयोग मिले। धारामभाषों से बाहर वे गांधीजी के रचनात्मक कार्यों का समर्थन करते थे। उनका विचार था कि रचनात्मक कार्यों के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विधानमण्डलों की मददस्यता द्वारा स्वराज्य के लिए सघर्ष करना भी बहुत आवश्यक है। आवश्यकता पाने पर वे महात्माजी के सत्रिनय प्रवचन आन्दोलन में शामिल होने को भी तैयार थे।

स्वराज्य दल का कार्यक्रम

स्वराज्य दल के कार्यक्रम का हम दो भागों में अध्ययन कर सकते हैं

- (१) विधानमण्डल सम्बन्धी कार्यक्रम और
- (२) रचनात्मक कार्यक्रम

स्वराज्यवादियों का कार्यक्रम विधानमण्डल में अथवा विधान-मण्डलों में सक्रिय भूमिका धरके सरकारी नीति को प्रभावित करने के पक्षपाती थे। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें सम्मिलित थी —

- १ सरकारी बजट को रद्द करना
- २ उन प्रस्तावों का विरोध करना जो नौकरशाही को बढ़ावा देते हों
- ३ सरकार की हर असवधानिक नीति का डटकर विरोध करना और सरकारी कार्यक्रम में प्रडगा लगाना और
- ४ अपने कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से उन सभी स्थानों पर अधिकार करने का प्रयत्न करना जिन पर कॉमिल के सत्स्य होने के नाते किया जा सकता है।

स्वराज्यवादियों के रचनात्मक कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें सम्मिलित थीं—

- १ उन विधेयकों और प्रस्तावों को पारित करने का प्रयास जो रचनात्मक गतिविधियों को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध हो सकते हों
- २ उन विधेयकों को पारित कराने में जो जन से कोशिश करना जो नौकरशाही को नियंत्रित करते हों और
- ३ कॉमिल के बाहर रचनात्मक कार्यों को सम्पादित करने हेतु सत्याग्रह के लिए हमेशा तैयार रहना भी स्वराज्यवादियों के कार्यक्रम का अभिन्न अंग था। उनका विचार था कि सत्याग्रह के द्वारा नौकरशाही को नियंत्रित करके सही रास्ता पर लाया जा सकता है।

उनके इसी रचनात्मक कार्यक्रम की ध्यान में रखकर महात्माजी ने स्वराज्यवादीयों के राजनीतिक कार्यक्रम को स्वीकार किया था।

स्वराज्य दल की उपलब्धियाँ

स्वराज्यवादियों को अपने उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों में काफी सफलता मिली

(१) निर्वाचन में सफलताएँ

माटफोर्ड मुद्यारों को नष्ट करने के उद्देश्य से स्वराज्यवादियों ने मोनीलाल नहरू और टाकसु के नेतृत्व में १९२२ ई के निर्वाचन में भाग लिया। इस निर्वाचन में उन्हें प्रथम से अधिक सफलता मिली। बंगाल तथा मध्यप्रान्त में उन्हें बहुमत प्राप्त हो गया। कई अन्य प्रांतों में यद्यपि स्वराज्यदल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तदपि वह सबसे बड़ा दल रहा।

(२) कार्यक्रम में सफलताएँ

स्वराज्य दल को अपने कार्यक्रम में काफी सफलता मिली। मध्यप्रदेश और बंगाल में स्वराज्यवादियों ने द्वेष भासन को निष्क्रिय बना दिया। इन प्रांतों में मंत्रिमण्डल का निर्माण संभव हो गया। क्योंकि स्वराज्य दल जिसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त था न तो स्वयं सरकार का निर्माण करना चाहता था और न ही दूसरे लोगों को मंत्रिमण्डल का निर्माण करने देना चाहता था। स्वराज्यवादी न केवल

राज्यों में ही अर्थात् केन्द्र में भी सरकार के कार्यों को बिखी हूँ तक प्रभावित करने में समय हुए। कर्नाटक विधानमण्डल के १४५ स्थानों में स्वराज्यवादियों को केवल ४५ स्थान ही प्राप्त हुए थे। परन्तु मोतीलाल नेहरू ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण कुछ राष्ट्रवाजियों और निदलाय सदस्यों का अपने साथ मिलान में सफलता हासिल की जिसके कारण उनकी संयुक्त शक्ति सरकारी कार्यों में बारम्बार बग स भ्रष्टता आनन में समय हो गयी। उन्होंने सरकार को पराजित भी किया जिससे सरकार की प्रतिष्ठा को गहरा खरडा पहुँचा। स्वराज्यवादियों को कर्नाटक विधानसभा में एक में बंधुएँ सफलता ८ परवरी १९२४ ई को हासिल हुई जब कि पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर उन्हें सफलता मिली। यह प्रस्ताव इस प्रकार था

यह सभा गवर्नर जनरल से यह मांग करती है कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से १९१६ ई के भारत सरकार अधिनियम को संशोधित करवाने के लिए प्रयत्न पत्र उठाए जाए और इसके लिए (क) भारत के समस्त प्रतिनिधियों की एक गोलमेज-परिषद् का आयोजन किया जाए जो देश के महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए एक विधान का निर्माण करे तथा (ख) वर्तमान कर्नाटक विधानसभा को भंग करके नवनिर्मित व्यवस्थापिका सभा के सम्मुख यह योजना (विधान) प्रस्तुत की जाए जो कानून बनाने के लिए ब्रिटिश संसद के सम्मुख रखी जाए।

इस प्रस्ताव का ही परिणाम था कि भारत सरकार ने सर प्रलेक्सेण्डर की अध्यक्षता में एक सचिव जांच समिति की स्थापना की जिसका उद्देश्य माटफोर्ड सुधारों की आलोचनात्मक समीक्षा करना था।

स्वराज्य दल ने सन् १९१९ के सुधारों में ठोस परिवर्तन करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया। जब सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो उसके नेताओं ने कर्नाटक अल्पसंख्यक सभा की स्थापना की। उन्होंने कर्नाटक विधानमण्डल की बैठकों में १९२४ २५ १९२५ २६ और १९२६ २७ की मांगों को अस्वीकार कर दिया तब गवर्नर जनरल का अपनी विधि शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा था। सरकार के कर्नाटक विरोध के बावजूद सन् १९२८ के दमनकारी कानूनों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए गए। राजनीतिक नेताओं की रिह्त का सम्बन्ध में भी प्रस्ताव पारित किए गए। कई अन्य मामलों पर भी सरकार का हार खानी पड़ी। सरकारी संपत्तियों और उत्सवों के निमंत्रण भी स्वीकार नहीं किए गए।

स्वराज्य दल के पतन के कारण

स्वराज्य दल अर्थात् समय तक गतिशील नहीं रहे सका और इन २ मं. कमजोर होता गया और अन्त में समाप्त ही हुआ गया। स्वराज्य दल के पतन के लिए निम्न तब उल्लेखनीय हैं—

(१) नटूय का सङ्घट

श्री वित्तरजन दाम स्वराज्य दल क जन्मना तथा ठमक प्रमुष म्गम रह । सन् १९२५ में उनही मृ यु क बाट दल नटूय गरा वशात् दलानु का कमडना हा दल की आमा था जिमम अल दल बचित हा गया था ।

(२) अमहयोग से तुष्टि का धार

प्रारम्भ म स्वराज्य दल न सरकार क बाणों म गाय अन्ना दानन ना नाति का अनाया पण्णु वह अतिर मनन नहा र । सन् १९२६ क फरानपुर सम्मलन म स्वराज्यवातियों न सरकार क मय उचित गतों क धार पर सहयोग करन का प्रस्ताव रखा और दगवबु का मृ यु क बाट तीय सहयोग का नाति मनुष्टिरण की प्रता अरम सामा का भी पार कर गई जिमसे स्वराज्य दल क स्वरूप म पूण रूप से परिवतन आ गया और स्वराज्य दल कमजार हो गया ।

(३) काप्रस की आंतरिक घटनाओं का प्रभाव

स्वराज्य दल क अनिरिक बुद्ध नतामा न काप्रस क प्रन्तर ही प्रन्तर एक स्वतंत्र दल की स्थापना की । इनक नेता प मदतमोहन मावदाय और नाला लात्रपतराय थ । एम दल न हिन्दुव का नारा उगाया । इसक फलस्वरूप स्वराज्य वातियों का सख्या तत्रा म अने लयी ।

(४) सचे कायकर्ताओं और नताओं की कमी

शैवरायु का मृ यु क बाट कायकर्ताओं क धारमी मवपा की मोहात्पूण मावनाए शाणु हा गई । अर न ता व नता हा ए जा सामिन स्वार्थों क मम्मुद्ध धात्रु उपमिन्द करन की धमता रमते थ और न व कायकर्ता हा रह ना अरन कतयों म प्ररित हाकर दल क चित जान का बाजा उगाई । दल क नतामा न सरकार का शुभ करन और अरन स्वार्थों का पूर्ति क लिए अरन आत्यों का विकुच तिनानलि देवा । सन् १९२७ म बुद्ध प्रमुख स्वराज्यवातियों की इम्पान मुरक्षा समिति म म्यान लिया गया । १९२८ ई म मानीलान गहूने चम समिति की मदम्यता म्वाकार की वा जे पाटिन कनीय व्यवस्थापिका ममा क प्रथम चुने गए और एम वा ताम्ब का जो मध्यप्रदेश विधानमभा क अध्यक्ष थ गवतर जनमल की कायकारिणा परिषद म स्थान दे लिया गया । दल परिवतना न स्वराज्य दल का गति का कमजार बना लिया ।

८ १९२६ का निवाचन

१९२६ ई क निवाचनों म स्वराज्य दल का सन् १९२२ की तुवता म वाका कम म्यान मिन त्रिसक कारण स्वराज्य दल का महत्त घट गया ।

मूल्यांकन

स्वराज्यवातियों का मफतदामों और अमफतदामा का अरलानन करन क बाद बुद्ध तथ्य सामन धान है जिन पर मिन २ विद्वाना न मिन २ विचार व्यक्त

किए हैं। आलोचकों का यह विचार है कि 'ग्रहणा या बाधा' नीति अन्वयावहारिक तक हीन और अवास्तविक थी। दल की नीति इतनी अन्वयावहारिक थी कि उसका द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना असंभव था। विपिनचन्द्रपान जस काग्र शिरो तथा जोसफ बतिस्ता जस स्वतन्त्र सदस्यों का मत था कि बाधा-नीति निरर्थक है। उन्नावानी भी इसके विरुद्ध थे और उन्होंने इस नीति को बकार और अयश्रूय बताया। अब प्रश्न यह उठता है कि स्वराज्यवादियों ने आखिर इस नीति का क्या अपनाया ? इस तथ्य पर टिप्पणी करते हुए प्रो. जकारिया ने बहुत स्पष्ट लिखा है

यह मानना पड़ेगा कि स्वराज्य-पार्टी का विचार वास्तविकता से बहुत दूर था। स्वराज्यवादियों की स्थिति उन व्यक्तियों की थी जो अपनी रौटी को खाना भी चाहते हैं और उस बचाना भी। उन्हें जनता में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए गरम-गरम भाव करना आवश्यक हो गया था। फिर भी वे अपने को सत्सत्वा के सरल कार्यों तक ही सीमित रखना चाहते थे। परिणामतः जिस मांग का उन्होंने अनुसरण किया उसमें सहयोग का अर्थ था असहयोग।

इस प्रकार स्वराज्यवादियों का नीतिमार्ग से सरकार का गति बन्द नहीं हुई और न ही स्वराज्य एकदम प्राप्त हुआ।

अगर हम बाधा-नीति को अन्वयावहारिक मानकर स्वराज्यवादियों की उपलक्षियों का नजरअन्दाज करते हैं तो यह व्यावहारिक और यथार्थ सत्य नहीं होगा। स्वराज्यवादियों ने अपनी शक्तिविधियों का उस समय गुरु किया था जिस समय असहयोग आन्दोलन की विफलता के कारण सार्वभौम निराशा और बचनी धार्य हुई थी और जनता राष्ट्रीयता के इस मांग का पुनः अनुकरण करने को तयार नहीं था। इस समय में स्वराज्यवादियों ने सरकारी दमन बन्द की परवाह नहीं करके जिस दरसाह और भावना से जन अधिकारों की रक्षा की बहालता का उससे दल में एकबार पुनः भाषा का संचार हुआ। स्वराज्यवादियों ने अपने प्रखर विरोध के कारण सरकार को एकबार अपनी नीतियों का पुनरावलोकन करने का बाध्य-सा कर दिया। इस प्रकार स्वराज्यवादियों के कार्यों को किसी भी तरह कम नहीं मँका जा सकता। उन्होंने द्रवशासन प्रणाली को असफल बनाया और मुन्सिफ मुबार-समिति की स्थापना को अव्यवस्था बना लिया। स्वराज्यवादियों ने अपना काय जिन परिस्थितियों में आरम्भ किया उसका कारण उन्हें अपनी नीतियों का व्यावहारिकता के घटतल से स्पष्ट करना था। इसलिए बाधा-नीति या अन्वया-नीति के लिए उन्हें बाध नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह तो उनके विचार-द्वान का एक अमिन्न अर्थ था। फिर भी उन्होंने सरकार का जन भावनाओं का आन्तरिक करने के लिए मशबूर कर लिया। यह एक महान् सफलता था जिस किसी भी कदम नहीं मँका जा सकता। स्वराज्य दल ने राज्य के निराशा पूरा वातावरण में अपने कार्यों से एकबार पुनः दरसाह की बगवती धारा प्रवाहित कर दी। सच तो यह है कि देश का परिस्थितियों ने सभी विचारशील नेताओं और कार्यकर्ताओं का शोध वस्तु परिवर्तन के पक्ष में विचार प्रकट करने का बाध्य कर लिया और यही काम स्वराज्यवादियों ने किया

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के पूर्व के वर्षों की राजनीति

प्रवेश

वर्तमान राजनीति के तृतीय चरण में देश में साम्प्रदायिकता का द्वय निरन्तर बढ़ा। हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रयास निरन्तर किए गए परन्तु इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। काँग्रेस और लाल के माते लिये दिन अधिका प्राप्त होते गए। १९२६ ई तक विधानमंडल के भीतर अग्रहयोग करके नौकरशाही शासन को छिन भिन्न करने के स्वरायवादी काँग्रेस के नेताओं का कार्यक्रम भी अमफल हो चुका था। राष्ट्रीय आन्दोलन जनता तक पहुँच चुका था इसे भातृभूमि और हल जानने वाले कृषक मतो से अधिक शक्ति मिलना प्रारम्भ हो गया था। गांधीजी जो १९२५ ई में एक वर्ष के लिए राजनतिक मोन और निचनता का व्रत लेकर राजनीति से दूर चले गए थे राष्ट्रीय मोर्वे पर पुन घा मडे हुए थे। सुभाषचन् घोस एव जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में काँग्रेसी युवावग किसी भी कीमत पर अग्रजों को भारत से निकालने के लिए दताथ हो रहा था। १९२५ ई सही विदेशी सरकार न भी देश में शासन सुधार के सबध में विचार करना प्रारम्भ कर दिया था। पहले मुदीमैन एव बाद में २६ नवम्बर १९२७ ई को साइमन कमीशन की नियुक्ति सुधारों के सम्बन्ध में सुभाव देने हेतु की गयी। साइमन कमीशन की नियुक्ति न भारतीय जनमानस को विन्ती बना दिया। अग्रजों को चनौती के फलस्वरूप नेहरू प्रतिवेदन और उस पर प्रतिक्रियास्वरूप जिना की शर्तों का जन्म हुआ। राष्ट्रीय सवधानिक सुधार के क्षेत्र में जीवन की पुन हलचल प्रारम्भ हुई। लाड इरविन ने ३१ अक्टूबर १९२६ ई को भारत को औपनिवेशिक दर्जा प्रदान करने के सम्बन्ध में एक घोषणा की। दिसम्बर १९२६ ई में काँग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव स्वीकृत कर देश की राजनीति को नया मोड प्रदान किया। हम यहाँ संक्षेप में उक्त चर्चित राजनीतिक एव सवधानिक मूर्त्त्व की घटनाओं का वर्णन करेंगे।

(१) साम्प्रदायिक विद्वेष का विकास

सन् १९१६ में काँग्रेस और मुस्लिम लीग में जो मधुर एकता स्थापित हुई वह लगभग ६ वर्षों तक बनी रही। इस अवधि में दोनों दलों ने एक दूसरे से सहयोग किया। दोनों ने गृहशासन आन्दोलन को कुचलने के बगाल और मद्रास

सरकारों के प्रयासों की निंदा की। भारत की स्वशासित प्रदेश घोषित करने का ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया। माटेम्पू से भट कर दोनों न समुक्त रूप से निर्मित सुधार योजना को स्वीकृत करने की मांग की। पंजाब हत्याकांड का विरोध करने खिलाफत और असहयोग आन्दोलन का चयन में जाना देना न एक दमरे से सहयोग किया। हिंदुओं ने खिलाफत आन्दोलन और मुसलमानों ने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। हिन्दू-मुसलमान भाई भाई हिन्दू-मुसलमान एकता की जय आदि नारा नगम गूजन गये। आयसमाज के स्वामी अज्ञान-शून्य न जामा मस्जिद की सीमा में हिन्दू और मुसलमानों के विराट समूह की श्रेणियों की एकता का संकेत दिया।

मुस्लिम लीग और कांग्रेस का यह एकता असहयोग आन्दोलन के पश्चात् अधिक समय तक कायम नहीं रह सकी तथा भारत के दोनों सम्प्रदायों हिन्दुओं और मुसलमानों में विरोध बढ़ने लगा। दोनों सम्प्रदायों में विरोध बढ़ने का कारण मुस्लिम लीग की स्वायत्त नीति थी। शायद सखनऊ सम्झौते को किसी पवित्र भावना से प्रेरित होकर स्वीकार नहीं किया था। इस सम्झौते की स्वीकृति और पालन में मुस्लिम लीग का अपना हित पूर्ण होता हुआ दृष्टिगत हो रहा था। लीग ने छ वर्षों तक स्थिति लिए इस सम्झौते का पालन किया था। असहयोग आन्दोलन में भी लीग ने इसलिए सहयोग किया था कि उस खिलाफत आन्दोलन हेतु कांग्रेस के सहयोग का आवश्यकता थी। मुसलमानों का एक बड़ा सखनऊ सम्झौते का विरोध था। वे बड़े खिलाफत आन्दोलन में हिन्दू नेता गांधी के नेतृत्व का भी विरोधी थे। उस बड़े को भय था कि गांधी का नेतृत्व मुसलमानों के भिन्न अस्ति के समान कर देगा। खिलाफत एवं असहयोग आन्दोलन-काल में मुसलमान यह भी अनुभव करते थे कि एकता में उनके अपने स्वयं पूरे नहीं रहे हैं। नसे भी हिन्दू-मुसलमान एकता को आघात पहुंचा। सन् १९२१ के अगस्त सितम्बर माह में मानावार के मोपला ने असहयोग हिन्दुओं का मोत के घाट उतार दिया हिन्दू स्त्रियों का शीलभंग किया तथा इन पर अनेक अत्याचार किये। सरकार ने इन अत्याचारों के प्रति उचित विवरण प्रकाशित कराए फलस्वरूप देश में तनाव पैदा हुआ। मलतान में भी मुसलमानों ने अनेक हिन्दुओं को मार डाला उनकी सम्पत्ति लूट ली या नष्ट कर दी। सन्तारनपुर में भी ऐसी ही घटनाएं घटित हुईं। खोहर में ६ एवं १ सितम्बर को घिस हजार व्यक्तियों पर अत्याचार किए गए। एक घमासान मुसलमानों ने आयसमाज के स्वामी अज्ञान-द की रांगी शया पर हा हत्या कर दी और कुछ अन्य आयसमाज के नेताओं की भी हत्या कर दी गयी।

मुसलमानों द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यों से हिन्दू जनता निलमिला उठा। हिन्दू महासभा की स्थापना १९१८ ई. में हो गयी थी किन्तु अपने गणवन्धन में यह सस्था जनता को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकी और इस सस्था का प्रभाव कुछ हिन्दुओं तक ही सीमित रहा। खिलाफत आन्दोलन असहयोग आन्दोलन धार्मिक आन्दोलन और मोपला के अत्याचारों ने हिन्दुओं में जाग्रत पैदा कर दी

तथा व शान्तिमान मन्त्र मन्त्रकार के रूप में। कुछ प्रभावशाली विचारों के साथ मन्त्रमोहन मानवीय शांति वातावरण का मन्त्र और स्वामी श्रदान का राष्ट्रीय वाद्यमन्त्र कायम करने की विचारों को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय का नारा स्वराज्य के लिए विचारों के साथ मन्त्रमोहन का वाद्यमन्त्र कायम करने की विचारों को प्रोत्साहित किया। उनकी यह धारणा थी कि त्रिनिदाद सरकार के साथ मन्त्रमोहन के शांति प्रकाशक बनने की नीति में प्रयोग है। हिन्दू महासभा के विचारों के साथ मन्त्रमोहन का वाद्यमन्त्र कायम करने की विचारों को प्रोत्साहित किया। उनकी यह धारणा थी कि त्रिनिदाद सरकार के साथ मन्त्रमोहन के शांति प्रकाशक बनने की नीति में प्रयोग है। हिन्दू महासभा के विचारों के साथ मन्त्रमोहन का वाद्यमन्त्र कायम करने की विचारों को प्रोत्साहित किया। उनकी यह धारणा थी कि त्रिनिदाद सरकार के साथ मन्त्रमोहन के शांति प्रकाशक बनने की नीति में प्रयोग है।

दण्ड म हिन्दू एकात्मता का नारा देना शुरू किया गया। एकात्मता का प्रसार सगठन बुद्धि और प्रवृत्ताकार था। सार दण्ड म विचारों के साथ मन्त्रमोहन का वाद्यमन्त्र कायम करने की विचारों को प्रोत्साहित किया। उनकी यह धारणा थी कि त्रिनिदाद सरकार के साथ मन्त्रमोहन के शांति प्रकाशक बनने की नीति में प्रयोग है। हिन्दू महासभा के विचारों के साथ मन्त्रमोहन का वाद्यमन्त्र कायम करने की विचारों को प्रोत्साहित किया। उनकी यह धारणा थी कि त्रिनिदाद सरकार के साथ मन्त्रमोहन के शांति प्रकाशक बनने की नीति में प्रयोग है।

दण्ड म एक और साम्प्रदायिकता का नारा उठाया गया। दण्ड म दलितों के साथ मन्त्रमोहन का वाद्यमन्त्र कायम करने की विचारों को प्रोत्साहित किया। उनकी यह धारणा थी कि त्रिनिदाद सरकार के साथ मन्त्रमोहन के शांति प्रकाशक बनने की नीति में प्रयोग है।

गांधीजी के कार्यक्रम में विश्वास न लेने से कांग्रेस को याग दिया था। सन् १९२३ में मि. जिन्ना ने 'नीग' का नेतृत्व ग्रहण कर दिया तथा घनगाव और प्रतिश्रियावाट की नीति का वरण किया। पत्रस्वरूप मि. जिन्ना की मुस्लिम नीग और महामा गांधी की कांग्रेस में विरोध की शक्ति बलवन्त नहीं।

हिन्दू मसजिदों के मध्य बहने हुए पत्थर और साम्प्रदायिक श्यों ने गांधीजी को काफी चिन्तित कर दिया। उन्होंने यह अनुभव किया कि 'मसजिदों' को जड़ से ही नष्ट कर दिया जाता चाहिए और यदि यह सम्भव नहीं हुआ तो यह दण्ड के लिए अत्यन्त अर्थात्पूरण होगा। हिन्दू श्यों और मसजिदों के मध्य बह रही शरण को पाटन के उद्देश्य से गांधीजी ने १८ सितम्बर १९२४ ई. का २१ श्यों का उपवास-ग्रहण प्रारम्भ किया। गांधीजी को उपवास-ग्रहण में विरत करने की शक्ति से दिल्ली में एकता अधिवेशन आमन्त्रित किया गया। यह एकता अधिवेशन छ दिन चला। श्रीमती विमला गोखले धनी श्रीम. अजमल खान स्वामी अहमदनन्द मोतीलाल नहरो मदनमोहन मालवीय आदि वर्य सम्मिलित हुए। गांधीजी अपने ग्रहण पर वायमर। हिन्दू-मसजिदों में सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न सक्रिय कर लिए गए। नवम्बर में कांग्रेस अध्याय मौजाना मोहम्मद धनी ने सम्बन्ध में सवधान अधिवेशन आमन्त्रित किया। अधिवेशन में स्वराज्य का अधिवेशन बनाने और साम्प्रदायिक हृदय निवारने 'नु. १' मस्यदा की एक समिति का निर्माण किया गया। यह समिति को अपना अधिवेशन ३१ मार्च १९२५ ई. के पूर्व दिन को कहा गया। यह अधिवेशन में हिन्दू मसजिदों का एकता का बड़ा बहने के लिए कुछ आधारभूत सूत्र भी स्वीकृत किए गए। दोनों सम्प्रदायों के नेताओं के प्रयासों के पत्रस्वरूप साम्प्रदायिक दण्ड कुछ समय के लिए बल हो गए। मुस्लिम नीग ने सन् १९२४ के अपने अधिवेशन में भाग लेने के लिए श्री मोतीलाल नहरो सरकार वर्यमोहान पत्र एवं श्रीमती विमला का आमन्त्रित किया। नीग की नीतियों में नया मातृ दृष्टिकोण होना लगा। नीग के शक्तिशाली म. अन्तर ध्यान का मुख्य कारण पुनः सवधान अधिवेशन स्वार्थी दृष्टिकोण था। मसजिदों नेता यह अनुभव करने लगे थे कि सुधारों का दौर प्रारम्भ होना चाहा है। फरवरी १९२६ में मोतीलाल नहरो ने कान्धीय विधानमन्त्रा में दण्ड में उन्मत्तापी सरकार स्थापित करने के लिए अधिवेशन बनाने हनु एक गांधीमज-सम्भवत बनाने का प्रस्ताव रखा था। सरकार की ओर से सर मलकम हनी ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार सन् १९१९ के सुधारों में निहित दोषों की जांच करायगी और नए सुधारों के लिए सुझाव देने के लिए एक समिति गठित करेगी। सरकार ने 'गांधी श्री मन्मोहन के नेतृत्व में एक समिति गठित करनी। सन् १९२५ के प्रारम्भ में वायसराय त्रिपथि सरकार से परामर्श करने के लिए त्रिपथि गये। भारत में यह आशाएँ बनने लगीं कि सरकार 'गांधी' कुछ सुधार करने वाला है। 'गांधी' श्री मन्मोहन समिति का सुधारों के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध प्रकाशित हुआ गया। महाजन-समिति के सुझाव बड़े निराशाजनक थे। दोनों सम्प्रदायों में पुनः तनाव बढ़ने लगा। जुलाई १९२५ में 'इनाहावा' कथकता 'नी' प्राँ

शहरा में साम्प्रदायिक रूप से हुए। सन् १९२६ में कुन मिलाकर तीस साम्प्रदायिक रूप से हुए तथा स्वामी यद्वानाजी की हत्या हुई। पन्चवर्षीय दश में साम्प्रदायिक द्वेष अतनी चरम सीमा पर पहुँच गया।

काग्रस क सिम्वर १९६ के गोहाटी अधिवेशन में काग्रस कायममिति में हिन्दू मुसलमान नेताओं से मिलकर साम्प्रदायिक तनाव को दूर करने का प्रयास करने का आग्रह किया गया तथा तत्पश्चात् लिए गए प्रयासों के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन ३१ मार्च १९२७ ई तक प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया। काग्रस अध्यक्ष श्री श्रीनिवास आग्रगर ने पीछ ही हिन्दू मुसलमान नेताओं ने जानचीन प्रारम्भ की। श्री मुसलमान मानवीय ने समुक्त निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। मि जिना ने इसका स्वागत किया। श्री जिना समुक्त निर्वाचन का प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए मत्पत हो गए किन्तु तम सम्बन्ध में उन्होंने कुछ शर्तें रखीं। गतें निम्नलिखित थी -

- (१) सिंध को पृथक प्रान्त बनाया जाए।
- (२) उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त एवं बंगाल प्रान्त को प्राय प्रांतों के समकक्ष दर्जा प्रदान किया जाए।
- (३) पंजाब और बंगाल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुसात में रहे और
- (४) केरल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व एक तिहाई से कम नहीं हो।

काग्रसी नेता हिन्दू मुसलमान एकता के लिए अत्यन्त व्यग्र एवं उत्सुक थे अतः काग्रस क सम्बन्ध अधिवेशन में काग्रस कार्यकारिणी ने मि जिना की उक्त शर्तें स्वीकार करलीं। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि दोनों सम्प्रदायों में आपस में मेला लग गया है परन्तु मुस्लिम लीग भी पंजाब गांधी ने पीछ ही लीग की उक्त शर्तों गतों की आलोचना प्रारम्भ कर दी और तसक फलस्वरूप एकता के प्रयासों को भयंकर घाघात पहुँचाया। सन् १९२७ क प्रीथम-बान में बिहार समुक्त प्रान्त पंजाब मध्य प्रान्त आदि में भयंकर दंगे हुए जिनमें असंख्य व्यक्ति मारे गये।

उसी समय जब हिन्दू-मुसलमान नेता दोनों सम्प्रदायों में एकता के प्रयास में जुट हुए थे अथ ज-भरकार भारत में सुधार करने के सम्बन्ध में विचार कर रही था। मुन्नीमैन समिति का प्रतिवेदन सिम्वर १९२५ ई में कर्णीय विधानमण्डल के सम्मुख विचाराराय रखा गया। श्री मातीरान नेट्ट न भारत को उपनिवेश का दर्जा प्रदान करने और शानमज अधिवेशन की राष्ट्रीय माँग कर्णीय विधानमण्डल के सामने रखी। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने इस माँग से अमहमनि प्रकट की पन्चस्वरूप उनके कायकान में तम सम्बन्ध में कुछ भी नहीं हुआ मका। लॉर्ड रीडिंग के स्थान पर लॉर्ड इरविन अग्रत १९२६ ई में वायसराय नियुक्त हुए। भारत में घटित साम्प्रदायिक दंगों से उन्हें काफी घाघात लगा। तान् अरविन एक उदारचरता पार्थिक निष्ठावाला व्यक्ति थे तथा वे गांधीजी के विचारों से भी प्रभावित थे। अतः उन्होंने एक अनुभव किया कि नये संविधान का निर्माण और हिन्दू मुसलमान सहयोग दोनों ही आवश्यक हैं। उन्होंने २९ अगस्त १९२७ ई को कर्णीय विधानमण्डल में भाषण

दोनों समय दोनों सम्प्रदायों से हत्याकांड को त्यागकर सहयोग से कार्य करने का आग्रह किया। मोराना शीकत अनी ने वायसराय को भावनाओं का आदर करते हुए शिमला में दोनों जातियों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आमंत्रित किया। यह सम्मेलन १६ सितम्बर से २२ सितम्बर तक चला परन्तु बिना किसी निराय और समझौते के समाप्त हो गया। काँग्रेस अध्यक्ष श्री श्रीनिवास आय्यर ने पहचान कर कानकता में पून २७ अक्टूबर को एकरा सम्मेलन आमंत्रित किया। इस एकता सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकृत कर जिसमें मुसलमानों के आचरण के वास्ते कुछ सिद्धान्त निर्धारित किए गए। परिणामस्वरूप मित्रता की भावना धन पदा हो गयी जो अधिक समय तक कायम न रह सकी। नवम्बर १९२७ ई में ब्रिटिश सरकार ने सुधारों पर विचार करने के लिए एक कमीशन की स्थापना की जो सामान्य कमीशन के नाम से विख्यात है।

(२) साइमन कमीशन की नियुक्ति

कमीशन के जीवन का १९१९ ई का अधिनियम में ही प्रारंभ होने से। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि दस वर्ष के पश्चात् एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी जो माण्डेयू चेम्सफोर्ड सुधार-अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित व्यवस्था का निरीक्षण करेगा और उस वक्त का पता लगायेगा कि उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति के लक्ष्य के लिए भारतवर्ष में किस सीमा तक और सुधार किये जाए। निश्चित प्रणाली का। इस कमीशन की नियुक्ति सन् १९३१ में होनी थी। सन् १९१९ के सुधार अधिनियम का प्रारम्भ सन् १९२१ में हुआ था। परन्तु ब्रिटिश सरकार ने निम्न कारणों से चार वर्ष पूर्व ही उसकी नियुक्ति कर दी—

१ भय और अविश्वास की भावना

कुछ लेखकों का विचार है कि उस समय अंग्रेजों में ससदक चुनाव होने का भय और उम्मेद मजदूर दल की विजय निश्चित थी। टोरी दल की इच्छा थी कि कमीशन की नियुक्ति का कार्य मजदूर दल पर न गेना जाय क्योंकि यह सम्भव था कि मजदूर दल भारत की स्वराज्य की मांगों को पूर्णरूप से स्वीकार करेगा। परन्तु यह कथन कबल आंगिक रूप से ही प्रतीतिपूर्ण एवं निर्णायक प्रतीत होता है।

३ राष्ट्रीय आन्दोलन की घबहरी आग

वास्तव में इस कमीशन की नियुक्ति का मुख्य कारण राष्ट्रीय आन्दोलन का बढ़ना हुआ पभाव था। यह कटना अनुचित नहीं होगा कि कमीशन की नियुक्ति सवधानिक प्रगति के साथ साथ अमन की नीति के आधार पर हुई थी। जिस प्रकार मॉन्टेसि। सुधार अधिनियम बवाल विभाजन के घाव को पूरन के लिए प्रदान किया गया था उसी प्रकार इस कमीशन की नियुक्ति का लक्ष्य था अविशवाला आग के कारण उत्पन्न हुए भारतीयों की सदुभावना और सहानुभूति

पुन प्राप्त करना।

सादमन कमाशन का बहिष्कार

सादमन कमाशन के सार सम्बन्ध अत्र तथे। भारत सचिव नाथ ब्रनरड का पहलू हा बताया गया था कि कमाशन में गार अत्र त हान के कारण भारत में हमका विगत किया जाण्णा परन्तु उन्हें हम बात का कार्य विन्ता न थी। उन्होंने यह क कि कमाशन में भारतीयों का नना समक नहा है क्योंकि हम त्रिनिगि समक का सवधानिक मुयाग के वार में प्रतिवन्दन करा था। हमक प्रतिनिक्त त्रिनिगि सरकार न यह भी तव किया कि भारत में अत्र तन ह। यदि किसी एक तल के प्रतिनिधियों का हममें सम्मिलित किया जाता है तो दूसरे दन हमका विराध करें और यदि एक दल के सम्बन्धों का कमीशन में शामिल कर लिया जाता है तो उनकी सम्बन्ध सभ्या बन्तु हा जाएगा। परन्तु वास्तविकता यह था कि ब्रिटिश सरकार १८१६ के अत्रिनियम के अन्तर्गत भारतीयों का सवधानिक प्रगति का जांच का प्रयत्न बात अत्र त हाथ में ही रक्षना चालता थी।

कमाशन में चू कि किया भारतीय का नहीं किया गया अत्र भारतीयों न हम अत्र मानवतक समझा। सभा तथा न हमक बहिष्कार का निन्द्य किया। ७ फरवरी १९२८ के कमाशन के सम्बन्ध पत्रिका पर उनक विच्छेद प्रकृत हुए। दश में जहाँ भा कमाशन गया वहाँ काव में हुआओं और प्रकृत स हमका स्वागत किया गया। सादमन वापस जाभा के गार दगाए गए। जब कमीशन लाहौर पहुँचा तो हमक विच्छेद दादा राजपतराय के नटव में बना भारी जुलूस निकाला गया पुनिस अधिकांग सादमन न लाना राजपतराय पर ताठा स सकल प्रद्व किन फन्तु लाताजा का सकल चले आया और कुच्छ शिनों वान उनका दहान्त हा गया। हममें भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर बन्तुगत हुआ। इससे सरदार भगतसिंह और अत्र शक्तिशालियों का बत क्राय प्राया और उन्होंने इसे राष्ट्रीय अत्र मान समझा। भगतसिंह और चन्द्रशेखर आजाद न मिनवर सादमन की हत्या करी। जब कमीशन नसनरु पहुँचा तो पंडित गाबिल्ल वन्तु पन् और जवाहरलाल नेहरू के नटव में प्रकृत हुए। वहाँ भी पुनिस न अत्र अत्राचार किए। हम प्रकार हम अत्र हैं कि सादमन-कमीशन की नियुक्ति भारतीयों के गल नहा अत्र सवी और अत्रों के प्रति जा पूरा का भावना थी वह सादमन कमीशन के विराध स्वरूप प्रकृत ।

सादमन-प्रतिवन्दन

कड विराध के बावजूत कमाशन न सामन प्रकृत की व्यदम्भा किया क विक्रम और त्रिनिगि भारत में प्रतिनिध्यात्मक सम्थाभा का प्रगति का निरीक्षण करन का और वन्तु बतलान का कि किस सामा तक उत्तराया सरकार का व्यापक रूप प्रकृत करना अत्र मान करना अथवा प्रतिबन्ध लगाता उचित हागा ध्यान में रखकर एक प्रतिवन्दन तयार किया।

यह प्रतिबन्धन १९ ई में प्रस्तावित हुआ और इसके निम्न मुख्य उपबन्ध -

(१) बोहरे शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वराज्य का प्रारम्भ

प्रांता में सन् १९१६ के अधिनियम के अनुसार शुरू किया हुआ दास्य शासन अनेक दोषों और साम्प्रदायिक विषयों के कारण सफल नहीं हो सका था अतः इसका समाप्त करके प्रांता का स्वायत्तता दी जाए सारा प्रांतीय शासन मंत्रियों को सौंप दिया जाए प्रांतों में गवर्नरों को विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाए ताकि वे विषय परिस्थितियों में मंत्रियों का सहाय की उपयोगी कर सकें और अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकें।

(२) गवर्नर और गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियों का सवय में

कमीशन ने सिफारिश की कि प्रांता और केन्द्र में अल्पमतों की हितों की रक्षा के लिए गवर्नर और गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियाँ दी जाए। प्रांतों और केन्द्र में शासन ठीक से चलाने के लिए भी गवर्नरों और गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिए जाए। गवर्नर का यह भी अधिकार दिया जाए कि वह अपने मंत्रिमंडल में एक या अधिक अनुभवी सरकारी अधिकारी सम्मिलित कर सकें। मंत्रियों को गवर्नर या गवर्नर जनरल के प्रति जिम्मेदार न बनाया जाए बल्कि प्रांतीय विधानमण्डल के प्रति ही जिम्मेदार बनाया जाए।

(३) मताधिकार का विस्तार

१९२६ ई में भारत की कुल २८ प्रतिशत आबादी को मताधिकार प्राप्त था। इसलिए कमीशन ने मताधिकार के विस्तार के लिए सिफारिश की और कहा कि कम से कम १ या १५ प्रतिशत आबादी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने चुनाव में साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति को कायम रखने का भी सुझाव दिया।

(४) केन्द्र में अनुत्तरदायी सरकार

कमीशन ने केन्द्रीय विधानमण्डल को केन्द्रीय सरकार पर नियंत्रण करने की शक्ति न देने का सुझाव दिया। कमीशन ने शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता पर बल दिया। कमीशन ने स्पष्ट रूप से यह मत व्यक्त किया कि जब प्रतिरक्षा की समस्या ठीक तरह हल हो जाए इसके बाद ही केन्द्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बारे में सोचा जाए।

(५) प्रांतीय विधानमण्डलों का विस्तार

शाहमन-कमीशन ने यह सिफारिश की कि प्रांतीय विधानमण्डलों का विस्तार किया जाए और अधिक महत्वपूर्ण प्रांतों में २ से लेकर २५ तक सदस्य शामिल किए जाए। प्रांतीय विधानमण्डलों में सरकारी अधिकारी बिल्कुल न रहें और नामजद सरकारी अधिकारियों की संख्या विधानमण्डल की समस्त संख्या के सबसे भाग से अधिक न हो। जिन प्रांता में मुसलमानों की संख्या घटी हो वहाँ पर मुसलमानों को विधानमण्डलों में विशेष प्रतिनिधित्व दिए जाने की व्यवस्था हो।

(६) बृहत् भारत परिषद् की स्थापना की सिफारिश

भविष्य भवना की सभावनाओं को यान में रखकर कमिशन ने सिफारिश की कि भारत के लिए एक ऐसी परिषद् की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश प्रान्तों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हों और वे कुछ साझे मामलों पर विचार कर सकें। कमिशन ने कहा कि अभी ऐसा समय नहीं आया है कि देशों रियासतों और ब्रिटिश प्रान्तों का मध्य स्थापित किया जा सके। यह तो भविष्य में ही संभव हो सकता है।

(७) केन्द्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन

कमिशन ने संघीय आधार पर केंद्रीय विधानमण्डल को दुबारा संगठित करने की सिफारिश की। केन्द्रीय विधानमंडल में भारतीय संघ में शामिल होने वाले प्रान्तों के प्रतिनिधि शामिल हों। देशी रियासतों के प्रतिनिधि देवन उस समय ही शामिल हो सकते हैं जब वे संघ में मिलाए जा सकें। राज्यसभा को संघीय आधार पर संगठित किया जाए। दोनों सदन में अल्पसंख्यकों के लिए भी कमिशन ने सिफारिश की।

(८) प्रान्तों के सम्बंध में

बर्मा को भारत से सिंधु को बम्बई में वृद्ध कर दिया गया। उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त को प्रांतीय स्वराज्य देने में इत्तफाक कर दिया गया।

(९) सेना के सम्बंध में

कमिशन ने सेना के भारतीयकरण की आवश्यकता का भी अनुभव किया परंतु यह कहा कि जब तक भारत अपनी रक्षा के लिए पूर्णरूप से तैयार नहीं हो जाता तबतक अंग्रेजी सेनाओं का भारत में रहना अनिवार्य है।

(१०) गृह तैयारी

कमिशन ने सिफारिश की कि भारत-सचिव को परामर्श देना के लिए भारत परिषद् को कायम रखा जाए परंतु इसकी शक्ति में कमी की जाए। नागरिक सेवाओं तथा पुलिस सेवा में भर्ती पढ़ने की तरह ही की जाए।

(११) नया संविधान

हर दस वर्ष के बाद भारत की संवैधानिक प्रगति की जांच पड़ताल पद्धति को छोड़ दिया जाए और नया संविधान इस लक्ष्योपेक्ष से तैयार किया जाए कि वह स्वयं ही विकसित हो सके।

इससे यह ज्ञात होता है कि ये सिफारिशें भारतीयों के असंतोष को कम करने के लिए की गयी थीं।

प्रतिक्रिया

साइमन कमिशन के प्रतिवेदन के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कृपाड ने प्रभावशाली शब्दों में लिखा था मई सन् १९०६ में प्रकाशित साइमन प्रतिवेदन द्वारा ब्रिटिश राजनीतिशास्त्र के पुस्तकालय में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रन्थ की वृद्धि हुई है। साइमन कमिशन पर अपनी प्रतिक्रिया में सर तेजबहादुर सप्रू ने

भारतवर्ष के लोग का बड़े ही सुन्दर गानों में व्यक्त किया है भारतीयों का बहिष्कार विरुद्ध रूप में भारतीयों का अपमान और तिरस्कार है क्योंकि यह बात बनकर उठने निम्न स्तर पर ही नहीं रह सकती बल्कि इससे भी अधिक दुर्घटित बात यह है कि इसका द्वारा स्वयं अपने देश के विधान के विरुद्ध बनने में उह भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। एक अन्य विधान न अपनी प्रतिशिक्षा व्यक्त करते हुए कहा था 'मेरी बं डर में फाड़कर फक दना चाहिए।' १७७१ में प्रथम संसद का अनुसार 'संसद के म उत्तर विरुद्ध के मुख्य तथा मन्त्रियों पर प्रश्न पर कोई ध्यान नहीं किया है। उन्हीं संसद के म प्राय निराला है 'संसद अनुसार गवर्नर जनरल गाहजहा में अधिक शक्तियाँ और गाहजहा में भी अधिक अनुत्तरायी बन गया हुआ। मिरर ए बी कीय के मनानुसार भारतीयों द्वारा सामान्य कामीशन का अधिकार करना एक प्रतिशुद्ध कदम था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिवेदन पर मित प्रतिशिक्षाएँ हुईं।

सामान्य कामीशन के प्रतिवेदन का मूल्यांकन

सा मन्त्र कामीशन के प्रतिवेदन में अनन्त कामिया थीं। प्रतिवेदन में अधिराज्य स्थिति या अधिनियमिक स्वराज्य का बड़ा शिक तक न था। केन्द्र में उत्तरायी सरकार की स्थापना के लिए कुछ भी नहीं कहा गया था और प्रतिशिक्षा विभाग भारतीयों के हाथ में नहीं मीठा गया था। प्रान्तों को स्वराज्य या स्वायत्तता देने की सिफारिश की थी परन्तु उसका गवर्नर की विशेष शक्तियाँ द्वारा सीमित कर दिया गया था। अतः यह स्वाभाविक ही था कि भारतीय इसका हृदय से स्वागत नहीं कर सकें। यही न 'पक्षी' निराला की। १७७१ के अनुसार इस प्रतिवेदन का सबसे बड़ा दोष यह था कि 'संसद अधिराज्य' असन्तुष्ट आन्दोलन से सारे देश में पैदा हुए परिवर्तन तथा जनता की अभिलाषाओं की उपस्था की इसने उम भारत को अपने सम्मुख रखा जो राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भ होने के लिये पूरे या राष्ट्रीय जागृति के परिणामस्वरूप उनीयमान युवक भारत का असम परिचय नहीं मिलता। महत्त्व

यद्यपि इस प्रतिवेदन को भारतीयों ने काई महत्त्व नहीं दिया और ब्रिटिश मजदूर दल न भी इसको महत्त्वहीन समझा तथापि १९५ ई के अधिनियम में इसकी बहुत सी अन्वैयी बातों को अपना लिया गया। सन् १९३५ में प्रान्तों को जो स्वराज्य प्रदान किया गया और अल्पमतों के हितों की रक्षा गवर्नरों का जा विशेष शक्तियाँ प्रदान की गयीं उन सब का आधार यही प्रतिवेदन था। इस प्रतिवेदन द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह पूरा रूप से विदित हो गया कि सन् १९१९ के अधिनियम के अंतर्गत प्रान्तों में बनाया हुआ दोहरा शासन विन्तुन असफल हो गया है और भारतीयों को स्वशासन के माय पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

(३) नेहरू-प्रतिवेदन

नेहरू प्रतिवेदन का निर्माता नेहरू-समिति वास्तव में सामान्य कामीशन का जिम का पन्त बड़ा ही दुःसह हुआ था बड़ा सुसह परिणाम थी। तत्कालीन भारत सचिव

सॉड ब्रकनहेड के भारतीय राजनीतियों के सम्बन्ध में प्रत्येक विचार नहीं थे। वे यह मानते थे कि भारतवासी औपनिवेशिक स्वराज्य के योग्य नहीं हैं साम्प्रदायिक द्वेष की दरार पाटी नहीं जा सकती। २६ नवम्बर १९२७ ई. को माईमन बंगीगन की नियुक्ति के बारे में बातले समय लाड ब्रकनहेड ने भारतीयों को ऐसा मविधान बनाने की चनौती दी जिमसे सभी भारतवानों सम्मत हो। उन्होंने कहा बंगीगन के बहिष्कार में कोई सम्भव नहीं है। जबकि भारतवामी स्वयं ऐसा कोई मविधान तयार करने में असमर्थ हैं जिसे भारत के सभी दल स्वीकार करते हों। भारतीय नेताओं ने भारत सचिव की इस चनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने भारतसचिव के यद्दयत्र को विषय करण का निश्चय कर लिया। सीगन अपने ब्रकनहेड अधिवेशन में एकता सम्मेलन के प्रस्ताव की रूप रेखा के आधार पर हिन्दू मुसलमान तथा का प्रस्ताव पारित किया। निसम्बर १९२७ ई. की मणस काग्रस न काग्रस कायसमिति को सर्वसम्मत मविधान तयार करने हेतु एक मयित भारतीय सम्मेलन आयोजित करने का आदेश दिया। काग्रस कायसमिति ने अनेक राजनीतिक दलों को आमंत्रण भेजा दिल्ली में फरवरी मास में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन की कुल २५ बठकें हुई परन्तु हिन्दू महासभा एवं तोग के स्वयं के पत्रस्वरूप साम्प्रदायिक प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ भी निष्पत्ति नहीं हो सका। कुछ मौनिक बातों का उग्य करने के पश्चात् सम्मेलन स्थगित हो गया। १ मई १९२८ ई. को दम्बर म हाकी पन बठक हुई परन्तु इस समय तब काग्रस एवं तोग के मतभेद और भी गहरे हो गए थे। इस सम्मेलन ने सावजनिक रूप से सम्मेलन की आयोजना स्वीकार करने का स्थान पर एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष मातीलान नेहरू और सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। श्री सुभाष बोस सर नेजवहान्तर मप्र कुरेणी सरदार मगनसिंह श्री एम एम अणे सर अली अमाम और श्री जी आर प्रधान इसके अध्यक्ष सदस्य थे। इस समिति को भारतवप के लिए विधान के सिद्धांत निश्चित करने तथा उन पर विचार करने का कार्य सौंपा गया तथा सौंपा हुआ कार्य १ जुलाई १९२८ ई. के पूर्व पूरा करने का आदेश किया गया।

नेहरू प्रतिवेदन का सार

समिति ने एक निरन्तरस्थीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे भारतीय बुद्धिमत्ता का प्रथम प्रयास कहा जा सकता है। यह प्रतिवेदन सर्वधार्मिक विचारों के इतिहास में नेहरू रिपोर्ट का नाम से प्रसिद्ध है। नेहरू प्रतिवेदन का मुख्य विन्दु निम्न प्रकृतित है —

(१) औपनिवेशिक स्वराज्य तथा पूरा उत्तरदायी शासन

अद्यपि इस समिति का दृष्टिकोण औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में था परन्तु कुछ सदस्य पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में भी थे। इससे भारत का लिए औपनिवेशिक स्वराज्य अन्तिम उद्देश्य के रूप में नहीं बल्कि तात्कालिक उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया। समिति ने उन सब दलों का जो पूरा स्वतंत्रता चाहते थे काय करने को पूरा

स्वतंत्रता दे दी। वेच और प्रांतो मे पूरा उत्तरदायी शासन स्थापित कर काय कारिणी को व्यवस्थापिका क प्रति उत्तरदायी बनाए जान की बात कही गई थी।

(२) प्रांतीय स्वायत्तता तथा त्विष्ट शक्तियां

समिति न भारत के लिए भविष्य में मध की सभावना प्रकट की। इसने प्रांतो को स्वायत्तता दान पर विरोध वा किया। प्रांतो और केच में मवगित शक्तियां कच के पाम रखी गईं। यह कनाडा क घाटग को मानकर किया गया ताकि कच शक्तिशाली रहे। प्रांतो में कानून बनाने क लिए एक सभन होगा।

(३) साम्प्रदायिक धमनस्य के निराकरण क सवध मे

साम्प्रदायिक मतभेद की समस्या का स्मरणीय एवं निष्पक्ष वि नेषण करते ए प्रतिवेदन में लिखा गया था। साम्प्रदायिक धमनस्य क सवध में तक प्रथवा भावनाओ से कुछ नहीं हो सकता और सभन ३ समस्या का हल इसी में है कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में से दूसरे व्यक्ति क निराधार मय को मिटा दिया जाए और समग्न जातियो को सुरक्षा का आवासन दिया जाए। ए सुरक्षा की प्राप्ति के हेतु प्रत्येक श्व अपन स्वयं क लिए स्थिति को प्रभावशाली बनाना चाहता है। हमें इस दान का म है कि कुछ जातियो के प्रतिनिधियो की धन्तगान की भावना यह नहीं है कि स्वयं जीवित रहें और दूसरे को भी जीवित रहने दें। सुरक्षा की इस भावना को बन देने हेतु प्रिचन में कुछ उपायो का उल्लेख किया गया। इसमें कहा गया सुरक्षा को सभावना को प्रदान करने के लिए कुछ स्वत और अधिकार की जहा तक सभव हो सके वहा तक सारकृतिक स्वतंत्रता की स्वीकृति हो। कुछ स्थार्क प्रस्तावा गरा जातीय धमनस्य को दूर करने के सवध में समिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किए —

(अ) विधान में अधिकारो की घोषणा को स्थान दिया जाए जिसमे समस्त जातियो को धम और सस्टुति सवधी स्वतंत्रता दी जाए।

(ब) उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त और सिंध को (मुसलमानो का बहुमत होने के कारण) बम्बई से पृथक स्वतंत्र प्रांत रूप में स्वीकार कर लिया जाए।

(स) एम प्रतिवेदन में पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया। म सवध में प्रतिवेदन में यह मम्भति पकट की गई कि जहा मुसलमान आसम्पक हैं वहा पर उनको विशेष सुविधाएं प्रांन की जाए तथा जहा पर हिंदू आसम्पक हैं वहा पर उनका भी विशेष सुविधाएं प्रांन की जाए।

(४) नए प्रांतो का निर्माण

मुसलमान बहुत समय से ही यह मांग कर रहे थे कि सिंध को बम्बई से अलग कर लिया जाय और उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त को दूसरे प्रांतों के समान दर्जा दिया जाए ताकि पंजाब बंगाल तथा सिंध में उनका बहुमत हो जाए। मुसलमानो की यह मांग स्वीकार करनी गई।

(५) भौतिक अधिकार

प्रतिवेदन में कहा गया कि सरकार की शक्तियो को लोगों से ही ग्रहण किया

गया है ढत के ढोगों की सस्वाभों द्वारा इस संविधान के ढनुसार ढयोग में लाई जाएगी । उसका ढय यह है कि सत्ता ढोगों के हाथ में रहेगी । ढारत में कोई भी राजधम नहीं होगा । पुढ्या और स्त्रिया की नमान ढधिवार ढिलेंगे ।

(६) ससद का स्वरूप

ढारत सरकार की ढानूनी सक्तिर्षा ससद के पास रहेगी जो सढ्राट की सीनेट और प्रतिनिधि सढा से ढिलकर बनेगी ।

सीनेट ढ २०० सदस्य होंगे जो ढ्रांतों की विधानपरिषदों द्वारा चुने जाएंगे । ढत्येक ढ्रांत को उसकी ढावादी के ढनुसार प्रतिनिधित्व ढिया जाएगा । प्रतिनिधि सढा ढे ५ सदस्य होंगे जो ढालिगों द्वारा चुने जाएंगे । २१ ढय या ढधिक ढायु ढाले ढत्येक उस ढक्ति को जो ढानून द्वारा ढयोग्य ढोषित न ढिया ढाए ढ्रांत्रीय विधान परिषदा ढं ढताधिवार होगा । विदेशी ढामलों ढे ससद को ढही ढधिकार होंगे जो ढय ढधिराढ्या की ससदों को हैं ।

(७) ढारतीय रियासतों के सढ्ढघ ढे

ढौपनिवेगिक स्वराढ्य की ढ्राप्ति के ढाद ढेनीय सरकार को ढेगी रियासतों के ऊपर ढही ढधिकार होंगे जो ढब ढेनीय सरकार को ढ्राप्त हैं । ढदि ढौपनिवेगिक स्वतन्त्रता के ढाद ढेगी रियासत से किसी सवि या ढनद के विषय ढें ढगढा हो जाए तो गवर्नर जनरल को ढपनी ढन्त्रिपरिषद् की सलाह से उस ढामले को सर्वोढ ढ्याढानय ढे ढसले के ढिए ढौपने को तयार होना होगा ।

(८) ढेनीय ढायकारिणी

ढारत की ढायकारिणी ढक्ति सढ्राट के पास रहेगी और ढह सक्ति गवर्नर जनरल द्वारा सढ्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से ढयोग की जाएगी । गवर्नर जनरल की एक ढायकारिणी परिषद् होगी ढिसढ ढ्रधानढन्त्री और ६ ढन्य ढन्त्री होंगे । ढ्रधानढन्त्री की ढियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा होगी और उसकी सलाह से ढन्य ढन्त्रियों की ढियुक्ति होगी । ढेनीय ढायकारिणी ढय ढामनों के लिए साढ्ढहिक रूप से ससद के ढ्रति उत्तरढायी होगी ।

(९) उढ्ढतढ ढ्याढानय

ढारत ढ एक उढ्ढतढ ढ्याढानय की स्थापना करने और ढ्रिबी ढौसिल को की जाने ढाली तढाढ ढपौढा को ढट करने का ढुढ्ढार ढिय ढ सर्वोढ्ढ ढ्यढालढ सविधान की ढ्याढ्या ढरेषा और ढ्राता के ढ्रापती ढगढी का ढिएढ ढरेषा ।

(१) ढ्रतिरढा और सेना के सढ्ढघ ढे

ढ्रधानढन्त्री ढ्रतिरढा ढन्त्री ढ्रधान ढेढाढति ढायुसेढा और ढलसेढा ढ सेढाढति जनरल स्टॉफ के ढध्यक्ष तथा ढो ढन्य सनिक विढापढा को ढिलाकर एक ढ्रतिरढा-सढिति ढनायी जाएगी । ढारतीय सेढाढी ढ सढ्ढ घ ढ तढाढ ढियढ और ढनियढ इस सढिति की सिढाढिषा के ढनुसार ढनाए जाएँगे ।

(११) परराष्ट्र सम्बंध

विदेश-नीति के सम्बंध में यह सम्मति प्रकट की गयी कि इस प्रकार स्थापित भारत की नवीन सरकार एंग्लो के अथवा फ्रांसीसी के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति को सफल बनाने में वर्तमान सरकार के समान ही योग्य सिद्ध होगी। यह निश्चित किया गया कि विदेश-नीति से सम्बंधित महत्वपूर्ण विषयों का निणय इस नवीन उपनिवेशों तथा ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अथवा सदस्यों द्वारा पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा किया जायगा।

नेहरू प्रतिवेदन की विशेषताएँ

नेहरू प्रतिवेदन अपनी विषयताओं के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं सवधानिक विकास में विनाश महत्त्व रखता है। उसकी मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं —

(१) यदि साइमन कमिशन और उसकी रिपोर्ट का महत्त्व केवल उसके पुरातन एवं असामयिक होने तथा भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं के अनुकूल न होने में था तो नेहरू प्रतिवेदन का महत्त्व उसके नाकारात्मक परिस्थितियों के अनुकूल न होने हुए भी भारत के समस्वर में था।

(२) भारतीय समस्या के प्रति उसका हल पूर्णरूप से दुर्द्विषय तथा व्यावहारिक था। यदि प्रतिवेदन में कोई वाचनिक उपाय भी तो वह केवल जातीयता और सांस्कृतिक व्यवस्था की थी।

(३) साम्प्रदायिक बमनस्य को हटाने का जो प्रयत्न उसमें प्रतिपादित किया गया यही उस समस्या का हल हो सकता था। मुसलमानों ने यदि इस प्रतिवेदन को महत्त्वपूर्ण नहीं माना तो इसका कारण उनके द्वारा उस प्रतिवेदन का अन्वयन विवेक रहित साम्प्रदायिक पक्षपात की दृष्टि से किया जाना था।

(४) यह प्रतिवेदन भारतीयों की राष्ट्रीय एकता की मांग और अपने देश के लिए विधान निर्माण की इच्छा में स्वयं भारतीय राष्ट्रीयता के लिए उपहार था। विधान निर्माण के व्यावहारिक क्षेत्र में यह एक स्तुत्य प्रयास था।

(५) नेहरू प्रतिवेदन का सबसे महान् तथ्य औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना था।

(६) इस प्रतिवेदन में अंग्रेजी रियायतों को दी गयी चुनौती और सम्मति मविष्य में उनकी स्थिति पर एक प्रश्नचिह्न थी।

(७) इस प्रतिवेदन का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य था अल्पसंख्यकों के हितों को रक्षा हेतु मौखिक अधिकारों के रूप में प्रदान किया गया निश्चित आश्वासन।

(८) अन्त में कहा जा सकता है कि इस प्रतिवेदन का कोई उपयोग नहीं किया गया किन्तु फिर भी इसे महत्त्व के अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता। कूपर ने भी लिखा है और यद्यपि देखा जाए तो उनके काय का व्यावहारिक पक्ष

किंचित् मात्र ही हुआ फिर भी इन प्रतिवेदन को जिनमें उन्होंने नवीन विधान की व्याख्या प्रस्तुत की है और जो नहट रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है राजनीति के अथवा ज-विद्याधिया द्वारा जितना सत्कार प्राप्त हुआ है यह उससे अधिक के योग्य है। क्योंकि यह केवल इस चर्चा का ही उत्तर नहीं था कि भारतीय राष्ट्रीय रचनात्मक कार्यों के लिए अथवा यह कल्पित मासप्रदायिक विषय को निष्पक्ष रूप से नहीं करने के लिए भारतीयों द्वारा जा प्रयत्न किए गए थे यह उन सब में अधिक निष्पक्ष एवं स्पष्ट प्रयत्न था।

(६) नेहट प्रतिवेदन जैसे अत्यंत प्रगतिशाली एवं क्रान्तिकारी प्रतिवेदन का निर्माण करने वाले व्यक्ति जन प्रतिनिधि थे अतः उन्होंने जन भावनाओं और आकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्फुटित किया। समिति के सब सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में अत्यंत बड़े चर्चे एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे अतः उन्होंने विना किसी भय या दबाव के कार्य किया। अतः जो की चर्चाओं में भी इस प्रतिवेदन को आतिकारी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया क्योंकि अथवा जन प्रतिनिधि अपने उद्देश्यों में विफल रहते तो अतः जो को भारतीय प्रतिनिधियों की अग्रगण्यता को प्रचारित करने का मौका मिल जाता। जन प्रतिनिधियों ने समय और परिस्थितियों के अनुसार कदम उठाकर इस सत्य को साकार कर दिया कि वे समय की चर्चा का नवीकार कर बुद्धिमत्तापूर्ण निष्पक्ष लेने में समर्थ हैं।

नेहरू-प्रतिवेदन पर प्रतिक्रियाएँ

नेहरू समिति के प्रतिवेदन का देश वासी स्वागत हुआ। अनेक विद्वानों ने प्रतिवेदन की भूरि भूरि प्रशंसा की। डा. जकारिया के अनुसार यह एक उच्चकोटि की रिपोर्ट थी जिसमें राजनीतिक बुद्धिमत्ता का आभास मिलता है। रूपलड के मतानुसार वह एक उत्साहपूर्ण प्रयास था और उससे जिस नवनिर्माण का आगमन हुआ कदाचित् उसका प्रयाग भविष्य में होने वाले सुधारों के प्रहण करने और उन्हें यापक बनाने के आधार रूप में किया जा सकता था। पुनः डा. जकारिया के शब्दों में नेहरू रिपोर्ट उसके तत्त्व रूप में पढ़ने और अध्ययन करने योग्य है क्योंकि यह प्रत्येक विषय का पूर्ण विवेचन करती है और उस यावहारिक ज्ञान का प्रदर्शन करती है जो न स्वयं की सिद्धांतों की भूत-भूलों में खोता है और जो समान रूप से ही अथवा वार्ता के विनापन की धाड़ में आरंभ लेने में प्रयत्न करता है।

नेहरू प्रतिवेदन का प्रभाव

नेहरू प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण परिणाम हुए। भारतीयों के इस कदम ने ब्रिटेन के बुद्धिजीवियों पर पर्याप्त प्रभाव डाला तथा उन्हें यह विश्वास कराने में सहायता पहुंचाई कि भारतीयों के भविष्य को अनिश्चित काल तक अथवा नही लटकाया जा सकता है और उन्हें स्वतंत्र करने या उत्तरदायी शासन की स्वीकृति देनी ही होगी। अतः देश की जनता में भी नवजीवन का मंचार हो गया।

उसे यह विश्वास हो गया कि उसके जन प्रतिनिधि किसी भी चनौती का सामना करने को तयार है ।

नेहरू-प्रतिवेदन तथा कांग्रेस

नेहरू प्रतिवेदन सवदनीय सम्मेलन का सम्मुख प्रस्तुत किया गया । जिसकी बैठक लखनऊ में २८ से ३ अगस्त १९२८ ई तक हुई । सम्मेलन ने स्वयं की औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में घोषित किया । सम्मेलन के एक भाग ने जिस का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस कर रहे थे घोषणा की कि वे सम्मेलन द्वारा प्रतिवेदन को स्वीकार करने का विरोध नहीं करेंगे परंतु वे इसके पक्ष में मतदान नहीं करेंगे क्योंकि वे भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं पूरा स्वतंत्रता का दर्जा दिए जाने के उद्देश्य में विश्वास करते हैं । अखिल भारतीय कांग्रेस कायसमिति की ४-५ नवम्बर की बैठक में पूरा स्वराज्य के उद्देश्य की पुन पुष्टि की गयी तथा नेहरू समिति द्वारा प्रस्तुत साम्प्रदायिक समस्या के समाधान को स्वीकृत कर लिया गया । कायसमिति की दृष्टि में नेहरू प्रतिवेदन राजनीतिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण था । वक्तव्य में सम्पूर्ण कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन ने नेहरू-प्रतिवेदन को इस बात पर स्वीकृत कर लिया कि ब्रिटिश संसद इस पूरे रूप से ३१ दिसम्बर १९२९ ई के पूर्व स्वीकृति दे दे । कांग्रेस ने यह भी घोषणा की कि यदि उक्त समय के पूर्व संसद इसे स्वीकृत नहीं करेगी अथवा समय के पूर्व इसे स्वीकृत घोषित करेगी तो कांग्रेस देश में अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन प्रारंभ करेगी एवं भारतीय जनता से सरकार को कर नहीं देने का आग्रह करेगी ।

नेहरू-प्रतिवेदन एवं मुस्लिम लीग

नेहरू प्रतिवेदन के सम्बन्ध में मुसलमानों में मिली जुली प्रतिक्रियाएं हुई । मौलाना आजाद डॉ फ़र्नसारी आदि राष्ट्रीय मुसलमानों ने इसका स्वागत एवं समर्थन किया । आगा खा आदि अन्य मुसलमानों ने यह अनुभव किया कि नेहरू-प्रतिवेदन ने लखनऊ समझौते को उलट दिया है तथा यह प्रतिवेदन मुसलमानों के हितों के विरुद्ध है और सारी शक्तियाँ हिन्दुओं के हाथ में केन्द्रित कर देगा । मि जिन्ना अभी तक हिन्दू मुसलमान एकता में विश्वास रखते थे । उनकी यह धारणा थी कि मुसलमानों का हित हिन्दुओं के साथ जुड़ा हुआ है । परन्तु उन्होंने सभी मुसलमानों का एक सम्मेलन दिल्ली में १ दिसम्बर को नेहरू प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया तथा आगा खा से इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का निवेदन किया । इस सम्मेलन में मुसलमान प्रतिनिधि किसी निष्णय पर नहीं पहुँच सके । यह निश्चय किया गया कि इस सम्मेलन की मई १९२९ के अन्त तक पुन बैठक बुलाई जाए एवं इस मध्य में जिन्ना को मुसलमानों के विभिन्न घटों से सम्पर्क स्थापित कर सवसम्मत मत प्राप्त करने को कहा गया । मि जिन्ना ने विभिन्न घटों से बातचीत कर ध्यापक प्रस्ताव तयार किए । ये प्रस्ताव भारतीय सवधानिक विकास के इतिहास में जिन्ना की विस्तृत चोख शर्तों के नाम से प्रसिद्ध हैं । जिन्ना ने अपने प्रस्ताव मुस्लिम लीग का माच १९२९ ई के अधिवेशन के

सम्मुख प्रस्तुत किया। जिन्ना ने मसलमानों से राष्ट्र हित को दृष्टिगत रख कर निष्पत्ति लेने का अनुरोध किया। परन्तु जिन्ना के इस अनुरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नेहरू प्रतिवेदन के समयका एव दालोचकों में व्यापक मतभेद था। सम्मेलन समाप्त हो गया एव जिन्ना की चौदह शर्तों के सम्बन्ध में कोई निष्पत्ति नहीं हो सका। राष्ट्रवादी मसलमानों ने मुस्लिम लीग का त्यागकर जुलाई १९२९ ई० में राष्ट्रीय मुसलमान दल की स्थापना कर ली। मि. जिन्ना एव मि. मोहम्मद खलीफे के समयका एक हो गए लीग कार्यक्रम में पूर्ण रूप से विमुख हो गये एवं पृथक् राष्ट्र के निर्माण के लिए अग्रसर होना प्रारम्भ हो गया। नाड ब्रकनहेड की धुनौती एक संवसम्मत सविधान का निर्माण का ही त्याग बनी रही।

(४) जिन्ना की चौदह शर्तें

जिन्ना की चौदह शर्तों वाली योजना के उद्गम में भय अविश्वास और स्वायत्त की भावना प्रोत्साही देती है। संभवतः जिन्ना ने निम्न कारणों से प्रेरित होकर यह योजना प्रस्तुत की होगी —

(१) जिन्ना के मन में पाकिस्तान का चूहा उछल-फूट कर रहा था। संभवतः अपनी भावी जागीर के रूप में पाकिस्तान का निर्माण करने की महत्त्वाकांक्षा उन पर भूत के समान सवार थी और वे किसी भी तरीके से उसे प्राप्त करना चाहते थे। संभवतः ही विचारविदुषों को सामने रखकर उन्होंने नेहरू प्रतिवेदन को अस्वीकार कर अपनी १४ शर्तों की योजना द्वारा उस आधार को मजबूत बनाना चाहा था।

(२) इस योजना के पीछे दूसरा बड़ा कारण यह था कि अगर मि. जिन्ना नेहरू प्रतिवेदन को स्वीकार कर लें तो मुस्लिम-देह मुस्लिम लोकमत में राष्ट्रवादी मुसलमानों की स्पष्ट जीत हो जाती जिसका परिणाम होता जिन्ना साहब की राजनीतिक हत्या। वे मुस्लिम राजनीति पर से अपना आधिपत्य नहीं चला सकते थे। इसलिए मुसलमानों में अपनी गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें गुमराह बनने में ही उन्होंने अपना हित समझा और अपनी १४ शर्तों को पेश किया।

(३) इस योजना के पीछे भय और अविश्वास की भावना भी कार्य कर रही थी। जिन्ना की यह धारणा थी कि नेहरू प्रतिवेदन हिन्दुओं के प्रतिनिधियों द्वारा तयार किया गया है और वे यदि इसे चले नगा लें तो मुस्लिम हितों की कुबाना प्रवण्यभावा हा जाएगा और मुसलमानों को सर्व हिन्दुओं की दया पर आश्रित रहना पड़ेगा।

(४) इन शर्तों के निर्माण के पीछे सब से महान् तथ्य जो काम कर रहा था यह यह था कि जिन्ना साहब अग्रजों को प्रसन्न रख उनके कुछ दान प्राप्ति की आशा रखते थे। नेहरू-प्रतिवेदन के संवध में अग्रजों ने भारतीयों को जो धुनौती दी उसका सफर प्रतिकार कर भारतीयों ने अग्रजों की शर्तियाँ उठा दीं। अगर यह रिपोर्ट सभी दला द्वारा संवसम्मति से स्वीकार हो जाती तो अग्रजों के सम्मुख महान् सफर पड़ा हो जाता और राष्ट्रियता की धारा अधिक वेगवती हो

जाती। ऐसे समय में अग्रज किसी भी रूप से भारतीयों में फूट पैलन को अतुरथ और उसी नज़र का भाव पर वादित मनावृत्ति का प्रतिफलित हात देना तथा ताकानिक परिस्थितियों का नाभ उठाना यही जिना साहब की इच्छा थी। इसी कारण उन्होंने अपनी शक्त प्रस्तुत की।

(५) शायद उस यात्रा का जीवन तब जिना की कूटनीतिक चारों थी। मन्निम लीग का गुटा में विभाजित हो गयी थी और दोना एक दूसरे की सरमाय अलाचना करत थ। जिना ने उस अवसर का हाथ स निकलने न। दिया और मुस्लिमों की रक्षा की भावना न उन्हें काम में न मिलाकर साथ साथ रहने का और काम करन का नारा दिया।

सक्षम न नीगी त व दश में किसी भी कीमन पर साम्प्रदायिक सौदा स्थापित करन क पल में नही थ।

चौदह शर्तों का खुलासा

१ भारत के भावी संविधान का रूप संघीय हो जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के पास हों।

२ सभी प्रांतों में समान स्थायित्व गारंटी हो और उनके अधिकार समान हों।

३ सभी प्रांतों की विधानसभाओं और अन्य लोक प्रतिनिधियों वाली संस्थाओं में थोड़ी संख्या वाली जातियों का निश्चित रूप से उचित तथा काफी प्रतिनिधित्व रहे।

४ केन्द्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का कम से कम एक तिहाई प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

५ साम्प्रदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व पृथक् निर्वाचन पद्धति से हो परन्तु कोई भी सम्प्रदाय जब चाहे संयुक्त निर्वाचन पद्धति स्वीकार कर सकता है।

६ किसी भी प्रादेशिक पुनर्विभाजन द्वारा पंजाब वगान और पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत में मुसलमानों का बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।

७ सभी सम्प्रदायों को अपने धार्मिक विश्वास उपासना उत्सव प्रचार सम्मनन और शिक्षा आदि की पूर्ण रूप से स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

८ किसी भी विधानसभा अथवा लोक प्रतिनिधि-संस्था में ऐसा कोई विधेयक स्वीकृत नहीं होना चाहिए जिसका किसी सम्प्रदाय के तीन चौथाई सदस्य अपने सम्प्रदाय के हितों के विरुद्ध बताते हुए विरोध करें।

९ सिखों का बम्बई प्रांत में अन्तर्ग कर लिया जा।

१० अन्य प्रांतों में जिस प्रकार के सुधार किये जाए उसी प्रकार के सुधार सीमाप्रांत और विनोचिस्तान में भी किये जाए।

११ विधानसभा का सभी नीतियों में योग्यता के अनुसार मुसलमानों को उचित भाग मिले।

१२ मुस्लिम सभ्यति जिना भाषा धर्म यत्किणत कानून और धार्मिक संस्थाओं की रक्षा एवं उन्नति के लिए उचित संरक्षण तथा पर्याप्त सरकारी सहायता मिले ।

१३ केन्द्रीय अथवा प्रांतीय मंत्रिमन्त्र म कम से कम एक तिहाई मंत्री मुसलमानों के हों ।

१४ कर्णीय विधानमंडल को संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार तभी रह सकता है जब भारतीय मध की मभी इजाजत उम स्वीकार कर लें ।

आलोचनात्मक दृष्टि

जिन्ना के उस १४ सूत्री कार्यक्रम ने भारत की राजनीति पर बहुत ही अधिक विपत्ता प्रभाव डाला था जिसका हम निम्नलिखित शीपकों के अंतर्गत प्रथम कर सकते हैं —

१ इस योजना ने पृथक्तावादी शक्तियों को उत्तमित्रा और पाकिस्तान की माँग में तेजी आ गया ।

२ मुस्लिम लीग के दोनो पैसों में एकता हो जाना भारतीय राष्ट्रीयता के लिए भयंकर अभिशाप सिद्ध हुआ । अगर जिन्ना इन समय में १४ सूत्री कार्यक्रमों से कूटनीतिक पाना नहीं फकत तो निराश दूमरा ही हाथा ।

३ मुस्लिम राजनीति पर मुस्लिम लीग के पूर्णस्व सच्चा जान पर राष्ट्रवादी मुसलमानों में निराशा पैदा हो गयी । वे तेजी से मुस्लिम लीग का साथ देने लगे और कांग्रेस का मुसलमानों में प्रभाव शून्य होने लगा और यही कारण था जब पृथक् पाकिस्तान के समय जनमतसंग्रह हुआ तो मुस्लिम लीग को अपार बहुमत मिल गया ।

४ जिन्ना पंचाट के कारण देश में साम्प्रदायिक चमत्त की एक प्रभूतपूर्व सहर हो गयी और देश उस विभीषिका में डूब रहा मका ।

५ जिन्ना अपमन्यका के हितों का राग आनाप कर भारत के सतम हिन्दुओं के खिलाफ विछडो जातियों और हरिजनों की भावनाओं को उभारना चाहते थे । उनकी कुत्सित भावनाओं को सफलता भी मिल जाती परन्तु गांधीजी के आग्रह अन्तर्गत ने इन पडयंत्र को विकृत कर दिया ।

६ जिन्ना चाहते थे कि सभी मुसलमान कांग्रेस छोड़कर लीगी राजनीति में प्रवेश करें ताकि वे कांग्रेस का बदनाम कर सकें कि वरिष्ठ दुष्ठा की सभ्या है और मुस्लिम हिता का प्रतिनिधित्व कदम मुस्लिम लीग ही कर सकती है ।

७ इस योजना का सबसे अधिक महत्त्व इसलिए है कि इसका कारण भारतीय राजनीति में पहल मुस्लिम लीग के हाथ में आ गयी और अग्रजा की तुष्टिकरण की नीति में उस बनाया मिला जिम्मा दुष्परिणाम था भारत विभाजन और पाकिस्तान निर्माण ।

(४) जिन्ना की इती गतों के आधार पर मवडोनड साम्प्रदायिक पंचाट पारित हुआ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस योजना के अनेक दूरगामी परिणाम हुए। जिन्ना के सूत्र के सबंध में विभिन्न मत

(१) नेहरू प्रतिवेदन को बेकार बनाना

पहली विचारधारा के अनुसार जिन्ना को इस १४ सूत्री योजना का मूल दशन नेहरू समिति की सिफारिशों को कमजोर या उनकी स्थिति को हेय बनाना था। नेहरू समिति की रिपोर्ट को हेय बनाकर जिन्ना अग्रजों के प्रति अपनी राजभक्ति को प्रदर्शित करके सेवाओं का पुरस्कार चाहते थे। दूसरे पक्षों में कहा जा सकता है कि १४ सूत्री सिद्धान्तों के पीछे ठकुरमुहाती भावना प्रख्यापित भूमिका का निर्वाह कर रहा था।

(२) राजनीतिक यक्षत्व की स्थापना करना

दूसरी विचारधारा के प्रतिपादकों का कहना है कि जिन्ना अपने इस दृष्टिकोण से राष्ट्रवादियों की स्थिति को अत्यन्त हीन बनाना चाहते थे। अतः उसने भारतीय राजनीति की पहल को अपने हाथ से नहीं जाने देने के लिए ही इस योजना का प्रतिपादन करने में अपना भना समझा।

इसके साथ साथ जिन्ना यह कभी नहीं चाहते थे कि भविष्य में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच सहयोग के आधार बने रहें। अतः वह मुस्लिम लीग को साम्प्रदायिकता के उस चरम बिन्दु तक पहुँचा देना चाहते थे जहाँ समझौते के लिए कोई समावना ही नहीं रह जाए। इसीलिए उसने इस योजना को मूलरूप प्रदान किया।

(३) समय और परिस्थितियों का घेरा

इस समझौते को केवल जिन्ना की निजी आकांक्षाओं का प्रतिफल मात्र नहीं कहा जा सकता है क्योंकि समय और परिस्थितियों के विरुद्ध भी वह कोई कदम उठाकर आमघात नहीं करना चाहते थे। समय की मांग थी कि मुस्लिम नेता अपनी दूरदर्शितापूर्ण कूटनीति के सहारे पाकिस्तान की नींव को इतना मजबूत करें जो किसी भी शक्ति या साधन से हिलाई न जा सके और यही वाय जिन्ना ने अपने इन १४ सूत्री सिद्धान्तों के माध्यम से किया। परिस्थितियों की मांग थी मुस्लिम लीग का भारतीय राजनीति की पहल को अपने हाथ से नहीं जाने देना। अगर मुस्लिम नेता इस रहस्य की नज़र को भाप कर उचित कदम उठाने में असमर्थ रहते तो मैदान उनके हाथ से निकल जाता।

उपरोक्त मतों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि तीनों ही मत एक दूसरे के पूरक हैं और उनमें किसी भी प्रकार के विरोधाभास के लिए कोई स्थान नहीं है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि जिन्ना के इन सिद्धान्तों ने भारतीय राजनीति में एकबार पुनः सनसनी उत्पन्न कर दी। सभी राजनेताओं की निगाहें जिन्ना के व्यक्तित्व और मुस्लिम लीग की भावी राजनीतियों को मापने की दिशा में केन्द्रित हो गयीं।

इसने उस सत्य का भी उद्घाटन कर दिया कि राजनीति में सिद्धान्तों की स्थिति सर्वोपरि नहीं मानी जा सकती जबतक कि उसे क्रियामुक्त करने के लिए ठोस आधार या नीति प्राप्त न हो। जिन्ना ने अपनी दूरदर्शिता से राजनीतिक क्षेत्रों में न केवल अपनी स्थिति को ही सुदृढ़ कर लिया बरन् काश्मीर क्षेत्रों को एक बार पुनः निराशा के गहन अन्तकार में भटकने को मजबूर कर दिया। इसके पीछे मुस्लिम लीग का भतीत खूब रहा था जो स्पष्ट घोषणा कर रहा था कि उसका प्रतिम और एकमात्र सर्वोपरि लक्ष्य पाकिस्तान की मांग को सम्बल प्रदान करना था।

पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग

साम्प्रदायिक एकता एवं मुपारों के सम्बन्ध में ही रहे प्रयासों के दौरान देश एवं विदेश में श्रम घटनाएँ घटित हो रही थी। देश में आतङ्कवादियों की मति विधियाँ में काफी तेजी आ गयी थी। कुछ देशमत्त क्रान्तिकारियों ने खाना लाजपतराय की मृत्यु का बदला लेने की दृष्टि से लाहौर में पुलिस अधिकारी साइड्स की हत्या कर दी। सरदार भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बहरी अग्रज सरकार के कान खोलने की दृष्टि से केन्द्रीय धारासभा में बम्ब का धमाका किया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। १९१९ ई के मध्य सरकार ने लाहौर पब्लिक के नाम पर कुछ क्रान्तिकारियों पर मुकद्दमा प्रारम्भ किया। मुकद्दमे की सुनवाई के काल में उचित व्यवहार के लिए जितेन्द्रनाथ दास ने जेल में भूख-हड़ताल प्रारम्भ कर दी। देश में इस मांग को व्यापक समर्थन मिला। सरकार से क्रान्तिकारियों को उचित भाग को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया किन्तु सरकार ने इस और कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जितेन्द्रनाथ की जेल में मृत्यु हो गयी। युवकों में सरकार के विरुद्ध तीव्र रोष पैदा हुआ। सम्पूर्ण देश में दबक सगठनों की बाढ़ आ गई। बंगाल में प्रांतीय यवा-मध और प्रांतीय विद्यार्थी सघ पंजाब में यवा-काप्रस आदि विद्यार्थी सगठनों का निर्माण हुआ। मध्यप्रदेश और मद्रास में भी विद्यार्थियों में तीव्र रोष फैला।

विद्यार्थियों के साथ-साथ मजदूर वर्ग में भी असंतोष बढ़ा। बम्बई में मजदूरों ने कपड़ा मिलों में हड़ताल कर दी। फलस्वरूप कामकाज ठप हो गया। सरकार ने मार्च १९२९ ई में ३१ मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इन पर मेरठ में चार घण्टे तक मुकद्दमा चलाया गया। नतायों की जमानत पर नहीं छोड़ा गया और उनके साथ काफी बड़ा व्यवहार किया गया। मई १९२९ के जुलाई माह में काप्रस न सदस्या से विधानमण्डलों की सदस्यता से त्यागपत्र देने का अनुरोध किया। गांधीजी ने जनता को भावी आंदोलन में भाग लेने की दृष्टि से शिक्षित करने के उद्देश्य से देश व्यापी दौरा प्रारम्भ कर दिया। १९२९ ई० में सरदार पटेल ने नेतृत्व में बारदोशी के किसानों ने सपन आंदोलन किया। इन सब कारणों से देश में अनुत्तम राजनतिक जागृति हुई।

अप्रैल १९२६ ई में इंग्लैंड में निर्वाचन हुए जिसमें मजदूर दल की बहुमत मिला। मि. रामजे मेकडानोल्ड प्रधानमंत्री और वेजवड धन भारत मंत्री नियुक्त हुए। निर्वाचन के पूर्व माघ १९२६ ई में रामजे मेकडानोल्ड ने यह घोषणा व्यक्त की थी कि भारत की शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त हो जायगा। अतः उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन को परामर्श के लिए इंग्लैंड बुलाया। वायसराय २५ अक्टूबर १९२६ ई का ब्रिटेन से भारत लौट आए और ३१ अक्टूबर को एक घोषणा द्वारा यह स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य कायम करना है। वायसराय ने यह भी घोषणा की कि ज्यों ही साइमन कमीशन का प्रतिवेदन प्राप्त होगा ब्रिटिश सरकार मुधारों के सम्बन्ध में सुभाव ससद में प्रस्तुत करने के पूर्व भारतीय राजनतिक प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने के लिए लंदन में एक गोनमेज सम्मेलन का आयोजन करेगी। वायसराय की उक्त घोषणा के मूल में भारतीयों की सद्भावना प्राप्त करने और कांग्रेस की नीतियों को मोड़ देने का उद्देश्य निहित था। घोषणा के एक दिन पश्चात् १ नवम्बर को भारत के कुछ विभिन्न व्यक्तियों तथा गांधीजी मोतीलाल नेहरू सरदार पटेल मौनाना भोजपुरा डॉ. अंसारी मदनमोहन मालवीय डा. मुजे श्रीमती बिसेट एवं सरोजिनी नायडू ने दिल्ली में एक बैठक की। इस बैठक में वायसराय के सद्भावनापूर्ण विचारों का स्वागत किया गया तथा भारतीयों को सतुष्ट करने के लिए वायसराय से मुधारों के सम्बन्ध में कुछ व्यावहारिक कदम उठाने का आग्रह किया गया।

वायसराय की ३१ अक्टूबर की घोषणा को लेकर ब्रिटेन की ससद में विवाद खड़ा हो गया। सरकार ने घोषणा की कि भारत के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कांग्रेस के नेताओं ने वायसराय से भेंट करने का निश्चय किया। सरदार विठ्ठलभाई पटेल के सप्रयत्नों के फलस्वरूप २३ दिसम्बर को लिन भेंट के लिए निश्चित किया गया। भेंट के पूर्व प्रातिकारियों ने उस रेलगाड़ी को उठाने का प्रयत्न किया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे अतः वातावरण खराब हो गया। गांधीजी मोतीलाल नेहरू तेजबहादुर सप्र आदि ने वायसराय से भेंट की परन्तु उन्होंने कोई आश्वासन देने से इन्कार कर दिया।

कांग्रेसी नेता काफी निराग एवं रुष्ट हुए। कांग्रेस का वाम भी घटा (जिसका नेतृत्व युवा जवाहरनान नेहरू सुभाष बोस श्रीनिवास आयंगर करते थे) बठार राजनतिक कदम उठाने की मांग कर रहा था। राजनतिक वातावरण में काफी गर्मी आ गयी थी और उसी समय नाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। वामपंथी घड़े की मांग से गांधीजी सहमत हो गए। परिणामस्वरूप अधिवेशन में पूरा स्वतंत्रता के लक्ष्य का प्रस्ताव पारित हो गया। कांग्रेस ने अपना उद्देश्य पूरा स्वतंत्रता की प्राप्ति घोषित कर दिया। अधिवेशन में सभी कांग्रेसी और गर आग्रसियों से निश्चय में भाग न लेने और जो विधानमण्डल के सदस्य थे उनसे

त्यागपत्र देने का अनुरोध किया गया। काप्रस वायसमिति की उचित भ्रवसर पर भ्रान्दोलन प्रारम्भ करने का भी निर्देश दिया गया। रावी नदी के तट पर ३१ दिसम्बर १९२९ ई० को पुवक जवाहरलाल नेहरू ने स्वतन्त्रता का प्रतीक तिरंगा झण्डा फहराया। २६ जनवरी स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाने के निश्चय की घोषणा की गई। श्रीनिवास एव सुभाष बोस को भ्रविवेशन के निरुयो में रु नीप नही हुमा। भ्रत। उहोने काप्रस प्रजातन्त्र दल का संगठन किया जिसका उद्देश्य राजनीतिक कार्यक्रम को सक्रिय रूप से लागू करना रमा गया। २६ जनवरी १९३० ई० के दिन को सम्पूर्ण देश में स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाया गया। देश भ्रविव्य मे प्रारम्भ होने वाले भ्रादोलन की तयारी में सलग्न हो गया।



सविनय अवज्ञा आन्दोलन

प्रवेश :

पूव अध्याय में हम अध्ययन कर चुके हैं कि सदन में लोट कर सॉन हरबिन ने ३१ अक्टूबर १९२६ ई. को यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का यह मांग्यता है कि सन् १९१७ ई. की घोषणा में भारत को अत में औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की बात अस्तनिहित है। इस घोषणा से भारतीयों को कुछ आशा बंधी परन्तु ब्रिटेन में भारत के प्रति असहानुभूतिपूर्ण रुख होने से इस निगा में कुछ भी नहीं हो सका। अतः कांग्रेस ने दिसम्बर १९२६ में ज़ाहीर अधिवेशन में पूरा स्वाधीनता का प्रस्ताव स्वीकृत किया तथा उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कायसमिति को सविनय प्रवृत्ता आन्दोलन प्रारम्भ करने का अधिकार प्रदान किया। जनवरी १९३३ ई. में वायसराय ने अपनी अक्तूबर घोषणा का दोहराया और गोलमेज परिषद् के लक्ष्यों एवं कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। १४ एवं १५ फरवरी १९३३ ई. को सावरमती आश्रम में कांग्रेस कायसमिति की एक बैठक हुई जिसमें गांधीजी का अपनी इच्छा से समय एवं स्थान निश्चित कर आन्दोलन प्रारम्भ करने का अधिकार प्रदान किया गया। उस समय भारतीयों में नमक-कर के विरुद्ध जोरदार भावना व्याप्त थी अतः गांधीजी ने नमक-कर के विरुद्ध आन्दोलन करने का निश्चय किया। २७ फरवरी को आन्दोलन का कार्यक्रम सबसाधारण की जानकारी हेतु प्रचारित किया गया और महात्मा गांधी ने घोषणा की कि व ७८ निर्वाचित सहयोगियों के साथ सबसे पहले नमक-बानून का उल्लंघन करेंगे। इस प्रकार गांधीजी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के प्रारम्भ की भूमिका का निर्माण हुआ।

आन्दोलन के कारण

सविनय अवज्ञा-आन्दोलन प्रारम्भ करने के मूल में अनेक कारण अस्तनिहित थे। साइमन कमीशन का घुनौती को स्वीकार करके जब भारतीय राजनताओं ने अपेक्ष परिश्रम से नेहरू-प्रतिवेदन का निर्माण किया तो ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हतप्रभ रह गए परन्तु फिर भी वे अपनी पराजय को मानने के लिए तयार नहीं थे और उन्होंने नेहरू-प्रतिवेदन को अस्वीकार कर दिया। नेहरू-प्रतिवेदन की अस्वीकृति के बाद भारतीयों के सामने अप्रबो स सघष के अलावा दूसरा कोई विकल्प शेष नहीं रह गया था। सन् १९२६ में देश की आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई थी।

विषयव्यापी प्राधिक मदी स भारत भी प्रदुता नही रहा । वस्तुमा की कीमते बहुत अधिक बढ़ गयी जिससे मायम-वग म अमतीव बनना प्रारम्भ हो गया । औद्योगिक और व्यावसायिक वग भी सरकार की नीतियां से अस्तित्व पा । सरकार द्वारा प्रयोजी का नाम पहचाने का लिए पद के मूल्य म परिवर्तन किए जाने के कारण देश का व्यावसायिक वग पूणतः म अस्तित्व हो गया था । मजदूरी म भी यापक अस्तित्व था । मजदूरी की शिकाफी शोचनीय थी । बूट बपहा और इस्पात उद्योगों के मजदूर अघनमावस्था म तथा घाघे पट साकर बाध कर रहे थे । उन पर तरह तरह के शत्याचार किए जा रहे थ । मठ पद्य म मुवद्दम म ६ मजदूर नेताप्रा की सजी कैद की सजा दिए जाने का कारण मजदूर वग में सनसनी फन गयी थी । उनमे मगटन की भावना और चेतना का सचार हुआ और वे सगठित होने लग थ । उस समय देश म विप्लवकारा स्थिति प्राप्त थी । देश म बनी बड़ी हडनालो का ताता यथा हुआ था । रिगा एव श्रमिक सगन्ति हो गय थ और उनका आगान हिंसात्मक एव निरान स्वरूप ग्रहण करना गा रहा था । नवयुवको म हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी । देश के हिंसात्मक स्थिति की राह पर अग्रसर होने के समय से गाधीजी ने परिस्थिति का समय रहन दूररा धार मानन मे ही कल्याण समभा । गाधीजी म वायसराय का पत्र लिखकर इस सम्बन्ध म चेतावनी भी दी । उन्होंने लिखा था हिंसात्मक दन अचना जड जमा रहा है धार उसका प्रभाव बढ़ रहा है । उनके द्वारा आवाजित हिंसात्मक आगान न बचन विटिंग आगन की हिंसात्मक गति बिक बढ़न हुए हिंसात्मक दन का भी सामना करेगा । परन्तु वायसराय पर इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई । उहोने महात्मा गाधी पर अपने कावों द्वारा अमतीव उत्पन्न करने का आरोप लगाया । वायसराय से प्रतिकूल उत्तर मिलने पर गाधीजी ने कहा मैंने राटी भागी थी और मुझ उत्तर मे मिना पत्थर । अग्रज जानि बचल शक्ति के द्वारा दब सकती है । इसलिए मुझ वायसराय महोदय के अघन पर बान् प्रान्चय नही ह । हमारे राष्ट्र के भाग्य म सा जेलमाने की शान्ति ही एवमात्र शान्ति है । सारा भारत एक विशाल कारागृह है । मैं यह अग्रजो कानून मानन मे अचार करता हूँ और मौजूदा अबरदस्ती की शान्ति की मददम एकरसता की भय करना मैं अचना पवित्र बन्धव्य समझता हूँ । इस शान्ति न राष्ट्र का गना द था हुआ है । अब उसके हत्य का अोत्कार प्रकट होना ही चाहिए ।

प्रादोलन का वायसम

वायसराय की भेजा जान वाली ११ मांगों की सूची ही प्रादोलन के वायसम का आधार थी । यह बातें निम्नलिखित थी -

- १ पूण सचनिषेध
- २ विनियम की दर कम कर एक शिलिंग पाच पसत कर दी जाए
- ३ भूमि का सगान आधा हो और अस्त पर कौमिल का नियमण रहे
- ४ नमक-कर को समाप्त कर दिया जाए
- ५ सेना के अच में कम से कम ५० प्रतिशत की कमी हा ।

- ६ बन्ही सरकारी नौकरियाँ का वेतन घाटा कर दिया जाए
- ७ विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगाया जाए,
- ८ भारतीय समुत्पन्न केवल भारतीय जहाजों के लिए ही सुरक्षित हो
- ९ सभी राजनीतिक कदों छोड़ दिए जाए राजनीतिक मुकद्दम उठा लिए जाए तथा निर्वासित भारतीयों को देश में वापस आने दिए जाए,
- १० मुत्तचर पुलिस को उठा दिया जाए या उस पर जनता का नियंत्रण रहे और
- ११ आमरक्षा के लिए हथियार रखने के अनुज्ञापत्र दिए जाए ।

आन्दोलन का प्रथम चरण

सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रारम्भ दाढ़ी-यात्रा की ऐतिहासिक घटना से हुआ। इसमें १२ मार्च १९३१ ई. को महात्मा गांधी एवं उनके अनुयायी २ मील की यात्रा पदल प्रारम्भ कर २४ दिनों के पश्चात् दाढ़ी पहँचे। दाढ़ी-यात्रा की तुलना सुभाष बोस ने नपोलिपन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के इटली-मार्च से की। हजारों लोगों ने मार्ग में सत्याग्रहियों का दिन खोलकर स्वागत किया। ६ अप्रैल को आत्मशुद्धि के उपरांत गांधीजी ने समुद्रनल से थोड़ा नमक उठाकर नमक कानून को भंग किया। गांधी द्वारा नमक-कानून तोड़ने के साथ ही सत्याग्रह में अभूतपूर्व तेजी आ गयी। बम्बई बंगाल उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश और मद्रास में गर कानूनी तरीके से नमक बनाना प्रारम्भ हो गया। महात्मा गांधी ने स्त्रियों को शराब की दुकानों पर घटना देने के लिए आह्वान किया जिसका दिल खोलकर स्वागत किया गया। दिनों में १६ महिलाओं ने शराब की दुकानों पर घटना दिया फलस्वरूप बहुत सी दुकानें बंद हो गयीं। स्त्रियों ने पर्न प्रथा को ताक में रखकर सत्याग्रह में भाग लिया जो भारतीय स्त्रियों के जीवन में अविस्मरणीय रहेगा। विदेशी कपड़ों का पूर्ण बहिष्कार भी आशा से अधिक सफल रहा। एच एन डे सफोर्ड के अनुसार १९३१ ई. में सूती कपड़ों का व्यापार पहले वर्ष की अपेक्षा एक तिहाई या एक चौथाई के लगभग रह गया। बम्बई में अग्रज व्यापारियों की सोलह मिलें बन्द हो गयीं और ३२ मजदूर बेरोजगार हो गए। इसके विरुद्ध भारतीय व्यापारियों की मिलें दुगुनी तेजी से काम करने लगीं। किसानों ने कर बन्दी आन्दोलन को सक्रिय सहयोग दिया। सरकार ने १६ अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू एवं ७ मई को गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया तथा आन्दोलन को निमग्नता से कुचलने का प्रयत्न किया। इस हेतु गवर्नर जनरल ने दजनों अध्यादेश जारी किए। जुसूसों और सावजनिक सभाओं को तितर बितर करने के लिए अघाघुच लाठियों का प्रयोग किया गया और कभी कभी गालियाँ से भी लोगों को भूना गया। बृहत् स्तर पर जनता के साथ अत्याचार किए गए। खुलेआम स्त्रियों की बेज्जती की गयी। देश में पुलिस अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। कर न देने वालों को सम्पत्ति जब्त करली गयी। धारसाना में २५ सत्याग्रहियों ने नमक के गोशाम पर चढ़ाई की। पुलिस ने सत्याग्रहियों को बहुत बुरी तरह से पीटा जिससे अनेक

व्यक्ति घायल हो गए। भारसाना गाँव में पुलिस अत्याचारों का बण्डा करते हुए ग्यु प्रीमेन समाचार पत्र के संवाददाता श्री देव मिश्र ने गिराफ्तारी में २२ देशों में १८ वर्षों से सवादादाता का काम कर रहा है। इस कान में मैंने प्रमुख उपद्रव मारकाट और विद्रोह देखे हैं किन्तु धारसाना के समान पीडाजनक दृश्य मैंने कभी भी नहीं देखे। कभी कभी तो ये धाएँ इतने दुःख हो जाते थे कि धाएँ भर के लिए प्राण फेर लेनी पड़ती थी। स्वयंसेवकों का अनुशासन अत्यंत अद्भुत था। मातृम होना था कि स्वयंसेवकों ने गांधी के अहिंसा धर्म को धोलकर पी लिया है।

अप्रैल के अत्याचार से मारे देश में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भयंकर रोष फैल गया। आन्दोलन और भी तीव्र हो उठा। कुछ पत्रकारों ने सरकार एवं सत्याग्रहियों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया। सोनोकोम्ब नामक अग्रज ने गांधीजी से जेन म. गैट की एवं आन्दोलन स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के सम्बन्ध में बातचीत की परन्तु कोई फल नहीं निकला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन १२ नवम्बर १९३१ ई. से १९ जनवरी १९३१ ई. तक लन्दन में हुआ परन्तु किसी निराश पर पहुँचे बिना ही स्थगित कर दिया गया। ५ मई १९३१ ई. को गांधीजी एवं वायसराय में एक समझौता हुआ। गांधीजी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया परन्तु शीघ्र ही राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। एंग्लैंड में मजदूर दल के स्थान पर जो राष्ट्रीय सरकार बनी वह अनुदार एवं प्रतिक्रियावादी स्वरूप की थी। लाड इरविन के स्थान पर जॉर्ज वेर्निगटन वायसराय बन कर भारत आया। लाड वेर्निगटन पक्का अनुदारवादी था तथा उधे गांधी इरविन समझौते से कोई सहानुभूति नहीं थी। वह एंग्लैंड से काप्रस को बुचने के लक्ष्य लेकर आया था। उसने भारत पहुँचते ही अपना दमन चक्र प्रारम्भ कर दिया। फलस्वरूप गांधी इरविन समझौते को पर्याप्त धक्का लगा। महात्मा गांधी ने वायसराय को इस सम्बन्ध में अनक पत्र लिखे परन्तु उसने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस कारण गांधीजी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से इन्कार कर दिया। अंत में गांधी और वेर्निगटन की गिरफ्तारी में भेंट हुई और दोनों में एक समझौता हुआ। गांधी गोलमेज परिषद् में वायसराय के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होने के लिए तयार हो गए।

आन्दोलन का दूसरा चरण

उधर गांधीजी स. न. में मध्याह्निक समस्या हल करने के प्रयत्न कर रहे थे और इधर भारतीय सरकार राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रवाह को रोकने के लिए प्रयास कर रही थी। सरकार ने उत्तर-प्रदेशी सीमाप्रान्त में छाल कुर्ती दल को भ्रमण घोषित कर दिया तथा छान-बन्धुओं को बन्दी बना लिया। बंगाल में क्रान्तिकारियों की गतिविधियों को रोकने के वास्ते सरकार ने सख्त कदम उठाए। उत्तरप्रदेश के गवर्नर ने कर बन्दी आन्दोलन का दमन करने के लिए नया अध्यादेश प्रचलित किया एवं श्री जवाहरलाल नेहरू को उनके अनेक साधियों सहित गिरफ्तार कर

लिया। सरकार के काय से प्रभावित होकर कायम कायसमिति ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन पुनः प्रारम्भ करने की धमकी दी। सरकार ने पहलू घबरे हाथ में रखने की दृष्टि से ४ जनवरी १९३२ ई. को भारत लीग पर गांधीजी की गिरफ्तार कर लिया कायस को सरकारी सत्याग्रह घोषित कर दिया। आन्दोलनकारियों की सम्पत्ति जब्त कर दी तथा प्रस पर बड़े नियन्त्रण लगा दिए। बठोर दमन के बावजूद सरकार आन्दोलन को नियन्त्रित नहीं कर सकी। आन्दोलन के प्रथम चार माह में ८ से अधिक व्यक्ति बन्दी बनाए गए। जनता ने बड़े साहस एवं उत्साह से सरकार के दमन चक्र का सामना किया। सरकार ने कायस के अधिवेशन नहीं होने देना ही प्रयत्न किया फिर भी कायस के दिल्ली एवं बनारस के अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए।

आन्दोलन आन्दोलन में पान लगा। हिन्दुओं और हरिजनों के प्रति किए गये पापों के प्रायश्चित्त के लिए गांधीजी ने ८ मई १९३३ ई. का २१ दिन का उपवास शुरू किया। सरकार ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। आन्दोलन को स्थगित किए जाने पर विचार किया जाने लगा। गांधीजी का विचार था कि सरकार की दमनकारी नीति में जनता में भय और आतंक फैला गया है अतः आन्दोलन को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर लिया जाए। सविनय अवज्ञा आन्दोलन को बंद कर दिया गया उसकी स्थान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। मार्च १९३४ में इस आन्दोलन को भी बंद कर दिया गया। मलाना गांधी कायस में प्रवेश हो गए तथा अखिल भारतीय कांग्रेस के काय में गए।

आन्दोलन में विभिन्न तत्वों की भूमिका

(१) कायस की भूमिका वास्तव में देखा जाए तो इस आन्दोलन का पूरा दारोमदार कायस पर ही निभ रहा। कायस के नेता और कार्यकर्ता इस आन्दोलन को रफल बनाने के लिए अतन्ना मवस्व योछावर करने को तयार थे। महात्मा गांधी की अतन्ना सर्वोपरि स्थिति रही। दाड़ी मार्च के सतन्ना में सरकार पटेन की कायकुलता और सगठन गति अपने कायस में एक अतन्ना उदात्तरण रहा। कायस का यह आन्दोलन जन आन्दोलन होने से कायस कायप्रिय हुआ और जनता को अपनी तरफ प्रभावित करने में पूणहव से सफल भी रहा।

(२) मुस्लिम लीग ने केवल अतन्ना आन्दोलन में अतन्ना ही रही अपितु उसने अतन्ना आन्दोलन को विफल बनाने के लिए सभी सम्भव कुचक्र भी रचे। मुस्लिम लीग के अतन्ना आन्दोलन से अतन्ना रहने के कारण पर प्रकाश डालत हुए श्री जिन्ना ने कहा हम गांधीजी के सतन्ना आन्दोलन होने से इंकार करत हैं बतवा उनका यह आन्दोलन भारत की पूण स्वतंत्रता के लिए नहीं अपितु ७ करोड मुसलमानों को हिन्दू-महासभा के आश्रित बना देने के लिए है।

(३) राष्ट्रवादी मुसलमानों का सहयोग यद्यपि लीग द्वारा प्रभावित मुस्लिम तत्व इस आन्दोलन में अतन्ना स अतन्ना रहे परन्तु राष्ट्रवादी मुसलमानों ने इस

आन्दोलन को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। उत्तरपश्चिमी सीमाप्रान्त के पठानों ने अपने एकछत्र नेता श्रीखान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और अग्रजो के अमानुषिक व्यवहार सहन किए।

(४) भारत के प्रायः दलों की भूमिका हिंदू महासभा और क्रांतिकारी सगठनों ने कायम रखे इन प्रयत्नों को कायम रखने का आदेश दिया और सम्प्रदायवादियों ने इससे अपने आप को बिल्कुल अलग रखा।

(५) प्रवासी भारतीयों की भूमिका विदेशों में बसने वाले भारतीयों ने इस आन्दोलन में सहानुभूति प्रकट की और अपने देशों में हड़तालें कीं। पनामा सुमात्रा जावा और इन्डोनेशिया में बसने वाले भारतीयों ने गांधीजी की गिरफ्तारी का विरोध किया और अपनी २ सरकारों से अनुरोध किया कि वे ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव डालें कि भारतीयों की समस्याओं का उचित समाधान निकालें।

इन भूमिकाओं के निष्पत्त्य स्वरूप कहा जा सकता है कि कुछ सीमित स्वार्थी से प्रेरित (साम्यवादी) कुछ उग्र राष्ट्रवाद से उत्तेजित (हिंदू महासभा और अन्य राष्ट्रवादी सगठन) और कुछ फिरकापरस्तों (मुस्लिम लीग के समर्थकों) के अलावा देश के जन साधारण ने इस आन्दोलन में अपना आत्मिय सबंध दिखाया था।

आन्दोलन का विचार दर्शन

इस आन्दोलन को शुरू करने में महात्मा जी के कुछ मूलभूत सिद्धांत थे जो इस आन्दोलन को जन-यापी बनाने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुए। ये मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित थे —

१. धार्मिक दृष्टिकोण

महात्मा जी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का नारा देकर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर भीषण प्रहार करना चाहते थे और देश में स्वावलम्बन का जोग उत्पन्न करके आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे।

२. राजनतिक अभिप्राय

देश में भयंकर धार्मिक संकट के कारण हिंसात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल रहा था। अहिंसकों में और मध्यम वर्ग में असंतोष का कारण देश में हिंसा को बहुत अधिक बल मिलने की सम्भावना थी। क्रांतिकारियों और आतंकवादियों की सफलताओं के कारण गांधीजी चिन्तित हो उठे थे अतः उन्होंने देश की जनता का ध्यान क्रांतिकारियों की गतिविधियों से हटाने के लिए इस आन्दोलन का नारा देना आवश्यक समझा था। इस आन्दोलन के माध्यम से वे देश में व्याप्त निराशा और दुःखिता की भावना का भी अंत करना चाहते थे। वे देशवासियों में नवीन उत्साह का संचार करके उन्हें हम युग के लिए तैयार कर देना चाहते थे कि वह अहिंसक निर्णायक संघर्ष के लिए अपना सबस्व लुटाने की तैयारी हो जाए साथ ही गांधी जी विदेशों में भी भारतीयों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना चाहते थे। ब्रिटेन के उदारवादी तत्त्वों का समर्थन प्राप्त करना भी उनका ध्येय था, क्योंकि वे तत्त्व सरकार

के दमन चक्र का विरोध करते भारतीयों की उचित माँगों को स्वीकार करने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे थे।

३ सामाजिक अभिप्राय

गांधी जी इस आन्दोलन से धुमाहत होकर फिरकापरस्ती परदाप्रथा जसी मूलभूत सामाजिक क्रूरियों पर प्रहार करना चाहते थे।

आन्दोलन का प्रभाव

इस आन्दोलन से सारे देश ने एकता और जागृति की महान् सरिता में ध्रुव गाहन किया। खोग स्वाधीनता प्राप्ति के लिए मातुर हो गए और देश में भावात्मक एकता का एक अमूर्त वातावरण स्थापित हुआ। इससे निम्न वांछित परिणाम निकले —

१ इस आन्दोलन से राष्ट्रीयता की भावना को असीम बल मिला और भारतीयों में नव चेतना का मंचार हो गया। 'योग्यो सरकार का दमन चक्र बढ़ता गया यथो त्यो जनता के विश्वास में वृद्धि होती गयी। उन्हें यह पूर्ण विश्वास हो गया कि वे अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं यद्यपि कि उनमें आत्मविश्वास और घटल सकलर बता रहे।

२ इस आन्दोलन ने जीवन के सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक सभी पक्षों पर अनुकूल प्रभाव डाला। स्वदेशी का प्रचार होने से देश में आत्मनिर्भरता के नायकत्व को धन मिला। इसके साथ ही यह आन्दोलन जन आन्दोलन का अर्थ उसे देश के सभी वर्गों का समयन प्राप्त हुआ।

३ इस आन्दोलन ने क्रांतिकारियों की गतिविधियों को भी प्रभावित किया। वे बाद तो नहीं हुई परन्तु गिरियल अवश्य हो गई क्योंकि जनता का उठे हुए सहयोग नहीं मिल सका।

४ विदेशों में भा भारत के प्रति नतिक सहानुभूति का भाव जागृत हुआ और ब्रिटेन के उदारवादी तब सरकार पर यह जोर देने लगे कि वह भारत की समस्याओं पर ध्यान दें। उसे जितना जदी समव हो उतनी जल्दी स्वतंत्रता प्रदान करदे। निष्कथ रूप में हम कह सकते हैं कि अजना आन्दोलन भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में अत्यन्त अतिवादी घटना थी जिसने देश में अमूर्त उसाह और गौरवपूर्ण राष्ट्रीयता का संचार कर दिया। इस आन्दोलन की सबसे ठोस उपलब्धि यह थी कि इसका आधार जन मानस होने से यह देश के मन को पहली बार सारक रूप में पहचान पाया। इस आन्दोलन ने विश्व जनमत का नतिक समयन प्राप्त किया और यत्र जो पर इस मनोवैज्ञानिक तथ्य का रहस्योद्घाटन किया कि वे अधिक समय तक स्वतंत्रता की माँग की अपेक्षा नहीं कर सकते। निस्सन्देह यह आन्दोलन भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास का गौरवपूर्ण पहलू था।

सम्मेलनो एव समझौतो की राजनीति

प्रवेश

सविनय भवना घादोलन ने देश में अत्यन्त प्रभावशाली राजनतिक जागृति उत्पन्न कर दी। सारा राष्ट्र स्वराज्य की मांग में अपना सर्वस्व चलिदान करने के लिए तत्पर हो गया। सरकार ने भी अपनी अमानुषिकता का निवृत्त प्रवर्तन करने में कोई कसर छोड़ा नहीं रखी। जहाँ-जहाँ सरकार के अत्याचार बढ़ते गए वहाँ-वहाँ जनता में असह्य जागृति उत्पन्न होती गयी और सविनय भवना घादोलन प्रगति करता चला गया। इसी बीच ७ जुलाई १९३० ई. को साइमन कमीशन का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। देश के सभी दलान उसको अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप देश में सवधानिक गतिरोध का त्यो बना रहा। यह सवधानिक गतिरोध ब्रिटिश सरकार के लिए अत्यन्त चुनौतीपूर्ण तथ्य था जिसका उचित समाधान अत्यन्त आवश्यक था। ब्रिटिश सरकार ने समस्या का समाधान के लिए सम्मेलनो एव समझौतो की राजनीति का आश्रय लिया जिसके फलस्वरूप सरकार ने गोलमेज सम्मेलन बुलाए एव गांधी इरविन समझौता किया। सम्मेलनो की असफलता का परिणाम साम्प्रदायिक पंचाट के रूप में सामने आया जो पूना समझौता का जनक बना। शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार १९३३ ई. में सुधारो के सम्बन्ध में एक श्वेत-पत्र प्रकाशित कर १९३५ ई. के भारत अधिनियम के स्वीकृत करने की दिशा में अग्रसर हुई।

(१) प्रथम गोलमेज सम्मेलन

प्रथम गोलमेज सम्मेलन १२ नवम्बर १९३१ ई. को बुलाया गया। सम्मेलन ने इसका उद्घाटन किया और रामन मेकडोनेल्ड ने इस सम्मेलन का सभापतिरूप किया। इस सम्मेलन में ८९ प्रतिनिधियो ने भाग लिया जिनमे से १६ भारतीय देशी राजो के १७ ब्रिटिश भारत के और १६ ब्रिटिश संसद के तीन प्रमुख दलो के प्रतिनिधियो। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियो का चयन वायसराय ने किया और देशी रियासतो के प्रतिनिधियो का चुनाव वहा के शासको द्वारा किया गया था। स्पष्टत यह सम्मेलन पिछ्लू प्रतिनिधियो का सम्मेलन था जिन प्रतिनिधियो के लिए इस सम्मेलन में कोई जगह नहीं थी। वायस ने जो देश को प्रमुख संस्था थी,

सम्मेलन में भाग नहीं लिया। सम्मेलन में भाग लेने वाले हिन्दू मुसलमान सिक्ख जर्मोदार व्यापारी हरिजन और मजदूर प्रतिनिधि अपने बग-समूह की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करके सरकारी हितों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते थे।

सम्मेलन के धारण्य हान पर प्रधानमंत्री श्री मकाने ने परिषद् के उद्घाटन भाषण में तीन आधारभूत सिद्धान्तों की चर्चा की। ये आधारभूत सिद्धान्त थे

- १ व्यवस्थापिका-सभा का निर्माण संघ-शासन के आधार पर होगा और ब्रिटिश भारत के प्रांत और दली रियासतों में सामन की इकाई का रूप धारण करेंगा।
- २ केंद्र में उत्तराणी-शासन की स्थापना तथा शासन के आधार पर की जावेगी किन्तु सुरक्षा और वणिज्य विभाग गवर्नर जनरल के अधीन होंगे।
- ३ प्रान्तरिक कानून कुछ रक्षात्मक विधान प्रवृत्त होंगे।

सुभाषों के उक्त सिद्धान्तों का ध्यान में धरना करना पर पता चलता है कि इनमें किसी भी नवीन तथ्य का समावेश नहीं किया गया था और ये आधार बिन्दु ब्रिटेन की चिरघातित पूरु डाली एक राय करो जानी नीति पर ही आधारित थे। ब्रिटिश सरकार केंद्र में दोहरे शासन से प्रभावित उत्तराणी सरकार की स्थापना और रक्षात्मक विधान का व्यवस्था करके भारतीय मामलों की पहल करने काय में रखना चाहती थी। वास्तव में वह सुभाषों के लिए ही कुछ सुझाव रखना चाहती थी समस्या के समाधान के लिए नहीं। ब्रिटिश सरकार गवर्नर जनरल की सुरक्षा और वणिज्य जस महत्त्वपूर्ण विभागों का बागडोर सौंपकर अपनी स्थिति पर कुछ भी आच नहीं आन देना चाहती थी। इन सुभाषों में प्रान्त हितों की रक्षा को सर्वोपरि मानना और जनप्रतिनिधियों की शक्ति को न्यून बनाना ही सरकार का रहस्यपूर्ण उद्देश्य था।

ब्रिटिश प्रस्तावों पर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की मित्र मित्र प्रतिक्रियाएं हुए। दली तराओं के प्रतिनिधियों ने संघ राय में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। ऐसा उन्होंने ब्रिटिश इंगारे पर किया क्योंकि केन्द्रीय व्यवस्थापिका में प्रगतिशील तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक थी। भारत के ब्रिटिश प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने संघ पद्धति का विरोध नहीं किया। ये प्रतिनिधि वायसराय द्वारा मनानीत प्रतिनिधि थे अतः उनका दृष्टिकोण सरकारी दृष्टिकोण से मित्र नहीं हो सकता था। ब्रिटिश प्रान्तों के प्रतिनिधियों में कबल सरलण और उत्तराणी मंत्रियों पर नियंत्रण के सम्बन्ध में पारस्परिक मतभेद था। इन प्रतिनिधियों ने केंद्र में आगिक उत्तरदायित्व की स्थापना का स्वागत किया। श्री जयकर और तत्रबहादुर सप्र ने भारत में औपनिवेशिक स्वराय की

माग का। उनका विचार था कि प्रायः भारत का औपनिवेशिक स्वतंत्रता प्राप्ति कर ले जाती है तो स्वतंत्रता की माग स्वतः समाप्त हो जायेगी।

“सम्मेलन में प्रत्यक्ष जाति व प्रतिनिधियान अथवा अपन हिता का सरलस्य करन क लिए अपन अपन दृष्टिकोण रख जिनके कारण साम्प्रदायिकता की समस्या सर्वाधिक विवादास्पद बन गया और समाधान हुआ नही जा सता। मुसलमान पृथक निर्वाचन क पक्ष पर बल दे रहे थे और जिन्ना अपन १४ सूत्री सिद्धांत को स्वीकार करन की माग पर घुड़ हुए थे। वे अम्बेडकर का अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि थे अनुसूचितों क लिए पृथक निर्वाचन का माग पर बल दे रहे थे। हिन्दुओं क प्रतिनिधि मयूक्त चुनाव पद्धति क पक्ष में थे परन्तु वे थोड़ी समस्या वाली जातियों क लिए स्थान सुरक्षित करान क लिए तयार थे। इस तरह से वहाँ पर प्रत्येक जाति क प्रतिनिधि अपन अपन हिता का सुरक्षित करन क लिए प्रयत्नशील थे। जिस प्रकार क प्रतिनिधि शक्ति सरकार द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व करन के लिए चुन गया था मगर उनसे अमस अधिक क्या आगा वां जा सकती थी। अतः साम्प्रदायिकता क अन्त पर सम्मेलन में कार्य समझौता नही हो सका। सम्मेलन का कवन उद्देश्य माना म कुट्ट मफनता मित्रा जिनके बारे में विट्ठल प्रधानमंत्री ने अपने मुभाव रख थे।

१६ जनवरी १९३१ ई का सम्मेलन अनिश्चित काल क लिए स्थगित हो गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन क स्थगित होने क पूर्व सरकारी नीति की घोषणा करत हुए कहा

सम्राट की सरकार का मत है कि भारत सरकार का उत्तरदायित्व केन्द्रीय एव प्रांतीय धारामात्रों पर हाना चाहिए। परन्तु के साथ-साथ परिवर्तनकाल में यह अपेक्षा होती आवश्यक है कि सरकार अपने विभिन्न कल्याण का ध्यान कर सके और पारसम्बन्धक अतिकारों का स्वतंत्रता पूर्वक घोषणा कर सके। परिवर्तन काल की आवश्यकताओं का पूर्ति क लिए बनाए गए अभिरक्षण क सम्बन्ध में सम्राट की सरकार का यह दृष्टिकोण है कि सरलित शक्तियाँ इस प्रकार बनायी और प्रयुक्त की जाए कि वे उत्तरदायी शासन की स्थापना में जाति सविधान द्वारा स्थापित किया जाना है भारत की उन्नति में बाधा नही डालें। उन्होंने यह भी आगा व्यक्त की कि काग्रस भविष्य में हानि वाला शासन सम्मेलन में भाग लगी थी भारत क लिए सविधान निर्माण में मत्त करगी।

सम्मेलन के परिणामों क सम्बन्ध में विद्वानों ने भिन्न २ मत व्यक्त किए। श्री कूपनड के मतानुसार यह सम्मेलन एक अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। मगर पूर्व ४ करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा एक सम्राट के प्रति श्रद्धा रखने वाले समान हित क लिए एक समान महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श हेतु इतने प्रतिनिधि कभी भा एक स्थान पर एकत्रित नही हुए। अस्वफोर्ड के अनुमानों के अनुसार मॉट जेम्स महल में भारतीय नरग हरिजन-निकल

मुसलमान हिन्दू ईसाई जमींदार मजदूर सघों और वाणिज्य सघों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे किंतु भारतमाता वहा उपस्थित नहीं थी।

सुभाषचंद्र बोस ने लिखा "सने भारत की दो गोलियाँ दीं—अभिरक्षण और सघ—राज्य। गोलियों को खाने योग्य बनाने के लिए उन पर उत्तरदायित्व का मीठा मुलम्मा चढ़ा दिया गया था। सम्मेलन के सभी पहलुओं पर विचार करने पर हम यह निष्कप रूप में कह सकते हैं कि इस सम्मेलन का उद्देश्य न तो भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था न साम्प्रदायिकता की समस्या को हल करना और न ही भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था अपितु राष्ट्रविरोधी अवसरवादी फिरकापरस्त तत्वों को एक मंच पर लाकर कांग्रेस की शक्ति को क्षणित करना था। सत्य तो यह है कि सम्मेलन प्रारम्भ से ही अपवित्र उद्देश्यों का पोषण करके चला था उसमें भारत का वह चित्रण नहीं था जो उन लाखों गांधी का प्रतिनिधित्व करता जो विदेशी परतंत्रता के कारण पीड़ित थे और नवचेतना के नव प्रकाश में अपनी इस दयनीय स्थिति से ऊपर उठकर विदेशी गुलामी से मुक्त होने को तैयार थे। अतः सम्मेलन का अन्त निराशाजनक वातावरण में होना स्वाभाविक ही था।

(२) गांधी इरविन समझौता

ब्रिटिश राजनीति कायस को गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित करने के लिए बड़े व्यग्र थे। अतः वायसराय ने २५ जनवरी १९३१ ई. को कांग्रेस नेताओं से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की १९ जनवरी १९३१ ई. की घोषणा को स्वीकार करने के सम्बन्ध में विचार करने का आग्रह किया। सरकार ने सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाने के लिए गांधीजी एवं कायकारिणी के सभी सदस्यों को जेल से मुक्त कर दिया। जयकर तेजवहादुर सप्रू और वी. एस. छास्त्री ने गांधीजी और वायसराय में आपसी बातचीत के लिए मध्यस्थता की। कांग्रेस कायकारिणी ने भी गांधीजी को वायसराय से बातचीत करने का अधिकार प्रदान कर दिया। काफी बातचीत के बाद ५ मई १९३१ ई. को एक समझौता हुआ जो इतिहास में गांधी इरविन समझौता के नाम से विख्यात है। समझौते की गत निम्नलिखित थी—

(अ) सरकार द्वारा स्वीकृत गत

युद्ध अपराधियों के अलावा नेप सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ने जन्त संपत्ति वापिस लौटाने नमक तयार करने के शुल्क में छूट देने शराब अफीम और विदेशी कपड़े की दुकानों पर गतिपूर्ण पिकेटिंग करने की अनुमति देने की मांग स्वीकार की।

(आ) कांग्रेस द्वारा स्वीकृत गत

कांग्रेस ने यह वादा किया कि वह सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर देगी पुलिस याचिका के विरुद्ध निष्पक्ष जाय की मांग पर बल नहीं देगी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और समस्त बहिष्कारों को बन्द कर देगी।

समझौते के सम्बन्ध में प्रतिनिधियाँ

काँग्रेस के बहुमत द्वारा गांधी अखिल समझौते का अनुमोदन कर देने पर भी प्रत्येक राज्यवादी तत्वों को संतोष नहीं हुआ। गुमाप घोट ने यह काँग्रेस की पराक्रम की संज्ञा दी। श्री जवाहरलाल नेहरू ने समझौते में विहित गरमपत्र की व्यवस्था को स्वतंत्रता के प्रतिबन्धन करार दिया। युवकों ने प्रातिनिधित्वों को जाली से बचाने हेतु गांधीजी द्वारा प्रस्ताव न कराने की पट्टा की तीव्र भरसंगा की तथा गांधी मुर्दाखार के आरोपों का उद्घाटन किया। टाण्डस समझौते के गांधी अखिल समझौते को ब्रिटिश सरकार की कृत्तरीतिक विजय की संज्ञा दी।

प्रभाव

इस समझौते के फलस्वरूप काँग्रेस का प्रभाव बढ़ा। पंडित नेहरू के वाक्यों में समझौते के उपरांत अनेक व्यक्ति जो स्वामी हुए। म. कट्टों का पयराकर काँग्रेस से बच रहने का काँग्रेस की घोर आवणित होने घोर उ. ३. विद्या व्यवहार को सुधारने का प्रस्ताव दिया। यहाँ तक कि सम्प्रदायवादियों ने भी उभरे सपीय जाने का प्रस्ताव दिया। कट्टों और गुणा से गुजरने के कारण काँग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ी घोर जाला का वैतिक स्तर उगत हुआ। समझौता संकेत में म. यु. का सुत्रपात हुआ लड़कड़ाती ब्रिटिश सरकार को सहारा मिला तथा एठभंगिता के रचना पर राजनीति में परस्पर सीझाणूण वातावरण का निर्माण हुआ। अ. प्रस्ताव को कुछ समय के लिए दूरी तरफ केन्द्रित करने में ब्रिटिश सरकार को सफलता मिली। समझौते के सम्बन्ध में पामदत ने घना विचार का दम में व्यक्त किया जा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

गांधी अखिल समझौते से काँग्रेस की कोई गति नहीं हुई। यहाँ तक कि मजक बाहून भी नहीं हटाया गया। सविधान संघना आन्दोलन स्थगित कर लिया गया। काँग्रेस ने उ. गोलमेज सम्मेलन में नाम देना स्वीकार किया जो उसकी मुर्दाखारी नीति के विरुद्ध था। अखिल की जिना ने कोई विधित कल्प नहीं उठाया गया।

(३) द्वितीय गोलमेज सम्मेलन

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन १७ सितम्बर १९३१ ई० को प्रारम्भ हुआ एवं १ दिसम्बर १९३१ ई० तक चला। गांधीजी २२ सितम्बर को सन्वय पहुँच कर सम्मेलन में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन में कुल १०७ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन में म. सविधान के द्वि. राष्ट्रीय व्यावसायिक संघना संघीय व्यवस्थापिका के निर्माण केन्द्र घोर प्राप्ता में आधिक सामग्री के भेदभावे प्रादि के प्रस्ताव पर विचार किया गया। सम्मेलन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सका और सम्मेलनविषयक जे. महत्त्वपूर्ण विषय पर भी कोई निर्णय नहीं कर सका।

इस सम्मेलन की अत्यन्तता के दि. घोर तरफ उ. उ. दापी थे। प्रथम सामंशय की सोज में गोलमेज सम्मेलन अत्यन्त कोई उ. ए. यु. सम्मेलन भी नहीं

या अपितु विभिन्न स्वार्थों की पति का एक साधन था। इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधि किसी स्वतंत्र विचारधारा या आदर्शों से प्रेरित होकर काम करने को नहीं आए थे अपितु वे अपने अपने स्वार्थों की वकालत करने आए थे। द्वितीय यह सम्मेलन बेमन तर्कों का एक सगठन था। हम यत्र एक प्रेरक महात्मा गांधी जैसे महामानव भाग ले रहे थे तो दूसरी तरफ अनेक फिरकापरस्त और राष्ट्रविरोधी तत्व भी भाग ले रहे थे जिनके कारण इस सम्मेलन की वायवाही का ठीक ढंग से संचालन नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने सम्मेलन के मामले अपने विचारों को प्रतिपादित करते हुए कहा था

अप्य सब दन साम्प्रदायिक हैं। काप्रस ही केवल सारे भारत और सबके हितों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। य० को^० साम्प्रदायिक सत्त्वा नहीं किसी भी रूप में यह साम्प्रदायिकता का कट्टर विरोध करती है। काप्रस नस्ल रण और धर्म का भेदभाव नहीं जानती। हमका मख सबके लिए खुला है। काप्रस ही केवल एक ऐसी सत्त्वा है जिसका प्रभाव ७ गावों पर है। काप्रस ही सारे अल्पमतों का प्रतिनिधित्व करती है। महात्मा गांधी ने काप्रस के राष्ट्रीय स्वरूप की वकालत करने के साथ-साथ द्वय गसन को क्रियावित करने का कट शान में विरोध किया। उन्होंने सुरक्षा सेवा तथा वदेशिक विभाग पर भारतीयों का पण नियंत्रण रखने की माग की। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को राष्ट्रमंडल से सबध विच्छेद करने का भी अधिकार हाना चाहिए। गांधीजी ने इस समस्या को सुलभाने के लिए नेहरू प्रतिबेदन के आधार पर प्रयत्न किया किंतु उनको सफलता नहीं मिली। अल्पमतों तथा अनुसूचित जातियों ने पृथक निर्वाचन तथा पृथक प्रतिनिधित्व की माग की। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह सम्मेलन विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करता था और इसी कारण यह सफल नहीं हो सका।

तृतीय स्वयं ब्रिटिश सरकार की भूमिका भी इस सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थी। सम्मेलन के पूर्व मजदूर सरकार ने विसीय-मकट के कारण यागपत्र दे दिया था एवं उसकी जगह रामजे भेवडोनेड ने एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर ली थी। कहने को तो यह एक राष्ट्रीय सरकार थी परंतु इसमें अनुदार दन की प्रमुखता थी जिसे भारतीय राष्ट्रीयता से को^० सन्तानभूति नहीं थी। अनुदारवाणी ऐस किसी भी प्रयास को नाकाम करने को तत्पर थे जिसके कारण ब्रिटेन की स्थिति पर किसी भी प्रकार की आच आती थी। सरकार को भारत की नीकरशाही के हितों की रक्षा करनी थी जिसके कारण व० एसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जो नीकरशाही की स्थिति को प्रभावित करने वाला हो। ब्रिटिश सरकार गांधीजी के साथ समानता के आधार पर बातचीत करके देस की राजनीति की पहल अपने हाथ से जाने देने को तयार नहीं थी। अतः ब्रिटिश सरकार ने सम्मेलन के परिणामों का विपण बनाने के लिए सभी समभव साधनों का प्रयोग किया। उसने प्रतिनिधियों का निर्वाचन साम्प्रदायिकता और प्रजातंत्र विरोधी

साधार पर किया। उसने मुस्लिमलीग और अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों की भावनाओं का कांग्रेस के विरोध में प्रयोग किया। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य समस्या का हल करना नहीं अपितु समस्या को कूटनीतिक ध्यान से और अधिक जटिल बनाना भी था। वह कांग्रेस को दुविधापूर्ण स्थिति में डालना चाहती थी जिसके कारण वह ब्रिटिश विरोधी मोर्चा बनाने में सफल न हो सके। ब्रिटिश सरकार यदि कांग्रेस की मांगों को स्वीकार कर लेती तो निस्संदेह उसे कांग्रेस के राष्ट्रीय स्वरूप को स्वीकार करना पड़ता जो उसने लिए सध्या परस्वीकार्य था।

यद्यपि इस सम्मेलन का निराशापूर्व परिस्थितियों में घट हुआ परन्तु फिर भी इसके कुछ प्रच्छेद परिणाम निकले। प्रथम यह सम्मेलन ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन में भारत के सम्बन्ध में नीति में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। भारत के लिए चाहे यह मजदूर बन हो या अनुदार दल दोनों समानरूप से घातक हैं क्योंकि उनका चिन्तन ब्रिटेन का स्वायत्त और ब्रिटिश साम्राज्यवादी दृष्टि ही होता है तथा यह प्रवृत्ति उन्हें इस बात की प्रेरणा नहीं देती कि वे भारतीय समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस प्रयत्न करें। द्वितीय इस सम्मेलन ने वायस को भी इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि अग्रज शक्ति की परिभाषा से ही नियंत्रित किए जा सकते हैं समझौते और वार्ताओं के माध्यम से नहीं। तृतीय अंग्रेज किसी भी हानत में भारत को स्वतंत्रता देने के लिए तयार नहीं हैं उनका तो एकमात्र लक्ष्य राष्ट्रीयता की धारा को प्रवृद्ध करना है। सम्मेलन के परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार किसी भी ऐसी व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तयार नहीं है जो उसकी स्थिति को प्रभावित करती हो।

नतीचे में हम यह कह सकते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसको सवधानिक गतिरोध दूर करने के उद्देश्य से घामगिस्त किया गया था अपवित्र कूटनीति के हाथों बनाना गूना उद्देश्य लगे बठा। इस सम्मेलन में माग लेने वाले तत्त्व किसी ध्येय की प्राप्ति करने के आदश से संचालित होकर केवल अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में मुड़े हुए थे और जिन पर दबाव राजनीति का बहुत बड़ा प्रभाव था। वास्तव में यह सम्मेलन ब्रिटिश कूटनीति का वाग्जाल था जिसका उद्देश्य भारतीय राजनीति के गतिरोध के पहलुओं को सुलभमाना नहीं था अपितु उसे और मजबूत बनाना था और इसमें यह निरपेक्ष एक भटकीली वादविवाद-समाप्त्यन सफल रही।

(४) साम्प्रदायिक विभाजन

ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री रामजे मेन्डोनेल्ड ने द्वितीय गोलमेज-सम्मेलन के प्रारम्भ में यह घोषणा की थी कि यदि साम्प्रदायिक प्रश्न का कोई नवसम्मान समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया तो ब्रिटिश सरकार को अपनी कामचलाऊ घोषणा करनी पड़ेगी। सम्मेलन के समाप्त होने तक भारतीय प्रतिनिधि साम्प्रदायिक प्रश्न

पर कोई अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुँच सके। अतः १७ अगस्त १९३२ ई. को मकडोनल्ड ने अपने निर्णय की घोषणा की जिसे साम्प्रदायिक निर्णय या मकडोनेल्ड निर्णय कहते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने निर्णय की घोषणा के साथ ही एक विचार की भी व्यवस्था की। उन्होंने कहा यदि उन्हें यह विश्वास हो जाएगा कि भारत के विभिन्न सम्प्रदायों को एक धार्मिक योजना स्वीकार है तो वह ब्रिटिश संसद से सिफारिश करने कि साम्प्रदायिक निर्णय मरती हुई योजना के बदल में नई योजना स्वीकार करली जाए। साम्प्रदायिक निर्णय की मुख्य बातें निम्नलिखित थी —

- १ प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों की संख्या दोगुनी कर देना
- २ अपसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। अपसंख्यकों में प्रमुखतः सिख और ईसाईयों को शामिल किया गया
- ३ अल्पसंख्यकों को जिलों से भिन्न मानकर अलग निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था की गयी
- ४ प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में स्त्रियों के लिए ३ प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दिए गए
- ५ भूमि स्वामियों के लिए सुरक्षित स्थानों पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गयी
- ६ अल्पसंख्यक उद्योग आदि संघों के लिए विशेष व्यवस्था की गयी और
- ७ विभिन्न प्रांतों में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में गुरुवार की व्यवस्था तैयार उसे विचार नीति से लागू करना था।

साम्प्रदायिक निर्णय के मूल में अल्पसंख्यकों की कुत्सित मनोवृत्ति कायम कर रही थी। उन्होंने बांटो एवं राय करों के सिद्धांत को अपनाकर देश में अस्तिमान साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देना और जनता को अलग प्रतिनिधित्व देकर हिन्दू-समाज में विषम धोलने भारतीय अल्पसंख्यकों को अनुचित मान्यता प्रदान कर राष्ट्रीय एकता को छिन्न भिन्न करने राजाशाही और जागीरदारों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर अल्पसंख्यकता को प्रोत्साहित करके भारत में प्रगतिशीलता की गतिविधियों को नियंत्रित एवं कमजोर करने का पथ चलाया। फलस्वरूप यह स्वाभाविक ही था कि कांग्रेस क्षेत्र में इस निर्णय के मूल में प्रतिबल एवं मुस्लिम क्षेत्र में अनुकूल प्रतिक्रिया होती। करोड़ों अनुप्राणित जनजातियों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था से कांग्रेसी दक्षिण में मुस्लिमों को छोड़ गयी और व भारतीय राष्ट्र नीति के सम्बन्ध में बंधन उठा कर योग्य बनाने लगे। मुसलमानों में इसलिए खुशी का बहारा फैल गया कि एक ओर तो उन्हें अपने पृथक अस्तित्व के लिए ठोस आधार प्राप्त हो गया तो दूसरी तरफ हिन्दुओं में फूट डाने की व्यवस्था से भी उन्हें अपना वांछित उद्देश्य प्राप्त होने के आसार उभर आने लगे। हिन्दू समाज में अल्पसंख्यकता की विभीषिका से पीड़ित अल्पसंख्यक वर्ग सदा से ही दासता से मुक्त रहकर अनुभव करने लगा। उनको भी अपनी आवाज बुलन्द करने का स्वल्प अवसर प्राप्त हो गया।

मेकडोनेल्ड की १९३२ ई. की घोषणा को साम्प्रदायिक नियम की सजा न देकर आरोपित व्यवस्था कहना अधिक उचित है। किसी भी नियम में मध्यस्थ की व्यवस्था होती है। परन्तु वहाँ तो एक पत्र ब्रिटिश सरकार ने अपना नियम भारतवासियों पर अबरदस्ती लाद दिया। इस नियम द्वारा हिंदुओं के साथ भयंकर व्यवहार किया गया। पंजाब और बंगाल में जहाँ हिंदू अल्पमत में थे उनको अपनी जनसंख्या के अनुपात से कम प्रतिनिधित्व दिया गया। मुसलमान और सिक्खों को हिंदुओं की तुलना में अधिक स्थान प्रदान किए गए। भारतीय ईसाइयों को अपनी जनसंख्या के अनुपात से तिगुना और यूरॉपियनों को अपने अनुपात से गार्डसी गुना दिया गया अनुसूचितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार करके हिंदुओं की मूलभूत व्यवस्था पर प्रहार किया गया तथा करोड़ों अनुसूचित लोगों को हिंदुओं से अलग करने का प्रयत्न किया गया। स्त्रियों और भारतीय ईसाइयों को अधिक सुविधाएँ और हरिजनों को पृथक निर्वाचन देकर हिंदुओं को निशस्त्र करने तथा भारतीय एकता को क्षिप्त भिन्न करने का हरसमभव प्रयत्न किया गया था। मेहता और पटवर्धन के शब्दों में यह विभाजन घम एवं व्यवसाय के आधार पर किया गया था तथा संपपूरण विभाजन की कोई भी संभावना बचाकर नहीं रखी गयी थी।

इस निर्णय द्वारा साम्प्रदायवाद के अधिनायकत्व की स्थापना का भय पैदा हो गया। प्रत्येक प्रांत में एक सम्प्रदाय का दूसरे सम्प्रदाय पर शासन का भय हो गया। पंजाब में मुसलमानों का और उत्तरप्रदेश में हिंदुओं का निरंकुशवाद स्थापित होने की संभावना पैदा हो गयी। पंडित मालवीय के शब्दों में एक सम्प्रदाय पर दूसरे सम्प्रदाय का निरंकुश शासन स्थापित करना ही साम्प्रदायिक नियम का एकमात्र लक्ष्य था।

साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मबदानीक एवं ऐतिहासिक आधार भी नहीं था। किसी भी देश में कम विषय या जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना शोषण शक्ति से बाहर और निहास की व्यवस्था के प्रतिबन्ध ही कहा जा सकता है। संक्षेप में यह निर्णय अंग्रेजों की एक चाल थी जिसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को चिरकाल तक जगाए रखना था।

(५) पूना सम्भोता

साम्प्रदायिक पंचाट महान्या गांधी को स्वीकृत नहीं था क्योंकि इसके द्वारा दलित वर्गों या हरिजनों को हिंदुओं से अलग करने और हिंदुओं की एकता नष्ट करने की कोशिश की गयी थी। महात्मा गांधी ने सरकार को पहले ही यह चेतावनी दे दी थी कि यदि साम्प्रदायिक पंचाट को भारत पर लागू किया गया तो वे ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय का अपनी जान की बाजी लगाकर विरोध करेंगे। सरकार ने महात्मा गांधी की इस चेतावनी की कोई परवाह नहीं की। अंत २ सितम्बर १९३२ ई० को महात्मा गांधी ने अपना मरण व्रत आरम्भ किया। डा. अम्बेडकर ने इस व्रत को राजनैतिक धूर्तता बताया। कुछ लोगों ने इसे अपनी माँग मनवाने का तरीका बताया। परन्तु गांधीजी के मरण-व्रत का काफी प्रभाव हुआ।

इससे हरिजन एवं हिन्दू-नताभा को निर्णय के दुष्प्रभावा का एहसास हुआ। फलस्वरूप पंडित मदनमोहन मालवीय राजे-प्रसाद तथा एम. एस. राजा के प्रयत्नों से एक समझौता हुआ। इस समझौते को महारमा गांधी तथा अम्बेडकर ने स्वीकार कर २६ सितम्बर १९३२ ई. को इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते को पूना-समझौता कहा जाता है। गांधीजी ने समझौते के परिचायक प्रपना व्रत तोड़ दिया।

इस समझौते के अनुसार हिन्दुओं और हरिजनों का प्रतिनिधित्व एकट्ठा ही रहा परन्तु हरिजनों को जितने स्थान साम्प्रदायिक पंचाट के अनुसार प्राप्ति मिल गये थे उससे दुगुने से भी अधिक स्थान इस समझौते के अनुसार दिए गए। साम्प्रदायिक पंचाट के अनुसार हरिजनों को ७१ स्थान दिए गए थे परन्तु पूना-समझौते के अनुसार उनके १४८ स्थान सुरक्षित कर दिए गए। इन स्थानों का चुनाव दो प्रवस्थाओं में होना निश्चित हुआ। प्रारम्भिक चरण में हरिजनों को साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली के आधार पर प्रत्येक स्थान के लिए चार उम्मीदवार चयन थे। द्वितीय चरण में हिन्दू तथा हरिजन मिल कर मतदान करते थे। इसके अनिश्चित उन साधारण स्थानों के लिए जो हरिजनों के लिए सुरक्षित नहीं किए गए थे हरिजनों को चुनाव में एक प्रतिरिक्त मत देने का अधिकार दिया गया। इस समझौते के अनुसार केन्द्रीय विधानमंडल में हरिजनों को संयुक्त चुनाव पद्धति के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया परन्तु उनके उसी तरह स्थान सुरक्षित कर दिए गए जिन तरह प्रांतों में। लगभग २ प्रतिशत स्थान ब्रिटिश भारत में देगी रियासतों को छोड़ कर, हरिजनों के लिए सुरक्षित कर दिए गए। स्थानीय संस्थाओं और सावजनिक सेवाओं में हरिजनों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। हरिजनों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की कुछ गतों रखी गई।

पूना-समझौते की सूचना ब्रिटिश सरकार को दी गई जिसने इस स्वीकार कर लिया। गांधी जी को जेल से मुक्त कर दिया गया।

(६) एकता सम्मेलन

गांधी जी के मरण-पश्चात् के समय मदनमोहन मालवीय एवं मौलाना शौकत अली ने हिन्दू मुसलमान एकता के प्रयास प्रारम्भ किए परन्तु कट्टर साम्प्रदायिक विचारधारा वाले मुसलमान नेताओं ने इसका विरोध किया। सबदलीय मुस्लिम सम्मेलन के अध्यक्ष ने ७ अक्टूबर १९३२ ई. को यह घोषणा की कि पृथक या संयुक्त निर्वाचन के विवाद को पुन उठाना बेकार है एकता के लिए यदि बहुसंख्यक सम्प्रदाय कुछ प्रस्ताव रखे तो उन पर विचार किया जा सकता है। श्री मानवीय को इस घोषणा से आशा बंधी और उन्होंने सबदलीय मुस्लिम अधिवेशन से हिन्दुओं और सिक्खों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए एक समिति गठित करने का मुझाव दिया। ३ नवम्बर १९३२ ई. में इलाहाबाद में एकता-परिषद् का सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सहमति हो गई परन्तु बंगाल एवं मध्य प्रांत में

विधानमण्डल के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित विवाद से तद्भावनापूर्ण वातावरण को कराव कर लिया। इसी समय भारत में श्री सम्प्रदाय द्वारा ने मुसलमानों को के ीय विधानमण्डल में ३ कु प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने की घोषणा कर दी। फलस्वरूप मुसलमान नेताओं की फिर आशाओं में बाग-बीत करने में दक्षिण कमी हो गई। २० नवम्बर १९३२ ई. को सींग ने दलालावाद एतता सम्मेलन के निर्णयों की प्रतिक्रिया की तथा उन्हें अस्वीकृत घोषित कर दिया एवं साम्प्रदायिक निर्णय से सहमति प्रकट कर दी। दिसम्बर १९३२ ई. में सम्मना परिषद् ने पुनः एक बैठकों का आयोजन किया परन्तु एतता के प्रयत्नों में सफल नहीं हुए।

(७) सुनीय गोलमेज सम्मेलन

भारत में घटित राजनीतिक घटनाओं में प्रभावित हुई ब्रिटिश सरकार भारत में शासन सुधार की अपनी योजना को निर्वाचित करने के लिए त्रिपक्षीय बनी रही। सरकार ने १७ नवम्बर १९३२ ई० को भारतीय प्रतिनिधियों का सुनीय गोलमेज सम्मेलन खानदान में आयोजित किया जो २४ दिसम्बर १९३२ ई० तक चला। इस सम्मेलन में भारत से बयत राज भर्तों और सम्प्रदायवादियों में भाग लिया। ब्रिटेन में भी मजदूर दल ने इसमें भाग लेने से इंकार कर दिया। कांग्रेस इससे विमुख बन गई। फलतः सम्मेलन किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सका। इसने बयत विगत गोलमेज परिषदों के निर्णयों की पुष्टि की और नए संविधान के संबंध में कुछ बातों पर निर्णय लिया। भारतीय प्रतिनिधियों ने कुछ प्रगतिशील प्रस्ताव रखे जो पर सम्मेलन में कोई ध्यान नहीं दिया गया।

सन् १९३५ के सुधारों की तरफ बंदम

ब्रिटिश सरकार ने मार्च १९३३ ई. में एक द्धत पत्र प्रकाशित किया। इसमें भारत के लिए नए सुधारों और भाषों संविधान पर प्रकाश डाला गया। द्धत पत्र के सभी प्रस्ताव अत्यंत प्रतिगामी थे। भारत के किसी प्रगतिशील तत्व को यह स्वीकृत नहीं था परन्तु ब्रिटिश सरकार ने इसकी चिन्ता नहीं की और भाग फलकर इस द्धत-पत्र को ही १९३५ ई. के भारत अधिनियम का आधार बनाया। द्धत पत्र के प्रकाशित होने के अतिरिक्त अत्यंत आन्दोलन मूल पड़ गया था और भारतीयों के मन में अत्यंत-विषय-समाप्ति में प्रवेश करने की भावना पैदा हो गई थी। ३१ मार्च १९३३ ई. को काँग्रेस कायदाओं की एक बैठक डॉ० छात्राजी के नेतृत्व में दिल्ली में हुई जिसमें स्वराज्य दल को पुनः जीवित कराने का निश्चय किया गया। यह भी निश्चय किया गया कि काँग्रेस आगामी निर्वाचन में भाग ले। गांधी जी ने अपनी सहमति प्रदान कर दी। एक निर्वाचन बोर्ड की स्थापना की गई। १९३४ ई. में काँग्रेस ने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचन में भाग लिया उसे आशातीत सफलता मिली। पञ्जाब में अतिरिक्त उस सभी प्रांतों में विजय प्राप्त हुई। कांग्रेस ने व्यवस्थापिका सभा में उरनाह और उत्पत्ता से काय करना प्रारम्भ कर दिया। इस समय ब्रिटिश ग घटित होने वाली घटनाओं में विशिष्ट-रूप से इसमें ही रहे विचार

न भारतीयों को प्रभावित कर दिया। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाषचन्द्र बोस ने समाजवादी देशों का दौरा किया। समाजवादी देशों में हो रही प्रगति का इन लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। कांग्रेस में विद्यमान प्रगतिशील तत्त्वों ने सुभाष बोस के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी दल (१९३४) का निर्माण किया। इस दल ने विश्व के कमजोर वर्ग एवं भारतीय जनता की एकता पर बल दिया तथा भारतीय जनता से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने का आह्वान किया। कुछ समय पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन सुधार के लिए १९३५ ई. का भारत-सरकार अधिनियम स्वीकृत कर लिया।



सन् १९३५ का भारत-सरकार अधिनियम

अधिनियम की स्वीकृति

माघ १९३३ ई० के दशम पत्र में दिए हुए सरकारी निरुपेक्ष एवं प्रस्तावों पर विचार करने के लिए शीघ्र ही एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई। ११ नवम्बर १९३४ को इस समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। इस प्रतिवेदन में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर ब्रिटिश समद ने एक अधिनियम पारित किया। अगस्त १९३५ ई० में इसे ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति प्राप्त हो गई। इस अधिनियम को १९३५ ई० का भारत सरकार का अधिनियम कहा जाता है। यह अधिनियम काफी लम्बा और जटिल है। इसमें ३२१ पाराए और १ परिशिष्ट हैं। यद्यपि इन अधिनियम में प्रोबेन बमियाँ थीं फिर भी यह अधिनियम अत्यन्त महत्व का था क्योंकि इसमें पहली बार ब्रिटिश प्रान्तों एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक सभ स्थापित करने प्रान्तों में दोहरा शासन के स्थान पर प्रान्तीय स्वराज्य प्रारम्भ करने और केन्द्र में दोहरा शासन की स्थापना किए जाने की व्यवस्था की गई थी।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

(१) भारतीय सभ

सन् १९३५ के अधिनियम की एक विशेषता यह है कि इसने द्वारा प्रथम भारतीय सभ की स्थापना की गई। यह सभ ११ ब्रिटिश गवर्नर प्रान्तों ६ प्रोबेन बमियनर प्रान्तों और ऐसी देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वयं की इच्छा से सभ में सम्मिलित होने के लिए राजी हो जाए। ब्रिटिश प्रान्तों के लिए सभ में सम्मिलित होना अनिवार्य था जबकि देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। प्रत्येक देशी रियासत को जो सभ में प्रवेश करने की इच्छा हो एक प्रवेश लेख पर हस्ताक्षर करने थे। उस प्रवेश लेख में उस देशी रियासत की उन शर्तों का उल्लेख करना था जिनके आधार पर वह रियासत सभ में प्रवेश पाने के सिद्धे तयार थी। सभ की इच्छाओं को अपने आंतरिक मामलों में स्वराज्य प्राप्त था।

(२) केन्द्र में दोहरा शासन

अधिनियम की दूसरी विशेषता केन्द्र में दोहरा शासन स्थापित करने की व्यवस्था का किया जाना था। संघीय विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया। कुछ संघीय विषयों को गवर्नर जनरल के हाथ में निदिष्ट कर दिया गया ताकि

वह उनकी समुचित व्यवस्था कर सके। बाकी के विषय हस्तांतरित विषय रखे गए। सुरक्षित विषयों में प्रतिरक्षा एवं विदेशी विषय और व्हायनी क्षेत्रों की व्यवस्था शामिल थी। सुरक्षित विषयों का शासन करने के लिए गवर्नर जनरल अधिक से अधिक ३ परामशदाता नियुक्त कर सकता था जिनकी नियुक्ति वह स्वयं करता था। हस्तांतरित विषयों के लिए गवर्नर जनरल का सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल की स्थापना की गई थी जिसमें अधिक से अधिक १ सदस्य हो सकते थे। गवर्नर जनरल की हितायत दी गयी थी कि वह ऐसे व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद् में नियुक्त करे जिनके पीछे विधानमण्डल में स्थायी बहुमत हो। उम्मा यह भी हितायत दी गई थी कि वह मंत्रिपरिषद् में देशी रियासतों और अधिसूचकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करे। गवर्नर जनरल को हस्तांतरित तथा सुरक्षित दोनों प्रकार के विषयों के संचालन का अधिकार था और उम्मा इन दोनों में सहयोग उत्पन्न करना था। मंत्रिमण्डल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी था। गवर्नर जनरल को यह भी उत्तरदायित्व दिया गया था कि वह मंत्रिपरिषद् तथा परामशदाताओं में सामूहिक विचार विमर्श को प्रोत्साहित करे।

(३) प्रांतीय स्वशासन

इस अधिनियम की तीसरी बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वशासन या स्वायत्त शासन का प्रारम्भ था। उम्मा अधिनियम के अनुसार प्रांतों को अपने विषयों में काफी सीमा तक प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई तथा उन्हें एक नया सवधानिक दर्जा प्रदान किया गया। प्रांतों में सुरक्षित और हस्तांतरित विषयों का अंतर समाप्त कर दिया गया। जो विषय प्रांतों को दिए गए उनमें स्वशासन द दिया गया और केन्द्रीय हस्तक्षेप अधिक सीमित कर दिया गया। प्रांतीय शासन का चयन का उत्तरदायित्व मंत्रियों को दिया गया जो अपने कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रकार प्रांतों में पूरा उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। गवर्नरों को यद्यपि काफी शक्ति प्राप्त थी फिर भी वे शासन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करते थे।

(४) क्षेत्र एवं प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन

अधिनियम की चौथी विशेषता क्षेत्र एवं प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा था। उम्माके लिए ३ सूचियाँ बनाई गईं। सघीय सूची में ५६ विषय रखे गए। जो विषय अखिल भारतीय स्तर के थे वे विषय इन सूची में सम्मिलित किए गए। उदाहरण स्वरूप सशस्त्र सेनाएं विदेशी मामले केन्द्रीय संघाएँ डाक व तार मुद्रा व नाट आदि। सघीय सूची पर केवल क्षेत्र विधानमण्डल को बानून बनाने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय सूची में ५४ विषय थे। निम्ना स्वानीय स्वशासन सावजनिक स्वास्थ्य शिक्षा एवं मुराहा भूराजस्व कृषि वन मिर्चाई व नहरें प्रांतों की सीमा में यागार एवं उद्योग इस सूची में सम्मिलित किए गए थे। समवर्ती सूची में ३६ विषय रखे गए थे जिस पर सघीय एवं प्रांतीय विधानमण्डल दोनों को बानून

बनाने का अधिकार दिया गया था दोनों द्वारा एक ही विषय पर कानून बनाने पर केन्द्रीय विधानमण्डल द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होता था। अर्थात् प्रांतीयों के बारे में गवर्नर जनरल को अपनी इच्छा में सघीय विधानमण्डल या प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति दे देने का अधिकार दिया गया था।

(५) रक्षा कवचों की व्यवस्था

इस अधिवेशन की पाचवीं विशेषता इनके द्वारा अल्पमतों एवं अनेक वर्गों की रक्षा के दृष्टि से रक्षा कवचों एवं संरक्षण की व्यवस्था का किया जाना था। अंग्रेजी सरकार ने अधिनियम में इनका सम्मिलित करना इसलिए आवश्यक समझा था कि जिससे अल्पमतों को बहुमत का किसी प्रकार से भय न रहे तथा यह अधिनियम प्रकृति प्रकार से लागू कर सके। इस अधिनियम में गवर्नरों तथा गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे जिनका विस्तृत वर्णन आगे किया जाएगा।

(६) ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता

इस अधिनियम की उठी विशेषता ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को अक्षुण्ण रखना था। अधिनियम में किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार सघीय या प्रांतीय विधानमंडलों को नहीं दिया गया था। इस विषय में सारी शक्ति ब्रिटिश संसद के हाथ में रखी गयी थी। प्रांतीय विधानमंडल कुछ सीमाओं में रहने हुए प्रांतीयता में कुछ संशोधन की सिफारिश कर सकते थे।

(७) अधिनियम की प्रस्तावना

इस अधिनियम की मातृकी विशेषता इसमें नयी प्रस्तावना का अभाव था। अधिनियम में कोई नयी प्रस्तावना नहीं जोड़ी गयी। मन् १९१९ में अधिनियम को गृह कर देने के बाद भी उसी अधिनियम की प्रस्तावना को १९३५ ई के अधिनियम के साथ जोड़ दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने यह इतिहास किया था कि भारतीयों को यह ध्यान रहे कि ब्रिटिश सरकार का अन्तिम उद्देश्य भारत में अधिगण-प्रतिष्ठान या प्रोपेनिवैजिक स्वराज्य स्थापित करने का है।

इस अधिनियम की अन्य विशेषताएँ वर्मा को भारत से पृथक् करने का निश्चय वगैरह के ऊपर निजाम हैदराबाद की प्रभुता का स्वीकार किया जाना सघीय न्यायालय की स्थापना और जजों में दो सदनों के विधानमंडल की व्यवस्था आदि हैं।

अधिनियम के मुख्य उपबन्ध

इस अधिनियम के मुख्य उपबन्ध निम्नलिखित हैं —

(१) मन् १९३५ में अधिनियम द्वारा भारत सरकार पर नियंत्रण निगरानी तथा निर्देशन का अधिकार ब्रिटिश संसद को दे दिया गया किन्तु इससे भारत मंत्री की शक्ति में कोई अन्तर नहीं आया। क्योंकि ब्रिटिश संसद की शक्तियों का प्रयोग वस्तुतः भारत मंत्री द्वारा ही होता था।

(२) भारत मंत्री का इससे पूर्व के सभी कार्यों पर निगरानी और नियंत्रण

रखन का अधिकार था। सन् १९३५ के अधिनियम के द्वारा प्रान्तों में स्थायित शासन की स्थापना का निश्चय किया गया तथा वे में दोहरा शासन लागू करने का। यह भाव यह हो गया कि उन कार्यों पर जिनका उत्तरदायित्व भारतीय मंत्रियों को सौंपा जाए भारत मंत्री का नियंत्रण ढीला कर दिया जाए। अतः हस्तान्तरित मामलों में भारत मंत्री का नियंत्रण ढीला कर दिया गया। जिन मामलों पर गवर्नर जनरल और गवर्नर को व्यक्तिगत नियुक्ति की शक्ति दी गयी थी उन विषयों पर भारत मंत्री का नियंत्रण ज्या का त्यों बना रहा। भारत मंत्री को प्रतिरक्षा विदेशी सम्बन्ध बनायनी क्षेत्र भारत का रिजर्व बैंक सचिव रेनवे और धार्मिक मामलों पर काफी नियंत्रण प्राप्त था। वह भारतीय नागरिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा आदि के अधिकारियों की नियुक्ति करता था और उनकी सेवा की शर्तें तय करता था। वह भारतीय मामलों में ब्रिटिश राज का संवैधानिक परामर्शदाता था। जो विधेयक गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बाद सम्राट की अनुमति के लिए भेजे जाते थे उनको स्वीकार करने या अस्वीकार करने के विषय में वह सम्राट को परामर्श देता था। भारत मंत्री ब्रिटिश संसद के एजेंट के रूप में कार्य करता था तथा भारतीय मामलों की सूचना ब्रिटिश संसद को देता था। सन् १९३५ के अधिनियम के अनुसार वह निश्चिन्त रूप से सबसे अधिक शक्तिशाली अधिकारी था।

(३) इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद समाप्त कर दी गयी तथा भारत-मंत्री को परामर्श देने के नियम से कम ३ और अधिक से अधिक ६ परामर्शदाता नियुक्त करने का निश्चय किया गया। इन परामर्शदाताओं की नियुक्ति ५ वर्ष के लिए होती थी तथा उनमें प्रत्येक को १३५ पाँच वार्षिक वेतन इंग्लैंड के धन कोष से मिलता था। परामर्शदाताओं में से कम से कम घाघे व्यक्ति ऐसे होने चाहिए थे जो १ वर्ष तक भारत में रह चुके हों तथा नियुक्ति के समय उन्हें भारत छोड़े हुए दो वर्ष से अधिक नहों हुए हों। परामर्शदाताओं का कार्य केवल परामर्श देना था और भारतीय सेवाओं के विषयों के अतिरिक्त यह भारत मंत्री की इच्छा पर निर्भर था कि वह उनके परामर्श को माने या न माने।

(४) सन् १९३५ के अधिनियम के द्वारा हाई कमिश्नर के सम्बन्ध में कोई अधिक परिवर्तन नहीं किए गए। इस अधिनियम द्वारा केवल यह व्यवस्था की गयी कि उसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल केवल अपने व्यक्तिगत नियुक्ति के अनुसार करेगा।

(५) गवर्नर जनरल को भारतीय सचिव का मुखिया बनाया गया। गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श से ५ वर्ष के लिए करता था। उसको २ लाख ५१ हजार ८ रुपया प्रतिवर्ष भारतीय कोष से मिलते थे। उसको अर्थ भी प्राप्त थे। गवर्नर जनरल सारे शासन की धुरी था और उसे अत्यधिक शक्तियाँ दी गयी थीं। सन् १९३५ के अधिनियम द्वारा प्रदत्त गवर्नर जनरल की शक्तियों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है।

(i) व्यक्तिगत नियुक्ति की शक्तियाँ (ii) स्वच्छाचार्य शक्तियाँ और (iii) मंत्रियों के परामर्श के अनुसार प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ।

(1) गवर्नर जनरल को निम्नलिखित विषय उत्तरदायित्व एवं व्यक्तिगत निरूप्य की शक्तियाँ सौंपी गयी थीं —

- १ भारत तथा उसके किसी भाग की शांति की किसी बड़े संकट से रक्षा करना
- २ सावजनिक सेवाओं के उचित हितों एवं मामों की रक्षा करना
- ३ ग्रन्थ सख्या वाली जातियों एवं वर्गों के उचित हितों की रक्षा करना
- ४ भारतीय रिवाजों के अधिकारों समुचित हितों तथा उनके शासकों के सम्मान की रक्षा करना
- ५ अग्रजों तथा उनके माल के विच्छेद पक्षपात की रोकथाम करना
- ६ सभ सरकार के आर्थिक स्थायित्व तथा सख्त की रक्षा करना
- ७ कार्यकारिणी परिषद् की तरफ से कोई ऐसा कार्य न होने देना जिससे वाणिज्य के सम्बन्ध में कोई असमान व्यवहार या भेदभाव दिखाई दे, और
- ८ यह देखना कि उसके किसी कार्य से उन विषयों के कर्तव्यपालन में बाधा न पड़े जिनमें अधिनियम के अनुसार उसे या तो अपनी स्वच्छाचारी शक्तियों के अनुसार कार्य करना है या अपने व्यक्तिगत निरूप्य के अनुसार व्यवहार करना है ।

(11) गवर्नर जनरल को इनके विषयों में अपनी स्वच्छानुसार कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया था

(क) सुरक्षित विभागों का शासन

प्रतिरक्षा विभाग धार्मिक मामलों अधिराज्यों के अतिरिक्त भारत के अन्य देशों में सम्बन्ध और बकायली क्षेत्र का शासन चलाते समय गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह मंत्रियों से परामर्श ले या न ले । वह मंत्रियों के परामर्श से बंधा हुआ भी नहीं था । उनके परामर्श को मानना या न मानना गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर करता था ।

(ख) नियुक्तियाँ

गवर्नर जनरल को मंत्रियों को नियुक्त करने एवं उनको हटाने का अधिकार था । वह मंत्रि परिषद् की बैठकों का अध्यक्ष होता था । गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी-परिषद् के सदस्य वित्तीय परामर्शदाता रिजर्व बँक के गवर्नर तथा उप गवर्नर को नियुक्त करने उनको हटाने उनकी सेवाओं के नियम निर्धारित करने तथा उनके वेतन और भत्ता निश्चित करने का अधिकार था । गवर्नर जनरल को सीक कमिश्नरों सधीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को सधीय रेलवे मस्थान के कुछ सदस्यों को तथा रेलवे ट्रिपूनल के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार था ।

(ग) वानुजी क्षेत्र

गवर्नर जनरल को वानुजी क्षेत्र में भी स्वच्छाचारी अधिकार प्रदान किए

गए थे। उसे सधीय सभा के अधिवेशन की बुनान स्पष्टि करने एवं भग करने का अधिकार था। उसे विधेयका के अन्वय म कर्णीय विधानम र को सश भेजने तथा अनुचित विधेयकों को अरवीकृत करने का अधिकार प्राप्त था। कुछ विधेयका को उसकी पूव अनुमति के बिना विधानमडन म प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। वह कुछ विशेष विधेयका को द्विटिक सम्राट की स्वीकृति क लिए भी मुरंगित कर सकता था। उसे अधिनियम बनाने का भी अधिकार था जो गवर्नर जनरल क अधिनियम कह जाते थ। उन विधेयकों को बहु कर्णीय विधानमडन की इच्छा क विरुद्ध बना सकता था। गवर्नर जनरल को अध्यात्म जारी करने का अधिकार था। अध्यादेश दो प्रकार के होते थ। प्रथम जब सधीय विधानमडल का बैठक नहीं हो रही होवी और को अध्यादेशीन स्थिति उत्पन्न हो जाती ता गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। यन्थ अध्यादेश विधानमडन की बैठक प्रारम्भ होने क ६ सप्ताह क अन्तर विधानमडन के द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते तो उनकी अधधि समाप्त हो जाती तथा के लागू नहीं किए जा सकते थ।

द्वितीय गवर्नर जनरल अपनी शक्तियों का यत्किगत निरुपण की शक्तियों के अनुसार चलने वान कार्यों क निरूपण आवश्यक ममभे तो अध्यादेश जारी कर सकता था। इस प्रकार के अध्यादेश ६ महीने तक जारी रहते थ और किसी दूसरे अध्यादेश द्वारा इनकी अधधि छ माह के लिए घोर बढ़ाई जा सकती थी।

(घ) सविधान को स्थगित करने का अधिकार

यदि गवर्नर जनरल यह महसूस करे कि सधीय सरकार अधिनियम क अनुसार नहीं चलानी जा सकती है तो उस इस अधिनियम की धारा ४५ के अंतगत एक घोषणा द्वारा सविधान का स्थगित करने का अधिकार प्राप्त था। सविधान के विफल होने पर वह उन सब अधिकार एवं शक्तियों का त्याग कर सकता था जो पहल किसी भी सधीय शक्ति के हाथ म थी और उनका अरु उसका प्रयाप होता था। सविधान की विफलता की घोषणा का गवर्नर जनरल को भारत मंत्री के पास भेजना पड़ता था जो उस ससद क दोनों सदनो क समक्ष रखता था। इस घोषणा का प्रभाव छ महीने तक रहता था। ससद इसका समय स पूव भी एक प्रस्ताव द्वारा रद्द कर सकती थी।

(ङ) मंत्रियों क कार्य विभाजन का अधिकार

गवर्नर जनरल को अपने मंत्रियों म कार्य का विभाजन करने सरकारी कार्य को आसानी स चलाने एवं शासन सवधी सूचनाओं की जानकारी नीप्त देने हेतु नियम एवं विनियम बनाने का अधिकार था।

गवर्नर जनरल को हस्तान्तरित विषया का कार्य मंत्रियों क परामुख क अनुसार चलाना था कि तु जहा पर उसक विषय उत्तरदायि का का प्रश्न उत्पन्न होता था वहाँ पर वह अपने यत्किगत निरुपण की शक्तियों का प्रयोग कर सकता था।

(६) गवर्नर जनरल को परामुख देने क लिए एक कार्यकारी परिषद और एक मंत्रिपरिषद के निर्माण का निश्चय किया गया। गवर्नर जनरल का

सुरक्षित विषयो का मन्वानन करने क लिए सदस्यों की एक कायकारिणी परिषद् नियुक्त करने का अधिकार था। कायकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा होती थी तथा वे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। कायकारिणी क सदस्य विधानमंडल क सदस्य होने थे। व विधानमंडल की बैठक में भाग लेते थे किन्तु उ ह मत देने का अधिकार नहीं था। कायकारिणी क सदस्यों के परामर्श को मानने क लिए गवर्नर जनरल बाध्य नहीं था। उस्ता तरिक्त विषयो का मानने गवर्नर जनरल को मन्त्रि परिषद् के परामर्श के अनुसार करना था। मन्त्रि परिषद् सघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी। मन्त्रि परिषद् की संख्या १ से अधिक नहीं होती थी। गवर्नर जनरल को सन् १९३५ क अधिनियम के द्वारा एक अनुदेश पत्र दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि वह सघीय विधान परिषद् में बहुमत देने क परामर्श के अनुसार अपने मन्त्रियों की नियुक्ति करे। गवर्नर जनरल को यह भी हिदायत दी गई थी कि वह अपने मन्त्रियों में सामूहिक उत्तरदायित्व क सिद्धान्त का विश्वास करे। मन्त्रियों क लिए विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक था। यदि कोई भी व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं होता और मन्त्री नियुक्त कर दिया जाए तो उम छ मा० के भीतर सदन का सदस्य बनना पता था अन्यथा त्यागपत्र देना पड़ता था। मन्त्रि परिषद् की बैठक की अध्यक्षता गवर्नर जनरल करता था।

(७) सघीय विधानमंडल के दो सदन रखे गए थे राजसभा तथा सघीय सभा। सघीय सभा में ७५ सदस्य थे जिनमें से १२५ स्थान देशी रियासतों तथा २५ स्थान ब्रिटिश प्रांतों को दिए गए थे। २५ स्थानों में से ४ स्थान बर-प्रांतीय थे जिन्हें व्यापार वाणिज्य तथा क्रम में विभक्त किया गया था। जो स्थान देशी रियासतों को दिए गए थे उनको देशी रियासतों के शासक अपनी इच्छा से भरते थे। ब्रिटिश भारत को प्रदान किए गए स्थान अल्पसंख्यक निर्वाचन द्वारा भरे जाते थे। ये सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचन किए जाते थे। प्रांतीय विधानसभाओं के प्रत्येक सम्प्रदाय के सदस्य सघीय सभा के लिए अपने अपने सम्प्रदाय के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। सघीय सभा में ४२ स्थान मुसलमानों के लिए ६ सिक्खों के लिए ८ यूरोपियों के लिए ८ भारतीय ईसाइयों के लिए ४ आग्नि भारतीय सम्प्रदाय क लिए ७ जमींदारों के लिए १ मजदूरों के लिए ११ वाणिज्य और व्यापार क लिए और १० सामान्य स्थान रखे गए थे। सामान्य स्थानों में से १६ स्थान हरिजनों के लिए सुरक्षित रखे गए थे। सघीय सभा का प्रथम अधिवेशन १९३५ में हुआ किन्तु गवर्नर जनरल समय में पूर्व भी इस मंग कर सकते थे।

राजसभा में २६ सदस्य थे जिनमें से १४ सदस्य देशी रियासतों के थे। देशी रियासतों क स्थान राजसभा की इच्छानुसार भरे जाते थे। ब्रिटिश प्रांतों के १५६ प्रतिनिधियों में से ५ सदस्यों को गवर्नर जनरल अपनी इच्छानुसार स्थानों अल्पसंख्यकों दलित वर्ग एवं परिगणित जातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत

करना था। शप १५ सदस्य ब्रिटिश प्रान्तों में से साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अनुसार निर्वाचित किए जाते थे। रायसभा की संख्या का कार्यकाल ६ वर्ष था। १/३ सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। रायसभा एक स्थायी सदन था। सारे ब्रिटिश भारत में रायसभा के लिए मत देने का अधिकार केवल १ लाख व्यक्ति को प्राप्त होता था। ब्रिटिश प्रान्तों के १५ स्थानों में से ६ हरिजनों ४ सिक्खों ४६ मुसलमानों एवं ६ हिन्दुओं के लिए रक्षित थे।

विधानमण्डल को सधीय-सूची तथा ममत्रों-सूची में बाँटकर विधायकों पर कानून बनाने का अधिकार था। किसी भी विधेयक को कानून का रूप देने के लिए यह आवश्यक था कि वह दोनों सभों द्वारा पारित हो गया हो तथा उसे गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हो गयी हो। किसी भी विधेयक पर यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो उसका निष्पक्ष दोनों सभों की संयुक्त बैठक में बहुमत द्वारा किया जाता था। केन्द्रीय विधानमण्डल की शक्तियों पर काफी सीमाएँ थीं। वह संविधान में संशोधन नहीं कर सकता था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम के विरुद्ध कोई अधिनियम स्वीकृत नहीं कर सकता था। गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक पर विज्ञापन अधिकार का प्रयोग का अधिकार प्राप्त था।

विधानमण्डल के दोनों सदनों को प्रश्न एवं पुरस्कार प्रश्न पूछने और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार था। वे कामरोंको प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते थे। जिन मामलों में गवर्नर जनरल को विनाप उत्तरदायित्व या स्वेच्छाचारी शक्तियाँ दी गयी थी उन पर विधानमण्डल को कोई नियंत्रण प्राप्त नहीं था। मन्त्रिमण्डल सधीय-सभा के प्रति उत्तरदायी था। रायसभा मन्त्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उनका हटा नहीं सकती थी। वित्तीय मामलों में दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त थीं किन्तु बजट पहले पहल केवल सधीय-सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता था। सधीय-सभा की बजट पर बहस करने और उसके एक भाग पर मतदान करने का अधिकार था। विधानमण्डल उस भाग में कटौती कर सकता था या किसी माँग को स्वीकार करने से नकार कर सकता था पर गवर्नर जनरल को कटौती की हुई रकम अथवा अस्वीकृत की हुई राशि को स्वीकृत करने का अधिकार था।

(८) सन् १९३५ के अधिनियम के द्वारा प्रान्तों में स्वशासन की स्थापना की गयी। कार्यकारिणी का प्रधान गवर्नर होता था। वह ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि होता था। गवर्नर ५ वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते थे। उसके कार्यकारी कानून एवं वित्तीय शक्ति प्राप्त थीं।

कार्यकारी शक्तियाँ

इस अधिनियम के अनुसार उसे तीन प्रकार की कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान की गयी थीं। (अ) स्वेच्छाचारी या मनमानी शक्तियाँ (ब) व्यक्तिगत निष्पक्ष की शक्तियाँ और (स) मन्त्रियों के परामर्श से प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियाँ।

(अ) गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ गवर्नर को अनेक स्वेच्छाचारी

शक्तिया प्रदान की गयी थी उनमें से कुछ इस प्रकार हैं

१ गवर्नर इस बात का फसला करता था कि कौन से विषय में उसे स्वेच्छाचारी अथवा व्यक्तिगत विवेक से नियंत्रण करने की शक्तियों का प्रयोग करना है या नहीं । २ वह परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता था । ३ वह सरकार को चलटने हेतु किए जाने वाले अपराधों को कम करने हेतु कदम उठा सकता था । ४ वह प्रांतीय सरकार व कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु नियम बना सकता था । ५ वह प्रांतीय विधानमण्डल की बैठक बुला सकता था स्थगित कर सकता था एवं निचले सदन को प्रत्यक्ष कर सकता था । ६ गवर्नर अधिनियम पारित कर सकता था । ७ प्रांतीय नोकमेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को नियुक्त कर सकता था । ८ वह किसी भी उम्मीदवार की अयोग्यताओं की अद्यतनता का उसे निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार प्राप्त कर सकता था । ९ वह कुछ विषय परिस्थितियों में किसी विधेयक या उसके किसी अनुच्छेद पर विधानमण्डल में आरोपवादविवाद स्थगित कर सकता था । १० वह खच की कोई मद प्रदान भी कर सकता था । ११ वह कुछ विषय प्रकार के विधेयक को विधानमण्डल में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दे सकता था । १२ वह विधानमण्डल के दोनों सभों की सपुन-बैठक बुला सकता था । १३ वह मंत्रियों को नियुक्त एवं बर्खास्त कर सकता था । १४ वह विधान को स्थगित कर सकता था तथा प्रशासन का उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले सकता था और दो प्रकार के आदेश जारी कर सकता था ।

(घ) गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व एवं व्यक्तिगत नियंत्रण की शक्तियाँ

१९३५ ई के अधिनियम द्वारा गवर्नरों को कुछ विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए थे एवं इनके सम्बन्ध में उन्हें व्यक्तिगत विवेक से नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया था । इन विषयों में इन्हें मंत्रियों से परामर्श तो लेना पड़ता था किन्तु उनके परामर्श को मानना अनिवार्य नहीं था । गवर्नरों के विशेष उत्तरदायित्व इस प्रकार थे १ प्रान्त अथवा उसके किसी भाग में शान्ति तथा सुव्यवस्था के लिए सम्भ्रमण सशस्त्र बलों की रोकथाम २ अल्प सख्यकों के समुचित हितों की सुरक्षा ३ भारतीय रियासतों के अधिकारों और समुचित हितों तथा उनके शासकों के सम्मान और मर्यादा की रक्षा ४ सरकारी कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के अधिकारों एवं समुचित हितों की रक्षा ५ आर्थिक रूप से पृथक् किए गए क्षेत्रों में उत्तम शासन एवं शांति स्थापित करना ६ ब्रिटिश नागरिक एवं इनके माल के विरुद्ध व्यापारिक भेदभाव को दूर करना ७ गवर्नर जनरल के द्वारा स्वयं की व्यक्तिगत दृष्टानुसार प्रकाशित आदेशों एवं निर्देशों का पालन करना ८ मध्यप्रदेश के गवर्नर का यह कर्तव्य था कि वह इस बात का ध्यान रखे कि प्रांतीय राजस्व का एक उचित भाग बरार पर व्यय किया जाए और ९ मिथ के गवर्नर का यह कर्तव्य था कि वह लॉयड-बाथ तथा नहरो की योजना का उचित प्रबंध करे ।

(स) मंत्रियों की सलाह से प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ

गवर्नर को जिन शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों के परामर्श से करना होता था वह काफी कम थीं। सन् १९३५ के अधिनियम के द्वारा गवर्नर को संवैधानिक अधिकार नहीं बनाया गया था। उसे काफी स्वतन्त्राचार्य एवं व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियाँ प्राप्त थीं। जो विषय उसकी जिम्मेदारी एवं स्वतन्त्राचार्य शक्तियों से परे थे उन विषयों में गवर्नर को मंत्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करना था।

कानूनी शक्तियाँ कानूनी क्षेत्र में गवर्नर का निम्न शक्तियों प्रदान की गयी थी—

१ उसे विधानमण्डल की बैठक बुलाने अधिवेशन को स्थगित करन तथा विधानसभा को भंग करन का अधिकार था। २ वह प्रांतीय विधानमण्डल की बैठक बुला सकता था और उसके सम्मुख भाषण दे सकता था। ३ किसी विधेयक के सम्बन्ध में दोना सदन में मतभेद होने की स्थिति में विवाद को निपटाने हेतु समुक्त बैठक आमंत्रित कर सकता था। गवर्नर विधानमण्डल को सभ्य भी भंग सकता था। ४ विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक पर उसकी स्वीकृति आवश्यक होती थी। वह विधेयक को विधानमण्डल के पुनर्विचार के लिए वापस ले सकता था या उसको ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति हेतु सुरक्षित कर सकता था। ५ प्रांतीय विधानमण्डल के दोना सदनों के कार्य संचालन हेतु नियम बना सकता था। ६ गवर्नर भारतीय रियासतों से सम्बन्धित विधेयक देगी रियासतों के शासक विशेषी विधेयकों अथवा शाही परिवार से सम्बन्धित किमा विधेयक पर चर्चा रहे विवाद को बन्द कर सकता था। ७ गवर्नर को अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार में निर्वाह करने हेतु गवर्नर अधिनियम बनाने का अधिकार था। (८) गवर्नर को दो प्रकार के अध्यादेश प्रचलित करन का अधिकार प्राप्त था। अपनी विधि जिम्मेदारी को व्यक्तिगत नियम के अनुसार पूरा करने के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता होने पर विधानसभा के अधिवेशन के समय गवर्नर अध्यादेश प्रचलित कर सकता था। ऐसा अध्यादेश छ माह के लिए लागू होता था एवं छ माह के लिए और बढ़ाया जा सकता था। जब अध्यादेश विधानमण्डल की बैठक न हो रही हो एवं संकटकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो गयी हो तो मन्त्री इस परिस्थिति का सामना करने हेतु गवर्नर को अध्यादेश प्रचलित करने का परामर्श दे सकता था। इस प्रकार के अध्यादेश कानून की भाँति ही प्रचलित होते थे। विधानमण्डल की बैठक होने पर उन्हें विधानमण्डल की स्वीकृति हेतु रखा जाता था। इस अध्यादेश की अवधि विधानमण्डल की बैठक प्रारम्भ होने से छ मप्ताह तक रहती थी तथा विधानमण्डल इसको उक्त अवधि के पूर्व भी समाप्त कर सकती थी।

वित्तीय शक्तियाँ

गवर्नर को महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गयी थीं। वह बजट तैयार करता था। उसकी पूर्व अनुमति के बिना बजट विधानमण्डल में प्रस्तुत नहीं

किया जा सकता था। उसे मन्त्रों के नामों के अन्तर्गत करने का अधिकार था कि कौन से मन्त्रों के नामों के अन्तर्गत रखे जायें। विधानसभा द्वारा प्रस्तावित या कटौती की गयी रकम को वह अपने विषय-अधिकार से स्वीकृत कर सकता था।

(६) सन् १९३५ के अधिनियम ने अनुसार गवर्नर की महत्ता के लिए एक मन्त्री परिषद् की व्यवस्था की गयी जो गवर्नर को उसके कार्यों में परामर्श तथा सहायता देगी। मन्त्री-परिषद् के रूप में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उसी के द्वारा हटाए जाते थे। किन्तु निर्णय के अनुसार गवर्नर को उसी व्यक्ति के परामर्श से मन्त्री नियुक्त करने पड़ते थे जिन्हें पीछे विधानसभा ने स्थायी बहुमत ही। गवर्नर का यह कर्तव्य था कि वह यह देखे कि मन्त्री-परिषद् में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हो। मन्त्रियों के लिए विधानमण्डल का सदस्य होना अनिवार्य था। यदि कोई व्यक्ति नियुक्ति के समय विधानमण्डल का सदस्य न हो तो उसे छ मास के भीतर प्रांतीय विधानमण्डल का सदस्य होना पड़ता था अन्यथा मन्त्री-परिषद् से त्यागपत्र देना पड़ता था। मन्त्री-परिषद् पर अभी तक रहते थे जब तक उनके पीछे विधानसभा का विश्वास हो। गवर्नरों को यह निर्णय दिया गया था कि वे मन्त्रियों में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का प्रोत्साहित करें। गवर्नरों को मन्त्री-परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार था। प्रांतों में मन्त्री-परिषद् के सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट नहीं की गयी थी। प्रत्येक प्रांत आवश्यकतानुसार छोटे या अधिक मन्त्री रख सकता था।

(१) इस अधिनियम ने द्वारा आसाम बंगाल बिहार उत्तरप्रदेश मद्रास और बम्बई में दो सदन वाले विधानमण्डल और नौ प्रांतों में केवल एक सदन वाले विधानमण्डल स्थापित किए गए। जहाँ दो सदन थे वहाँ उनके नाम प्रांतीय विधानसभा और प्रांतीय विधानपरिषद् थे। जहाँ सिर्फ एक सदन था वहाँ वह प्रांतीय विधानसभा कहलाती थी। विधानसभा के सभी सदस्य निर्वाचित होते थे पर परिषद् के कुछ सदस्य नामजद भी होते थे। प्रांतीय विधानसभाओं में हर प्रांत में अलग-अलग सदस्य रहना था। प्रत्येक प्रांत में साम्प्रदायिक आधार पर स्थान बंट हुए थे। कुछ स्थान सामान्य मन्त्रिमंडल से कुछ अनुमति प्राप्तियों के लिए सुरक्षित थे। मुसलमानों सिक्खों आदि भारतीयों यूरोपियनों एवं भारतीय ईसाइयों को साम्प्रदायिक आधार पर अलग-अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। कुछ स्थान वाणिज्य उद्योग जमींदार मन्त्रिमंडल और विधायिकाओं के लिए सुरक्षित थे। विधानसभा का जीवनकाल ५ वर्ष था। उससे पहले भी उसे विघटित किया जा सकता था और अवधि से आगे भी उसका कार्य चलाया जा सकता था। विधान परिषदों में भी कुछ स्थान यूरोपियन एवं भारतीयों के लिए सुरक्षित थे। विधान परिषदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप में होता था। प्रांतीय परिषद् एक स्थायी परिषद् थी। एक सदस्य का कार्यकाल ६ वर्ष था। एक तिहाई सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष प्रवृत्ति ग्रहण करते थे।

सन् १९३५ के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधानमंडल के मताधिकार का विस्तार कर दिया गया तथा १४ प्रतिशत जनता को यह अधिकार प्राप्त हुआ। मतदाताओं की योग्यताएँ प्रत्येक प्रांत में भिन्न थीं। मतदाताओं के लिए कुछ योग्यताएँ निर्धारित की गईं। कुछ गिनत हों आवश्यक देते हों भूराजस्व भयवा कुछ किराया भयवा नगरपालिका कर देते हों। जिन स्त्रियों में उक्त योग्यताएँ थीं उनको भी मताधिकार दिया गया था। विधानपरिषद् के लिए केवल बहुत सम्पत्तिगाली कुछ व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया था। इसके अलावा राम बहादुरो विधानसभाओं के भूतपूर्व सदस्यों कायकारिणी के सभ्यों मंत्रियों के द्वीय सरकारी-वकों के सभापतियों विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्यों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों नगरपालिकाओं और जिनाबोर्डों के अध्यक्षों को भी मताधिकार का अधिकार दिया गया था। प्रतिनिधित्व में गुज्रार की प्रथा को कायम रखा गया था। मुसलमानों को सिक्खों को अंग्लभारतीयों को एवं यूरोपियनों को अपनी सख्या के मुकाबल में गुना अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। सन् १९३५ के अधिनियम के अनुसार कुल मिलाकर ३५ करोड़ व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया था जिसमें ७ लाख स्त्रियाँ थीं।

प्रान्तीय विधानमंडलों को कानूनी कायपालिका एवं वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गईं। प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय सूची एवं समवर्ती-सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यदि संघीय विधानमंडल समवर्ती-सूची पर कानून बनाता तो प्रान्तीय विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची में वर्णित उस विषय पर बनाया हुआ कानून रद्द हो जाता। परन्तु यदि प्रांतीय विधानमंडल के कानून पर गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त कर ली गयी होती तो वह कानून मान्य ही रहता। प्रांतीय विधानमंडल की शक्तियों में कुछ रुकावटें थीं जैसे—

१ प्रांतीय विधानमंडल में कोई भी ऐसा विधेयक गवर्नर की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं हो सकता था जो ब्रिटिश संसद के किसी अधिनियम को रद्द भयवा संशोधित करता हो या उसका विरोध करता हो। यह गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर था कि वह उसके लिए अनुमति दे या न दे। २ यदि प्रान्तीय विधेयक उन विषयों को प्रभावित करता था जिन पर गवर्नर जनरल को स्वैच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार था तो ऐसे विधेयक के लिए भी गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था। ३ यदि कोई प्रांतीय विधेयक यूरोपियन और ब्रिटिश प्रजा के लिए फौजदारी कानून को प्रभावित करता था तो उसके लिए भी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। ४ प्रांतीय विधानमंडल में कोई ऐसा विधेयक पेश नहीं किया जा सकता था जिसे द्वारा गवर्नर को किसी अधिनियम या अध्यादेश को रद्द करना हो उपम संशोधन करना हो भयवा उसका विरोध करना हो। इसके लिए गवर्नर की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था।

विधानमंडल का मन्त्रि-परिषद् पर पूर्ण नियंत्रण कर दिया गया था। विधान

मठन के सन्त्य मंत्रियों प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। दोनों सदनों में मंत्रियों के विरुद्ध कामरोको-प्रस्ताव पेश किया जा सकता था। विधानसभा मंत्रियों का प्रतिश्वात प्रत्याय द्वारा हुआ सकती थी। वह बजट की मुख्य मागा प्रथवा किसी सरकारी महत्त्वपूर्ण विधेयक को भी अस्वीकार करके मंत्रिमंडल में प्रतिश्वास प्रकट कर सकती थी। विधानमंडल को वित्तीय शक्ति भी प्राप्त थी। धन विधेयक कबल विधानसभा में सबसे पहल पेश होता था। धन विधेयक के सम्बन्ध में विधानपरिषद् को कोई विभाषाधिकार प्राप्त नहीं था। बजट दो भागों में बांट लिया जाता था। पहले भाग में लगभग 30 प्रतिशत खर्च सम्मिलित होते थे जिनमें गवर्नर के बतन भत्त उच्च न्यायाधीशों महाधिवक्ता तथा मंत्रियों के वेतन और भत्त श्रृणुभार आदि शामिल होते थे। इनको प्राथमिक राजस्व पर भारत के व्यय समझा जाता था। इन पर विधानसभा बहस कर सकती थी परंतु कटौती नहीं कर सकती थी। गेय बजट में लगभग 7 प्रतिशत पर्व शामिल होता था। यह अनुदान के लिए मागों के रूप में विधानसभा के सामने पेश किया जाता था। विधानसभा इन मागों को अस्वीकार कर सकती थी तथा कटौती कर सकती थी। गवर्नर का अस्वीकृत राशि का स्वीकृत करने एवं कटौती की हुई राशि को यदि वह उक्त खर्च को अनिवार्य समझता हो लौटाने का अधिकार था।

(११) १९३५ ई के अधिनियम के द्वारा एक सघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। उस सघीय न्यायालय ने १९३७ ई में अपना कार्य प्रारम्भ किया। सघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा अधिक से अधिक ६ न्यायाधीश नियुक्त करने की व्यवस्था थी। उस समय केवल एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीशों की ही नियुक्ति की गयी थी। ये सब न्यायाधीश ब्रिटिश सम्राट द्वारा बहुत ऊंची योग्यताओं के आधार पर ही नियुक्त किए जाते थे। मुख्य न्यायाधीश को 7 हजार रुपये तथा न्यायाधीश को ५५ रुपये मासिक वेतन मिलता था। सघीय न्यायालय को प्रारम्भिक एवं अपीलीय दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र में वे सभी मामले शामिल थे जिनका समय १९३५ ई० के अधिनियम से था। सघीय न्यायालय को भारतीय सघ और एक प्रान्त प्रथम सघ में सम्मिलित होने वाली सघीय रियासतों व देशी रियासतों के मध्य उत्पन्न विवादों का निणय करने का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त था। यह किसी प्रान्त या देशी रियासतों के मध्य हुए विवादों का भी निणय करता था। सघीय न्यायालय प्रान्तों एवं सघ में सम्मिलित होने वाली देशी रियासतों के उच्च न्यायालयों के निणयों के विरुद्ध अपीलें सुन सकता था। गवर्नर जनरल किसी भी कानूनी मामले पर सघीय न्यायालय से परामर्श ले सकता था। सघीय न्यायालय को परामर्श देने का अधिकार था। सघीय न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी था। इसकी कार्यवाही तथा निणयों का नक्का रखा जाता था तथा उन्हें प्रकाशित किया जाता

या और उमका हवाका नीचे क न्यायानयो म दिया जा सकता था । सघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय न्हा था । वृद्ध मामला म नसकी घाना क बिना ही ब्रिटिश प्रिबी कोसिल म अपील की जा सकती थी ।

(१२) सन् १९३५ के अधिनियम क अनुसार रला क प्रपथ के लिए एक सघीय रेलवे-बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया गया था । कम ७ सप्तस्य रखे गए थे । प्रधान तथा सदस्या की नियुक्ति गवर्नर जनरल के हाथ म थी । इस बाड की सहायता के लिए मुख्य आयुक्त तथा अतिरिक्त आयुक्त भी रखे गए थे ।

(१३) सन् १९३५ के अधिनियम क अनुसार एक महाधिवक्ता की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई थी । उसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल अपनी सलाह से करता था । वह गवर्नर जनरल क प्रसाद पयन्त अपने पद पर रह सकता था । महाधिवक्ता का मुख्य काय सघीय विधानमन्त्र का कानूनी परामर्श देना था तथा ऐसे कायों को करना था जिनके लिए गवर्नर जनरल उस आगत है ।

(१४) सन् १९३५ के अधिनियम अन्त भारतीय सघ म वित्त प्रायुक्त की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई । वित्त प्रायुक्त सघीय विधानमन्त्र को वित्तीय मामलो म परामर्श देता था तथा गवर्नर जनरल को वित्तीय विषयो मे सहायता पहुँचाता था । वित्त प्रायुक्त का नियुक्ति गवर्नर जनरल अपने विवेक मे करता था और उसक प्रसाद पयन्त ही वह अपने पद पर रहता था ।

अधिनियम की धातोचना

(१) भारत म स्थापित सघीय व्यवस्था अयन्त दायपूर्ण थी । इस सघ का निर्माण भी भारतीयों की स्वतन्त्र सलाह से नहीं किया गया था । भारतीय सघ म सम्मिलित होने वाली इकाइयो म भी किसी प्रकार की समानता नहीं थी । ब्रिटिश प्रांत चीफ कमिन्सरो के प्रांत और दशा रियासतो म क्षेत्रफल शासन पद्धति जनसख्या आदि की दृष्टि से बहुत अन्विक असमानता था । सघाय सरकार का इकाइया पर असमान अधिकार रखा गया था । प्रांतो के लिए सघ म सम्मिलित होना अनिवार्य था परन्तु दली रियासतो की सलाह पर यह भीभर था कि वे सघ म सम्मिलित हो या नहा । बंगाल रियासतो का यह भी सुविधा दी गया था कि वे प्रवेग लेख द्वारा कौनसी शक्तिया सघ सरकार को दें और कौनसी न दें । उस प्रकार जहा केन्द्रीय सरकार की शक्तिया प्रांतो पर एक समान था वहा पर राज्य पर वे भिन्न भिन्न थी । सघीय विधानमन्त्र मे देशी रियासतो को ब्रिटिश प्रांतो की अपेक्षा अधिक न्यान दिए गए थे । देशी रियासतो की आबादी भारत की कुल आबादी की ३३ प्रतिशत थी परन्तु उसको सघीय विधानमन्त्र के निचले सदन में ३५ प्रतिशत और ऊपरी सदन म ४ प्रतिशत स्थान दिए गए थे । भारत सघ स्वतन्त्र राष्ट्रों का सघ नहीं था । राष्ट्रों को विधानमन्त्र म देशी रियासतो के प्रतिनिधियो को मनायित करने का अधिकार दिया जाना भी उचित नहीं था । इसी प्रकार अवशिष्ट शक्तियों के सम्बन्ध म प्रथिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल

को लिया गया जो किसी भी प्रकार उचित नहीं था। उस प्रकार १९५ ई के अधिनियम के अंतर्गत सघीय-योजना में अनेक बाधाएँ पड़ीं।

(२) क्षेत्र में दोहरा शासन प्रारम्भ करने का निणय लिया गया था। प्रान्तों में सन् १९१६ के अधिनियम द्वारा स्थापित दोहरे शासन में गाँवों में कर्मिणाई पना हुई उसका क्षेत्र में पना योजना स्वाभाविक था। इस बात को जानते हुए भी कि भारतीय जनता दोहरा शासन को घृणा की दृष्टि से देखती है भारतवर्ष में कानून में दोहरा शासन लागू करना अनामनीय था।

(३) सन् १९५ के अधिनियम का एक बाधा यह था कि इसमें गवर्नर जनरल का सचिवन काय करने के अधिकार के साथ जनरल स्वयं अपने गतिविधियाँ प्रदान कर दी गई थी। फल वरूप में भारतीयों का जो बाड़े बने अधिकार भिन्न थे वे भी नगर्ष से दून गए। गवर्नर जनरल की विधि जिम्मेदारियाँ में अल्प न सम्पत्ता थी और उसमें गवर्नर जनरल का निरकुण रूप से काय करने का प्रवसर प्राप्त हुआ।

(४) सघीय विधानमंडल का सगठा भी अत्यंत बाधपूर्ण था। स्वातंत्र्य की पूर्ति साम्प्रदायिक आधार पर हाँकी थी तथा इसमें भारतीय गणतन्त्र एकरा के माग में अनेक बाधाएँ पना हुईं। सघीय विधानमंडल में अत्र पना निर्वाचन की पद्धति अर्थात् मन्त्री प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध था। राज्यपरिषद् को तो केवल धनिकी जमींदारी आदि उच्च वर्ग का ही सन्तान बना लिया गया।

(५) इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को अपने देश की सरकार का नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। उनको सन् १९३५ के अधिनियम में सशोभन करने का ही अधिकार नहीं दिया गया। भारतवर्ष के शासन के लिए विद्यमान नीति निर्धारित होती थी उनको भारतवर्ष में पना की दृष्टि में व्यक्त थे।

(६) गवर्नर के स्वच्छापूर्ण अधिकारों के कारण प्रांतीय स्वायत्तता केवल प्रान्त मात्र रह गई। उनका अधिकार तथा उत्तरदायित्व अपने अधिकारों के प्रांतीय विधानमंडल एवं कार्यकारिणी के अधिकार पूरातया सीमित एवं सकुचित हो गए। गवर्नरों के अनेक अधिकार एवं उत्तरदायित्व अस्मत् एवं अनिश्चित थे और गवर्नर उनको पना अपने विवरण के अनुसार करते थे। कांस्थरूप गवर्नर प्रान्तों में एकमात्र निरकुण शासन बन गए थे। प्रांतीय विधानमंडल के अधिकार अत्यंत सीमित थे और विधानपरिषद् की जानबूझ कर प्रतिक्रियात्मक संस्थाएँ बना दिया गया था। श्री नेहरू ने १९३५ ई के अधिनियम की आलोचना करते हुए लिखा है नया सचिवन एक ऐसा मंत्र था जिसकी शक्ति का दृढ़ धी पर तुल्यता कोई इज्जत नहीं था।^१ मि. जिन्ना के अनुसार सन् १९३५ की योजना पर्याप्त संस्वीकार न करने योग्य है।^२ श्री मदनमोहन मालवीय के अनुसार

१ या महाजन एवं डा. सा. द्वारा उद्धरण आगत का स्वव्यापिक इतिहास पृ. ५३८।

२ आत्मन पुस्तक पृ. १३।

सन् १९३५ का अधिनियम हमारे ऊपर जबर्जस्ती लाद दिया गया था। पद्यविवाह से यह लोकतन्त्रीय विचारों को देना था परन्तु आदर से साबितला था।^१

अधिनियम कायूरूप में

सन् १९३५ के अधिनियम का सघीय भाग क्रियाविधित नही था। फलस्वरूप केन्द्र का शासन १९१६ ई. के अधिनियम के अनुसार ही चलता रहा। सन् १९५ के अधिनियम में प्रस्तावित प्रांतीय स्वराज्य की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। इस योजना को प्रवृत्त १९३७ ई. में ब्रिटिश भारत के ११ प्रांतो में शुरू किया गया। बंगाल पंजाब एवं सिंध में १ वर्ष तक चली। बम्बई विहार में १५ मध्यप्रान्त उत्तर प्रदेश और उत्तरपश्चिमी सीमाप्रान्त में यह दो वर्ष तक चली। सन १९६ में दूसरा महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। युद्ध में भाग लेने के प्रश्न पर कांग्रेस और तत्कालीन वायसरॉय लॉड लिंलिथगो में मतभेद उत्पन्न हो गया और कांग्रेस मंत्रिमंडली ने प्रपना यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात् बम्बई विहार मध्य प्रदेश मद्रास उड़ीसा और उत्तरप्रदेश में गवर्नरो ने शासन अपने हाथों में ल लिया। कांग्रेस एवं उड़ीसा में भी उसी प्रकार की स्थिति रही। कांग्रेसी प्रांतो में मंत्रिया ने गवर्नरो की अधिक परवाह नही की थी। उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने और शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा को प्रारम्भ करने कृषि का विकास करने एवं सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने और मद्यनिषेध की दिशा में महत्करणीय कार्य किए। उन्होंने किसानों को साहूकारों के पंज में मुक्त कराने और कम व्याज पर ऋण देने के लिए भी योजनाएं बनाईं। गवर्नरो ने कांग्रेसी मंत्रियों का कार्य में बहुत कम हस्तक्षेप किया। गर कांग्रेसी प्रांतो में गवर्नरो ने बहुत अधिक हस्तक्षेप किया। सिंध में गवर्नर ने वहा के मुख्यमंत्री अल्लाबख्त को और बंगाल के गवर्नर ने वहा के मुख्यमंत्री हक को अपने पद से हटा दिया था। कांग्रेसी मंत्रिमण्डल के कार्यों का उन्मुख करने हुए कूपलड ने लिखा है कि सन् में कांग्रेस भारतीय राजनीति में एक रचनात्मक शक्ति बन गई थी। २ वर्ष तक यह विरोध शिफायत और आलोचना करती रही और हर गलत कार्य का ब्रिटेन पर दोष लगाती रही। अब इसने यह सिद्ध कर दिया कि इसके महान संगठन की शक्ति एवं इसके सदस्यों के उत्साह को अधिक रचनात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। यह अब भी ब्रिटिश विरोधी थी पर अब यह उममें भी कुछ अधिक थी अब यह एक धर्म में नही अधिक सत्य धर्मों में भारत की पक्षपाती थी।^२

१ वा. ज. ज. ए. ए. ए. द्वारा उद्धरण पूर्वोक्त पृ. ११६।

२ उपर्युक्त पुस्तक पृ. १३।

१९३५ ई० में १९४१ ई० की राजनीति

(१) द्वितीय महापुट से पूर्व

१९३५ ई० में भारत-सरकार अधिनियम की स्मृति के तदनुसार भारतीय राजनीति में घटना-चक्र तेजी से घूमने लगा। डॉ. इरमल एक निष्ठावान कर्मी के प्रायश्चित्त पर अक्टूबर १९३५ ई. में मि. जिना जो हिंदू मुसलमानों की पूर-सदुस्वी हाकर इन्टरमिडियेट में बनावत करने का भारत लौट आए। वे राष्ट्रवादी मुसलमान कल्याण पर मुसलमान राष्ट्रवादी बनकर लौटे थे और भारत प्रांते ही सींग का गोरमज सम्मन्तों के पश्चात् पूरुषभाग निष्पन्न हो गई थी। वे पुनः सक्रिय करने के ओरदार प्रवृत्ता में लग गए। अक्टूबर १९३६ ई. में जहाँर में सींग का विशेष सम्मेलन हुआ जिसमें सींग ने नए सुधारों के अंगुष्ठ प्रांतों के निर्वाचन में भाग लेने का निश्चय किया। साथ ही पृथक्तावादी एवं हिंदू विरोधी आन्दोलन प्रारम्भ करने का भी निश्चय किया। काँग्रेस ने अपने अन्तर्गत अधिवेशन (अप्रैल १९३६) में नए सुधारों की बड़ी आलोचना की तथा एक अधिवेशन मन्त्र की आवश्यकता पर जोर दिया। अधिवेशन में भाषणापत्र के आधार पर प्रांतों में चुनाव लड़ने का भी निश्चय किया गया। काँग्रेस समाजवादी मत के सरकारी कार्यभार सम्भालने के विरुद्ध होने से अधिवेशन में सरकार का उत्तरदायित्व बहन करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया था। २३ अगस्त १९३६ ई. को अंगुष्ठ भारतीय काँग्रेस समिति ने चुनाव प्रायश्चित्त के प्रायश्चित्त को स्वीकार कर लिया। इस प्रायश्चित्त में कहा गया था कि काँग्रेस १९२५ ई. में सुधारों का अस्वीकार कर चुकी है और अन्तर्गत शक्ति बढाने के उद्देश्य से अन्तर्गत मन्त्रों में भाग लेगी तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करेगी। काँग्रेस का निर्वाचन में भाग लेने का उद्देश्य सुधारों को विशाल करने में योग देना है और उनका विरोध करना था। सन् १९३६ के विशाल अधिवेशन में काँग्रेस द्वारा चुनाव प्रायश्चित्त की पुष्टि कर दी गई एक यह प्रायश्चित्त की गई कि काँग्रेस का अन्तर्गत प्रायश्चित्त से कोई अस्वीकार नहीं है।

अक्टूबर १९३७ ई० में १९३८ ई० में भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचन हुए। विधानसभाओं के कुल १५८५ स्थानों में से काँग्रेस को ७११ स्थान प्राप्त हुए। सींग बुरी तरह में पराजित हुए। संपुष्ट प्रांत मध्य प्रायश्चित्त बिहार

नहीं थे। परन्तु मसजिदों का निर्माण से हिन्दुओं की रक्षा का प्रयत्न कर रहे थे। १९३७ ई में मुस्लिम लीग ने अपना उद्देश्य प्रीपनिवेशिफ स्वराज के स्थान पर पूरा स्वतंत्रता कर दिया। मुस्लिम लीग की शाखाएँ मारे देग में संगठित की गईं और मिर्जापुरा नदारी देश का दौरा किया। मुस्लिम लीग एवं हिन्दू महासभा की गतिविधियों के फलस्वरूप देग में हिन्दू मुसलमानों में काफी द्वेष बढ़ा। मुसलमान मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे और कट्टर हिन्दू हिन्दू महासभा के झंडे के नीचे संगठित एवं एकत्रित होने लगे। १९३८ ई में बिहार एवं संपूर्ण प्रांत के कुछ नगरों में होनी एवं मोहरम के समय भयंकर साम्प्रदायिक दंगे हुए। काग्रस नेतृत्व बढ़ती हुई साम्प्रदायिक विचारों की भावना से काफी चिन्ताग्रस्त हो उठा। काग्रस की यह धारणा थी कि स्वतंत्रता का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सम्प्रदायों में एकता का बना रहना अत्यन्त आवश्यक है। अतः काग्रस ने मुस्लिम लीग में इस सम्बन्ध में बातचीत करने का निश्चय किया। मई अगस्त १९३८ ई के मध्य काग्रस अग्रिम सुभाष चन्द्र बोस ने लीग तथा चाहती है यह जानने के लिए मिर्जापुरा की काफी पत्र विचार परन्तु मिर्जापुरा नदारी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। नेहरू के प्रयत्नों के फलस्वरूप मिर्जापुरा में ६ अक्टूबर १९३८ ई को अग्रिम पत्र में अग्रिम ग्यारह सूची मांगों देग की इन मांगों का अर्थ यह था कि काग्रस साम्प्रदायिक पक्ष के विरोध को वापस ले बन्देगातरम् गायन का त्याग करें मसजिदों के गौ हत्या के अधिकारों में दखल न दे और मुस्लिम लीग को मसजिदों के हिन्दुओं की रक्षा एवं मात्र सदा स्वीकार करे। मिर्जापुरा की इन मांगों को काग्रस किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकती थी। अतः बातचीत समाप्त हो गई।

१ अक्टूबर १९३८ ई का सिन्ध प्रश्न मुस्लिम लीग ने भारतीय उपमहाद्वीप में शांति का स्थापना हेतु और आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए भारत को दो संध रायों मुस्लिम रायों का संध और गर मुस्लिम रायों का संध में विभक्त करने का प्रस्ताव पारित किया। शीघ्र ही मुस्लिम लीग के दो नेताओं सर मोहम्मद नवाज खान और मयद अहमद नदीफ ने पाकिस्तान की दो योजनाओं का निर्माण किया। १९३९ ई के प्रथम चार माह में मसजिदों के लिए पृथक देग का जोरों से प्रचार हुआ फलस्वरूप काग्रस और लीग में घापसी दरार बढ़ती गयी। देग में उक्त समय लीग ही मसजिदों की प्रकृति सम्बन्धी नहीं थी। जमीनत उन उन्नेमा ए हिन्दू (१९१९ में निर्मित) अहमद मोमिन्त गिया बगाल कुषक सभा अग्रिम सम्बन्ध में थी जो मुस्लिम लीग की विरोधी थी। इन सब सम्बन्धों ने मिलकर १९३९ ई में अग्रिम मुस्लिम काग्रस का निर्माण किया। स्पष्ट है कि १९३९ ई के पूर्वार्ध में जहाँ विभिन्न मुस्लिम लीग देश की एकता का तोड़ने के प्रयत्न में लगे हुए थे राष्ट्रीय काग्रस देग की एकता किस प्रकार बनी रह सकती है उसके लिए चिन्तित थी एवं इसका कोई निश्चित समाधान ढूँढने में प्रयत्न रत थी। उसी समय यूरोप में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया।

(२) द्वितीय महायुद्ध में भारत का सम्मिलित किया जाना

जब यूरोप का पहला विश्वव्यापी युद्ध हो रहा था तब मित्र राष्ट्रों की ओर से सत्कार को यह विश्वास दिलाया गया था कि यह युद्ध अपने ढंग का अंतिम युद्ध है क्योंकि इसका उद्देश्य सन्तान के लिए युद्ध को समाप्त करना है। उस समय जिन सुन्दरे मित्रों की घोषणा की गई थी उसका अंतिम और सुन्दरतम रूप हमें अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वडरो विल्सन के १४ सूत्री सिद्धान्तों में मिलता है। अन्त में मित्र दल विजयी हुआ। वह अमेरिका इंग्लैंड और उसके साथियों का परीक्षा का समय था। मनुष्य जानि यह दस्तन को उभरु था कि युद्ध के सफ़ट कान में उहोने जो वायदे किए थे विजय के अवनर पर उहें स्मरण रखते हैं वा नहों। परन्तु वासयि की सधि म जमनी पर जो अत्याचार हुए उससे जमनी विधुच हो उठा। उस अयाय और अत्याचार के विलाप जमन नागरिकों में घुला की जो भावना उपग्र हुई वह दिन प्रति दिन गहरी होनी गई। लगभग २ वर्षों तक जमनी के अग्रिमानी निवासियों ने बने की आग म जनकर उस गपमान का बदला लेने का हृद सक्व किया और वह दिन भी आ गया जबकि सारा जमन राष्ट्र हट सरने नतव म उस अपमानजनक सधि (बर्साय सधि) का प्रयुनर देने के लिए मदान में उतर गया। १ सितम्बर १९३६ ई को जमनी ने पोलण्ड पर आक्रमण कर युद्ध का विगुन वजाया। ३ सितम्बर को इंग्लैंड ने जमनी क विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इंग्लैंड ने युद्ध में कूदन का अदृश्य लोकतंत्र की रक्षा करन का वही पुराना नारा शेराया। तुरन्त वापसगय ना दिननिधमो ने केनीय विधानमडन प्रातीय विधानमडन तथा भारतीय नताग्रा से परामर्श किए बिना ही भारत के युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी।

कांग्रेस की प्रतिनिधिता

कांग्रेस लगभग १२ वर्षों से ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी देती रही थी कि यदि भारत को फिर किसी युद्ध में घसीटा गया तो उस भारतवासियों से किसी भी प्रकार के सहयोग की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। जिस तड़ाई से भारत का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था उसमें उसे बिना सनाह लिए शामिल कर लेना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। परिणाम यह हुआ कि जब १ सितम्बर १९३६ ई में यूरोप में दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ा तो भारत ने उसमें सामीदार बनने में इन्कार कर दिया। वापसराय क निमंत्रण पर ४ सितम्बर १९३६ ई में शिमला में महात्मा गांधी ने देश और कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया से वापसराय को परिचित कराया। हालांकि उनकी प्रतिगत सत्तानुभूति पूरा रूप से ब्रिटेन के साथ थी। १४ सितम्बर १९३६ ई को कांग्रेस की वायसमिति की एक विधायक बैठक युद्ध में अपने परिस्थितियों पर विचार करने के लिए बुला गई। उसमें उसने स्पष्ट तर्कों में प्रकट किया कि

पिछले महायुद्ध के अनुभवों ने हमें यह सिखा दिया है कि ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार के तत्कालीन वचनों या वक्तव्यों पर भरोसा नहीं किया जा

सकता। इसलिए समिति सरकार से अनुरोध करती है कि भारत के सम्बन्ध में सिर्फ पिनि का स्पष्टीकरण ही नहीं चाहिए बल्कि उन सिद्धांतों पर धमल भी हो। अन्त में समिति ने घोषणा की कि अबतक स्थिति का पूरा स्पष्टीकरण न हो जाय तबतक वह दण वा सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग करने की सलाह नहीं दे सकती।

कांग्रेस के उक्त प्रस्ताव में स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को युद्ध में शक्तिपूर्ण नतिक तथा भौतिक सहयोग देना चाहती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस सम्बन्ध में कहा था हम नाजीवाद की विजय नहीं चाहते हैं और हमारी महानुभूति निश्चित रूप से उनमें साथ है जिन पर हमना हुआ है। इस प्रकार कांग्रेस चाहती थी कि भारत को 'नोकृतश्रीय युद्ध के लिए तैयार करने से पूर्व इन बातों की भी आवश्यकता है कि भारत में 'नोन-श्रीय शासन स्थापित किया जाए। कांग्रेस की इसी भावना को यान में रखते हुए ब्रिटेन सरकार ने लिखा भारतीय स्वयंसेवकों को हम उन्हें दूसरों को स्वतंत्र बनाने के वास्ते लड़ने के लिए कह रहे हैं।

मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया

मुस्लिमलीग भी बिना शर्त समर्थन या सहायता देने का तैयार नहीं थी। वह सरकार से मुसलमानों के प्रति योग्य चाहती थी। मुस्लिमलीग की कार्य समिति ने १८ सितम्बर १९३८ ई की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर नाजी हमले की निंदा की और मित्रराष्ट्रों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। उनमें सरकार को सहायता देने का वचन दिया परन्तु तब यह रखा कि कांग्रेस शासित प्रान्तों में मुसलमानों के साथ जहाँ उनको स्वतंत्रता जीवन सम्पत्ति और प्रतिष्ठा का उत्पन्न है और उनके अधिकारों को दुषला जाँ र। अतः महा उनसे साथ योग्य किया जाए। कांग्रेस कार्यसमिति ने जिन्ना से यह बताया कि अनुरोध किया कि मुसलमानों के साथ किस राज्य में बुरा व्यवहार हुआ है परन्तु जिना ने इस अनुरोध पर ध्यान ही नहीं दिया।

ग्राम दलों की प्रतिक्रिया

हिन्दू महासभा उदारवादी मध्य प्रतिक्रिया भारतीय इमारतें सब आदि ने सरकार को युद्ध में पूर्ण समर्थन का आवासन दिया। हिन्दू महासभा ने १ सितम्बर १९३९ ई का घोषणा की कि भारत को सैनिक हमलों से बचाना भारतीयों एवं ग्रामजों का सम्मिलित कर्तव्य है। रवीन्द्रनाथ टागोर ने भी भारतीय जनता को युद्ध में ब्रिटेन को सहायता देने का आग्रह किया।

घायसराय की भूमिका

किसी राज्य की सामयिक नीति का वास्तविक रूप की पहचान के लिए उद्घोषित नीति एवं नीतियों का संचालन करने वाले व्यक्तियों की मनोवृत्ति (उन दो बातों) पर विशेष दृष्टि डालनी चाहिए। नीति के सम्बन्ध में ब्रिटिश अधिमन्त्रालय का एक सदस्य ने कहा

कि ब्रिटेन का वर्तमान उद्देश्य सिर्फ युद्ध जीतना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बताया कि ब्रिटेन का तात्कालिक उद्देश्य शांति रक्षा करना है। इससे स्पष्ट था कि उसका भारत में लोकतंत्र स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं था। युद्ध के प्रारम्भ होने पर ब्रिटिश सरकार की ओर से जो घोषणाएँ प्रकाशित की गई थीं वे बहुत आश्चर्यचकित थीं परन्तु उन दिनों भारत के भाग्य विधाता जो दा अधिकारी थे उनका नस-नस में टोरी रक्त था। इंग्लैंड का प्रभुत्वात् लक्ष्मी भारत विरोधी नीतियाँ के लिए विख्यात भी था। वायसराय पेनाल्टी लिननिथगो और भारत मंत्री थे एमरो। दोनों ही अग्रजों की स्वभावसिद्ध प्रभुत्वात् नीति के प्रतीक थे। लाड लिननिथगो की नोकरशाही प्रवृत्ति भारत की समस्या का हल करने को उत्सुक नहीं थी। लाड लिननिथगो ने भारतीय जनमत की जानकारी का पता लगाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत करने के बाद जो कदम उठाया वह इसकी पुष्टि करता है। १७ अक्टूबर १९३९ ई. के उभयक वक्तव्य में स्पष्ट कहा गया था

१ ब्रिटिश सरकार ने वायसराय का यह कहना कि अधिकार दिया है कि युद्ध समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार भारतीयों से परामर्श करने के लिए अत्यन्त ही उत्सुक होगी ताकि उनकी सहायता और सहयोग से भारत के सविधान मन्वयनीय सुधार किये जा सकें।

२ युद्ध के दौरान सरकार चुने हुए भारतीयों की एक परामर्शदात्री समिति को आमंत्रित करेगी। इसकी बैठक में वायसराय सम्भाषित होगा और उसका उद्देश्य युद्ध संचालन तथा युद्ध कार्यों से संबंधित प्रश्नों पर भारतीय लोकमत का सम्बद्ध करना होगा।

वायसराय की इस घोषणा के बाद देशवासियों के लिए कोई सन्देश नहीं रह गया था कि अग्रज सरकार भारत से सब प्रकार की सहायता तो भरपूर मात्रा में लेना चाहती है परन्तु भारत का स्वायत्तता का कोई पक्का वायदा देने को तयार नहीं। वायसराय के वक्तव्य से कांग्रेसी क्षेत्रों में अत्यधिक निराशा का वातावरण पैदा हो गया क्योंकि उसकी भाषा की पूर्ण अवहेलना की गई थी। मुस्लिमलोग ने वायसराय के वक्तव्य का स्वागत किया क्योंकि इसमें आंगिक रूप में लीग का भारत के समस्त मुसलमानों के लिए वोलन का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था।

कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल का आगपत्र

महामा गांधी इंग्लैंड से सम्मानपूर्ण समझौता करने के लिए इतने उत्सुक थे कि वह वायसराय से दो बार मिले परन्तु कोई फल नहीं निकला। १७ अक्टूबर १९३९ ई. की वायसराय घोषणा से महामाजी को भयंकर निराशा हुई। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को इन शब्दों में व्यक्त किया 'कांग्रेस ने रोटी की मांग की थी और उसे मिला पत्थर। अन्त में कांग्रेस की युद्ध-समिति इस परिणाम पर पहुँची

कि अथ सरकार के कार्य में किसी प्रकार का सहयोग देना देश के लिए अपमानजनक है। तन्नुसार कांग्रेस की समीप उपमिति ने प्रान्तों के कांग्रेसी मंत्रियों तथा कांग्रेस के सदस्यों को आदेश दिया कि वे तब तक ३१ अक्टूबर १९३५ ई. तक पूर्व प्रान्त अथवा त्यागपत्र सरकार के हाथों में न दें। कांग्रेस शासित आठ प्रान्तों के मंत्रिमंडलों ने अपने अपने त्यागपत्र दे दिए। ये त्यागपत्र सर्वसाधारण जनता की उम्र भावना के विरुद्ध मात्र थे जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पची हुई थी। भारत की प्रजा की यह दृढ़ धारणा हो गई थी कि ब्रिटेन भारत का स्वाधीनता नहीं देना चाहता। संकटकाल काल पर ब्रिटेन के शासक या उनका प्रतिनिधि सीटों सीटों बोलें करते हैं तब भारतवासियों के हृदय पर उनका बबल इतना ही घसर होता था कि यह सब दोग है इसमें कोई सार नहीं है। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र जनता की उसी भावना के मूलरूप थे।

बहुत से लोगों का कहना है कि मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र देकर कांग्रेस ने गलती की थी। वह सबधार्मिक पत्र का सफल संचालन करने में अपाय विद्ध हुई तथा इस सबधार्मिक विफलता का पूर्ण उत्तरदायित्व कांग्रेसी नेताओं पर था। लेकिन यह कहना गलत है कि सबधार्मिक उत्तरदायित्व से मुक्त होकर कांग्रेस अपना कर्तव्य निभाने में असफल हुई। अतः कांग्रेस ने अपने उद्योग और चुनाव घोषणापत्र के अनुसार कार्य किया क्योंकि कांग्रेस १९३५ ई. के अधिनियम का समाप्त करने के लिए न कि अज्ञान का साथ सहयोग करने के लिए व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवृत्त हुई थी। अतः त्यागपत्र देकर कांग्रेस ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा पूरी की और उच्च प्रजातांत्रिक आदर्शों का परिचय दिया।

मुक्ति-दिवस

कांग्रेस ने त्यागपत्र देने से मुस्लिमलोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसका नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने सारे भारत के मुसलमानों को २२ दिसम्बर १९३५ को मुक्ति दिवस मनाने के लिए कहा। उसने पूरे यह आरोप लगाया था कि कांग्रेसी मंत्रियों ने मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किए हैं। जब कांग्रेसी मंत्रियों ने अपना त्यागपत्र दे दिया तो उनका कांग्रेसी अनुयायियों से मुक्ति की प्रसन्नता में मुक्ति दिवस मनाया। लोग ने केवल मस्लिम भावनाओं का अनुचित नाम उठाने के लिए ऐसा किया था। उनसे पाकिस्तान की भावना का जोरदार प्रचार प्रारम्भ कर दिया गया तथा लाहौर के लोग के १७ वें अधिवेशन में २४ मार्च १९४३ को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि मुस्लिमलोगों की ऐसी कोई सुधार योजना स्वीकृत नहीं होगी जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के सिद्धान्तों का समावेश नहीं किया गया होगा।

कांग्रेस का सफल सहायता प्रस्ताव

कांग्रेस सन् १९३६ के रामनव-अधिवेशन में सत्याग्रह के सम्बन्ध में प्रस्ताव

पारित कर चकी थी तथा वह गत्याग्रह प्रारम्भ करने वाली ही थी कि यूरोप के युद्ध क्षेत्र में चमत्कारिक परिवर्तन आया। जर्मनी की सेनाएँ पोलैंड पर विजय प्राप्त करके नाव प्रारंभिक पर चढ़ गई। उसने हाल्ड बलजियम और फ्रांस में पूरी तरह सफलता प्राप्त करना। ब्रिटेन का बड़ा भारी खतरा पैदा हो गया। ब्रिटेन पर हिटलर के हवाई हमला में वृद्धि हो गई। फ्रांस की पूर्ण पराजय ने इंग्लैंड और उसके साथियों का सन्तुष्ट मन दान किया था। महात्माजी के सत्याग्रह का यह भी एक भग था कि विराधी को निबलना संभव नहीं उठाना जाना चाहिए। इसी कारण कांग्रेस ने सत्याग्रह के कार्यक्रम को स्थगित कर देना ही उचित समझा।

परिवर्तित परिस्थितियों में भारत सरकार और कांग्रेस में समझौते की चर्चाएँ फिर जारी हो गईं। इस बार भारतीय उदारान्तरण के सर तजबहानुदुर सप्र मि जयकर भाई नेता भा सत्रिय हुए। वायसराय ने पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद से बातचीत की। इधर मि जिन्ना और मि आजाद में भी पत्र व्यवहार हुआ। परन्तु चूँकि सरकार और कांग्रेस दोनों के ध्येय अलग अलग थे इन कारण समझौता नहीं हो सका। कांग्रेस ने अपना हाथ कुछ भाग बढ़ाया। ३ जुलाई १९४४ ई का कांग्रेस कार्यसमिति का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ उसमें निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया गया —

हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस समय ब्रिटेन और भारत को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें सुलभान का एकमात्र उपाय ब्रिटेन द्वारा भारत की पूर्ण-स्वाधीनता की स्वीकृति है और से तत्काल कार्यक्रम में परिणत करने के लिए उस वक्त में एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार कायम करनी चाहिए जो अस्थायी अस्थायी साधन के रूप में बनाई जावे परन्तु वह इस प्रकार से स्थापित हो कि उस वक्त में व्यवस्थापिका-सभा के सभी निर्वाचित वर्गों का विश्वास प्राप्त रहे और उनके प्रतिरुक्त उस प्रांत की जिम्मेदार सरकारों का सहयोग भी मिलता रहे। यदि इन उपायों को अपनाया गया तो कांग्रेस देश की रक्षा के लिए बनाए गए संघटन में पूरा पूरा सहयोग देने को तैयार हो जाएगी।

यह यह स्मरणीय है कि महात्मा गांधी इस प्रस्ताव के उत्तराद्ध से सहमत नहीं थे। यदि इंग्लैंड भारत की स्वाधीनता को स्वीकार करके उसके साथ मित्रता कायम करता तो यह गांधीजी को स्वीकार होता परन्तु अपने अहिंसा के सिद्धान्त को छोड़कर इंग्लैंड का सैनिक सहायता देना महात्माजी को स्वीकार नहीं था। परन्तु उस समय कांग्रेससमिति ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करना ठीक समझा। श्री जवाहरलाल नेहरू भी उक्त प्रस्ताव से सहमत थे कांग्रेस कार्यसमिति के उक्त प्रस्ताव की पुना में हान वाल अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई।

ब्रिटिश सरकार का विराधी रवया

कांग्रेस अपनी मांगों के संबंध में बहुत हद तक नीचे झुक गई थी परन्तु अखिल की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। साइड जिन्ना ने भी अहिंसा के लिए बर ही

ही कायम रहे। लॉर्ड बटलर के स्थान पर गमरी भारत मंत्री बन गए। उनका भारत की तरफ बिल्कुल ही महानुभूतिपूर्ण रवैया नहीं था। गमरी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण नए भारत मंत्री भारतीयों को कुछ रियायतें प्रबन्ध देना चाहते थे परंतु शासन की सत्ता भारतवासियों के हाथों में सौंपने को कतई तयार नहीं थे। वह चर्चों की एक घोषणा पर दृढ़ थे कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना कि साम्राज्य का दीवाला निकाल दू।

(३) = अगस्त १९४१ ई० की घोषणा

उक्त चर्चा से स्पष्ट होता है कि वायस रॉय युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार से सहयोग करने के लिए अपने सिद्धांतों की बलि देकर अनेक बार मंत्री का हाथ बढ़ाया लेकिन ब्रिटिश सरकार की ओर से उसे उचित प्रयत्न नहीं मिला। ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किसी भी तरह राजी नहीं हुई। अगस्त १९४१ ई० को सवधानिक गतिराम दूर करने के लिए लाहौर नियमों ने एक घोषणा की जिसमें औपनिवेशिक स्वराज्य भारत का लक्ष्य घोषित किया गया। इस घोषणा का अर्थ प्रस्तान कहा जाता है। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं —

(१) ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है।

(२) दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति पर उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार बिना विनम्र के एक ऐसी समिति बनाएगी जिसमें भारत के राष्ट्रीय जीवन के सभी प्रमुख तत्त्व भाग लेंगे। यह समिति भारत के प्राचीन सविधान की रूपरेखा निश्चित करेगी। ब्रिटिश सरकार उस समिति को सभी विषयों पर नियंत्रण देने के लिए अधिकृत अधिकार प्रदान करेगी।

(३) कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को गवर्नर जनरल की वायसरॉयली समिति में सम्मिलित होने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

(४) ब्रिटिश सरकार युद्ध संबंधी मामलों में मन्त्रालयों के लिए एक युद्ध परामर्श समिति स्थापित करेगी। इसमें देशों रियासतों और भारत के राष्ट्रीय जीवन से संबंधित सभी हितों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति नियमित रूप से समय समय पर मिलती रहेगी।

घोषणा में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि ब्रिटिश सरकार भारत की शान्ति और कल्याण के हित में अपनी जिम्मेदारियों को किसी ऐसे राजनीतिक दल को नहीं सौंप सकती जिसकी सत्ता भारत के राष्ट्रीय जीवन के एक महत्वपूर्ण वग द्वारा नहीं मानी जा सकती हो। इसका आशय यह था कि जबतक कांग्रेस मुस्लिमलीग के साथ एकजुट न करे जबतक उसे सत्ता नहीं सौंपी जा सकती थी।

कांग्रेस द्वारा घोषणा की अस्वीकार करना

यद्यपि इस घोषणा में भारत को युद्ध में वास्तु औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना का वचन दिया गया था और उस हेतु संविधान बनाने की शक्ति भी भारतीयों को दी गई थी तथापि कांग्रेस ने इस घोषणा का निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार कर दिया —

(१) कांग्रेस ने यह मांग की थी कि भारत में तत्काल अस्थाई राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डल स्थापित करदी जाय और उसके हाथ में प्रतिरक्षा तथा अन्य मामलों का प्रभावशाली नियंत्रण दिया जाय। वायसरॉय ने इस घोषणा में इस बात का जिक्र तक नहीं किया था और वचन अपनी वायकारिणी परिषद् में कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को देने का आश्वासन दिया था।

(२) इस घोषणा में अल्पसंख्यक वर्गों को भविष्य में भारत के सवधानिक विकास को रोकने का अधिकार दे दिया गया था क्योंकि मुस्लिमलीग को अल्पसंख्यक रूप से कह दिया गया था कि भारत में ब्रिटिश सरकार किसी भी सवधानिक परिवर्तन का तबतक स्वीकार नहीं करगी जबतक लीग की सहमति नहीं होती। बहुमत को अल्पमत की दया पर छोड़ दिया गया था। अतः यह घोषणा राष्ट्रीय हितों के प्रतिबल थी।

मुस्लिमलीग द्वारा घोषणा की अस्वीकृति

मुस्लिमलीग ने भी अग्रस्त घोषणा को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वायसरॉय की घोषणा में अग्रस्त भारत की ओर संकेत किया गया था जबकि मुस्लिमलीग का तर्क था कि भारत की समस्या का हल पाकिस्तान की स्थापना है अतः यह मांग की गई कि केन्द्रीय वायकारिणी परिषद् में कांग्रेस और मुस्लिमलीग को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाय। इस तर्क में भारत की राजनयिक समस्या और अधिक विकट बन गई।

(४) व्यक्तिगत सत्याग्रह (अक्टूबर १९४४)

अग्रस्त घोषणा के बाद कांग्रेस के सभी नेताओं को यह विश्वास हो गया था कि अग्रजों सरकार युद्ध में भारत का सहयोग अपनी शर्तों पर चाहती है न कि भारतवासियों की शर्तों पर। जबकि अग्रजों ने हेरू और उनके साथी अनुभव करने लगें कि कांग्रेस द्वारा समझौते का हाथ बटान को अग्रजों सरकार ने भारतवासियों की निवृत्तता का बिल्कुल समझा है। फलतः कांग्रेस ने अपनी नीति में तेजी से परिवर्तन करना आवश्यक समझा। इसलिए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय किया। महात्मा गांधी ने सार्वभौमिकता के युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं करने का आग्रह किया। महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार को अधिक परेशान नहीं करना चाहते थे और अग्रज इस समय जीवन मरण के संकट में लगे हुए थे इसलिए सार्वजनिक सत्याग्रह का निश्चय न करके व्यक्तिगत सत्याग्रह

करन का ही निश्चय किया गया। सत्याग्रहियों को आदेश दिया गया कि सत्याग्रह करने से पूर्व मजिस्ट्रेट को उनकी सूचना दे दें। सत्याग्रह बनी कर सकता था जिस महात्माजी की स्वीकृति प्राप्त हो जाती थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह का आधारभूत विद्वान्त यह था कि जो व्यक्ति एक बार सत्याग्रह में सम्मिलित हो गया वह तब तक सत्याग्रह करता रहा जब तक काग्रस की ओर से सत्याग्रह स्थगित नहीं कर लिया जाता। सभी कड़ी शर्तों का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि सत्याग्रहियों की संख्या बहुत परिमित रही।

१७ अक्टूबर को पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे ने सत्याग्रह किया और गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरे सत्याग्रही पं. जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन आन्दोलन में भाग लेने के पूर्व ही उन्हें इलाहाबाद में बंदी बना लिया गया और चार वर्ष का बंडोर दंड दिया गया। इसके उपरान्त काग्रस के अन्य प्रमुख नेताओं ने बारी बारी से सत्याग्रह किए। सारे देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं पत्रों के सत्याग्रहों में विनाश अन्तर यह था कि इसमें प्रत्येक देशवासी को भाग लेने का अधिकार नहीं था। केवल उन्हीं लोगों को सत्याग्रह करने का अधिकार दिया गया था जो गांधीजी की कसौटी पर खरे उतर गए हो मनमा वाचा कमला सत्याग्रही हो कानन और खादी पहनने के नियमों का दृढ़ता से पालन करते हो और 'सूत्रांतुत' को न मानते हो। सरकार ने सत्याग्रह का कडाँ में मुकाबला किया। २६ अक्टूबर के एक आदेश द्वारा पत्रों की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गयी उह आदेश दिया गया कि वे ऐसे कोई समाचार प्रकाशित न करें जिनमें युद्ध काय संचालन में बाधा पहुँचती हो। मौनाना राजाद को सत्याग्रह करने के पूर्व ही ३ जनवरी १९४१ ई को गिरफ्तार कर लिया गया। मन् १९४१ के प्रथम तीन महीने में काग्रस जन सत्याग्रह करते रहे। ३ मार्च १९४१ ई तक ४७४६ सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिए गए। सरकार को २ ६६६६३ ६ दंड के रूप में प्राप्त हुए। मुस्लिमलीग ने सत्याग्रह को ब्रिटिश सरकार पर मार्ग मन्वाने के लिए दबाव डालने की सजा दी। काग्रस की मांग स्वीकार कर ली गयी तो मुस्लिमलीग इसका पूर्ण शक्ति से विरोध करेगी यह चतावनी लोग ने सरकार को दी।

२२ अप्रैल १९४१ ई को भारत मंत्री साड एमरी ने ब्रिटिश संसद में एक घोषणा की जिसमें कहा गया था कि सरकार यह चाहती है कि भारत में शासन का उत्तरदायित्व भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाए तथापि युद्ध के दौरान ऐसा करना संभव नहीं है। सरकार यह भी देखना चाहती है कि जिस सत्याग्रहों को शक्ति सौंपी जाए वह इसको बहन कर सके इसके लिए यह आवश्यक है कि ब्रिटेन द्वारा सत्ता हस्तांतरित करने के पूर्व भारतीय राजनीतिज्ञ सर्वसम्मत हल पर पहुँच जाए। एमरी की उक्त घोषणा काफ़ी प्रतिश्रितावादी था तथा काग्रस को इससे काफी निराशा हुई। व्यक्तिगत सत्याग्रह पूर्ववत् जारी रहा।

वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् का विस्तार

राजबादियों की मांग की परवाह न करके वायसराय ने अगस्त १९४ ई की घोषणा के अनुसार जुलाई १९४१ में अपनी कार्यकारिणी परिषद् का विस्तार का निश्चय किया। वायसराय ने अब पाँच भारतीय सदस्यों को अपनी कार्यकारिणी-परिषद् में लिया। और अब परिषद् में कुल ८ भारतीय सदस्य हो गए। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् में उसके सहित कुल १२ सदस्य थे इसलिए वायसराय का कहना था कि अब भारतीयों का शासन बहुमत से संचालित होने लगा है। परन्तु यह सब कुछ ठम था। प्रतिरक्षा वदेशिक सवय यह वित्त बर्बादी सभी महत्वपूर्ण विभाग अग्रजों के हाथ में थे। जो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् में अपने प्रतिनिधि भेजने से बकार कर लिया था इसलिए वायसराय ने जिन व्यक्तियों को अपनी परिषद् में लिया था वे वायसराय के अपने व्यक्ति थे। सत्ता मामला में अंतिम शक्ति वायसराय के पास ही थी। इसलिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् के विस्तार से स्थिति में कोई अन्तर नही आया।

यत्तिगत सत्याग्रह का स्थागत किया जाना

वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी परिषद् के विस्तार के एक महीने बाद सब सत्याग्रहियों को छोड़ दिया। सम्भवतः यह कदम वायसराय ने अपनी परिषद् के नए सदस्यों को प्रसन्न करने तथा उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए उठाया था। सत्याग्रह जारी रखने के सम्बन्ध में अब कांग्रेस भी एकमत नहीं थी। गांधीजी यत्तिगत सत्याग्रह जारी रखने के पक्ष में थे। दूसरी तरफ राजाजी गन्धर्व व्यक्तियों का मन था कि यत्तिगत सत्याग्रह सबथा अमफल रहा है अतः उसे जारी रखने से कोई लाभ नहीं। कई प्रमुख कांग्रेसी सदस्य यह जोर दे रहे थे कि उन्हें सत्ता में जाकर सरकार की नीति पर असर डालने का अवसर दे दिया जाना चाहिए। अतर्गत्रीय स्थिति भी गंभीर होती जा रही थी। जमनी ने इस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और १७ दिसम्बर १९४१ ई को जापान ने भा मित्र राटा के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। जापान ने क्षिप्रगति से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का जीतते हुए भारत के लिए सक्कट उपस्थित कर दिया। इसलिए देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कांग्रेसमित्रि ने गरीबी अभिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर यत्तिगत सत्याग्रह को स्थागत कर लिया।

मुभाप बोस द्वारा भारतीय स्वतंत्रता हेतु जमनी में प्रयास

सत्याग्रह के समय में मुभाप बोस की भूमिका पर भी धाडा प्रकाश डालना उचित होगा। इंग्लैंड का तृतीय महायुद्ध में फस जाना मुभाप बोस भारत के लिए शुभ मानते थे। परन्तु उन्हें इस बात का गहरा दुःख था कि न तो कांग्रेस और न ही अन्ध दल इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार थे।

अप्रैल १९४१ ई० में प्रारम्भ किए गए 'यत्किमत मत्याप्रहू' आन्दोलन से वे प्रसन्न नहीं थे। देश में चल रहे सशस्त्र कोषों के लिए उन्होंने अंग्रेजों पर बाह्य दबाव भी बनाना आवश्यक समझा। इन भारतीय स्वतन्त्रता के सशस्त्र कोषों के लिए वे २६ जनवरी १९४१ ई० को पुलिस को चकमा देकर कलकत्ता से भाग्य हो गए और काबुल होते हुए २५ मार्च को बर्लिन जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने हिटलर से मिलकर भारतीय प्रवासियों की फौज खड़ी करने की सभावनाओं पर विचार किया। नवम्बर १९४१ ई० में उन्होंने आजाद हिन्द रेजिमेंटों की स्थापना की तथा भारतीयों को अंग्रेजों की घोषबाजी, बेईमानी आदि की जानकारी देना प्रारम्भ किया। सन् १९४२ के प्रारम्भ तक वे आजाद हिन्द फौज की एक बटालियन तैयार करने में सफल हो गए। उन्होंने भारतीय युद्धविद्वानों को अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए तैयार किया। इस सेना की सहायता इन बटकर ३५० तक पहुँच गई। योजना और नीतियों पर विचार करने के लिए स्वतन्त्र भारत देश की भी स्थापना की गयी। जिस समय सुभाषचन्द्र बोस जर्मनी में भारतीय स्वतन्त्रता के लिए क्रियाशील थे उसी समय भारतीय समस्या के समाधान हेतु किंग्स एक योजना लेकर भारत आए।



क्रिप्स योजना

प्रवेश

द्वितीय महायुद्ध के घोर भभावात म ग्रेट ब्रिटेन का भविष्य बना अवसर मय था। उसका सितारा बुनती पर न हाकर गत की घोर अग्रसर हा रहा था। युद्ध सक्क क समय अग्रजा को भारतवष की सहायता का महत्त्व अनुभव हुआ। ११ माघ १९४२ ई को ब्रिटेन ने स्वीकार किया क यह स्मरण रखना चाहिए कि भारतवष ही एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा अनाचार और अत्याचार की वृद्धि पर हड़ तथा सुसंगठित प्रतिघात लगाए जा सकत हैं। सी भावना का ध्यान म रखकर २२ माघ १९४२ ई को सर स्टफोर्ड क्रिप्स को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समस्या को हल करने और युद्ध म भारतीयों का पूण सहयोग प्राप्त करने क लिए भेजा। क्रिप्स समाजवादी थ। वह रूस को अग्रजा क पक्ष म युद्ध म शामिल करने म सफल हो चुक थ। व भारत म इसके प्दान भी आ चुक थ और जवाहरलाल जी के मित्र भी थ।

क्रिप्स की भारत यात्रा का उद्देश्य

क्रिप्स का भारत भ्रजन का मुख्य उद्देश्य युद्ध म भारत की सहायता प्राप्त करना था। पर तु यह एक ऐसा युद्ध था जो भारत का अचना नही था। इसी पर प्रकाश डालत हुए पण्डित नेहरू न भी कहा था एक एम युद्ध के प्रति किस प्रकार भारतीयों को उसाहित किया जाए जो उनका नही था। वास्तव म यही सब स बड़ी विक्क समस्या थी।

ब्रिटेन क सामन जीवन मरण का प्रन था। युद्ध की सफनता और असफनता पर उसका भविष्य निर्भर था। अत श्री क्रिप्स को भारत म एक एसी दली के साथ भेजा गया जिसका समय पतीत हो चुका था और यह एक एमे वक के नाम पर थी जो स्वय अवन जीवन की अन्तिम धनियाँ गिन रहा था। क्रिप्स का अनेक कूटनीतिक उपाया क माध्यम स भारतीयों का युद्ध म भाग लेने क लिए प्रोत्साहित करना था। सन्धे म क्रिप्स के भारत आगमन का प्रथम और अन्तिम उद्देश्य भारतवष क सफल ाना का एक प्रकार स सहायता प्राप्त करके युद्ध म भारत

की सहायता प्राप्त करना या बधानिक यात्रना तो प्राथमिक रूप से उसी तथ्य का एक साधन मात्र थी ।

प्रस्ताव के जन्म की परिस्थितियाँ

निम्न द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे वे किसी एक कारण का प्रतिफल न होकर अनेक तत्वों का योग थे और उनका लिए निम्न परिस्थितियाँ उत्तरदायी थीं -

(१) युद्ध के प्रति समस्त दलों की उदासिनता

द्वितीय महायुद्ध में अग्रज सरकार ने उसी नीति का अनुसरण करना चाहा जो सन् १९१४ में प्रचलित की गई थी। युद्ध घोषणा के पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में सम्मिलित देशों में घोषित कर दिया भारतवर्ष की जनता अथवा उसके प्रतिनिधियों से इस संबंध में कोई परामर्श नहीं लिया गया। जमाकि पामदन न कहा था भारतवर्षी ब्रिटिश सरकार द्वारा एक ऐसे युद्ध में खड़े जान को था जिसके प्रारम्भ करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी और जिसके प्रति उन्होंने सतत विरोध प्रदर्शित किया था। भारत को एक बार फिर युद्ध में भागीदार बनना पडा।

कायस मुस्लिम लीग और उदार दल सभी ने एकमत होकर यह निश्चय लिया कि भारत किसी भी ऐसे प्रयत्न में सहयोग नहीं करेगा जिसे उसका धन तहफों की प्राप्ति में हाती हो। युद्ध के प्रति समूच भारत राष्ट्र की विरोध भावना ने मिस्टर निम्न को भारत आन के लिए विवश कर दिया।

(२) अटलांटिक चाटर में भारत का बहिष्कार

अगस्त सन् १९४१ में अटलांटिक चाटर की घोषणा की गई थी जिसमें ब्रिटिश और अमेरिकी सरकारों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जिन सरकारों के अंतर्गत अन्य देशों के अधिकार रहने थे उन सरकारों का स्वरूप निश्चित करने के लिए उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इन सम्बंध में यह भी घोषित किया गया कि उनकी रुचि है कि जिन देशों से सत्ता और स्वतंत्रता के अधिकार जबरदस्ती छीन लिए गए हैं वे उन्हें फिर से मिल जाए। परंतु अग्रज इन नियम को बनाने साझा एक प्रयत्न पर लागू करने को तयार न थे। ६ सितम्बर १९४१ ई. को प्रधानमंत्री अचिल न इंग्लैंड की सरकार के अध्यक्ष के रूप में यह घोषणा की कि राजनतिक विस्तार और स्वतंत्रता के इस अधिकार पत्र में भारतवर्ष बर्मा तथा साम्राज्य के अन्य भाग सम्मिलित नहीं हैं। इस बात से अग्रजों के प्रति विरोध की भावना में वृद्धि हुई।

३) वारहोली प्रस्ताव

प्रारम्भ में कायस अग्रजों से पूछा असहयोग करने का पत्र में थी। १८ सितम्बर १९४१ ई. रा अखिल भारतीय कायस ने यह निश्चय किया था कि यह समिति किसी भी ऐसे युद्ध में न तो भाग ले सकेगी है और न ही किसी प्रकार की सहायता ही प्रदान कर सकती है जिसका समानन भारतव

तथा अय स्थान पर साम्राज्याधी के पक्षियों पर किया जा रहा हो। परन्तु कुछ समय पश्चात् कांग्रेस ने समझौतावादी रुख अपनाया और वारंशी में एक प्रस्ताव पारित किया कि भारतवर्ष को राष्ट्रीय सरकार के अन्तर्गत रखा जाए तो भारतवर्ष घुरी राष्ट्रा के विरुद्ध मिन राष्ट्रो के सहायक के रूप में सामर्थ्य सहायता प्रदान करेगा। कांग्रेस के इस सशोधित व्यवहार ने अंग्रेजों को क्रिपस द्वारा भारत का सहायता प्राप्त करने का उसाह प्रदान किया।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय विवगताएं

कुछ अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियां ने भी भारत की स्वतन्त्रता का समर्थन किया था। फरवरी १९४४ ई. में चीन के राष्ट्रपति म्यांग कांग कोण भारत की यात्रा पर पधारे और उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की। उन्होंने अपने विदेश-संदेश में कहा कि भारत के प्रतिनिधियों को वास्तविक राजनतिक शक्ति दे दी जाए और जवन-भारत अपनी स्वतन्त्र इच्छा से कुछ में भाग नहीं लता तबतक वह अपनी सहायता नहीं देगा जितनी वह दे सकता है। जापान के युद्ध में शामिल होने से पूर्वी दुनिया की स्थिति गभीर हो गई थी इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी अखबार पर भारत से समझौते के लिए दबाव डाला था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यह भाषण की कि प्रतलाटिक चाटर परे समार के लिए लागू होगा। अस्तु किया के विषय मंत्री ने कांग्रेस लिया की ससद में घोषणा की हूँ भारतीयों की उच्च इच्छाओं के प्रति सहानुभूति है।

(५) जापानी प्रतिक्रिया का दबाव

रगून में जापानियों का प्रवेश भारत में मिस्टर क्रिपस के आगमन का प्रमुख बाधकारी कारण था। ऐसा प्रतीत होता था कि जापानी जिन्होंने इतनी तीव्रता से मनाया और बर्मा को हस्तगत कर लिया था शीघ्र ही बंगाल और मंगल को भी अपने प्रतिकार में कर लेंगे। टोकियो रेडियो के प्रसारणों ने अंग्रेजों की नींद हराम कर रखी थी। वहां से प्रतिनिधि यह घोषणा की जाती थी कि बौद्ध धर्म के कारण जापानियों और भारतवासियों का संबंध घटूँ है और वे (जापानी) भारतीयों को मुक्त करने के लिए ही आग्रह कर रहे हैं। यद्यपि भारतवासियों को प्रसारणों पर विश्वास नहीं करते थे परन्तु इतना तो उन्हें विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य का न्यून अस्त हो रहा है। इसलिए उन्होंने (भारतवासियों ने) अंग्रेजों को सहायता प्रदान न करता हूँ उचित समझा क्योंकि वससे जापान के अमलपुष्ट हो जान का भय था। ८ मार्च १९४२ ई. को रगून इंग्लैंड के हाथ से निकल गया। भारतवर्ष को खतरा बन गया। एनी स्थिति में भारतीय सशक्त का राजनिक समाधान ढूँढना अंग्रेजों के लिए आवश्यक हो गया था। अंग्रेज इसी के लिए क्रिपस का भारत में भेजा गया था। चंबल का अपनी आत्मकथा में लिखना पडी ८ मार्च को जापानी सेना रगून में प्रविष्ट हो गई। मेरे सब मित्रों को यह सम्भूम हुआ कि यदि भारत की ठीक ढंग से रक्षा करनी है तो राजनतिक गतिरोध का दूर करने के लिए सरकार को एक योजना तयार करनी होगी और इस अनुक्रम का भारत भजा जाए।

क्रिप्स मिशन का भारत प्रागमन

११ मार्च १९४२ ई. को ब्रिटेन न क्रिप्स मिशन को घोषणा की। क्रिप्स भारत में २२ मार्च १९४२ को तत्कालीन राए और वीम टिंग के बाद वापस आने लगे। वह काग्रस मुस्लिमलीग हिंदू महासभा हरिजनता राजाजी नवाबी और उदारवादियों के प्रतिनिधियों से मिले और इसके बाद अपनी योजना प्रस्तुत की।

क्रिप्स योजना

सर स्टेफोर्ड क्रिप्स सम्राट की सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव अपने साथ लाए थे वे एक मसविदे के रूप में थे। क्रिप्स मिशन के उन प्रस्तावों का जिनके आधार पर बातचीत करने वाली दो भागों में बांटा जा सकता है

१. पहला भाग युद्ध की परिस्थितियों के बाद का स्थिति से संबंध रखता है।

२. दूसरा भाग वर्तमान परिस्थितियों से संबंध रखता है।

(१) युद्ध के समय लागू होने वाले प्रस्ताव

इन सम्बन्ध में क्रिप्स के मसविदे में कहा गया था इस ताजुक समय में और नए संविधान के बनने तक भारत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की रहेगी। भारत की जनता को सहयोग से भारत के नित्य नित्य और भौतिक माधना का संगठित करने की जिम्मेदारी भारत का होगा। ब्रिटिश सरकार भारतीय नेताओं का अपने देश राष्ट्रमंडल तथा संयुक्त राष्ट्रों के परामर्श में परास सहयोग चाहती है। इस तरह से भारतीय नेताओं को अपना रक्षात्मक सहयोग देने का अवसर मिलेगा जो भारत के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है।

(२) युद्ध के बाद लागू होने वाले प्रस्ताव

मसविदे में कहा गया था भारत के साथ की गई प्रतिज्ञाओं का पालन करने में इंग्लैंड और भारत में जो चिन्ताएँ प्रकट की गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए सम्राट की सरकार ने नीचे से नीचे स्वशासन व विकास के लिए निश्चित कदम उठाने का निश्चय किया है। ब्रिटिश सरकार एक नए भारतीय संघ को जन्म देना चाहती है जो एक ऐसा अधिराज्य होगा जो ब्रिटिश राज की तरफ अपनी भक्ति रखने के कारण इंग्लैंड तथा अन्य उपनिवेशों से अपना संबंध रहेगा। वह अधिराज्य हर दृष्टि से दूसरे उपनिवेशों के बिल्कुल समान होगा और भीतरी तथा बाहरी मामलों में किसी के अधीन नहीं होगा।

युद्ध की समाप्ति के एकदम बाद भारत में एक निर्वाचित परिष्कृत संसद का नए कदम उठाया जाएगा जिसका काम भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना होगा। मसविदे में कहा गया था कि संविधान सभा में भारतीय रियासतों व भाग लेने का प्रवर्धन किया जाएगा। मसविदे में यह भी कहा गया था कि सरकार से प्रचार बनाए गए संविधान का स्वाकार करने तथा अमल में लाने के लिए जिम्मेदारी

लेती है। परन्तु शत यह है कि ब्रिटिश भारत के जिन प्रांतों को यह अधिकार दिया जाता है कि वे अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति कायम रख सकें। यह प्रान्तवाद में यदि भारतीय संघ में शामिल होना चाहें तो प्रांत में शामिल हो सकेंगे। जो प्रान्त भारत में नए संविधान को मानने और भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होंगे उन्हें भी अपने लिए एक नया संविधान बनाने का अधिकार होगा। उनकी स्थिति भी भारतीय संघ जैसी ही होगी।

संधि प्रस्ताव

मन्त्रालय की सरकार तथा संविधान सभा में एक संधि होगी। संधि में उन सब बातों का जिक्र होगा जो ब्रिटेन से भारत को शक्ति देने के कारण उत्पन्न होंगी।

ब्रिटिश सरकार ने अपसह्यक वर्गों को जो आश्वासन दिए हैं उनका भी उचित प्रबंध किया जाएगा।

इस संधि से भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य के किसी देश से अपने सबघों को निर्भर करने के बारे में कोई पाव भी नहीं होगी।

चाहें कोई देशी रियासत संविधान अपनाता चाहें या नहीं परन्तु उसका साथ हुई पुरानी संधि को नए संविधान की आवश्यकता के अनुसार तोड़ा जाएगा।

संविधान सभा की रचना

युद्ध की समाप्ति से पूर्व यदि भारत के सम्प्रदायों और हिता के मुख्य नेता किसी अर्थ-व्यवस्था पर सहमत न हों तो संविधान सभा का निर्माण इस प्रकार होगा

युद्ध के समाप्त होने ही प्रांतीय विधानमण्डल के चुनाव होंगे। प्रांतीय विधानमण्डल के निचले सदन अर्थात् विधानसभाएं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार संविधान सभा का चुनाव करेंगी। संविधान सभा की संख्या चुनने वालों विधानसभाओं की संख्या का दसवां भाग होगी। भारतीय रियासतों को अपनी अपनी आवाजों के अनुसार प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होगा। प्रांतीय रियासतों और प्रांतों के प्रतिनिधियों की शक्तियां बराबर होंगी।

त्रि-सुभावा पर भारतीय प्रातःशिकाएँ

एक के प्रायः सभी दलों ने इस योजना को अस्वीकृत कर दिया।

(घ) कांग्रेस द्वारा क्रिष्ण योजना को अस्वीकार करने के कारण

कांग्रेस ने निम्नलिखित कारणों से त्रि-सुभावा योजना को अस्वीकृत किया।

(१) रियासतों की जनता को प्रतिनिधि भेजने का अधिकार न होना। कांग्रेस हम बात को अस्वीकार नहीं कर सकती थी कि संविधान में रियासतों के प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार बहा की जनता को न होकर बस रियासतों के शासकों का ही है। कांग्रेस संविधान सभा में राजाओं को रियासतों के प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं दे सकती थी क्योंकि एक तो सत्से राज की प्रजा की उपेक्षा होती थी

घोर दूतारे न्ही रियासतों के साधारण मामलों को प्रसन्न करने की कोशिश करते घोर सादे देश की प्रगति के माग में बाधक बनते । देशी रियासतों का यह समूह राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध मामलों के पक्ष में काम करता ।

(२) प्राप्ति तथा देशी रियासतों के साथ में ब्याप होने का अधिकार भारत कीय बांग्रस देश की एकता में विस्थापन रखी थी । स बात की यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकती थी कि मुस्लिम-नीय की मांग (वाकिरतान की स्थापना) पहले स्वीकार कर ली जाए । देशी रियासतों को पहले साथ में सामिन होने का अधिकार प्रदान किया गया परंतु बाद में यह अधिकार दे दिया गया कि यह लाली इच्छा पर निर्भर है कि नए मविधान को मांगें या न मांगें । यदि बांग्रस इस सुभाय को मान लेती तो साम्प्रदायिक समस्या घोर उग्र हो जाती तथा देश की एकता नष्ट हो जाती ।

(३) प्रतिरक्षा विभाग पर नियन्त्रण का न सौंपा जाना ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रतिरक्षा विभाग पर नियन्त्रण देना से स्पष्ट इन्कार कर दिया । मिश्रण के प्रस्ताव में स्पष्ट कहा गया था कि भारत के सामने जो विषम स्थिति पदा हो गई है उसके निवारण के लिए जबतक मविधान पर निर्माण नहीं हो जाता, तबतक भारतीय रक्षा तथा मरु सशस्त्री प्रपत्ता पर सम्प्रदाय का ही नियन्त्रण रहेगा । चूंकि विष्णु मिश्रण भारत के प्रतिनिधियों को देश की रक्षा के ऊपर प्रभावशाली नियन्त्रण देने के लिए तयार नहीं था इसलिए बांग्रस के पास उन सुभायों को प्रस्वीकार करने के प्रतिरिक्त दूसरा कोई पारा नहीं था ।

(४) केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने से इन्कारों बांग्रस इस बात पर बहुत बल दे रही थी कि वर्तमान विषम स्थिति को दोगने हुए केन्द्र में एकदम राष्ट्रीय हुकूमत स्थापित कर दी जाए बायमगाय के पास गाममान की वक्तियाँ रह गाय घोर वास्तविक सामन शक्ति भारतीयों को सौंप दी जाए । बांग्रस इस ओ की योग्यता का मापदण्ड वर्तमान स्थिति को बनाना चाहती थी । विष्णु इस बात के लिए तयार नहीं थे ।

(५) महात्मा गांधी के प्रतिरिक्त तारी बांग्रस बाधकविति इन प्रस्तावों के विरुद्ध थी इसलिये इनको प्रस्वीकार किया गया । महात्मा गांधी ने इन प्रस्तावों के बारे में कहा था यह मागे की तारीख में मुताया जाये वाला बक है । इस बायम में वक्ता आलापक न म मरु जोर दिए एक ऐसे बक के नाम पर जो स्वयं दूटन वाला है ।

मुस्लिम लीग द्वारा विष्णु गुभायों की प्रस्वीकृति

मुस्लिमलीग ने अपने ११ मप्रत १९४२ ई मन्ताव द्वारा निम्नलिखित कारणों से विष्णु गुभायों को प्रस्वीकार कर दिया —

१ इस सुभायों में स्पष्ट रूप से वाकिरतान की मांग स्वीकार लही की गई है ।

२ इन सुझावों में दो सविधान सभाओं का व्यवस्था नहीं है। मुसलमान अलग सविधान बनाना चाहते हैं।

३ सविधान सभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व पृथक् चनाव-पद्धति द्वारा होना चाहिए। चूंकि सविधान-सभा में नियुक्त बहुमत द्वारा होने इसलिए मुसलमान हिन्दुओं की दया पर आश्रित रहेंगे।

४ भारत और ब्रिटेन के बीच संधि की शर्तें निश्चित नहीं की गई हैं।

५ देशी रियासतों की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए कि वे सविधान सभा में शामिल हो या न हों।

६ अन्तःकालीन व्यवस्था के लिए कोई निश्चित सुझाव नहीं है।

७ प्रांतों में विधानमंडलों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व संतोपजनक नहीं है और

८ प्रांतों का वेत्त से अलग रहने का अधिकार काफी स्पष्ट नहीं है। प्रांतों का इन बारे में नियुक्त जानने के लिए कोई व्यवस्था सुझावों में शामिल नहीं है।

त्रिंशत् सुझावों की श्रेणी द्वारा अस्वीकार

१ सिक्खों ने इन सुझावों को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि प्रांतों को वेत्त से अलग रहने का अधिकार दे दिया गया था और इसी वजह से पंजाब में पाकिस्तान के बनने की संभावना थी। सिक्खों ने कहा वे पंजाब में कभी भी पाकिस्तान नहीं बने देंगे।

२ हिंदू महासभा ने इन सुझावों को इसलिए अस्वीकार कर दिया कि इनमें पाकिस्तान बनने के कीटारण स्पष्ट रूप से लक्षित होने थे और भारतीय एकता को बनी भारी चोट पहुंचायी गई थी।

३ हरिजन नेताओं ने इन प्रस्तावों को इसलिए रद्द कर दिया था कि वे सदैव हिन्दुओं की दया पर आश्रित हो जाते।

४ सर तेजबहादुर सप्र तथा एम आर जयकर ने जो उदारवाणियों के प्रमुख नेता थे इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था कि ये भारत की सुरक्षा अखंडता और हितों के विरुद्ध थे।

त्रिंशत्-प्रस्तावों की आलोचना

(१) राष्ट्रीय एकता के भंग होने का भय

त्रिंशत् प्रस्तावों में प्रांतों को भारतीय संध से अलग रहने या शामिल होने का स्वतंत्र अधिकार दे दिया गया जो स्पष्ट रूप से भावी संकट की सूचना थी। वास्तव में त्रिंशत् प्रस्तावों पर आशय लगाया कि वे भारत में पृथक्तावादी शक्तियों को प्रोत्साहित करते हैं जबकि भारत को अधिक से अधिक सहयोग और मधीपूर्ण वातावरण की निरन्तर आवश्यकता है। पण्डित नेहरू ने इन प्रस्तावों का विरोध करते हुए कहा था कि भारत को विभाजित करने का कोई भी प्रस्ताव अत्यंत दुःस्वप्नी है। यह एक प्रकार की मनोभावनाओं और आस्थाओं के विरुद्ध है।

(२) सविधान सभा का अग्रजातांत्रिक आधार

प्रस्तावित सविधान-सभा का संगठन अग्रजातांत्रिक था। इसमें देगी रायों को प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया था। इनका नामांकन देशी नरेशों को करना था। नामांकित प्रतिनिधियों की संख्या भी काफी थी। इसलिए यह सन्देश ही था कि वे प्रतिक्रियावादी गुट के रूप में कार्य करेंगे और सविधान को ब्रिटिश सरकार को हथारे के अन्तु रूप निर्मित करने का प्रयास करेंगे।

(३) भारतीय स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी नहीं

इस प्रतिक्रियावादी तब निर्मित सविधान सभा के हाथों भारतीय जनता की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं थी। कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में भी कहा था देगी रायों की नौ करोड़ जनता की अवहेलना करना और क्रय विषय की वस्तु की भाँति उनके साथ व्यवहार करना प्रजातंत्र और स्वभाष्य विचार के विरुद्ध है।

(४) कांग्रेस की सुनियोजी नीति पर प्रहार

कांग्रेस के नेताओं ने इसमें पूर्ण स्वराज की व्यवस्था को न देखकर इन प्रस्तावों को अपना नीति के विरुद्ध ठहराया अतः इनका बहिष्कार और निन्दा करना ही ठीक समझा।

(५) प्रस्तावों का अग्रजातांत्रिक वर्गीकरण

प्रस्तावों का दो भागों में वर्गीकरण भी एक अग्रजातांत्रिक पहलू था। वास्तव में इन प्रस्तावों को दो भागों में विभक्त करके इसके स्वरूप को ही बतलाना गया था।

६) वर्तमान सबकी प्रस्ताव काप्रेस को माय नहीं

कांग्रेस ने निम्न प्रस्तावों की बात को मान लिया होगा लेकिन वर्तमान सबकी प्रस्तावों के पूरकता अमान्य होने से उसने सभी प्रस्तावों को अमान्य कर दिया। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि वर्तमान स्थिति बहुत ही संकटपूर्ण है अतः भारत की प्रतिरक्षा का पूरा उत्तरदायित्व और नियंत्रण ब्रिटेन के ही हाथ में रहना। दूसरा तरफ कांग्रेसी नेताओं का यह कहना था कि किसी भी प्रस्ताव को क जांच वर्तमान से ही संबंधित होगी अतः ब्रिटिश सरकार की वर्तमान नीति का उठाने विरोध किया।

(७) ब्रिटिश सरकार की कपनी और बरनी में अंतर

शुरु में क्रिप्स ने मौलाना आजाद को धारवास्तन किया था कि अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी जाएगी जो बहुत ही जल्द उत्तरदायी होगी। इसमें वायसरॉय एक संवैधानिक प्रधान होगा और उसकी वायकारिणी समिति मंत्रिमंडल का कार्य करेगी बाद में क्रिप्स अपने वायदों से मुक्त हुए और वायसरॉय को एक अधिनायकवादी शासक ही रहने दिया। इससे क्रिप्स पर से भारतीय नेताओं का विश्वास उठ गया। मौलाना आजाद की मान्यता थी कि जबतक युद्ध काल में कौंसिल को वास्तविक शक्ति और उत्तरदायित्व न सौंपा जाए तबतक किसी भी

प्रकार का परिवर्तन महत्त्वपूर्ण नहीं होगा। धुरु में क्रिप्स ने मुझे आश्वासन दिया था कि बौंसिल एक भ्रममंडन की भाँति कार्य करगी। बातचीत के द्वारा स्पष्ट हो गया था कि उक्त कथन अतिशयोक्तिपूर्ण था।

(८) प्रतिरक्षा पर भारतीयों का नियंत्रण नहीं

जापानी हमले के समय कांग्रेस ने माँग की थी कि प्रतिरक्षा पर भारत का पूर्ण एवं प्रभावकारी नियंत्रण रहना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार इसको मानने को तैयार नहीं थी। क्रिप्स ने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय सदस्य केवल जनसम्पर्क युद्धोपरांत निर्माण और सशस्त्र सुविधाओं के लिए उत्तरदायी होंगे। कांग्रेस ने इन कार्यों को अपर्याप्त समझा।

(९) कांग्रेस को भय

जब प्रतिरक्षा विभाग को उत्तरदायित्व के क्षेत्र में स्थापित करने की कांग्रेसी माँग को सरकार ने अस्वीकार कर दिया तो निस्सन्देह भारतीय जनता में ब्रिटिश इरादों के प्रति सन्देह पैदा होना स्वाभाविक था। इस विभाग को इस क्षेत्र से हटा देने का वास्तविक अर्थ यही था कि भविष्य में भारत एक स्वतंत्र सरकार की कामना नहीं कर सकता था। इस प्रकार कांग्रेस के इस तर्क को कि युद्ध जनता की तरफ से उठा जाएगा ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया।

(१०) देश के सभी राजनीतिक दलों को निन्दा मक अभिव्यक्तियाँ

क्रिप्स प्रस्ताव से किसी को भी सतोप नहीं हुआ था। कांग्रेस ने शुरु से ही इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। हिन्दू महासभा का कहना था कि ब्रिटिश सरकार इन प्रस्तावों द्वारा पीछे के दरवाजे से पाकिस्तान की स्थापना करना चाहती है। अतः उसने इन प्रस्तावों को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। मित्र सम्मूह भी इसी आधार पर प्रस्ताव के विरुद्ध था। उसके अनुसार पाकिस्तान का निर्माण सिक्खों के हित के विरुद्ध था। अनुसूचित जातियों को भय था कि इन प्रस्तावों की मायता से कुछ खास किस्म की जातियाँ का शासन स्थापित हो जाएगा।

सर तेजजहादुर सप्र जैसे उदारवादियों ने भी क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध किया और अनेक नए सुझाव दिए। मुस्लिमलोग ने भी इन प्रस्तावों को ठकरा दिया। उसने विभाजन संबंधी प्रस्ताव पर सतोप तो प्रकट किया लेकिन उसने इस बात पर ज़ोर दिया कि कौनसा प्रांत भारत में रहेगा और कौनसा पाकिस्तान में इस बात का निर्णय करने के लिए जनमतसंग्रह पर मुसलमान ही मत दें। संविधान सभा के संगठन के बारे में उसने निकायत की।

क्रिप्स प्रस्ताव से कोई भी खुश नहीं हुआ। इसलिए सभी प्रस्तावों को अक्टूबर ११ अगस्त १९४२ ई. को हटा दिया गया। क्रिप्स इन्वॉल्ट लौट गए। भारत का सवधानिक गतिरोध यों का त्यो बना रहा। क्रिप्स योजना से भारतीयों में एक आशा की लहर का जो संचार हुआ था वह एकाएक निराशा में परिवर्तित हो गया। साम्राज्यवाद से समझौते की रही सही आशा जाती रही अब १९४२ ई. के भारत छोड़ो आन्दोलन का माँग प्रशस्त हुआ।

सन् १८४२ की मान्ति

प्रथम

जिन इस स विप्लव वार्ता भय हुई और क्रिया को वास्तव बुनाया गया तथा इस विषय में विभिन्न समद में जो वा विवाद हुआ उसने भारतीयों को यह सोचने को बाध्य कर दिया कि यह सम्पूर्ण क्रिया केवल एक राजनीतिक घृतता मात्र थी जिसका उद्देश्य विश्व लोकमत की आज्ञा में धूल भोक्तता और धूल अनु मान्ति असफलता का भार भारतीय जनता के ऊपर ाग देना था। विप्लव क विन्वासपात के ताने बाने का भेद चलने पर देश विरागा किन्तु अविमूढता और यशता के गत में हुए गया। यह राष्ट्र के लिए बहुत ही अस तोषकर अवस्था थी। इन स्थिति का बदलना आवश्यक था। श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा जनता की विरागा को साहस और प्रतिरोध की भावना में बदला जाना आवश्यक था। सन् १९४२ ई० के आसपास महात्मा गांधी ने उग्रतापूर्वक इस दिशा में सोचना प्रारम्भ कर लिया। भारत छोड़ो आ दोहन उनके मस्तिष्क में जन्मने लगा और उन्होंने उस हरिजन में एक खमाला लिखकर मुद्रित किया।

भारत छोड़ो आन्दोलन का विचार

भारत छोड़ो आन्दोलन पर दृष्टिपात करने में पूर्व हम यह देख लेना चाहिए कि यह विचार गांधीजी के मस्तिष्क में क्यों और किस परिस्थितियों में पल्लवित हुआ।

(१) क्रिष्ण मिशन की असफलता

३ मार्च १९४२ ई को सर स्टेशन क्रिष्ण ने यह सकेत दिया था कि यदि यह बातचीत असफल हो गई तो वह आगे और कोई बातचीत नहीं करेगा। चूंकि क्रिष्ण योजना अथर्वान्त थी अतः भारत के सभी दलों ने इस अस्वीकार कर दिया। क्रिष्ण ने अपनी असफलता की जिम्मेदारी काग्रम पर डाली। भारतीयों को यह विन्वास हो गया कि यह योजना अमरीका और चीन के दबाव के कारण उत्पन्न हुई थी और चर्चिन का भारतीयों का वास्तविक शक्ति देने का कोई वादा नहीं है। मौलाना आजाद ने लिखा था क्रिष्ण और भारतीय नेताओं में जो लम्बी बातचीत चली थी वह समार को यह सिद्ध करने के लिए थी कि काग्रस

भारत की सच्ची प्रतिनिधि संस्था नहीं है और भारतवासियों की फूट ही वास्तविक कारण है जिससे अंग्रेज इनको कोई वास्तविक शक्ति देने में असमर्थ हैं। इन सब बातों से जहाँ क्रिस्त का भारत में प्रत्यक्ष फल रहा लोगों में निराशा भी फल गई।

(१) जापानियों को नाराज न करने की भावना

कांग्रेस जापानियों को नाराज करने को तैयार नहीं थी। जापानी आक्रमण का भय भी दिन दूना रात चौगना बढ़ता जा रहा था और कांग्रेस ने समझ लिया कि उस अंग्रेजों का साथ देकर जापानियों को नाराज नहीं करना चाहिए।

(३) धर्म के शरणार्थियों की कष्टकहानी

धर्म से जो भारतीय शरणार्थी भारत आ रहे थे उन्होंने श्री भण्डे को जो वायसराय की कार्यालयी के सन्तुष्ट थे और बाहर रहने वाले भारतीयों की देखभाल करने वाला विभाग बन चुकिया थे धरने देख की जो कष्टकहानी सुनाई वह बड़ी दुःखपूर्ण थी। प. हृदयनाथ कुंजरु ने जो श्री भण्डे के साथ ही थे एक वक्तव्य में कहा कि भारतीय शरणार्थियों से ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया गया जैसे वे किसी घटिया जाति से सम्बन्धित हों। इस दारुण घटना ने भारतीयों में रोष की एक लहर पैदा कर दी और उनमें यह भावना उत्पन्न कर दी कि अंग्रेज भारतीयों की रक्षण करने में असमर्थ हैं और वे अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों का अपमान करने को तुले हुए हैं।

(४) पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का शासन

पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का शासन था। अंग्रेजों ने वहाँ सैनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत सी भूमि पर अधिकार कर लिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने वहाँ देशी नाकों को जो हजारा परिवारों की जीविका का साधन थी नष्ट कर दिया। इससे लोगों के दुखों में प्रचण्ड वृद्धि हुई और अंग्रेजों के विनाशपूर्णता की भावना तीव्र हो उठी।

(५) सीमांत क्षेत्रों में भय

उस समय वस्तुओं के भाव बहुत अधिक बढ़ गए थे। लोगों का नागजी मूला पर भी विश्वास उठता चला जा रहा था। इस महंगाई के कारण मध्यम वर्ग में सरकार के खिलाफ बहुत ही तीव्र अविश्वास की भावना थी और वह अंग्रेजों से लोहा लेने को सन्नद्ध था।

(६) अंग्रेजों की सामर्थ्य पर शक

महात्मा गांधी का विचार था कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ हैं। अंग्रेजों की विगापुर मलाया और बर्मा की हार ने महात्मा गांधी के विश्वास को दृढ़ बना दिया। उनके विचार में अंग्रेजों ने यहाँ से चले जाने की न चने

जाने के बीच कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि प्रत्येक प्रयोज्य अपना बोरिया बिस्तर बांधकर हट जाए। वे इस बात के लिए तयार थे कि ब्रिटिश सेनाएँ स्वतंत्र भारत के साथ संधि करके यहाँ ठहरीं रहे। उन्होंने जिम बात पर बल दिया वह यह थी कि प्रयोज्य भारतीय जनता के हाथ में सत्ता हस्तांतरित कर दें। चूंकि अग्रजों से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे भारत छोड़कर चले जाएंगे इसलिए कुछ न कुछ कामवाही करनी आवश्यक थी। अग्रजों की निष्क्रियता असहनीय थी। ब्रिटिश सरकार के प्रति नक्रिय प्रतिरोध आवश्यक था यह निष्क्रियता की तुलना में अधिक श्रेयस्कर था।

भारत छोड़ो प्रस्ताव

भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रस्तावक कांग्रेस कायसमिति का पराधीन भारत का सबसे उच्चतम प्रस्ताव था। भारतीयों को यह विश्वास था कि ७ या ८ अगस्त तक यदि अग्रज भारत छोड़ कर चले जाते हैं तो जापानियों का आक्रमण नहीं होगा। इसलिए महात्मा गांधी ने अग्रजों को भारत में निकल जाने की बात कही। उन्होंने अपने विचारों का हरिजन तथा अन्य समाचारपत्रों के द्वारा देश में व्यापक प्रचार प्रारम्भ किया। ५ जुलाई १९४२ ई को उन्होंने हरिजन में लिखा अग्रजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो भारत को भारतीयों के लिए ही यद्यपि रूप से छोड़ दो। गांधीजी को यह इसलिए भी कहना पड़ा क्योंकि उस समय जापानी आक्रमण का बहुत भय था और अग्रजों की योजना पूर्वी भारत को छोड़ने की थी भी। गांधीजी का विचार था कि केवल स्वतंत्र भारत में ही आत्मरक्षणकारी का विरोध करने की नैतिक शक्ति हो सकती है। ८ अगस्त १९४२ ई को अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया था

भारत में ब्रिटिश शासन का तुरन्त अन्त हो जाना चाहिए। यह भारत के लिए आवश्यक है। इस शासन का निरन्तर जारी रहना भारत को नीचे गिराना है और देश अपनी प्रतिरक्षा के लिए कमजोर होता जा रहा है। ब्रिटिश शासन का स्थायित्व भारत की प्रतिष्ठा को घटाता है और उसे दुबल बनाता है और अपनी रक्षा करने तथा विश्व-स्वातंत्र्य के आदर्श की पूर्ति में महयोग देने की उसकी शक्ति में क्रमिक ह्रास उत्पन्न करता है। भारत की स्वतंत्रता से ही ब्रिटेन और संयुक्त राज्यों को आक्रामकता है। स्वतंत्र भारत इस सकलता को भव्य ही प्राप्त कर लेगा क्योंकि अपने सभी साधनों को स्वतंत्रता के लिए तथा पामिस्टवाद नास्तीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लगा लेना पराधीन भारत साम्राज्यवाद का विरुद्ध बना हुआ है। परन्तु स्वतंत्रता का प्राप्ति ही यद्ध के रूप में बल सकती है भावी वादे नहीं। अतएव अखिल भारतीय कांग्रेस कायसमिति अत्यधिक जोरदार

गणों में त्रिदिश सत्ता के हट जाने की मांग दायरा रही है। यदि यह मांग न मानी गई तो समिति एवं विस्तृत पमाने पर महात्मा गांधी व नतुत्व में अहिंसात्मक सघष चलाने की आशा विवग होकर देती है। वह भारतीयों स अपील करती है कि इस आन्दोलन का आघार अहिंसात्मक हो और प्रत्येक व्यक्ति अपना माग्यजन स्वयं करे। 'व भी सत्ता आणी सारी जनता की रहणी।'

काग्र म ग्हासमिति न लिए गए अपन भाषण म महात्मा गांधी ने यह घोषणा की थी कि यह सघष करो या मरा का होगा। तकिन यह नडाई अहिंसक होगी इसम गुप्त वुद्य भी न रहगा। महात्मा जी न यह भी स्पष्ट कर िया कि वह आंदोलन प्रारम्भ करने के पूव वायसराय स भिर्गेगे और मुख्य मित्र राधो से अपील करेंगे। पन्ति नेरु व मतानुसार यह सक्प कोई घमकी नहीं थी वकि एक सहयोग प्रस्ताव था। महात्मा जी ने भी चीन व तजापीन सर्वेसर्वा होमक च्यागवाई गेक का भजे गए अपन पत्र म लिखा था कि वह कोई पय ज्तवाजी म नहीं उठाएग। तैकिन सरकार न उह मोचने का समय तक नहीं दिया और ६ अगस्त की प्रात महात्मा गांधी और काग्र स कायसमिति के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया।

सरकारी दमन

जो प्रस्ताव काग्र स की कायकारिणी म पारित किया गया था वह कोई घमकी नहीं थी। वस यह जन विद्रोह का सकेामात्र था। राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी से जनता सन्तुलन खो बठी। सरकार ने दमन का जो चक्र आरम्भ किया उससे भारत तरक-सा बन गया। आंदोलन के दौरान सेना और पुलिस की तगमग ३३८ बार गोनिया चलानी पनी लगभग १ २८ व्यक्ति मरे और ३ हजार से अविक् व्यक्ति घायल हुए। इन आंदोलन म ६ हजार व्यक्तिया को बनी बनाया गया और ६ बार तो ऊपर से मशीनगनों से गोली की वर्षा की गई। काग्र स की गर-कानूनी सस्या घोषित कर दिया गया और इसके दफ्तर तथा कार्यालया पर पुलिस का कजा हो गया। काग्र स के सहस्रो कायवर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने आंदोलन को दधाने के लिए बहुत आयाचार किए। उस दमन चक्र न खुन दिहाह को तो पूरी तरह दवा-दिया परन्तु भूमिगत (गुप्त) आंदोलन कई महीनों तक चलता रहा और जयप्रकाशनायकए रामगोहूर नोदिया तथा अरुणा आसफखली उस नेताओं ने उसका माग टगन किया।

आंदोलन का रूप

जब जनता न नेताओं की गिरफ्तारी आदि के समाचार सुने और पने तो उसके साभ का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह अग्रजो से बदला लेने की सोचने लगी। काग्रसी नेताओं न जनता के लिए कोई अनुगेन या निगेन नहीं छोड थे।

महात्मा जी ने तो केवल करो या मरो' का नारा दिया था। इसलिए जनता के पास कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था। ऐसी दशा में गेय मखिल भारतीय नेताओं ने कांग्रेस समिति की तरफ से एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें १२ सूत्री कार्यक्रम दिया हुआ था। इस १२ सूत्री कार्यक्रम में सम्पूर्ण देश में गान्धिपूजा हड़तायें मावजनिव समाज नमक बनाना लगान न देना आदि कार्यक्रम सम्मिलित थे। सरकार ने धीमे ही इस पुस्तिका को जप्त कर लिया और अनेक कठोर कदम उठाए। इस आन्दोलन का स्वरूप बिल्कुल अहिंसात्मक था। हिंसा को कोई स्थान नहीं था। जनता से कहा गया था कि पुलिस थानों तहसीलों तथा जिल के मुख्य कार्यालयों को अहिंसक कार्यों द्वारा प्रकम्प्य बना दिया जाए। परन्तु जब सभी प्रमुख नेताओं को बंदी बना दिया गया तो जनता का धैर्य टिग गया। उन्हें स्पष्ट रूप से मासूम हो गया कि वे अहिंसक क्रान्ति से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और क्रान्ति के बिना भयजनों के होसल पस्व नहीं किए जा सकते। इसीलिए आन्दोलन का संचालन ऐसे व्यक्तियों के हाथों में चला गया जो जीवन के विनाश और निर्माण में भेद नहीं कर सके। अत आन्दोलन अहिंसात्मक मार्ग पर बढ़ता २ क्रान्तिकारी उद्देश्य के अरम बिन्दु पर पहुँच गया।

भारत छोड़ो आन्दोलन के चार चरण

१ बाल्यावस्था

आन्दोलन की पहली अवस्था गांधीजी की ६ अगस्त १९४२ ई की गिरफ्तारी से लेकर ३-४ दिन तक रही। इस काल में श्रमिक हड़तालों का विशेष प्रभाव था। पुलिस का दमन चक्र चला जिसने लोगों में अत्यधिक असन्तोष भड़का और वे हिंसा पर उतर आए।

२ युवावस्था

इस काल में जनता ने सरकारी भवनों का विध्वंस किया और रेलवे डाकखानों तथा पुलिस थानों पर विशेष आक्रमण किए। अनेक स्थानों पर तो अराजकता की स्थिति भी उत्पन्न हुई। अर्थ और अस्थायी सरकारों का भी निर्माण हो गया। आन्दोलन को दबाने के लिए सरकार ने काफी अत्याचार किए।

३ प्रौढ़ावस्था

इस काल में यवनों ने विभिन्न स्थानों पर सगस्त्र हमले किए। ऐसी घटनाएँ मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में घटी। इस प्रकार का आन्दोलन सन् १९४३ की फरवरी तक चलता रहा। बम्बई उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश तथा कुछ अन्य स्थानों पर जनता द्वारा बम भी फेंके गए।

४ वृद्धावस्था

चौथी अवस्था में आन्दोलन बहुत घीमी गति से ६ मई १९४४ ई तक चला जबकि गांधीजी छोड़ दिए गए थे। इस काल में आन्दोलनकारियों ने निरंकुश विध्वंस

और स्वतंत्रता लिये भी मनाए। श्री जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ़अली ने बहुत ही सराहनीय काम किया। वास्तव में देखा जाए तो वे ही आन्दोलन के कण्ठधार थे। मुस्लिमलीग ने उस भाग नहीं लिया और राजाओं तथा रायबहादुरों का भी यही खयाल रहा।

आन्दोलन का प्रभाव

इस आन्दोलन के फलस्वरूप विश्व लोकमत में नाटकीय परिवर्तन हुआ। आन्दोलन का अमरीकी जनता पर काफी प्रभाव पड़ा। स्वयं ब्रिटेन का लोकमत भी चाहने लगा कि इंग्लैंड भारत को छोड़ दे। चीन की जनता पर भी विरोध प्रभाव पड़ा। चीन के माशान यांगकाई गक ने २५ जुलाई १९४२ ई को अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को लिखा अग्रजों के लिए यही सबसे अच्छी नीति है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। व्याग काई गक द्वारा भारत की कबालत करने पर पब्लिक बोखना उठा और उसने प्रमकी दी यदि चीन भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहा तो अग्रज चीन के साथ अपनी सधि तोड़ देंगे।

आन्दोलन विरोधी दृष्टिकोण

योग की दृष्टि में यह खतरनाक आन्दोलन था। मुस्लिमलीग के सर्वेसर्वा श्री जिन्ना ने इस आन्दोलन की विन्ना की और ममलमानों को इस भाग न लेने को परामर्श दिया। हिंदू महासभा ने इस आन्दोलन को निरर्थक बताया और कहा कि देश को पूर्ण स्वतंत्रता की भाग करनी चाहिए। उदारवादी नेता सर तेजबहादुर सप्र ने इस आन्दोलन को अक्षिप्त तथा अनामयिक बताया। डाक्टर अम्बेडकर ने भी इस आन्दोलन का विरोध किया। अकाली दल और साम्यवादी दल भी इस आन्दोलन के विरुद्ध थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस को छोड़कर कोई भी दल सन् १९४२ ई में अग्रजों को अग्रसत्त बन के पक्ष में नहीं था।

आन्दोलन का महत्त्व

सन् १९४२ का आन्दोलन स्वाधीनता प्राप्ति की दिशा में महान् कदम था। यह आन्दोलन कोर्ष माघारण आन्दोलन नहीं था अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में महान् आन्दोलन था सरकार को इस कान में दण्ड के रूप में २५ अगस्त की आमदनी हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह व्यापक जन असंतोष था जो गुलामी की जड़ों को तोटना चाहता था।

इस आन्दोलन का तात्कालिक उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था और इसमें यह आन्दोलन असफल सिद्ध हुआ। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि यह आन्दोलन पूर्णतः निष्फल रहा। इस आन्दोलन का महान् उद्देश्य था—जनता में जागृति उत्पन्न करना और विश्वी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मुकाबला करने की भावना उत्पन्न करना। कना न होगा कि आन्दोलन इस उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत सफल रहा। डॉ. अम्बाप्रसा के अनुसार इन आन्दोलन ने सन् १९४७ में भारतीय

स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तयार की। इस आन्दोलन ने लोगों में नवीन चेतना का प्रभुदय एवं अत्याचारों से लोहा लेने की भावना का विकास किया। डॉ० राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है आन्दोलन के कारण लोगों में सरकार का मुकाबला करने की हिम्मत तथा उत्साह बहुत बढ़ गया जनमन की आवाज ने काफी बुलंदी प्राप्त की। सरदार पटेल के अनुसार भारत में ब्रिटिश राज्य का इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ था जबकि १९४२ ई में हुआ। लोगों ने जो प्रतिज्ञा की है हम उस पर गव है। वास्तव में सन् १९४२ का आन्दोलन एक गौरवपूर्ण क्रांति थी कि जिसके पांच ही वर्ष बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। जब जवाहरलाल नेहरू जब से छूटे तो उन्होंने कहा १९४२ ई में जो कुछ हुआ उसका भुंके गव है मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं उनकी निंदा नहीं कर सकता जिन्होंने आन्दोलन में भाग लिया। इस आन्दोलन से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को गहरा धक्का लगा। डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने ठीक ही लिखा है इन विद्रोह की आग में औपनिवेशिक स्वराज्य की सारी बातें जल गईं। भारत अन्नपूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहता था। अंग्रेजों का भारत छोड़ना निश्चित हो गया। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद को असह्य धक्का था।

समालोचना

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह आन्दोलन प्रदम्य राष्ट्रीयता और क्रांति का प्रतिफल तथा अंग्रेजों के विरुद्ध घोर घृणा का परिणाम था। इस आन्दोलन का स्वरूप प्रारम्भ में प्रहिनात्मक था परन्तु परिवर्तित परिस्थितियों में यह क्रांतिकारी पथ पर अग्रसर होता गया। इस आन्दोलन में सर्वनाधारण ने बत्बर भाग लिया और सरकार ने भी इसे कुचलने में कमी नहीं रखी फिर भी सरकार जन भावनाओं का दमन करने में पूर्ण सफल नहीं हो सकी।

इस आन्दोलन में केवल कांग्रेस ने ही महत्वपूर्ण भाग भूला किया था। अन्य दल दशकमात्र बने रहे। फिर भी यह आन्दोलन जिसकी गड़ें जन मानस में गहराई से आरोपित हो गई थी काफी सफल रहा। इस आन्दोलन ने देश में राष्ट्रीयता की अलख जगा दी जो अंग्रेजों को भारत से निकाल देने के बाद ही शांत हो सकी। इस आन्दोलन का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लीग और अंग्रेजों में शान्ति विवाह हो गया।



सन् १९४२ की शान्ति क वाद क वर्ष

(१) १९४३ का वष

सन् १९४३ का वष भारतीय राजनीति में रगविहीन वष के रूप में प्राया । देश की जनता स्वतन्त्रता का एक और प्रयास असफल होने से दुःखा थी ब्रिटिश सरकार जीवन मरण के संधप भरत थी और राष्ट्रपति रूजवेल्ट मित्र राष्ट्रों की विजय की योजना को मूर्तरूप देने में प्रयासरत थे । परन्तु भारत की समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं था । देश में कोई आन्वयजनक गतिविधि नहीं हो रही थी यद्यपि निष्प्राण शान्ति भी नहीं थी । १९४३ ई के प्रारम्भ में जेन स चूटने के बाद महात्मा गांधी न पुन सरकार से समझौता वार्ता की इच्छा प्रकट की । गांधी जी न आत्मशुद्धि के उद्देश्य से २१ दिन का उपवास व्रत प्रारम्भ करत की घोषणा की । सरकार ने गांधी जी को उपवास व्रत से विरत करन के लिए प्रयत्न नहीं किया । ऐसा कहा जाता है कि उपवास काल में गांधीजी के बेहान्त की सम्भावना को ध्यान में रखकर उनके दाह-सस्वार की तयारी भी सरकार ने करली थी । १ फरवरी १९४३ ई को गांधी जी न अपना उपवास प्रारम्भ किया । ६१ दिनों के पश्चात् गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़न गया एवं समस्त भारतवष में चिन्ता व्याप्त हो गई । श्री मोती श्री अग्र श्री सरकार न वायसराय द्वारा गांधीजी के उपवास क संध में कोई कायवाही नहीं करने की इच्छा के विरोध में वायसराय की वायवारिणी से त्यागपत्र दे दिया । १६ फरवरी १९४३ ई को दिल्ली में विभिन्न विचारों एवं मान्यताओं वाले १५ व्यक्तियों की एक बैठक गांधीजी के उपवास से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए हुई । इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर वायसराय स गांधी जी को मुक्त करने का आग्रह किया गया । ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत-मंत्री एवं संसद में प्रतिपक्षी नेता सर परसी हेरीस को भी इस सम्बंध में ठार द्वारा सूचना दी गयी । परन्तु वायसराय न दिल्ली-बैठक द्वारा पारित प्रस्ताव पर को ध्यान नहीं दिया । ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी गांधी जी की निरपत्तारी का उत्तरदायित्व स्वयं गांधी जी पर आरोपित कर अपन उत्तरदायित्व स मुक्ति पायी । ३ मार्च का गांधी जी ने अपना उपवास व्रत सफलतापूर्वक सम्पन्न किया । देश में अपार प्रसन्नता

की लहर फल गई। ६ माच को सम्पन्न अग्निव भारतीय नेताओं की एक बैठक के निष्पत्तिसार ३५ यत्तियां ने अपने हस्ताक्षरपुक्त एवं वक्तव्य प्रकाशित कर सरकार और कांग्रेस में अपनी नीतियों पर पुन विचार कर मन मिताप स्व पित करने का आग्रह किया। वायसराय ने उक्त वक्तव्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। फरवरी एवं अप्रैल १९४३ में म राजवट के निजी प्रतिनिधि विनियम कतिपय ने जन म गांधीजी में मित्रता की अनुमति चाहा परन्तु भारत सरकार ने अनुमति प्रदान नहीं की। यद्यपि यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय प्रारम्भ हो गई थी तथापि जापान युद्ध में विजय पर विजय प्राप्त करता जा रहा था एवं युद्ध का अन्त नजर नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश शासन भारत पर न अपना नियंत्रण कमजोर नहीं करना चाहते थे। इन काल में मुस्लिम लीग निरन्तर पाकिस्तान की मांग करती रही। ११ अक्टूबर १९४२ ई को जिन्ना ने एक वक्तव्य में कहा हम भारत के मुसलमान एक सभ्य राष्ट्र का स्थापना कर अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का निर्माण हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है या तो हम इसे प्राप्त करेंगे अन्यथा नष्ट हो जाएंगे। २४ अप्रैल १९४३ ई को लीग के २४ वें अधिवेशन में भाषण देते हुए जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को पुन दोहराया और महात्मा गांधी का पाकिस्तान के निर्माण के आघार पर समझौता बार्ता करने के लिए आमंत्रित किया।

सन् १९४३ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक और नया मांड लिया। इस वष सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज का गठन किया तथा स्वतंत्र भारत की काम चलाऊ सरकार की घोषणा की। भारतीय स्वतंत्रता के लिए सघष करने वाले यत्तियों का जन सरकार ने जल में डाल दिया उस समय देश के बाहर सुभाषचन्द्र बोस ने स्वतंत्रता की मशाल को प्रज्वलित रखने का महान् काय किया। हम पूरा यह चर्चा कर चुके हैं कि सुभाषचन्द्र बान किम तरह जमनी पहुँचे और वहाँ उन्होंने किस तरह देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न प्रारम्भ किया। फरवरी १९४३ ई में सुभाषचन्द्र बोस जमन पत्तु की से सुदूर पूव पहुँचे। सुभाष चन्द्र के सुदूर पूव घान के पूव २२ जून १९४२ ई० को रास बिहारी के नेतृत्व में सम्पूर्ण पूर्वी एशिया के लिए भारतीय स्वतंत्रता लीग का निर्माण किया जा चुका था। ८ जुलाई १९४३ ई को भारतीय स्वतंत्रता गण न आजाद हिन्द फौज के निर्माण की घोषणा की। फौज का उद्देश्य भारत के घोषण के विरुद्ध सघष करने का था। ६ जुलाई १९४३ ई को सुभाषचन्द्र बोस ने पन्दग (सिगापुर) में एक विंगल जनसमूह के सामने यह घोषणा की कि भारत के बाहर बसने वाले भारतीय शीघ्र एक फौज का निर्माण करने जा रहे हैं जो भारत में ब्रिटिश सेना पर आक्रमण करने में सक्षम होगी। जब हम ऐसा करेंगे तो न केवल भारतीय जनता में बल्कि भारतीय सेना में जा अभा ब्रिटिश मंडल की नीच उड़ी

है विद्रोह हो जाएगा। जब ब्रिटिश सरकार पर इस प्रकार दोनों तरफ से आक्रमण किया जाएगा तब सरकार का पतन हो जाएगा एवं भारतीय अपना शासन प्राप्त कर सकेंगे। २१ अगस्त १९४३ ई. को सुभाषचंद्र बोस ने फौज का नियंत्रण समाल लिया और नेताजी के नाम से प्रतिष्ठित हो गए। २१ अक्टूबर १९४३ ई. को भारतीय स्वतंत्रता लीग ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के निर्माण की घोषणा की। इस सरकार ने एक सप्ताह पचाह ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी।^१

(२) नए वायसराय का आगमन एवं गांधी जी के प्रयत्न

अक्टूबर १९४३ ई. में सर आर्चिबाल्ड वेवल भारत के नए वायसराय बन कर आए। भारत आने के पूर्व उन्होंने कहा था कि वे बड़ी उत्तरदायित्व की भावना लेकर भारत जा रहे हैं और भारत के महात्मा विषय में उनका पूर्ण विश्वास है। महात्मा गांधी ने नए वायसराय को पत्र लिखा और कांग्रेस वायसमिति से सम्पर्क स्थापित करने की अनुमति मांगी जिससे कि विश्रामान गतिरोध को दूर किया जा सके। वायसराय ने गांधीजी के पत्र का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। सन् १९४४ में जनवरी अग्रल के मध्य गांधीजी ने वायसराय को पुनः कुछ पत्र लिखे परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। १४ अग्रल १९४४ ई. का गांधी जी बीमार पड़ गए। सरकार ने ६ मई १९४४ ई. को गांधी जी एवं वायकारिणी के कुछ सदस्यों को जेल से मुक्त कर दिया।

जेल से मुक्त होने के पश्चात् गांधीजी न समय एवं परिस्थिति का अवलोकन कर सरकार से समझौता वार्ता प्रारम्भ करना उचित समझा। अतः उन्होंने १७ जून को वायसराय को एक पत्र लिखा परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। शीघ्र ही गांधीजी ने य भी घोषणा की कि उनका अग्र सत्याग्र करने का कोई इरादा नहीं है। वायसराय ने गांधीजी के नाम भेजे गए अग्रने २७ जुलाई १९४४ ई. के पत्र में कि न प्रस्ताव को पुनः दोहरा दिया तथा दृष्ट क्रिया कि भारतीय नेताओं को काम चलाऊ सरकार बनाने के लिए केवल उची स्थिति में आमंत्रित किया जा सकता है जबकि अल्पसंख्यकों दलितों आदि के लिए उचित सरकार का व्यवस्था की जा सके। समझौते के सब प्रयास विफल हो गए। ४ अक्टूबर १९४४ ई. को भारत मन्त्री एमरी ने कांग्रेस वायकारिणी के सदस्यों को मुक्त न करने की सरकारी इच्छा की घोषणा कर दी।

राजगोपालाचारी योजना

वायसराय से समझौता-वार्ता चलाने के साथ ही साम्प्रदायिक समस्या का

१ आषाढियों के साथ मिलकर आषाढ दिवस फौज बर्मा में लड़ी। अग्रल १९४५ में आषाढियों का हृषिकार नाम देने पर आषाढ दिवस फौज ने भी हृषिकार नाम दिए। १३ अगस्त १९४५ ई. को आषाढ से अग्र घोषणा की गयी कि सुभाषचन्द्र बोस की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई है।

समाधान करने के लिए गांधीजी ने वि जिन्ना से भी सम्पर्क स्थापित किया। उस समय गांधीजी और कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों के मन्दिष्क में भारत को दो भागों में विभाजित करने का कोई विचार नहीं था। गांधीजी की यह दृढ़ मायता थी कि जबतक हिन्दू मुसलमान अपने मतभेदों को दूर नहीं कर लेते तबतक देश को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। इसी भावना से प्रेरित होकर गांधीजी ने जिन्ना से बातचीत प्रारम्भ की। सी राजगोपालाचारी ने दोनों के मध्य सम्पर्क सूत्र की भूमिका प्रदा की। राजगोपालाचारी की यह धारणा थी कि पाकिस्तान के निर्माण से ही हिन्दू मुसलमान समस्या का समाधान हो सकता है। अतः उन्होंने मार्च १९४४ ई० में एक योजना तयार का एव जिन्ना के सामने रखी। ३० जून १९४४ ई० को राजगोपालाचारी ने इस योजना को गांधीजी से अनुमोदन प्राप्ति पर पुन जिन्ना के सम्मुख प्रस्तुत की। इस मस्य में यह उल्लेखनीय है कि १९४२ ई० के भारत छोड़ो आन्दोलन के पूर्व ही राजगोपालाचारी ने भारत की साम्प्रदायिक समस्या का हल करने के लिए एक कामू रा निकाला था जिममें आत्म निर्णय के आधार पर पाकिस्तान की माग को स्वीकार करने की व्यवस्था थी। कांग्रेस ने इस समय इन बात को बहुत बुरा माना था और राजगोपालाचारी की योजना को अव्यावहारिक समझाया और आधार रहित बताकर स्वीकार नहीं लिया था।

परन्तु विदम्बना यह रही कि इसी योजना के आधार पर कांग्रेस और महात्मा गांधी ने सीमा से साम्प्रदायिक समस्या का निवारण करने के उद्देश्य से एक समझौता करने का प्रयास किया। इस योजना की मुख्य शर्तें निम्नलिखित थी —

१. मस्लिम लीग स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी और कांग्रेस के साथ मज्जति काल के लिए अस्थायी अंतरिम सरकार के निर्माण में सहयोग करेगी।

२. यद् की समाप्ति के पश्चात् भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में उन जिला को निर्दिष्ट करने के लिए जिन्म मुसलमान स्पष्ट बहुमत में हैं एक प्रायोग की नियुक्ति की जाएगी। निर्दिष्ट क्षेत्रों में वहा के सभी निवासियों का वयस्क मताधिकार तथा अन्य अव्यावहारिक मताधिकार के आधार पर मत मस्य होना चाहिए जिसके आधार पर भारत में उन क्षेत्रों के प्रलग होने का निर्णय किया जाएगा। यदि बहुसंख्यक जनता भारत में पृथक एव सत्ता सम्पन्न राज्य की स्थापना का निर्णय करे तो उस निर्णय को क्रियान्वित किया जाए। किन्तु सीमा के जिलों को किसी भी राज्य में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए।

३. जनमत संग्रह से पूर्व सभी राजनीतिक दला का अपना मत प्रचार करने का एक सपक्ष समझौता होगा।

४. जनसंख्या का आान प्रदान उसकी स्वेच्छा से होगा।

५. ये शर्तें सभी लागू होगी जब ब्रिटेन द्वारा सत्ता का पूर्ण हस्तान्तरण कर दिया जाएगा।

६ गांधी जी और जिन्ना गतों को स्वीकार करेंगे और वाग्रस तथा मुस्लिम लीग की स्वीकृति लेने का प्रयत्न करेंगे ।

यस योजना की अपनी कुछ प्रमुख विशेषताएँ थीं । योजना धारान प्रदान की भावना पर आधारित थी इसमें आम निर्णय की माँग का समर्थन किया गया था और इसमें समझौते के निपत्तीय स्वरूप का समावेश था ।

योजना का विचार दर्शन

यह योजना व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित थी क्योंकि देश जिस दौर से गुजर रहा था उन स्थिति में साम्प्रदायिक समस्या का एकमात्र समाधान यही था कि मुस्लिम भावनाओं की नज़र को भाग्य कर उन्हें आम निर्णय व आधार पर अलग राय दे दिया जाए । अब अलग भारत के लिए चाहें उपरी तौर पर समाधान आवश्यक लिखती हो परन्तु साथ कुछ दूसरा ही था । मुस्लिम हित देश के जीवन से अलग रागात्मक सम्बन्ध जोड़ने को तयार नहीं था । पाकिस्तान उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया था और वे किसी भी कीमत पर अलग राज्य को प्राप्त करना चाहते थे । अलग राजाजी ने अपनी योजना में इस कठु मृत्यु के जीवनत पहलू को स्थान दिया ता कोई अशुभ या अवास्तविक उल्लेख नहीं था । यही ऐसा विकल्प था जिसके आधार पर गतिरोध को दूर किया जा सकता था ।

अगर राजाजी की यह योजना को जो कई धारोचको के कोर का गिकार हुई थी यह कहकर बोसा जाता हो कि इससे पाकिस्तान के निर्माण के लिए भाग साफ कर दिया गया तो यह सच सिद्ध नहीं होगा ।

राजाजी में एकट देशभक्ति थी और व किसी भी ऐसी स्थिति को स्वीकार करने का राग नहीं छत्र सकते थे जो देश के हित के प्रतिबल हो । वे तो मयाय के स्वाभाविक गहम्यो का उद्घाटन करने की निष्ठा में ही प्रयत्नशील थे और उसी भावना से प्रेरित होकर योजना को मूररूप प्रदान किया था । इस योजना के पीछे सबसे बड़ा लक्ष्य यह था कि राजगोपाचारो देश की जनशक्ति को जो दा अवा (वाग्रस और मुस्लिम लीग) में केन्द्रित हा खकी थी एक ऐस सम्मानजनक बिन्दु पर लाकर खडा कर देना चाहत थे जहा से वे अपने अस्तित्व को पञ्चान कर हठधर्मिता के ध्यानोह से अपना छुटकारा करें । राजाजी वाग्रस व यस विचार से भी सहमत नहीं थे कि अलग भारत व अलावा दूसरा कोई स्वर नहीं सुना जा सकता तो व मुस्लिम लीग के इस दावे को भी मायता देने का तयार नहीं थे कि पाकिस्तान के उन स्वरूप (अवास्तविक अशुभय और आधार रहित) को जो भारत को अलग खडों और उपलब्ध में बाटकर अशाक्तिक और तथ्यहीन आधारस्थल पर अग कर देता है स्वीकार कर लिया जाए । उन्होने इस प्रश्न का निर्धारण करत का दायित्व मन्वजिन प्रश्नों की जनता पर छोटा दिया ।

राजाजी वाग्रस के उन नेत्राओं में से य जिनका जिना ने काकी पात्तीय

सम्बन्ध था। उन्हें विश्वास था कि वे मि जिन्ना का अपनी इस योजना को स्वीकार करने के लिए सहमत कर लेंगे।

इतिहास के व्यापक परिप्रेक्ष्य का ध्यानरत्न करने पर स्पष्ट हो जाता है कि चाहे १९४२ ई. में कांग्रेस ने इस योजना को अवास्तविक करार देकर विरोध किया हो पर १९४४ ई. में इस योजना को गांधी जी का सममन प्राप्त था और स्वतः उसी से प्रेरित होकर राजाजी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने का निश्चय किया। गांधी राजाजी दश की राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करके इस परिणाम पर पहुँच चके थे कि यदि देश में साम्प्रदायिक समस्या का जितना जल्दी हो सके समाधान ढूँढन का प्रयास नहीं किया गया तो देश की स्वतंत्रता बहुत दूर खिसक जाएगी और राष्ट्र का जन जीवन ऐसी दलदल में फस जाएगा जो अत्यन्त भयानक रूप ले सकता है।

राजाजी ने उत्तर पश्चिम और उत्तर पूव में जहाँ मसलमानों का बहुमत था जनमत संग्रह की व्यवस्था इसलिए की थी कि यही एक ऐसा आधार स्थल था जो दोनों पक्षों के लिए माय हो सकता था। यद्यपि कांग्रेस के उग्र राष्ट्रवादी तत्त्व इसे राष्ट्रीय एकता के हितों के खिलाफ करार देकर निंदा का पात्र बनाएंगे परन्तु वे भी इस सत्य को हृदयगत अक्षय ही कर लेंगे कि समस्या के समाधान का इससे बढकर कोई सुन्दर विकल्प ढूँढना नहीं था क्योंकि इन मस्लिम बहुल क्षेत्रों का पाकिस्तान में मिलना अवश्यमावी था और जनमत-संग्रह की व्यवस्था से से किन्ही वास्तविक स्थिति पर ध्यान प्रान की कोई मुजायग नहीं थी। दूसरी तरफ लीगी क्षेत्र भी इस तथ्य को अन्ततः स्वीकार कर लेंगे कि उनकी कल्पना का पाकिस्तान उहे कल्पना में ही मिल सकता है यथाय के घरातल पर नहीं। उहे इस बात का भी अहसास हो जाएगा कि जनमत संग्रह की व्यवस्था से उहे मौलिक लाभ प्राप्त होगा और उनके दशन को नया बल मिलेगा।

राजाजीवालाधारा इस सत्य से भी अपनी भाँति परिचित थे कि वह पाकिस्तान जिसमें उत्तरपश्चिम और हैदराबाद के कुछ भाग शामिल थे न केवल सभी दृष्टियों से अवास्तविक होगा अपितु कभी हासिल भी नहीं किया जा सकेगा। अतः उसे अपनी कूटनीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करके मस्लिम भावनाओं का अनुचित लाभ तो अवश्य उठाया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों की भली भाँति समीक्षा करके राजाजी इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि उनकी यह योजना देर या सबेर अवश्य स्वीकार करली जाएगी।

योजना की अस्वीकृति

गांधी जी ६ सितम्बर १९४४ ई. को अम्बई में मि जिन्ना से मिलने गए। इसके पश्चात् दोनों में इस योजना के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार भी हुआ। पाकिस्तान

के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं हो सका। ८ अक्टूबर को जिन्ना ने घोषणा की कि हिन्दू मसलमानों की समस्या का एकमात्र हल पाकिस्तान का निर्माण है। जिन्ना ने निम्नलिखित कारणों से इस योजना को अस्वीकार कर दिया —

(१) इसमें मसलमानों को अपूरण अग्रहीन तथा दीमक जग पाकिस्तान दिया गया है। इस प्रकार का पाकिस्तान उसे कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता था क्योंकि यह पाकिस्तान में सम्पूर्ण बंगाल और घासाम समूचा सिन्ध व पंजाब तथा उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त और बिनोचिस्तान आता था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाए के लिए भी वह भाग की व्यवस्था चाहता था।

(२) इस योजना में मगर मस्लिमों को भी भाग लेने की आज्ञा दी गई थी जिन्ना को यह स्वीकार नहीं था। जिन्ना जनमत सभ में केवल मसलमानों को भाग लेने दना चाहता था।

(३) वह सुरक्षा व्यापार तथा यातायात के संयुक्त नियन्त्रण के विरुद्ध था।

प्रभाव

यद्यपि इस योजना से कोई वांछित परिणाम नहीं निकले परन्तु यह भारतीय राजनीतिक जीवन में एक सनसनीखेज दस्तावेज के रूप में मुरसित है जिसने अनेक दूरगामी परिणाम उत्पन्न किए।

(४) जिन्ना और मुस्लिमलोग की स्थिति

यद्यपि जिन्ना ने इस योजना को अस्वीकार अवश्य किया परन्तु यह उसके राजनीतिक जीवन के उच्च में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुई। इससे न केवल उसकी व्यक्तिगत स्थिति को ही बल्कि मित्रा अपितु नीग की स्थिति बहुत मजबूत हो गई। जिन्ना का मस्लिम जगत के हर पहलू पर पूरी तरह बचस्व कायम हो गया और राष्ट्रवादी मसलमान एक तरह से मस्लिम जगत से अलग चलने से कर दिए गए। भारतीय राजनीति की पहल एक बार पुन जिन्ना के नेतृत्व के अद गिद केन्द्रित हो गई। इस तथ्य को प्रकट करते हुए मौनाना आजाद (तत्कालीन काप्रसाध्यक्ष) ने ठीक ही लिखा है

गांधी जी का इस अवसर पर जिन्ना से बातचीत करना बड़ी भारी गलती थी। इससे जिन्ना को एक नया अतिरिक्त महत्व मिल गया जिसका उसने अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए अर्था इस्तेमाल किया। जिन्ना का महत्त्व उस समय बहुत घट गया था जब उसने काप्रस छोड़ी थी। यह केवल गांधी जी के कार्यों या भूलों का परिणाम था कि जिन्ना ने भारतीय राजनीतिक जीवन में दुबारा महत्त्व प्राप्त कर लिया। गांधी जी के उसके पीछे भागने और उससे प्रायनाए करने के फलस्वरूप बहुत से मसलमानों में जो जिन्ना और उसकी नीति क प्रति सन्देह रखते थे उसके (जिन्ना के) प्रति आदर की भावना उत्पन्न हो गई। इतना ही नहीं बल्कि ये गांधी जी ही थे जिन्होंने जिन्ना को पहले पहल कायदे प्राज्ञम (बड़े नेता) कहना शुरू कर

दिया। जिन्ना को पत्र में काबले प्रात्रम निम्नकर गांधी जी ने उसको महात् नेता मान लिया और भारतीय मसलमानों की दृष्टि में उसकी स्थिति को मजबूत बना दिया।

(२) महात्मा गांधी और कांग्रेस की स्थिति

महात्मा गांधी ने जिन्ना की तपाकथित नकनीयती पर विश्वास करके एक बार पुन स्वयं को निराशा के गहन भ्रमकार में मग्न न क लिए तयार कर लिया। १९१६ के सखनऊ-पत्र से भी मुस्लिमनीय को प्रवाञ्चिन उद्घा की प्राप्ति हुई थी। वही पुनरावृत्ति इस योजना द्वारा भी की गई। काभम न भारतीय राजनीति की बागडोर मुस्लिम शीय के हाथों में सौंप कर बड़ी भारी राजनातिक भूल की। इससे गांधीजी की शक्ति भी कमजोर हो गई और कांग्रेस क उग्र तत्त्वा द्वारा नेतृत्व को कचोटा जाने लगा।

(३) राजगोपालाचारी की स्थिति पर प्रभाव

अपनी योजना की दुगति से राजगोपालाचारी को बड़ी भारी निराशा हाय लगी। उन्हें पूरा विश्वास था कि समय पत्र उनका प्रतिवेदन को स्वीकार कर लेये परन्तु दोनों ही पक्षा द्वारा उन अस्वीकार कर देने से उन के भावी राजनीतिक जीवन पर सीधा असर पडा। क्योंकि उह देश के राजनेताओं में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त था।

निष्कर्ष

अन्त में कहा जा सकता है कि यह योजना विभिन्न हितों को एक मय पर साकर किशी शक्ति से प्रतिरोध करने और सवधानिक गतिरोध को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था। यह ठोस घातल पर आधारित थी परन्तु विभिन्न पक्षों की हठधर्मी के कारण अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के पूव ही अपना अस्तित्व समाप्त कर बैठी। फिर भी उसके महत्व को किसी क्तर कम नहीं किया जा सकता क्योंकि इसने भारतीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रकाश डाला।

(४) देसाई-हल

जहाँ एक ओर गांधी जिन्ना वार्ता अमफल हो गई थी वहाँ दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार से मुघारों के सम्बन्ध में विचार करने के लिए तयार नहीं थी। देश के युवा श्रमिक एवं किसान वर्गों में निरन्तर असंतोष बढ़ रहा था। सरकार कांग्रेस-नायकारिणी समिति के सदस्यों का मुक्त नहीं कर रही थी ऐसी स्थिति में गांधीजी ने हिन्दू मुसलमान एवता का पुन प्रयास किया। गांधीजी ने यह काय थी भूसाभाई देसाई पर डाला। श्री भूसाभाई देसाई ने जनवरी १९४१ ई० में केन्द्रीय विधानसभा में मुस्लिम शीय के उपनेता गवाबजादा लियाकत अली खान के सम्मुख कुछ प्रस्ताव रखे जिनका धार था 'कांग्रेस एवं मुस्लिम शीय इस बात से सहमत हैं कि केन्द्र में

काम चलाऊ सरकार बनाने में दोनों पक्ष सहयोग करेंगे। काम-चलाऊ सरकार का संगठन निम्न आधारों पर होगा —

(i) कांग्रेस एवं लीग दोनों ही कार्यकारिणी में बराबर २ सदस्यों को नामजद करेंगे। नामजद सदस्यों के लिए विधानसभा का सदन्य होना आवश्यक नहीं होगा।

(ii) अपसहस्रकों (सिक्का एवं अनुमूर्चित जातियां) के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाएगा और

(iii) सर्वोच्च सनापति (कमाण्डर इन चीफ) भी इसमें सम्मिलित होंगे। उक्त रूप से संगठित सरकार १९३५ ई के अधिनियम के अंतर्गत काम करेगी। प्रस्तावा में यह भी कहा गया कि यदि उक्त सरकार का निर्माण हो जाएगा तो उसका पुराना कार्य कायम कायसमिति के सदस्यों को जेल में मुक्त करना होगा। उक्त योजना वामसराय के सामने प्रस्तुत की जाएगी और यदि वामसराय योजना के अनुसार अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें तो कांग्रेस और लीग यह उत्तरदायित्व ग्रहण करेंगी।

लियावत घली ने कुछ समय तक तो उक्त प्रस्तावा का कोर् प्रत्युत्तर नहीं दिया और जब प्रत्युत्तर दिया तो उसमें योजना का जिम्मा व सम्भाल रखने की बात कही गई तथा लीग द्वारा पाकिस्तान के सम्बंध में पारित अनेक प्रस्तावों का स्मरण कराया गया। सन् १९४५ के प्रारंभ में यूरोप में युद्ध का अन्त हो गया था। भारतीय राजनीति ने भी नई दिशा लेना प्रारंभ कर दिया था अतः देसाई व प्रस्तावों का परिवर्तित परिस्थितियों में कोई भय नहीं रह गया था।

(५) वेवल योजना

२१ मार्च १९४५ ई का लाह वेवल भारतीय समस्या के हल पर विचार विमर्श के लिए लन्दन रवाना हुए और ४ जून १९४५ ई को भारत लौटे। १४ जून १९४५ ई को उन्होंने अपनी योजना प्रकाशित की। इसी योजना को वेवल-एमरो योजना अथवा वेवल योजना कहा जाता है।

योजना के अस्तित्व में अज्ञान के कारण

वेवल योजना को आधार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे —

(१) अंतरिक घटनाओं का योग

सन् १९४३-४४ में भारत के कई भागों में अकाल पड़ा। यह अकाल अलाहाबाद बीजापुर उड़ीसा और बंगाल में व्यापक रूप से था। सरकारी अनुमान के अनुसार इसमें १५ लाख व्यक्ति मर गए तथा ४५ लाख लोगों को बहुत बकट उठाना पड़ा। इसके अतिरिक्त यद के कारण भी महंगाई बहुत बढ़ गई थी और लोग बहुत परेशान थे। इस स्थिति को सुधारना आवश्यक था। कांग्रेसी नेताओं को अगस्त १९४२ ई में भारत छोड़ो आन्दोलन के सन्दर्भ में निरपेक्षता कर लिया

गया था और उन नेताओं के साथ घाँघा भ्रवहार नहीं किया गया था। साधारण क्रायनर्त्ताओं के साथ अथवा कंगोर यवहार किया गया। जनता पर सरकार ने जो भ्रत्याचार डाले थे वे अपने प्राय में वेधिसान थे। घमानुदिक घ्रायाचारी के कारण जनता में बड़ा भारी राय था। यह घनामाय परिस्थिति अधिक देर तक नहीं रखी जा सकती थी। इस प्रकार देश का उग्र जन प्रसताप प्रयजों के सामने जवदस्त बनौती बन गया था और उन्हें इस बात के लिए बाय कर रहा था कि वे समय रगते गेग का निगन करें अथवा इस महामारी पर आसानी से काबू नहीं पाया जा सकेगा।

(२) विदेशी घन्नाओं का प्रभाव

सन् १९४५ के शुरू में अग्रज और उनके साथियों को जमनी पर विजय की आशा नजर आने लगी थी। इटली ने जा जमनी का प्रत्यन्त विश्वस्त सापी था सन् १९४३ में हयियार डाल दिए थे। ५ मई १९४५ को जमनी ने भी अपनी हार स्वीकार कर ना परंतु जापान ने पराजय स्वीकार नहीं की थी। मि मिचेल प्रचर के अनुसार मित्र राष्ट्रों अर्थात् इंग्लंड और उसके साथी देशों के नेतापतियों में इस विषय में सहमति थी कि जापान के विरुद्ध युद्ध एक या दो वष और चलेगा। जापान का मुकाबला करने के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक था। ना देवन जो स्वयं बड़े मारी सनापति रह चुके थे इस बात का महत्व का बहूत अछा तरह जानते थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार को यह महसूस कराया कि भारत की समस्या का शीघ्र से शीघ्र हन करना बहुत जरूरी है अथवा अनेक दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

मित्र राष्ट्रों का दबाव भी वेबल योजना के लिए आशिक रूप में जिम्मेदार था। यूरोप में जीत के बाद इंग्लंड और उसके साथियों का ध्यान जापान की तरफ दिव गया और जापान पर विजय प्राप्त करने के लिए भारत को सैनिक आधार-क्षेत्र बनाना बहुत जरूरी था। इसलिए अमरीका ने इंग्लंड पर भारतीय गतिरोध को हल करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। संक्षेप में भारत की सामरिक और भौतिक राजनीति के सदर्भ में उत्तरदायी तत्व भी भारत में वेबल-योजना के प्रस्तित्व को प्रतिम रूप देने के लिए किसी हद तक जिम्मेदार थे।

(३) इंग्लंड के आम चुनाव

मई १९४५ में यूरोप में युद्ध समाप्त हो चुका था। इसका बाद इंग्लंड में चुनाव होने वाले थे। चूंकि अभी तक जापान ने हयियार नहीं डाले थे और उसको हराने के लिए भारत की सहायता बहुत जरूरी थी इसलिए इंग्लंड के मजदूर दल ने अपने चुनाव घोषणापत्र में भारतीय स्वतंत्रता के लिए बहुत बल दिया। इंग्लंड का जनमत अब निश्चित रूप से मजदूर दल की तरफ झुक रहा था

घौर घाने बाने शुनाबों में इसकी विजय अवश्यम्भावी प्रतीत होती थी। मि. चर्चिल जो भनुदार दल के नेता थे भगदूर दल को हराने क लिए बहुत उत्सुक थे इसलिए उन्होंने देवन के साथ परामश करके एक योजना तयार की ताकि इंग्लड के मतदाताओं को यह सिद्ध किया जा सक कि भनुदार दल भारतीय समस्या को हल करने के लिए कम उत्सुक नहीं।

इन् सब कारणों से १४ जून १९४५ ई. को वायसराय नॉड वेवल न एक योजना भारतीय गतिरोध को हल करने क लिए पेश की।

वेवल योजना म क्या था ?

वेवल योजना म निम्नलिखित बातें सम्मिलित थीं —

- १ ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत को स्वशासन की तरफ ल जाना है।
- २ सीमान्त घौर बबाइरी मामलों को छोडकर शेष विदेशी मामले भारतीय मंत्रियों के हाथों में होंगे।
- ३ गवर्नर जनरल की कायकारिणी-परिषद् में सम्मिलित होने के लिए सब राजनीतिक दलों के नेताओं का निमंत्रित किया जाएगा। स्वयं गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति के अतिरिक्त इस परिषद् के अन्य सदस्य भारतीय राजनीतिक दनों के नेता होंगे।
- ४ सरकार का विदेश विभाग एक भारतीय के हाथ में होगा।
- ५ कायकारिणी-परिषद् में हिंदुओं और मुसलमानों की सख्या बराबर होगी।
- ६ कायकारिणी परिषद् के इस स्वरूप क कारण राष्ट्रीय सरकार की वह मांग पूरी हो जाएगी जिसके लिए सत्ताकाल में भारतीयों द्वारा माग की जाती रही है।
- ७ भारत सरकार सन् १९३५ क अधिनियम द्वारा प्रदत्त गवर्नर जनरल के विशेषाधिकारों का अकारण प्रयोग नहीं करेगी।
गवर्नर जनरल की दोहरी स्थिति (भारत शासन का प्रधान और ब्रिटिश हितों का संरक्षक) को दूर करने के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त की अलग से नियुक्ति की जाएगी।
- ८ युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय लोग अपने संविधान का स्वयं निर्माण करण।
- ९ शिमला में शीघ्र ही भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया जाएगा और
- १० प्राणों म मेवशन ११ को समाप्त करके (अर्थात् गवर्नरी राज्य को समाप्त करके) सिन्धी-सुन्नी उत्तरवासी सरकार की स्थापना कर दी जाएगी।

योजना असफल क्यों ?

योजना में भारतीय धारणा की छावाज को कोई स्थान नहीं दिया गया था। इसमें भारतीय स्वतंत्रता की समस्या का कोई समाधान नहीं दिया गया था। इस योजना का काम क्षेत्र वर्तमान से ही सीमित था और उसके प्रस्तावों तथा विपक्ष प्रस्तावों (जिन्हें भारतीय जनता पहले ही अस्वीकार कर चुकी थी) में कोई अन्तर नहीं था। देश का कोई भी राजनीतिक दल इनसे पूर्णरूप से अनुपट नहीं था। कांग्रेस इससे बहुत कुछ भयों तक सहमत थी लेकिन सबल हिन्दू और अन्य हिन्दू इस प्रकार हिन्दुओं के विभाजन के कारण उसने इनका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने भी अपने सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों की ठीक-ठीक सहाय्य के बारे में स्पष्टीकरण चाहा।

(७) निम्नता सम्मेलन

नाट वेबल ने देश में अच्छा वातावरण उत्पन्न करने के लिए कांग्रेस की कार्यसमिति के सदस्यों को जन से छोड़ दिया और महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं को निम्नता भेज। सम्मेलन २५ जून १९४५ ई को प्रारम्भ हुआ। इस सम्मेलन में २२ प्रतिनिधि शामिल हुए। इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष प्रान्तों के प्रधानमंत्री तथा गवर्नर द्वारा शासित प्रान्तों के भूतपूर्व प्रधानमंत्री तथा कुछ अन्य नेता आमंत्रित किए गए। भाग लेने वाले नेताओं में महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना लियाकत अली खां अकाली नेता मास्टर तायासिद्द और भूलाभाई देसाई का नाम उल्लेखनीय है।

आशापूरण प्रारम्भ निराशापूरण अन्त

सम्मेलन की कामवाही अत्यन्त आशापूरण वातावरण में हुई लेकिन दो दिन काय करने के उपरांत ही उसे स्थगित कर दिया गया। इसका कारण यह था कि कांग्रेस की कार्यकारिणी-परिषद् के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हो सका। कांग्रेस इस कार्यकारिणी में मुस्लिम-सदस्यों को भी सम्मिलित करना चाहती थी। उसका तर्क था कि उसने परिषद् में सबल हिन्दुओं और मुसलमानों की बराबरी इसलिए स्वीकार की थी कि इसमें स्वतंत्रता की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी परन्तु वह मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना की इस बात को मानने के लिए कसई तयार नहीं थी कि मुस्लिम लीग ही भारत के सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। कांग्रेस के प्रधान इस समय मौजाना आजाद थे। पंजाब के मुख्यमंत्री खिजर हयात खां अपनी यूनिवर्सिटी पार्टी की तरफ से एक मुसलमान को और कांग्रेस अपना सबल हिन्दुओं की पांच सीटों में से एक या दो पर राष्ट्रीय मुसलमानों को कार्यकारिणी-परिषद् में नियुक्त कराना चाहती थी। मि जिन्ना इस बात के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हुए। जिन्ना की हठधर्मिता के कारण नाट वेबल ने सम्मेलन की असफलता की घोषणा करनी तथा भारत का स्वयंशासनिक संकट सथावत् बना रखा।

प्रतिक्रियाएँ

शिमला सम्मेलन के निराशापूर्ण अन्त पर काफी प्रतिक्रियाएँ हुईं। मौलाना आजाद ने कहा था शिमला सम्मेलन भारतीय इतिहास में महाद् राजनीतिक असफलता है। यह पहला अवसर था जबकि समभोजन-वार्ता भारत और ब्रिटेन के बीच राजनीतिक प्रश्न पर असफल नहीं हुईं वरि साम्प्रदायिक समस्या पर भारत के विभिन्न दलों के बीच मतभेद के कारण हुईं।

(२) डा. पट्टाभि सीतारमया ने शिमला सम्मेलन का तुलना क्रिप्स आयोग की असफलता से करते हुए लिखा है तीन वर्ष पूर्व अगस्त १९४२ ई. में कांग्रेस ने क्रिप्स आयोग को विफल बताया था अगर स्वयं क्रिप्स का इम्निंग उत्तरदायी न ठहराया जाए। शिमला में मुस्लिम लीग न केवल योजना को विफल बनाया था यद्यपि नाड वेवल ने सारा दोष अपने सिर पर ल किया।

विचार दर्शन

असफलता मुस्लिम हठधर्मिता के कारण मिली जो कि एक सर्वोपरि सत्य है परन्तु प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में उस अध्याय को (असफलता के अध्याय को) दाला नहीं जा सकता था? क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग निर्वन ध्येय की एकता के सम्भाय पहलू का अवलम्बन नहीं कर सकते थे? क्या ब्रिटिश सचिव प्रयत्न इस योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं कर सकते थे? ये सभी गूढ प्रश्न हैं और इनका गौरव में ही अध्ययन किया जाना चाहिए।

(१) कांग्रेसी दृष्टि

वेवल योजना में ७ प्रतिशत हिन्दुओं को ३ प्रतिशत मुसलमानों के बराबर स्थान देने की अयायपूर्ण एवं अस्वीकार्य व्यवस्था थी। कांग्रेस राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि लक्ष्य मानकर दलगत स्वार्थों की परवाह न करके यह व्यवस्था स्वीकार करने को तयार थी परन्तु वह अज्ञानीत सज्जु शिन्हा नेकर मस्लिमलीग की नेकनीयती पर अधिक विश्वास करने के लिए तथा भी नहीं थी। वह जिन्ना की इस बात को मानने के लिए तयार नहीं थी कि मस्लिमलीग ही मसलमानों का प्रतिनिधित्व कर सकती है और इस ही सारे मस्लिम सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है। यदि कांग्रेस ऐसा करना स्वीकार कर लेती तो उमका राष्ट्रीय स्वल्प बिस्कुल समाप्त हो जाता और जिन्ना यह प्रचार करने में सफल हो जाते कि कांग्रेस हिन्दू-सत्स्था है और उसे मसलमाना की ओर से बोलने का कोई अधिकार नहीं है जबकि कांग्रेस का अपनी स्थापना से तकर अवतक सदस्य राष्ट्रीय स्वल्प रहा था और उसने इसी स्वल्प के रक्षण अनेक मौकों पर ऐसी व्यवस्थाओं को स्वीकार करने में तत्परता दिखाई जो उसके सिद्धान्तों के मून विरोधी थीं।

(२) लीग का विचार दर्शन

अगर मस्लिम लीग के नेता भी जिन्ना ने उस सन्धय में हठधर्मिता का रत्न,

अपनाया तो यह कोई आश्चर्यजनक विस्मयकारी या मनसनीय बात नहीं थी यह तो उसकी मुनियोजित योजनाया का एक क्रमबद्ध प्रयास था जिसके माध्यम से वह हर बार कांग्रेसी नेताओं का अपनी कूटनाति के जाल में उलझा देता था। अतीत में भी लखनऊ-नामभौता और १४ सत्री सिद्धांतों के पीछे यही सत्य काम कर रहा था।

जिन्ना हठधर्मिता का हल अपनाकर ब्रिटिश सरकार पर यह अमर डालना चाहते थे कि प्रथम भारतीय राजनीति की त्रिस्तुतिक बागडोर उनके हाथ में घा गई है और किसी भी दशा में उनके महत्त्व को कम नहीं किया जा सकता। शायद जिन्ना इस मांग पर अड़े रहकर कि मुस्लिमलीग ही मसलमानों का प्रतिनिधित्व कर सकती है एक अत्यन्त महत्वपूर्ण म्वाय सिद्ध करना चाहते थे। वे कांग्रेस के मुस्लिम-नतवों को अपनी तरफ मिलाना चाहते थे जो कांग्रेस की धमनिरपेक्षता की घाह में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हुए थे या कांग्रेस की राजनीति में उनका विशिष्ट स्थान था। जिन्ना लीग को ही मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिए अधिकारी मानकर उनकी स्थिति को हेय बनाना चाहते थे तथा राष्ट्रवादी तत्वों की निराशा से लाभ उठाना चाहते थे। जिन्ना का यह हल उनकी अतीत की राजनीति से प्रेरित और मुनियोजित कूटनाति का एक अभिन्न अंगमात्र था।

(३) ब्रिटिश भूमिका

साह वेवल ने वातावरण को अच्छा बनाने का भरसक प्रयास किया और उनके सत्प्रबलनों का मनोवज्ञानिक प्रभाव भी पडा। परन्तु जब जिन्ना न हठधर्मिता का हल अपनाया तो वायसराय ने कांग्रेस की मुक्तकठ से प्रणसा की। इसके पीछे भी वायसराय की कुछ धारणा थी। वे जिन्ना के मन में यह मनोवज्ञानिक भाव पदा कर देना चाहते थे कि वायसराय कांग्रेस के साथ पक्षपात करके मुस्लिम हितों के साथ विनवाह भी कर सकते हैं अत उन्हें अपने इरादे पर हठ रहना चाहिए और जिन्ना ने अन्तत यही काम करके ब्रिटिश मनोरथों को पूरा किया। वास्तव में देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार की हार्दिक इच्छा भारतीय राजनीतिक गतिरोध का अन्त करने की नहीं थी यह तो अचल की नीति का एक अंगमात्र थी जो भारत को स्वतंत्रता का कट्टर विरोधी था। अतने केवल मित्र राष्ट्रों को अनुत् करने के लिए तथा निवौचन में विजय प्राप्त करने के लिए ही इस योजना को प्रस्तुत करवाया था।

कुछ निष्कर्ष

यद्यपि शिमला-सम्मेलन असफल रहा फिर भी इसके से परिणाम अत्यन्त निम्नले जो भारतीय मवधानिक दृष्टि में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इसमें निम्नलिखित उल्लेखनीय ह —

(१) शिमला-सम्मेलन द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार अन्तिम से ही सही भारत का शासन भारतीयों को सौंपना चाहती है।

(२) अंग्रेज शासन के दमन के कारण भारतीय जनता में निराशा उत्पन्न हो गई थी। लेकिन सम्मेलन के समय नेताओं की अलग से मुक्ति के कारण नेतृत्वहीन जनता के हृदय में आशा का मंचार हुआ था।

(३) गिमला सम्मेलन की अग्रपंक्ति का कारण राजनीतिक समस्या नहीं साम्प्रदायिक समस्या थी। अतः यह स्पष्ट हो गया कि भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक कि साम्प्रदायिक समस्या का निराकरण न हो जाए।

(४) अंग्रेज शासन के बाद भारत में संवैधानिक गतिराज उत्पन्न हो गया था और जनता उत्साहपूर्ण हो गई थी। लेकिन शिमला-सम्मेलन में उस आशा की विलक्षण खिचाई पड़ी और यह अनुभव किया जाने लगा कि समस्या का समाधान बहुत दूर नहीं है।

(५) मुस्लिम लीग की हवाती नीति का प्रतीक नताशा को स्पष्ट हो गई। यद्यपि यह मस्लिम लीग के इस दाव का मानन को तयार नहीं था कि लीग ही मस्लिम धर्म की एकमात्र प्रतिनिधि-संस्था है। फिर भी संवैधानिक गतिराज को दूर करने के लिए वह लीग को रियायत देने को तयार होना लग। शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समस्याओं पर विचार करने के लिए एक मंत्रिमण्डलीय आयोग भारत भेजने की घोषणा की। प्रथम अध्याय में हम इस आयोग की चर्चा करेंगे।

(७) गिमला सम्मेलन के उपरांत

गिमला सम्मेलन के असफल हो जाने के बाद लार्ड वेवेल ने भारतीय राजनीतिक गतिराज को दूर करने के लिए एक काम उठाया। पहला उद्योग प्रान्तीय गवर्नरों का एक सम्मेलन सन् १९४५ में बुनाया जिसमें यह निर्णय किया गया कि प्रांतों में गवर्नरों का शासन समाप्त कर दिया जाए और व्यवस्थापिकाओं के लिए साधारण निर्वाचन कराये जाए। दूसरा इंग्लैंड में निर्वाचन में अनुदार दल की तरफ और चर्च के स्थान पर एंग्लो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन। उन्होंने भारतीय जनता का आश्वासन दिया कि वे भारत में स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए यथा संभव प्रयत्न करेंगे। तीसरा लार्ड वेवेल को परामर्श के लिए अंग्रेज १९४५ ई. को इंग्लैंड बुलवाया गया। वहाँ से भारत लौटकर १८ मितम्बर १९४५ ई. को उन्होंने घोषणा की भारतीय जनमत के नताओं से भिन्नकर सम्मेलन की सरकार स्थापना की शीघ्र ही स्थापना करने के लिए तयार है। उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रिमण्डल समा के निर्माण का समचित प्रयास किया जाएगा। बीया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी उक्त आयोग की एक घोषणा इंग्लैंड में की जिसमें भारत में नव निर्वाचन प्रांतों में मंत्रिमण्डलों के निर्माण सविधान-मना के निर्माण संवैधानिक योजना पर नताशा से परामर्श और स्वायत्त शासन की स्थापना के लक्ष्यों की चर्चा की गई। कायम ब्रिटिश-सरकार की नीति से पूरुणतया सहमत नहीं

यो फिर भी देश के बानावरण तथा वि व राजनीति में परिवर्तन के कारण अपने आगामी निर्वाचनों में भाग लेने का निश्चय किया। इस हेतु उसने एक ससदीय-बोर्ड की स्थापना की। उसने अरना निवाचन घोषणापत्र प्रकाशित किया जिसमें भारत की स्वतंत्रता जनता के अिन समान नागरिक अधिकार नौकतव्यारमक राज्य की स्थापना मौखिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता की स्थापना और वि वयारी सघ की स्थापना को वाग्रम का लक्ष्य बनाया। ४ दिसम्बर १९४५ ई को ना पधिक नारेम ने अपने एक वक्तव्य में यह आशा व्यक्त की कि भारत शीघ्र ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में अपना उचित स्थान ग्रहण करेगा। वायसराय ने भी १ दिसम्बर को भारतीयों को राजनतिक स्वतंत्रता एवं अपने विचारानुसार सरकार स्थापित करने के अधिकार का आश्वासन दिया। १९४५-४६ ई के शीतकाल में भारतीय विधानसभाओं के लिए नए निर्वाचन हुए। उसमें वाग्रम को पर्याप्त सफलता मिली। सयुक्त प्रान्त मगस बम्बई उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त व अरनम में उसको बहुमत प्राप्त हुआ। मस्लिमलीग को भी बगाल पञ्जाब तथा सिन्ध में काफी स्थान प्राप्त हुए। ब्रिटिश सरकार ने १९ फरवरी १९४६ ई को एक मन्त्रिमण्डल आयोग भारत भेजने की घोषणा की। अग्रत १९४ ८ में नए मन्त्रिमण्डलों का निर्माण विभिन्न प्रान्तों में हुआ। हिन्दू-बहुल प्रान्तों में वाग्रम ने मन्त्रिमण्डल बनाए। बगाल और सिन्ध में मस्लिमलीग का मन्त्रिमण्डल बना। पञ्जाब में सयुक्त-मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ।

मन्त्रिमण्डल-आयोग योजना

प्रवण

इंग्लैंड के मजदूर दल ने निर्वाचन के समय भारत की स्वतन्त्रता के लिए भारत की विन्यास दिलाया था और इंग्लैंड में भी इसका काफी प्रचार किया था। पद सभाने के पश्चात् ही मजदूर दल की सरकार ने जापान से चल रहे युद्ध में व्यस्त रहने के बावजूद भारतीय मामला में काफी रुचि लाना प्रारम्भ कर दी और प्रधानमंत्री एटली ने १६ फरवरी १९४६ ई० को ऐतिहासिक कबिनेट मिशन की घोषणा की।

इस आयोग में ब्रिटिश-मन्त्रिमण्डल के तीन सदस्य लॉर्ड पदिक चार्ल्स मर स्टेफ़र्ड क्रिप्स और मिस्टर ए. बी. अनेकजेंर शामिल थे।

आयोग अस्तित्व में क्यों आया ?

मन्त्रिमन्त्र आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में यह सोच लेना कि यह अग्रजों के जनन में विश्वास सहृदयता और मानव-प्रेम का प्रतिफल था अथवा नृत होनी। वास्तव में उक्त आयोग अग्रजों की विवगता की उपजभाव था। निम्न परिस्थितियों ने आयोग को नियुक्ति को अवश्यभावी बना दिया था —

(१) द्वितीय महायुद्ध

द्वितीय महायुद्ध ने अनेक राष्ट्रों के साथ ही ब्रिटेन को भी वर्धा कर दिया था। विश्व में उसकी स्थिति गौण हो गई थी और इस कारण साम्राज्यवादी को स्थिर रखने की ताकत उसके पास नहीं थी। इस कारण उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता के सम्मुख झुकने में ही अपना बचाव समझा।

(२) आजाद हिन्द सेना

आजाद हिन्द सेना के वीरों पर लान विरोध होने वाले भुक्तने ने जनमत को आकष किया। इस ऐतिहासिक घटना ने जिसके द्वारा भारतवर्ष अथवा दामकत गान्धाओं के प्रति अद्धा और प्रेम के कारण उठ खान हुआ था कायस को और भी लोकप्रिय बना दिया क्योंकि कायस ने आजाद हिन्द सेना के वीर मन्तिकों के सिद्धान्तों से स्वयं का समीकरण किया था। इस घटना में भी अग्रजों को भारतीय राष्ट्रीयता की शक्ति का अनुभव हुआ।

(३) नौ सेना का विग्रह

मन्त्रिमंडल आयोग के आगमन का मुख्य कारण था नौ-सेना और वायुसेना में विग्रह की भावना का विकास। जबतक सरकार को निःशस्त्र भारतीयों का ही सामना करना पड़ा था और उनसे भी उत छठी का दूध पाना था गया था। जब भारतीय सेनाओं की राजभक्ति पर विश्वास नहीं रहा तब ब्रिटेन के सम्मुख भारत की अधिकार हस्तांतरित करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था।

(४) सन् १९४२ की गौरवपूर्ण क्रांति का सूत

इस आयोग की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण कारण १९४२ ई० का आन्दोलन था जिसके भय में अण्ड सरकार बुरी तरह भयभीत थी और वह पहले अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी।

(५) उच्च राष्ट्रीयता का विकास

देश में राष्ट्रीयता का विकास अपनी चरमसीमा पर पहुँच चुका था और अण्ड यह बात भलीभांति अनुभव कर चुके थे कि वे इस वेगवती धारा का प्रवाह मोड़ने में समर्थ नहीं हैं। अतः उन्होंने अन्तर्गत होने की अपेक्षा भारतीयों को सत्ता हस्तान्तरित करने में ही अपना भला समझा।

आयोग का भारत आगमन

शीघ्र ही आयोग का भारत आगमन हुआ। भारत में पदार्पण करते ही आयोग ने देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से किना सवसम्मत सूत्र के लिए बातचीत करनी प्रारम्भ कर दी ताकि समस्या का उचित समाधान निकाला जा सके।

(१) बिन्नी के पत्रकार सम्मेलन में आयोग का दृष्टिकोण

२५ मार्च १९४६ ई० को दिल्ली में एक पत्रकार सम्मेलन में मन्त्रिमंडल आयोग ने एक दस्तावेज दिया जिसमें उसने कहा 'वह किसी भी दृष्टिकोण से बड़ा नहीं है वह खुला मस्तिष्क सामने लेकर आया है।'

(२) बठकों का दौरा

आगामी सप्ताह में उन्होंने लॉर्ड वेवेल और प्रांतीय गवर्नरों का सम्मेलन बुलाया। पहली अण्ड में उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ अपनी बठकों प्रारम्भ की। ये बठकें १७ अण्ड तक चलती रहीं। इस काल में उन्होंने १८२ बठकों में ४७२ नेताओं ने विचार विनिमय किया। लगभग तब महीन तब देश की जनता की प्रत्येक विचारधारा के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने सम्मेलन किए।

(३) मुस्लिम लीग और कांग्रेस

कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता अपनी-अपनी बातों पर अड़े रहे और वे किसी भी तरह भुवन को तयार नहीं हुए वे किसी भी कीमत पर राजनीतिक समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे।

(४) सम्झौते का अतिशय प्रयास

महिमन्तलीय-आयोग न हो ? सम्झौता में सम्झौता करवाने के लिए एक बार फिर भरसक प्रयास किया और इसी सम्झौते में मिमला सम्झौते का प्रायोजन हुआ। यह सम्झौते ५ मई १९४६ ई से ११ मई १९४६ ई तक चलता रहा परन्तु कोई सवसम्झौते हुए न निकल सका। मुस्लिमलीग न इस अवसर पर भी भारत के विभाजन पर दृढता दिखाई और मिशन के सुझावों को अस्वीकार कर दिया।

आयोग के निजी प्रस्तावों का घोषणा

- आयोग न १६ मई १९४६ ई के राजपत्र में अपने निजी प्रस्तावों की घोषणा की। घोषणा में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा

हम न मुस्लिमलीग की मांग पाकिस्तान पर विचार किया है। हमारा विचार है कि इससे साम्प्रदायिक समस्या हल नहीं होगी। हम यह भी न्याय सम्मत नहीं समझते कि पंजाब, बंगाल और आसाम के उन जिलों को जिनमें हिन्दुओं का बहुमत है पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाए। भारत भौगोलिक दृष्टि से अखण्ड है इसलिए हम पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करते हैं और सयत्न भारत के लिए योजना प्रस्तुत करने हैं।

योजना में क्या था ?

आयोग न मुस्लिम साम्प्रदायिकता पर करारा तमाचा लगाते हुए सयत्न भारत के लिए आन्वयसन स्वरूप अपनी योजना प्रस्तुत की। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित थे —

(१) भविष्यगत विधान के प्रति सम्मतिया

(क) भारत के भावी संविधान के लिए सिफारिशें

- (१) भारतवर्ष का एक सष हाता चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्य दोनों ही होय और जो विदेश तथा यातायात सम्बन्धी विषयों का शासन भार सम्भालेगा।
- (२) सष की एक कायपालिका तथा व्यवस्थापिका हागी जिनमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधि होंगे।
- (३) साम्प्रदायिक प्रश्नों पर के लिये विधानमण्डल (सषीय विधानमण्डल) में अन्तिम निर्णय केवल सदन में उपस्थित और मतदान करन वाले सदस्यों के बहुमत से नहीं दोनो प्रमुख सम्प्रदायों (हिन्दू और मुसलमान) के उपस्थित और मतदान करन वाले प्रतिनिधियों के अलग अलग बहुमत से होगा।
- (४) यह तय किया गया कि ऐसे विषय जो कानून की नहीं दिए गए हैं

ये सब प्रांतों के पास ही रहेंगे। तमाम अवशिष्ट शक्तियाँ भी प्रांतों के पास रहेंगी।

- (३) जिन विषयों को देगी-रियासतों सब को नहीं सौंपेगी उन सब पर देगी रियासतों का ही अधिकार रहेगा।
- (६) प्रांतों को इन बातों का अधिकार दिया गया कि वे अपने अपने अलग समूह बना सकें। आयोग द्वारा पहले मसूदा में मद्रास बम्बई सयत प्रांत बिहार मध्य प्रांत तथा उड़ीसा वसरे समूह में पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमाप्रांत और सिन्ध और तीसरे समूह में बंगाल और आसाम रखे गए। प्रत्येक समूह को यह निश्चय करने की शक्ति होगी कि कौन से प्रांतीय विषयों पर उसका नियंत्रण हो। प्रांतों के अलग २ विधानमंडल तथा कार्यपालिका होंगी।
- (७) मन्त्रिमण्डल आयोग ने यह भी प्रस्ताव रखा था कि भारतीय सभ तथा प्रांतों के समूहों के विधान में यह धारा रखा जाय कि कौन भी प्रांत अपने विधानमंडल के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके इस योजना के प्रारम्भ होने के दस वर्ष बाद तथा फिर भी प्रत्येक दस वर्ष के पश्चात् सावधान की धाराओं पर दुबारा विचार करवाने के लिए प्रस्ताव पेश कर सके।

(ख) विधान निर्माण प्रणाली से सम्बन्धित प्रस्ताव

(१) ३८ सदस्यों की एक सविधान सभा की व्यवस्था की जाएगी। इसमें २६२ सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों के और ८ चीफ-कमिश्नर प्रांतों के होंगे। इन सदस्यों के लिए निर्वाचन की विधि अप्रत्यक्ष रखी गई थी। इसके अतिरिक्त यह निर्वाचन साम्प्रदायिक आधार पर किया जाना था। प्रांतीय व्यवस्थापिका समितियों द्वारा सत्तमभान सिन्ध तथा सामान्य के लिए जनसंख्या के अनुसार सीट सुरक्षित रखने की भी योजना बनायी गई थी। १५६ सदस्य देगी-राज्यों के थे जिनके सफलता की विधि विचार विमर्श के पश्चात् भविष्य में निश्चित की जान बानी थी।

(२) प्रांतों को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया।

(अ) हिंदू-बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र मद्रास बम्बई सयत प्रांत बिहार मध्यप्रांत और उड़ीसा

(ब) मुसलमान बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर पश्चिम क्षेत्र पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमाप्रांत सिन्ध और बलचिस्तान तथा

(ग) मुस्लिम बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्र (बंगाल और आसाम)।

यह योजना प्रस्तावित की गई कि समुदायों अथवा सभों के प्रतिनिधि पृथक् रूप से मिलेंगे और प्रत्येक समुदाय के प्रांतों के लिए प्रान्तीय विधान निश्चित करेंगे। प्रांतों का यह अधिकार होगा कि इस प्रकार के नवीन विधान की पूर्णता और उस आघार पर प्रथम चुनाव हो जाने पर वे सभ में प्रवेश करेंगे।

(३) अल्पदल के लिए परामुदात्री समितियों की व्यवस्था निश्चित की गई।

(४) सभ की सविधान-सभा सधीय विधान को निश्चित करेगी। महत्त्वपूर्ण साम्प्रदायिक विषय सवधी प्रस्तावों के निष्पत्ति के लिए उपस्थित सदस्यों का बहुमत और दोनों दलों का मतदान और बहुमत आवश्यक होगा।

(ग) देगी राज्य

इस नवीन भारतीय सभ में देशी राज्यों के महयोग का आघार सचिव के रूप में निश्चित किया जाने का था। प्राथमिक दशा में देगी राज्यों का प्रतिनिधित्व एक मध्यस्थ-समिति करेगी। ब्रिटिश भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करते ही सर्वोच्च सत्ता समाप्त कर दी जाएगी।

(घ) अन्तरिम सरकार

केन्द्र में शीघ्र ही एक अन्तरिम सरकार स्थापित हो जाएगी जिसे भारत के प्रभावशाली का महयोग प्राप्त होगा। इसमें युद्ध विभाग सहित सारे विभाग मंत्रियों को लिए जाएंगे जिन्हें जनता का विश्वास प्राप्त होगा। प्रशासन तथा परिवर्तन काल में इस सरकार को ब्रिटिश सरकार अपना पूर्ण सहयोग देगी। इस सरकार में १४ सदस्य होंगे। अन्तरिम सरकार के चौदह सदस्य इस प्रकार होने थे

६ कायसी (५ सवण हिन्दू, एक हरिजन) ५ मुस्लिम लीग (मसलमान) १ भारतीय ईसाई १ सिक्ख १ पाणसी। मुस्लिम लीग जो पहले ही मुसलमानों की नियुक्ति का अधिकार कायस को नहीं देना चाहती थी की बात मान ली गई।

(ङ) सधि

ब्रिटेन द्वारा भारत की सत्ता हस्तान्तरित करने के बाद की स्थिति का सम्भल —

(१) चूंकि ब्रिटेन भारत की सत्ता हस्तान्तरित कर देगा इसके फलस्वरूप जो मामले उत्पन्न होंगे उनको तय करने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच में एक सधि होगी। सत्ता सौंपने के बाद ब्रिटिश सरकार के लिए रियासतों पर सर्वोच्चता भारत की नहीं सरकार को नहीं दी जा सकती और न ही उस पर ब्रिटेन का अधिकार रहेगा। इसका स्पष्ट अर्थ था कि देगी-रियासतें स्वतंत्र रह सकेंगी।

(२) यह आशा की जाती है कि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य रहेगा परन्तु यदि वह उसे छोड़ना चाहेगा तो ऐसा करने की छूट रहेगी।

प्रतिक्रिया

देश-विदेश में इस योजना पर काफी वाद विवाद एवं प्रतिक्रिया हुई। महात्मा गांधी के मतानुसार इस योजना में ऐसे बीज विद्यमान थे कि वे इस ध्वजा तथा सन्ताप से भरे देश का ध्वजा रहित कर देते।' मिस्टर जिन्ना की मान्यता थी कि इस योजना से पाकिस्तान की नींव और आधार दोनों ही प्राप्त हो गए।' १ जून १९४६ को प्रखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव उमस कुछ अधिका नहीं है जो कुछ मिस्टर खिल और मिस्टर एमरी प्रदान करने के लिए इच्छुक थे।' दृष्टिगत क्षेत्रों में इस योजना को 'भारत की आत्मनिर्णय के अधिकार प्रदान करने की और एक महत्वपूर्ण निगम बताया गया।

योजना के गुणा या नैमा-जोगा

इस योजना को भारतीय स्वतंत्रता एवं मजदुरिय विचार के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यही यह योजना के निम्न गुणों पर दृष्टिपात करना भी अप्राप्तिक नहीं होगा।

(१) भारत की एकता की सुरक्षित रखना व पाकिस्तान की मांग की प्रतीकति

आयोग ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता पर करण बार करते हुए पाकिस्तान की मांग को प्रतीकार कर लिया क्योंकि प्रायः यह मनीमति अनुभव कर चुका था कि इनस साम्प्रदायिकता का ही सम्भव नहीं होगा और इनसे सेना के विभाजन और यातायात सम्बन्धी अनेक गड़बड़ें पैदा हो जाएगी। इनके साथ ही साथ पुनर्वास की समस्या भी गंभीर हो जाएगी। वास्तव में आयोग का यह सबसे महत्वपूर्ण निगम था।

(२) सम्बन्धवादी दृष्टिकोण

आयोग यह मनीमति जानता था कि उसे दोनों ही पक्षों को सन्तुष्ट करना है अतः उसने जो योजना बनाई वह किसी एक दल को प्रमत्त रखने के लिए नहीं बनाई थी। आयोग ने प्रकट भारत की योजना रखकर कांग्रेस को प्रमत्त रखना चाहा तो दूसरी तरफ मुस्लिमलीग की इस मांग को कि केन्द्र को अधिक शक्तियाँ नहीं दी जा सकीकार करके उमरा हृदय जातन का प्रयास किया। इस तरह से इस योजना से कांग्रेस और मुस्लिमलीग दोनों के दृष्टिकोणों में मेल उत्पन्न करने की कोशिश की गई।

(३) सविधान सभा का लोकतन्त्रीय आधार

इस योजना का एक महान् गुण यह था कि इस सविधान सभा की रचना लोकतन्त्रीय आधार पर होनी थी क्योंकि देशी-रिमासतो तथा प्रान्तो दोनों को आवाजो के अनुसार ही प्रतिनिधि व ि ग गया था। इसी तरह से प्रत्येक

सम्राज्य को आबादी के अनुपात से स्थान दिये जाने की व्यवस्था थी। अल्पसंख्यक वर्ग को आबादी के अनुपात से अधिक स्थान देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था।

(४) भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व

सविधान-सभा के सारे सदस्य भारतीय थे। यूरोपियन और ब्रिटिश हितों के प्रतिनिधियों को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया था।

(५) सौमिल साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व

सन् १९१९ के अधिनियम में यूरोपियन भारतीय समुदाय भारतीय ईसाइयों तथा सन् १९३५ के अधिनियम में अनेक अन्य हितों (मजदूर हरिजन तथा नारियों इत्यादि) को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था जिससे देश में साम्प्रदायिकता की लहर फल गई। किन्तु इस योजना का अनुसार अलग प्रतिनिधित्व केवल मुसलमानों तथा पंजाब में सिक्कों के लिए रखा गया था।

(६) देशी राज्यों की जनता की भावना का आदर

यद्यपि योजना में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था कि रियासतों की जनता का सविधान सभा में प्रतिनिधि चुनकर भेजना था परन्तु राजाओं को भी यह अधिकार नहीं दिया गया था कि देशी-रियासतों के प्रतिनिधियों को वे नामजद कर सकें। समभोता समिति रियासतों की जनता के अधिकारों का निरालय करने के लिए ही नियुक्त की गई थी।

(७) राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए कदम

योजना में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि अन्तःकालीन सरकार के सब सदस्य भारतीय होंगे और प्रतिरक्षा विभाग पर भी भारतीयों का नियंत्रण स्थापित कर दिया जाएगा। शांति सचालन में इस अन्तःकालीन सरकार को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी और ब्रिटिश सरकार इसे पूर्ण सहयोग देगी।

(८) भारतीयों को भाग्य निरणय का अधिकार

योजना का अन्तर्गत सावधान सभा को सविधान बनाने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। यह सविधान सभा सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न थी। ब्रिटिश सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि उस सविधान सभा द्वारा बनाए हुए सविधान को वह लागू करेगी। वरु भारत को सारी शक्तियाँ दे देगी वसतों कि इस सविधान में अल्पसंख्यकों के लिए उचित संरक्षण हों। सविधान-सभा ब्रिटिश-सरकार से सत्ता-हस्तान्तरण के कारण उत्पन्न हुए मामलों को निपटाने के लिए सक्षि करने को तयार होगी। इस तरह में कहा जा सकता है कि इस योजना का सबसे बड़ा गुण यह था कि भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण के बिना अपना सविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया था।

(६) राष्ट्रमंडल से वृत्त होने का अधिकार

भारतीयों का यह भी अधिकार प्रदान किया गया कि यदि वे चाहें तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य रह सकते हैं और छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस योजना द्वारा पहली बार भारतीयों को यह अनुभव हुआ कि वे किसी स्वतंत्र मानव के अधिकारों का उपयोग करने में समर्थ हैं।

योजना की कमजोरियाँ

इस योजना को सम्पूर्ण रूप से ठीक मान लेना भी उचित नहीं होगा। श्री पामदत्त ने अपनी पुस्तक आज का भारत में इस सदन में लिखा है भारतीय स्वतंत्रता की योजना के रूप में मनु १९४६ की नवीन व्यवस्था को विचार की सम्मति के लिए बड़े व्यापक रूप से उसके सम्मुख उपस्थित किया गया था। फिर भी उसकी धाराओं में परीक्षण में यही निष्कर्ष निकलता है कि वह १९४९ ई के क्रिप्स प्रस्ताव का ही तनिक परिवर्तित रूप था और भारतीय स्वतंत्रता अथवा प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली द्वारा निर्वाचित भारतवासियों के इस अधिकार को स्थापना से अत्यन्त दूर था कि वे अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करेंगे। इस योजना में अनेक दोष थे

(१) पाकिस्तान निर्माण की अप्रत्यक्ष स्वीकृति

यद्यपि भारत को इस योजना के अनुसार अखंड रखा गया परन्तु मुस्लिम लोग की माँगों को ही अधिक रूप में स्वीकार किया गया। पाकिस्तान की माँग को प्रस्वीकार करते हुए भी इनके सार-रूप को अपना लिया गया था और इसी पृष्ठभूमि में देश को तीन भागों में बाँटकर अल्पसंख्यकों को मुस्लिम प्रान्तों में बाँट कर उन्हें सीमा देना पर जोर को विवश कर दिया।

(२) औपनिवेशिक स्थिति और स्वतंत्रता में से एक का अनपूरण प्रस्ताव

औपनिवेशिक स्थिति और स्वतंत्रता में से एक को भविष्य में चुने जाने का जो अनपूरण प्रस्ताव उपस्थित किया गया वह समस्त भारतीय राजनतिक दलों की स्वतंत्रता की अत्यन्त दूर था। वास्तव में ऐसा जान तो स्वतंत्रता के विषय का निश्चित किया जाना एक प्रतिनिध्यात्मक सभा के लिए छोड़ दिया गया जिसका निर्माण और कार्य-प्रणाली अग्रजों द्वारा निश्चित की जाने वाली थी और जिसका महत्त्व भी प्रतिकार की दशा में था।

(३) संविधान-सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं

वयस्क मताधिकार के आधार पर विधानसभा का निर्वाचन जो प्रजातन्त्रात्मक विधान का आवश्यक आधार है केवल शीघ्रता के आधार पर प्रस्तुत कर दिया गया। विधानसभा का निर्माण प्रजातन्त्रात्मक था क्योंकि इससे

साम्प्रदायिकता की नींव और भी दृढ़ होती थी। इस सभा का निर्वाचन समितियों द्वारा अत्यल्प रूप में होना था जो त्रुटिपूर्ण था।

(४) प्रांतों को अलग संविधान बनाने की आशा

इस योजना द्वारा सबसे महत्त्वपूर्ण अपराध यह हुआ कि प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आशा दे दी गई थी। इसका दरगामी प्रभाव यह पड़ा कि पहले प्रांतों को अपना संविधान बनाना था और बाद में सभ का फलतः सारे भारत में एक ही प्रकार की शासन पद्धति की स्थापना नहीं हो सकती थी।

(५) रियासतों के अनुचित अधिकार

इस योजना में दली रियासतों को अनुचित अधिकार प्रदान कर दिए गए। यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र करते ही सारी दली रियासतों को भी स्वतंत्रता प्रदान कर देगी। यह उनकी इच्छा है कि वे सभ के संविधान को मान या न मानें। इस तरह इस योजना में भारत को सक्ड़ों टुकड़ों में बांटने का रहस्य छिपा हुआ था।

(६) विभाजन और आत्मनिर्णय के सिद्धांत में समता नहीं

भारत को समूह में बांट दिया गया जो सम्पूर्ण रूप से भवनात्मक था। आसाम में हिंदुओं का बहुमत था पर उसे बंगाल के साथ धकेल दिया गया। इस विभाजन और आत्मनिर्णय के सिद्धांत में कोई समता नहीं थी।

(७) संविधान सभा पर रखावटें

संविधान सभा भारत का संविधान अपनी इच्छा से स्वयं नहीं बना सकती थी उस पर अनेकों रखावटें थीं और ब्रिटिश सरकार कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही इस संविधान को तैयार करती। इसलिए आजादों का कहना है कि संविधान सभा के पास पूर्ण प्रभुत्व नहीं था।

(८) वेमेल सभ योजना

सभ की जो रूपरेखा इस योजना द्वारा प्रस्तावित की गई वह पूर्ण रूप से भवनात्मक थी। यह सभ निरंकुश रियासतों और लोकतंत्रीय प्रांतों से मिलकर बनती। ये दोनों वेमेल वाले थे।

(९) केंद्रीय सरकार की क्षीण शक्ति

इस विभाजन के आधार पर केंद्र के हाथ बांध दिए गए अर्थात् उसकी शक्तियों को अत्यन्त क्षीण बना दिया गया। प्रजातन्त्रात्मक प्रगति प्रभावपूर्ण और व्यापक एवं विस्तृत योजना पर आधारित आर्थिक पुनर्निर्माण और सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अखिल भारतीय आधार पर जिस आर्थिक सामाजिक

समानता शक्ति की आवश्यकता होती है और इससे सम्मान के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उनकी हमके पास पटना थी।

(१) अंतरिम सरकार पर अधिकारों की स्पष्ट घोषणा नहीं

अंतरिम अथवा अस्थायी सरकार के काल में अधिकार प्रदान करना निश्चित नहीं किया गया। वही पुराना विधान लागू होना था और अस्थायी सरकार फिर से वायसरॉय की परिषद के समान हो जाने की थी। इस प्रकार सामान्य परिस्थितियों में वायसरॉय की प्रतिनिधित्व के तथा अथ महत्वपूर्ण अधिकार भी रहते।

(११) नवीन विधान और सरकार पर सैनिक अधिकार की छाया

निश्चित अंतरिम काल में सैनिक अधिकार अग्रजा काल में रहने की था जिससे नवीन विधान का निर्माण भी सैनिक अधिकार की छाया में ही होता।

(१२) किसी प्रस्ताव की तरह ही इस योजना में भी वही समझौता था कि इस का तो पूरी तरह अस्वीकार ही किया जा सकता था या यह सारी की सारी ही स्वीकार की जा सकती थी। कोई भी दवा एसा नहीं था जोकि इसके कुछ भागों को मानने के कारण अथ भागों का मानने।

(१३) विवादास्पद योजना

कांग्रेस और मुस्लिमलीग ने यद्यपि इस योजना की स्वीकार कर लिया परन्तु उ होने प्रान्ता के समूहिकरण का भिन्न निम्न अथ निकाला। कांग्रेस के अनुसार प्रांतों का समूहिकरण ऐच्छित था और मुस्लिम लोग के अनुसार अनिवाय। इन असंगतता के कारण सारे देश में विवाद खड़ा हो गया।

(१४) समयसमय सूत्र की योजना में असफल

यह योजना किसी ऐसे समयसमय सूत्र की खोज करने में असफल रही जिससे देश के सभी वर्गों और दलों को सहित मिलती। हिन्दू महासभा और साम्यवादी दल ने इस योजना को ठुकरा दिया और सिक्ख भी इस योजना से असुष्ट नहीं थे। बाद में मुस्लिमलीग ने भी संविधान सभा के चुनावों के बाद इस योजना का ठुकरा दिया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस योजना में अनेक गंभीर दोष थे जिसके कारण यह भारतीय जनता की कठहार नहीं बन सकी।

समालोचना

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह योजना १९४२ ई की गौरवपूर्ण प्राप्ति की बुलन्दियों का ही परिणाम थी जिससे ब्रिटिश सरकार को विवश होकर यह सोचने का बाध्य होना पड़ा कि भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न को अंधर में नहीं

लटकाया जा सकता है कि इस आयोग ने पूरी तत्परता और आत्म विश्वास से वाय किया और निस्सन्देह वह पूर्ण प्रयास से ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुआ। इस आयोग ने दबाव में आकर अपने तथ्य को नहीं छोड़ा और अपना निर्णय साधा। इसमें उफनती मुस्लिम साम्प्रदायिकता को ठंडा किया और उनकी अनुचित मांगों की अकल्पना की फिर भी वह मुस्लिम साम्प्रदायिकता के प्रभाव से बच नहीं सका और उसने समूह विभाजन में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की नींव रख दी। इस योजना का देश में उतना उग्र विरोध नहीं हुआ जितना कि साइमन कमिशन का हुआ था।

अन्त में कहा जा सकता है कि इसके प्रस्ताव चाहे पूर्णरूप से उचित न हों परन्तु इस तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता कि इसने भारतीय स्वतंत्रता का माग जो कटकाकीण था उसे साफ करने में थोड़ी मदद अवश्य की थी। फिर भी यह भारतीय भूमि के अनुकूल अपने को ढानने में असमर्थ ही रहा।



स्वतंत्रता की प्राप्ति

(१) अंतरिम सरकार की स्थापना और लोग का सीधी-कायवाही दिवस

१ मई १९४६ ई को वायसराय की कायकारिणी-परिषद् ने मंत्रिमंडल मिंगल द्वारा किए जा रहे प्रबंध का सुगम बनाने के लिए त्यागपत्र दे दिया। २६ जून को वायसराय ने अंतरिम सरकार की स्थापना न हान तक सरकारी अधिकारियों ने मुक्त एक काम चलाने सरकार स्थापित करने की घोषणा की। १० जुलाई १९४६ ई को श्री जवाहरलाल नेहरू ने मंत्रिमंडल आयोग योजना के सम्बन्ध में पत्रकार-सम्मेलन में प्रश्नों का उत्तर देते हुए निम्न तीन बातें कही —

(i) मंत्रिमंडल आयोग योजना के अंतर्गत प्रांतों की तीन समूहों में विभक्त करने की योजना अतिवाय न होकर ऐच्छिक है एवं प्रांतों के तीन समूह अस्तित्व में नहीं आयेगे

(ii) मंत्रिमंडल आयोग योजना में परिवर्तन किया जाएगा और

(iii) साम्प्रदायिक समस्या न हो जाएगी बाहरी हस्तक्षेप विशेषकर ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप भारतीय सरकार स्वीकार नहीं करेगी।

श्री जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य में मुस्लिमलोग कायम की मांग के सम्बन्ध में गंभीर हो गई। मुस्लिम लोग ने मंत्रिमंडल आयोग की योजना को पहले ही अंधरे मन से स्वीकार किया था श्री नेहरू के वक्तव्य ने उसको मंत्रिमंडल आयोग योजना का टुकड़ान का स्वल्प प्रबन्ध प्रदान कर दिया। २७ जुलाई १९४६ ई को बम्बई में सीमा की कायकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल आयोग योजना की अपनी स्वीकृति वापस ले ली। कायकारिणी ने अपने प्रस्ताव की जानकारी सम्पूर्ण देश के ममानमाना का करान के उद्देश्य से १६ अगस्त १९४६ ई को सीधी-कायवाही दिवस मनाने का भी निश्चय किया। मि जिन्ना ने मसलमानों से सीधी-कायवाही दिवस शक्तिपूर्वक ढंग से मनान और शत्रुता के हाथ का खिन्नता न बनने की अपील की। ६ अगस्त १९४६ ई को वायसराय ने श्री नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया जिसे नेहरू ने स्वीकार कर लिया। चूंकि वायसराय पांड वेवन मुस्लिमलोग को भी अंतर्गत कानून सरकार में लाने के लिए इच्छुक थे इसलिए जवाहरलाल नेहरू तथा वायसराय दोनों ने ही मस्लिम

लीग और कांग्रेस की मित्र जुली सरकार स्थापित करने का यत्न किया। परन्तु श्री जिन्ना उसके लिए तयार न हो गए। १६ अगस्त १९४६ ई. को पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीपी-नायवाही दिवस मनाया गया। बंगाल में इस समय मस्लिम लीग की सरकार थी और मुन्सिफों वहाँ का मन्त्रिमन्त्री था। उगने १६ अगस्त की छुट्टी घोषित कर दी। कश्मीर में उस दिन भारी टूट मार हुए की गई जो तीन दिन तक चलती रही। हिन्दुओं की संपत्ति को बनी भारी हानि पहुँची लगभग ७ व्यक्ति इन मगडों में मार गए १५ जर्मनी हुए और १ घेघर हो गए। मौजाना आजाद ने जो उस समय कश्मीर में थे लिखा है १६ अगस्त का दिन भारत के इतिहास में काले अमरों में लिखा जाने वाला दिन है। उस दिन भीड़ की हिंसा के कारण कश्मीर नगर आतंक हुआ और मृत के सागर में डूब गया। मकडों जानें बर्बाद हुईं। हजारों व्यक्ति जमी हुई और कराखा की संपत्ति बर्बाद हुई। नगर में गुंडों का राज था।

२ सितम्बर १९४६ ई. को अंतरिम सरकार ने पञ्जाब सभान लिया। वायसराय के प्रयत्नों में मस्लिमनाग न भी १५ अक्टूबर १९४६ ई. को अन्त कानून सरकार में अपने प्रतिनिधि भेजने मजूर कर लिए। २४ अक्टूबर को लीग के ५ प्रतिनिधियों ने पञ्जाब सभान लिया। लीग अंतरिम सरकार में सहभागिता के कारण सम्मिलित नहीं करके मसल इसका अपना निहित उद्देश्य था। प्रथम यह मसलमानों तथा दूसरे मसलमनों के हितों को कांग्रेस के हाथ में छोड़ना ठीक नहीं समझती थी तथा द्वितीय लीग अंतरिम सरकार से बाहर रहकर कांग्रेस को अपने विरुद्ध स्थिति मजबूत नहा कर देना चाहती थी। फलतः कांग्रेस एवं लीग में कोई सहयोग उत्पन्न नहीं हो सका तथा अंतरिम सरकार ठीक ढंग में कार्य नहीं कर सकी। मारे देश में साम्प्रदायिक अग्नि भूक उठी और साम्प्रदायिक दंग प्रारम्भ हो गए। मुसलमानों ने नोखाखती में हिंसा पर बहुत अत्याचार किए। उसकी प्रतिक्रिया विहार गणमुकेश्वर और अहमदाबाद में जहाँ हिन्दुओं ने मुसलमानों पर अत्याचार किए। मुस्लिमलीग ने मुसलमानों का अत्याचार के लिए विहार विम मनाया। फलतः मसलम पञ्जाब उत्तर पश्चिमी सीमाप्रांत इत्यादि में भी दंग फल गए। साम्प्रदायिक सभावना उपश्र करन की दृष्टि में महात्मा गांधी ने ६ नवम्बर १९४६ ई. को बंगाल का दौरा प्रारम्भ किया और नहर विहार गए और दंग के माध्यमता मसलम देश में सभावना बनाए रखने की आशा की।

(२) अंग्रेजों की भारत छोड़ने की घोषणा

१४ नवम्बर १९४६ ई. को मि. जिन्ना ने संविधान सभा की बैठकों का लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने की घोषणा की तथा स्पष्ट करने में कहा कि भारतीय समस्या का समाधान केवल देश का बटवारा कर भारत और पाकिस्तान नामक दो देशों के निर्माण के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकेगा। मि. जिन्ना ने वायसराय की कांग्रेस के हाथ का खिलौना न बनने की भी चेतावनी दी। १९४६ ई.

के प्रतिम मास में लीग का पाकिस्तान के निर्माण के सम्बन्ध में पचास और भी तेज हो गया। मि एटली ने लीग और कांग्रेस के मतभेदों को दूर करने का एक बार पुन प्रयास किया। उन्होंने ३ नवम्बर को नेहरू जिन्ना निष्कल घनी और बलदेवसिंह की एक बैठक का आयोजन लन्दन में किया। उस बैठक में ३ दिसम्बर को भारतीय समस्याओं पर विचार हुआ परन्तु कोई समाधान नहीं निकला। लीग की नीति के फलस्वरूप देश में साम्प्रदायिक द्वेष की भावना तेजी से बढ़ने लगी तथा अन्तरिम सरकार के संचालन में कठिनाइयाँ दिनों दिन बढ़ने लगी। इसी समय मि एटली का यह विचार बना कि यदि ब्रिटेन शीघ्र ही भारत से हटने की तिथि घोषित करदे तो सम्भवतः लीग एवं कांग्रेस में समझौता हो जाए। अतः उन्होंने २ फरवरी १९४७ ई को संसद में एक घोषणा की। इस घोषणा द्वारा भारतीयों के हाथ में सत्ता हस्तांतरित करने की तिथि निश्चित कर दी गई जो जून १९४८ ई थी। इसके द्वारा कांग्रेस और मुस्लिमलीग की विरोध स्थिति का समाप्त कर दिया गया और यह भी निश्चित कर दिया गया कि ब्रिटिश-सरकार उसी मसिधा को स्वीकार करेगी जिसको संविधान-सभा ने सबसे सम्मति से पास किया हो। घोषणा में कहा गया था कि अगर सबसे सम्मति से कुछ निश्चय नहीं हुआ तो सत्ता के द्रीय सरकार को प्रा तो की वर्तमान सरकार को या किसी अन्य रीति से जो भारतीयों के लिए लाभकर होगी सौंप ली जाएगी। इस घोषणा से मुस्लिम लीग को यह संकेत मिले कि उस कांग्रेस से अब कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। अतः उसका पाकिस्तान प्राप्त करने का निश्चय और भी अधिक दृढ़ हो गया। सरकार ने शीघ्र सत्ता हस्तान्तरित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन के ध्यान पर लाड माउंटबेटन को भारत में वायसराय नियुक्त किया। २२ मार्च १९४७ ई को नये वायसराय ने अपना कार्यभार सम्भाला।

(३) माउंटबेटन-योजना

माउंटबेटन को वायसराय बनाने का उद्देश्य भारत की राजनीतिक समस्या को प्रतिम रूप से हल करना था। सरकार चाहती थी कि जितना जल्दी हो उतना ही यह काम पूरा कर लिया जाए। लाड माउंटबेटन ने शीघ्र ही भारतीय नेताओं से बातचीत की। बातचीत के पश्चात् उन्होंने एक योजना तयार की तथा ब्रिटिश मंत्रिमण्डल से परामर्श करने के पश्चात् अपनी योजना भारतीय नेताओं के सम्मुख प्रस्तुत की। यह योजना भारतीय सबधानिक विकास के इतिहास में माउंटबेटन योजना के नाम से प्रसिद्ध है।

योजना की मुख्य बातों को उल्लिखित करने के पहले यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार ने मंत्रिमण्डल भिन्न योजना में भारत के दोनों दलों से महयोग की प्राप्ति की थी लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी। संविधान सभा के निर्माण में भी मुस्लिम समर्थन हासिल नहीं हो सका था। अतः उस मांग को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के विचारों को लागू उचित नहीं है और संविधान सभा के निर्माण

के पूर्व इन क्षेत्रों की प्रतिक्रिया जान लेना भी अत्यन्त आवश्यक है। योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं —

सविधान सभा के निर्माण व सम्बन्ध में
 इस सत्र में निम्नलिखित सिफारिशें की गईं —

- (१) ब्रिटिश सरकार की इच्छा है कि वह भारत का शासन शीघ्र ही जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को सौंप दे।
- (२) ब्रिटिश सरकार यह नहीं चाहती है कि वर्तमान सविधान-सभा के कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा पड़े।
- (३) वर्तमान सविधान-सभा द्वारा निम्न सविधान को स्वीकार नहीं करने वाले क्षेत्रों की इच्छा को जानने के लिए एक प्रक्रिया का उल्लेख किया जाए। इस प्रक्रिया के अनुसार पंजाब और बंगाल की विधान सभाओं के अधिवेशन दो भागों में होंगे। एक भाग उन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का होगा जिनमें मुसलमानों का बहुमत नहीं है। उनके सामने यह प्रश्न रहेगा कि वे प्रांतों का विभाजन करना चाहते हैं या नहीं। यदि बहुमत विभाजन के पक्ष में हो तो उनको यह नियुक्त करना होगा कि वे वर्तमान सविधान-सभा में सम्मिलित हों या पृथक् सविधान सभा का निर्माण करें।

विभाजन का स दम में

जमाऊँ ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि इस योजना का निर्माण ही भारत का शीघ्र विभाजन करने के लिए किया गया था इस योजना में भारत और पाकिस्तान नामक दो पृथक् राज्यों की भूमिका को स्वीकार कर लिया गया। इस योजना में तय किया गया कि भारत को दो अधिराज्यों में बांट दिया जाएगा और दोनों को (इण्डिया और पाकिस्तान) जून १९४८ ई की बजाय १५ अगस्त १९४७ ई की ही स्वतंत्रता दे दी जाएगी।

यस विभाजन व्यवस्था में पाकिस्तान के उस स्वरूप को स्वीकार नहीं किया गया जिसके लिए जिन्ना बचन थे। यह स्वरूप अत्यन्त अध्यात्मिक और अध्यात्म-रहित था। जिन्ना अपनी कंपनी के पाकिस्तान में न केवल सारा बंगाल पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त सिन्ध और बिलोचिस्तान का ही मिलाना चाहते थे अपितु उन्होंने सयुक्त प्रांत के अस्तिम बहल क्षेत्रों को भी पाकिस्तान में मिलाने की व्यवस्था की थी। कायसी नता इस व्यवस्था को मानने के लिए कतई तयार नहीं थे। वे पंजाब और बंगाल के हिन्दू बहुल इलाकों को हिन्दुस्तान में और अस्तिम-बहुल हर जिले की पाकिस्तान में वस्था चाहते थे। उन्हें असम पर जिन्ना का दावा मजबूत नहीं था। असीनिय माउंटबटन योजना के अनुसार असम को पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया और पंजाब तथा बंगाल के बंटवारे की व्यवस्था की गई।

प्रस्तावित योजना में यह भी व्यवस्था की गई कि पांच और बंगाल की विधानसभामें के सदस्य पांच पांच प्रत्येक जिले और मसिगम बहुत जिला के हिसाब से बंटेंगे। यदि पचास और बंगाल हिंदू बहुतांश इलाकों के बंटवारे के लिए प्रस्ताव पास कर दोगे तो पचास और बंगाल का विभाजन अवश्यभावी हो जाएगा।

उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत में इसका निष्पत्त सप्रह द्वारा किया जाएगा। यूनिवर्सिटी न पुर भागाम को पाकिस्तान में गिनाने की मांग का विरोध किया था परंतु यह व्यवस्था की गयी कि सिन्धु जिले में जहांकि मुसलमानों का बहुमत था उनमें सप्रह द्वारा इस बात का निष्पत्त किया जाएगा कि वहां जनता आसाम में रहना चाहेगी है या पूर्वी बंगाल में।

देशी रियासतों के सम्बन्ध में पत्रस्था

देशी रियासतों के सम्बन्ध में उची योजना तथा व्यवस्था को स्वीकार कर लिया जाएगा जिसका निर्धारण मंत्रिमण्डल योजना में किया गया था।

अतः सरकार ने इस आशय की भी घोषणा कर दी कि वह १९४८ ई तक सत्ता हस्तांतरित करने की प्रतीक्षा नहीं करगी परन्तु १९४७ ई में ही इस कार्य को समाप्त कर देना चाहती है।

माउन्टबेटन-योजना पर देग में विद्रोह प्रतिश्रियाए हुई। मोराना प्राजाद में कहा इस घोषणा के प्रभाव के बाद भारत की एजना को बचाए रखने की सारी प्राणा नगमन हो जाती है। यह पक्षों के बीच पर या कि मंत्रिमण्डल प्रायाग योजना को अस्वीकृत कर दिया गया और विभाजन को अधिकारिक रूप से स्वीकृत कर लिया गया। 'पंडित गोविन्दवल्लभ पंत का विचार था कि ३ जून १९४७ ई० की योजना की स्वीकृति ही स्वतंत्रता प्राप्ति का एकमेव मांग है। इसमें शक्तिशाली केन्द्र बनने का और भारत की उन्नति ही सबेरी। 'प्रायस ने एजना के लिए बहुत हाथ दिया है और इसके लिए सब कुछ 'बोझावर कर दिया है। प्राज 'प्रायस की या तो इस योजना का स्वीकार करना है अथवा आत्मत्याग करना है कि मंत्रिमण्डल मिशन योजना के गुणा और निदान के लिए यह योजना अक्षी है।' डॉ राजमद्रमदाद ने कहा यदि भारत का विभाजन होता ही हा तो पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए ताकि यात्र में भयंके के लिए गुणायन नहीं रहे।' माहम्मद अली जिन्ना ने पहले तो लगके पाकिस्तान की व्यवस्था का स्वीकार नहीं किया परन्तु बाद में तोंड माउन्टबेटन के दबाव के कारण स्वीकार कर लिया। 'प्रायस-शेन में योजना को मुक्त समर्थन प्राप्त हुआ। राष्ट्रवादी मुसलमानों और पाकिस्तान में सम्मिलित किए जाने वाले भूभाग के हिन्दुओं ने इस योजना का विरोध किया।

तीसरे ही पचास और बंगाल के हिन्दू बहुतांश जिलों में सदस्यों ने इस प्रस्ताव का बंटवारे के लिए प्रस्ताव पास कर दिया। सिन्धु जिले के पूर्वी भाग (पाकिस्तान) में मिस्त्रों का निर्णय किया। उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत में जनमतसंग्रह हुआ जिसका

खान अब्दुल गफ्फार खा (सीमान्त गांधी) के अनुयायियों (खुर्द लिंगमतगारों) ने बहिष्कार कर दिया और उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त के मसनमानों ने बहुमत में पाकिस्तान में मिलने का निष्पत्त किया।

माउटबेटन योजना ब्रिटिश सरकार की उत्त नीति का अन्तिम प्रयास था जो भारत की स्वाधीनता देने के मन्दम में प्रयत्नशील थी। माउटबेटन और लेहो माउटबेटन न अपने प्रयासों से इस योजना का सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा और देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। अब उन कारणों का उल्लेख करना अत्यन्त उपयुक्त होगा जिन्होंने इस योजना के मूलभूत उद्देश्यों को ठोस आधार स्थल प्रदान किया और वह अपने यथाथ स्वरूप के कारण देश के विभिन्न हितों को एक मंच पर लाने में समय हो गई। यह योजना उस समय प्रस्तावित की गई जबकि देश का वातावरण अपनी उन्नति की धरम सीमा पर था देश के दोनों दलों में कटुता और अमनस्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गए थे। फिर भी माउटबेटन ने अपने अथक परिश्रम प्रभावशाली और परिस्थितियाँ का सक्षम अनुकूलन करने की क्षमता से देश के विभिन्न तत्वाभ्यन्तरे द्वारा अपनी योजना स्वीकार कराने में सफलता प्राप्त की।

इस मन्दम में दो प्रश्नों का उठना स्वाभाविक ही है प्रथम का प्रश्न है योजना को स्वीकार क्या किया द्वितीय प्रश्न है हम क्यों अपनाया। पहले प्रश्न के सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि मुस्लिमलीग की प्रमुख कायबाही के फुर्तित प्रयासों ने सारे देश में बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न कर दी। देश के विभिन्न भागों में घटित होने वाले मजहबों दलों हिंसक घटनाओं और अमनस्यपूर्ण वातावरण में हिन्दू और मुसलमान एक राष्ट्रीय विचारधारा के अंग बनने की तयार नहीं थे। उन्होंने अपने कारनामों से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिसमें सहयोग सहिष्णुता और शान्तिपूर्ण विचारविमर्श के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। अन्त विभाजन एक अथ यभावी उल्लेख बन गया था। सरकार पटल ने भी इस मध्य को स्वीकार करत हुए कहा था अगुनाहों के कर्तव्यमाम में पाकिस्तान की स्वीकृति अर्थात् है। पंडित नेहरू ने भी वास्तविकता पर टिप्पणी करते हुए कहा था यदि हमें आज्ञा मिल भी जाती तो भारत निस्तब्ध निबन्ध रहता जिसमें इकाइयों के पास बहुत अधिक शक्तियाँ रहती और संयुक्त भारत में सर्व कलह और भगडे रहते। इसलिए हमने दश का बटवारा स्वीकार कर लिया ताकि हम भारत छोड़नेवाली बना सकें। जब हमारे (मुस्लिम लीग मसलमान) हमारे साथ ही नहीं रहना चाहते थे तो हम उन्हें क्या और कैसे भजबूर कर सकते थे। इस प्रकार दश के सभी कायबाही नताओं ने विभाजन को वास्तविकता मानकर वस योजना को स्वीकार करने में ही दश का हित समझा।

द्वितीय प्रश्न के सन्दर्भ में साधारणतया यह कहा जाता है कि माउटबेटन के दबाव के कारण मुस्लिमलीग ने इस योजना का स्वीकार किया था। परन्तु इसे पूर्ण रूप से यक्ति सगत नहीं माना जा सकता। जिम्मा जस दरदर्शी

कूटनीतिज्ञ के होत हुए मुस्लिम लीग इस कमजोरी का फायदा नहीं बन सकती थी। मुस्लिम लीग ने ही मुनियोजित धर्मों को लक्ष्य में रखकर ही अपनी भावी रणनीति का निर्धारण करनी चाई थी जिससे तब उसका अतीत साक्षी है। इस योजना का प्रारम्भ द्वारा स्वीकार कर उन पर लीग को अपने धर्म (पाकिस्तान) की प्राप्ति हो गई थी। यद्यपि योन्मा के अंतर्गत प्रदत्त पाकिस्तान जिन्ना के स्वप्नो का पाकिस्तान नहीं था परन्तु वह उसकी यथाथ भावनाओं का पाकिस्तान प्रवक्ष्य था। जिन्ना पाकिस्तान के उस स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकता था जिसकी प्राप्ति के लिए उनमें अपने प्रचार-तंत्र और नीतियों का निर्धारण किया था। यह तो उसकी दूरदर्शितापूर्ण राजनीति का अंग था। इसलिए उस योजना में मुस्लिम लीग ने सब कुछ प्राप्त कर लिया और झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं पडकर योजना पर अपना स्वीकृति देने में ही अपना हित समझा।

अब यह भी दावा होगा कि माउन्टबेटन के इरादों का सफलता क्यों मिली? अथवा परिष्कृत काग्रेसी नेताओं ने घनिष्ट सम्बन्ध द्वारा जिन्नापण नीतियाँ ऐसी तर्क ह जिन्होंने माउन्टबेटन का सफलता के पथ पर अग्रसर किया। परन्तु हम विषय-वस्तु की गहराई में जाकर सत्य का अन्वेषण करना होगा। इस पर यही कहना उपयुक्त होगा कि माउन्टबेटन अपने तर्कों द्वारा काग्रेसी नेताओं को यह समझाने में सफल हो गए कि मुस्लिम लीग के जिन्ना नेप भारत को संघटित और सत्ताशाली बनाना अधिक श्रेय रहेगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि गृहयुद्ध का स्थिति को टालने हेतु माउन्टबेटन योजना ही काग्रेसी नेताओं के लिए एकमात्र विकल्प थी। काग्रेसी नेताओं ने भी इस बात को भली भाँति महसूस कर लिया था कि विद्यान तथा असंगठित भारत की अपेक्षा संगठित तथा छोटा भारत अधिक उपयुक्त रहेगा।

निम्नलिखित माउन्टबेटन के तर्कों के अन्तर्गत तर्क ने राष्ट्रीय सम्बन्ध होने के कारण उनका मुकाम काग्रेस की तरफ था फिर भी वे अपनी नीतियों के संचालन करने में स्वतंत्र नहीं थे। उन पर उनकी देश की मसल का नियंत्रण था और मूलभूत ब्रिटिश नीति अंश को ध्यान में रखकर ही उन्होंने अपनी रणनीति का संचालन करके मुस्लिम लीग द्वारा अपनी योजना स्वीकार कराने में सफलता प्राप्त करली। फिर भी इस मनोवैज्ञानिक सत्य को तो नहीं भुठनाया जा सकता जिसने मुस्लिम क्षेत्रों का इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वे हम योजना को स्वीकार कर लें अथवा उनकी स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड सकता है। इसके साथ ही लीग ने भी इस बात को भी समझी थी कि उन्हें अचना सब कुछ मिल गया और यह स्थिति उनके लिए सर्वाधिक लाभप्रद थी।

इस योजना से अनेक दूरगामी प्रभाव पडे। अंश के राजनीतिक क्षेत्र में तब बार पुन विस्मय का दातावर्णन हो गया। उन क्षेत्रों में विशेषकर पाकिस्तान

म बसन धान हिंदुओं और शेष भारत में रहने वाले समाहित भस्मनमानों में भय और आशंका का वातावरण उत्पन्न हो गया क्योंकि इस योजना में विभाजन को अक्षय्यमावी बना दिया था जिसके कारण भविष्य में उनकी स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ने वाला था। सीमा और काफ़ी क्षेत्र अपनी भावी रणनीति का निर्धारण करने की दिशा में प्रयत्नशील न गए। ब्रिटन में इस आगाती सफलता के कारण माउन्टबेटन की भूमिका का असाधारण महत्व मिला।

जहाँ तक दंगों गिरासती का स्वतंत्र रहने का व्यवस्था पर हथ था वहाँ के इस आशंका से भी चिंतित हो गए कि बदलते समय में वे अपनी स्थिति को अधिक समय तक बनाए रखने में सफल नहीं हो सकेंगे अतः उन्हें भी अपने भविष्य पर परामर्श कर स्थिति का सही अनुकूलन करने की आवश्यकता महसूस हो गई।

(४) सन् १९४७ का अधिनियम

माउन्टबेटन-योजना व काग्रस एवं मुस्लिमलीग दोनों के स्वीकृत कर लेने के पश्चात् योजना के आधार पर एक विधेयक तैयार किया गया तथा ४ जुलाई १९४७ ई का ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया जो १८ जुलाई १९४७ ई को पारित हो गया। राजकीय स्वीकृति प्राप्त करने पर यह विधेयक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ ई कहलाया। उक्त अधिनियम ब्रिटिश शासन काल में भारत के सवधानिक विकास के इतिहास का अंतिम चरण एवं महत्वपूर्ण सीमांक है।

सन् १९४७ के अधिनियम के मुख्य उपबन्ध

अधिनियम के मुख्य उपबन्ध निम्नलिखित थे —

(१) अधिनियम द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। १५ अगस्त १९४७ ई को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बन जावेंगे एवं उनमें ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंपे दगी। दोनों अधिराज्यों की विधानसभा को अपने अपने क्षेत्र के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करने में सविधान सभा को सविधान बनाने के प्रतिरिक्त व सभा गतिविधि एवं अधिवार प्रदान कर दिए गए जो १९४७ ई के पूर्व केंद्रीय विधानमण्डल को प्राप्त थे।

(२) ब्रिटिश सरकार का १५ अगस्त १९४७ ई के पश्चात् दोनों अधिराज्यों उनके प्रांत या किसी क्षेत्र के विषय पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा।

(३) दोनों अधिराज्यों की विधानसभाओं को अपना सविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। दोनों अधिराज्यों को अपनी इच्छानुसार ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल छोड़ने या उसकी सदस्यता बनाए रखने का अधिकार दिया गया। नए सविधान का निर्माण न होने के काम में दोनों अधिराज्यों एवं उनके प्रांतों का शासन १९३५ ई के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलेगा। प्रत्येक

प्रधिराज्य को आवश्यकतानुसार १९३५ ई के अधिनियम में सजोवन करने का अधिकार दिया गया। ३१ मार्च १९४८ ई तक गवर्नर जनरल को आवश्यकता नुसार सन् १९३५ के भारत सरकार अधिनियम में मशोवन करने का अधिकार दिया गया।

(४) भारत मन्त्री का पद तोड़ लिया गया एवं उमका काय राष्ट्रमण्डल के मन्त्री को प्रदान कर दिया गया।

(५) ब्रिटिश सम्राट के पद में भारत सम्राट नामक पद हटा दिया गया। ब्रिटिश राज की अधिराज्य के कानूनो पर नियेधाधिकार उगाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। १५ अगस्त १९४७ ई के पचात् कोई भी विधेयक उसकी स्वीकृति हेतु रक्षित नहीं किया जाएगा। दोनो अधिराज्यो के गवर्नर जनरलो को ब्रिटिश सम्राट के नाम पर किसी भी विधेयक को अनुमति प्रदान करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया।

(६) ब्रिटिश राज की देगी-राज्यो के ऊपर सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार की देगी-राज्यो के शासको के साथ की गयी सभी संधियो को समाप्त कर दिया गया। जबतक भारत-सरकार एवं देगी-शासको में आपसी वार्तानाय द्वारा कुछ निश्चय नहीं हो जाता जबतक भारत-सरकार एवं रियासतो का पूव सम्बन्ध चारू रहेगा।

(७) पाकिस्तान उत्तर पश्चिमो सीमाई कबोलों में समझौते की बातचीत करेगा

सन् १९४७ के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का भारतीय राजनतिक एवं सवधानिक विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई और भारत का स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारतीय भूखण्ड का विभाजन हुआ एवं नये राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण हुआ। यह अधिनियम भारत-शासन सम्बन्धी ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम अधिनियम था। इसके द्वारा भारत पर ब्रिटिश सम्राट की प्रभुसत्ता एवं देगी राज्यों पर ब्रिटिश राज की सर्वोच्चता समाप्त हो गयी।

(५) अंग्रेजो ने भारत क्यों छोडा

१४-१५ अगस्त १९४७ ई की मध्य रात्रि को ब्रिटेन ने भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित कर दी। भारत स्वतंत्र हुआ एवं इसके साथ ही १८५७ ई में प्रारम्भ की गयी स्वतंत्रता आन्दोलन की लम्बी और सघनपूर्ण यात्रा की समाप्ति हो गयी। राष्ट्रीय आन्दोलन की कहानी को समाप्त करने के पूव हमारे लिए उन तत्वा का विश्लेषण करना भी उचित होगा जिनके कारण बाध्य होकर अंग्रेजो ने भारत में विदा होने का निणय लिया।

अंग्रेजो द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रथम कारण देश में व्याप्त साम्प्रदायिक विषय की भाषना था। लोग की नीतियो के फलस्वरूप देश में

साम्प्रदायिक विषयों पर रहा था। हिन्दू मसलमानों में किसी भी तरह से एकता की कोई सम्भावना नहीं रह गयी थी। कांग्रेस इसके लिए अग्रजाओं को उत्तरदायी ठहरा रही थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने देश के मन्तव्य से इस बलक को मिटाने के लिए अग्रजों को यत्न थे। भारत का विभाजन ही उनको साम्प्रदायिक समस्या का एकमात्र हल दिखायी दे रहा था। जब लॉर्ड के राजनीतिज्ञों को यह विश्वास हो गया कि कांग्रेस भी देश-विभाजन के लिए तैयार है तो उन्होंने सत्ता हस्तान्तरित करने का निश्चय कर लिया।

दूसरा महत्वपूर्ण कारण जिससे प्रभावित होकर अग्रजों ने भारत छोड़ने का निश्चय लिया वह था सेना की स्वामिभक्ति में सदेह उपन हो जाना। सन् १८५७ के पश्चात् भारत में ब्रिटिश शक्ति का आधार मना था। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् भारतीय सेना में अग्रजाओं के प्रति विरोध बढ़ना प्रारम्भ हो गया। भारतीय नौसेना ने १६ फरवरी १९४६ ई. को विद्रोह कर दिया। उन्होंने भारतीय सरकार को चेतावनी दी कि यदि निश्चित दिनांक तक उनकी मांग स्वीकार नहीं की जावगी तो वे एक साथ यागपत्र दे देंगे। नभ सेना की हड़ताल कर दी। कलकत्ता बम्बई और कराची में छुने विद्रोह की आगजा हो गया। यद्यपि नौ सेना एवं नभ सेना के विद्रोह को दबा दिया गया परंतु सेना में देश भक्ति की गहर से अग्रजों को यह स्पष्ट हो गया कि सेना के बल पर वे अब भारत में अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सकत तथा भारत से गीघ्र विदा हान में उनका क्याण है।

अग्रजाओं द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तीसरा महत्वपूर्ण कारण आजाद हिन्द फौज के सैनिकों पर मुकद्दमा चलाने के कारण देगवासियों में उपन अभूतपूर्व जागृति था। आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों तथा सैनिकों एवं शाहनवाज सा पर युद्ध की समाप्ति के पश्चात् भारत-सरकार ने नवम्बर १९४५ ई. को दिल्ली के नानकिने में मुकद्दमा प्रारम्भ किया। भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में जवाहरनाथ नेहरू तेजप्रहादुर सप्र एवं आसफ़खली ने आजाद हिन्द फौज के उक्त अधिकारियों की परवी की। शाहनवाज अफ़्टन सहयन और लेखिका को आजीवन निर्वासन का दण्ड दिया गया। मुकद्दमे के दौरान आजाद हिन्द फौज की वीरता की अनेक गाथाएँ प्रकाश में आईं एवं उनके पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया। भारतीय जनता आजाद हिन्द फौज के वीरतापूर्ण कार्यों से बनी रोमांचित हुई। गारे देश में आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को मक्त करने की मांग उठी। ६ फरवरी १९४७ ई. को भारत का मुख्य सेनापति ने सत्तल शाहनवाज एवं सैनिकों की माफी की घोषणा की एवं आजाद हिन्द फौज के ११ सैनिकों को बिना शर्त मक्त कर दिया। आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों ने देश का दौरा किया। जहाँ भी वे गये जयदिल के नारों से उनका स्वागत किया गया। देश में व्याप्त जन जागृति का दृष्टिगत रखकर अग्रजों ने भारत से हटने का निश्चय करना ही ठीक समझा।

भ्रष्टजों द्वारा भारत छोड़ने का घोषा वारण युद्ध के पश्चात् ब्रिटेन की प्रतिष्ठा में काफी कमी आ जाना था। सन् १८५७ के पश्चात् भारत में यह समझा जाता था कि भ्रष्टज जाति अपराजेय है परन्तु न्तितीय महायुद्ध में जापानियों ने भ्रष्टजों के विरुद्ध जो सफलता प्राप्त की उसके फलस्वरूप यह भ्रम समाप्त हो गया। युद्ध में ब्रिटेन के जन धन की क्षति हानि हुई थी। विश्व राजनीति में समुक्त राज्य अमरिका और सोवियत रूस विश्व शक्ति के रूप में उदित हो गए थे। भारत को स्वतंत्रता देने के लिए समुक्त राज्य अमरीका का दबाव बढ़ रहा था। स्वतंत्रता को अधिक दिनों तक नहीं टाला जा सकता था। मजदूर दल भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में था। युद्ध के पश्चात् हुए निर्वाचन में मजदूर दल की सफलता मिली थी एवं यह इस बात का परिचायक था कि भ्रष्टजों की मददगार भी स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है। प्रधानमंत्री एटाना उदार विचारों की व्यक्ति थे उनकी भारतीयों की भावनाओं से व्यापक सहानुभूति थी। फलस्वरूप भ्रष्टजों को भारत छोड़ने का निर्णय लेने में सुगमता एवं सरलता हो गई।

विश्व जनमत ने भी भ्रष्टजों को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए मजबूर कर दिया। जो एल महेता अनुपसिंह जे जे सिंह एवं श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित अपने लेखों एवं भाषणों द्वारा अमरीका एवं पश्चिमी यूरोप में भारतीय स्वतंत्रता के लिए जनमत तैयार कर रहे थे। श्रीमती बेक लुई फिगर लिन एटाग नारमन टामस आदि अमरिकी विद्वान भी भारतीय स्वतंत्रता के लिए भावाज बुलन्द कर रहे थे। १९४५ ई. में सेनफ्रांसिस्को-सम्मेलन में समुक्त-राष्ट्र-सभ का चाटर स्वीकृत किया गया। इस चाटर में मौलिक अधिकारों, भाषिक एवं सामाजिक प्रगति की बातें कही गयी थी। ब्रिटेन द्वारा इस चाटर पर हस्ताक्षर किए गए थे अतः उसके लिए चाटर में निहित सिद्धांतों व चाटर के प्रादशों को स्वरूप देने के लिए भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना ही चाटर का अनुपालन करना था। अतः ब्रिटेन ने समुक्त-राष्ट्र चाटर के प्रति निष्ठा व्यक्त करने एवं भारतीयों की सद्भावना बनाये रखने के उद्देश्य से भारत को मुक्ति प्रदान करना ही उचित समझा।

भ्रष्टजों का राष्ट्रमण्डल के सम्बन्ध में परिवर्तित दृष्टिकोण भी भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ। भ्रष्टजों को यह अनुभव हो गया था कि साम्राज्यवाद के दिन भ्रष्टज समाप्त हो गए हैं। अतः उन्होंने साम्राज्यवाद समाप्त होने दो राष्ट्रमण्डल जीवित रहे का नारा बुलन्द किया। राष्ट्रमण्डल में भ्रष्टज-जाति के अतिरिक्त अन्य जाति वाले राष्ट्रों को सम्मिलित कर ब्रिटेन की प्रतिष्ठा बचाने की तात्पर्य ही इन भावना के मूल में कार्य कर रही थी भ्रष्टजों ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर उसकी सन्तानुभूति अहित करने का प्रयास किया ताकि उनके स्वप्नों का नया राष्ट्रमण्डल जीवित रह सके।

(६) राष्ट्रीय आन्दोलन की विशेषताएँ

भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति का यह इतिहास अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है। हम यहाँ संक्षेप में उन विशेषताओं का उल्लेख कर रहे हैं।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास काफी लम्बा है। सत्तर के किसी भी अन्य दश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इतने लम्बे समय तक संघर्ष नहीं चला जितना भारतवर्ष में। यद्यपि स्वतंत्रता संघर्ष का सूत्रपात १८५७ ई. के स्वतंत्रता-संग्राम से हुआ जिसका स्पष्ट रूप १८८५ ई. में कांग्रेस की स्थापना से सामने आया तथापि यह एक तथ्य है कि भारतवासी मुसलमानों के शासन-बान सही निरन्तर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे हैं। इस प्रकार १५ अगस्त १९४७ ई. को समाप्त होने वाले संघर्ष की अवधि नब्बे वर्ष (१८५७-१९४७) तक बढ़कर ६ वर्ष से भी अधिक की है।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रारम्भ से ही संघर्ष की दो धाराएँ एक दूसरे से पृथक् किंतु एक दूसरे से समानान्तर उपन हुईं। उनमें प्रथम धारा बधानिक आन्दोलन या अहिंसामक आन्दोलन की धारा थी जिसका स्वरूप स्वतंत्रता के मदान में अहिंसक आन्दोलन का प्रथम अधिवेशन के रूप में प्रकट हुआ एवं जिसको आगे चलकर महात्मा गांधी ने प्रवाह प्रदान किया। द्वितीय धारा शक्ति या हिंसामक संघर्ष की थी। इस धारा की गगोत्री १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम से बनी तथा पूना में अज्ञात वातावरण में गिवाजी वाजीराव पेशवा और नाना पंडनवीस के नाम व काम की या हरी थी प्रवाह प्राप्त किया तथा आगे चलकर वीर सावरकर भगतसिंह चन्दाखर आजाद एवं सुभाष बोस ने इसको तेज गति प्रदान की। प्रथम धारा ने अहिंसामक संघर्ष का पालन प्रवाह का तथा दूसरी धारा ने अहिंसक संघर्ष का पालन प्रवाह का प्रथम लिया। यह बात सत्य है कि भारत की स्वतंत्रता मुख्यतः गान्धिय जी साधना का ही परिणाम थी तथापि इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि स्वतंत्रता प्राप्ति में उग्र उपायों का भी अद्भुत योग रहा है। हिंसामक अहिंसामक साधनों में विश्वास करने वाले सभी देशमक्त अपने अपने ढंग से भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील थे एवं उनके यह प्रयत्न उनके ज्ञान या अनुमानों में प्रयत्न के रूप में एक दूसरे के पूरक बन गए और स्वतंत्रता की धारा को इतना प्रबल प्रवाह प्रदान किया जिसकी अग्रगण्य अपने साम्राज्य की समस्त बबर शक्ति में भी रोकने में असफल रहे।

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास सवधानिक विकास के इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत सन् १८५७ का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मुख्यतः घटना है जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय उपनिवेश के शासन का एक वापारिक निकाय के अधिकार से हटा कर स्वयं प्रभु बन लिया। प्रारम्भ में राष्ट्रीय आन्दोलन का उद्देश्य शासन का

म भारतीयों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना था अतः भारतीयों का सतुट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई भारतीय अधिनियम पारित किए यथा १८६२ १८६२ १६ ६ क भारतीय परिषद् अधिनियम । इन इन भारतीयों द्वारा गानन म उत्तर दायित्वपूर्ण मामलन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति की मांग बढ़ती गई। इसके परिणामस्वरूप १९१६ ई तथा १९३५ ई क भारत अधिनियम पारित हुए। इन अधिनियमों ने भारत म उत्तरदायी प्रजातान्त्रिक एव समदीय शासन की नींव डाली। १९४२ ई के भारत छोड़ो आन्दोलन आजाद हिन्द फौज के वीरतापूर्ण काम नौ मणिक विरोध आदि न स्वतंत्रता की प्राप्ति करवायी। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान ही सन् १९१६ का वाग्रस मुस्लिमलीग समझौता नहरू प्रतिबन्धन एव जिन्ना की चोल्ह शर्त चक्रवर्ती राजगोपालाचारी योजना आदि साम्प्रदायिक समस्या को हल कर सवधानिक सुधार एव स्वतंत्रता सघष का गति देन क प्रयास थे।

भारत म राष्ट्रीय आन्दोलन का स्वरूप केवल राजनतिक ही नही बल्कि सामाजिक एव आर्थिक भी था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सामाजिक कुरीतियों और आर्थिक कमजारियों के विरुद्ध भी अभियान चलाया। उन्होंने राजनतिक कार्यक्रम को सामाजिक एव आर्थिक कार्यक्रम के साथ म्दब जोड़े रखा। फलस्वरूप आर्थिक एव सामाजिक सुधार भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के निरंतर प्रमुख अंग रहे।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति और जनता की राजनतिक चेतना के विकास म पश्चिमी सभ्यता की भी बहुत बनी देन है। आन्दोलन के नेताओं पर अग्रणी शिक्षा का प्रभूत प्रभाव था। उन्होंने वग को भौतिक एव राजनतिक प्रगति का सचालन यूरोपीय ढंग पर किया। दादाभाई नौरोजी के मतानुसार राष्ट्रीय-आन्दोलन पश्चिमी विचारों के सम्पर्क का स्वाभाविक परिणाम था और काग्रस शिक्षित देशभवनों की एक सभ्यता थी। भारतीय राष्ट्रीयता को प्राप्त की क्रांति के आदेशवाद और १६ वीं सदी म हुए स्वशासन के राष्ट्रीय सघषों से प्ररणा मिली थी। इसके मुख्य म्ददान्त थे राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय प्रगति। यह सम्पूर्ण राष्ट्र के राजनतिक उत्थान के लिए काम करती थी। इसे किसी वग या सम्प्रदाय के स्वाय और हित स कोई सम्बन्ध नहीं था। इसका ध्येय समस्त भारतीय जनता का हित था। काग्रस मानती थी कि भारत की जनता स्थानीय भाषा रीति-रिवाज और विचारधाराओं आदि की विभिन्नताओं के रहत हुए भी एक वृहत्-परिवार है। उसका उद्देश्य जनवादी शासन की स्थापना करना था जोकि आधुनिक सभ्य जगत की महान् देन है।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पुनरुत्थानवादी आन्दोलन भी था। ऐनीबिसेट का यह कथन कि भारतीय राष्ट्रीयता कोई हान ही का पीषा नहीं है वरन् जगन का दत्त है जिसके पीछे हजारों वर्षों की स्मृतियाँ हैं पूर्ण-सत्य है। भारतीय राष्ट्रीयता को भारत के गौरवपूर्ण अतीत स प्ररणा मिली थी एव यह पुनरुत्थान की चेतना म पुणत अनेत्रोन थी। १६ वा सता क आर्थिक सुधार आन्दोलन ने

राष्ट्र को अपनी प्राचीन महानता के प्रति जागरूक किया और भविष्य की सम्भावनाओं के लिए उनका माग प्रस्तुत किया। धार्मिक आन्दोलन के पुनरुत्थानवादी विचारों ने देश की राजनतिक चेतना को बढ़ाने और जनता में दम्भवित्त जगाने में महत्वपूर्ण भाग ग्रहण किया। पुनरुत्थानवादी आन्दोलन ने विदेशी शासन से उत्पन्न दासता की मनोवृत्ति पर गहरी चोट की थी और पश्चिम की घोषा सत्तावादी पदा करने वाली घमक दमक का तिरस्कार किया था। इसने जनता में भारतीय नतिक आदर्शों के प्रति श्रद्धामाव पदा किया और यूरोपीय सभ्यता और भ्रष्टता के विरुद्ध सघष करने का बल प्रदान किया। राष्ट्रीय आन्दोलन के राजनतिक व धार्मिक स्वरूप पर पश्चिम के भौतिकतावादी विचारों का प्रभाव पदा था किन्तु सांस्कृतिक स्वरूप पर भारतीय सस्कृति और सभ्यता की छाप थी।

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा किन्तु के अ्य राष्ट्रों को भी इसने प्रभावित किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा लेकर बर्मा, इण्डोनेशिया एवं अफ्रीका के देशों ने साम्राज्यवादी देशों के विरुद्ध स्वतंत्रता-सघष प्रारम्भ किये। स्वतंत्रता आन्दोलन पर उसके क्षणधार गोखले, तिलक, गांधी, सुभाष, जवाहरलाल नेहरू आदि के व्यक्तित्व का भी व्यापक प्रभाव पदा तथा किन्तु के पराधीन परराष्ट्रों में भी स्वतंत्रता की आकांक्षा पदा हुई।



महात्मा गांधी

प्रवेश

सत्य के प्रति अटल अटलान मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म २ अक्टूबर १८६९ ई. की रातकोट में हुआ था। गांधी ७ पिता राजकोट के दीवान थे व माता धार्मिक विचारों से भरी तै एक सुगीत महिला थी। अपने परिवार में गांधी को विशुद्ध आत्म संस्कार विद्यमान मिले थे। सन् १८८७ में मटिया की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बंगाल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दावाजी विद्यालय भेजे गए थे। विद्यालय जाने के कुछ दिनों अपनी माता के सम्पूर्ण भास महिला और नारी का स्पर्श न करने की प्रतिज्ञा की। सन् १८९१ में गांधीजी वरिस्टर बनकर लंदन से भारत लौटे। काठियावाड़ में बंगालत प्रारम्भ करने के चौडे ही दिनों पश्चात् उन्हें दक्षिणी अफ्रीका जाना पडा।

दक्षिणी अफ्रीका में गौरांग महाश्रिभुमा द्वारा काले भारतीयों पर दी गहु घोरा अत्याचार के विरुद्ध गांधी ने सम्पूर्ण अविन के साथ आवाज उठाई। गांधी की शक्ति आत्मा और सच्चाई की शक्ति थी। दक्षिण अफ्रीका की अंग्रज सरकार को झुलना पडा। यहाँ पर सबप्रथम गांधीजी ने सत्याग्रह आन्दोलन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बाद में यही आन्दोलन भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का प्रतीक बन गया।

सन् १९१४ में एक शक्ति आन्दोलनकारी और राजनीतिज्ञ व रूप में गांधी भारत पहुँचे। भारत आते ही अहमदाबाद के पाम सावधमती में सत्याग्रह आश्रम की व्यवस्था की तथा देश की परिस्वितिया का अध्ययन करने में लग गये। प्रारम्भ में गांधी की अग्रजा के प्रति सहानुभूति थी। तदर्थ प्रथम विश्वयुद्ध-काल में भारत में घूम कर उहाँने भारतीयों को अग्रजा की हर सम्भव दृष्टि से मद करने की कहा परन्तु युद्ध के पश्चात् कुछ घटनाओं ने अग्रजा के प्रति उनकी सारी भावना को समाप्त कर दिया। अग्रजा ने १९१८ ई. में रोणट अधिनियम बनाया गांधी ने इसका घोर विरोध किया। शलट अधिनियम के कारण अलिमावाला-बाग में लाल हत्याकाण्ड हुआ। निर्दोष भारतीय बालकों मुक्तों घोर वृद्धों पर निना पूष गूचना के गोली यहाँ अग्रजा के गोरे चहरोँ पर एक बदनुमा बात बन गई। सम्पूर्ण देश में विरोध की धलि फल गई।

अप्रैल १९२१ * में खिलौना आन्दोलन के साथ ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रमहोदय आन्दोलन का त्रिगुण बजा। गांधीजी द्वारा पूरे हुए नव शतक ने देश के नगर नगर और गांव-गांव में राष्ट्रीय जागरण का नहर दौड़ा दी। अग्रजों ने इस आन्दोलन को मूलतः पूर्ण कार्यों में अत्यधिक मूलतः पूर्ण कार्य की उपाधि दी किन्तु आगे ही उन्हें जाना गया कि अंग्रेजों का अग्रज बंदूकों और तलवारों से अतिक्रम प्रभावशाली होता है। चौरीचौरा की एफ. ए. का कारण उस आन्दोलन को उस स्थिति में गांधीजी ने बन्द करने की घोषणा कर दी जबकि वह अपने घर मोक्ष पर था। अब सफलता भारतीय जनता के चरण चूमने की तत्पर था तब गांधीजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धान्तों के पीछे भारतीयों के पाव पाछे हटा दिये।

सन् १९११ में सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया जिसमें सम्पूर्ण भारतीय जनता ने महोदय देकर उनके घोषणा रूप लिया लाला लखनवारी जन जाने को तत्पर हो गए किन्तु गांधीजी के विनय ममता के कारण उन भी स्थिति कर लिया गया। गांधीजी द्वितीय शान्त सन्मन में जान को तयार हो गए।

शान्त सन्मन को अमफनता के बाद गांधीजी द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ तक समाज सुधार आदि का कार्य करते रहे व भारतीयों के जीवन को देश प्रेम का भावना से आतप्रोत्साहित करते रहे। १९४२ * में गांधीजी ने अग्रजों भारत छोड़ो आन्दोलन चलाया। सन् १९४७ में भारत का विभाजन और स्वतन्त्रता दोनों घटनाएँ एक साथ हुईं। प्रारम्भ में गांधीजी ने विभाजन का विरोध किया। परन्तु परिस्थितियों के आगे उनकी एक न चली। अपने जीवन में अपने मित्रों और आदर्शों की यथायथा हानि बारीक ही हुई। सब बन्द हुआ।

स्वाधीनता के पंचानन देशों में साम्प्रदायिकता का दावानल भूक उठा। धर्म द्वेष और घृणा का आघार बन गया। धर्म के नाम पर मृत की होती जाती गई। गांधीजी फिर से इस साम्प्रदायिकता की भयंकर आप को दूर करने में लग गए। जनवरी १९४८ ई. का एक बज्र मृग न उन्हें गोली मार दी। "राम राम" कहते भारतीय स्वतन्त्र सभ्यता का अमर सेनानी बन बसा।

गांधीजी का व्यक्तित्व

वास्तव में देखा जाए तो गांधीजी का सारा जीवन योग और तपस्या की कहानी है। भारत का वह वृद्धाय अद्वैत सत सत्य और अहिंसा के परम अग्रज लेकर जीवन पयन्त ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जगह पर प्रहार करता रहा। उमने भौतिकवाद की और अग्रसर ससार का एक नवीन संदेश दिया। अहिंसा की बिलक्षण शक्ति गांधीजी के हाथ में आकर एक बार फिर धमक उठी। साथ भारत उनके चरणों पर योद्धावर था। उन्हें 'राष्ट्रपिता' कहकर सम्बोधित किया गया। भारतीय स्वतन्त्रता जन जागरण का परिणाम है। निश्चय ही भारतीय जनता में जागृति का संचरण पूरक का धर्म गांधीजी को है। वह महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने शताब्दियों से पराधीन भारतीयों के जन-मानस में स्वतन्त्रता का धार उत्पन्न करने का दायित्व अपने कंधों पर लिया था।

इससे भी बड़ी विनोयता गांधीजी के जीवन की सादगी और सरलता है। स्वतन्त्रता के पश्चात् और पहले भी गांधीजी को पद लिप्ता ने कभी नहीं सताया और राजनीति ठाट बाट न कभी नहीं सुभाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पून उठोने बड़े २ मताओं को धनता का संवत् बनाया।

उनके विचारों में भी योग उनके व्यक्तित्व की ओर धार्कषित हुए। पता नहीं उनमें क्या जादुई शक्ति थी कि परस्पर विरोधी विचारधारा के योग भी उनके चरणों में बिचे चने प्राप्त थे। एक ओर सेठ बिड़ला और जमनालाल बजाज उनके भक्त थे तो दूसरी ओर आचार्य कृपानी और जयप्रकाश नारायण जैसे उनके अनुयायी। मरदार पटेल जैसे कमयोगी पंडित नेहरू जैसे क्रान्तिकारी डा. राजन् प्रसाद जैसे साधु पुरुष राजाजी जैसे कूनीतिज्ञ मौनाना आजाद जैसे विद्वान विनोय जम घम धुर धर तथा मोतीलाल नेहरू जैसे नास्तिक सभी बिना तक बिचक र उनकी आज्ञा के नामने मिरभुवा धेते थे। आखिर क्या ? इसलिए कि उन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवन को अपने आदर्श के अनुसार ढाला था। मरते दम तक उन्होंने राजनीति को पवित्रता के वस्त्र पहनाने का प्रयत्न किया।

गांधीजी पर प्रभाव

(१) गांधीजी पर सर्वाधिक प्रभाव भगवद्गीता का पडा। गीता के कम प्रधान दान की छाप उनके विचारों पर है। इसीलिए राय का हिंसा पर आधारित देखकर भी टालसटा की भांति समास ले गने की प्रपेक्षा के कम क्षेत्र में निडर योद्धा की भांति धटे रहे। उनके गान्गे में मेरा जीवन बाह्य दुघटनाओं में पूरा है। इन पर भी इन दुघटनाओं ने मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाला तो इसका श्रेय भगवद्गीता की शिक्षा का को है।

(२) भारत के प्राचीन अपियाँ एवं आध्यात्मिक पुरुषों राम बुद्ध महावीर स्वामी आदि का इन पर पर्याप्त प्रभाव पडा। रामराय की कल्पना और अहिंसा का प्रभाव इन्हा का परिणाम है।

(३) गांधीजी पर महात्मा टा मठाय का रहिकन एवं थोरो का भी विनोय प्रभाव पडा था।

(४) इनके धितिरिक्त जिन राजनीति परिस्थितियों में उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी उससे भी वे प्रभावित हुए थे।

गांधीवाद क्या है

गांधीवाद क्या है ? इससे पूछ यह बताना आवश्यक है कि गांधीवाद एक वाद भी है या नहीं। क्या गांधीवाद का एक वाद कहा जा सकता है ? कुछ लोग कहते हैं नहीं। उनके अनुसार गांधीजी के विचार वाद की सीमाओं में जकड़े नहीं जा सकते। स्वयं गांधीजी ने कहा था गांधीवाद नाम की कोई चीज नहीं है और न ही मैं अपने पीछे ऐसा कार्य सम्प्रदाय छोड़ जाना चाहता हूँ। मैं कल्पि यह दावा नहीं करता कि मैंने किन्हीं नए सिद्धांतों को जन्म दिया है। मैंने तो अपने निजी तरीके से शाश्वत मर्थों को नविन जीवों और उनकी सम्मयाओं पर लागू

करने का प्रयत्न मात्र किया है। उन्होंने फिर कहा था मुझे सत्ता को कुछ नया नहीं सिखाना है। सत्य और अहिंसा उतने ही प्राचीन हैं जितने कि ये प्लाड। मैंने तो व्यापक आधार पर सत्य और अहिंसा दोनों क्षेत्रों में अपनी शक्ति भर परीक्षण करने का प्रयत्न किया है। मेरा दधान जिसे गांधीवादी नाम दिया जाता है सत्य और अहिंसा में निहित है। आप इसे गांधीवादी का नाम स नहीं पुकारें क्योंकि इसमें कोई वाद तो है ही नहीं। निस्सन्देह गांधीजी ने किसी नये सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। व न तो दधान शास्त्रीय थे ही बड़े उच्च कोटि के विद्वान्। बिना किसी महान अध्ययन के केवल अनुभव का आधार पर ही वे मानव स्वभाव की गहरी दृष्टि तक पहुँच सके थे। गांधीजी ने अपने विचारों को समृद्ध करने के लिए किसी ग्रन्थ की रचना नहीं की। प्लेटो के समान अपना दे पर लगाकर उन्होंने राम राय के रूप में स्वयं को धरती पर उतारना चाहा था क्या सभी कारणों से गांधीजी का विचारों को गांधीवाद कहा जा सकता है।

यह सत्य है कि उन्होंने प्राचीन विचारों को अपने ढंग से अभिव्यक्त किया है उनके लेखों में यथतः मौलिक विचार विस्तार पढ़े हैं लेकिन किसी ग्रन्थ की रचना नहीं की। अब इन्हें व्यवस्थित कर बानिक स्वरूप दिए जान का प्रयत्न जारी है। गांधीजी के विचार केवल धर्म समाज व राज्य तक ही सीमित नहीं है अस्तित्व जीवन के प्रत्येक पक्ष पर उनके विचार स्वस्थ रूप से मौजूद हैं। सरलतापूर्ण जीवन पद्धति के रूप में उनके विचार पण्डित हैं स्पष्ट हैं मन और बुद्धि को स्पष्ट करने वाले हैं अतः वे एक वाद हैं। इसलिए गांधी शरित्व समझते के बड़े सम्मान हुए कराची अधिवेशन में गांधी न का कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद जीवित रहेगा।

अतः यह गांधीवाद क्या है? यदि इसका उत्तर एक पंक्ति में दिया जा सकता हो तो हम प्रचारक हैं- सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का राजनीति में प्रयोग ही गांधीवाद है सम्पूर्ण गांधीवादी भावना सत्य अहिंसा मर्यादा तथा गांधियों की पवित्रता का आधार पर व्यापक रूप में निहित है। गांधी ग्रन्थ राजनीतिक विचारकों के समान प्राचीन नहीं था व कमयोगी था और उतने जो कुछ विचार वह केवल सामने आई परिस्थितियों का स्पष्टीकरण करने के लिए। इसलिए उनका जीवन सत्य के साथ प्रयोग का क्या है।

धर्म और राजनीति

मेक्रियावती के पश्चात् तो धर्म को राजनीति से पृथक् रखना राजदशन के क्षेत्र में ताजिक समझा जाने लगा। न केवल धर्म को राजनीति से पृथक् किया गया बल्कि इसे अफीम की गोली की तरह प्रसन्न-योग्य और घणित समझा जाने लगा। एम समय में गांधीजी ने धारणा की कि धर्म के बिना राजनीति पाप है। बिना धर्म के राजनीति भ्रष्ट हो जाएगी। अतः धर्म एवं राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। राजनीति अपने आप में आज के युग में परिणत नहीं है एक आवश्यक घुंटा है। सभी कारण गांधीजी ने राजनीति में प्रवेश कर कहा यदि मैं राजनीति में भाग लेता हू तो केवल इसलिए कि राजनीति हमें एक साथ की भाँति

चारों ओर से घेरे हुए है। मैं इस साप से उड़ना चाहता हूँ। मैं राजनीति में घम प्रवेश चाहता हूँ। घम के बिना राजनीति एक मृत्युजान है क्योंकि वह आत्मा को मारती है।

गांधीजी का धर्म से तात्पर्य वह नहीं था जो हम समझते हैं। डॉ. राधा कृष्णन् के शब्दा में घम तांत्रिक सिद्धान्तों का समूह नहीं है यह एक जीवन पद्धति है। गांधीजी के लिए घम सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नैतिक पद्धति है जो मनुष्य को सत्ता उसके कर्तव्यों की ओर प्रेरित करती है। गांधीजी का घम सकुचित न होकर 'यापक' था उसे विश्व घम कहा जा सकता है। सभी घम उनके लिए मान्य थे। कोई धर्म किसी से ऊँचा नहीं है। गांधीजी के अनुसार सब धर्म एक बक्ष की विभिन्न शाखाएँ हैं एक लक्ष्य के विभिन्न साधन हैं तथा एक ही बणिमा के विभिन्न सुन्दर पुष्प हैं।

वे ईश्वर भक्त थे तथा सम्पूर्ण जगत को ईश्वरीय रचना मानते थे। सत्कार की सभी गतिविधियों का संचालन करने वाली शक्ति का नाम ईश्वर है। गांधीजी का कहना था कि ईश्वर सत्य है इसलिए उसकी प्राप्ति जीवन का परम ध्येय है। घम की तरह गांधीजी की ईश्वर की व्याख्या भी उदार है। गांधी का ईश्वर केवल सीर सागर में नेपनाग की शय्या पर जाने वाला विष्णु नहीं है— वह तो एक ब्रह्मनातीत कोई चीज है जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं किन्तु जान नहीं सकते। मरे लिए ईश्वर सत्य तथा प्रेम है। ईश्वर आचार शास्त्र तथा नीति है। ईश्वर निर्भीक प्रकाश तथा जीवन का स्रोत है। ईश्वर ध्यान करण है। वह नास्तिक की नास्तिकता भी है। वह शुद्धतम मूल सत्त्व है। वह केवल उसके लिए है जो विश्वास रखते हैं।

सत्य सत्याग्रह और अहिंसा

दैनिक जीवन में सत्य सापेक्ष है। परन्तु सापेक्ष सत्य के माध्यम में हम एक निरपेक्ष सत्य पर पहुँच सकते हैं। यह निरपेक्ष सत्य ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी की प्राप्ति मनुष्य का परम धर्म है। यही ईश्वर है। उपरोक्त तथ्य केवल भावामक सत्य नहीं बल्कि इतनी प्राप्ति साधारण जीवन में सम्भव है। इस इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि सब मनुष्यों का एक साथ पूरा उत्थान अर्थात् सर्वोदय परम लक्ष्य है। यह एक निरपेक्ष सत्य है। गांधीजी अधिकतम व्यक्तिगत अधिकतम हित सिद्धान्त के विरोधी थे। उनके अनुसार यह एक हृदयहीन सिद्धान्त है जिसने मानवता को बहुत नुकसान पहुँचाया है। केवल एक ही वास्तविक सभ्य और मानव सिद्धान्त हो सकता है और वह है सभी व्यक्तियों का अधिकतम हित और इस पूरे आत्म बलिदान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोदय जीवन का अंतिम लक्ष्य है जो कई पड़ावों के द्वारा प्राप्त होता है जैसे गरीबी और दमिता का 'गोपण' बन्ना ही सभी देश स्वतंत्र हो सत्कार में आधिकारिक सामाजिक समानता स्थापित हो आदि। सापेक्ष सत्य के माध्यम से निरपेक्ष सत्य या चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है।

यदि सत्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है तो जन्म लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग है सत्याग्रह। सत्य की प्राप्ति के लिए जिस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सत्याग्रही है। सत्याग्रही के पास एक ही अस्त्र है वह है अहिंसा का अस्त्र। अतः सत्य सत्याग्रह और अहिंसा का अटूट सम्बन्ध है। गांधीजी के सम्पूर्ण विचार अहिंसा पर केन्द्रित हैं।

सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का आग्रह अर्थात् सत्य बल। यह एक आध्यात्मिक बल है। जन्म तक पहुँचने के लिए सत्य की शक्ति का पूरा प्रयोग ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह में सदा आत्मकृष्ट की भावना निहित रहता है। प्रारम्भ में गांधीजी इसे स्वीकारात्मक प्रतिरोध कहते थे। बाद में उनका मत था कि यह शब्द इसकी दृष्टि से अत्रुण है। स्वीकारात्मक प्रतिरोध शब्द सत्याग्रह से बहुत कुछ भिन्न है। सत्याग्रह एक शक्तिशाली व्यक्ति का अस्त्र है। गांधीजी के शब्दों में वे व्यक्ति जो दुबल हैं अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते। सत्याग्रह एक पारिवारिक सत्य का सम्पूरीकरण है। सत्याग्रह प्रेम युद्ध है। इसके द्वारा आत्मकृष्ट सृजन करके विरोधी को उसकी गतिविधियों का आभाव करा जाता होता है। हृदय-परिवर्तन इसका मुख्य आधार है। सत्याग्रही कभी पराजित नहीं होता। विरोध करते पर सत्याग्रह चमक उठता है। सत्याग्रही को आयाची के हृदय परिवर्तन के लिए मृत्यु का मूल्य तक उठाना चाहिए। सत्य की विजय होती है अतः वह जीतेगा। सत्याग्रह का मार्ग कठिन और लम्बा है परन्तु जीवन में सही मजिल तक पहुँचने के लिए उचित मार्ग नहीं अपनाए जाते। सत्कार का हर आदेश और अष्ट काम कठिन प्रतीत होता है। सत्याग्रही में अपने सिद्धांतों के प्रति पूर्ण विश्वास व आत्मबल का अभाव भी अभाव नहीं होना चाहिए। प्रीस के आयाचारी शासन का विरोध करते हुए मद्रास सरकार का विपणन कट्टर पथियों को उनकी गतिविधियों का आभाव कराने के लिए ईसा का आत्म बलिदान पूर्ण सात्त्विक शक्ति के साथ प्रह्लाद द्वारा पिता के आयाचारों का विरोध सत्याग्रह के कतिपय सुन्दर उदाहरण हैं। असहयोग सविनय अवज्ञा हिंजरत उपवास हस्तान आदि सत्याग्रह के विभिन्न रूप हैं। लेकिन गांधी का कहना है कि अन्तर्निहित भावों को पूरा करवाने के लिए इन उपायों का सहारा लेना सत्याग्रह नहीं कहनाएगा।

अहिंसा

अहिंसा के बिना सर्वोच्च सत्य की सिद्धि सम्भव नहीं है। हिंसा प्रसृत्य है क्योंकि वह जीवन की एकता और पवित्रता के विरुद्ध है। सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। जिसे भी शक्ति को नारीरिक अथवा मानसिक कृष्ट पहुँचाना हिंसा है।

गांधीजी के मतानुसार अहिंसा तीन प्रकार की होती है—१ वीर की अहिंसा (इसका प्रयोग वीर व्यक्ति ही कर सकते हैं इसका परिणाम पूर्ण विजय है) २ दुबल व्यक्ति की अहिंसा और ३ नायर की अहिंसा (नायर शक्ति को

अहिंसा के माग पर समन का अधिकार नहीं है।) अहिंसा एक अमाद्य धर्म है। उनका सीधा प्रारंभ हृदय पर होता है। यह शत्रु को प्रेम द्वारा जीने का माग है। अहिंसा का सम्मग सत्कार की बली स बड़ी ताका श्रुत गवती है। अहिंसा शास्त्र नहीं आचारिक शक्ति है। अहिंसा का लिए मानवितर पत्रिता आवश्यक है। गांधी स्वीकार करते हैं कि पूरा अहिंसा समन नहीं है। उताव बढ़ता है कि मनव्य श्यता नहीं—अतः यह पूरा नहीं है या पूराता को मान भी नहीं कर ताता। अतः गांधी का कहना है—अनिवार्यता को हम अववाद मान समन है किन्तु इसके अभाव में हम पूरा अहिंसक रहना पाहिए।

माध्यम साधन

गांधीजी का शक्ति विषयक सिद्धान्त में अत्य महत्वपूर्ण बात उनके माध्य साधन का सिद्धान्त का अकार है। उनका मतानुसार किमी साध्य को प्राप्त करने का लिए साधन भी उतने ही श्रुत होने पाहिए जितने कि साध्य। हेय साधनों से उच्च साध्य की प्राप्ति को व अनुचित समनत है। साधना का प्रति दृढ़ पत्रिता का विचार की दृढ़ समन उताव इन समन में मिनती है कि यदि हिंसा घोमे अववाद अत्यव्य का द्वारा मुझे दण की अज्ञानी मित ता में उन स्वीकार नहीं करूंगा।

राज्य एवं समाज सम्बंधी धारणा

गांधीजी राज्य विरोधी है। मानववादियों और अराजकतावादियों का समान व एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना श्राव्य है। किन्तु गांधीजी का विराय शीतिक कारणों पर आधारित नहीं था। गांधीजी द्वारा राज्य का विरोध करने का निम्न कारण हैं—

(१) राज्य को व हिंसा पर आधारित मानते हैं। राज्य सामूहिक रूप से हिंसा करता है।

(२) गांधीजी महान् व्यक्तिवादी है। उनके अनुसार राज्य की प्राप्ति और अस्तित्व का पूरा विधान ही जीवन का अर्थ है। इस अर्थ की प्राप्ति का लिए स्वतन्त्रता आवश्यक है। लेकिन राज्य विभिन्न रूपों में स्वतन्त्रता का हनन करता है।

(३) राज्य एक आवश्यक अन्व है।

उपश्रुत दृष्टि से गांधीजी राज्य के विरोधी है परन्तु मानव की शक्ति गांधीजी ने राज्य विहीन समाज का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत नहीं किया। लोगों की शक्ति गांधीजी भी आधुनिक अज्ञानिक मशीनों काय कारणों और शीतिक प्रगति को अस्तित्व का विकास में बाधक मानते थे। उनका अज्ञान में मशीन आधुनिक सभ्यता का प्रमुख प्रतीक है। यह एक अदृष्ट यज्ञ पाप है। मशीनों का कारण ही यूरोप विनाश का मुग पर लड़ा है।

समान है जितना एक स अवर सभ्यता साध होने है। मेरी दृष्टि में मशीन

म एक भी अशुभ बात नहीं है। उनका अंश समाज में मरना का अभाव होगा। सम्पूर्ण देश छोटी-२ इकाइयों में विभक्त होगा। ये इकाइयाँ स्वायत्त शासी होंगी अतः मशीन की आवश्यकता ही नहीं होगी।

समाज के सभी व्यक्ति पूरतया अहिंसक होंगे। उसकी सभी आवश्यकताएँ पूरी होंगी अतः अपराध नहीं होंगे। ऐसे समाज में शासक सभी लोग होंगे। वे अपने ऊपर इस प्रकार शासन करण कि वे दूसरों के भाग में बाधक नहों बनें। इस प्रकार गांधी के विचार में समाज अहिंसक एवं राज्य विहीन होगा जिसमें नतिवता का महत्त्वपूर्ण स्थान होगा।

राज्य विहीन समाज की आलोचना

गांधीजी का राज्य विहीन समाज अंश की दृष्टि से उत्तम वस्तु है किन्तु यथापि की दृष्टि से कोरी कल्पना है। ऐसे समाज की रचना या तो स्वयं में सम्भव है या भावी विन्वयुद्ध के बाद जबकि विज्ञान नष्ट हो जायगा। इन समय में कौन मशीनों का बहिष्कार करने को तयार है। गांधीजी का आदर्श समाज में निम्नांकित दोष हैं —

(१) गांधीजी की राज्य सम्बन्धी धारणा अतिपूरा है। राज्य शक्ति हिंसा पर आधारित नहीं अपितु मानव ही उसका धारणा स्रोत है। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक भी नहीं है।

(२) गांधीजी सभी व्यक्तियों को अहिंसक दयता बनाना चाहते थे अतः सम्भव है क्योंकि दुराशा मनष्य की मूल प्रवृत्तियों में निहित हैं।

(३) मशीनों का अभाव आज के वैज्ञानिक युग में समाज को पंगु बना देगा।

(४) मनष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ भौतिकवादी की धार भुकी हैं व्यक्ति फलन आदि को किसी न किसी रूप में अपनाता ही है और फलन विकास की दन है अतः ऐसी स्थिति में गांधीजी का आदर्श समाज सम्भव है।

आदर्श राज्य अहिंसात्मक राज्य

लेकिन गांधीजी अराजकतावादियों की तरह राज्य को पूरत नष्ट नहीं करना चाहते थे। वे निरंकुश राज्य के विरुद्ध व वे अपरिमित प्रभुसत्ता में विश्वास नहीं करते थे। वे आदर्श राज्य में विश्वास करते थे जिसमें प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है एवं जिसका आधार नतिवता है। वास्तव में गांधीजी का आदर्श राज्य अहिंसक प्रजातान्त्रिक राज्य है जहाँ सामाजिक जीवन स्वतंत्र नियंत्रित होता है। प्रजातंत्र का स्वरूप मता की सरया में निर्धारित नहों कर मनष्य में सामाजिक सेवा एवं अहिंसा की भावना से निर्धारित होता है। जहाँ राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित हो वही राज्य प्रजातंत्रात्मक है। इस प्रकार के अंश राज्य को गांधीजी ने राम राज्य के नाम में सम्बोधित किया है। गांधीजी का आदर्श राज्य के स्तर में निम्न हैं —

(१) विकेंद्रीकरण

गांधीजी के अनुसार शोषण वा प्रमत्त कारण कुछ व्यक्ति या मण्डल का केन्द्रीकरण होता है अतः शोषण वा समाप्त करने के लिए और सच्चे प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए उनका मुद्दा वा कि आर्थिक और राजनीतिक दोनों शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए।

(क) राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण

गांधीजी का मत था कि प्राधुनिक युग में प्रजातन्त्र के नाम पर सम्पूर्ण शक्ति कुछ व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो जाती है। वे उसका मनमाना प्रयोग करते हैं। प्रजातन्त्र वह गणतन्त्र प्रणाली है जिसमें शासन शक्ति सभी व्यक्तियों के हाथ में हो। मात्र ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृष्टि से भी यह उचित है कि राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जावे।

शक्ति के विकेंद्रीकरण का अर्थ है पंचायतराज का पुनर्स्थापन। गांव का सम्पूर्ण प्रशासन पंचायत के हाथों में होना। गांव की विधि निर्माण वाषपानिका तथा न्यायपालिका सम्बन्धी तीनों प्रकार की शक्तियां पंचायतों के पास हामी। इस प्रकार स्वायत्त शासी गांव की स्थापना के द्वारा गांधीजी राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण चाहते थे।

(ख) आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण

गांधीजी एक बहुत बड़े समाजवादी थे। वे यह सहन नहीं कर सकते थे कि एक व्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए हजारों का शोषण करे। य मजदूर और श्रमिकों जो खाली के परिणाम हैं शोषण के माध्यम हैं। आर्थिक शक्तियों का कुछ हाथों में केन्द्रीकरण सम्पूर्ण समाज के लिए घातक है। बड़े उद्योग पम्पा को नष्ट कर दिया जावे या मजदूरों का सम्भ्रमण कर दिया जावे। बड़े उद्योग यदि नहीं रहते तो पूँजीपतियों का भी अभाव हो जाएगा। सार अर्थ में कुटीर-उद्योगों का ऐसा जान बूझा जाए कि जिससे देश की सभी आवाश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। आनोद्योग तथा गृह उद्योग के विकास से बकारी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा।

(२) ट्रस्टोगिप-सिद्धान्त

गांधीजी व्यक्तिवादी होने के साथ ही मात्र समाजवादी भी थे। अतः वे यह मानते थे कि पूँजीपतियों द्वारा जो गरीबों का शोषण होता है वह समाप्त होना चाहिए। इस अशासन को समाप्त करने के लिए उन्होंने पश्चिम से निर्वाचित समाजवाद को नहीं अपनाया। शोषण को समाप्त करने की उनकी अपनी ही योजना थी। गांधीजी रक्त कास्ति तन्त्र पूँजीपतियों से व्यापारों और उद्योगों को छीनना नहीं चाहते थे। गांधीजी का मान्यता है कि जिसके पास संपत्ति है वह उसी को रहे। वे ही उनकी देखभाल करें और उसके द्वारा अत्यधिक उत्पादन का प्रयत्न करें। परन्तु इस उत्पादन में प्राप्त लाभ का उपयोग स्वयं न करें क्योंकि वे संपत्ति के स्वामी नहीं कथन ट्रस्टी हैं सरभरक हैं। वास्तव में वह संपत्ति जनता की है,

उमके द्वारा किया गया उत्पादन जनता का है। सम्पत्ति के स्वामी अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए यथावश्यक धन दे लें और गैर कमचारियों को दे दें। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि गांधीजी के अनुसार सम्पत्ति के स्वामी की भी उत्तनी ही आवश्यकताएँ हैं जितनी कि एक कमचारी की। क्योंकि वह भी एक मनुष्य है। यह प्रश्न पड़ा जाता है कि एक पूजोपनि सम्पत्ति को यथावसर साधारण जीवन को विताएगा? क्या वह सावजनिक सम्पत्ति स्वीकार कर लगा? भावम के अनुसार पूजोपनि गोपण की आदा से वाज नही आएगा। मकियावली के अनुसार एक अति अपने पिता की ज़रूरत को भूल सकता है किन्तु अपनी सम्पत्ति के छीनन को न। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि गांधीजी का सम्पूर्ण राय-दशन नतिव साधारण पर टिका हुआ है। उनका कहना है कि कतव्य ही सब कुछ है अधिकार नहीं। गांधीजी के राम राय में सभी अति कतव्यो का पालन करते हैं। पूजोपनि इसमें प्रच्छन्ना नहीं रहगा। परंतु वह भी स्वयं को पूजा का स्वामी नहीं करे सर। समझेगा।

यदि वह ऐसा नही समझेगा तो गांधीजी का न्यायाग्रह अस्त्र उसको विवश कर देगा कि वह सायभाग पर धन। हठान्त अनशन अहंयोग आदि में पूजोपतियों को मुक्तना पड़ेगा। गांधीजी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त के अनुसार गोपण तो समाप्त हो ही जाना है साय ही लोगों का जीवन-स्तर भी समान रहता है।

(३) रोटी के योग्य धम

गांधीजी के आदय राय का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त रोटी के योग्य धम है। उन्होंने यह सिद्धान्त रूसी विद्वान्ट टामन्टाया तथा ट्रम्किन से लिया था। इस सिद्धान्त की पुष्टि उन्हें गीता और वाचविन में भी मिली। गांधीजी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में इतना शारीरिक धम अवश्य करना चाहिए जिससे उसके भोजन की आवश्यकता पूरा हो जाए। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कोई भी व्यवसाय करता हो रोटी के लिए धम अवश्य करेगा। मानसिक धमवालो के लिए भी आवश्यक है कि वे शारीरिक धम करें। रोटी के योग्य धमसिद्धान्त पर बल देकर गांधीजी ने धम की महत्ता दिव्यगीत की। यह समाजवाद का प्रबल आधार है।

(४) बला-व्यवस्था

गांधीजी भारतीय संस्कृति के पुजारी थे। पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण उन्हें पसंद नहीं था। भारत में प्रचलित बला-व्यवस्था (ममाज के अन्तर्गत बला ब्राह्मण अश्रिम चरम और शूद्र) का गांधीजी ने समर्थन किया और बताया कि इन बलों को अपने पतुव व्यवसाय करने चाहिए। इन बलों में बतन व भाय समान होंगे ताकि एक बग से दूसरे बग में परिवर्तन की लालसा न रहे। इसका अभाव गांधीजी ने बला व्यवस्था को अमंगल नहीं समगत माना है। गीता के अनुसार बला व्यवस्था अम पर आधारित नहीं कम पर आधारित है।

(५) अपरिग्रह

अहिंसात्मक राज्य में कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की सम्पत्ति नहीं रखेगा। किसी भी प्रकार का संग्रह चाहे वह धन संग्रह हो या सामग्री संग्रह अनुचित है।

(६) पुत्रिण और जल

गांधीजी मानते थे कि सभी व्यक्ति प्राणवाणी या अहिंसावादी नहीं हो सकते। मानव-स्वभाव का उनका अध्ययन आत्मवाणी कम मयायवादी अधिक था। इसलिए आदेश समाज में पुत्रिण की आवश्यकता यदा कदा हो सकती है। आदेश राज्य की पुत्रिण जनता की सामाजिक गहायक सेवा देगी। पुत्रिण अपने साथ ही अहिंसा का सहारा लेगी। समाज के सभी लोग मुक्त प्रिय नहीं शक्ति प्रिय होंगे।

(७) ग्राम महत्त्वपूर्ण बातें

गांधीजी के आदेश राज्य में ग्राम-व्यवस्था का स्वरूप ऐसा नहीं होगा जसा कि आज है। गांधीजी के अनुसार राम राज्य में ग्राम-प्राम-प्रचामता द्वारा होगा। इसमें अधिक नदी चौड़ी फौज की आवश्यकता नहीं होगी।

अहिंसा प्रधान राज्य की आलोचना

१ बड़े बड़े उद्योगों और मशीनों को एक ठगई मानते हैं। मशीनों से समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। उन्हे दूर करने का उपाय भी है। रोग को ठीक करने के लिए रोगी की हत्या उचित नहीं है।

२ गांधीजी का ट्रस्टीशिप सिद्धान्त कोरा आत्मवाद पर आधारित है। पूजापतियों का हृदय-परिवर्तन सम्भव है। यह ज्ञान प्रदान करने की आत्मिक महत्ता से स्पष्ट है।

गांधीजी सेवा का विरोध करते हैं लेकिन जिना सेवा राज्य की सुरक्षा और शक्ति देने का मत है।

४ गांधीजी का मानव स्वभाव पर अध्ययन भी सुनिश्चित है। सभी व्यक्तियों को प्राम यनिदान द्वारा उनके दोषों से अवगत कराना आज सम्भव नहीं है। लोगों को मौन के घाट उतारकर भी हिंसा की विजय विपासा प्राप्त नहीं होती है ?

५ गांधीजी कहते हैं कि आवश्यकता को कम करा। यदि आवश्यकताएँ ही कम हुई तो प्रगति का माग स्व जाएगा क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नवीन उपकरण और साधना का विरोध प्रगति पर प्रबल प्रहार करता है।

६ गांधीजी की गेटी के योग्य श्रम की धारणा भा प्रामाण्यता का विषय है। श्रम के अर्थ का अर्थ फलों से प्राप्त करना सम्भव है।

७ बड़ा व्यवस्था भी आज के युग में अनुपयुक्त नहीं है।

क्या गांधीजी के आराम राय को कापनिक बरकर उनके सिद्धांतों को अव्यावहारिक मानकर छोड़ देना उचित है ? इन प्रश्नों के उत्तर में कहा जा सकता है कि गांधीवाद की आज त्रितनी आवय करना है उतनी पूरव भी नहीं रही । क्या गांधीजी के सिद्धांतों को विख्यापी स्तर पर लागू किया जा सकता है ? ऐसेका उत्तर देते हुए नाड वायर न लिखा है विचार की प्रगति और सारक प्रस्था ने तो गांधीवाद क भवन को और अधिक मजबूत बना दिया है । निमदक गांधीजी द्वारा अक्ष प्राप्त की प्राप्ति अमत्त कठिन है परन्तु वह असम्भव नहीं । यदि ससार म मय है ना सत्य का माग भी है । सत्य का माग दुष्कर होने हुए भी सवप्रुठ है । मुन्ही श्री सवगुण सम्पन्न जीवन के लिए निरन्तर प्रयास करने रहना ही गांधीवाद है ।

गांधीवाद और मानसवाद

कुछ अक्षिषा का कना है कि हिमा मे मुन्न मानसवाद ही गांधीवाद है । गांधीजी ने १३ फरवरी १९३७ क हरिजन म स्वयं लिखा है रशियन साम्यवाद जोकि यन्त्रिया पर धापा गया है भारत क त्रिण विपरीत होगा । मैं अहिंसा मव साम्यवाद म विचार रक्ता हूँ । क्या इसका अर्थ यह हुआ कि गांधीवाद और अहिंसा म साम्यवाद बराबर है ? वास्तव में दोनों मे कुछ समानताएँ अवश्य हैं किन्तु उनके आधार पर दाना का एक ही धरानल पर नहीं रखा जा सकता ।

समानताएँ

१ दोनों ही राय को बुराई मानकर उस समाप्त करके एक राय विहीन वग विहीन समाज की स्थापना करना चाहत हैं ।

२ मानस साम्यवादी अवस्था क पूरक समाजवादी व गांधीजी अतिम अवस्था के प ने अहिंसा प्रधान राय को आवश्यक समझते हैं । य प्राथमिक चरण है ।

३ दोनों ने भय को महता दी है ।

विभिन्नताएँ

१ गांधीजी का आधार आख्यामवाद है जबकि मानस का अतिमवादी दोना की स्थिति उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के समान है ।

२ गांधीजी साधन पर उतना ही बल देते हैं जितना साध्य पर । नेकिन मानस के अनुसार अवन नश्य की प्राप्ति येन केन प्रकारण टोनी चाहिए ।

३ अहिंसा गांधीवाद की धामा है किन्तु मानसवाद का भवन हिंसा की कक्ष पर सटा हुआ है ।

(३) गांधीजी पूजोरतियों का विनाश नहीं अपितु पूजिवाट को समाप्त करना चाहते थे। मैं पूजा का केंद्रीकरण चाहता हूँ किन्तु कुछ के नहीं सबके हाथों में।

(४) बड़े उद्योगों के विरोधी होते हुए भी आज के युग में उसकी समाप्ति को असम्भव मानते हुए उन्होंने कहा था मैं यह कहने के लिए अर्थात् समाजवादी हूँ कि ऐसी फ़ैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण या राज्य नियंत्रण होना चाहिए।

(५) गांधीजी एक धर्मसात्मक समाजवाद के प्रवर्तक थे। हमारा समाज अहिंसा पर आधारित होना चाहिए और पूजा और श्रम तथा जमींदार और कृषक में सामञ्जस्य पूर्ण सहयोग होना चाहिए।

वास्तव में गांधीजी पूर्णतः समाजवादी थे। उनके समाजवादी विचारों का ज्ञान मात्र नहीं गीता और उपनिषद् है।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

- Ahluwalia M M* Freedom Struggle in India
Ahmed Khan A The Founders of Pakistan
Alexander H G India Since Cripps
Anand C L Introduction to the History of the Government of India
Andrews C F & Mukerjee G The Rise and Growth of Congress in India
Aril Seal The Emergence of Indian Nationalism
Archibald W A J Sources of Indian Constitutional History
Athalye D A The Life of Lokmanya, Tilak
Auber The Rise and Progress of British Power in India
Azad Abul Kalam India wins Freedom
Bahadur Lal The Muslim League Its History Activities and Achievements
Banerjee A C Indian Constitutional Documents Vols I & II A Nation in the Making
Basu N K Studies in Gandhism
Besant Annie How India Wrought Freedom
Bose S M The Working Constitution in India
Bose Subhas The Indian Struggle
Boyd British Politics in Transition
Brown C & Dey A K India's Mineral Wealth Cambridge History of India Vol V
Tara Chand The History of Freedom Movement in India Vol I
Chatterjee Amiya The Constitutional Development of India
Chatterjee A C India's Struggle for Freedom
Chaudhry B M Muslim Politics in India
Chesney Indian Polity
Chitrol V Indian Unrest
Churchill W The Second World War the Grand Alliance Vol III Congress Punjab Enquiry Committee Report
Coupland R The Indian Problem The Cripps Mission
Cox Phillip Beyond the White Paper
Curts Dyarchy
Darda R S Feudalism to Democracy

- Desa A R* Social Background of Indian Nationalism
- Dhawan G N* The Political Philosophy of Mahatma Gandhi
Disorders Inquiry Committee Report 1921
- Durrani F A* The Means of Pakistan
- Dutt* Indian Culture
- East India Company Act 1773
- Ember Ainslee T* 1857 in India Mutiny or War of Independence
- Fisher Lovet* India under Curzon and After
- Gandhi M K* The Story of My Experiments with Truth
- Gangulee N* The Making of Federal India
- Giffiths Sir Percival* British Impact on India
- Gupta D C* Indian National Movement
- Gupta N N* Gandhi and Gandhism
- Gurdev Singh* Role of Ghadar in Indian National Movement
- Holmes A* History of India 1857 Mutiny
- Ilbert* Government of India Historical Survey
- Inder Parakash* Hindu Mahasabha
- Indian National Congress 1940-46
- India Sedition Committee Report 1918
- Jinnah Lord* Some Aspects of Indian Problem
- Jenger R S* Indian Constitution
- Jain P C* Economic Problems of India
- Kamarkar D P* Bal Gangadhar Tilak
- Keith A B* Speeches and Documents on Indian Policy Vol I
Constitutional History of India
- Kerala Putra* Working of Dyarchy in India 1919-1928
- Kunte and Seletora* Constitutional History of India
- कोमन्वी डी डी प्राचीन भारत की संस्कृति एवं सभ्यता ।
- Levee Vernon* A History of The Indian Nationalist Movement
(1600-1919)
- Macdonald* The Awakening of India
- Macmillan* Village India
- Madhava Rao* The Indian Round Table Conference and After
- Mahajan V D* National Movement in India and its Leader
- Mathu L P* Indian Revolutionary Movement in U S A
- Majumdar Ray Chandra & Datta* An Advance History of India
- Majumdar R C* Studies in the Cultural History of India
The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857
History of the Freedom Movement in India
- Mehta A & Acharya P* The Communal Triangle
- Montague Edwin S* A Study of Indian Polity
An Indian Diary

- Mehrotra S R* The Emergence of Indian National Congress
Menon V P The Transfer of Power in India
Mukerjee Indian Constitutional Documents
Murkjee R A Fundamental Unity of India
Nehru J L Discovery of India
 Towards Freedom
Nevinson The New Spirit in India
Noman Mohammad Muslim India
Phillips C H The Evolution of India and Pakistan
Punniah K V Constitutional History of India
Raghunanshi V P S Indian National Movement and Thought
Raj Jagdish The Mutiny and British Land Policy in North India
 (1856-1868)
Ray P C Life and Times of C R Das
Reddaway W B The Development of Indian Economy
Rajendra Prasad India Devided
 Report of the All Parties Conference (Nehru Report)
 Report of the Sedition Committee (Rowlatt Report)
 Report of the Reforms Inquiry Committee (Muddiman)
 Report on the Indian Constitutional Reforms (1918)
 Report of the Indian Statutory Commission Vol I
Robert P E History of British India
Savarkar V D The Indian War of Independence (1857)
Sethi R R & Mahajan V D Constitutional History of India
Shah K T Provincial Autonomy
Sharma D S Hinduism Through the Ages
Sharma Shyam Constitutional History of India
Singh G N Land Marks in Indian National and Constitutional
 Development
Singh Khushwant The History of Sikhs Vol II
Singh Harbans The Heritage of the Sikhs
Smith Oxford History of India
Sinha Sasdhar Indian Independence is prospective
Sitaramayya B Pattabhi The History of Indian National Congress
Sukla B D A History of Indian Liberal Party
Tendulkar D C Mahatma
Thakore B A Indian Administration to the Dawn of Responsible
 Government
 The Indian Annual Register Parts II III and IV
Vyas A C The Social Renaissance in India
Varma V P Political Philosophy of Mahatma Gandhi